Page No 1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

खंड 3] षष्ठम् विधान सभा के तृतीय सत्र का 15वां दिवस संख्या 12

मंगलवार,

दिनांक 14 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक म.पू. 11-00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामचन्द्र उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ।

श्री हीरालाल आर्य ।

इटावा ब्रान्च कैनाल तथा अथाना ब्रान्च कैनाल से सिंचाई

209. **श्री हीरालाल आर्य (पीपलदा):** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इटावा ब्रान्च कैनाल तथा अथाना ब्रान्च कैनाल के बीच करीब 30 गांवों में सिंचाई नहीं होती है ?

(2) क्या इस क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई हेतु एल. ओ. टी. सी. उप-खण्ड (2) मांगरोल द्वारा एक योजना बनाकर भेजी गयी है ?

(3) क्या राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिये इस योजना को शीघ्र मंजूर कर कार्य प्रारम्भ कराने का प्रयत्न करेगी?

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी): (1) जी हां ।

(2) उपरोक्त क्षेत्र में लिफ्ट सिंचाई हेतु योजना बनाई जा रही है व शीघ्र ही स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी । योजना स्वीकृत होने पर कार्य चलाया जायगा ।

(3) उपरोक्तानुसार । दूसरे का उत्तर है वही तीसरे का है ।

श्री हीरालाल आर्य : श्रीमन्, कब तक स्वीकृत होकर यहां भेज दी जायगी ? कार्य कब शुरू हो जायगा ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : इस योजना का सर्वे हो चुका है । प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । इस योजना में लगभग 18 हजार एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी और डेढ़ करोड़ रुपया व्यय होने का अनुमान है। इसका प्राक्कलन तैयार हो कर यह प्लानिंग कमीशन को जायेगी । वहां से स्वीकृत होने के बाद लाइन में लग जायगी ।

श्री ओंकारलाल चौहान : क्या यह योजना वर्ष 1977-78 में ले ली जायगी ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : प्लानिंग कमीशन से आये बिना इसमें लेना उचित नहीं है ।

श्री उमराव सिंह गूजर (महुआ): इस योजना पर कितना पैसा खर्च होगा ?

प्रश्न संख्या 210

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावत राम आर्य।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)

नैक्स्ट श्री आर. डी. यादव ।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 210 बहुत जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न पुकार लिया है । पहले कह देते ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : कृपा करके इसका उत्तर दिलवाइये । प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं इसको आवश्यक नहीं समझता ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत आवश्यक है । एक गांव डूब रहा है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप कह रहे हैं आवश्यक नहीं समझता ।

श्री उपाध्यक्ष : डूब नहीं रहा है, पानी से भरा है ।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : तो आप उसको बचाइये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यादव ।

ग्रामीण अंचल के थानों में वाहन देने की योजना

211. **श्री रामेश्वरदयाल यादव** (चौमूं): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान के ग्रामीण अंचलों में स्थापित पुलिस थानों में घटना की जांच करवाने के लिये सरकार ने कोई वाहन मुहय्या कर रखे हैं ? यदि हां, तो ग्रामीण अंचल के पुलिस स्टेशनों को क्या क्या वाहन दे रखे हैं और राजस्थान में उनकी कितनी संख्या है ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने पुलिस थानों में ऊंट रखने की व्यवस्था कर रखी थी लेकिन अब हटा ली गई है ? यदि हां, तो यह व्यवस्था हटाने के क्या कारण थे ?

(3) क्या यह सही है कि ग्रामीण अंचल के थानों में अधिकांश मुकदमों की वाहनों के अभाव में तत्काल तफतीश नहीं हो पाती ? यदि हां, तो एक वर्ष की अवधि में कितने केस बिना सही जांच के वाहनों के अभाव में स्वतः खत्म हो जाते हैं ?

(4) राज्य सरकार ग्रामीण अंचल के थानों को वाहन देने की कोई योजना क्रियान्वित करने जा रही है ? यदि हां, तो वाहनों का स्वरूप क्या होगा? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह मंत्री (श्री सम्पत राम): (1) जी हां । राजस्थान के 12 ग्रामीण थानों को एक एक जीप दी गई है । इसके अलावा जहां जीपें नहीं हैं वहां पर संगीन मामलों में तुरन्त जांच करवाने के लिये वाहन किराये पर लेने की योजना स्वीकृत की गई है । यह व्यवस्था इस वर्ष 150 थानों पर व अगले दो वर्षों में सभी 450 थानों पर हो जायेगी।

(श्री सम्पत राम)

(2) जी नहीं । जिन रेगिस्तानी थानों पर ऊंट रखना आवश्यक है वहां से यह व्यवस्था नहीं हटाई गई है । केवल उन थानों से जहां सड़कें उपलब्ध हैं, पर ऊंटों के स्थान पर साइकिल भत्ता दिया गया है ।

(3 व 4) जी नहीं । वाहनों के अभाव में कोई मुकदमा समाप्त नहीं किया जाता है । आधुनिकरण योजना के अन्तर्गत अधिक ग्रामीण थानों को जीपें देने की योजना विचाराधीन हैं । संगीन मामलों की जांच के लियें किराये पर वाहन लेने की योजना स्वीकृत की गयी है जिसमें 150 थानों के लियें यह व्यवस्था चालू वर्ष में है व शेष स्थानों पर अगले दो वर्षों में की जायेंगी ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करें कि जो 150 थानों में जीप उपलब्ध कराई गई है, उनको किस क्राइटेरिया पर यह जीप उपलब्ध कराई गई है ? मेरा निवेदन है कि 'ए' श्रेणी के थानों में भी यह जीप उपलब्ध नहीं कराई गई है जिनमें बहुत से केसेज आते हैं ।

श्री ईश्वर चन्द्र (पिड़ावा) : मैं भी एक प्रश्न निवेदन करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी जीप देने की एक ऐसी योजना है कि आप डीजल जीप देना चाहते हैं । जो चोर हैं उनके पास पैट्रोल की जीपें हैं जो तेज गति से दौड़ती हैं और आपकी यह डीजल जीपें 60-70 की स्पीड से अधिक बढ़ती नहीं हैं । इस तरह से तो आपकी जीप चोरों का पीछा करने में बहुत पीछे रह जायेंगी ।

श्री सम्पत राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में इस समय 450 ग्रामीण पुलिस स्टेशन्स हैं । इन 450 थानों में सरकार यह चाहती है कि कोई व्यवस्था लागू करे । ऐसा महसूस किया जा रहा था कि इनको जीपें उपलब्ध करानी चाहियें और इसीलिये जीपें उपलब्ध कराई जा रही हैं । अभी सभी थानों में जीपें उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा । जिन जिन थानों में वाहन किराये पर लेने की योजना स्वीकृत की गई है वहां अभी ये उपलब्ध कराई जायेंगी, पहले 150, बाद में फिर 150 और उसके बाद फिर 150, इस तरह 450 थाने कवर हो जायेंगे । माननीय सदस्य ने पूछा.जो बड़े बड़े थाने हैं और जहां ज्यादा जुर्म होते हैं तथा जहां ऊबड़-खाबड़ जमीन है और अपराध भी ज्यादा होते हैं पहले उनको प्राथमिकता दी जायगी और बाद में अन्य थानों को । दूसरे माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है उससे कुछ अंशों तक मैं भी सहमत हूं क्योंकि यह बात मुझे कुछ पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट्स ने भी कही है और जाहिर है कि चोरों के पास पैट्रोल की जीपें हैं । जो हमारी डीजल की जीपें हैं उनका पिक-अप ज्यादा अच्छा नहीं होता है । वे चोरों का पीछा करने में पीछे रह जायेंगी । सरकार इस पर विचार करेगी और सम्भव हुआ तो पैट्रोल की जीपें भी उपलब्ध कराई जायेंगी. .

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री है. .

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जहां इनचार्ज है वहां वाहन सुविधा के लिये दिया जाता है । ग्रामीण क्षेत्र में असलियत यह है कि वहां थानेदार

Page No 4

(4)

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)
वाहन का उपयोग करते हैं तो उसका पैसा पार्टीज से वसूल करते हैं। इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री सम्पतराम : मेरी जानकारी में इस प्रकार का प्रश्न नहीं आया है। माननीय सदस्य कोई शिकायत बतायेंगे तो उस पर सोचा जायगा।

(व्यवधान)

श्री श्योपत सिंह मकासर : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मोटर साइकिल स्क्वेड रखने की व्यवस्था की जा सकती है ग्रामीण अंचलों में?

श्री सम्पत राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारी जानकारी जो भी मेरे पास उपलब्ध थी, सदन के सामने रख दी है। अभी इस प्रकार का कोई मामला सरकार के पास विचाराधीन नहीं है कि मोटर साइकिल प्रोवाइड की जाय। धनाभाव के कारण अभी यह मामला विचाराधीन नहीं है।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्वेषण के लिये इस प्रकार की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिये।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल रखा है, वह एक आल्टरनेटिव सुझाव है . . . .

(व्यवधान)

मैंने जो सवाल रखा है वह धनाभाव की पूर्ति भी करता है। इसके साथ साथ मोटर साइकिल ज्यादा इफेक्टिव होती है। स्पीड के लिहाज से भी यह ज्यादा चुस्त रहेगी। जीप की जगह दो-दो मोटर साइकिल देने की व्यवस्था रखनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने सुझाव दिया है उस पर वह विचार करेंगे।

श्री श्योपत सिंह मकासर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रेस्पान्स चाहता हूं। रेस्पान्स अभी मंत्री महोदय की ओर से मिला नहीं है।

श्री निर्मल कुमार सकलेचा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जीपें चाहे डीजल की हों या पैट्रोल की हों, उनकी बहुत कीमत है। उसी कीमत में सात सात मोटर साइकिलें खरीदी जा सकती हैं। तो क्या मंत्री महोदय मोटर साइकिलें देने का विचार रखते हैं?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : गृह मंत्री क्या यह बतायेंगे ....

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के थाने में डेढ़ सौ जीपें मुहय्या कराने की बात मंत्री महोदय ने कही है। लेकिन हालत यह है कि गांवों में थानेदार लोग जो पार्टी होती है उससे पैसा भी खाते हैं, जीपें भी उन्हीं से मंगवाते हैं और जीपों का किराया भी लेते हैं। इसको रोकने के लिये आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मंत्री महोदय कृपया यह बतावें।

श्री श्योपत सिंह मकासर : मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें ......

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या आप ही सारे प्रश्न पूछेंगे? दूसरे को कोई मौका ही नहीं देंगे।

(व्यवधान)

Page No 5

(श्री मूलचन्द सामरिया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात पूछना चाहता हूं। आपको यह कब पता चला कि गांवों में थानों के अन्दर जीपों की आवश्यकता है ? यह आपको पहले से ही मालूम था या मिनिस्टर बनने के बाद ही मालूम हुआ ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : क्या गृह मंत्रीजी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस साल के बजट में या अगले साल के बजट में कितना रुपया आपने इसके लिए रखा था कि थानेदार लोग गाड़ियां किराये पर ले सकें और इन्वेस्टीगेशन कर सकें ? आप कृपया बतायें कि पिछले साल बजट में कितना रुपया दिया गया ? कोई फिगर्स हैं ?

श्री सम्पत राम : बजट प्रावधान पहले से होने का प्रश्न ही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : इस साल कितना रुपया रखा है इस काम के लिए, यही बता दें ?

श्री सम्पत राम : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया है इससे श्रीमान् डागा साहब स्वयं समझ सकते हैं कि डेढ़ सौ थानों को 1200) रु. प्रति थाने के हिसाब से दिया जाएगा तो कितना पैसा बैठेगा। यह भारत सरकार से पैसा मिल रहा है। यदि आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार भी पैसा देगी।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बहुत प्रश्न हो चुके हैं इस पर। नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोर्डर एरिया के बारे में महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं ......

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री किशनसिंह।

श्री किशनसिंह भाटी : क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि बोर्डर पर स्मगलिंग होता है ? मैं उस एरिया से आता हूं, उधर का रहने वाला हूं जहां पर स्मगलिंग होता है, जसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर वगैरह, वहां पर स्मगलिंग करने वाले जोंगा रखते हैं। उनको पकड़ने के लिए पुलिस के पास वैसी जीपें नहीं हैं। वे उनको चैक नहीं कर सकते। इसलिए क्या सरकार पुलिस को जोंगा मुहय्या कराएगी करोड़ों रुपयों के स्मगलिंग को रोकने के लिए ?

श्री रतनाराम (रानीवाड़ा) : जहां रेगिस्तानी एरिया है वहां मोटर साइकिल नहीं जा सकती, वहां जीप ही जा सकती है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने पहले ही कह दिया था कि सभी प्रश्नों पर विचार करेंगे।

श्री भंवरलाल ऐरन (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक प्रश्न रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : काफी सप्लीमेंट्री पूछे जा चुके हैं।

श्री भंवरलाल ऐरन : उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि नसीराबाद

Page No 6

(6)

(श्री भंवरलाल ऐरन)

में अभी थोड़े दिनों पहले एक बहुत बड़ी चोरी हुई। जिस थाने के अन्तर्गत चोरी हुई थी उस थाने के थानेदार ने उसी आदमी से, जिसके यहां चोरी हुई थी, एक जीप किराये पर मंगवाई और एक महीने तक जीप अपने पास रखी लेकिन फिर भी वह चोरी बरामद नहीं हो सकी। क्या राज्य सरकार के पास ऐसी कोई योजना विचाराधीन है कि ऐसी महत्वपूर्ण जगहों पर जीप का इन्तजाम किया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले भी पूछ चुके हैं।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : गृह मंत्री महोदय ने यह बताया कि डेढ़ सौ जीपें थानों में उपलब्ध कराई जायेंगी तो क्या इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे देहाती और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर चोरी की विशेष वारदातें होती हैं, आवागमन चोरों का विशेष रूप से होता है, और वाहनों का उपलब्ध होना मुश्किल है, वहां प्राथमिकता के आधार पर जीपें दी जायेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने पहले ही उत्तर दे दिया है कि आवश्यकता के अनुसार व्यवस्था करेंगे।

(व्यवधान)

श्री सम्पत राम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अर्ज करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मेरे उत्तर को माननीय सदस्यों ने गलत रूप से लिया है। मैंने यह नहीं कहा कि थानों में जीपें प्रावाइड कर रहे हैं। मैंने यह अनुरोध किया है कि डेढ़ सौ थानों में बारह सौ रुपये प्रति थाने के हिसाब से दिया जाएगा जिसमें कि वे जीपें किराये पर लेकर इन्वेस्टीगेशन के लिए जा सकें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री उगमराज मेहता।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बारह सौ रुपये देने से क्या प्रयोजन हल होने वाला है ? आप खुद सोचिये, इतने रुपये से दो या तीन से ज्यादा केसेज की तफतीश होगी नहीं। वे लोग अपनी आदत को छोड़ने वाले नहीं हैं। वह मुस्तगीस से ही जीपें मंगायेंगे और उसी ढंग से उसका खर्चा करायेंगे। फिर यह बारह सौ रुपये का प्रावधान रखने से क्या फायदा है ?

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : मैं सुबह से पांच बार खड़ा हो चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप पूछ चुके हैं। No supplementary. No more questions.

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : एक सवाल। क्या गृह मंत्रीजी थानेदारों को एक हजार का अनुदान दे रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : मैं इन्कार कर चुका हूं।

No Supplementary.

श्री उगमराज मेहता।

रानी प्रसूति गृह में लेडी डाक्टर की व्यवस्था

212. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रानी (जिला पाली) में प्रसूति गृह कब से बना हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि वहां इतने वर्षों से लेडी डाक्टर नहीं है जब कि वहां की जनता की बार बार मांग होती रही है ?

(3) क्या अब राज्य सरकार वहां लेडी डाक्टर भेजने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

सिंचाई मंत्री (श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी): (1) प्रसूति गृह जोधपुर स्टेट के समय से मार्च, 1947 से चालू है।

(2) महिला चिकित्सक का कोई पद स्वीकृत नहीं है।

(3) जी नहीं।

श्री उगमराज मेहता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि जिस समय, जोधपुर स्टेट के समय में इस प्रसूति गृह की स्थापना हुई थी तो एक लेडी डाक्टर रखने का प्रावधान था। उस समय यह निश्चय किया गया था कि एक लेडी डाक्टर रखी जावेगी। क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक क्यों नहीं रखी गई और अब कब तक रखी जावेगी ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। राजस्थान के किन किन अस्पतालों में लेडी डाक्टर की व्यवस्था है ? जिन अस्पतालों में लेडी डाक्टर की व्यवस्था नहीं है वहां कब तक व्यवस्था करने का विचार रखते हैं ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रसूति गृह में लेडी डाक्टर रखना क्या उचित नहीं समझते हैं ? क्या प्रसूति गृह में लेडी डाक्टर का होना आवश्यक नहीं है ?

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या यह सही है कि राज्य सरकार देहातों में छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करके देहातों की जनता को बड़े बड़े शहरों की ओर हर मामले के अन्दर आकर्षित होने के लिए प्रभावित करती है और इस तरह से शहरों का हव्वा खड़ा कर रखा है ?

श्री कौशलकिशोर जैन (भीलवाड़ा) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या प्रसूति गृह बिना महिला डाक्टर के चल सकता है ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, सन् 1947 से छोटे गांवों में भी इस प्रकार के छोटे छोटे अस्पतालों को भी प्रसूति गृह का नाम दे दिया गया इसलिए केवल नाम मात्र से चल रहे हैं। जहां पर दुसरे अस्पताल और डिस्पेंसरीज हैं जिनमें पुरुष चिकित्सक भी हैं, जहां पर ए. एन. एम. और दाई की व्यवस्था है और फोर्थ क्लास सर्वेंट भी है वहां पर सब प्रकार की व्यवस्था है। जो छोटे छोटे अस्पताल

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)
स्टेट के समय से चले आ रहे हैं उनमें महिला डाक्टर के पद स्वीकृत नहीं हैं और जिस प्रकार की व्यवस्था पहले थी उसी तरह से चल रही है। जैसा कि अभी राज्य सरकार ने प्रावधान किया है, हम धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहे हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें एक महिला डाक्टर होगी। जो दस हजार से ऊपर की आबादी के स्थान हैं, जहां पर नए प्रसूति गृह का प्रावधान किया जाएगा वहां पर लेडी डाक्टर की भी नियुक्ति करेंगे।

(व्यवधान)

श्री रामेश्वरदयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण जनता के सहयोग से भवन बना कर राज्य सरकार को दिए गये थे लेकिन वहां पर लेडी डाक्टर के पद हटा दिए गए हैं, ऐसे जयपुर जिले के देहाती क्षेत्रों में कितने स्थान हैं ? मैं स्पेसिफिकली कहना चाहता हूं कि चौमूं क्षेत्र में कालाडेरा के अन्दर डेढ़ लाख की बिल्डिंग रामेश्वरलाल सहारिया ने बना कर दी लेकिन वहां से भी लेडी डाक्टर का पद हटा दिया गया। इस तरह से जनता द्वारा सहयोग देते हुए भी लेडी डाक्टर का पद हटा रहे हैं।

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने कहा कि रानी एक छोटा सा गांव है, मैं कहता हूं कि वह बहुत बड़ी मण्डी है। आसपास के दस पन्द्रह मील की दूरी से लोग वहां पर आते हैं. मरीज आते हैं और आप फर्मा रहे हैं कि वह छोटा सा गांव है। इसके सम्बन्ध में अब तक आपके विभाग ने लापरवाही रखी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, इसकी घोषणा आज ही कर दें कि वहां पर लेडी डाक्टर की व्यवस्था की जाएगी।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जिन स्थानों पर पिछले बारह महीनों से लेडी डाक्टर नहीं है, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहां पर लेडी डाक्टर कब तक भिजवा दी जायेगी ?

श्री उगमराज मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, रानी पंचायत समिति में लेडी डाक्टर की पोस्ट नहीं है। जहां पर प्रसूति गृह है, वहां पर लेडी डाक्टर की नियुक्ति करने के लिए मंत्री महोदय क्यों नहीं सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं ?

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): उपाध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगी कि जहां अभी तक पद सृजित नहीं हुए हैं वहां ये पद कब तक सृजित कर दिए जाएंगे ? मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में 166 गांव हैं। इन गांवों में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। नदी नालों में होकर उनके बीच में होकर जाना पड़ता है। वहां पर अस्पताल होते हुए भी न तो नर्स है, न ए. एन. एम. है, न कोई डाक्टर है। ऐसी ही स्थिति पूरे राजस्थान के अनेक क्षेत्रों में है। तो क्या पंचायत समिति क्षेत्र में महिला डाक्टर की नियुक्ति करने का मंत्री महोदय विचार रखते हैं ?

श्री ईश्वर चन्द्र : मंत्री महोदय यह बतावें कि कितने स्थानों पर नियुक्ति कर चुके हैं, कितने स्थानों पर नियुक्ति करना बाकी है और कितने अर्से में इस आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी ?

Page No 9

(9)

श्री कौशल किशोर जैन : क्या यह सही है कि मंत्री महोदय भूतपूर्व चिकित्सा मंत्री हैं इसलिए आश्वासन देने से कतरा रहे हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल किया, मैं आपकी जानकारी के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि रानी की जनसंख्या 5653 है। मैंने प्रारम्भ में ही यह निवेदन किया था कि हम अभी दस हजार की आबादी तक पहुंचे हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पुरुष डाक्टर और महिला डाक्टर की व्यवस्था की है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि शार्ट टर्म और लांग टर्म एडवर्टाइजमेन्ट के बाद जितनी भी लेडी डाक्टर आई थीं उनमें से प्रत्येक लेडी डाक्टर की नियुक्ति हो चुकी है और एक भी लेडी डाक्टर ऐसी नहीं है जो पैंन्डिग हो नियुक्ति के लिए। राज्य सरकार की यह भी योजना है कि बाहर से भी लेडी डाक्टर उपलब्ध हो तो नियुक्ति कर दी जावे। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है महिला चिकित्सकों की कमी को देखते हुए कि जो लेडी डाक्टर रिटायर हो गयी हैं 55 साल के बाद, उनकी नियुक्ति भी 58 वर्ष की उम्र तक की जाए। इसलिए जहां जहां पर पद स्वीकृत हैं और रिक्त हैं, वहां पर महिला डाक्टर लगायी जाएंगी। मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि 4-6 बार इन्टरव्यू लिए गए हैं परन्तु जितनी महिला डाक्टर आती हैं वे गांव में जाने से कतराती हैं। इसके लिए 17 के पोस्टिंग आर्डर निकलते हैं तो उसमें से 3/4 ही जोइन करती हैं। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। कालाडेरा में दो पुरुष डाक्टर लगे हुए हैं। अगर माननीय सदस्य महिला डाक्टर उपलब्ध कराएंगे तो हम पोस्टिंग करेंगे।

श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़) : दांता में महिला डाक्टर थी, उसको आपने वहां से क्यों हटा दिया ?

(व्यवधान)

श्री रामेश्वर दयाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि जैसे जैसे महिला डाक्टर उपलब्ध होंगी लगाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग चंदा करके भवन बनाते हैं, या स्वर्गीय सेठ के उत्तराधिकारी बिल्डिंग बना कर देते हैं। वहां पर पद समाप्त कर दिए जाते हैं। तो ये डाक्टर के पद कब सृजित करेंगे और आप कब लगाएंगे ? जब ग्रामीण क्षेत्रों का सवाल आता है तो वहां से पद हटा दिए जाते हैं और शहरी क्षेत्रों में पद बढ़ा दिए जाते हैं। यह मतभेद पैदा करने की बात है। यह जो अन्तर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसको क्या मंत्री महोदय हटाने के लिए कोशिश करेंगे ?

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लेडी डाक्टर जाने को तैयार नहीं हैं। मेरा यह निवेदन है कि इनको जो ट्रेनिंग दी जाए, उसमें यह शर्त लगा दी जाए कि उनको गांवों के अन्दर जाना होगा। क्या गांव वाले मर जाएं ? तीस वर्ष तक तो यह होता रहा, अब यह बात बर्दाश्त नहीं हो सकती। इसलिए मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जहां जहां पर लेडी डाक्टर के पद

(श्री रतनलाल शर्मा)

हैं, जहां पर उनके रहने के लिए क्वार्टर्स हैं वहां पर तो तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम एक पंचायत समिति क्षेत्र में एक लेडी डाक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए ।..

(व्यवधान)

कोई जाने से मना करे तो उसको हटा दें..

श्री राम सिंह विश्नोई (लूणी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय ने यह बताया है कि दस हजार की आबादी पर दो पुरुष डाक्टर और एक लेडी डाक्टर की नियुक्ति की गई है। मैं इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिलाड़ा की आबादी 22 हजार है, वहां पर पांच साल से लेडी डाक्टर नहीं है। आपने कोई नियुक्ति नहीं की है। आपने लगाया ही नहीं है तो जोइन कौन करेगा ? तो क्या मंत्री महोदय वहां पर लेडी डाक्टर की नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री शंकरलाल ।

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) : प्रश्न संख्या....

श्री उपाध्यक्ष : मैंने आपका नाम पुकारा तब आप बोले नहीं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : बोला हूं परन्तु सदन का ऐसा माहौल था कि आपको सुनाई नहीं दिया और न आपकी आवाज मुझ को सुनाई दी। आपने मेरी आवाज नहीं सुनी और मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन सका।

श्री रामकरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में इस प्रकार का वातावरण है, जब कोई माननीय सदस्य अपनी बात कहता है, तो दूसरे माननीय सदस्य भी बीच बीच में बोलने लगते हैं और माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं, यह सुनाई नहीं देता है। किसी की कोई बात सुनाई नहीं देती है। इस प्रकार का वातावरण कल एक वयोवृद्ध, अनुभवी देख रहे थे। उन्होंने मुझे यह बताया है कि हम छात्रों को सदन में बिठाएंगे क्योंकि उन पर गलत असर पड़ता है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, बजरंगलाल शर्मा ने जो कहा है, वह सही है.....

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 213 ।

राज्य कर्मचारियों के सेवा काल में वृद्धि

213. **श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :** क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

> क्या जनता सरकार की स्थापना के बाद राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु के पश्चात् उन्हें सेवा काल में वृद्धि न करने की कोई घोषणा की है ? यदि हां, तो क्या उस नीति पर पालन हुआ है या कोई अपवाद है ? यदि अपवाद है, तो कौन कौन से और क्यों ?

राज्य मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री महबूब अली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की सूचना संकलित की जा रही है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर स्थगित किया जाए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। यह तो सेक्रेटेरिएट में ही सूचना उपलब्ध है।

श्री मूलचन्द डागा : यह इम्पाटॅन्ट क्वेश्चन है और सरकार इसको टाल रही है।

श्री महबूब अली : उत्तर नहीं देने का कोई प्रश्न नहीं है। सूचना आते ही जवाब दिया जाएगा .....

श्री मूलचन्द डागा : अधूरी सूचना दे दीजिए। जो आपको मालूम हो वही दे दीजिए ....

श्री उपाध्यक्ष : जो प्रश्न पूछा गया है, उसको देखते हुए मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि इसकी इन्फार्मेशन कलेक्ट करने के लिए क्या सेक्रेटेरिएट काफी नहीं है ?

श्री महबूब अली : विभिन्न विभागों से इसकी सूचना प्राप्त करनी थी इसलिए उनको चिट्ठी लिखी गई है। 6 तारीख को असेम्बली सेक्रेटेरिएट से आया था। प्राप्त होते ही सूचना संकलित की जा रही है।

श्री मूलचन्द डागा : जिन जिन विभागों से सूचना आई है, वह दे दीजिए।

श्री महबूब अली : सरकार को कोई एतराज नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने कब तो विभागों को लिखा और ये विभाग कब आपको उत्तर भेजेंगे ?

श्री मन्जूर अली (सवाई माधोपुर) : यह गवर्नमेन्ट की पालिसी का सवाल है। सरकार क्यों इसे अवाइड कर रही है ?

(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगली टर्न पर आना चाहिए......

श्री मूलचन्द डागा : यह मुख्यमंत्री का सवाल है। उनको रहना चाहिए। मुख्यमंत्री नहीं आये और यह वजन आप पर डाल दिया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकर्ता, श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंग लाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले सत्र में प्रश्न दिए थे और इस सत्र में भी दिए हैं, उनमें से केवल तीन प्रश्न अभी तक आए हैं। इन तीन प्रश्नों में से दो प्रश्न तो पहले ही आप स्थगित कर चुके हैं और आज यह तीसरा जो प्रश्न आया है, लगभग इसका फेट भी वही हो रहा है। मेरे प्रश्नों का उत्तर सरकार की ओर से नहीं आ रहा है। कल भी मेरा प्रश्न स्थगित किया गया था और आज फिर यह स्थगित किया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से एक बात कहना चाहता हूं कि भविष्य में इस की पुनरावृत्ति न हो।

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजा खेड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है, सरकार पर मेरा यह आरोप है बिना डिपार्टमेण्ट आफ पर्सनल की सहमति के कोई भी विभागाध्यक्ष री-एम्प्लायमेण्ट नहीं दे सकता है। मुख्यमन्त्री महोदय घोषणा कर चुके थे कि हम किसी को री-एम्प्लायमेंट नहीं देंगे लेकिन दिया गया है। इससे सरकार चिढ़ रही है। यह मेरा आरोप है।

श्री मूलचन्द डागा : हमने जितने प्रश्न किये हैं, उनका उत्तर नहीं दिया गया है।

Page No 12

(12)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैं एक प्रश्न कर रहा हूं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैं तो आपकी मोहब्बत में पूछ रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह इस प्रकार से...

(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्नसिंह : आपको अभी मैं सिखा सकता हूं ।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि क्या कोई निर्णय सरकार ने इस बारे में लिया है ? सरकार की नीति के बारे में पूछता हूं । यह बिना सरकार के इरादे के नहीं हो सकता है । क्या मुख्य मन्त्री महोदय कोई सैटिस्फैक्शन देंगे ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इसी प्रकार से एक मन्त्री महोदय के रिश्तेदार को री-एम्प्लायमेंट दिया गया है। इसलिए मेहरबानी करके उनको जवाब देने के लिए प्रेस किया जाये ।

श्री मुखलाल संगचा : उन मन्त्री महोदय का नाम बता दें ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मेरा निवेदन है कि इसको स्थगित करवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित उसी अवस्था में किया जाता है, जब कि इन्फोर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकें । मैं चेम्बर में बुला कर पूछूंगा ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : Thank you very much.

श्री उपाध्यक्ष : मैं ऐसा चाहूंगा कि आइन्दा ऐसा नहीं हो । मन्त्री महोदय, जल्दी से जल्दी इन्फोर्मेशन कलेक्ट की जा सके ऐसी व्यवस्था करें ।

श्री महबूब अली : इसके बारे में ...

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा, जनता सरकार की घोषणा है कि जनता सरकार की स्थापना के बाद में जनता सरकार में किसी को एक्सटेंशन नहीं दिया जाये । यह घोषणा की गई है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह बिलकुल गलत है । इतना गलत किसी आदमी का कहना नहीं हो सकता है । बिना डिपार्टमेण्ट ऑफ पर्सनल की सहमति के किसी भी डिपार्टमेण्ट में री-एम्प्लायमेण्ट नहीं हो सकता है । यह सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने काफी कह दिया है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : इनको ताड़ना दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : ताड़ना के रूप में मैंने बहुत कह दिया है ।

नैक्स्ट । श्री शंकरलाल ।

(अनुपस्थित)

नैक्स्ट । श्री माधोसिंह कछवाह ।

श्री सुखलाल संणचा : उपाध्यक्ष महोदय, यह शंकरलालजी वाला इम्पार्टेंट क्वेश्चन है।

श्री खेतसिंह राठौड़: Very important question.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, माननीय शंकरलालजी का प्रश्न है, मैं इसको महत्वपूर्ण महसूस करता हूं।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऑपरेशन तथा पुनः नस जोड़ने के मामले

214. **श्री सुखलाल संणचा** (रायपुर) [श्री शंकरलाल (जैतारण) की अनुपस्थिति में] : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा परिवार नियोजन के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों के ऑपरेशन किये गये थे उनकी इच्छा पर उन पुरुषों की वापस नस जोड़ने के आदेश जारी किये हुये हैं ? यदि हां, तो इस प्रकार के आदेश जारी करने के पश्चात् कितने व्यक्तियों द्वारा राजस्थान के विभिन्न अस्पतालों में नसें जुड़वाई गईं ?

(2) परिवार नियोजन की जगह परिवार कल्याण शब्द रखे जाने के पश्चात् स्वेच्छा से कितने व्यक्तियों ने राजस्थान में नसबन्दी करवाई ? तुलनात्मक दृष्टि से जून, 1977 से फरवरी, 1978 तक के व जून, 1976 से फरवरी, 1977 तक के आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 26 जनवरी, 1978 को राष्ट्र के नाम संदेश में परिवार नियोजन को कानून बनाकर लागू करने व पीनल क्लॉज रखने की अनिवार्यता पर भी जोर दिये जाने की घोषणा के सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

सिंचाई मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) जी हां। 231 पुरुषों की विभिन्न स्तरों पर नस वापस जोड़ी गई है।

(2) माह अप्रेल, 77 से जनवरी, 78 तक राजस्थान में कुल 10137 नसबन्दी आपरेशन किये जा चुके हैं। तुलनात्मक दृष्टि से जून, 76 से फरवरी, 77 तक राजस्थान में कुल 356428 नसबन्दी आपरेशन किये गये थे जब कि जून, 77 से जनवरी, 78 तक कुल 8492 स्वेच्छित नसबन्दी के आपरेशन किये गये हैं। माह फरवरी, 78 के आंकड़े अभी तक जिलों से प्राप्त नहीं हुए हैं अतः शामिल नहीं किये जा सके हैं।

(3) राष्ट्र के नाम सन्देश में इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या मंत्री महोदय से मैं पूछ सकता हूं....

श्री सुखलाल संणचा : जिनकी वापस नस जोड़ी गई हैं, उनमें कितने सफल हुए हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह मकासर।

श्री गुलमोहम्मद : जो नसें जोड़ी गई हैं, वह कामयाब हुई हैं या नहीं ?

(14)

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा, आपने कहा है कि 231 पुरुषों की नसें वापस जोड़ी गई हैं। उनमें से कितने कामयाब हुए और कितने नाकामयाब हुए ? यह भी बतायें कि 231 में कितने मरे हैं, कितने जिन्दा हैं?

श्री खेतसिंह राठौड़ : पिछले साल में जितना स्टाफ था, उतना ही स्टाफ है, गाड़ियां हैं। जब कि पिछले साल 356428 आपरेशन हुए हैं और इस साल 10137 बताये हैं। तो आपका इतना खर्चा करने का क्या आशय है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामेश्वर।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो 231 की संख्या बताई है, इसमें भूतपूर्व मन्त्री और कांग्रेस के नेता कितने शामिल हैं ?

श्री सुखलाल संणचा : आपके कितने मन्त्रियों के आपरेशन किये गये हैं ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं तो परिवार नियोजन में विश्वास रखता हूं। इसलिए पहले ही करा लिया है। आपने कराया हो तो बतायें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल अजीज।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मन्त्री महोदय ने जून, 77 के नसबन्दी के आंकड़े दिये हैं। बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए क्या जनता पार्टी की सरकार इससे सन्तुष्ट है ?

(विराम)

जून, 1977-78 तक के जो आंकड़े बताये हैं क्या उनसे बढ़ती हुई आबादी के हिसाब से जनता सरकार संतुष्ट है ?

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : जो नस वापस जोड़ी गई उनके मंत्री महोदय 1974, 1975, 1976 और 1977 के अलग-अलग फिगर्स बताने की कृपा करें। नसें पहले भी जोड़ी गई थीं इसलिये यह कोई नई बात नहीं है कि इस साल ही जोड़ी गई हों। 1974 से 1977 तक के अलग-अलग फिगर्स बतावें। दूसरा सवाल यह पैदा होता है, यह बताने की कृपा करें कि इनमें से कितने कुंवारे थे, जिनकी नसें वापस जोड़ी गईं ? ऐसे कितने आदमी थे जिनके बच्चे मर गये ? नये शादीशुदा लोग कितने थे और उनमें से कितनों की नसें जोड़ी गईं ? यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यह फिगर्स आ जायेंगे तब यह मालूम हो जायेगा कि क्या स्थिति है और किस स्थिति में ये वापस जोड़ी गईं।

(व्यवधान)

श्री नवरंगसिंह : जो नसें वापस जोड़ी गईं उनको टैस्ट करने के सरकार के पास क्या साधन हैं ?

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) : क्या किसी भूतपूर्व मंत्री की नस वापस जोड़ी गई है ?

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : डाक्टर हरिसिंह ने अपने सेवाकाल में कितनी नसें जोड़ीं और कितनी कामयाब हुईं ?

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि नसबन्दी कराकर वापस जोड़ना एक फ्राड है। एक भी केस सक्सेसफुल नहीं हुआ है। मेरे क्षेत्र का एक बद्रीलाल था जो आठ दिनों तक हॉस्पिटल

(श्री ईश्वरचन्द्र)
में भर्ती रहा, लेकिन उस पर कोई इफैक्ट नहीं हुआ।

श्री हरिसिंह (फुलेरा) : मेरा निवेदन है कि एक्सपर्ट आदमियों से नहीं कराये गये इसलिये रिजल्ट नहीं आए। The operations have not been performed by experienced doctors. They have not taken experts, help.

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि 231 केसेज में आने-जाने में और सुविधायें देने में कितना खर्चा हुआ ?

श्री ललीत किशोर चतुर्वेदी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने परिवार कल्याण को प्रोत्साहन दिया है जिसका परिवार नियोजन भी एक भाग है। केवल नसबन्दी करने से ही पापूलेशन का बम्बार्डमेन्ट नहीं रुक सकता। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्वेच्छिक नसबन्दी कराने को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से हम प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा टेम्पो बनाने में समय लगेगा। पहले हम ऐसा वातावरण बनाने में प्रयत्नशील हैं कि लोग परिवार कल्याण के साथ ही परिवार नियोजन में भी सहयोग देवें और उसमें धीरे-धीरे संख्या बढ़ती जाय।

दूसरा जैसा कि फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य ने सवाल उठाया मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 231 केसेज में से जयपुर मेडिकल कॉलेज में 94, बीकानेर मेडिकल कॉलेज में 4, जोधपुर मेडिकल कॉलेज में 23, उदयपुर मेडिकल कॉलेज में 42, अजमेर मेडिकल कॉलेज में 32 और गंगानगर जनाना अस्पताल में 2 केसेज हुए। बड़े शहरों के अन्दर ही ये आपरेशन किये गये हैं इसलिए यह आरोप लगाना कि एक्सपर्ट डाक्टरों से नहीं करवाये, बिल्कुल निराधार है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ....

(व्यवधान)

231 केसेज के अन्दर कोई केस बिगड़ा हो, इसकी सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है। कोई शिकायत आई तो निश्चित रूप से उसको दूर करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मन्त्री महोदय से तीन सवाल पूछे थे..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री माधोसिंह कछवाह।

रातानाडा, शिव रोड, जोधपुर के भूखण्डों का प्रयोग

215. श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) : क्या नगर आयोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि रातानाडा, शिव रोड, जोधपुर में 'कार्मशियल' प्रयोग 70 से 80 प्रतिशत भूखण्डों पर है ? अगर हां, तो क्या कथित प्रयोग 'मास्टर प्लान' बनने से पूर्व से है ?

(2) कथित शिव रोड का 'बेसिक करेक्टर' व्यापारिक प्रयोग का होते हुए भी इसको 'मास्टर प्लान' में रहवासिया क्यों बताया गया ?

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, डा॰ हरिसिंह ने जो प्रश्न पूछा है

(श्री राम रघुनाथ)
वह बहुत ही महत्वपूर्ण है मंत्रीजी से उसका उत्तर दिलवाने की कृपा करें।

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : आप लिस्ट मंगाकर देख लीजिये ज्यादातर आपरेशन किन आदमियों ने किये हैं Not more than ten per cent.

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कह दिया है कि कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(व्यवधान)

उद्योग मन्त्री (श्री सूर्य नारायण चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रश्नकाल को प्रश्नकाल की तरह ही चलाया जाय।

श्री खेतसिंह राठौड़ : और कैसे चला रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : और कैसे चला रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री हरिसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मन्त्री महोदय से कहिये कि उपयुक्त जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये।

राज्य मन्त्री, नगर आयोजना (श्री विज्ञान मोदी) : (1) रातानाडा, शिव रोड, जोधपुर में लगभग....

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया जोर से बोलिये। आप भी शान्त रहिये तभी सुनाई देगा।

राज्य मंत्री, नगर आयोजना (श्री विज्ञान मोदी) : (1) रातानाडा, शिव रोड, जोधपुर में लगभग 50 प्रतिशत भूखण्ड ऐसे हैं जो व्यावसायिक मय आवासीय हैं। यह भूखण्ड मास्टर प्लान बनाने के पूर्व के हैं।

(2) इस क्षेत्र का बेसिक करेक्टर आवासीय ही था, अतः इसे मास्टर प्लान में भी आवासीय ही बताया गया है।

श्री माधोसिंह कछवाह : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह सही नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि मास्टर प्लान सेंक्शन होने के पहले जो भी व्यापारी शिव रोड पर थे उनका सर्वे किया गया था ? अगर सर्वे किया गया, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर 70 प्रतिशत से अधिक व्यापारी थे, लेकिन मास्टर प्लान के चक्कर में वहां के जिलाधीश ने, जो कि वहां के नगर विकास न्यास के अध्यक्ष भी हैं, एक पत्रकार के साथ अन्याय किया। उसका लोन भी स्वीकृत हो चुका था, लेकिन वह नहीं लेने दिया और पत्रकार की हालत यह हुई कि वह मशीनें खरीद नहीं सका।

श्री उपाध्यक्ष : यह चर्चा आप पहले भी उठा चुके हैं।

श्री विज्ञान मोदी : और पिछली बार भी इस बारे में पर्याप्त उत्तर दिया जा चुका है।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैंने प्रश्न पूछा है कि मास्टर प्लान का स्वीकृति आप दे चुके हैं क्या ? अगर हां, तो कौन-कौन सी रोड के लिये ? पहले पत्रकार के मामले का

(श्री माधोसिंह कछवाह)
कोई जवाब दे चुके हैं क्या ? यह क्या तरीका है ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप भूख हड़ताल करिये, जब जाकर काम होगा ।

श्री विज्ञान मोदी : मास्टर प्लान बनने से पहले, उस समय जो करेक्टर थ, उसमें इसको आवासीय माना था और मास्टर प्लान के अन्दर भी इसको आवासीय क्षेत्र ही माना है। मैं पिछली बार भी इस प्रश्न के संदर्भ में निवेदन कर चुका हूं कि राज्य सरकार ने जोधपुर नगर सुधार न्यास को निर्देश दिया है कि उपनगर नियोजक से परामर्श करके ऐसे मामलों में, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, एन. ओ. सी. जारी करने के लिये नियमानुसार कार्यवाही करें ।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैंने जो प्रश्न पूछा है कि मास्टर प्लान बनने के पहले क्या इस बात का सर्वे करवाया गया कि रातानाडा, शिव रोड का बेसिक करेक्टर व्यापारिक है या नहीं ? इसका उत्तर क्यों छुपा रहे हैं ? इसको किस प्रकार आवासीय क्षेत्र मान लिया गया ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने बीच में पत्रकार के बारे में सप्लीमेंट्री कर दिया और मंत्री महोदय उसी में उलझ गये । माननीय मंत्री महोदय यह बतावें कि क्या सर्वे किया गया ?

श्री विज्ञान मोदी : मास्टर प्लान का प्रारूप बनने के पश्चात् जब डिटेल्ड प्लान तैयार किया जाता है, उस समय सर्वेक्षण करना जरूरी होता है ।

श्री माधोसिंह कछवाह : किया गया है क्या ?

श्री विज्ञान मोदी : प्रत्येक प्लान में किया जाता है। शिव रोड पर डिटेल्ड नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री बत्ती लाल ।

तहसील नादौती एवं वामनवास में आयुर्वेद अस्पतालों की व्यवस्था

216. **श्री बत्ती लाल मीणा** (टोडाभीम) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में राजकीय आयुर्वेद अस्पताल कुल कितने हैं ? तहसील व जिलेवार सूची मय अस्पतालों की श्रेणी दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि तहसील नादौती एवं वामनवास, जिला सवाई माधोपुर में आयुर्वेद अस्पतालों की संख्या बहुत ही कम है ? यदि हां, तो उपरोक्त तहसीलों की जनता के साथ इस प्रकार का अन्याय क्यों किया जा रहा है ?

विद्युत् मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) राज्य में कुल 2,286 आयुर्वेदिक औषधालय व चिकित्सालय हैं । तहसीलवार, जिलेवार व श्रेणीवार सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । अन्य तहसीलों व जनसंख्या के अनुपात में ही इन तहसीलों में औषधालय है ।

(3) अभी राज्य सरकार का कोई प्रावधान उपलब्ध न होने के कारण नये

(श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी)

अस्पताल इस क्षेत्र में खोलने का कोई इरादा नहीं है। आगामी वर्षों में बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही औषधालय खोलने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 1 देखें)

श्री बसी लाल मीणा : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जनता सरकार ने सितम्बर, 1977 से कितने नये औषधालय खोले हैं ? दूसरे, क्या यह सही है कि सम्बन्धित मंत्री महोदय ने अपने निजी चुनाव क्षेत्र में 5 औषधालय खोले हैं ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार का वर्ताव राजस्थान के लोगों में पक्षपात की भावना को जन्म नहीं देगा ?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : बहुत बड़ा चार्ज है। बहुत पक्षपात है।

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : सवाई माधोपुर जिले की कुल तहसीलों में 135 आयुर्वेदिक औषधालय हैं। इस प्रकार से प्रत्येक तहसील में औषधालयों की औसत संख्या 12 आती है जब कि इन तहसीलों में औषधालयों का एवरेज 23 आता है।

श्री खेत सिंह राठौड़ : दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिये। मंत्री महोदय ने अपने चुनाव क्षेत्र में कितने औषधालय खोले हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मेरा नहीं है, आयुर्वेद मंत्री का है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : अगर आबादी के आधार पर औषधालय खोले गये हैं, तो क्या सांगानेर विधान सभा क्षेत्र में पहले कोई औषधालय नहीं था ? जो वर्तमान आयुर्वेद मंत्री ने 6 औषधालय खोले हैं वह क्या आबादी के आधार पर खोले गये हैं ?

श्री मदन सिंह दांता (दांता रामगढ़) : क्या सरकार के ऐसे कोई आदेश हैं कि जिस पंचायत समिति क्षेत्र में पहले दो औषधालय हैं, वहां पर तीसरा नहीं खोला जाये ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह प्रश्न आयुर्वेद से सम्बन्धित है।

श्री मदन सिंह दांता : आपके डाइरेक्टर ने यह कहा है। हमारे यहां डिस्पेन्सरी इसलिये बन्द कर दी गई क्योंकि दो से अधिक नहीं खोल सकते थे।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण): मैं निवेदन करना चाहती हूं कि लक्ष्मी नारायणपुरा में औषधालय में दस बैड की संख्या है, लेकिन वहां पर डाक्टर की पोस्ट क्रिएट नहीं की गई।

श्री उपाध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, सांगानेर क्षेत्र के बारे में उत्तर दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : औषधालयों के मामले में इम्बेलेन्स को दूर करने का प्रश्न विचाराधीन है। अभी तक सांगानेर तहसील में कुल आयुर्वेद औषधालय 15 हैं और जिस तहसील से माननीय सदस्य पधारे हैं उसमें 32 हैं। इस प्रकार के इम्बेलेन्स को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : मेरा प्रश्न यह नहीं था कि चौमू क्षेत्र में कितने हैं। मेरा प्रश्न तो यह था कि सांगानेर चुनाव क्षेत्र में जो औषधालय नये खोले गये हैं, वह क्या आबादी के आधार पर खोले गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी यह बतायें कि वहां पर औषधालय किस क्राइ-टेरिया पर खोले गये हैं ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : आबादी के आधार पर और इम्बेलेन्सेज को दूर करने के आधार पर ही खोले जाते हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नैक्स्ट। श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री किशन सिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय मंत्री जी यह बतायें कि......

(व्यवधान)

जहां पर एक भी औषधालय नहीं है, उसके लिये क्या प्रावधान है।

(व्यवधान)

वहां पर आप एक औषधालय का क्लेम भी मानने को तैयार नहीं हैं ? कोई एश्यो-रेन्स तो आना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर इस मामले में भयंकर पक्षपात हो रहा है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वह इस बारे में कोई आश्वासन दे सकेंगे भविष्य के लिये ?

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, स्थान ग्रहण करें। आप कह चुके हैं, आप विराजिये। आप जो कहना चाहते हैं मन्त्री महोदय ने सुन लिया है।

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर, जैसलमेर, शेरगढ़ में एक भी आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं है। वहां क्या मन्त्री महोदय एक भी अस्पताल खोलने का विचार रखते हैं ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। मैं आप की बात ही कह रहा हूं। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री किशन सिंह भाटी : उपाध्यक्ष, महोदय, मैं तो यह स्पष्ट पूछना चाहता हूं कि क्या फ्यूचर में राज्य सरकार का जैसलमेर, शेरगढ़, बाड़मेर में आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने का विचार है ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। आप कह चुके हैं, आप विराजिये।

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अस्पताल खोलने में आज तक पक्षपात होता रहा है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये । आप वर्माजी, बिराजिये ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी (मावली) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां मावली में जो आयुर्वेदिक अस्पताल है उसके बारे में....

(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसलमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार इम्बेलेन्सेज को कम कर रही है । जैसा कि माननीय सदस्य, श्री किशनसिंहजी भाटी ने कहा कि जैसलमेर और बाड़मेर, शेरगढ़ क्षेत्रों में कोई आयुर्वेदिक अस्पताल नहीं खोला गया है तो मैं उसकी जानकारी करके उस विषमता को दूर करने के प्रयास करूंगा ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मावली के बारे में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये । प्रश्न-काल समाप्त हो गया ।

श्री अचलाराम (देसूरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है उस से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं ।

(व्यवधान)

यह रोस्टर प्रणाली की पूरी तरह पालना नहीं की जा रही है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजिये । अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप चेम्बर में आकर मेरे से मिलिये ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 218 बहुत ही महत्व-पूर्ण है । वह ले लें ।

(व्यवधान)

श्री सुखलाला सेणचा : उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर । उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के समय प्रश्नों के उत्तर देते समय माननीय मन्त्री, श्री ललित किशोर चतुर्वेदीजी हंसकर, दांत निकाल कर जवाब देते हैं जो कि सदन की गरिमा के खिलाफ है ।

श्री टीकमचन्द कान्त : उपाध्यक्ष महोदय, क्या कांग्रेस वाले प्रश्नों के जवाब रोते हुए देते थे ?

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो दांत निकाल कर जवाब देने की बात कही है इसको सदन की कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, ओन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर । एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रश्न पूछा मावली के बारे में उसका जवाव नहीं आया । मन्त्री महोदय अभी तक चुप्पी साधे हुए बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हो गया है, यह मैं पहले ही घोषित कर चुका हूं ।

श्री नरेन्द्रपाल सिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय बोल नहीं रहे हैं ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये **कृपया परिशिष्ट 2 देखें**)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

सुजानगढ़ कस्बे में भरे पानी को निकालने की योजना

210. श्री रावत राम आर्य (सुजानगढ़) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत दो साल में अत्यधिक बरसात के कारण सुजानगढ़ कस्बे की कई बस्तियों के पानी से डूबे जाने के कारण नागरिकों को भारी नुकसान हुआ है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने पानी निकासी के लिए कोई स्थायी योजना बनाई है ? यदि पानी निकासी के लिए कोई स्थायी योजना बना ली है, तो उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है, अगली बरसात से पहले स्थायी योजना स्वीकृत करके उस पर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने सुजानगढ़ कस्बे से पानी की निकासी के लिए एक योजना बनाई है जिसकी अनुमानित लागत 17.44 लाख रुपये है। योजना का संक्षिप्त प्रारूप सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) सुजानगढ़ कस्बे से पानी की निकासी के लिए प्रस्तावित योजना बना कर धनराशि उपलब्ध कराने हेतु जिलाधीश चूरू को भेजी जा चुकी है। नगरपालिका द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाने पर ही योजना का कार्य प्रारम्भ करवाना सम्भव हो सकेगा।

(योजना के संक्षिप्त प्रारूप के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

व्यवस्था का प्रश्न

सदन के कार्य से सम्बन्धित सामग्री के प्रेषण में विलम्ब

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आज सदन में जो लिट्रेचर काम में आयेगा उसमें से कुछ पुस्तकें और प्रगति विवरण मुझे सुबह नौ साढ़े नौ बजे अन्दाजन मिला था। वैसे होना तो यह चाहिये कि यह एक दिन पहले मिले। जहां तक सवाल प्रश्नों का है वह तो कम से कम पांच-छ: दिन पहले मिलने चाहियें ताकि सदन के माननीय सदस्य प्रश्नों के बारे में लाइब्रेरी में जाकर पूरी तैयारी उनसे सम्बन्धित करके आयें। इसी तरह जैसा कि मैंने निवेदन किया कि प्रगति विवरण एक दिन पहले तो मिलना ही चाहिये।

श्रीमान्, इसके बारे में चेअर से डाइरेक्शन भी हो चुके हैं। उसमें स्पष्ट दिया है और माननीय अध्यक्ष महोदय ने यह आग्रह किया है कि यह लिट्रेचर कम से कम एक दिन पहले माननीय सदस्यों को मिल जाया करे। लेकिन, श्रीमान्, उसकी पालना नहीं हो रही है। यह मुझे सुबह 9 बजे मिला है।

श्री खेतसिंह राठौड़: आपको तो सुबह नौ बजे मिला है, मुझे तो साढ़े दस बजे मिला है जब कि मैं रवाना हो रहा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें । मैं इसके बारे में जानकारी करूंगा ।

(व्यवधान)

आप विराजिये । कृपया शान्त रहें ।

"दैनिक नवज्योति" में प्रकाशित विधान सभा कार्यवाही सम्बन्धी समाचार

श्री ईश्वरचन्द्र : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है ।

हमारे यहां पर एक दैनिक अखबार है 'दैनिक नवज्योति' । मैं समझता हूं आप और दूसरे सभी माननीय सदस्य लोग पढ़ते होंगे । उसको पढ़ने से अधिकांश रूप से यह देखने में आता है कि जैसे विधान सभा की जो कार्यवाही होती है उसमें सिर्फ कांग्रेस (आई) के समर्थक लोग ही बोलते हैं और सदन के दूसरे माननीय सदस्य कुछ हिस्सा नहीं लेते हैं । इसका मतलब यह हुआ कि हम दूसरे विधान सभा के सदस्य लोग अपने कर्त्तव्य की पालना नहीं करते हैं । यह उस की कटिंग है...

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री ईश्वरचन्द्र : आप इस पर अपनी व्यवस्था दें, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । यह कोई पाइन्ट आफ आर्डर नहीं हो सकता है । यह ब्रीच आफ प्रिविलेज है । आप इसके लिए प्रिविलेज मोशन लायें ।

(व्यवधान)

आप विराजिये । माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें ।

ईश्वरचन्द्रजी आप पेपर की कटिंग साथ में लगा दें ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें । कृपया विराजिये । शान्त रहिये ।

(व्यवधान)

आप विराजिये । मैं आपको तरफ से जवाब दे रहा हूं । आप विराजिये ।

इसके लिये नियमों में प्रावधान है । आप नियम देख लें और उसके बाद में नियमानुसार कार्यवाही करें ।

श्री बुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य यह मामला सदन में लाकर राज्य सरकार की तरफ से उस प्रेस पर दबाव डाल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री बुलाराम : उपाध्यक्ष महोदय, इससे जो अखबार अपनी स्वतन्त्रता रखते हैं उनकी स्वतन्त्रता समाप्त होती है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये । माननीय सदस्य, कृपया शान्त रहें । आप

(श्री उपाध्यक्ष)
विराजिये । माननीय सदस्य दूलारामजी, आप विराजिये ।

श्री रतनलाल वर्मा : इसमें आपको क्यों विरोध है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये ।

सदन में तम्बाकू का प्रयोग

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं, यदि आपकी अनुमति हो ।

श्री उपाध्यक्ष : फर्माइये ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : प्रश्न यह है कि सदन में तम्बाकू का प्रयोग या इस्तेमाल सदन की मर्यादा के अनुकूल है या प्रतिकूल ?

श्री उपाध्यक्ष : तम्बाकू का किस प्रकार से प्रयोग ? धूम्रपान या और किसी प्रकार का ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : कई फॉर्म में हो सकता है । यह सदन की मर्यादा के अनुकुल है या प्रतिकूल ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं कहना चाहूंगा कि स्मोकिंग अलाउड नहीं है । और तरीके से तम्बाकू के प्रयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक माननीय सदस्य तम्बाकू का पान खाकर यों मुंह चलाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रश्न बड़ा एप्रोप्रियेट है, मैं इसकी सराहना करता हूं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : माननीय सदस्य की बोलने की इच्छा होती है लेकिन सदन उन के भाषण से पूरी तरह से लाभान्वित नहीं हो पाता है, इसलिये तम्बाकू का प्रयोग बन्द किया जाय ।

एक माननीय सदस्य : कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो यों ही मुंह चलाते रहते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : सिगरेट तमाम असेम्बली भवन में पीने पर पाबन्दी लगानी चाहिए ।

श्री मदनसिंह दांता : शराब बन्द कर दी, बीड़ी भी बन्द कर दो । रोटी मिलती नहीं ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यहां सिगरेट पी सकते हैं क्या ?

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(1) श्री मूलचन्द डागा, सदस्य, विधान सभा की ओर से दिनांक 26 फरवरी, 1978 को खेतड़ी, जिला झुन्झुनू में दीनबन्धु सिनेमा हॉल में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटना के विषय में ।

(2) श्री रामकरणसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर जिले में सीमेन्ट की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के विषय में ।

(3) सर्वश्री रामकृष्ण दास, रघुनाथ बिश्नोई, जगतारसिंह व श्योपतसिंह मका-

(श्री उपाध्यक्ष)
सर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान के सभी शहरों में कच्ची बस्तियों का नियमन न किये जाने और मास्टर प्लान तैयार न होने से झुग्गी-झोंपड़ियों के विस्तार के विषय में।

इन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(4) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 16 फरवरी को तहसील हुर्डा, जिला भीलवाड़ा के कुछ गांवों में भयंकर ओलावृष्टि के विषय में।

इस प्रश्न पर पूर्व में चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

(5) श्री राम रघुनाथ, सदस्य, विधान सभा की ओर से मेड़ता-परबतसर सब-डिवीजन में बिजली कतई नहीं आने के विषय में।

(6) श्री मदनसिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से भू-जल मण्डल की दो ड्रिलिंग मशीनों का दुरुपयोग होने के विषय में।

यह दोनों प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं और अस्पष्ट भी हैं, अतः मैं इन्हें स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री मदनसिंह दांता : पूरा मारवाड़ खत्म हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : (7) श्री वृद्धिचन्द्र जैन, सदस्य, विधान सभा की ओर से गत 6 माह से बाड़मेर जिले में पेयजल की व्यवस्था ठीक नहीं होने के विषय में।

इस मामले को माननीय सदस्य मांगों के समय उठा सकते हैं, अतः मैं इसे स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मदनसिंह दांता : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आपकी आज्ञा शिरोधार्य करूंगा, लेकिन....

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि मैं क्रम से ही लूं तो ठीक रहेगा वरना हर एक माननीय सदस्य बीच में बोलने का प्रयास करेंगे तो उचित नहीं रहेगा।

श्री नूरा (मसूदा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल एक स्थगन प्रस्ताव भेजा था आपकी सेवा में कि एक आदमी को गोली मार कर उसकी हत्या कर दी गई।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया था लेकिन सरकार की ओर से सूचना नहीं आई...

श्री उपाध्यक्ष : आप ध्यान आकर्षण करते हैं उसकी सरकार से सूचना नहीं आती है, तो आप जानकारी ले लें। मुझे कहें, मैं आवश्यक समझूंगा तो चर्चा अलाऊ कर दूंगा। निर्देश तो दे दिये गये हैं।

श्री नूरा : आपके पास मेरा प्रस्ताव पहुंचा या नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : जोधपुर के किसी मर्डर केस के सम्बन्ध में प्रस्ताव आया है। पता नहीं इस सूची में क्यों नहीं आया। मुझे ध्यान है कि आपके प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार कर दिया है और सरकार को जानकारी के लिये जरूर भेजा है।

श्री नूरा : उस पर चर्चा करने के लिये आप मुझे मौका बख्शेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में बोलने के लिये मौका दे दूंगा ।

श्री जगदीशसिंह : मैंने भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया था । 8 दिन हो गये ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप चेम्बर में जाकर मालूम कर लीजियेगा । वह यहां तब ही उठाया जा सकता है जब अजेण्डा में आ जाय ।

श्री मूलचन्द सामरिया : जरूरी प्रश्नों पर भी टाइम नहीं मिलता है तो मुश्किल की वात है । ऐसी वाजिव मांगों को भी सरकार नहीं मानती है इसलिये आप व्यवस्था करें कि उन पर शीघ्रातिशीघ्र चर्चा हो सके सरकार का ध्यान आर्कषित करने के लिये ।

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को जरूर लेना है । सदन के समय में ही जितने ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को ले सकेंगे लेंगे ।

श्री मूलचन्द सामरिया : कल हमारा प्रस्ताव आ जावेगा ?

श्री उपाध्यक्ष : आप जानकारी कर लें और चेम्बर में मिल लें ।

श्री उगमराज मेहता (व्यावर) : माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं । उनकी जगह पर एक व्यक्ति बैठे हैं । कम से कम ध्यान रखना चाहिये उनको कि मुख्य मंत्रीजी की सीट पर न बैठें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कोई भी सदस्य चर्चा करने के लिये जा सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, 26 फरवरी की शाम को खेतड़ी, जिला झुंझुनू में दीनबन्धु सिनेमा हॉल में बम्बई की कुछ फिल्म हस्तियों के द्वारा कार्यक्रम रखा गया । जब बिजली चली गयी....

श्री दुलाराम : एक माननीय सदस्य जनता पार्टी में जाकर बैठ गये । मुख्य मंत्रीजी की सीट पर बैठ गये ।

श्री मूलचन्द डागा : सिर झुका जा रहा है । शर्मनाक वात है । मां बहिनों की इज्जत लूटी गयी । हालत यहां तक पहुंची कि घर तक जाने के लिये उनके तन पर पेटीकोट तक न रहा । उस काली रात की वजह से कई कुंवारी लड़कियां गुम हो गयीं और उस दिन शाम वापस नहीं आयीं ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक जानकारी चाहता हूं कि क्या अखबार का समाचार है ?

श्री मूलचन्द डागा : नवभारत टाइम्स में प्रकाशित हुआ है । नवभारत टाइम्स हिन्दुस्तान का एक प्रमुख दैनिक पत्र है उसमें यह खवर छपी है । इस प्रकार की घटनायें होती हैं जिनसे राजस्थान का सिर नीचा होता है । सारे अधिकारी मौजूद थे । डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस मौजूद थे, एस. डी. एम. मौजूद थे, इस प्रकार के लोग मौजूद थे ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : किस प्रावधान के अन्तर्गत इसको उठाया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, स्थगन प्रस्ताव पेश होता है उस पर चर्चा की अनुमति दी जाती है । यह कन्वेन्शन रहा है ।

श्री मूलचन्द डागा : इस पर मंत्री महोदय द्वारा जांच करायी जाय और सदन में इस पर वक्तव्य दिया जाय। इस प्रश्न को काल अटेन्शन में कन्वर्ट कर दें। इस प्रकार की जो शर्मनाक घटना घटी है जिसमें मां बहिनों की इज्जत लूटी गयी है.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसकी जानकारी आने दीजियेगा।

श्री मूलचन्द डागा : इस प्रकार के काण्डों को सख्ती से रोका जाय। काल अटेन्शन के रूप में इसको मंजूर किया जाय।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : काल अटेन्शन मोशन के रूप में दे दीजियेगा।

श्री मूलचन्द डागा : बड़ा इम्पार्टेन्ट मोशन है।

श्री नवरंग सिंह : मैंने इस संबंध में काल अटेन्शन मोशन दिया है। मुझे सूचना मिली है कि वह अस्वीकार कर दिया गया है। माननीय गृह मंत्रीजी को अपना वक्तव्य देना चाहिए।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इतने बड़े अखबार में समाचार छपने पर भी सूचना प्राप्त नहीं हो तो इसमें सरकारी मशीनरी का दोष है। अगर सूचना प्राप्त है तो फिर कलकत्ता के लोगों के प्रभाव में.....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं बैठ जाऊंगा। राजस्थान में गृह मंत्री बनने के बाद में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया बिराजिये।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आप उनसे पूछ तो लें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप बता सकेंगे कि किस नियम के तहत यह चर्चा कर रहे हैं?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : Under the inherent power of the House.

श्री उपाध्यक्ष : I disallow this power and you have no power unless I allow it.

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : मैं तो चेयर का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागाजी ने कह दिया है। इस पर सूचना प्राप्त की जा रही है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह समाचार गलत है या ठीक है?

श्री उपाध्यक्ष : जब तक मंत्री महोदय के पास सूचना नहीं आयेगी तब तक कैसे कह सकेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : स्टेट के एक्स-चेकर का लाखों रुपया खर्च हो रहा है तो किस लिए खर्च हो रहा है? अगर गृह मंत्रीजी को खबरों का पता नहीं होगा तो he is not fit to be a Home Minister.

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी सूचना अथोरेटेटिवली तभी दे सकूंगा जब कि पूरी तरह से छानबीन करके देख लूं। तभी मैं कोई स्टेटमेंट दे सकता हूं। जब इस सम्बन्ध में चेयर से आर्डर होगा तभी दे सकता हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह एक लाख दस हजार मतदाताओं का अपमान है...,

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराज जाइये ।

श्री नूरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रस्ताव नहीं आया, उस पर बोलना है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। मैं आपको अवसर दे दूंगा ।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जयपुर जिले में सीमेन्ट की जो किल्लत है उसके बारे में स्थगन प्रस्ताव पेश किया है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यह केवल जयपुर जिले की ही प्राब्लम नहीं है बल्कि पूरे राजस्थान की प्राब्लम है । पूरे राजस्थान में जितने भवन निर्माण के काम हैं, पुलियाओं के काम हैं और जितने एनीकट्स हैं, सिचाई के बंधे और नहरें हैं--सब का काम रुका हुआ है । अभी-अभी अतिवृष्टि से बहुत से कुए और मकान नष्ट हो गये थे । जो राहत कार्य करने के लिए पैसा मिला है सीमेन्ट नहीं मिलती है, इसलिये बांधों का काम नहीं हो रहा है, सड़कों का काम नहीं हो रहा है और पुलियाओं का काम नहीं हो रहा है। इस कारण से सारा पैसा लेप्स हो जायेगा । तो दोनों चीजें एक-दूसरे से मिली हुई हैं, एक तो राहत कार्य नहीं होता है, दूसरे आपका पैसा बाद में लेप्स हो जाता है । इसलिए मैं इस स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं । किसी भी तरह से और कोई भी तजवीज करके सीमेन्ट जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने की कोशिश करें ताकि राजस्थान के हर कोने में, हर गांव तक सीमेन्ट पहुंच जाये और राहत के लिए जो पैसा सैन्टर से और यहां से मिला है वह काम आ सके । यदि सरकार इतनी सक्षम नहीं हो सकती कि सरकार सीमेन्ट उपलब्ध करा सके.....

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहना चाहूंगा कि जो प्रस्ताव जानकारी के लिए भेजा जाता है उस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं की जा सकती । मैंने आपका प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया है । जानकारी आने दीजिए । आप संक्षेप में कह दें अपने विचार ।

श्री रामकरण सिंह : पैसा लेप्स नहीं हो और सीमेन्ट आ जाये, यह निवेदन कर रहा हूं ।

एक माननीय सदस्य : आपकी आज्ञा हो तो मैं भी अपने प्रस्ताव के बारे में......

श्री उपाध्यक्ष : जब तक सूचना नहीं ले लूं तब तक आपको इजाजत नहीं दे सकता । आप भिजवा दें ।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर के अन्दर ड्रिलिंग मशीन है उसके लिए मैंने प्रस्ताव रखा था । हिन्दुस्तान में दो ही मशीनें हैं, जो एक दिन में एक कुआ खोद सकती है। वह मशीन गलत हाथों में दी हुई है । इस समय जो उसका ड्राइवर है वह उसको समझता नहीं है। वहां ए. ई. एन. की पोस्ट का आदमी होना चाहिए। वह मशीन दो-ढाई महीने से खराब है। ड्राइवर उसको चलाना नहीं जानता है । उसने किसी को साथ लेकर अपने घर पर कुआ खोद लिया । एक दिन में एक कुआ खोद लिया । इस मशीन के ऊपर केवल आदमी याने ए. ई. एन. की पोस्ट का आदमी हो तो जोधपुर में जो पानी की समस्या है, एक दिन में एक कुआ खोदकर उस समस्या को हल किया जा सकता है। जैसी कि मशीन की केपेसिटी है, एक दिन में एक कुआ बना देती है । तो इसकी जांच होनी चाहिए ।

इसके साथ ही साथ उद्धा साहब के बारे में पहले भी कह चुका हूं और भैरोंसिहजी शेखावत खुद भी जानते हैं। उनका लैटर

(श्री मदनसिंह दांता)

दिया है, एन्टी-करप्शन में लैटर्स दिये हैं। पांच-पांच लाख के केसेज पुलिस में पैन्डिग पड़े हैं। आज एक ऑफिसर मौजूद बैठे हैं दास गुप्ता, उनको वहां नहीं लगाया जा रहा है। जो भ्रष्ट ऑफिसर है जिसके संबंध में खेतसिंहजी ज्यादा बतायेंगे क्योंकि इनके डिपार्टमेन्ट में वह रह चुका है, मुझे मालूम पड़ा खेतसिंहजी साहब के लिए कहते हैं कि वह सोने की मुर्गी था। मैं तो कहता हूं कि भारत में ढूंढने से भी इतना भ्रष्ट आदमी नहीं मिलेगा। जोधपुर हवाई जहाज से आता है और टी. ए. डी. ए. लेता है। अगर आपको भ्रष्टाचार को मिटाना है, तो आपको सख्त कदम उठाने चाहिए। वह मशीन ए. ई. एन. स्तर के आदमी को दी जाये ताकि जोधपुर में एक दिन में एक कुआ खोद सके।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री श्योपतसिहजी, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। सर्वश्री रामकृष्ण दास जी ने, रघुनाथ विश्नोई ने कच्ची बस्तियों के संबंध में स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसकी हमने राज्य सरकार से सूचना मांगी है लेकिन फिर भी आप संक्षेप में कुछ कहना चाहें तो कह दें।

श्री केदार नाथ (श्रम मंत्री) : इसके बारे में राज्य सरकार बहुत जल्दी ही स्टेटमेन्ट देने वाली है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपका जब तक ध्यान आकर्षित नहीं करते हैं तब तक आप किस रूल के तहत कह रहे हैं ?

श्री केदार नाथ : मैं नियम आपसे ज्यादा जानता हूं। इसके बारे में राज्य सरकार बहुत जल्दी ही स्टेटमेन्ट देने वाली है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : तब कोई चर्चा की जरूरत नहीं है।

श्री श्योपतसिह मकासर : चर्चा की जरूरत तो है। हम पाइन्ट उठायेंगे उनका राज्य सरकार जवाब देगी।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय स्वयं ही स्टेटमेन्ट देने वाले हैं। मैं इसको शीघ्र से शीघ्र चर्चा के लिए रख दूंगा।

श्री श्योपतसिह मकासर : हम अपने विचार पहले रखना चाहेंगे।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : इस पर हम अपनी बात कहेंगे ....

श्री उपाध्यक्ष : आप कुछ कहना चाहें तो संक्षेप में कह दें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची बस्तियों की समस्या विकराल रूप से सारे राज्य में व्याप्त है। जयपुर में बड़े-बड़े शहरों में हजारों लोग कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे हैं। कांग्रेस शासन में कभी भी गम्भीरता से इन कच्ची बस्तियों की समस्या के समाधान के लिए कोई प्रयास नहीं किये गये। इसके लिए सदा आन्दोलन हुए हैं। उन कच्ची बस्तियों को यदि आप देखें तो वहां पीने के पानी की समस्या है, गन्दे पानी की समस्या है, बरसात में पानी का भराव और मच्छरों का आक्रमण होता है—ऐसी इनकी स्थिति है। इस प्रकार की स्थिति है कि सूअरों की सी जिन्दगी वह गरीब लोग बसर कर रहे हैं। जनता सरकार को शासन में कोई बिड़ला या टाटा नहीं बल्कि लाखों गरीब लोग ही लाये हैं। आशा यह थी कि 9 महीने में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने ट्रैक्टर ट्राली पर टैक्स माफ करने की इच्छा व्यक्त की है इसी प्रकार सरकार कच्ची बस्तियों के लोगों को पट्टे दे देगी। लेकिन अफसोस है कि 9 महीने के बाद

(श्री रामकृष्ण दास गुप्ता)

श्री आज सदन के जरिये इस सरकार के ध्यान में लाना पड़ रहा है । इस समस्या से हमारे मंत्री महोदय भी भलीभांति परिचित हैं । जैसा अभी बताया है कि कोई सोने की मुर्गी बना हुआ है और कोई कुछ । इन कच्ची बस्तियों को हमारी पार्टी ने वोटों का मालिक माना है । जब भी वोटों का समय आयेगा तो हम वोट लेने के लिए उनके पास जायेंगे लेकिन वोट लेने के बाद और सदन में आने के बाद, एम. एल. ए. बनने के बाद यू. आई. टी. के जरिये जो ठेकेदार हैं और जिनके पास काला-बाजारी का धन है उनके लिए स्कीम बनायेंगे और प्लाट्स काट कर उनको बेचेंगे । आज इन लोगों की स्थिति यह नहीं है कि ये जमीन नीलामी में ले सकें और अपने मकान बना सकें । 2-4 पर्सेंट लोग ऐसे हैं जिन्होंने गरीबों की गरीबी का नाजायज फायदा लेकर, गलत ढंग से जमीनें बेची हैं लेकिन 95 पर्सेंट लोग ऐसे हैं जो कच्ची बस्तियों में रहते हैं ....

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं उन लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं जो कच्ची बस्तियों के नाम पर जमीन का व्यापार करते हैं । 22 जून, 1977 तक, जिस दिन जनता सरकार के मुख्यमंत्री ने शपथ ली उस दिन तक की कच्ची बस्तियों को नियमित किया जाये । . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ताकि कच्ची बस्तियों का विस्तार न हो । अगर इनकी आशाओं को, आकांक्षाओं को जनता सरकार पूरा न कर पाई तो निश्चित रूप से हजारों लोगों का जलूस न केवल विधान सभा के सामने आयेगा बल्कि हर शहर में आयेगा । ऐसी आग सारे राजस्थान में लग रही है......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काफी हो चुका है ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : पिछले तीस साल.......

श्री उपाध्यक्ष : मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय उत्तर देंगे । आप ने 5 मिनट ले लिये, आपको दो मिनट का समय दिया था । क्या हर समय आपको बैठने के लिये आग्रह करूं और घंटी बजाऊं । यह स्थिति खेदजनक है ।

श्री रामकृष्णदास गुप्ता : यहां नहीं ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप विराजिये ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 28 तारीख को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा था जिसका 13 तारीख को जवाब मिला है कि सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है । उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से क्या सूचना प्राप्त की है इसकी जानकारी मुझे भी दे देनी चाहिये थी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप उस सूचना के लिये मेरे चेम्बर में आकर मिल लें ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : आपसे मिल लूंगा लेकिन अनुसूचित जाति के लोग कहां तक जुल्म सहते रहेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : आप कृपया मुझ से मिल लें ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : हमारे 56 विधायक इस विधान सभा में हैं फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती । दुःख की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरे चेम्बर में मिल लें ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : जिस समय विरोधी लोग दुकानदारी जमा रहे थे हमारे मुंह पर ताला लगा हुआ था.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये ।

एक माननीय सदस्य : आप इस्तीफा दे कर इधर आ जायें ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये। आप मुझ से चेम्बर में मिल लें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : तो फिर गृह मंत्री क्यों नहीं जानकारी देते हमको ?

श्री उपाध्यक्ष : अगर जानकारी गलत आई है तो कृपया आप मिल लें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : 56 विधायकों ने मीटिंग करके निर्णय लिया है यदि हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम को भूख हड़ताल करनी पड़ेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बहुत ही अनुभवी सदस्य हैं, कृपया बिराजिये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : उपाध्यक्ष महोदय, कच्ची वस्तियों के लिये मैंने एक प्रस्ताव रखा है। जो संबंधित लोग हैं उनका प्रदर्शन विधान सभा के सामने आज हो रहा है। उनके समय-समय पर पहले भी प्रदर्शन विधान सभा के सामने हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्रीजी आज यहां नहीं हैं। जब वे विपक्ष में बैठते थे तब बहुत जोरों से इस विषय को उठाया करते थे। सब तरफ से यह मांग आ रही है। समय-समय पर आश्वासन दिया गया है कि इस समस्या को हल किया जायेगा । मुख्यमंत्रीजी ने फैडरेशन की मीटिंग में इस समस्या के हल के लिये आश्वासन दिया है। इस समस्या को हल करने की कोशिश भी की थी । 22 जून, 1977 तक की कच्ची वस्तियों को रेगुलेराइज करने की उन्होंने घोषणा की है। यह बहुत बड़ी समस्या है। समय-समय पर सिर्फ उनको आश्वासन देना और कच्ची बस्तियों के लिये कोई निश्चित कानून न बनाना एक बहुत ही बड़ा मखौल है कच्ची बस्तियों वालों के साथ। कुछ न कुछ कन्क्रीट कानून बनना चाहिये। इस तरह से काम नहीं चलने वाला है। जो इस तरह से नेगलेक्टेड हैं, जिनके पास कहीं भी भूमि नहीं है, कच्ची बस्तियों के रूप में बैठे हैं उनका सामना करने हेतु एक समिति का गठन किया जाये। उसके बाद कन्क्रीट प्रपोजल्स बना कर.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सदन के सम्मुख प्रस्तुत करें और कानून पारित करें ताकि इस तरह की जो यह समस्या है उसको हल किया जा सके। कच्ची बस्ती वाले सब के पास जाते हैं लेकिन उनकी समस्या कोई हल नहीं करता। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इनके साथ मखौल न करें और बैठकर समस्या का समाधान करने के लिये कानून का प्रारूप तैयार करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कच्ची वस्तियां कहीं कच्ची बस्तियों के नाम से, कहीं धक्का बस्तियों के नाम से, कहीं गन्दी वस्तियों के नाम से सारे राजस्थान में फैली हुई हैं। गांवों से रोजगार की तलाश में भटकता हुआ किसान जब शहर में आता है तो इधर-उधर डेरे डाल देता है। इस प्रकार से कच्ची बस्ती अपना रूप धारण करती है। यह समस्या पिछले 30 सालों से बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है। जैसे-जैसे गांवों में बेरोजगारी के शिकार ज्यादा लोग हो रहे हैं उसी तरह शहरों का तरफ यह भीड़ आ रही है। इसको रोका जाय और इसकी व्यवस्था की जाये। इसके लिये क्यों नहीं हर शहर के अन्दर मास्टर प्लान तैयार किया गया ? शहरों के अन्दर कोई मास्टर प्लान नहीं बनाया गया। हर आने वाले गरीब आदमी को

(श्री श्योपतसिंह मकासर) 10-20 फीट जगह दी जाये, इस प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया। इस कारण यह गन्दी बस्तियां फैलती गई और फैलती जायेंगी। इनसे निपटने के लिये बिल्कुल अलग दृष्टिकोण होना चाहिये। यह एक सामुहिक सवाल है। इनके लिये कोई जगह नहीं है। शहर से 10-10 मील दूर न बसाये जायें क्योंकि शहर के बीच के भूभाग में बहुत से टुकड़े जमीन के खाली पड़े हैं। जयपुर के अन्दर मिसाल के तौर पर राजाओं और रानियों के महलों के चारों तरफ जगह पड़ी हुई है उन लोगों को उस पर बसाया जा सकता है। उन जगहों को एक्वायर किया जा सकता है। जब किसानों की जमीनें शहर बसाने के लिए एक्वायर की जा सकती हैं, जब्त की जा सकती हैं, कारखानों के लिए किसानों की जमीन जब्त कर सकते हैं, किसानों की दूसरी जायदाद जब्त कर सकते हैं, तो शहरों के बीच में पड़ी हुई जगहों पर उन लोगों को क्यों नहीं बसाया जा सकता है? शहरों में राजाओं और सेठों की खाली जगहें पड़ी हुई हैं उनको फौरन ही एक्वायर किया जाय। अगर वह एक्वायर नहीं की गई और यह नियत रखी गई कि कच्ची बस्ती के लोगों को शहर से दूर जमीन देंगे तो मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि यही गरीब लोग उन महलों के इर्द-गिर्द आकर कब्जा करेंगे। उस वक्त कोई आपकी ताकत नहीं होगी जो रोक सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, भाषण नहीं दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं भाषण नहीं दे रहा हूं ध्यान खींच रहा हूं। मैं इसलिए ध्यान खींच रहा हूं कि कच्ची बस्तियों का जुलूस भी आ रहा है। कच्ची बस्ती वालों और मजदूरों का मिला-जुला जुलूस विधान सभा के सामने आयेगा। आपके मंत्री लोगों से कहूंगा कि वह जाकर उनसे बात करें। अजीब विडम्बना यह है कि सत्ता पर पहुंचने के लिए जब वोट की जरूरत होती है तो आप गांवों में जाकर गरीबों के सामने हाथ जोड़ते हैं, तब आपको खतरा नहीं होता है, लेकिन आज मैंने देखा है 20 ट्रक सिपाहियों के भरकर यहां पर आये हैं। जब फरियादी यहां पर आयें तो उनको रोकने के लिए, फरियादी को पीटने के लिए बन्दूकधारी हजारों की तादाद में यहां पर आयें तो फिर कांग्रेस सरकार और आप में क्या फर्क हुआ? अगर आपने कांग्रेस सरकार का तरीका ही अपनाया तो आपकी सरकार में और उसमें क्या फर्क है। यह डिमान्स्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं? 20 ट्रक यहां पर क्यों आये हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये कृपा करके। काफी कह चुके हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इस सारे ट्रेडिशन को बदलिये। जब हम इसी तरह से कांग्रेस सरकार के सामने जुलूस लेकर आते थे तो हम कहते थे कि पुलिस क्यों आई है, पुलिस क्यों बुलाई है। उसी प्रकार से कच्ची बस्ती के लोग और मजदूर अपने पेट की बात कहने आये हैं, फरियादी आपके पास आये हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए। पुलिस के टोपधारी सिपाहियों का हजारों की तादाद में डिमान्स्ट्रेशन नहीं होना चाहिए।

श्री नूरा (मसूदा) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं 2 मिनट कुछ कहना चाहता हूं मेरा प्रस्ताव......

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये ।

श्री नूरा : जो है उस पर तो आप इन्स्ट्रक्शन दर्गे तो बोलूंगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि गृह मंत्रीजी ने बात करने के लिए बुलाया था लेकिन मैंने मना कर दिया था कि जहां पर जनता बैठेगी वहीं पर मैं बैठूंगा, लेकिन जो जुलूस आज आया है उसके बारे में जो कुछ.......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं उसके लिए आपको इजाजत नहीं दूंगा। कृपया बिराजिये ।

श्री नूरा : उनकी मांग उचित है ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह...

श्री नूरा : उनको जगह दी जानी चाहिए इतना मैं निवेदन करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने प्रस्ताव के बारे में....

श्री नूरा : मैं अनुशासन में रहते हुए बात कर रहा हूं । अलाउ करने के लिए नहीं कहता हूं । कच्ची बस्ती.....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं विवश हूं ।

श्री नूरा : मैं इतना ही कह कर बैठूंगा कि कच्ची बस्ती की समस्या को हल करने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए। बार-बार आश्वासन दिये जाते रहे हैं लेकिन कोरे आश्वासनों से जनता सन्तुष्ट नहीं होगी। वह अपने रहने के लिए जगह लेगी ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरघुनाथ चौधरी।

श्री रामरघुनाथ चौधरी (डूंगाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बिजली नहीं मिल रही है इस संबंध में मेरा स्थगन प्रस्ताव था.....

श्री सूर्यनारायण चौधरी (उद्योग मंत्री): यह अस्वीकार हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष : फिर भी विचार व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अस्वीकार होने पर नहीं कर सकते हैं। जिस पर सूचना चाहें उस पर बोल सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं जो कुछ कह रहा हूं वह कन्वेन्शन के आधार पर कह रहा हूं ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मर्जी आपकी ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। क्या मंत्री महोदय आसन को बार-बार टोक सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : हर माननीय सदस्य का अधिकार है । आप जो कह रहे हैं उस पर आप तो आचरण कर लें । आप आसन ग्रहण करिये ।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में विद्युत् की सप्लाई बराबर नहीं मिल रही है जिसके कारण किसानों की सिचाई में बाधा पड़ रही है और उससे किसानों को नुकसान हो रहा है। आपने फर्माया कि यह प्रश्न अविलम्बनीय लोकमहत्व का नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष, इससे ज्यादा और लोकमहत्व का क्या होगा कि फसल के पकने में 15-20 दिन रह गये हैं, आखरी सिंचाई यदि समय पर नहीं हुई तो फसल को

Page No 33

(33)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी) नुकसान होगा। जो पश्चिमी हवा दो तीन दिन से चल पड़ी है उसके कारण तो जो कुछ भी उपज उन किसानों को मिलने वाली है, देश के लिए प्रोडक्शन होने वाला है या किसानों को अपनी आय होने वाली है वह आय खतम हो जायगी। किसान को इससे जबर्दस्त आर्थिक धक्का लगेगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था कि हमें बिजली अजमेर से मिलती है। पूर्व में मंत्री महोदय ने यह भाषण सदन में दिया था कि जो विद्युत् की सप्लाई हमें प्राप्त होती है और राजस्थान में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें थर्मल और हाईडल इलेक्ट्रिसिटी पेरेलल आ रही है। चूंकि पेरेलल चल रही है इस कारण से झटके आते हैं और बिजली का वोल्टेज फाल होता है। कोटा एटोमिक पावर स्टेशन बन्द है, अतः पावर की कमी के कारण दिक्कत आ रही है। इस बात को हम भी जानते व समझते हैं। पर जो भी बिजली यहाँ हीरापुरा पर उपलब्ध होती है अगर उसकी वितरण व्यवस्था ठीक हो तो बिजली मिलने के समय में कमी का होना तो समझ में आता है पर बिल्कुल न मिलने वाली बात समझ में नहीं आती। आपने देखा होगा जयपुर में कि इस प्रकार बिजली का दिन भर या अधिक समय के लिए फेल होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता तो फिर हम ग्रामीणों व किसानों पर यह अन्याय क्यों? हमें बिजली अजमेर से मिलती है और वहाँ से उसके बारे में इन्स्ट्रक्शन्स दिये जाते हैं। अभी हाल ही में लोगों को कई दिनों तक बिजली नहीं मिली तो बहुत बड़ी मात्रा में लोग डेगाना में जो बिजली का ट्रान्समीशन स्टेशन है वहाँ इकट्ठे हो गये और वहाँ पर जो असिस्टेन्ट इन्जीनियर, आर. ई. सी. का रहता है उसको घेर लिया था। उसको बाध्य किया था कि बिजली को ठीक करो, लेकिन यह असिस्टेन्ट इन्जीनियर के हाथ या बस की बात नहीं थी, क्योंकि बिजली वहाँ के विद्युत सब-स्टेशन से उपलब्ध ही की जाती हो ऐसी बात नहीं थी। किसानों में रोष था। मैं वहाँ पर मौजूद था। मैंने लोगों को समझाया ताकि कोई झगड़ा न हो जावे। लोग काफी उग्र थे। हमको यदि तीन चार दिन और बिजली नहीं मिली या व्यवस्थित हुई और यह पश्चिमी हवा इसी तरह चलती रही तो फसल को खतरा है। ऐसे अवसर पर फसल को पानी मिलने की आवश्यकता है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट ही लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय काफी हो गया है।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : मैंने सब जगह टेलीफोन करने की कोशिश की और सब से बात करने की कोशिश की लेकिन मुझे न तो एस. ई., अजमेर मिले और न वहाँ बात हो सकी। बिजली एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर, नागौर व कलेक्टर से टेलीफोन से बात हुई व उनको सूचना दी गई लेकिन उसके बाद भी बिजली की सप्लाई में कोई सुधार नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, विद्युत् ने मुझे बतलाया कि जब अजमेर बिजली स्टेशन पर लोड पड़ता है तो अजमेर स्टेशन के उच्च अधिकारियों द्वारा यह कहा जाता है कि डेगाना-मेड़ता की लाइन काट दी जाय, लेकिन अजमेर

(श्री रामरघुनाथ चौधरी) : और ब्यावर की बिजली निरन्तर चलती रहे। ऐसी हालत में यह स्पष्ट है कि शहरी व किसान में फर्क समझते हैं इसलिये देहात व गांव वालों को बिजली उपलब्ध नहीं होती है। सरकार हमारे साथ इस प्रकार का खिलवाड़ करती है व क्रूर विचार रखती है। 15 दिन मात्र फसल पकने के रह गये हैं। अगर तुरन्त बिजली व्यवस्थित रूप से नहीं मिली और सिंचाई नहीं हुई तो किसान तो मारा गया फिर बिजली आए अथवा नहीं आए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इस पर विचार करे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। वहां उस क्षेत्र में बिजली बन्द है। अगर वहां पर अविलम्ब बिजली नहीं मिली या बिजली की व्यवस्था नहीं हुई तो किसान भूखों मरने पर मजबूर हो जावेगा। अगर 15 दिन बाद व्यवस्था करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। फसल खड़ी-खड़ी ही सूख जायगी और किसानों को बहुत बड़ा घाटा होगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष, महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है वह बड़ा सोच समझ कर.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने वैसे ही रखे हैं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : रखा है। प्रश्न यह है कि दिनांक 18 को पेयजल योजना की डिमाण्ड है तो आज ही इसकी क्या आवश्यकता पड़ी। मैंने इस संबंध में स्थगन प्रस्ताव रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर नगर में यह स्थिति है कि 50 हजार की आबादी बाड़मेर टाउन की है उसके लिए 1 लाख गैलन पानी भी प्राप्त नहीं हो रहा है। जबकि 50 हजार की पापुलेशन के लिए 10 लाख गैलन पानी की आवश्यकता होती है, वहां पर 1 लाख गैलन पानी भी नहीं मिल रहा है। 10-10 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिलता है इसलिए यह समस्या बड़ी विकट हो गई है। यह समस्या भू-जल विभाग से भी संबंधित है। पेयजल योजना की डिमाण्ड आयेगी तो भू-जल विभाग इसका जवाब नहीं देगा। वहां के चार नलकूप खराब हो गये हैं। वह इस कारण खराब हुए हैं कि भू-जल विभाग डिफेक्टिव ढंग से कन्स्ट्रक्शन करा रहा है। इस कारण यह स्थिति है। भू-जल विभाग द्वारा अच्छे ढंग से नलकूप नहीं बनाने के कारण वह ट्यूब वैल काम नहीं दे रहे हैं। यह स्थिति भयंकर रूप धारण कर रही है। इसलिए मैंने सोचा है कि इस ओर ध्यान आकर्षण कर दूं ताकि 18 तारीख को जवाब आ जाये। जवाब आने के साथ-साथ समस्या का हल भी होना चाहिए। अगर समस्या का हल नहीं होगा तो आन्दोलन होगा। 1 लाख गैलन पानी की सप्लाई 50 हजार की आबादी के लिए कर रहे हैं इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। वहां पर हड़ताल होगी और विषम समस्या पैदा हो जायगी। तो इसके बारे में कल तो अवश्य ही जवाब मिलना चाहिए और इस समस्या का हल होना चाहिए।

घोषणा : दलीय स्थिति

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) द्वारा कांग्रेस (आई) की सदस्यता ग्रहण

श्री उपाध्यक्ष : मुझे दल परिवर्तन के संबंध में आवश्यक सूचना देनी है। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि माननीय श्री वृद्धिचन्द जैन, विभाजन

(श्री उपाध्यक्ष)
संख्या एक सौ बासठ, सदस्य, विधान सभा ने कांग्रेस (आई) की सदस्यता ग्रहण कर ली है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

नांगल पण्डितपुरा, तहसील कोटपूतली में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री रामकरण सिंहजी प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत नांगल पण्डितपुरा, तहसील कोटपूतली में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत नांगल पण्डितपुरा, तहसील कोटपूतली में हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की ओर अकाल राहत मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे आज मेरा सौभाग्य है कि 8 महीने की लगातार कोशिश के बाद आज मुझे इस प्रस्ताव को रखने का मौका मिला, जिसके लिये आपका बड़ा आभारी हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगस्त से पहले...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, पहले माननीय मंत्री महोदय को स्टेटमेंट देने दीजिये उसके बाद ही आप कोई प्रश्न करना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री रामकरणसिंह : इस पर थोड़ी चर्चा कर देता तो ठीक रहता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री जय नारायण पूनिया (अकाल राहत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय सदस्य, श्री रामकरणसिंह द्वारा जयपुर जिले की तहसील कोटपूतली के ग्राम नांगल पंडितपुरा में भरे हुए पानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में वस्तु स्थिति निम्न प्रकार है :-

तहसील कोटपूतली के ग्राम नांगल पंडितपुरा का कुछ कृषि क्षेत्र, जो कि 1500 से 2000 बीघा के करीब है आस-पास से आए 4-5 फीट पानी की डूब में आ गया था। इस क्षेत्र में 34 कुए भी हैं। पानी का फैलाव 2 वर्गमील में करीब 36 लाख घनफीट पानी था। मौके पर जांच से मालूम हुआ कि यह क्षेत्र नीचाई में पड़ता है वह इस वर्ष अतिवृष्टि की वजह से आस-पड़ोस का सारा पानी आकर इसमें भर गया। भराव अधिक होने व निकास का कोई रास्ता न होने के कारण इस जमीन में कृषि नहीं हो सकी। यह पानी करीब 8 वर्ग मील के कैचमेंट एरिया का था। अब केवल 163 बीघा में पानी भरा है जिसमें स्थानीय जोड भी शामिल है तथा 5 कुए जलमग्न हैं।

इस क्षेत्र में कृषि विभाग व सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई है व उस क्षेत्र में पानी नहीं भरे एवं पानी का निस्तारण सम्भव हो सके इसके लिये सर्वे कर योजना पेश करने हेतु लिखा जा रहा है। जिसकी कुल लागत क्या होगी यह डिटेल्ड सर्वे के बाद ही पता लग सकता है।

बाढ़ के समय तत्काल राहत हेतु निःशुल्क भोजन व्यवस्था हेतु 167 किलो ग्राम आटा

Page No 36

(36)

(श्री जयनारायण पूनिया)

एवं 33 112 किलोग्राम दाल का वितरण किया गया था। बाढ़ व अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मकानों के पुनः निर्माण हेतु 8058 रु. की सहायता इस ग्राम में वितरित की जा चुकी है।

जिन लोगों के कुए या खेत खराब हो गये हैं या डूब गये हैं उनकी सहायतार्थ राज्य सरकार ने जिलाधीश, जयपुर को आवश्यक मात्रा में गेहूं उपलब्ध करा दिया है और गेहूं के रूप में नि.शुल्क सहायता दिये जाने हेतु दिनांक 22-2-78 को आदेश जारी कर दिये हैं।

(क) कच्चे कुओं के जीर्णोद्धार (मरम्मत) के लिये 1-2 क्वि. गेहूं प्रति कुआ।

(ख) पक्के कुओं के जीर्णोद्धार (मरम्मत) के लिये 3-4 क्वि. गेहूं प्रति कुआ।

(ग) खेतों को रिप्लेस करने हेतु 3 से 5 क्वि. गेहूं (प्रति प्रभावित क्षेत्र)।

(घ) कच्चे मकान के लिये पूर्व में दी गई सहायता के अतिरिक्त 1 क्वि. गेहूं।

(ङ) पक्के मकान के लिये पूर्व में दी गई सहयता के अतिरिक्त 2 क्वि. गेहूं।

सरकार को यह आशा है कि उपरोक्त दी गई सहायता के फलस्वरूप इस गांव के प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी।

राज्य सरकार स्थिति की गंभीरता से अवगत है और पूर्ण सहानुभूति के साथ यहां के लोगों की सहायता कर रही है तथा रोजगार उपलब्धि के लिये निर्देश दिये गये हैं कि जिलाधीश शीघ्र राहत कार्य प्रारम्भ करें। जिलाधिकारियों से जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार मनुष्यों एवं पशुओं में कोई बीमारी नहीं फैली है तथा बीमारी की रोकथाम के लिये समुचित कदम उठाये गये हैं।

श्री रामकरण सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो जानकारी दी है उसके लिये उनको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं लेकिन साथ ही इतनी बात और अर्ज कर दूं कि जिस तरह से आपने बताया कि वहां के कुए जलमग्न थे और अब वापस निकल आये हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सूचना आपके पास है, जिन अधिकारियों ने आपको यह सूचना दी है, उन अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं आप चाहें जिस अधिकारी को मेरे साथ भेज दीजिये ताकि उनको सही स्थिति का पता लग जाय। दो वर्गमील क्षेत्र में से पानी निकाला है लेकिन आधे गांव अब भी जलमग्न हैं। जो माननीय मंत्री महोदय ने बताया कि 34 कुए थे और अब केवल 4-5 कुए ही रह गये हैं, यह कतई गलत है, निराधार है। गलत तथ्यों से मंत्री महोदय को अवगत कराया गया है। जिस आधार पर यह कहा गया है उस आधार पर खुद तो गुमराह हुए ही हैं माननीय मंत्री महोदय को भी गुमराह किया गया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी यह चीज नहीं है कि वे कुए शुष्क हो जायेंगे। चाहे 10 दिन बाद भी चलें तो भी वह हालत नहीं हो सकती है जो माननीय मंत्री महोदय ने बताई है। मैं माननीय महोदय का ध्यान आकर्षित उनके द्वारा दिये गये वक्तव्य के लिये धन्यवाद तो दूंगा, साथ ही बड़ा आभारी भी हूं कि उन्होंने इस तरफ ध्यान दिया। लेकिन जिस आधार पर जो रिपोर्ट दी है, जानकारी दी है और जिन अधिकारियों ने रिपोर्ट दी है वह

(श्री रामकरण सिंह)

बिलकुल गलत दी है, निराधार रिपोर्ट दी गई है। डूबे हुए कुओं में अब केवल 4-5 कुए ही बताये गये हैं, यह खेद की बात है और सख्त अफसोस की बात है। चाहे सरकार कुछ न दे सके और सरकार को इसके बारे में तरस नहीं आये लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट दे देना कि 4-5 कुए ही डूब में रह गये हैं, गलत है। इस प्रकार की रिपोर्ट से हमें चैन नहीं आ सकता है। जो गलत स्टेटमेंट दिया है, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा जिस अधिकारी ने केवल पांच कुए ही बताये हैं, उससे आप और जानकारी करा लीजिये, मैं दावे के साथ कह सकता हूं यह बिलकुल झूठ है। आज स्थिति यह है कि उनका सारा चारा सड़ गया है, अनाज सड़ गया है। चाहे राहत न मिले लेकिन जो सदन में बयान दिया जाय वह सही दिया जाय। जो सदन को गुमराह करते हैं, माननीय मंत्री महोदय को गुमराह करते हैं, उनको दण्ड दिया जाय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जय नारायण पूनिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने फर्माया कि यह रिपोर्ट गलत है और कुओं को जल से बाहर नहीं निकाला गया है, अगर यह गलत रिपोर्ट दी है तो मैं अवश्य जांच करूंगा।

अनुदान की मांगें

मांग सं. 6 (न्याय प्रशासन) व मांग सं. 16 (पुलिस) की प्रस्तुती

श्री उपाध्यक्ष : आय-व्ययक, 197879 की अनुदानों की मांगों पर मत दान।

निम्नांकित मांगें प्रस्तुत की जायें—न्याय प्रशासन एवं पुलिस।

एक माननीय सदस्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक जरूरी सूचना आपके द्वारा चाही थी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको सूचना भिजवा रहा हूं।

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 6—न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3 करोड़ 23 लाख 48 हजार तक की राशि प्रदान की जाय।

श्री मूलचन्द डागा : तीन करोड़ रुपये लेने हैं तो गरज करो हमारी। हम आसानी से कैसे दे दें।

श्री सम्पत राम (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 16—पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26 करोड़ 52 लाख 8 हजार रुपये तक की राशि प्रदान की जाय।

मांग संख्या 6 व 16 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 6, मुख्य शीर्षक-न्याय प्रशासन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

1. (राजस्थान के न्याय प्रशासन में सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

Page No 38

(38)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :

श्री गुल मोहम्मद (जोहरी बाजार, जयपुर) :

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

2. (राजस्थान की जनता को सस्ता न्याय मिलने में होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (माण्डल) :

3. (न्याय दिलाने की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री अब्दुल अजीज (मकराना) :

4. (20,000 की आबादी वाले शहर में मुंसिफ अदालत खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री मूलचन्द शामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नदेरा (बांदीकुई) :

5. (न्यायिक अधिकारियों की रिहायशी व्यवस्था करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) :

6. (समय पर और सस्ता न्याय दिलाने में सरकार असमर्थ है, इस पर चर्चा के लिये।)

श्रीमती उज्जला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

7. (लम्बित केसेज के शीघ्र निपटारे की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिये।)

8. (जिला न्यायालयों के अधीनस्थ न्यायालयों में मुंसिफ मजिस्ट्रेटों के अभाव पर चर्चा के लिये।)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

9. (मांडलगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का एक और पद बढ़ाने बाबत चर्चा के लिये।)

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

10. (सिविल और सत्र न्यायाधीशों के रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं वेतनमानों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) :

11. (न्याय को सस्ता एवं सुलभ बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

12. (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर, जो जिले के मध्य में है और बाड़मेर सब-डिविजन के फौजदारी एवं दीवानी मुकदमें भी अधिक हैं, अतः सैशन जज कोर्ट का कार्यालय बालोतरा नगर से बाड़मेर नगर किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

13. (लाडनूं में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय खोलने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री भंवरलाल कालाबादल (खानपुर) :

14. (अकलेरा से मुन्सिफी का कार्यालय खानपुर में लगाया जाकर जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

15. (पिड़ावा में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की तुरन्त आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

Page No 39

(39)

(श्री ईश्वरचन्द्र)

16. (सेशन्स जजों के वेतनमान आई.ए.एस. अधिकारियों के समकक्ष करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

17. (अदालतों में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

18. (न्याय प्रशासन की मौजूदा विसंगतियां दूर करने हेतु चर्चा के लिये।)

19. (प्रान्त में निर्भीक न्यायपालिका बनाने पर चर्चा के लिये।)

20. (निर्धनों को कानूनी सहायता उपलब्ध न होने व खर्चीली न्याय व्यवस्था की चर्चा के लिये।)

21. (मुकदमों के तुरन्त निराकरण व विचाराधीन मामलों की बढ़ती संख्या के शीघ्र समाधान की चर्चा के लिये।)

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) :

22. (जनता को समय पर सस्ता न्याय सुलभ करवाने एवं वकीलों की लूट-खसोट कम करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

23. (सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय अदालतों में न मिलने के कारणों पर चर्चा के लिये।)

24. (अच्छे ईमानदार सिविल जज, मुंसिफ की भारी कमी के कारणों पर चर्चा के लिये।)

25. गरीब को आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण न्याय प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) :

26. शुद्ध न्याय प्रशासन देने एवं सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने की सरकार की नीति पर चर्चा के लिये।)

27. (हाई कोर्ट के पुन: एकीकरण सस्ता की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री शेरसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

28. (जिला एवं सत्र जजों की नियुक्ति बाबत चर्चा के लिये।)

श्री समरथ लाल (राजगढ़) :

29. (अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के लोगों का 28 प्रतिशत के अनुसार कोटा निर्धारित न होने के क्रम में चर्चा के लिये।)

30. (मुंन्सिफ मजिस्ट्रेटों के वेतनमान बढ़ाने एवं अधिक सुविधा दिलाने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) :

31. (न्याय सस्ता एवं सुलभ करवाने में सरकार की असफलताओं पर चर्चा के लिये।)

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

32. (जाब्ता फौजदारी व दंड प्रक्रिया संहिता को समयानुकूल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

33. [मुकदमों की अधिकता के कारण किशनगढ़ (अजमेर) में एक और

Page No 40

(40)

(श्री करतारसिंह)

मुंसिफ न्यायालय स्थापित करने के बारे में चर्चा के लिये ।)

34. (गरीबों को आसान एवं सस्ता न्याय सुलभ करवाने के बारे में चर्चा के लिये ।)

श्री जयनारायण मालोदिया (निवाई) :

35. (मुकदमों का निपटारा शीघ्र नहीं होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।)

36. (न्याय प्रशासन में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

37. [मुकदमों के आधिक्य को देखते हुये किशनगढ़ (अजमेर) में एक और मुन्सिफ न्यायालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।]

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

38. (न्यायिक सेवाओं की आवास सुविधाओं एवं न्यायिक सेवाओं के वेतनमानों के सुधार के बारे में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये ।)

श्री नूरा (मसूदा) :

39. (न्यायालयों में विचाराधीन मामलों का शीघ्र निपटारा न कराए जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

40. (मांडल में मुन्सिफ कोर्ट कायम कराने बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री हरीश कुमार शर्मा (रामगंजमण्डी):

41. (न्याय प्रशासन विलम्बता से परिपूर्ण एवं अधिक खर्चीली है इसके सरलीकरण करने पर चर्चा के लिये ।)

श्री एच.एन. शर्मा (बेगूं) :

42. (पंचायत समिति मुख्यालय पर मुन्सिफ न्यायालयों की स्थपना हेतु चर्चा के लिये ।)

43. (ग्रामीण क्षेत्र में काश्तकारों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाये जाने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर, पूर्व) :

44. (सरकार द्वारा जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाया जाय, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री माणक लाल ठाकोर (नेनवा) :

45. (सरकार की घोषित नीति के अनुसार ग्रामीणों को सस्ता न्याय दिलाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में न्यायालय स्थापित करने की विफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

46. (निर्वाचन क्षेत्र केशवरायपाटन, जिला बूंदी में मुन्सिफ कोर्ट स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

47. (न्याय प्रशासन में सुधार लाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

48. (भवानी मण्डी में अतिरिक्त

(श्री ईश्वरचन्द्र)
मुन्सिफ न्यायालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना):

49. (सस्ता एवं शीघ्र न्याय दिलाने हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सत्ता का विकेन्द्रीकरण किये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

50. (अदालतें खोल दी जाती हैं किन्तु मजिस्ट्रेट नहीं रहते, इस पर चर्चा के लिये।)

श्रीमती सुमित्रासिंह (झुन्झुनूं) :

51. (अनुसूचित जाति एवं जनजाति को न्याय दिलाने हेतु मुफ्त कानूनी सहायता की व्यवस्था किये जाने पर चर्चा के लिये।)

52. (न्याय मिलने में होने वाले विलम्ब पर चर्चा के लिये।)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

53. (न्याय प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

54. (नवलगढ़ में मुन्सिफ एवं न्यायिक दण्डनायक को नियमित रूप में नियुक्त कराने हेतु चर्चा के लिये।)

55. (न्यायालय की कार्य प्रणाली के सरलीकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

56. (हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने व खाली स्थानों की पूर्ति करने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) :

57. [सुजानगढ़ (जिला चूरू) में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं किये जाने के बाबत चर्चा के लिये।]

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

58. [न्यायालयों में कान्ट्रेक्ट बेसिस पर नियुक्त किये गये पब्लिक प्रोसीक्यूटर्स (पी.पी.) के संबंध में चर्चा के लिये।]

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

59. (अनुसूचित जाति व जन-जाति तथा गरीबों के लिये मुफ्त कानूनी सहायता दिलाने हेतु चर्चा के लिये।)

60. (सरकार जनता को सस्ता व शीघ्र न्याय दिलाने में असमर्थ रही, इस पर चर्चा के लिये।)

61. (सरकार द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन पर न्यायालय भवनों के निर्माण कराये जाने हेतु कोई योजना नहीं बनाने पर चर्चा के लिये।)

62. (सस्ता न्याय उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

63. (राज्य के सिविल न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को अभी तक नहीं भरे जाने पर चर्चा के लिये।)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

64. (इटावा में मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने हेतु चर्चा के लिये।)

(42)

(श्री हीरालाल आर्य)

65. (दीवानी मुकदमों को बारां अदालत के स्थान पर कोटा अदालत में स्थानान्तरित कराने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री हरसहाय (लालसोट) :

66. (लालसोट के अत्यधिक मुकदमे होने पर भी ए.एम.एम. कोर्ट दौसा होने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।)

श्री बत्तीलाल (टोडाभीम) :

67. (मुन्सिफ कोर्ट गंगापुर में पेन्डिग पड़े मुकदमों के देरी से निपटारे से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लियें।)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

68. (ब्यावर में एडीशनल सैशन कोर्ट खोलने बाबत चर्चा के लिये।)

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर)

69. (कुम्हेर कस्बा में अलग से एक मुन्सिफ एवं दण्डनायक प्रथम श्रेणी न्यायालय की स्थापना हेतु चर्चा के लिये।)

श्री नाथूराम (बागीदोरा) :

70. (गरीबों को न्याय दिलाने में बांसवाड़ा जिले की उपेक्षा की जाने पर चर्चा के लिये।)

श्री जगदीशसिंह (धौलपुर):

71. (धौलपुर क्षेत्र में न्याय दिलाने की दृष्टि से एडीशनल सैशन्स अदालत व ए.सी.जे. कोर्ट कायम की जावे, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

72. (न्याय प्रशासन में देरी होने के कारण उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।)

श्री माधवसिंह (सोजत) :

73 (मुन्सिफ मजिस्ट्रेट को रहने के लिये सरकारी मकान उपलब्ध कराने तथा अन्य आवश्यक सुविधा देने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री अयूब खां (तिजारा):

74. (ग्रामीण सेवा हेतु चलती फिरती अदालत कायम कराने एवं फैसलों का समय निर्धारण करने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

75. (अनुसूचित जाति के लोगों को सस्ता एवं निःशुल्क न्याय दिलवाने की व्यवस्था पर चर्चा के लिये।)

76. (गरीबों को सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने में सरकार असफल रही, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री सूर्य प्रकाश (खेरवाड़ा):

77. (खैरवाड़ा तहसील हैडक्वार्टर पर मुन्सिफ कोर्ट खुलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।)

श्री बंसीलाल रारावत (नागौर):

78. (राजस्थान के न्याय प्रशासन की पद्धति में व्याप्त गड़बड़ी तथा नागौर जिला मुख्यालय में सैशन्स कोर्ट की कमी पर चर्चा के लिये।)

श्री निर्मल कुमार सकलेचा (झालरापाटन) :

79. (गरीबों को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्ति एवं अनिर्णीत मामलों के शीघ्र निपटारे की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :
श्री हरिसिंह (फुलेरा) :
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

80. (श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में मुन्सिफ कोर्ट के भवन के अभाव पर चर्चा के लिये ।)

श्री मोहनलाल शर्मा (डूंगरगढ़) :

81. (न्याय प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन करने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री उमरावसिंह (महुवा) :

82. (महुवा में ए.एम.एम. की कोर्ट स्थापित करके जनता को सस्ता न्याय दिलाया जावे, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री दाऊदयाल जोशी (दीगोद) :

83. (विधान सभा क्षेत्र, दीगोद की पंचायत समिति, सांगोद में स्थित नगरपालिका क्षेत्र, सांगोद में न तो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट है न ए.एस.एम. कोर्ट जिससे न्याय मिलने में बड़ी देरी होती है व न्याय महंगा मिलता है अतः समुचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

84. (मुकदमों के निर्णय में बरसों लग जाते हैं तथा वहां भी कहीं-कहीं रिश्वत की गन्ध व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) :

85. [पंचायत समिति, गोबिन्दगढ़ के सिविल मुकदमे, जो जयपुर न्यायालयों में चल रहे हैं उनकी संख्या को मद्देनजर रखते हुए एवं ग्रामीण जनता को सस्ता, सुलभ न्याय दिए जाने हेतु चौमूं (जयपुर) में सहायक जिलाधीश न्यायालय स्थापित किए जाने के क्रम में चर्चा के लिये ।]

86. [चौमूं क्षेत्र के थाना, चौमूं गोविन्दगढ़ के न्यायालयों में विचाराधीन मुकदमे (दीवानी व फौजदारी) की संख्या को ध्यान में रखते हुए सस्ता, सुलभ न्याय दिलाने के लिए चौमूं में न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय खोलने के क्रम में चर्चा के लिये ।]

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

87. (बानसूर तहसील हैडक्वार्टर है यहां पहले मुन्शिफी थी, पिछली सरकार ने इस अदालत को तोड़ दिया अतः जनता को सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु बानसूर में ज्युडिसियल मजिस्ट्रेट का न्यायालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :
श्री अयूब खां (तिजारा) :
श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :
श्री हरिसिंह (फुलेरा) :
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :
श्री जोतमल जैन (अलवर) :

88. (राजस्थान में कई न्यायालयों में न्यायाधीशों का अभाव है, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

89. (न्याय मिलने में होने वाली देरी व जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की कमी पर चर्चा के लिये।)

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर):

90. [श्री माधोपुर (सीकर) क्षेत्र (तहसील) में मुकदमों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त सेशन जज व सहायक जिला दण्डनायक का नया पद सृजन करना जरूरी है, पर चर्चा के लिये।]

श्री बाल कृष्ण थानवी (फलोदी):

91. (प्रदेश में सस्ता न्याय न मिलने से जनता को होने वाली कठिनाई पर चर्चा के लिये।)

श्री बृद्धिचन्द जैन (बड़ी सादड़ी):

92. (चित्तौड़गढ़ जिला केन्द्र पर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं बड़ी सादड़ी केन्द्र पर मुन्सिफ कोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी कार्यालय स्थापित कराये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री रघुवीरसिंह कौशल (बारां):

93. (न्याय प्रशासन में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा):

94. (राजस्थान में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमों का निपटारा वर्षों तक न होने से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये)।

श्री नरेन्द्रपालसिंह (मावली):

95. (सस्ता न्याय दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

96. (न्यायालयों में फैले भ्रष्टाचार पर निगरानी रखने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

97. (न्यायिक सेवाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के सुरक्षित स्थानों की पूर्ति न होने के कारणों पर चर्चा के लिये।)

98. (राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की वांछित संख्या की पूर्ति हेतु चर्चा के लिये।)

99. [आर. एच. जे. एस. में सुरक्षित (एस. सी. व एस. टी. हेतु) स्थानों की पूर्ति न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।]

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़)

100. [काछोला (मांडलगढ़) के अन्तर्गत आने वाले सब मामले मांडलगढ़ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाने चाहिये और जहाजपुर कोर्ट में नहीं क्योंकि पूरा संबंध मांडलगढ़ से है, इस पर चर्चा के लिये।]

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर):

101. (मुकदमों तथा अपीलों का हर अदालत में निपटारा जल्दी से जल्दी होना चाहिये, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर):

102. (जजों को रिटायरमेंट के बाद दुबारा नौकरी ना दिए जाने बाबत चर्चा के लिये।)

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

103. (जयपुर में हाई कोर्ट बैंच की स्थापना और उससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

104. (न्यायालय में सेवारत ऊंट सवारों को दिये जाने वाले सवारी भत्ते के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

श्री लालशंकर डंडोर (सागवाड़ा) :

105. (ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायतों के दीवानी व फौजदारी मुकदमों की सुनवाई के अधिकार देने तथा मुफ्त वकील की व्यवस्था हो, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता (कोलायत) :

106. (जुडिशियल आफिसर्स के वेतन व अन्य सुविधाएं सन्तोषजनक नहीं हैं, इस पर चर्चा के लिये ।)

107. (सस्ता व सुलभ न्याय के लिये कोर्ट फीस समाप्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

108. (गरीबों को कानूनी सलाह शुल्क की जो धनराशि उपलब्ध की गई है, वह बहुत न्यून है, इस पर चर्चा के लिये ।)

109. (कानूनी सलाहकार और परामर्श पर जो खर्चा किया है उसका सही लाभ न सरकार को मिला है और न जनता को, इसकी चर्चा के लिये ।)

110. (वृत्तिक और विशिष्ट सेवाओं के लिये जो अनावश्यक खर्चा किया है, उसपर चर्चा के लिये ।)

श्री लालशंकर डंडोर (सागवाड़ा):
श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ):
श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :

111. (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के मुलजिमान को वकील की भी सुविधा दिलाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहरथाना):
श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़):
श्री हनवन्तसिंह (बाली) :
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):
श्री हरिकृष्ण (नदबई):
श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़):
श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़):

112. (अकलेरा में अपर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट नहीं होने से कृषक परेशान होते हैं, इसपर चर्चा के लिये ।)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):
श्री आर० डी० यादव (चौमूं):
श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़):
श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ):
श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़):
श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :
श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :
श्री हनवन्तसिंह (बाली) :
श्री हरिकृष्ण (नदबई):
श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

Page No 46

(96)

श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) :

113. (राजस्थान के कई जिलों में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले जाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री रतनलाल वर्मा (मिनाय) :
श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़) :
श्री हरिकृष्ण (नदबई) :
श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

114. (ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय सुलभ मिल सके और ग्रामीण जनता पर भार न पड़े ऐसी व्यवस्था कराने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री आलम अली खां (फतहपुर) :
श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :
श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :
श्री हनवन्तसिंह (बाली) :
श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :
श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

115. (फतेहपुर क्षेत्र के न्यायालयों में स्टाफ की कमी पर चर्चा के लिये ।)

श्री आर.डी. यादव (चौमूं) :
श्री आलम अली खां (फतहपुर) :
श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़) :
श्रीमती गुणवन्त कुमारी (बैराठ) :
श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़) :
श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :
श्री हनवन्तसिंह (बाली) :
श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :
श्रीमती श्यामा कुमारी सेंगर (कपासन) :
श्री हरिकृष्ण (नदबई) :
श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़) :
श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़) :

116. (राजस्थान के कई न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी को पूरा करने पर चर्चा के लिये ।)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

117. (सस्ता न्याय सुलभ कराने, जिला व सत्र न्यायाधीशों का वेतन कम प्रशासनिक अधिकारियों के समकक्ष कराने एवं न्याय प्रणाली में अन्य सुधार करने हेतु चर्चा के लिये ।)

मांग संख्या 16, मुख्य शीर्षक पुलिस के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय:—

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :
श्री बजरंग लाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर) :

1. (पुलिस कर्मचारियों के मेस भत्ते की दरों की असमानता पर चर्चा के लिये ।)

2. (राज्य के पुलिस कर्मचारियों का वेतन अन्य राज्यों के वेतन से कम होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये ।)

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) :
श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर) :
श्री ओम प्रकाश शर्मा (बूंदी) :

3. (गृह रक्षा दल में सामान्य जनों को अधिकाधिक प्रशिक्षण न दिये जाने पर चर्चा के लिये ।)

4. (नागरिक सुरक्षा का समुचित लाभ जनता को नहीं मिलने पर चर्चा के लिये ।)

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

5. (पुलिस कर्मचारियों को कम वेतन उपलब्ध होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

श्री राम करण सिंह (कोटपूतली) :

6. (राजस्थान में महिला पुलिस यूनिट को सजग करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

7. (राजस्थान में आज भी पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री मैथड्स काम में लेने और जनता से दुर्व्यवहार करने पर चर्चा के लिये।)

8. (पुलिस थानों पर जीप गाड़ी, फर्नीचर, स्टेशनरी उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।)

9. (कोटपूतली में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने की आवश्यकता के बारे में चर्चा के लिये।)

10. (कोटपूतली के प्रागपुरा थाने के पुलिस कर्मचारियों की अकर्मण्यता से होने वाली अव्यवस्था पर चर्चा के लिये।)

11. (केसेज दर्ज करने तथा चोरी की रिपोर्ट की जांच में पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डलगढ़) :

श्री भूरालाल (गोगुन्दा) :

12. (चोरियों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री अब्दुल अज़ीज (मकराना) :

13. (पुलिस कर्मचारियों की नियमितियों में हुई अनियमितताओं के संबंध में चर्चा के लिये।)

14. (पुलिस सेवाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) :

15. (पुलिस कांस्टेबलों का वेतन बढ़ाने की आवश्यकता तथा उन्हें गांवों में पदस्थापित करने पर सुविधा भत्ता देने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

श्री विजयसिंह नवेरा (बांदीकुई) :

16. (दौसा उप जिला मुख्यालय पर एस.पी. कार्यालय खोलने बाबत चर्चा के लिये।)

श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी) :

17. (राजस्थान की पुलिस को नये साज-सामान से लैस करने व अपराधों को पकड़ने में आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) :

18. (जिले के थानों में थानेदारों को आने-जाने के लिये ऊंट व ऊंट सवारों के स्थान पर जीप की सुविधा उपलब्ध न करा सकने पर चर्चा के लिये।)

19. (बढ़ती हुई चोरियों पर काबू पाने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये।)

Page No 48

(48)

श्री मनोहर सिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

20. (पुलिस में कोई भी कर्मचारी शराब पीने वाला न रखा जाये, इस पर चर्चा के लिये)।

श्री रामकरणसिंह (कोटपूतली) :

21. (पुलिस द्वारा कर्त्तव्य पालन न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) :

22. (भारी खर्चे के बावजूद भी जन-धन की सुरक्षा करने व शांति बनाये रखने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।)

23. (पुलिस के अधिकारी छोटे-छोटे पुलिस कर्मचारियों से अपने घरों पर काम करवाते हैं और उनका शोषण करते हैं, इस पर चर्चा के लिये।)

24. (पुलिस का अमला बढ़ने पर भी जुल्म बढ़ रहे हैं इसलिये पुलिस की निष्क्रियता के कारणों पर चर्चा के लिये।)

मेजर श्री फतहसिंह (भीम) :

25. (जनरल मैनेजर, एडवर्ड मिलस, ब्यावर के आदेश दिनांक 4-6-77 के अन्तर्गत इनवोइस संख्या 14 के जरिये 20 किलो रूई कीमत रु. 114.93 मिल खाते नाम लिखी जाकर आउटवर्ड पास संख्या 429, दिनांक 7-6-77 के जरिये जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ब्यावर को भेजी गई जिन्होंने उसी दिन उसे प्राप्त कर रसीद भर पाई मिल्स को भेजी जिसकी रिपोर्ट करने पर भी पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, उस भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।)

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) :

26. (पुलिस कर्मचारियों की वेतन वृद्धि एवं पुलिस में सेवावृत्ति के प्रशिक्षण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

27. (बाड़मेर जिले के मुख्यालय बाड़मेर, बालोतरा नगर एवं वायतू ग्राम में चोरियां एवं सेंध लगाने के मामलों को विभाग द्वारा खोले जाने में उदासीनता अपनाये जाने के कारण पीड़ित व्यक्तियों में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिये।)

28. (राजस्थान में पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री मैथड्स काम में लेने और जनता से दुर्व्यवहार करने पर चर्चा के लिये।)

29. (राज्य में गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुधारने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।)

30. (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।)

31. (15 अगस्त, 1977 को बाड़मेर हायर सैकण्डरी स्कूल के प्रांगण में रात्रि को सांस्कृतिक समारोह के अवसर पर छात्रों और युवकों द्वारा छात्राओं और युवतियों के प्रति दुर्व्यवहार और गुण्डागर्दी करने और उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कदम नहीं उठाये जाने के कारण नगर की जनता में व्याप्त गंभीर असंतोष पर चर्चा के लिये।)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) :

32. (पुलिस विशेष सेवा पदक प्रदान करने के आधारों के बारे में चर्चा के लिये।)

(श्री वृद्धि चन्द्र जैन)

33. (पुलिस फोर्स में बढ़ती हुई अकर्मण्यता व चुस्ती की कमी पर चर्चा के लिये।)

34. (पुलिस कर्मचारियों के वेतन कम होने के कारण उनमें व्याप्त निराशा के विषय पर चर्चा के लिये।)

35. (रामसर-चोहटन रोड संवत् 2023 के अकाल में 25 मील ग्रेवल रोड के निर्माण पर 25 लाख रुपये व्यय हुए। सड़क के निर्माण में अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा जनता प्रतिनिधियों के सहयोग से फर्जी मस्टर रोल बनाये गये और लाखों रुपयों का घोटाला किया गया परन्तु भ्रष्टाचार निरोधक विभाग उनके विरुद्ध उचित कदम उठाने में असफल रहा, इस पर चर्चा के लिये।)

36. (बायतू ग्राम में रात को सेंध लगा कर एक लाख रुपये से अधिक माल जेवर आदि की चोरी किए जाने के मामले को खोलने में पुलिस की उदासीनता पर चर्चा के लिये।)

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :

37. (पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री भैरव लाल कालाबादल (खानपुर):

38. (पुलिस द्वारा जनसुरक्षा की तरफ ध्यान न दिये जाने से उत्पन्न असंतोष की भावना पर चर्चा के लिये।)

श्री अजीतसिंह (टोंक) :

39. (पुलिस विभाग द्वारा चोर पकड़ने के नये तरीके अपनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

40. (गांवों में विभाग द्वारा चोकीदार रखने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

41. (भ्रष्टाचार विभाग के आफिस सभी जिला केन्द्रों पर खोलने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री नारायण सिंह (मालपुरा) :

42. (पुलिस द्वारा चोरियां बरामद करने में बरती जाने वाली लापरवाही पर चर्चा के लिये।)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) :

43. (राज्य में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने में पुलिस विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।)

44. (पुलिस विभाग में राजनैतिक आधार पर ट्रान्सफर किये जाने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये।)

45. (पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये।)

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) :

46. (पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में कंजरों के आतंक व बढ़ती हुई चोरियों को रोकने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।)

47. (कांस्टेबल व इन्सपेक्टर जनरल के वेतनमानों के अन्तर को कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

Page No 50

(50)

(श्री ईश्वरचन्द्र)

48. (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।)

49. (सुनेल, पिड़ावा व रायपुर क्षेत्र में व्याप्त अराजकता, सट्टा व जुआ बन्द करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।)

50. (आपातकाल में निकाले गये पुलिस कर्मचारियों के पुनः पदस्थापन किये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

51. (पुलिस प्रशासन द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स में तालमेल न होने पर चर्चा के लिये।)

52. (प्रान्त में पुलिस के आधुनिकीकरण करने व सक्षम बनाने हेतु चर्चा के लिये।)

53. (पुलिस थानेदारों की अपराधों के संबंध में जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्रीमती नारंगीदेवी (किशनगंज) :

54. (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व घूसखोरी के कारण चोरी, डकैतियों तथा हत्याओं में निरन्तर बढ़ोत्तरी की स्थिति पर चर्चा के लिये।)

55. (किशनगंज, शाहबाद में पशुधन की चोरी, झगड़े, पुलिस की निष्क्रियता एवं थानेदारों की मनमानी की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये।)

श्री शिवचरण सिंह (बयाना) :

56. (पुलिस विभाग के कर्मचारियों को प्रमोशन देने व वेतनमान को कार्यक्षमता के आधार पर न्याय संगत बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

57. (पुलिस प्रशासन में व्यापक सुधार के बारे में चर्चा के लिये।)

58. (पुलिस थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने एवं गरीब निर्दोष लोगों पर पुलिस द्वारा की जाने वाली ज्यादतियों की चर्चा के लिये।)

59. (राजस्थान में पुलिस प्रशासन की बिगड़ती हुई स्थिति पर चर्चा के लिये।)

60. (भ्रष्टाचार निरोधक पुलिस शाखा के पुनर्गठन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

61. (पुलिस एवं आर. ए. सी. जवानों को भत्ते एवं अन्य सुविधाए प्रदान कराने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) :

62. (आर. ए. सी. के जवानों को और अधिक सुविधा देने बाबत चर्चा के लिये।)

63. (बालेसर में पुलिस थाने का भवन बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रयास नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।)

श्री समरथलाल (राजगढ़) :

64. (पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों को

Page No 51

(51)

(श्री समरथलाल)

परेशान करने एवं उनसे नाजायज रिश्वत लेने के क्रम में चर्चा के लिये।)

65. (राजस्थान राज्य की प्रत्येक पंचायत समिति में थाना हैडक्वार्टर बनाने के क्रम में चर्चा के लिये।)

66. (अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के आई. पी. एस., आर. पी. एस. व थानेदारों को स्वतंत्र चार्ज प्रशासन में न देने से व्याप्त आक्रोश पर चर्चा के लिये।)

67. (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों का उचित आरक्षण न होने से व्याप्त असन्तोष पर चर्चा के लिये।)

68. (राजस्थान राज्य में पुलिस अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।)

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा):

69. (प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था स्थापित करने में पुलिस अक्षम एवं असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।)

70. (डकैतियों, चोरियों तथा असामाजिक तत्वों पर काबू पाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।)

71. (पुलिस को तफतीश करने के आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री करतारसिंह (किशनगढ़):

72. (राज्य में विभागीय निष्क्रियता के कारण कानून व्यवस्था के अभाव पर चर्चा के लिये।)

73. (राज्य के पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी पर चर्चा के लिये।)

74. (अजमेर जिले में पुलिस कर्मचारियों की संख्या की कमी के कारण व्याप्त असुरक्षा की स्थिति पर चर्चा के लिये।)

75. (किशनगढ़ में पुलिस ट्रेनिंग कालेज पुनः स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री सूरजनसिंह (भीनमाल):

76. (पुलिस थाना, बागोड़ा की बिल्डिंग की मरम्मत व आवास व्यवस्था में वृद्धि कराने हेतु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करने पर चर्चा के लिये।)

77. (पुलिस विभाग में सी. आई. डी. ब्रांच में कई ग्रेजुएट कर्मचारी हैं मगर उनको पदोन्नति के उचित अवसर नहीं मिल पाते, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही):

78. (पुलिस विभाग में खासकर कांस्टेबलों की दुर्दशा, उनका वेतन, यात्रा भत्ता, पुलिस लाइन में भोजन और शराब, अफीम आदि के प्रयोग पर चर्चा के लिये।)

79. (जालौर जिले में करड़ा में नया पुलिस स्टेशन बनाने तथा सिरोही जिले में बरलूट पुलिस स्टेशन कोलास स्थानांतरित करने हेतु चर्चा के लिये।)

80. (जालौर एवं सिरोही नगर के पुलिस स्टेशनों को देखते हुये नये भवनों के निर्माण की आवश्यकता पर विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये।)

Page No 52

52

श्री जगन्नारायण पालीवाल (निवाई):

81. (पुलिस में फैले भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।)

82. (पुलिस विभाग में विभिन्न पदों पर नियुक्तियों, प्रमोशनों में अनुसूचित जातियों व जन-जातियों के साथ भेदभाव करने पर चर्चा के लिये ।)

83. (पुलिस में बढ़ रही अनुशासन-हीनता, लापरवाही, उदासीनता पर चर्चा के लिये ।)

84. (पुलिस द्वारा निवाई नगर-पालिका गोदाम व श्री बड़ा जैन मन्दिर में हुई चोरियों की तफतीश में बरती गई लापरवाही के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) :

85. (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) :

86. (पुलिस कर्मचारियों की कमी के कारण नित्य प्रति हो रही चोरियों को पुलिस प्रशासन द्वारा न रोके जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

87. (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार के फलस्वरूप बढ़ रहे जन आक्रोश पर चर्चा के लिये ।)

88. (किशनगढ़ शहर में पुलिस थाना स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) :

89. (चीतलवाना पुलिस थाने के कर्मचारियों द्वारा उनके क्षेत्र के नागरिकों के प्रति नाजायज शराब बनाने के झूठे मुकद्मे बना कर परेशान करने पर चर्चा के लिये ।)

90. (प्रिवेंटिव फोर्स में तैनात आर. पी. एस. अधिकारियों के नाजायज स्थानान्तरण करने में सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये की चर्चा के लिये ।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

91. (पुलिस की लापरवाही से राजस्थान में कानून एवं व्यवस्था में गिरावट से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये ।)

92. (शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में मार्च, 77 में हुए 25 वर्ष के ग्रामीण युवक की हत्या का पता लगाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।)

93. (डोकलिया ग्राम, तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में हुई चोरियों का पता लगाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

94. (भीलवाड़ा नगर में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों को रोकने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।)

श्री नूरा (मसूदा) :

95. (सुरक्षा और शान्ति बनाये रखने में पुलिस की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

96. (पुलिस विभाग में चोरी जैसे मामलों को पकड़ने के लिए कुत्ता यूनिट स्थापित कराने हेतु चर्चा के लिये ।)

(53)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

97. (पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये।)

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) :

98. (पिछले एक वर्ष में उदयपुर जिले में हुई हत्याओं एवं चोरियों का पता लगाने में वहां की पुलिस पूर्ण रूप से असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।)

99. (पुलिस की उदासीनता से कानून एवं व्यवस्था की हालत दिनों दिन गिरती जा रही है तथा अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा) :

100. (जोधपुर में दिनों दिन बढ़ते हुये अपराधों की रोकथाम एवं चोरियों का पता लगाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये।)

श्री हरीश शर्मा (रामगंज मण्डी) :

101. (पुलिस को अधिक सक्रिय, सबल बनाने एवं इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री एच. एन. शर्मा (बेगूं) :

102. (अतिरिक्त पुलिस चौकियों तथा पुलिस स्टेशनों की स्थापना की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

103. (पुलिस प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने तथा प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री कल्याण सिंह सांखला (अजमेर पूर्व) :

104. (पुलिस व जनता के बीच की खाई पाटी जाय, पुलिस में जनता का विश्वास पैदा करने की आवश्यकता एवं उच्च अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार हो, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री माणक लाल ठाकोर (नेनवा) :

105. (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं दमन में कमी नहीं आई है तथा उच्च भ्रष्ट अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा संरक्षण देने के संबंध में चर्चा के लिये।)

श्री गोपाल पचेरवाल (पाटन) :

106. (जिला व स्थानीय पुलिस की लापरवाही से जिला बूंदी में नशाबन्दी के बावजूद भी शराब की बिक्री होती है, इस पर चर्चा के लिये।)

107. (प्रदेश में हरिजनों, आदिम जातियों एवं अनुसूचित जनों के साथ होने वाले अत्याचार को रोकने में पुलिस असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।)

108. (पुलिस विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री बहादुर सिंह (नोहर) :

109. (पुलिस कर्मचारियों के वेतनमानों में परिवर्तन की आवश्यकता तथा तफतीश हेतु साधनों में सुधार हेतु चर्चा के लिये।)

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर थाना) :

110. (मनोहर थाना में दो महिलाओं की निर्मम हत्या कर दी गई, पुलिस आज तक पता न लगा पाई, इस पर चर्चा के लिये।)

Page No 54

(54)

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

111. (धाटोली पुलिस चौकी की स्थापना एवं वहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार की रोकथाम हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री टीकम चन्द कान्त (जालौर) :

112. (ग्राम चोराऊ, जिला जालौर में वर्तमान में अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री ओंकार लाल चौहान (अटरू) :

113. (पुलिस को आधुनिक रूप देने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) :

114. (पुलिस विभाग की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।)

115. (कानून एवं व्यवस्था की निरन्तर गिरती हुई अवस्था पर चर्चा के लिये ।)

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) :

116. (क्रिश्चियन गंज थाना, अजमेर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये ।)

श्री नवरंगसिंह (नवलगढ़) :

117. (आई. जी. पी. द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना करने पर चर्चा के लिये ।)

118. (शेखावाटी में चोरी व डकैती की रोकथाम में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।)

119. (शेखावाटी में चल रहे अनियमित सट्टे व घड़े की रोकथाम करने में पुलिस असफल रही, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री रावतराम आर्य (सुजानगढ़) :

120. (बालेरां की ढाणी, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू में गत जनवरी, 78 में हुई डकैती के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

121. (गांव धातरी, तहसील सुजानगढ़, जिला चूरू में हुई चोरी को पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर सकी है, इस संबंध में चर्चा के लिये ।)

122. (निर्धारित कोटे के मुताबिक राजस्थान पुलिस विभाग में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सिपाही भर्ती नहीं किया जाता, इसके संबंध में चर्चा के लिये ।)

123. (चोरी, नकबजनी, मार-पीट आदि की बढ़ती हुई घटनाओं से सुलटने में पुलिस नाकामयाब रही है, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

124. (रिजर्व लाइन पुलिस तथा थानों में कार्यरत जवानों को दिये जाने वाले भत्तों की दरों में असमानता की चर्चा के लिये ।)

श्री ज्योतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) :

125. (सिपाहियों की वर्दी व मेस अलाउन्स में माकूल वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

126. (हर पुलिस स्टेशन पर एक जीप या मोटर साइकल की व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

127. (पुलिस के उच्चाधिकारियों की संख्या कम करने हेतु चर्चा के लिये ।)

128. (पुलिस स्टेशन्स के साथ सिपाहियों के लिए रिहायशी मकानात

Page No 55

(55)

(श्री श्योपतसिंह, मकासर) :

बनाने हेतु विभाग द्वारा कोई प्रपोजल नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये।)

129. (पुलिस की उदासीनता के कारण हरिजनों व गरीबों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिन्हें रोकने के विषय में चर्चा के लिये।)

श्री भवनलाल (हिण्डौन) :

130. (जिला सवाई माधोपुर में आये दिन होने वाली डकैतियों को रोकने में पुलिस की ढिलाई पर चर्चा के लिये।)

131. (सवाई माधोपुर जिले में चोरियों को रोकने एवं बरामद करने में पुलिस विभाग की लापरवाही पर चर्चा के लिये।)

132. (जिला सवाई माधोपुर एवं भरतपुर व धौलपुर में आये दिन बढ़ती हुई गुण्डागर्दी एवं जान माल की रक्षा करने में पुलिस असफल रही है, इस पर चर्चा के लिये।)

133. (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को काश्त की भूमि पर कब्जा एवं उनकी जान की रक्षा करने में पुलिस विभाग की ढिलाई पर चर्चा के लिये।)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह (महवली) :

134. (ग्राम ईन्टाली, तहसील मावली में हुई चोरियों को बरामद करने में वल्लभनगर थानदार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

135. (ग्राम ईन्टाली, तहसील मावली में पुलिस चौकी स्थापित कराने बाबत चर्चा के लिये।)

श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल बाजार, जयपुर) :

136. (पुलिस कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य सुविधायें राज्य सरकार के अन्य कर्मचारियों के समान किये जाने पर चर्चा के लिये।)

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) :

137. (पुलिस कर्मचारियों को अपने आतंकवादी रवैये को बदलने हेतु विभाग के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

138. (पीपल्दा क्षेत्र के बोरदा, दीगरी, बलवन, पीपल्दा, बमोरी कलां में पुलिस चौकियां स्थापित करने हेतु चर्चा के लिये।)

139. (प्रत्येक पुलिस स्टेशन पर सिपाहियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

140. (पुलिस कर्मचारियों के वेतनमानों में परिवर्तन किये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

141. (प्रत्येक पुलिस स्टेशनों पर तफतीश हेतु जीप की व्यवस्था की उपयोगिता के संबंध में चर्चा के लिये।)

श्री हरवन्शसिंह (पीलीबंगा) :

142. (पुलिस प्रशासन में चुस्ती एवं दक्षता लाने हेतु पुलिस कर्मचारियों की आर्थिक दशा में सुधार लाया जावे, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) :

143. (चूंकि कुम्हेर क्षेत्र की सीमा करीब 8 मील तक उत्तर प्रदेश से मिली हुई

श्री काशीनाथ गुप्ता

है जिसकी वजह से रोजाना ही इस क्षेत्र में डकैती, चोरी एवं कतल होते रहते हैं, अतः सीमा पर विशेष पुलिस के प्रबन्ध एवं जब तक अमन शान्ति कायम न हो तब तक एक डी.एस.पी. की नियुक्ति करने हेतु चर्चा लिये।)

श्री नाथू राम (बागीदोरा) :

144. (पुलिस स्टेशन गढ़ी, जिला बांसवाड़ा के सब इन्सपेक्टर द्वारा आदिवासियों पर अत्याचार किये जाने से उत्पन्न जन आक्रोश पर चर्चा के लिये।)

145. (बांसवाड़ा जिला में थानेदारों द्वारा आदिवासियों एवं पिछड़े वर्गों पर अत्याचार करने पर चर्चा के लिये।)

146. (बांसवाड़ा जिला में पुलिस विभाग द्वारा अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन नहीं करने से दिन ब दिन चोरियों की वारदातें बढ़ती जा रही है, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (मनोहरथाना)

147. (थाना आवर क्षेत्र में पुलिस द्वारा हरिजन महिलाओं के साथ मारपीट की गई, इस पर चर्चा के लिये।)

148. (घाटोली क्षेत्र में बढ़ती हुई गुण्डागर्दी की रोकथाम के लिये पृथक् से पुलिस स्टेशन कायम किये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

149. (ग्रामों में कानून व्यवस्था के लिये ग्राम स्तर पर चौकीदारी प्रथा लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

श्री मदनसिंह दांगा (दांतारामगढ़) :

150. (पुलिस थानों पर टेलीफोन लगाने तथा तफतीश के लिये जीप उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री रामप्रसाद लढ्ढा (माण्डल) :

151. (हरिपुरा गांव को आसींद थाने में न रख पुलिस स्टेशन मांडल में ही रखा जावे, इस पर चर्चा के लिये।)

152. (मांडल में अलग से पुलिस चौकी कायम कराने बाबत चर्चा के लिये।)

153. (भीलवाड़ा व मांडल के बीच बसों में जेबकतरों की हरकतों को रोकने में पुलिस असफल रही, इस पर चर्चा के लिये।)

श्री भैरू लाल बैरवा (शाहपुरा) :

154. (पुलिस स्टेशनों पर दर्ज मामलों को जल्दी निपटाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये।)

155. (मांडल, जिला भीलवाड़ा में 7-8 वर्ष पूर्व हुए हत्याकाण्ड पर विभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु, चर्चा के लिये।)

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) :

156. (धौलपुर क्षेत्र में पुलिस एवं आर. ए. सी. की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री सूर्य प्रकाश (खैरवाड़ा) :

157. (खैरवाड़ा तहसील में पुलिस की अव्यवस्था के संबंध में चर्चा के लिये।)

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) :

158. (प्रदेश में हो रही चोरियों और डकैतियों पर काबू पाने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

159. (हरिजनों एवं कमजोर वर्ग के लोगों को पुलिस द्वारा सताया जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

160. (पुलिस द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को संरक्षण नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री शीशराम ओला (पिलानी) :

161. (राज्य में कानून एवं व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति एवं बढ़ते हुए जुर्मों की रोकथाम में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये ।)

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) :

162. (राजस्थान में पुलिस व्यवस्था पद्धति में कमी, गड़बड़ी, दुर्व्यवस्था और भ्रष्टाचार को दूर करने तथा उसे सुव्यवस्थित और सुसंगठित संगठन बनाने हेतु उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) :

163. (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने एवं पुलिस की निष्क्रियता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये ।)

श्री उमरावसिंह गुजर (महुआ) :
श्री रंगजी (सपोटरा) :

164. (महुआ एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के कई गांवों में पुलिस प्रशासन की शिथिलता से अनकों चोरियों व अन्य अपराधों में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

श्री मोहनलाल शर्मा (डूंगरगढ़) :

165. (पुलिस की अकर्मण्यता एवं उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री अचलाराम (देसूरी) :

166. (पाली—चोरियां के दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री बाऊदयाल जोशी (दौसा) :

167. (आज के इस महंगाई के युग में भी सब-इन्सपेक्टर, पुलिस को वर्दी का एक साल में केवल 45 रुपया मात्र मिलता है, इस पर एवं गुप्तचर विभाग के व्यक्तियों को वर्दी दिए जाने के संबंध में चर्चा के लिये ।)

श्री चुन्नीलाल (खण्डार) :

168. (पुलिस द्वारा चोरी, डकैती, बलात्कार तथा नकबजनी को रोकने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।)

169. (पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार से सब परेशान हैं, इसे दूर करने में सरकार की विफलता पर चर्चा के लिये ।)

श्री आर. डी. यादव (चौमू) :

170. (जयपुर जिले के थानों एवं चौकियों के भवनों व टेलीफोन के अभाव से उत्पन्न अव्यवस्था से जनता में व्याप्त भारी असन्तोष पर चर्चा के लिये ।)

(श्री आर.डी.यादव)

171. (राजस्थान में पुलिस की अव्यवस्था के कारण प्रदेश में भारी संख्या में चोरियों पर पुलिस द्वारा नियंत्रण न कर सकने से जनता में उत्पन्न भारी असन्तोष पर चर्चा के लिये।)

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर) :

172. (अलवर विभाजित जिले में चोरी एवं डकैतियों को रोकने में पुलिस की निष्क्रियता तथा पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने एवं अल्पवेतन भोगी पुलिस कर्मचारियों की स्थिति सुधारने तथा पुलिस विभाग की समाज में गिरती हुई साख से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

173. (पुलिस विभाग में व्याप्त निष्क्रियता, अक्षमता, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात पर चर्चा के लिये।)

श्री जीतमल जैन (अलवर) :
श्री जगदीशसिंह (धौलपुर) :

174. (पुलिस की अकर्मण्यता एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में चर्चा के लिये।)

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) :

175. [उप-जिला नीमकाथाना (सीकर) में हो रही चोरियों को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस दस्ता लगाने के औचित्य पर चर्चा के लिये।]

176. [थोई थाने (सीकर) में टेलीफोन नहीं होने से हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।]

177. (बड़े पुलिस थानों में वाहन नहीं होने से पूरी सतर्कता से जनता की सेवा करने में पुलिस की असमर्थता पर चर्चा के लिये।)

178. [श्रीमाधोपुर (सीकर) में थाने का भवन नहीं होने एवं विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।]

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) :

179. (पुलिस के व्यवहार में सुधार करने हेतु चर्चा के लिये।)

श्री बजरंगलाल शर्मा (बनीपार्क, जयपुर):

180. (पुलिस विभाग के गठन में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।)

181. (पुलिस थानों को ठेके पर उठा देने पर चर्चा के लिये।)

श्री बालकृष्ण थानवी (फलौदी) :

182. (फलौदी नगर एवं तहसील क्षेत्र में सन् 1970 से लेकर 28 फरवरी, 78 तक हुई चोरियों का माल बरामद न होने एवं चोर न पकड़े जाने की चर्चा के लिये।)

श्री बालचन्द आर्य (डग) :

183. (पुलिस विभाग में सिपाहियों की कमी होने के कारण ठीक प्रकार से व्यवस्था नहीं होने पर चर्चा के लिये।)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

184. (दीगोद, मांडलगढ तथा काछोला में थाने की इमारत बनवाने हेतु विभाग

(श्री मनोहरसिंह मेहता) द्वारा कोई योजना नहीं बनाये जाने पर चर्चा के लिये ।)

185. (चोरियाँ, डकैतियाँ तथा अन्य गलत कामों को रोकने हेतु पुलिस वालों पर शराब न पीने का कड़ा प्रतिबन्ध लगाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

186. (ऊपरमाल विजोलियाँ का पूरा क्षेत्र पठार पर होते हुए भी जलेरी गांव, खान व कुछ अन्य गांवों को मांडलगढ़ थाने में लगा दिया है इनको बिजोलियाँ में लगाने बाबत चर्चा के लिये ।)

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) :

187. (पुलिस कोड जो ब्रिटिश युग में बना था वह वर्तमान लोकतांत्रिक पद्धति के अनुकूल नहीं होते हुए भी अभी तक लागू होने से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये ।)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह (मावली) :

188. (नाथद्वारा व मावली क्षेत्र में हो रही चोरियों को बरामद करने में पुलिस की असफलता पर चर्चा के लिये ।)

189. (पुलिस के व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) :

190. (दिनांक 19-3-77 को श्रीनगर पंचायत समिति, शांतपुरा में हुई हत्या का पता लगाने में पुलिस की निष्क्रियता पर चर्चा के लिये ।)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

191. (जिन-जिन जिलों में शराबबन्दी है वहां कोई भी पुलिस कर्मचारी शराबी न हो, इस हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री शिवनारायण (थानागाजी) :

192. (थानागाजी तहसील में घाटा बांधरोल की पुलिस चौकी हटाने पर उत्पन्न जनता की असुविधा एवं असुरक्षा पर चर्चा के लिये ।)

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

193. (पुलिस विभाग में आधुनिक यंत्रों के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

194. (पुलिस विभाग में आधुनिक सुविधाओं के अभाव पर चर्चा के लिये ।)

195. (घाट की गूणी जयपुर के ब्लाइन्ड कर्व पर यातायात सिपाही के अभाव से होने वाली दुर्घटनाओं के बाबत चर्चा के लिये ।)

196. (दौसा उप-जिला मुख्यालय पर ए. एस. पी. का कार्यालय न होने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये ।)

197. (दौसा उप-जिला मुख्यालय पर थाना दौसा में वांछित संख्या में एल. सी. (कान्स्टेबल्स) के न होने पर चर्चा के लिये ।)

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) :

198. (थाना काछोला के मामलों का चालान मांडलगढ़ कोर्ट में होना चाहिये क्योंकि इसका संबंध मांडलगढ़ से है, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) :

199. (पुलिस प्रशासन में निष्क्रियता तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री मंजूर अली (सवाई माधोपुर) :

200. (पुलिस में पदोन्नति वरिष्ठता के आधार पर दिए जाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री मथुरादास माथुर (डीडवाना) :

201. (पुलिस के आधुनिकरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

202. (ट्रैफिक की बढ़ती हुई अव्यवस्था एवं पुलिस द्वारा नियंत्रण करने में लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये ।)

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) :

203. (विभाग में नियुक्ति करते समय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों का कोटा पूरा नहीं किये जाने में विभागीय अधिकारियों की मनमानी पर चर्चा के लिये ।)

204. (पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार की ढिलाई पर चर्चा के लिये ।)

श्री मेघराज पंवार (चूरू) :

205. (चूरू जिले के पुलिस थानों के पुनर्गठन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

206. (चूरु जिले में ए. सी. डी. पुलिस सब-इन्सपेक्टर का नया पद सृजित किये जाने हेतु चर्चा के लिये।)

207. (ग्राम दूधवा खारा में पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण किये जाने में विभाग द्वारा कोई कारगर कदम नहीं उठाने बाबत चर्चा के लिये।)

208. (भूतपूर्व पुलिस थाना घांघु, जिला चूरु की बेकार पड़ी बिल्डिंग के उपयोग में लाने हेतु चर्चा के लिये।)

209. (रतन नगर पुलिस थाने के नीचे गांवों को लगाये जाने में बरती गई असावधानी से गांव वालों को उत्पन्न असुविधा पर चर्चा के लिये ।)

210. (चूरू में पुलिस कोतवाली के लिये नये भवन के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

211. (पुलिस विभाग में सेवारत छोटे एवं बड़े अधिकारियों को वर्दी अलाउन्स के रूप में दी जाने वाली राशि की दरों में भारी भेदभाव पर चर्चा के लिये ।)

212. (पुलिस विभाग में थानों में सेवारत माउन्टेड कान्सटेबलों को दिये जाने वाले सवारी अलाउन्स के संबंध में चर्चा के लिये ।)

213. (पुलिस विभाग में सेवारत अधिकारियों एवं कर्मचारियों में व्याप्त शराब खोरी समाप्त करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री नूरा (मसूदा) :

214. (पुलिस प्रशासन में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये ।)

श्री लालशंकर डेंडोर (सागवाड़ा) :

215. (जसेलागडा, ओबरी, कुचीया वड़ा तथा डूंगर-थोरण तथा सागवाड़ा रामद्वारा पांच चौकियां खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।)

Page No 61

(61)

(श्री ललितशंकर डेंडोर)

216. (ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस की व्यवस्था कर अनुपात से चौकियां व पुलिस स्टेशनों का विस्तार हेतु चर्चा के लिये ।)

217. (प्रत्येक जिला स्तर पर पुलिस संख्या में बढ़ोतरी करने व सिपाहियों के लिये आवास की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।)

218. (सागवाड़ा में डिप्टी सुपरिन्टेंडेन्ट कार्यालय खुलवाने हेतु चर्चा के लिये ।)

219. (जन-जाति भील क्षेत्र में पुलिस चौकी कुम्भा को थाने में क्रमोन्नत कराने हेतु चर्चा के लिये ।)

220. (सागवाड़ा की पुरानी चौकियों व थानों में भवन निर्माण कराने हेतु विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये ।)

221. (पुलिस चौकी व पुलिस स्टेशनों में मुलजिमानों को रखने के जो कमरे पुराने बने हुए हैं उन्हें आधुनिक सुविधायुक्त बनाने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री रामकृष्णदास गुप्ता (कोलायत) :

222. (पुलिस कर्मचारियों के वेतन व सेवा शर्तों को सुधारने हेतु चर्चा के लिये ।)

223. (जिला स्तर पर पुलिस के लिए फोरेन्सिक लेबोरेट्रीज व अन्य अपराध अन्वेषण के लिए साइन्टीफिक सुविधाओं की व्यवस्था करने हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) :

224. (पुलिस प्रशासन में सुधार हेतु चर्चा के लिये ।)

श्री रतनलाल शर्मा (भिनाय):

श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़) :

श्री हरिकृष्ण (नदबई):

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़):

225. (पुलिस विभाग में इंसानियत पैदा हो व मानवता आवे और लोग सन्तुष्ट हों, इस पर चर्चा के लिये ।)

श्री आर. डी. यादव (चौमू):

श्री आलम अली खां (फतेहपुर):

श्री नत्थीसिंह (लक्ष्मणगढ़):

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर):

श्री हनवंत सिंह (बाली):

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):

श्री जगदीशचन्द्र शर्मा (रतनगढ़):

श्री हरिकृष्ण (नदबई):

श्री सुभाषचन्द (सूरजगढ़):

श्री गुरुशरण छाबड़ा (सूरतगढ़):

226 (राज्य के पुलिस कर्मचारियों का वेतन और भत्ता बढ़ाये जाने पर चर्चा के लिये ।)

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) :

227. (पुलिस विभाग के संगठन में आमूलचूल परिवर्तन, सुधार एवं अन्वेषण शाखा का पृथक्करण तथा जवानों की दशा सुधारने हेतु चर्चा के लिये ।)

व्यवस्था का प्रश्न

गृह मंत्री द्वारा मांग संख्या 16—पुलिस की प्रस्तुति

श्री बजरंगलाल शर्मा (जयपुर) : पाइन्ट आफ आर्डर पेश करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय । गृह मंत्रीजी ने जो डिमान्ड पेश की है, मुख्यमंत्री ए. सी. डी. के प्रभारी मंत्री हैं, वे मांग प्रस्तुत करते । इनके

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
द्वारा मांग प्रस्तुत किया जाना उचित है या अनुचित है–यह व्यवस्था देने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक सवाल आयेगा, उपाध्यक्ष महोदय। आपका लॉ डिपार्टमेन्ट किस तरह मसखरी करता है, यह भी मैं समय आने पर बता दूंगा, तब आप उसका उत्तर दे देना कि उनको कानून का कितना ज्ञान है और कितना वर्क करते हैं। मैं चुनौती देता हूं–आप अपने लॉ डिपार्टमेन्ट को डिफेन्ड कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बजरंगलालजी ने जो आपत्ति प्रस्तुत की है, मैं उसको उचित नही समझता हूं। गृह मंत्रीजी ने डिमान्ड प्रस्तुत की है। गृह मंत्री जी का पूरा अधिकार है। उसमें ए. सी. डी. की मांग की कोई बात नहीं है।

दिनांक 13 मार्च, 1978 को मांग संख्या 12, अन्य कर के पारण की घोषणा

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। मान्यवर, कल जो मांगें थीं वे अभी तक पास नहीं हुई और आज आपने दूसरी मांगें सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत करा दी हैं। कल आप यहां पर नहीं बिराजे हुए थे, आपकी अनुपस्थिति में सभापति महोदय जरूर थे। उन्होंने जब मांगों को सदन के सामने पारण के लिए रखा, सिर्फ हां पक्ष ही बुलाया और हां पक्ष बुला कर ही मांग पारित होने की घोषणा कर दी, जब कि सदन की यह परम्परा है और नियम भी है कि जब तक हां पक्ष नहीं पुकारें.......

श्री खेतसिंह राठौड़ : ना पक्ष भी नहीं पुकारें।

श्री रामनारायण चौधरी : हां पक्ष के साथ-साथ ना पक्ष भी नहीं पुकारें तब तक मांग पारित नहीं होती। यह सदन की परम्परा है, नियम भी है और सदन का ट्रेडीशन भी है। इस तरह से माननीय सभापति महोदय ने मांग पारित होने की घोषणा कर दी। हमने आपत्ति भी प्रस्तुत की थी, माननीय डागा साहब ने आपत्ति प्रस्तुत की थी, मैं भी खड़ा हुआ था लेकिन माननीय सभापति महोदय कन्फ्यूज्ड हो गए और एक मिनट के लिए ढील देकर अचानक ही, अबरप्टली हाउस को एडजोर्न करने की घोषणा कर दी। तो मेरा यह निवेदन करना है, मान्यवर, कल की मांग स्वीकार नहीं हुई, उसके बाद आपने फिर दूसरी मांगें करा दी हैं, तो मैं चाहूंगा कि कल वाली मांग को आप विधिपूर्वक पारित करावें और उसके बाद ही आगे की मांगों पर विचार किया जावे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो सदन का विवरण है, जो मिनिट्स रखे गए हैं, उनको मैं देखूंगा। अगर आवश्यक समझूंगा तो उसके अनुसार जो व्यवस्था होगी वह दे दूंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है।

मांग संख्या 6 व 16 पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : अब कटौती प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों मांगों पर जो कटौती

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव हैं वे काफी संख्या में प्रस्तुत हुए हैं। जो माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे दोनों मांगों के पक्ष-विपक्ष में उनकी सूची काफी लम्बी है करीब 111 माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो समय की परिधि को देखते हुए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि दोनों ही मांगों के सम्बन्ध में जो कटौती प्रस्ताव पेश हुए हैं, उनके सम्बन्ध में पांच मिनट से अधिक न लें। करीब करीब हरएक माननीय सदस्य को अवसर देना चाहूंगा इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करूंगा, आपसे आशा करूंगा कि पांच मिनट का जो निर्धारित समय कर रहा हूं, उसके लिए यद्यपि आपको भी गिला हो सकती है और मुझे भी गिला है लेकिन फिर भी सभी को अवसर देना है इसलिए समान अवसर देने की परम्परा को मान्यता देते हुए मैं आशा करूंगा कि आप अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : न्याय और पुलिस की मांग पर 29 करोड़ रुपये लेना चाहते हैं और पांच मिनट का समय दे रहे हैं। पांच मिनट में 29 करोड़ रुपये देना तो मुश्किल है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल भार्गव।

(अनुपस्थित)

श्री बजरंगलाल शर्मा।

श्री बजरंगलाल शर्मा (वनीपार्क) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि, समय की कमी है इसीलिये पांच मिनट का समय आप देना चाहते हैं लेकिन पांच मिनट में इन डिमाण्ड्स के साथ कितना न्याय कर सकते हैं, आप विचार कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी हम अपना समय आपको दे देंगे।

एक माननीय सदस्य : हमारी उम्र आपको लग जाय।

श्री बजरंगलाल शर्मा : दो विभागों की मांग आज रखी गई है विचार के लिए और इन डिमाण्डों को पारित करने के लिये। पहली न्याय प्रशासन की मांग है। राजस्थान का न्याय प्रशासन किस प्रकार से चल रहा है, विधि विभाग किस प्रकार से चल रहा है, उसके सम्बन्ध में मैं, श्रीमान, एक दो दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब उत्तरी भारत में कांग्रेस की सरकार थीं, लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस का सफाया हो गया तो भारत के गृह मंत्री, चौधरी चरणसिंहजी ने एक सलाह दी मुख्यमंत्रियों को, कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों को कि चूंकि जनता ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया है इसलिए आप त्याग-पत्र दे दो। असेम्बली को डिजोल्व करने की मुख्यमंत्री गवर्नर को सिफारिश करें। दूसरे प्रदेशों का तो मुझे मालूम नहीं लेकिन राजस्थान सरकार के विधि विभाग के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि यहां के विधि विभाग ने उस राय की जांच-पड़ताल की। उसकी जांच करके यह सलाह दी कि इसके खिलाफ सुप्रिम कोर्ट में दावा किया जावे। सुप्रिम कोर्ट का जो फैसला हुआ वह, उपाध्यक्ष महोदय, हम सभी के सामने है। उस फैसले में यह कहा गया कि यह सूट लाई नहीं करता, सूट एण्टरटेन करने के काबिल नहीं है क्योंकि इसमें राज्य सरकार का कोई हित निहित नहीं है, राज्य का कोई इण्ट्रेस्ट इन्वोल्व्ड नहीं है। इस प्रकार का सुप्रिम कोर्ट का फैसला आया जिसमें उस दावे को अनधिकृत दावा

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

मान लिया गया। इसके बावजूद आज तक राजस्थान सरकार के विधि विभाग में वही लोग बैठे हैं जिन्होंने भारत के गृह मंत्री, चौधरी चरणसिंहजी की सलाह को ठीक नहीं समझा था, उचित नहीं समझा था और उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में दावा दायर किया था। क्या जनता सरकार इसी तरह के लोगों से राय लेना पसन्द करती है ? क्या इन्हीं अधिकारियों से अपने विधि विधानों का निर्माण, उनकी जांच, परख कराना, विभिन्न विषयों पर सम्मति और सहमति लेना और विधि-विधान की सारी व्यवस्था और व्याख्या कराना पसन्द करती है ? क्या भविष्य में भी इसी तरह की कार्यवाही पसन्द करेगी ? दूसरा मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि बावजूद इसके कि सुप्रिम कोर्ट ने इस दावे को नोन-मेंटेनेबल ठहरा दिया, आज तक विधि विभाग के उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है जिन्होंने यह सलाह दी थी, जिन्होंने इस प्रकार के दावे की सिफारिश की थी, राय दी थी कि यह सूट लाई करता है और सूट पेश किया जाना चाहिए। उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही नहीं की जिन्होंने सरकार की तरफ से यह दावा पेश करने के लिए खर्चा किया और उस खर्चे की वसूली के लिए कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गई ? जहां तक मेरी जानकारी है, इस मामले में मैंने पूछताछ करने की कोशिश की है, मुझे मालूम हुआ है कि इस तरह से सरकार की तरफ से जिन अधिकारियों ने हजारों रुपयों का नुकसान कर दिया, इस तरह की गलत सलाह दी उन अधिकारियों के खिलाफ जनता सरकार के विधि विभाग ने उंगली भी नहीं उठाई है, कोई कार्यवाही नहीं की है। आज उनके लिए करोड़ों रुपयों की यह डिमाण्ड पेश करना चाहते हैं और करोड़ों रुपये उस विभाग के हाथ में देना चाहते हैं जिसके अधिकारियों की यह स्थिति है। मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि आप डिमाण्ड तो चाहे जितनी ले लें, करोड़ों रुपयों का चाहे और खर्चा किया जावे लेकिन सही हाथों में वह होना चाहिए, जिनके दिमाग दुरुस्त हों, जो कानून की सही तौर पर राय दे सकें, सही तौर पर जो काम चला सकें, उनके हाथ में डिमाण्ड देनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं। यह मामला थोड़ा नाजुक है। अगर ध्यान से श्रीमान् और माननीय सदस्य सुनें तो बेहतर होगा। दो माननीय सदस्य आम चुनाव के बाद अभी चुन कर राजस्थान विधान सभा में आए हैं। पहले जब मैं चुना गया था, बाकी माननीय सदस्य चुने गए थे, उस समय उन सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, उनके हस्ताक्षर कराने के लिए, to make and subscr be the oath, लॉ मिनिस्टर खास तौर पर ध्यान दें और अब अपने ज्ञान का परिचय दें, राज्यपाल महोदय ने संविधान के आर्टिकल 188 के तहत एक आर्डर पारित किया और मेजर फतहसिंहजी को अधिकृत किया, इस बात के लिए अधिकृत किया कि उनके सामने हम ओथ ले सकें, उनके सामने हम उस ओथ को सब्स्क्राइब कर सकें। यह 13 जुलाई, 1977 का आर्डर है और दूसरा आर्डर है वह 23 नवम्बर, 1977 का जारी किया गया है। दूसरे आर्डर में मेजर फतहसिंहजी की जगह महारावल लक्ष्मणसिंह, जो हमारे विधान सभा के अध्यक्ष हैं, का नाम रखा गया। उनको अधिकार इस बात का दिया गया है कि उनके समक्ष विधान सभा के सदस्य शपथ ले सकेंगे to make oath that means

Page No 65

(65)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

not to subscribe the oath यह ड्राफ्टिंग है इस लॉ डिपार्टमेन्ट का। 23-11-77 का राज्यपाल महोदय का ऑर्डर है जो विधान सभा सदस्यों को ओथ लेने के लिए निकाला गया है। कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 188 के तहत है :

'Every member of the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State shall, before taking his seat, make and subscribe before the Governor or some person appointed in that behalf by him an oath or affirmation according to the form set out for the purpose ......"

यह लॉ डिपार्टमेंट की करनी है। इन दोनों व्यक्तियों को श्रीमान् के सामने ओथ लेनी थी उनमें एक तो हमारे मुख्य मंत्री महोदय स्वयं हैं और दूसरे माननीय सदस्य श्री बालकृष्णजी थानवी हैं। इन दोनों को जिस अधिकारी के समक्ष ओथ लेनी थी, जिस अधिकारी के समक्ष शपथ सब्सक्राइब करनी थी उसको आधा अधिकार दिया गया है। हमारे विधान सभा के अध्यक्ष महोदय को सिर्फ यह अधिकार दिया गया था कि उनके समक्ष वे शपथ ले सकते हैं, to make oath not to subscribe oath यदि आप 23-11-77 की चिट्ठी का मुलाहिजा करें और आप 13-7-77 की चिट्ठी का मुलाहिजा करें तो इन दोनों का अन्तर पायेंगे 'to make oath' and 'to subscribe oath'. इन दो व्यक्तियों के लिए जिस व्यक्ति को उसके समक्ष ओथ लेने और सब्सक्राइब करने के लिए अधिकृत किया गया था, उनके ऑर्डर में अन्तर पायेंगे। यह ड्राफ्टिंग उसी लॉ डिपार्टमेंट का था जिस लॉ डिपार्टमेंट के लिए यह डिमाण्ड मांगी जा रही है। उसके बाद, मान्यवर, एक गजट जारी होता है। गजट में निकला है इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। गजट जारी हुआ उसमें लिखा गया कि इन्होंने शपथ ली। यह फंक्शनिंग है इस डिपार्टमेंट का। कोई छोटा मोटा मामला नहीं है एक ऐसा मामला है जिसमें अगर लेकुना पाया गया अगर डिफाल्ट पाया गया तो शायद इस सदन के स्वरूप को बदल दे शायद इस प्रदेश के स्वरूप को बदल दे। तो इस तरह की हालत इन अधिकारियों की है। कितना उनका ज्ञान है? कैसा उनका काम करने का तरीका है? मान्यवर, आप विचार कीजिए, यह करते क्या हैं। इतना रुपया इनके हाथ में रखते हैं तो पहले इनके दिमाग को कसौटी पर परख कर इन्हें रखें। इनके कार्य का आज यह परिणाम है।

मान्यवर, जहां तक विधि विभाग का सवाल है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले दिनों हाई कोर्ट में दो डिप्टी गवर्नमेन्ट एडवोकेट का अपाइंटमेन्ट हुआ। इसके लिए एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में जाकर पैरवी करता है, केसेज को देखता है, उसी व्यक्ति को कोई भी आदमी उच्च न्यायालय में अपने केस के लिए नियुक्त करेगा लेकिन राजस्थान सरकार उच्च न्यायालय में ऐसे व्यक्तियों को अपने केसेज की पैरवी करने के लिए नियुक्त करती है जिन्होंने पहले उच्च न्यायालय में कभी भी पैरवी नहीं की है। तजुर्बा रखना अलग बात है और पैरवी करना अलग बात है। परन्तु इन व्यक्तियों ने आज तक उच्च न्यायालय में पैरवी नहीं की है। आखिर यह क्यों है? क्या विधि मंत्री अपने मनमाने तरीके से, अपने मिलने वाले व्यक्तियों का ही अपाइन्टमेन्ट करेंगे? प्रदेश की जनता का राज्य सरकार रिप्रजेन्टेशन करती है,

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

क्या उसके हित के संरक्षण के लिए, उनके हितों की सुरक्षा के लिए ऐसे व्यक्तियों को नियुक्ति दे देंगे जिनको कभी भी उच्च न्यायालय में काम करने का तजुर्बा नहीं है। ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

विधि मंत्रीजी के कृपा-पात्र हैं इसलिए उनमें सारा ज्ञान पैदा हो गया ?

मान्यवर, अभी मैंने विधि विभाग के ये कुछ नमूने आपके समक्ष पेश किए हैं। आप आज्ञा दें, न्याय प्रशासन के बारे में थोड़ी सी बातें और निवेदन कर दूं। आप स्वयं वकालत करते हैं, वकालत के पेशे से संबंधित रहे हैं। तो आप यह महसूस करते होंगे कि पिछले कई दिनों से राजस्थान के उच्च न्यायालयों में जजों की जगह खाली है। यह खाली जगह कोई दो, चार, पांच महीने से नहीं है, काफी लम्बे अर्से से खाली पड़ी है। इसके कारण हाई कोर्ट की कोई डिविजन बेन्च नहीं बन पाती है। सिंगल बेन्च बन जाती है तो एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर ही निकल पाता है। इस तरह से उच्च न्यायालय का 95 पर्सेंट काम रुका पड़ा है। मेरा निवेदन है, मान्यवर, विधि विभाग में जो बैठे हैं, वे क्यों नहीं जजों की नियुक्ति करते हैं ? जनता को सुलभ और सस्ता न्याय दिलाने की हमने घोषणा की है; परन्तु जनता पार्टी के शासन में आने के बाद, यह काम क्यों रुका पड़ा है ? जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देने के लिए माकूल व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही है ? इसलिए, मान्यवर, मेरा निवेदन है कि विधि विभाग की डिमाण्ड के ऊपर विचार करते समय आप निश्चित तौर पर यह विचार करें कि आज जनता को सब से अधिक आवश्यकता है रोटी की, आजादी की तो न्याय की भी उतनी ही आवश्यकता है। इसको हमने अपने कांस्टीट्यूशन में भी क्लियर किया है। सिर्फ घोषणा-मात्र कर देने से ही काम नहीं चलेगा। उस घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार को व्यवस्था करनी होगी। क्या हम उस तरह की व्यवस्था कर पा रहे हैं ? क्या आपका यह विधि विभाग इस तरह की व्यवस्था करने में लगा हुआ है ? क्या वह अपना दिमाग, सिर इसके लिए लगा रहा है ?...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन सब बातों को देख कर विचार कर के हमें यह डिमाण्ड पारित करनी चाहिए।..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मेरा दूसरा निवेदन पुलिस विभाग के बारे में है। दूसरे मौके पर भी कह सकता हूं लेकिन बजट की आम बहस के वक्त मैंने यह निवेदन किया था कि विकास और सुरक्षा, ये राज्य सरकार के दो प्राथमिक कर्त्तव्य हैं। पहला प्राथमिक कर्त्तव्य सुरक्षा है। मान्यवर, यदि आप देखें, सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, प्रदेश के हर नागरिक में आज यह भावना है, कि इससे बेहतर तो इमर्जेन्सी थी। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज यह आम चर्चा है; कहीं भी चले जाइये, लोग इस तरह की चर्चा करते हैं। क्या जनता ने हमारी घोषणाओं पर विश्वास कर के इसलिए यहां पर भेजा है ? उसकी आशा, आकांक्षा को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद उसकी सुरक्षा भी नहीं कर पायें तो क्या यह उचित है ? सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, एक सुझाव, मान्यवर, मैं आपकी मार्फत

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
राज्य सरकार को और मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। थानों को आप ठेके पर उठावें तो बेहतर व्यवस्था होगी ? जैसे जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी है, चोरी हो जाती है तो वह कम्पेन्सेशन देती है। परन्तु कम्पेन्सेशन पर विचार करते समय, देते समय, वह उसकी तफतीश में जाती है, सारे कारणों की जांच करती है। आप जनरल इन्श्योरेन्स की तरह माकूल व्यवस्था कर दें। चोरी हो जाय, पुलिस अधिकारी द्वारा चोरी पकड़ी जाय या नहीं पकड़ी जाय, लेकिन उसको रुपया दे दिया जाए जिसके यहां चोरी हुई है। आज यह रोग बढ़ रहा है। कोई हत्या हो जाए तो कोई कम्पेन्सेशन नहीं होता। पुलिस की तरफ से कार्यवाही नहीं होती। पकड़ा जाए या न पकड़ा जाए, वे निश्चित रहते हैं। मैं मेरे क्षेत्र की बात यहां पर निवेदन करना चाहता हूं। मूलचन्द नाम के एक व्यक्ति की हत्या हुई। आज तक पुलिस को उस हत्या का सुराग नहीं मिला, पता नहीं लगा। इसी प्रकार मेरे क्षेत्र में दो व्यक्ति गायब हो गए एक सन् 75 में. . . .

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी चोरी का क्या हुआ ?

श्री बजरंगलाल शर्मा : गृह मंत्रीजी चेष्टा कर रहे हैं।

मान्यवर, एक महिला निर्मला देवी 24-10-75 को पानों का दरीबा से गायब हुई। उसका आज तक पता नहीं लगा। 25-10-75 को रिपोर्ट दी, केस रजिस्टर नहीं किया। छः महीने बाद केस रजिस्टर किया गया। मई, 1976 में यह केस रजिस्टर हुआ है। अभी तक उस महिला का पता नहीं है। बीच बीच में उसके घर वालों ने कोशिश की, पता लगाया और पुलिस को बताया कि दिल्ली में है, गुड़गांव में है। परन्तु इस सम्बन्ध में आज तक कोई कामयाबी पुलिस हासिल नहीं कर सकी है। पुलिस ने उसको बरामद करने के लिए कोई चेष्टा नहीं की है। इसी प्रकार 1-7-76 को एक व्यक्ति, जो सब एजेण्ट टेलिफोन सुपरवाइजर है, की पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका पति गायब है। परन्तु आज तक उस व्यक्ति का पता नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष : शीघ्र समाप्त करें।

श्री बजरंगलाल शर्मा : थोड़ा सा और निवेदन करना चाहता हूं।

इस प्रकार, मान्यवर, महिला, पुरुष गायब हुए परन्तु आज तक पुलिस उनकी तलाश नहीं कर सकी। यह पुलिस हमारे शरीर की हिफाजत नहीं कर सकी। उस महिला की तलाश नहीं कर पायी।

मान्यवर, चोरियों का जहां तक सवाल है, प्रतिदिन यहां जो समाचार आ रहे हैं, उनसे यह महसूस हो रहा है कि आज लोगों की जान के साथ-साथ माल भी सुरक्षित नहीं है। मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, ऐसा प्रतीत होता है, जैसे चोर और पुलिस की आपस में सांठ-गांठ है। आज चोरों को पुलिस से कोई भय नहीं है। चोर चोरी कर ले, इसके लिए उसके पास लाइसेन्स है। उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। परन्तु साथ-साथ उनमें यह समझौता है कि हत्या मत करो। इस प्रकार चोर पुलिस पर मेहरबानी करता है। चोरी करता है, हत्या नहीं करता है। पुलिस उस पर मेहरबानी रखती है कि चोर को चोरी करने देती है।

Page No 68

(68)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

चोरों में भय नहीं है। पुलिस उनको पकड़ने की कोशिश नहीं करती है। मेरा निवेदन है, गृह मंत्रीजी, आप इस चनौती को स्वीकार करें और यह देखें कि कितनी चोरियां, हत्याएं, हुई ? इनमें से पुलिस ने कितनी चोरियों का पता लगाया ? उनका पर्सेन्टेज क्या आया। अगर इसमें आप ग्रेस से भी पास हो जाएं तो मैं यह मानूगा कि गृह मंत्रीजी कामयाब हैं। तो आप इन सबका हिसाब लगा लें कि कितनी चोरियां हुईं, कितना माल बरामद हुआ और कितना पर्सेन्टेज उसका आया ? इसी प्रकार कितनी हत्याएं हुईं, कितने आदमी उसमें पकड़े गये ? कितने गायब हुए, उनमें से कितने वापस आ गये ? कितनी हत्याओं का पता लगा कर, कितने दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाई गई ? इसके पर्सेन्टेज को आप देखें और अगर इसमें ग्रेस से भी पास हो जाते हैं तो मैं आपको कामयाब मानूंगा।

मेरा यह निवेदन है कि जनता की सुरक्षा करना, जनता को शीघ्र और सस्ता न्याय दिलाना, किसी भी राज्य का पहला कर्त्तव्य है। इन सब बातों पर विचार कर के, आप इन डिमाण्ड्स को पारित कराना चाहते हैं, तो मेहरबानी कर के इसकी जांच होनी चाहिए कि सही हाथों में यह रुपया रखा जा रहा है, जो लोग यह सारी व्यवस्था को देख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने अधिक समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री गिरधारीलाल भार्गव। आपके बोलने से पूर्व, एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया है, उसके बारे में मैं व्यवस्था देना चाहता हूं।

व्यवस्था

मांग संख्या 12 का पारण

मांग संख्या 12 वाद-विवाद के बाद स्वीकार की गई, उसके बारे में मैंने सदन की कार्यवाही का विवरण देखा है। उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, इस मांग के बारे में स्वीकृति प्रदान करें। अतः जो आपत्ति बता रहे हैं, उसको मैं निर्मूल मानता हूं। उस आपत्ति को स्वीकार करने में, उस पर चर्चा करने के लिये समय देने में मैं असमर्थ हूं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा नहीं उठाएंगे। परन्तु इसमें ना पक्ष को नहीं पूछा गया। केवल हां पक्ष को ही पूछा गया। यह तो कोई प्रथा नहीं है। हां पक्ष को ही पूछा गया। ना पक्ष को तो पूछा ही नहीं गया...

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : डागा साहब ने नो नो कहा था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री गिरधारीलाल भार्गव।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (किशनपोल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय ......

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप हां पक्ष को पूछते ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अब आपका वक्त जा चुका है।

श्री रामनारायण चौधरी : आ रहा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जा चुका है।

श्री मूलचन्द डागा : ना पक्ष के प्रति आप आदर की भावना रखिये।

मांग संख्या 6 व 16 पर विचार

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि

(श्री गिरधारीलाल भार्गव) हमारे राज्य में ऐसा लगता है कि अपराधों का पूर्व नियोजित आयोजन है। ऐसा लगता है कि उसमें उस पक्ष के लोग मिले हुए हैं, लगातार जो चोरियां हो रही हैं ......

श्री मूलचन्द डागा : बाप रे बाप। यह तो बड़ा भारी ऐलीगेशन है हमारे ऊपर। यह क्या हुआ ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह क्या कह रहे हैं आप।

श्री मूलचन्द डागा : आप यह किस आधार पर कह रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द डागा : श्री गिरधारीलाल भार्गव हम पर एलीगेशन लगा रहे हैं फिर उजला अरोड़ा उनका जरूर समर्थन करेंगी। यह क्या बात हुई ?

श्रीमती उजला अरोडा : मैं तो अभी बोली ही नहीं हूं।

एक माननीय सदस्य : यह तो आप उनके घर की बात कह रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन करना यह है कि आज लोगों में बड़ा भय है। पुलिस की अकर्मण्यता के कारण जनता पार्टी की जो इमेज होनी चाहिए ......

श्री खेतसिंह राठौड़ : वह खतम हो गई है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : खतम तो नहीं हुई है। यह भावना आप पैदा करने जा रहे हैं। आप इससे यही बताना चाहते हैं कि आपातकालीन स्थिति अच्छी थी। 19 महीने तक आपने लोगों के मुंह बन्द रखे हैं, प्रेस पर ताला रखा है लेकिन अब लोगों की आकांक्षाएं जागी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि एक संसदीय कमेटी इस प्रकार की बना दी जाये जो कि समय-समय पर इस पर विचार करे। उसमें पुलिस अधिकारी भी बैठें। वह अपने सुझाव दें। दूसरा यह सुझाव है कि उस कमेटी के जो फैसले हों उन पर यहां विचार किया जाये। इसके साथ ही जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उन अपराधों के लिए जिम्मेदार लोगों को दण्डित किया जाना आवश्यक है। यदि यह प्रक्रिया नहीं रहे तो उचित नहीं रहेगा। मैं, गृह मन्त्रीजी, आपसे निवेदन करूंगा कि पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अपना रवैया बदलना चाहिए। पिछले समय में जो इन कांग्रेसियों से मिलजुल कर काम कर लिया करते थे, वैसा नहीं करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपके टाइम में यह ज्यादा है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा यह निवेदन है आखिरकार जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं पनपाया जा सकता। जिन लोगों के मुंह में खून लग रहा है जनता सरकार के समय में उनको सादा भोजन दिया जा सकता है। वह सादा भोजन ही दे सकती है। इसलिए पुलिस के रवैये में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

आखिरकार पुलिस में भी गरीब कर्मचारी हैं। उनकी भी कई समस्याएं हैं। अन्य राज्यों के मुकाबले में उनका वेतन कम है। यहां पर उनको प्रशिक्षण भी अच्छा नहीं दिया जाता है। मैस अलाउन्स लाइन में 22 रु. और थानों में 17 रु. ही दिया जाता है। पुलिस में 24 घण्टे ड्यूटी देनी

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

पड़ती है । होली दिवाली को भी कोई छुट्टी नहीं । इस कार्य का भत्ता अलग से दिया जाना चाहिए । मेरा यह भी निवेदन है कि आई. जी. और एस. पी., डी. एस. पी. की गाड़ियां जरूरी नहीं हैं । थाने में गाड़ियां होना जरूरी ह क्योंकि तफतीश आदि के लिये उनको तुरन्त जाना पड़ता है । अगर आई. जी. और एस. पी. को कहीं जाने की जरूरत है तो वह थाने से गाड़ी मंगा सकते हैं ।

श्री मदनसिंह दांता : राजस्थान में 3000 थाने हैं ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : आई. जी. को साइकिल दे दें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जयपुर में 10 थानों में दो स्थानों पर जीप गाड़ियां हैं । बाकी में नहीं हैं ।

श्री रतनाराम : गांवों में थानों में क्या है ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वर्दी के बारे में मैं निवेदन करूंगा, 45 रुपये एक थानेदार को, एक एस. आई. को दिया जाता है । आप चाहते है, वर्दी वह स्वयं बनवायें, मेण्टेन वह स्वयं करें, बूट पालिश वह स्वयं करें । इसके विपरीत 300/- रु0 डी. एस. पी. को और 400/- रु0 एस. पी. को दिये जाते हैं । गरीब सिपाही को कुछ नहीं दिया जाता है । सिपाहियों को वर्दी अलाउन्स के रूप में विशेष रूप में कम से कम 15/- रु0 देने चाहिएं । उनके रहने की व्यवस्था अच्छी नहीं है । पुलिस विभाग में एम्बूलेंस की व्यवस्था नहीं है । अगर पुलिस के पास एम्बूलेंस व्यवस्था हो तो वह तुरन्त पहुंचकर सहायता दे सकती है ।

धौलपुर आर. ए. सी. में ओपन शैड कर दिया गया । जयपुर में जो शैड थे उनको खाली करने के आदेश कर दिये गये हैं । राजस्थान सरकार इतनी अनुदारता करके पुलिस का उपयोग नहीं कर सकती है । इसलिए मेरा निवेदन है कि एक अलग से ग्रीवेंसेज कमेटी बनाई जाय । आप अलग से एक एस. पी. को लॉ एण्ड ऑर्डर का काम सौंप दीजिए । क्राइम्स का अलग से विभाग बना दीजिए । सिपाहियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत कीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं ।

श्री नूरा : ये भार्गव साहब बहुत टाइम ले लेते हैं ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यह आसन की जिम्मेदारी है ।

मैं निवेदन करूंगा कि एक अलग से डाग स्क्वाड था । उसके लिए अलग से एक व्यक्ति को विशिष्ट ट्रेनिंग दी गई थी । उसे अब आमेर थाने का इन्चार्ज बना रखा है इसलिए डॉग स्क्वाड ठप्प पड़ा है ।

मेरा निवेदन है आदर्श थाने बनाने चाहिएं । आज थानों में जो रिपोर्ट करते हैं, वह पुलिस के पीछे-पीछे घूमते फिरते रहते हैं ।

कन्वेयेन्स अलाउन्स भी ठीक नहीं मिलता है । वेतन और अलाउन्स के बारे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में जो राणावत वेतन आयोग ने रिकमण्डेशन की थी उसके अनुसार भी उन्हें नहीं मिलता। उनको सवारी और सिटी का विशेष अलाउन्स मिलना चाहिए।

इसी प्रकार से 1950 में सी. आई. डी. के अन्दर स्पेशल वेतन के रूप में 10, 20, 15 और 25 रु० कांस्टेबल, हैड कान्स्टेबल और एस. आई. व इन्सपेक्टर को दिये जाते थे लेकिन.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे लोगों को यह पैसा नहीं दिया जा रहा है।

अब मैं न्याय प्रशासन के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा। जयपुर में जो रेवेन्यू बोर्ड की बैंच है उसमें केवल सैल्स टैक्स के ही केसेज सुने जाते हैं और बाकी केसेज के लिए अजमेर जाना पड़ता है। अजमेर में ही सारा निर्णय होता है। यहां पर अगर रेवेन्यू बोर्ड की बैंच आ जाती है तो प्राथमिक केसेज भी यहां सुने जा सकते हैं। इसलिए मेरी मांग है कि रेवेन्यू बोर्ड की बैंच यहां पर होनी चाहिए।

इसी प्रकार से हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की जगह खाली पड़ी हुई हैं। हाई कोर्ट में इसकी वजह से हालत बहुत खराब हो रही है, इसलिए इस सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, सत्र न्यायालयों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि इनको एक ही स्थान पर एकीकृत करने के लिए जो हाई कोर्ट का दफ्तर है, सचिवालय के पास वहां पर ले जाना चाहिए, जिससे जनता को कोई परेशानी न हो और वकीलों को भी दिक्कत न हो। इसलिए मेरी यह मांग है कि सत्र न्यायालयों को भी हाई कोर्ट के दफ्तर में जहां पर हाई कोर्ट की बिल्डिंग है वहां पर ले जाया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अन्त में न्यायालयों के अन्दर जो भ्रष्टाचार है उसके सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं। वहां पर हर जगह भ्रष्टाचार है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि गृह मन्त्री महोदय पुलिस के कर्मचारियों की और सी. आई. डी वालों की जो मांगे हैं निश्चित रूप से उनको राहत देने के लिये, उनको मानने की और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए घोषणा करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले पुलिस के सम्बन्ध में और बाद में न्याय प्रशासन के सम्बन्ध में निवेदन करूंगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस विभाग के नाम से लोग एक अजीब अहसास करते हैं। अंग्रेजों के जमाने से जो पुलिस की प्रतिष्ठा बनी हुई है वह प्रतिष्ठा नहीं बल्कि अप्रतिष्ठा है, इसलिए इसका नाम बदला जाना चाहिए। साथ ही में मैं इस विभाग के संगठन .....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : क्या नाम रखा जाना चाहिए?

श्रीमती उजला अरोड़ा :...के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि जब तक पुलिस संगठन ठीक नहीं होगा तब तक काम अच्छे ढंग से नहीं चल सकता। मैं एक बात कहना चाहूंगी कि पुलिस प्रशासन को पिछले दिनों आपातकाल के दौरान असीमित अधिकार मिल गये जिसकी वजह से बहुत ज्यादतियां भी हुई। वर्तमान में उनको वे अधिकार नहीं हैं इसलिए उनके काम में कुछ शिथिलता आई है, पहले लोगों के अन्दर आतंक का वातावरण था। आजकल पुलिस प्रशासन में जो शिथिलता देखने में आ रही है उसी शिथिलता के कारण अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसमें कुछ तत्व ऐसे हैं जो जनता सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी वजह से काम अच्छा नहीं हो रहा है। ऐसे गलत काम करने वालों को दण्डित किया जाना चाहिए। साथ ही उनमें बहुत से ऐसे हैं जो अच्छा काम करते हैं उनको प्रोत्साहन देना चाहिए और पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इसमें कोई रेडिकल चेन्जेज किये जाने चाहिएं जिससे जनता पार्टी की सरकार की लोकप्रियता बढ़े और लोगों के अन्दर से भय और आतंक की भावना दूर हो।

इसी के साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि पुलिस के अधिकारियों का वेतन बहुत कम है, अन्य राज्यों की अपेक्षा बहुत कम है और यह गलत है। उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स भी नहीं दिया जाता जबकि वे सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं और कड़ी मेहनत करते हैं। उनको अच्छे ढंग से प्रशिक्षित भी नहीं किया जाता। पुलिस के प्रशिक्षण केन्द्र भी बहुत कम हैं। उनका प्रमोशन कैडर कोर्स चलाया जाना चाहिए, रिफरेशर कोर्स की व्यवस्था होनी चाहिए।

इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि पिछली सरकार ने 1976 में एक ओपन केन्द्र कैम्प खोला था कैदियों की मानसिक मनोवृत्तियों को बदलने के लिये। उसको फिर से चालू किया जाना चाहिए।

अंगुली चिन्ह ब्यूरो के बारे में निवेदन करना चाहती हूं कि उसमें उचित साधनों का अभाव है। उसको उचित साधन उपलब्ध कराये जाने चाहिएं। अंगुली चिन्ह पर्णियों का रिकार्ड रखा जाना चाहिए। इस तरह का प्रशिक्षण हमारी पुलिस को अच्छी तरह से और उचित मात्रा में दिया जाना चाहिए तभी हमारे पुलिस अधिकारी और कर्मचारी अच्छी तरह से काम कर सकेंगे।

मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि इन लोगों को तनख्वाह भी देरी से मिलती है। बड़े-बड़े अधिकारियों को तो एक तारीख की तनख्वाह मिल जाती है लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनको 12-13 तारीख को तनख्वाह मिलती है, यह बहुत गलत है। इस प्रकार गरीब लोग किस प्रकार से अपना काम चलावेंगे। एक ओर तो आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि काम अच्छा करें और भ्रष्टाचार न हो दूसरी ओर जब उनकी जेब में पैसे नहीं रहेंगे तो वे क्या काम करेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनको तनख्वाह टाइम पर और पूरी मिलनी चाहिए, अधिक मिलनी चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि इन लोगों को और अधिक सुविधायें दी जानी चाहिएं। इनको बहुत कम आवास की सुविधायें हैं, फैमिली के लिये आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बैरक्स में रहते हैं, वहां कोई उचित व्यवस्था नहीं है, पूरा पानी नहीं

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मिलता, बिजली नहीं मिलती, पंखे नहीं हैं, हवा नहीं है, चारपाई की व्यवस्था नहीं है, भोजन भी ठीक मात्रा में नहीं मिलता, ऐसी अवस्था में उनसे इस प्रकार की अपेक्षा करना मैं समझती हूं गलत है। मैं माननीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि इन सबके लिये वे उचित व्यवस्था करने की कृपा करें। थानों के अन्दर स्टाफ की बहुत कमी है। 12 आदमी लगाये जाते हैं, उनमें चार लोग बाहर ड्यूटी पर रहते हैं, दो केसेज लिखने वाले होते हैं

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो तीन छुट्टी पर चले जाते हैं, फिर हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं वे कि काम अच्छा करेंगे इसलिए थानों के अन्दर स्टाफ बढ़ाया जाना चाहिए।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे जो सुझाव हैं वे मान लिये जायें तो काम अच्छा हो सकता है। मुझे थोड़ा समय और . . . . .

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप अपना समय ले चुकी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं जल्दी ही अपना भाषण समाप्त करूंगी।

मैं निवेदन कर रही थी 22 रुपये मेंस वालों को और 17 रुपये थाने वालों को दिये जाते हैं, यह असमानता क्यों ? जो एल. डी. सी. का काम करते हैं, लिखने का उनको कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता। यह असमानता दूर की जानी चाहिए और उनको भी अलाउन्स दिया जाना चाहिए।

पिछले एक पखवाड़े के अन्दर 11 चोरियां हुई हैं, और वह भी गलियों में नहीं बल्कि मुख्य सड़कों पर, यू. पी. हैण्डलूम और ऐसी कई जगह चोरियां हुई हैं जो मुख्य सड़कों पर हुई हैं। ऐसे कई स्थान हैं जहां पर गश्त ठीक प्रकार से नहीं की जाती है। मेरे प्रश्न के उत्तर में चोरियों के आंकड़े दिये गये थे। मैं पूछना चाहती हूं कि रामगंज थाने के अन्दर 72 चोरियां लिखाई गई जिनमें से एक का भी पता नहीं लगा। इस तरह की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए।

मेरे क्षेत्र में, निवेदन करना चाहूंगी कि बहुत से पुलिस के लोगों की अकर्मण्यता और शिथिलता के कारण . . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

किसी को भी रात को लोग चाकू मार देते हैं। कई लोगों के 12-13 टांके आये हैं। ऐसे लोग हैं जो आतंक पैदा करते हैं और इस प्रकार के काण्ड करते हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस प्रकार के जो गलत तत्व हैं उनको ठीक किया जाना चाहिए।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि सतर्कता . . . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

समितियों की बैठक बराबर होनी चाहिए। लोग शराब पीकर अपराध करते हैं, इसलिए इसकी उचित व्यवस्था करनी चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि छुआछूत के सम्बन्ध में अपराध बढ़े हैं। छुआछूत के सम्बन्ध में जो नियम बने हुए हैं उनका पालन किया जाना चाहिए अगर ऐसा हुआ तो मैं समझती हूं कि इन अपराधों की संख्या में कमी आयेगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप दस मिनट ले चुकी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मेरे क्षेत्र में पांचो बाई की हत्या हुई। इसी शहर में 26 तारीख को जसवीरसिंह लड़का गायब हो गया। एक रिक्शा चालक को पांच बत्ती पर रोडवेज की बस ने कुचल डाला। उसके बीबी बच्चे है, कमाने वाला कोई नहीं है। सरकार की ओर से उनको कोई संरक्षण और सहायता नहीं दी गई।

अपराधों में वृद्धि हो रही है, उसकी रोकथाम शीघ्र की जानी चाहिए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि पुलिस अधिकारी अपने रवैये को बदलें और सही रूप से जनता को सुविधायें उपलब्ध करायें। पिछले सत्र में माननीय केदार नाथजी, जो बहुत ही सीधे सादे मंत्री हैं, ने कहा था कि मैं 8 दिन में गुंडागर्दी खतम कर दूंगा, लेकिन खतम नहीं हुई, बल्कि दिन-रात बढ़ती जा रही है। शीघ्र उनके आश्वासन की क्रियान्विति की ओर कदम उठायें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको अधिक समय नहीं दे सकता।

श्रीमती उजला अरोड़ा : दो-तीन शब्द बोलकर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी।

उपाध्यक्षजी, हमारे यहाँ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं होती, मुन्सिफी व जुडिशियरी बेकार पड़ी हुई है, बड़ी संख्या में केसेज पैन्डिंग हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति शीघ्र होनी चाहिए। हाई कोर्ट में भी जजेज की नियुक्ति शीघ्र होनी चाहिए। पी. एस. सी. जितना जल्द हो चयन करे और सरकार नियुक्तियाँ करे जिससे पैन्डिग केसेज का निपटारा हो सके। मैं विधि मंत्री से निवेदन करूंगी कि इसका मूल्यांकन करना चाहिए कि केसेज इतने समय से क्यों पड़े हुए हैं ? सस्ता न्याय सुलभ न्याय दिलाने की जो बात कही जाती है, इस तरह के वातावरण में कहाँ तक सही हो सकती है। जब न्यायाधीश नहीं होंगे तो न्याय कहाँ मिलेगा। इस पैटर्न को बदला जाए जिससे जल्दी और सस्ता न्याय मिले।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गुलमोहम्मद !

श्री गुल मोहम्मद (जौहरी बाजार, जयपुर): माँग संख्या 6 के बारे में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी पुराने केसेज पैन्डिग पड़े हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाना चाहिए। इसके लिए कोई अवधि मुकर्रर होनी चाहिए। कुछ वर्ष पहिले एक मकान का झगड़ा हो गया। मकान मालिक ने मकान खाली कराने के लिए दावा दायर किया कि मेरे लड़के की शादी होने वाली है इसलिए मुझे मकान खाली करवाने की जरूरत है। वह केस आज तक चल रहा है जबकि मकान मालिक के लड़के की शादी हो गई, उसके लड़का भी हो गया और उसकी भी शादी हो रही है लेकिन उस केस का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। यह कथन भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री त्यागीजी का है जो हाई कोर्ट के उद्घाटन के समय जयपुर में कहा था। इस तरह के कई केसेज हैं।

इसके अलावा अदालतों में जिस तरह से घूस ली जाती है, कोई भी सदन का सदस्य उससे अनभिज्ञ नहीं है। मुकदमें चलते हैं, केवल तारीख लेने के लिए भी 5-5 10-10 रुपया चुपचाप घूस चलती है

(श्री गुल मोहम्मद)

इसके लिए कड़े कदम उठाये जाने चाहिए ताकि घूसबाजी बंद हो।

पुलिस विभाग के लिए मैंने गत सत्र में भी कहा था कि जितने पुराने अधिकारी बैठे हुए हैं उनको तुरंत रिमूव किया जाए, हटाया जावे। मैं अपने क्षेत्र जवाहर नगर कालोनी के बारे में कहता हूं कि वहां इस कदर चोरियां हुई कि वहां के निवासी घबरा गए और कहने लगे कि हम किस तरह से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। क्या अपने घर छोड़कर बाहर चले जाएं? तोपखाना हुजूरी चौकड़ी के अन्दर चोरियां होती हैं। घाट गेट पर गुंडागर्दी होती है। चोरियों का तांता बंधा हुआ है। जब पुलिस अधिकारी चोरों पर काबू नहीं पा सकते तो फिर वे किस मतलब के हैं? क्यों उनको बिठा रखा है? उनको तुरंत हटाया जाए और जो काबिल आदमी हैं, जो चोरियों को रोकने की क्षमता रखते हों, उनको ही उनकी जगह लाया जाए। यहां पर 8-8, 10-10 साल से पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं।

कुछ समय पहले मैंने पिछली बार पुलिस मांग पर बोलते हुए कहा था कि यहां की पुलिस जनता की पुलिस नहीं है, यह कांग्रेस की पुलिस है डंड की पुलिस है, संजय और इन्दिरा गांधी के चमचों की पुलिस है। पिछली बार मैंने कहा था, भूतपूर्व गृह मंत्रीजी को पत्र लिखा था कि यहां से इन अधिकारियों को चेंज किया जाए। मैं जयपुर के एस. पी. की बात बताता हूं कि आज भी जब जनार्दनसिह गहलोत उनसे मिलने के लिए आते हैं, तो वह उनको ऊपर से नीचे तक छोड़ने जाते हैं और नीचे उनको सेल्यूट मारकर ऊपर जाते हैं। जयपुर के डी० आई० जी० के मकान पर देखें तो वहां 50-50 आदमी अर्दली में खड़े रहते हैं। क्यों? क्यों पुलिस चोरियां पकड़ने में सक्षम नहीं है? डी० आई० जी० के मकान पर पुलिस को हाजिरी देने के लिए खड़ा कर रखा है। उनके पशु व पक्षियों की देखभाल करते हैं। उनके पशुओं को पशु चिकित्सालय तक चिकित्सा के लिए ले जाते हैं। सरकारी वाहन के पैट्रोल का खर्चा होता है। वाहनों का दुरुपयोग होता है। गाड़ियों में पशुओं को बिठाकर अस्पताल तक ले जाते हैं। जयपुर के डी. आई. जी. क्या इन्सानों के लिए कुछ कार्य नहीं कर सकते? उनके घर पर पशु व पक्षियों की देखभाल करने का वे काम करते हैं। यदि वे पशु-पक्षियों के लिए ही सब-कुछ करना जानते हैं, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक नई पोस्ट क्रिएट करके उनको पशुओं का डी. आई. जी. बना दिया जाए और किसी काबिल नये आदमी को इन्सानों का डी. आई. जी. बनाया जाए। जब वह चोरियों व गुंडागर्दी पर काबू पाने में सक्षम नहीं है तो हम किसके पास कहने के लिए जायें? नीचे के अधिकारी सुनते नहीं, ऊपर वालों से कहते हैं, तो वे नीचे वालों के पास भेज देते हैं। कुछ समय पहले जवाहर नगर में कुछ चोरियां पकड़ी गई, उनमें एक पुलिस अधिकारी का लड़का भी शामिल था। तोपखाना हजूरी में आर. ए. सी. के कपड़े पहनकर 8 आदमियों का गैंग वहां पर रात को चोरियां करता था। जब मोहल्ले वालों व हमने गश्त लगाने के लिए थाने वालों से कहा तो कहा कि गश्त लगाने के लिए इंतजाम नहीं है। तो फिर आप थाने में क्यों बैठे हो? आप गश्त का इंतजाम करें। हमारे यहां पुलिस के पहरे के बावजूद चोरी करते एक आदमी को पकड़ा गया। उसको

(श्री गल मोहम्मद)

पकड़ कर थाने पर पुलिस को भेजने के लिए कहा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास इस समय कोई आदमी नहीं है । तो फिर यादगार फोन करके वहाँ से पुलिस बुलाई और उस आदमी को उनके हवाले किया । जाँच-पड़ताल हुई तो पता चला कि वह आदमी आर. ए. सी. के अन्दर भंगी है । पुलिस द्वारा कहा गया कि उसका दिमाग खराब है । यह कह कर छोड़ दिया । इस तरह की जो कार्यवाही करते हैं, वे गलत आदमी हैं, उनको वहाँ से हटाना पड़ेगा । अगर नहीं हटाया गया, तो यहाँ का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जावेगा ।

जयपुर शहर में आपने देखा होगा कि कई विधायकों के यहाँ चोरियाँ हुई । उपाध्यक्षजी, कल आपके यहाँ भी चोरी हो सकती है। जयपुर रेंज के जो डी. आई. जी. हैं वह तो आई. जी. के आदेश, और गवर्नमेन्ट के आदेशों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, यह तो यहाँ की व्यवस्था है । डी. आई. जी. के चिड़ियाघर को आप देखेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि किस तरह से कितने पशु पक्षी उन्होंने पाल रखे हैं, 50-60 आदमी अर्दली में खड़े होकर इंतजाम करते हैं । एक पुलिस अधिकारी अपने घर पर 50-60 आदमी घरू काम के लिए रख सकता है, लेकिन चोरियाँ पकड़ने के लिए गश्त नहीं बढ़ा सकता । इसलिए मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हू कि मैंने जो बातें कहीं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जयपुर में जितने पुलिस अधिकारी हैं, उनको रिमूव करें । जब वह सक्षम नहीं हैं कोई काम करने में, चोरियां व डकैतियाँ पकड़ने में तो क्यों नहीं उनको हटाया जाता है ? इस समय आतंक व भय का वातावरण फैला हुआ है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश ।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में न्याय, पुलिस विभाग की माँगों पर बहस चल रही है । उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान में जो न्याय जनता को मिल रहा है वह पर्याप्त नहीं मिल रहा है । आज हमारे प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता गाँवों में रहती है । ग्रामीण न्याय के लिये शहरों में आते हैं पर उनको सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है । आज वर्षों से लोग अदालतों के चक्कर काट रहे हैं और उसमें पैसा खर्च कर रहे हैं पर उनके मुकदमों का फैसला नहीं हो पाता है । इससे उनके समय और पैसे दोनों की बरबादी हो रही है। इसलिये आज जनता में भयंकर रूप से असन्तोष फैला हुआ है । यही कारण है कि जनता में आज अदालतों के प्रति जो सम्मान होना चाहिये वह नहीं है । वर्तमान समय में गरीब व्यक्ति को न्यायालय में न्याय नहीं मिलता । वकील लोग तथा इन कोर्ट्स में जो काम करते हैं वे पैसा बना रहे हैं। इससे काश्तकार वर्ग के जो लोग गाँवों से आते हैं अधिकांश में उन्हीं लोगों के मुकदमे अदालतों में चल रहे हैं । इसमें पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है । लोगों को अपनी पेशी की तारीख बदलवाने के लिये, मुकदमों के अन्दर अपने फेवर मे फैसले कराने के लिये पैसे देने पड़ते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं ही नहीं जानता बल्कि सदन में जो माननीय सदस्य बैठे हैं वह सभी लोग भलीभांति इस बात से परिचित हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान पद्धति जो चल रही है न्याय दिलाने की, वह दोषपूर्ण है। इसी के कारण वर्षों तक मुकदमों के फैसले नहीं हो पाते हैं और जनता को सुलभ और सस्ता न्याय नहीं मिल पा रहा है। जिस प्रकार बड़ के पेड़ के नीचे कोई भी दरख्त बड़ा नहीं हो सकता है उसी प्रकार हमारे यहां पर न्यायालय की हालत है। आज न्यायालय में न्याय सिर्फ एक कागजी फाइल ही बन कर रह गया है। मुकदमों को लड़ते लड़ते ऐसी स्थिति कई केसेज में हो जाती है कि लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है किन्तु कोई फैसला नहीं हो पाता है। इसलिये मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि राज्य सरकार मुकदमे के लिये एक समय निश्चित कर दे कि इस प्रकार के केसेज में इतना समय लगना चाहिये। इससे मुकदमे लड़ने में सुविधा होगी और लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा। नहीं तो, उपाध्यक्ष महोदय, एक ही मुकदमे में वर्षों लग जाते हैं और लोगों को न्याय नहीं मिलता क्योंकि उन केसेज का फैसला ही नहीं हो पाता है। मेरा निवेदन है कि अदालतों में करप्शन मिटाया जाना चाहिये और जो अदालतों में वर्षों लग जाते हैं केसेज में, उसके लिये समय की पाबन्दी होनी चाहिये। ऐसा करने से जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिलेगा तो जनता के मन में न्यायालयों के प्रति सम्मान पैदा होगा।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज अन्त्योदय के अन्तर्गत जो जमीनें गरीब वर्ग के लोगों को अलॉट हुई थीं और जो जमीनें राजस्व अभियान के अन्तर्गत भूमिहीनों को दी गयी थीं वह जमीनें अभी तक उन गरीब लोगों को नहीं मिलीं, उन लोगों को उनका कब्जा नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन है कि न्यायालयों को उन गांवों में भेजकर इन मामलों को निपटाया जाना चाहिये। इसी प्रकार आज जो दीवानी और फौजदारी मामले चल रहे हैं उनके लिये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको भी इसी तरह निपटाया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन कर चाहूंगा कि पंचायतों को अधिकाधिक अधिकार दिये जाने चाहिये। आज आप प्रजातन्त्र की बात करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मांगों पर नहीं बोल रहे हैं। विषयान्तर हो रहे हैं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज न्यायालयों में भ्रष्टाचार फैल रहा है उसको बढ़ने से रोकने के लिये और जिस प्रकार गरीब लोगों के विकास के लिये अन्त्योदय योजना हमने शुरू की थी उसी प्रकार गांवों के गरीब लोगों को राहत देने के लिये न्यायालयों को महीने में एकबार पंचायत मुख्यालय तक भेजना चाहिये ताकि गरीब गांव की जनता को शहरों और कस्बों में नहीं आना पड़े और उन्हें जल्दी, सुलभ व सस्ता न्याय मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। आज जो गांवों में और शहर में अधिकतर चोरियां और डकैतियां होती हैं उनमें आपके पुलिस वाले लोग मिले हुए होते हैं। आज स्थिति यह है कि अगर किसी पुलिस कर्मचारी

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

की शिकायत की जाती है तो शिकायत करने वाले के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा, हमारे यहाँ एक लक्ष्मणपुरा गाँव है जहाँ पर पुलिस चौकी है उसके हैड कान्सटेबल के खिलाफ में कुछ लोगों ने रिश्वत लेने की शिकायत हमारे एस.पी. साहब को की तो एस. पी. साहब ने उस हैड कान्सटेबल के खिलाफ में तो कार्यवाही नहीं की बल्कि उसे ही बता दिया कि लक्ष्मणपुरा ग्राम के इतने आदमी फलां-फलां आये थे और तुम्हारे खिलाफ में रिश्वतखोरी की शिकायत कर रहे थे। जो दरख्वास्त दी थी उस हैड कान्सटेबल के खिलाफ में वह उसी को बता दी। उस हैड कान्सटेबल ने आकर उन लोगों को, जिन्होंने शिकायत की थी, जेल में डाल दिया। तो अगर इस प्रकार एस. पी. साहब जैसे व्यक्ति काम करे तो आप इन पुलिस वालों से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि यह चोरियों और डकैतियों का पता लगायेंगे। आज पुलिस विभाग से किसी प्रकार की आप राहत की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वह तो रिश्वतखोरी का अड्डा है। आज सदन में जो भी आरोप पुलिस वालों के ऊपर लगाये गये हैं दूसरे माननीय सदस्यों के द्वारा वह सभी सही हैं। आज चोरियां और डकैतियां होती हैं उन सभी शिकायतों के उपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इसकी वजह से आज जनता में असन्तोष पुलिस के खिलाफ में है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारी पुलिस कितनी निष्क्रिय है। हमारे यहाँ के एक भूतपूर्व विधायक श्री हरिप्रसाद-जी एक शिकायत पुलिस में लिखाने गये। पुलिस ने शिकायत लिखने से मना कर दिया। उसके बाद में गाँव के सभी लोग गये और काफी दबाव डाला, तो उन्होंने शिकायत लिख दी; लेकिन बाद में यह कहा कि इस शिकायत को आगे मत बढ़ाओ, अगर आगे बढ़ाओगे तो कोई कार्यवाही नहीं होगी। तो मेरा निवेदन है कि आज जितनी चोरियां और डकैतियां होती हैं और जितने हत्याओं के मामले होते हैं, चोरों और डकैतों से क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं। अगर इनकी शिकायत करते हैं तो ऊपर के अधिकारी जिस व्यक्ति के नाम की शिकायत होती है उसी को जांच करने को कह देते हैं। एस० आई० की शिकायत को सब इन्सपैक्टर्स को ही और हैड कान्सटेबल की शिकायत को हैड कान्सटेबल को दे देते हैं पर कोई कार्यवाही नहीं करते हैं। इसलिये आज जो चोरियाँ हो रही हैं उनके लिये तो मेरा सुझाव है कि जिस हलके में चोरियां होती हैं उस हलके के थानेदार को पाबन्द किया जाना चाहिये कि वह उसका पता लगाये अगर नहीं लगाये तो उसके खिलाफ में कार्यवाही होनी चाहिये। इसी प्रकार हत्या और डकैती के मामलों में एस० पी० साहब या जो भी हो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह उसका पता लगायें नहीं तो उनके खिलाफ कार्यवाही होगी। ऐसा करने से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जनता को काफी राहत मिलेगी।

(समय-समाप्ति- सूचक घंटी)

और न्याय व्यवस्था तथा पुलिस में सुधार होगा। बस यही निवेदन करना है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद !

श्री रामप्रसाद लड्ढा (माण्डल) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में न्याय प्रशासन और पुलिस विभाग की माँगों पर

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बहस चल रही है इन मांगों के ऊपर मैंने भी कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। मैं आपके मार्फत न्याय प्रशासन प्रणाली में सुधार बाबत कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज 30 साल से न्यायालय में अव्यवस्था होने के कारण लोगों में न्यायालय के प्रति आस्था समाप्त हो गई है। वर्षों से जो मामले पैन्डिंग पड़े हुए हैं, इन मामलों को जल्दी से जल्दी समाप्त करने के लिये मेरा सुझाव है कि राजस्व अभियान चलाकर जैसे मामले निपटाये गये वैसे ही विशेष आदालतें लगाकर मामले निपटाये जायें।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : हर बात में पिछले तीस सालों में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में व्यवधान नहीं करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : उपाध्यक्ष महोदय, इन माननीय सदस्य की बीच में व्यवधान करने की आदत ही पड़ गयी। इन्हें रोका जाना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। सेल्स टैक्स की अपीलें राजस्व मण्डल में होती हैं उन पर फैसले देर से होते हैं और फैसलों में भिन्नता होती है। वहां पर समय के अभाव से पेशियां बदलती रहती हैं। इस व्यवस्था के बारे में मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि एक ट्रिब्यूनल कायम हो ताकि उन केसेज में जल्दी फैसला हो सके और लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय मिल सके।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान लैण्ड एण्ड बिल्डिंग्स टैक्स की अपील जिलाधीश सुनता है। उसकी जगह जैसे इन्कम टैक्स में पृथक है वैसे ही पृथक से अपीलेट आँथोरिटी होनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि माण्डल में मुन्सिफ कोर्ट कायम हो। भीलवाड़ा में चार मुन्सिफ कोर्ट हैं उनमें से एक में अधिकांश काम माण्डल का होता है। उस कोर्ट को माण्डल में कायम कराने पर सरकार पर भार नहीं पड़ेगा और जनता को सुलभ और सस्ता न्याय भी मिलेगा। इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एस. डी. ओ. कोर्ट, माण्डल के लिये अलग से कायम हो। पांच तहसीलों के लिये भीलवाड़ा में एस. डी. ओ. कोर्ट है-जिससे समय पर काम नहीं हो पाता। ऐसी हालत में माण्डल, गंगापुर, रायपुर के लिये माण्डल में एस. डी. ओ. कोर्ट कायम की जाकर जनता को सुलभ व सस्ता न्याय दिया जा सकता है।

इसके साथ-साथ मैं थोड़ा पुलिस के ऊपर भी निवेदन करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 30 साल से कांग्रेस के शासन काल में खूब भ्रष्टाचार फैला हुआ था। रिश्वतखोरी का बोलबाला था। हमारी जनता सरकार ने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये संकल्प किया है। इसलिये भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये कदम उठाये जाने चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, गत दिनों में भीलवाड़ा जिले में व खासतौर से माण्डल क्षेत्र में खूब चोरियां हुई। पुलिस की निष्क्रियता से चोरियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

है। चोरों को पकड़ नहीं हो पा रही है। इससे लोगों में भारी असन्तोष है। गत 7–8 वर्ष पूर्व हमारे यहां गांव में हत्या हो गयी थी पर अभी तक कोई पकड़ा नहीं जा सका है। कांग्रेस शासन में उस मामले को दबा दिया गया। पहले भी मैंने इसकी मांग रखी थी। इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिये।

उसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मांडल भीलवाड़ा जिले में है। थाने में जो लोग लगे हुए हैं और जो भीलवाड़ा में कर्मचारी रहते हैं उनकी मिलीभगत है। आये दिन भीलवाड़ा से मांडल और मांडल से भीलवाड़ा के बीच में होने वाली जेबकतरों की हरकतों को रोकना है, तो इन कर्मचारियों का तबादला होना बहुत ही आवश्यक है। इन लोगों की मिलीभगत है। वे वहां चार-चार साल से जमे हुए हैं। ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये क्योंकि आज तक पुलिस असफल रही है उनको रोकने में।

आपके माध्यम से एक मामले के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। रतनसिंहजी राठौड़ की मोटर चोरी चली गयी। इसमें पुलिस वाले मिले हुए है। कांग्रेस सरकार में भी न्याय नहीं मिला। मोटर चली गयी। गरीब के साथ काफी अन्याय हुआ है। मैं आपके मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि वहां पर ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने इस मामले को दबाया है। उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये। थानेदार और एस.पी. के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। . . .

इसके साथ ही यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि मांडल और भीलवाड़ा के बीच में अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है। यह दो-तीन साल से अधिक है। इसकी रोक-थाम होना बहुत ही आवश्यक है। जनता पार्टी का राज्य आने के बाद जनता ने यह महसूस किया था कि अब जनता का राज्य आ गया है तो इसकी रोक होगी।

(2.04 म. प.)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति, पीठासीन)

यह समस्या बढ़ रही है, इस पर रोक लगाने की बहुत आवश्यकता है।

पुलिस भ्रष्टाचार का अड्डा है। वैसे पुलिस सेवा के काम के लिये है; लेकिन सेवा के बदले आज जनता के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। भ्रष्टाचार के कारण पुलिस अपराधों की चाराजोई नहीं करती है। जो पुलिस का आतंक जनता में पहले था वैसा ही आज भी बना हुआ है। मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में इस प्रकार की वारदातें होती हैं उनकी रोकथाम के लिये उस क्षेत्र का एम. एल. ए., एस.पी और डी.आई.जी. के साथ दौरा करें, उन लोगों का उस क्षेत्र में दौरा हो तो, वहां पर जनता की सही बात को सुना जावेगा और जनता और एस. पी. आदि के आदान-प्रदान से जो समस्यायें हैं उनका समाधान हो सकेगा। इस सुझाव से संभव है जितनी भी उस क्षेत्र की इस प्रकार की समस्यायें हैं उनका निराकरण हो जावेगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि केवल व्यवस्था जमाने की जरूरत है। एक बार एस. पी दौरा करेंगे, डी. आई. जी. जावेंगे तो उस क्षेत्र की बहुत सारी समस्याओं

Page No 81

(81)

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
का हल निकल आवेगा और जो मुकामी ऑफिसर होंगे वे भी चौकन्ने हो जावेंगे। किसी व्यक्ति की माली हालत सुधरती है, तो उसको पुलिस वाले तंग करते हैं। इस प्रकार के अपराधों की भी रोकथाम होगी।

इसके साथ-साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हरिपुरा मांडल का गांव है। उस गांव को आसींद के थाने के अन्तर्गत ले लिया गया है। उसको मांडल के थाने से अलग कर दिया है। उस गांव को मांडल के साथ लगा दिया जाय जिससे लोगों को समय पर न्याय मिल सके। अतः मेरा आग्रह है कि उस हरिपुरा गांव को मांडल थाने से लगा दिया जाय।

श्री मूलचन्द डांगा : बहुत बड़ी मेहनत की आपने।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं पुनः यही निवेदन करूंगा कि जो मांगें मैंने न्याय प्रशासन और पुलिस के सम्बन्ध में रखी हैं उनको स्वीकार करें और जो सुझाव मैंने रखे हैं, उन पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करें। यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मूलचन्द डांगा : जय भारत भी कहना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री अब्दुल अजीज]

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द सामरिया

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : आदरणीय सभापतिजी, पहले मैं पुलिस वाली मांग पर अर्ज करना चाहूंगा। सन् 1975 में बावराजी, जो प्रधान हैं पंचायत समिति के, की माताजी को महुआ में जाकर कुछ लोगों ने मारा, उनकी हत्या की और लाख रुपये की सम्पत्ति, ज्वैलरी थी उसको लेकर चम्पत हो गये। उसके सम्बन्ध में बावराजी ने चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर आदि उच्चतम लोगों से एप्रोच कर ली। उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन आज तक उस चोरी और हत्या का पता नहीं लगा। इसी प्रकार से उन्हीं भंवरलालजी बावरा के घर पर दिसम्बर, 1977 में जाकर लोग दस हजार का माल मकान की अलमारी से लेकर चम्पत हो गये।

दूसरी घटना चोरी की घटी उसके सिलसिले में निवेदन करना चाहूंगा कि चूरू तहसील फागी में आकर एस. पी. ने उस चोरी के सिलसिले में गिरफ्तारियां कीं और माल बारामद किया। इस सिलसिले में दो महिलाओं को तंग किया। पुलिस के दो सिपाही उनको रात को आकर ले गये और दो रात तक रखा। जब दो रात तक भी वे दोनों महिलायें नहीं लौटीं तो घर वालों ने पता लगाया। पुलिस वालों ने अपनी अनभिज्ञता जाहिर की जिससे उनकी हत्या का संदेह हुआ। दो रोज के बाद उनका पता चला और लाशें बरामद हुईं। पुलिस उन दोनों महिलाओं को रात को ले गयी थी। जब पुलिस के कब्जे में रहते हुए यह घटना हुई तो यह आशंका हुई कि उनकी पुलिस की मार से मृत्यु हो गयी हो और पुलिस ने लाशें कुएं में डाल दी हों।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

इसकी जांच होना अत्यावश्यक है । इसी प्रकार से उस चोरी के सिलसिले में एक 18 साल का बावरिया था उसकी भी लाश दो दिन के बाद मिली । पुलिस में रहते हुए उसको लापता घोषित किया गया और कहा कि हमें पता नहीं, कहां चला गया, उसका पता नहीं चल रहा है । लेकिन दो दिन के बाद कुए से उसकी लाश बरामद की । वहां के स्थानीय विधायक द्वारा ज्ञात हुआ है कि करीब दो महीने से इज्जतदार लोगों को डरा कर 80 हजार रुपये रिश्वत के रूप में ले चुके हैं । अभी भी यह क्रम चालू है और लोगों को परेशान किया जा रहा है । मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि ऐसे मामलों की कम से कम पुलिस के उच्च अधिकारी और ईमानदार लोगों के द्वारा जांच करवाई जाये । चोरी के संबंध में क्यों शरीफ लोगों को तंग करके नाजायज तरीके से पकड़ने की धोंस देकर उनसे रिश्वत के रूप में पैसा वसूल किया जा रहा है । इसलिये ऐसे लोगों की जांच करा कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाये ताकि और दूसरे लोगों को इससे सबक मिले ।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत गृह मंत्रीजी का ध्यान दिलाऊंगा कि आज से ठीक दो रोज पहले गृह मंत्रीजी ने घोषणा की थी, अजमेर में जो मीणों के साथ मारपीट की गयी है उसके बारे में उन्होंने चेलेन्ज किया था, उन्होंने फर्माया था कि उनसे मीणे मिले थे और उनसे बातचीत हो चुकी है, वह पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हैं और वह अपने घरों को गये । उसी समय मैंने, सभापति महोदय, निवेदन किया था कि माननीय गृह मंत्री जी झूठे स्टेटमेंट देकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । उसकी सत्यता आप आज देख सकते हैं, विधान सभा भवन के बाहर धाभाई जी की हवेली के सामने वह लोग तम्बू लगाकर भूख हड़ताल पर बैठ गये हैं । सभापति महोदय, वह लोग न्याय चाहते हैं और यह चाहते हैं कि जिन्होंने भी अपराध किया उनको सजा मिले । उस घटना में दो व्यक्तियों के साथ 18 व्यक्तियों को चोटें पहुंची । उनको पीटना कहां तक वाजिब है ? इसी के विरोध में वह बाहर बैठे हुए हैं । जब कभी भी सरकार के मिनिस्टर साहबान से बात की जाती है तो वे इसको बहुत हल्के तरीके से लेकर अवोइड करने की कोशिश करते हैं । इससे उनकी नीयत में सफाई नहीं होने का आभास भी मिलता है ।

इसी के साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस में दो तरह की क्लासेज हैं । एक क्लॉस तो वह है जो कि पुलिस में कान्सटेबल है । उनकी स्थिति वास्तव में, सभापति महोदय, बहुत ही शोचनीय है, बहुत ही खराब है । उन लोगों के पास न तो ढंग की वर्दी है और न साधन हैं । दूर पुलिस स्टेशन पर आज से बहुत समय पहले जो स्ट्रेन्थ मुकर्रर की गयी थी वही स्ट्रेन्थ आज भी है जब कि हमारे यहां आबादी बहुत बढ़ गयी है और क्राइम्स करने वाले लोग बहुत नये-नये तरीकों से और नये-नये इन्स्ट्रूमेन्ट्स के द्वारा और नये-नये साधनों के द्वारा क्राइम्स करते हैं । इसको साधारण पुलिस वाले, जो कि पहले के समय के हैं, डील नहीं कर सकते । स्थिति यह होती है कि पुराने लोग, कम पे पाने वाले स्ट्रेन्थ में कम होने के कारण और ठीक ढंग की वर्दी न होने के कारण अपना काम सही नहीं कर पाते । आज के युग में क्राइम्स के तरीके लोगों ने ऐसे-ऐसे ईजाद किये हैं कि क्राइम्स

(श्री मूलचन्द सामरिया)

का आसानी से पता लगाना, डिटेक्ट करके पकड़ना और उनके ऊपर कार्यवाही करना मुश्किल हो गया है। जब तक पुलिस के पास आधुनिक आवागमन के साधन नहीं होंगे तब तक क्राइम्स को पकड़ना सम्भव नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बहुत जल्दी कर रहा हूं...

श्री सभापति : आपने 7 मिनट ले लिये हैं, माननीय सदस्य।

श्री मूलचन्द सामरिया : बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं।

इसी तरह से पुलिस के छोटे कर्मचारी यूनियन नहीं बना सकते हैं। सरकार को खुद को सोचना चाहिए और यह कल्पना करनी चाहिए कि यदि इनकी यूनियन होती तो क्या होता। इसलिए इन छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाय, स्टैण्ड पुलिस थानों में कान्सटेबल की बढ़ाई जाये, इनको ठीक ढंग की वर्दी दी जाय। यह सब कुछ नहीं होता है तो यही कारण है कि दिन-रात वह काम करते रहते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं और जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने पर वह मजबूर हो जाते हैं। उससे लगता है कि पुलिस थाने में जाना बहुत खतरनाक है।

सभापति महोदय, मैंने दौसा में जिले की मांग की है। होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वहां पर एस.पी. का आफिस होना चाहिए।

न्याय प्रशासन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुकदमों में अनावश्यक रूप से देरी की जाती है। Justice delayed Justice denied के मुताबिक न्याय नहीं मिलता है। जो जीतता है, वह हारता है और जो हारता है उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए न्याय में अनावश्यक देरी, कानून की अत्यधिक जटिलता और रुपये की बरबादी को देखते हुए कानून को इतना आसान बनाया जाये कि लेमैन भी समझ सके, लोगों को समय पर और जल्दी न्याय मिल सके। कम से कम उनकी बरबादी हो, इसके लिये उनको जल्दी न्याय मिलना चाहिए।

इसी के साथ ही, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा जब कि एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स के लिए रहने के लिए अलग से व्यवस्था है तो फिर जुडिशियरी के अधिकारियों के लिए भी रहने की व्यवस्था की जानी चाहिए। उन लोगों को भी फेसेलिटीज मिलनी चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा काबिल आदमी जुडिशियरी की तरफ आकर्षित हो सकें। आर.ए.एस. अधिकारी है और एस.डी.एम. है तो उसको कई तरह की फेसेलिटीज मिलती है, उसके पास बंगला है, कार है लेकिन आर.जे.एस. अधिकारी के पास इस तरह की कोई फेसेलिटीज नहीं हैं। आर.जे.एस. अधिकारियों के लिए रिहायश की व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक है जिससे किराये के मकान की तबालत से वह बच सकें और इन्डिपेन्डेन्ट रह कर न्याय दे सकें।

इसी के साथ साथ मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान और दिलाना चाहूंगा। मैंने हर बार प्रश्न के द्वारा पूछा है उससे ज्ञात हुआ है कि एक भी आदमी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का ऐसा नहीं है जो कि

(श्री मूलचन्द सामरिया)

राजस्थान हायर जुडिशियरी सर्विस में हो। प्रश्न के जवाब में सरकार ने यह जवाब दिया था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का एक भी आदमी आर.एच.जे.एस. में नहीं है। यही स्थिति पुलिस विभाग में भी है। आज कल हमारा मुंह इस बात से बन्द किया जा सकता है कि शिड्यूल्ड कास्ट के मिनिस्टर हैं। लेकिन यह समझना कि इससे हमारे साथ न्याय हो गया, गलत है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाऊंगा कि राजस्थान पुलिस सर्विसेज में भी जो की पोस्ट्स हैं और जिनका सीधा संबंध जनता से है उन पर शिड्यल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को नहीं रखा जाता है। उनको ऐसी जगह रखा जाता है जहां डाइरेक्ट पब्लिक टच से दूर रहें। यही बात न्याय प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में देखी जाती है। आपको ए.डी.एम. तो मिलेंगे लेकिन एस.डी.एम. नहीं मिलेगा। इसी तरह से पुलिस में ए.एस.पी. और नीचे के दर्जे पर मिल जायेंगे लेकिन एस.पी. और डी.एस.पी. नहीं मिलेंगे। वह मिलेंगे सी.आई.डी. में जिससे कि डाइरेक्ट टच पब्लिक का नहीं हो सके। इसलिए इफेक्टिव हालत को देखने के लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को ऐसी जगह लगाया जाये ताकि दूसरे लोगों के बीच में रहने से उनका मोरल बूस्ट हो सके।

जब तक आप एस.पी. आफिस दौसा में नहीं खोलते हैं उस समय तक इन्टरिम व्यवस्था के रूप में ए.एस.पी. का कार्यालय तुरन्त दौसा में खोला जाये। लम्बी चौड़ी जिले की समस्या है जिसकी वजह से धांधली होती है। इतने बड़े इलाके को कवर करने के लिए एस.पी. जयपुर में बैठता है और अच्छी तरह से कन्ट्रोल नहीं कर पाता इसलिए डी-सेन्ट्रेलाइजे आफ शनपावर्स और इक्विटी बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन के सिद्धान्त के अनुसार एस.पी. कार्यालय को दौसा में भेजा जाये।

इतना ही कहकर बार-बार घंटी का ध्यान रखते हुए मैं बैठता हूं।

श्री सभापति : श्री विजयसिंह नदेरा।

(अनुपस्थित)

श्री रामकरण सिंह।

श्री रामकरण सिंह (कोटपूतली) : माननीय सभापति महोदय, मैं न्याय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं कि न्याय आप सस्ता दिलायें। बार-बार यह कहा जाता है सदन में जनता पार्टी की तरफ से की 30 साल में कोई चीज नहीं हुई। मैं आपका ध्यान दिलाऊं कि न्याय सस्ता आप नहीं दिला पायेंगे तो इधर बैठने वाले भी यही कहेंगे। न्याय सस्ता दिलाने के लिए आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जो मुकदमे हैं उनके लिए कोई इस तरह की कमेटी बनायें या नहीं बनायें लेकिन कुछ अनुभवी लोगों का अनुभव लेकर उनके लिए टाइमिंग फिक्स कर दें कि इस टाइप के केसेज इतने समय में निपट जाने चाहिए। अगर आप न्याय सस्ता दिलाना चाहते हैं तो यह कन्क्रीट सजैशन है। इससे क्या होगा कि जो व्यक्ति को बार-बार वकील साहब को और विटनेस को लाना पड़ता है, वह परेशानी दूर हो जायेगी। दूसरा एक प्रोवीजन यह भी कर दीजिये कि विटनेस अगर एक दफा आ जाता है और जज साहब को टाइम न मिलने के कारण वह वापस चला जाता है तो उसको दुबारा बुलाने की उसकी जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिये बल्कि जज

(श्री रामकरण सिंह)

साहब की होनी चाहिये उसका सरकार खर्चा दे और बुलाये।

दूसरी चीज इसके बारे में अर्ज करूंगा कि आप न्याय जिलों पर देते हैं। कोटपूतली जयपुर से 70 मील है, 100 किलोमीटर से आदमी जयपुर आता है सैशन कोर्ट में। उधर तो आप कहते हैं कि जनता पार्टी घर-घर जाकर न्याय देगी और इधर जुडिशियरी द्वारा जयपुर बैठे-बैठे आप न्याय देने की बात सोचते हैं। 100 किलोमीटर से आदमी को जयपुर आना पड़ता है इसलिये आप टाइम फिक्स कर दीजिये, चाहे 15 दिन बाद कर दीजिये, जब कि उस सब डिविजन के केसेज ले लिये जायें, या फिर यहां से जज महोदय जायें और वहां केसेज निपटायें ताकि 10-20-30 जो विटनेसेज हैं उनको आने में जो परेशानी होती है वह दूर हो जाये। यह मेरा सुझाव है।

अब मैं गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पुलिस विभाग द्वारा चौमुखी सुरक्षा वाली बात है वह आप नहीं कर रहे हैं। वह इसलिये नहीं कर रहे है कि आपकी जो महिला पुलिस है उसको सजग नहीं कर पाये हैं। अखबारों में पढ़ते हैं और सुनते भी हैं कि लड़कियों के साथ छेड़-छाड़ होती है। यह बात सही है। आप एक ऐसी यूनिट बना दीजिये, उसको आप शहरों तक सीमित न रखें, वे साधारण वस्त्रों में सड़कों पर घूमें और देखें और ऐसे जो एलीमेंटस हैं जो लड़कियों से छेड़छाड़ करते हैं-उनको किसी तरह से रोकें। यदि दिन में-एक दो केसेज भी पकड़ेंगे तो लोगों को डर रहेगा। इस यूनिट को उप-जिला और तहसीलों तक भेजने की कोशिश करें। महिलाओं का बराबर अधिकार है, महिलाओं का सड़क पर जाने का, बातचीत करने का, खुली हवा में घूमने का अधिकार है। वे जा सकें, उनसे कोई छेड़-छाड़ न कर सकें। इसके लिये गृह मंत्री जी आप अनुभवी हैं, आपको सराहनीय कदम उठाना चाहिये ताकि ऐसा मामला आपके सामने न आये और आपके अधिकारी हैं उनके सामने भी न आये।

इसके अलावा अपने कार्यालय जिलों में हैं। कोटपूटली जयपुर से 100 किलोमीटर दूर है। एक किलोमीटर और आसपास के इलाके से यू.पी., दिल्ली, हरियाणा के बोर्डर से बड़े क्रिमिनल माइडेड लोग आते हैं और बड़ी वारदातें होती हैं। आप एडीशनल एस.पी. का कार्यालय वहां चालू कर दें ताकि आसपास के और दूसरे लोगों की मीटिंग बुलाते हैं तो वहां वाले यहां आते हैं, वह परेशानी दूर हो जाये। इसलिये मेरा निवेदन है कि एडीशनल एस.पी. का कार्यालय वहां चालू कर दें। इससे आपको काफी राहत मिलेगी।

इसके अलावा एक और निवेदन करना चाहूंगा। मेरे यहां तहसील कोटपूतली में ग्राम लर्लाना है। 9 तारीख को वहां एक मर्डर हुआ। वह केवल थाने से एक फर्लांग की दूरी पर था। शाम को 6 बजे मर्डर हुआ, जिस लड़के का मर्डर किया गया उसकी मां रोती पीटती थाने में गई। पुलिस वाले ने यह कहा, तू यों ही चिल्लाती है। उसको वापस भेज दिया। पावटा से मैंने फोन किया उसके बाद वहां के सरपंच ने फोन किया। दूसरे दिन फिर सुबह मैंने फोन किया, सरपंच साहब ने फोन किया लेकिन परागपुरा की पुलिस कोई इनीशियेटिव नहीं ले सकी। दूसरे दिन दो बजे से पहले कोटपूतली फोन किया।

(श्री रामकरण सिंह)

वहां राजसिंह इन्सपैक्टर महोदय मिले। वह कोटपूतली से आये जो 15 किलोमीटर है, कोटपुतली से इन्सपैक्टर आये और उस केस को देखा, लेकिन आपकी परागपुरा की पुलिस टस से मस नहीं हुई। वातावरण रोजाना का बिगड़ा हुआ है। वहां केसेज नहीं लिये जाते हैं, अब भी केसेज आते हैं, रजिस्टर नहीं किये जाते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अफसर, जो आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, के खिलाफ आप एक्शन लें।

इसके अलावा मैं निवेदन करना चाहता हूं जो प्रहरी है उनका मनोबल ऊंचा होता है तो उनकी वजह से सरकार का मनोबल ऊंचा होता है। आप आनन्द से त्योहार मनाते हैं और वह ड्यूटी देता है। दीपावली के दिन आप बच्चों के साथ रहते हैं, आप आनन्द से खुशियां मनाते हैं लेकिन वह बेचारा अपने घर पर नहीं जा सकता। एक दो त्योहारों पर नहीं, हर त्योहार पर सजग रहना पड़ता है। उसकी ड्यूटी ज्यादा लगाई जाती है। वह आपको आनंद देता है लेकिन. . .

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसको आप क्या देते हैं? कोई किसी प्रकार का एडवान्टेज नहीं देते। किसी प्रकार की राहत देने की तजवीज नहीं करते। जितनी छुट्टियां आप लेते हैं, आपके अधिकारी लेते हैं, उतनी उन्हें नहीं मिलतीं। इस पर विचार करके आप जो कुछ भी दे सकें, दीजियेगा। उसका मनोबल ऊंचा करना चाहते हैं तो उसको वर्दी अलाउन्स दीजिये। आप उसकी तनख्वाह मत बढ़ाइये लेकिन कम से कम मासिक अलाउन्स तो दीजिये। उसका मनोबल ऊंचा करना है तो प्रहरी टिपटाप होना चाहिये। उसकी ड्रेसेस के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिये।

मैं इसी के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि आपके मैस अलाउन्स का फर्क है। मैस एलाउन्स 22 रुपये देते हैं। 22 रुपये क्या मायने रखता है। कुछ भी नहीं है। उसमें देहात में आप 17 रुपये देते हैं, यहां 22 देते हैं। 22 रुपये में आदमी बीड़ी नहीं पी सकता। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके बहुत से और मामले हैं जिनमें आप कमी कर सकते हैं लेकिन जो आपका प्रहरी है, सिपाही है जो हर वक्त रक्षा करता है, मुसीबत से बचाता है उस आदमी के लिये आप कुछ नहीं कर सकें, यह अफसोस की बात है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप किसी भी दृष्टि से इस बारे में सोचें, उन प्रहरियों को वेतन वृद्धि और मैस एलाउन्स ज्यादा देने की कृपा कर उनका मनोबल ऊंचा करें।

धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मनोहर सिंह मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री सभापति : श्री बिरदमल सिंघवी।

श्री बिरदमल सिंघवी (जोधपुर) : माननीय सभापतिजी, हमारे विधान में यह तय किया गया है कि हमारी जुडिशियरी इन्डिपेन्डेन्ट रहेगी। यदि जुडिशियरी इन्डिपेन्डेन्ट रहेगी, न्याय पालिका स्वतंत्र रहेगी तो वहां पर सच्चा न्याय मिल सकेगा। अगर सच्चा न्याय नहीं मिलता है तो स्वतंत्र करने की बात क्यों? इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाये रखने का पूरा ध्यान रखें। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री. विरदमल सिंघवी)

यह जो पद्धति रिटायरमेंट के बाद कुछ हाई कोर्ट के जजेज को कमीशन में लगाने की है यह मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेज का उपयोग किया जाय, उनकी सर्विसेज का यदि उपयोग किया जाय तो सभी का उपयोग हो यह हम निश्चित करें।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, श्रीमान् स्थान कई जगह रिक्त पड़े हैं जजेज के। हाई कोर्ट के स्थानों के विषय में पहले भी कहा जा चुका है। आज जो प्रतिवेदन दिया गया है वह प्रतिवेदन बिलकुल गलत है। इसमें गलत बातें कही गई हैं। प्रतिवेदन में 10 स्थान बताये गये हैं, हाई कोर्ट में 14 में से 10 हैं, यह बात गलत है। वास्तव में 7 ही हैं। यह बात सही नहीं हो सकती है कि यह प्रतिवेदन पहले ही छप गया हो क्योंकि आगे जाकर इसमें कहा गया है :-- "माननीय श्री वेदपाल त्यागी, मुख्य न्यायाधिपति के पद से दिनांक 28-12-77 को सेवा निवृत्त हुए।" इस प्रतिवेदन में मुख्य न्यायाधीश के पद पर उन्हीं का नाम दर्ज है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में जो रिक्त स्थान हैं उनको तुरन्त भरा जाना चाहिए और उनको भरने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए।

इसी प्रकार से न्यायिक सेवाओं में कई स्थान रिक्त हैं। हमारी न्यायिक सेवाओं में 291 स्थान हैं। अगर उन रिक्त स्थानों को भरने में कोई कठिनाई आ रही हो, पी. एस. सी. वगैरह की, तो उन स्थानों पर एडहाक अपाइंटमेंट कर दिया जाय और एडहाक अपाइंटमेंट करके लोगों को न्याय दिलाया जाय। लोग तुरन्त न्याय चाहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति होने से वास्तव में केसेज का एक्युमुलेशन कम होगा। इसलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति तुरन्त करें उन पर एडहाक अपाइंटमेंट करके। Justice delayed justice denied. यह पहले कहा गया है। वास्तव में यह बात सही है। न्याय लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके इसके लिए आपको पूरा प्रयत्न करना चाहिए।

आज हमारे देश में जो सबसे बड़ा लिटिगेन्ट है वह स्टेट है। सबसे बड़ा लिटिगेन्ट सरकार है। सरकार के अनेक केसेज इस कारण से पड़े हुए हैं क्योंकि सरकार ठीक ढंग से न्याय नहीं कर पाती है। सर्विसेज के केसेज में पहले ही ठीक ढंग से काम करें तो केसेज कम हों। सर्विसेज के केसेज ही सरकार के खिलाफ होते हैं। सरकार की मशीनरी ठीक प्रकार से सलाह नहीं करती है इसलिए सर्विसेज के केसेज कोर्ट में जाते हैं। पहले डिपार्टमेंट में ही सारे केसेज को देख लें और लोगों को न्याय मिल जाय तो लोगों को न्यायपालिका के दरवाजे नहीं खटखटाने पड़ेंगे। ज्यादा लोगों के केसेज की संख्या सरकार के खिलाफ हैं। यह मामले निपट जायेंगे तो बाकी के केसेज को जल्दी से जल्दी निपटाने में सहायता मिलेगी। तो सरकार इन केसेज को जल्दी से जल्दी निपटाने का फैसला करे।

श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि मुकदमें का जितना एडजोर्नमेंट सरकारी वकील मांगते हैं। उतना और कोई नहीं मांगते हैं। हर केस में बिना एडजोर्नमेंट मांगे आगे नहीं चलते हैं। किसी ने दावा किया तो जवाब दावे के लिए समय लेंगे। हर बार एडजोर्नमेंट मांगा जाता है। मैं निवेदन करूंगा कि इस मा... को टाइट किया जाये और स...

(श्री विरदमल सिंघवी)

काम जल्दी से जल्दी करवाये । बार-बार एडजोर्नमेंट मांगकर सरकार गलत उदाहरण प्रस्तुत करती है। उसको शीघ्र ही मामले को निपटाना चाहिए ।

फिर मैं, श्रीमन, निवेदन करूंगा कि कुछ कोर्ट्स ऐसी हैं जो ओवरबर्डन्ड हैं। आपने एक-एक जिले में एक-एक सत्र न्यायालय तो लगा दिया, लेकिन जहां पर केसेज ज्यादा होंगे वहां तो ओवरबर्डन्ड रहेंगे । कुछ न्यायालयों में काम की कमी है। इस बारे में आपको तुरन्त देखना चाहिए कि कहां पर कितना काम है । काम के अनुसार ही आपको अपाइंटमेंट करना चाहिए । एक जिले में दो रहें या 4 रहें यह बात नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार सारी बातें करनी चाहिए ।

श्रीमन्, कुछ बातें मैं वकीलों के लिए भी कहना चाहूंगा । वकील जुडिशियरी का एक पार्ट है, न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण अंग है । विधि मंत्रीजी खद वकील रहे हैं । वकीलों की यह मांग रही है कि वकीलों के लिए प्रोवीडेन्ट फण्ड की कोई सुविधा नहीं है वह चालू की जाय । कुछ स्टेट ने यह सुविधा देना प्रारम्भ किया है, कुछ स्टेट में यह सुविधा शुरू हुई है । वकील जब सारी उम्र काम करने के बाद अपने काम को करने के योग्य नहीं रहता है उस समय उसके लिए प्रोवीडेन्ट फण्ड की सुविधा हो । इसमें कन्ट्रीब्यूशन वकील स्वयं तो करेंगे ही, कुछ कन्ट्रीब्युशन का सरकार को प्रावधान करना चाहिए और वकीलों के लिए प्रोवीडेन्ट फण्ड ...ना चाहिए ।

... वकीलों के चयन के विषय में, श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा, यह चयन हुआ था, राजनैतिक कारणों से हुआ था । जब सरकार बदलती है तो एडवोकेट जनरल बदलता है । वास्तव में एडवोकेट जनरल व एडवोकेट सरकारी पक्ष को रखते हैं । जो गवर्नमेंट एडवोकेट सरकारी पक्ष को रखने में समर्थ हों उसको रखना चाहिए । बीच में राजनैतिक कारणों से जो रखे गये हैं उनका अपाइंटमेंट निरस्त किया जाना चाहिए । जो वास्तव में उपयोगी लोग हों, जो वास्तव में न्याय की दृष्टि से अच्छे लोग हो उन लोगों को ही लेना चाहिए । इस बात पर उनको नहीं लेना चाहिए कि तत्कालीन सरकार का वे विरोध करते थे । मैं निवेदन करूंगा कि अच्छे लोगों को लेने का प्रयत्न किया जाना चाहिए ।

जो अधिकारी हैं न्यायिक सेवाओं के उनसे आप यदि न्याय अच्छा चाहते हैं तो उनके साथ में न्याय करें। जैसा कि कोटपूतली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कि उस सर्विस में जो अधिकारी हैं उनके वेतनमान आर.ए.एस. आफिसर्स के हिसाब से होने चाहिए। आज न तो उन्हें वे सुविधाएं मिलती हैं और न वेतनमान । जब हम चाहते हैं कि न्यायाधीश अच्छी तरह से न्याय करें तो हमें उन्हें अच्छी सुविधाएं देनी चाहिए । आज एक अच्छा वकील जज बनने को तैयार नहीं है । इसका कारण यही है कि उसका वेतनमान ठीक नहीं होता है । बार बार अप्रोच करना पड़ता है अच्छे वकीलों को हाई कोर्ट का जज बनने के लिए । एक प्रख्यात वकील को कहना पड़ा कि अगर मेरा लड़का पढ़-लिख कर तैयार हो गया और अगर वह होशियार हो तो कोई धन्धा

(श्री बिरदमल सिंघवी)

खराब नहीं है और अगर मूर्ख होगा तो जज बना दूंगा। अच्छा वेतन जज को नहीं मिलता है इसलिए अच्छे लोग, अच्छी तरह से केस को प्रेस्प करने वाले लोग नहीं मिलते हैं। वह तभी मिलेंगे जब कि आप उनका वेतनमान सुधारें।

मैं, श्रीमन्, मोबाइल कोर्ट के लिए निवेदन करूंगा कि मोबाइल कोर्ट होनी चाहिए ताकि वह स्थान-स्थान पर जाकर लोगों को ठीक ढंग से न्याय दे सकें। इसलिए मोबाइल कोर्ट्स के बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए।

पंचायतों को न्याय के अधिकार दिये जा रहे हैं, उसके विषय में मेरा निवेदन है, श्रीमन, यह गलत बात है। उसके चुनाव के लिए इलेक्टोरल बोडी होती है जो कि उसका चुनाव करती है। उसकी ओर से प्रेशर आते हैं इसलिए वह बराबर न्याय कर सकेगी ऐसी सम्भावना नहीं है। उसको अपने इलेक्टोरल बोडी को खुश रखना पड़ेगा। इसलिए न्याय की व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में रहनी चाहिए जो किसी के प्रेशर में न आयें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कानून के सरलीकरण के बारे में निवेदन करूंगा। मुकदमबाजी इसलिए ज्यादा होती है कि कानून साफ और सरल नहीं होते हैं। जो ड्राफ्टस बनते हैं कानून के उन ड्राफ्ट्स में सरलता होनी चाहिए।

फिर, श्रीमन, क्विक डिस्पोजल की दृष्टि से हमारे यहां स्टेटमेंट जरूर लिये जाते हैं कि केसेज का कितना डिस्पोजल किया है। मन्थली स्टेटमेंट जाते हैं, लेकिन उन मन्थली स्टेटमेंटस का चैकिंग नहीं होता है। जो लोग काम नहीं करते हैं उनके चैकिंग की कोई योजना नहीं है। उनके इन्सपेक्शन की योजना होनी चाहिए। अभी इसकी चिन्ता नहीं की जाती है। इसलिए इन्सपेक्शन कोर्ट्स का होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल दो मिनट।

श्रीमन्, कानून व्यवस्था के बारे में मैं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी हमारे यहां जोधपुर में दो हत्याएं हो चुकी हैं। एक हत्या जोधपुर नगर के बीच में महेन्द्रप्रताप की और दूसरी हत्या बने सिंह की हुई। इन दोनों हत्याओं के कारण शहर में आतंक बना हुआ है। मैं निवेदन करूंगा कि हत्या का शीघ्र ही पता लगाया जाय और चोरी आदि की जो घटनाएं हैं वह कम हों, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय।

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा गृह मंत्री महोदय से कि यहां पुलिस डिपार्टमेंट में इस प्रकार की सूची रखी जाती है जिससे राजनैतिक नेताओं की निगरानी की जाती है। उस सर्विलेंस के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि आज भी सर्विलन्स डिपार्टमेंट निगरानी रखना चाहता है हमारे मुख्यमंत्री जी की, भूतपूर्व गृह मंत्रीजी की। इधर बैठने वालों के नाम आज भी उस सूची में हैं। आज भी हमारी निगरानी रखी जाती है। उस सूची का आज भी कुछ नहीं किया गया है। मैं निवेदन करूंगा कि उस सूची को बदलना चाहिए। आज उस सूची में हमारा भी नाम है, क्या कारण है? उसको तुरन्त बदला जाना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बिरदमल सिंघवी : एक बात कह कर समाप्त करता हूं।

विधान सभा के प्रहरियों को पूरा डी. ए. दिया जाय, केवल 30 दिन का ही क्यों दिया जाता है। हमारी असेम्बली 40–45 दिन चलेगी तो उनको डी. ए. कम से कम पूरा दिया जाय। उनको पूरा डी. ए. मिलना चाहिये।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, दांता साहब आवश्यक कार्य होने के कारण जल्दी बाहर जाना चाहते हैं। सदन की राय हो तो पहले उनको बोलने का मौका दे दिया जाय?

श्री मदनसिंह दांता।

श्री मदनसिंह दांता (दांतारामगढ़): माननीय सभापतिजी, मैं सभी माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया। यह वैसे तो प्रश्नकाल में विषय आ चुका है। जहां तक जीपें थानों में देने का सवाल है, माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के बाद यह बात समझ में बैठी कि पेट्रोल की जीपें मंहगी पड़ती है। एक तरफ तो हम कटौती का प्रस्ताव कर रहे हैं कि मांग में कटौती होनी चाहिये और दूसरी तरफ जीपों की बात कहते हैं तो दोनों बातें मेल नहीं खातीं। हम चाहते हैं कि पुलिस का खर्चा कम हो तो हमारा यह भी कहना है कि जीपों की सुविधा हो डकैतों और चोरों का पीछा करने के लिए, तो मैं एक सजेशन दूंगा और वह यह है कि कलेक्टर के पूल में जो जीपें हैं वह तहसील हैडक्वार्टर पर रहें तो दुरुपयोग की शंका भी नहीं रहेगी। रोज चोरी डकैती होती नहीं है। जो कलेक्टर के पूल की जीपें हैं वह तहसील हैडक्वार्टर पर रहें और आवश्यकता के आधार पर थानेदार को मिल जायं तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा है।

एक दूसरी सुविधा जो इससे ज्यादा आवश्यक है वह है टेलीफोन की। आज तहसील हैडक्वार्टरों पर टेलीफोन की सुविधायें हैं पर पुलिस चौकी पर टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्री महोदय कम से कम पुलिस थानों में टेलीफोन की व्यवस्था कर दें। आजकल गांव गांव में टेलीफोन हो गये हैं फिर भी गांव वालों को बड़ी मुश्किल यह हो जाती है कि तीन मील जाकर पहले तहसीलदार को इत्तला दें और फिर तहसीलदार थाने में इत्तला देता है। इसलिये मेरा निवेदन है थाने में व्यवस्था होनी चाहिये, यही मुझे कहना है।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): सभापति महोदय, न्याय प्रशासन एवं पुलिस की डिमान्ड्स पर मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। पहले मैं न्याय प्रशासन के बारे में मेरी राय सदन के समक्ष रखना चाहूंगा। सभापति जी, गरीब आदमी को न तो कांग्रेस के राज्य में न्याय मिलता था और न अब मिलता है। वर्ष 1976–77 में प्रोविजन किया गया था कि गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी। अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग के लिये पांच लाख रुपये का प्रोविजन किया गया था वही वर्ष 77–78 में किया गया है। जो इस सम्बन्ध में समितियां बनीं जिला स्तर पर, डिवीजनल स्तर पर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इसमें सिर्फ दो हजार का प्रोविजन था। उससे किस प्रकार निःशुल्क कानूनी सहायता मिलेगी, किस प्रकार से केसेज में मदद मिलेगी यह मेरी समझ में नहीं आता है। अगर गरीब आदमियों के अधिकारों के बारे में फाइट करना है तो गवर्नमेंट से मदद किस प्रकार से मिलनी चाहिये, यह सोचना चाहिये। न तो गरीब आदमी को पहले सहायता मिली है और न अब मिल रही है। आप वास्तव में गरीब को फायदा पहुंचाना नहीं चाहते हैं क्योंकि गरीब के लिये जो वकील करते हैं वह कमजोर से कमजोर वकील करते हैं। एक तो वह पहले ही कमजोर है और फिर उसका वकील भी कमजोर हो तो आप गरीब तबके को मदद नहीं कर सकते हैं। अगर उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि अच्छे वकील किये जायं पैरवी के लिये और फन्ड्स का अच्छा प्रोविजन किया जाय। गरीब आदमियों को उनके अधिकार के लिए निःशुल्क कानूनी मदद देना चाहें और इसके लिये यदि 50 लाख का प्रोविजन भी करना चाहें तो कोई एम. एल. ए. एतराज नहीं करेगा। इसमे सारे सदन का सहयोग है क्योंकि गरीब की मदद होती है।

दूसरी बात सैशन कोर्ट का कार्यालय बालोतरा में था जब कि बाड़मेर और जालोर में एक सैशन कोर्ट था। जालोर और बाड़मेर दोनों के केन्द्र में बालोतरा पड़ता था इसलिये वहां सैशन कोर्ट का होना आवश्यक था परन्तु जब 1977 में 25 सैशन कोर्ट के कार्यालय स्थापित कर दिये गये विभिन्न जिलों में तो अब तुक क्या है बालोतरा में सैशन कोर्ट रखने का। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में बाड़मेर-सब डिवीजन सबसे बड़ा है और उसकी थ्री-फोर्थ आबादी है, बालोतरा डिवीजन से तिगुनी है। फिर आप बालोतरा के नम्बर आफ केसेज देख लें। सारे केसेज बाड़मेर सब-डिवीजन के हैं। केसेज अधिक, आबादी अधिक, क्षेत्रफल अधिक......

(व्यवधान)

यह तो माननीय मंत्रीजी को मालूम होगा कि 75 पर्सेन्ट केसेज बाड़मेर के हैं तो फिर जिले के हैडक्वार्टर पर सैशन कोर्ट स्थापित करना बहुत आवश्यक है। अब बाड़मेर में ही स्थापित किया जाना चाहिये, यह मेरी मांग है।

न्याय प्रशासन पर मैंने दो कट मोशन्स रखे हैं और दोनों के ऊपर विचार मैंने सदन के सामने रख दिये हैं। माननीय मंत्री महोदय इन पर गंभीरता से विचार करें।

अब मैं पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। जब जनता सरकार राज्य में आई तो मैं यह कहना चाहता हू कि राजस्थान में नहीं अपितु सारे देश में शांति और व्यवस्था बिगड़ गई। शांति और व्यवस्था बिगाड़ने में सबसे ज्यादा हाथ जयप्रकाशजी का है। अब उनकी दुर्गति हो रही है। विद्यार्थियों ने और जनता पार्टी के समर्थकों ने ही उनकी किस प्रकार दुर्गति की है वह आपने देखा होगा। कैसा जयप्रकाशजी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, कैसा आचार्य कृपलानी के साथ दुर्व्यवहार हुआ, यह भी आपने देखा होगा। उन्होंने शांति और व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की और विद्यार्थियों को भड़का कर यह कहा कि पढ़ाई मत करो। उससे यह स्थिति हुई कि आज वे ही विद्यार्थी पूरी तरह पढ़ नहीं रहे हैं और

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

एक मोर्चा स्थापित कर रहे हैं। तो जो शांति और व्यवस्था बिगाड़ने की देन है वह जनता पार्टी के नेता श्री जयप्रकाशजी की है, जिसका नतीजा आज भुगतना पड़ रहा है। आज सभी जगह यह स्थिति हो रही है। आज कोई भी महिला नगर में क्या शहर में सुरक्षा से चल नहीं सकती है।

अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं 15 अगस्त की घटना के बारे में मैंने पहले भी एडजोर्नमेंट मोशन रखा था जिस पर जांच के आदेश हुए थे। जांच के आदेश गृह मंत्रीजी ने दिये थे लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। गत 15 अगस्त की रात्रि को, आप देखिये, स्वतन्त्रता दिवस का जो फंक्शन हुआ उसमें न तो कलेक्टर उपस्थित थे, न एस. डी. ओ. उपस्थित थे, न असिस्टेन्ट कलेक्टर थे, न सुपरिन्टेन्डेंट उपस्थित थे, न डी. एस. पी. उपस्थित थे और न ही कोई थानेदार उपस्थित था। केवल 3–4 कान्स्टेबल्स थे। बिजली की व्यवस्था भंग हो गई, अन्धकार हो गया। कार्यक्रम चल रहा था वह कार्यक्रम स्थगित हो गया। वहां पर हजारों की उपस्थिति थी। करीब दस हजार लोग उपस्थित थे। युवकों ने स्त्रियों के साथ में जो व्यवहार किया, छात्रों ने छात्राओं के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार किया वह हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक चीज है। आज तक कोई कार्यवाही गुण्डों के खिलाफ में नहीं की गई है। आज तक गुण्डों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया है। बराबर मैंने इसके बारे में पहले भी सदन में बात रखी थी......

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कहां की बात है?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : बाड़मेर नगर की, 15 अगस्त की घटना है।

नियमानुसार कलेक्टर को स्वयं उपस्थित होना चाहिए था उस मीटिंग में लेकिन कलेक्टर उपस्थित नहीं, एस.पी. उपस्थित नहीं, असिस्टेंट कलेक्टर या गवर्नमेंट का कोई रिप्रेजेन्टेटिव उपस्थित नहीं हुआ। एस. पी. अपनी पार्टी के अन्दर लगे हुए थे, उनका ट्रांसफर हो गया था जिसकी पार्टी थी। पार्टी इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। डिप्टी सुपरिन्टेन्डेंट उनकी पार्टी में थे, सब-इन्सपेक्टर उनकी पार्टी में थे। पुलिस के पर्याप्त आदमी ड्यूटी पर नहीं थे, केवल चार पुलिस के आदमी थे वहां पर जो कोई व्यवस्था नहीं कर सके। दुर्व्यवहार हुआ लड़कियों के साथ। युवतियों के साथ लड़कों ने दुर्व्यवहार किया। पत्थर फेंके और इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कहना चाहता हूं कि इस घटना की पूरी तौर पर जांच की जानी चाहिए।

अब मैं प्रोहिबिशन के बारे में कह रहा हूं। प्रोहिबिशन के बारे में मैं कहता हूं कि पुलिस के एस. पी. पीते हैं, एस. पी. शराब पीने वाले हैं। प्रोहिबिशन का कार्यक्रम हमारे यहां जैसलमेर जिले में, बाड़मेर जिले में चालू कर दिया गया है फिर भी पुलिस वाले खुद शराब पीयें....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : ऐसे मामले आप देंगे तो हम जरूर एक्शन लेंगे।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द डागा : आपके सामने रखते हैं तो आप आपस में लड़ाइयां करा कर सोते रहते हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मामले तो मैं आपको बहुत से दे दूंगा लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं प्रोहिबिशन के मामले में कि हमारी कांग्रेस सरकार ने भी और इस सरकार ने भी अवैध शराब को नहीं रोका। पुलिस खुद अवैध शराब का धन्धा करती है। पुलिस लाइन में अवैध शराब का धन्धा चलता है, पुलिस लाइन में अफीम का धन्धा चलता है और लोग खाते पीते हैं ....

मेजर श्री फतहसिंह : मैं एक मिनट के लिए हस्तक्षेप करता हूं।

मैंने बजट भाषण के समय में कहा था कि ब्यावर सदर पुलिस स्टेशन से पचास गज की दूरी पर सांसी कंजर नाजायज शराब बनाते हैं और पुलिस वाले, उनके अधिकारी पीते हैं, जनता पीती है लेकिन उसका उत्तर नहीं मिला। आगे चलिये।

श्री मूलचन्द डागा : क्या हालत हो रही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पुलिस लाइन में अवैध शराब का धन्धा होता है। अगर आप गृह उद्योगों के बारे में कहते हैं कि गृह उद्योगों का विकास हुआ है और राजस्थान में बेरोजगारों को रोजगार मिला है तो मैं कहना चाहता हूं कि दो हजार परिवारों को इस अवैध शराब बनाने के काम में रोजी मिली है। दो हजार परिवार अवैध शराब बना कर अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं। यह स्थिति हुई है प्रोहिबिशन लागू होने से। प्रोहिबिशन से दो हजार परिवारों को रोजगार मिला है। मैं इस बात को साबित करने के लिए तैयार हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा बायतू में, बाड़मेर में जो चोरियां हुई हैं वह आपके नीमकाथाना क्षेत्र के रहने वाले डकैतों ने की हैं। विधि मंत्रीजी, आपके निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले डकैतों ने चोरियां की हैं और किसी भी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि उनके नाम मालूम होते हुए भी उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकें। आप अगर मदद करना चाहते हैं तो मैं आपको नाम बता दूंगा। जीपों द्वारा और कारों के द्वारा वे चोरियां करते हैं। उनको सजा होनी चाहिए, उनको दण्ड मिलना चाहिए। आप, विधि मंत्रीजी, सहयोग दें इन चोरियों को रुकवाने में, वे एस्टेब्लिश हो गए हैं बड़े-बड़े शहरों में, दिल्ली में एस्टेब्लिश हो गए हैं, पाली में हो गए हैं। वे लोग कारों और जीपों के द्वारा चोरियां करते हैं बाड़मेर जिले में, पाली जिले में, जालौर जिले में......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री मूलचन्द डागा : वे आपके मतदाता तो नहीं हैं, मंत्रीजी ?

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री भैरवलाल कालाबादल।

श्री भैरवलाल कालाबादल (खानपुर) : सभापति महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं.....

श्री मूलचन्द डागा : अब आप बुढ़ापे में क्या कहेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : डागाजी को कोई खतरा नहीं है ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : अकलेरा में दो मुंसिफ कोर्ट्स हैं । एक मुंसिफ कोर्ट की दो ब्रांच हैं । एक ब्रांच अकलेरा में इसलिए स्थापित की गई थी कि खानपुर क्षेत्र के मुकदमे ज्यादा हैं । अधिक मुकदमे होने के कारण दो मुन्सिफ कोर्ट चलती हैं वहां पर । तो मेरे इस कटौती प्रस्ताव के द्वारा यही मांग करनी है राज्य सरकार से कि खानपुर के मुकदमों को टैकल करने के लिए जो मुन्सिफ कोर्ट अकलेरा में है उस मुंसिफ कोर्ट की एक ब्रांच को खानपुर में ही स्थापित किया जावे । खानपुर बड़ा कस्बा है । आप सर्वे करा लें कि मुकदमे ज्यादा कहां के हैं । यदि खानपुर के लोगों के ज्यादा हों तो इन मुकदमों की सुनवाई के लिए मुंसिफ कोर्ट की एक ब्रांच खानपुर में स्थापित कर दी जाय तो लोगों को न्याय सस्ता मिलेगा । खानपुर के इलाके में एक तो रोड्स की सुविधा नहीं है, दूसरे बीच में कई नदियां पड़ती हैं । बरसात के दिनों में आठ आठ दिनों तक लोग अकलेरा में पड़े रहते हैं । बेचारे गांव के लोगों को ये मुकदमे बहुत महंगे पड़ते हैं ।

दूसरी बात यह है कि मुंसिफ कोर्ट में मुकदमे की एक मियाद होनी चाहिए ताकि कोई भी मुकदमे का निर्णय जल्दी हो जाय । कोई भी मुकदमा कम से कम साल भर के अन्दर फैसले हो जाय । मुकदमे दस-दस साल तक बराबर चलते रहते हैं, तारीखें बदलती रहती हैं और किसान परेशान होते रहते हैं । कभी मुंसिफ साहब छुट्टी पर हैं तो तारीख बदल दी, कभी किसी वजह से तारीख बदल दी । इस तरह से वर्षों तक मुकदमे चलते रहते हैं और गांव के लोग परेशान होते हैं । इस ओर ध्यान देना चाहिए । एक तारीख तय हो जाय कि इतने दिनों में मुकदमे का फैसला हो जाना चाहिए, निर्णय हो जाना चाहिए । अधिकतर मुकदमे पैंडिंग पड़े रहते हैं दस-दस साल तक । यह तो मुंसिफ कोर्ट के बारे में हुआ । मुन्सिफ कोर्ट अकलेरा में है । मैं यह नहीं कहता कि अकलेरा में नहीं होनी चाहिए । अकलेरा भी मेरे क्षेत्र में है और खानपुर भी मेरे क्षेत्र में है । मेरे क्षेत्र में दो मुंसिफ कोर्ट हैं । एक मुंसिफ कोर्ट या उसकी एक शाखा खानपुर में स्थापित कर देनी चाहिए । वहां की जनता इमारत की व्यवस्था कर देगी, रहने की सुविधा दे देगी । इसलिए एक मुंसिफ कोर्ट को खानपुर में स्थापित किया जावे ।

मेरा एक कटौती प्रस्ताव पुलिस की मांग पर है । मैं पुलिस के छोटे कर्मचारियों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता । छोटे कर्मचारी रात दिन पूरी ईमानदारी से ड्यूटी देते हैं । छोटे-छोटे कर्मचारी बिल्कुल ईमानदारी से सुरक्षा की कोशिश करते हैं । थाने में रहने वाले कई थानेदार भी ईमानदार हैं, मगर एस. पी. यह चाहता है कि मेरे पास किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए । इसलिए जो ईमानदार थानेदार हैं, जो ईमानदार थानेदार सौ रुपये तक रिश्वत नहीं ले सके, उस बेचारे को कोई एस. पी. टिकने नहीं देते । उसका ट्रांसफर करके इधर-उधर भेज देते हैं जिसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं । एक थानेदार है घनश्याम जो ड्यूटी देता है मेरे विधान सभा क्षेत्र में, वह मेरे को रोज नम्रतापूर्वक नमस्कार करता । एक दिन मैंने पूछ लिया कि तुझे क्या तकलीफ है कि रोज नमस्कार

(श्री भैरवलाल काला बादल)

किया करता है। उसने कहा, महाराज, मैं पुलिस विभाग से सी. आई. डी. में आ गया हूं। पहले तो कई वर्षों से सिविल पुलिस में था लेकिन अब मुझे सी. आई. डी. में भेज दिया है क्योंकि मैं रिश्वत लेना नहीं जानता। मैं किसी एस. पी. को पैसा नहीं दे सकता था इसलिए मेरा ट्रांसफर करके मुझे सी. आई. डी. में भेज दिया है। अब जनता पार्टी का राज आया है और आप जैसे विधायक आए हैं तो मेरी सुनो। मैंने प्रोफेसर साहब से कहा कि वह गरीब इस तरह से पड़ा हुआ है सी. आई. डी. में, उसको सिविल पुलिस में भेज दो। उन्होंने मेरी बात मान ली लेकिन अब उसको कोई किसी थाने में लेने को ही तैयार नहीं क्योंकि वह रिश्वत खा नहीं सकता। जब यह हालत हो गई कि उसको कोई एस. पी. लेने को तैयार ही नहीं हुआ तो मैंने कहा कि इसको मेरे यहां भेज दो। अभी पन्द्रह दिन भी नहीं हुए उसको आए, लेकिन एस. पी. को बुरा लगा उसने कहा, यह थानेदार किसी काम का नहीं है। मैंने कहा कि किस तरह से काम का नहीं है, यहां पर कोई चोरियां नहीं हो रही हैं, लड़ाई-झगड़े नहीं हो रहे हैं, यह बुरा किस लिये है, यह बता दो मुझे। एस. पी. साहब कहते हैं कि जो पुराने केस हैं उनकी तफतीश नहीं करता है। भाई, अभी आए 15 दिन हुए हैं, 15 दिनों में ही पुराने केसों की तफतीश कैसे कर लेगा। मामला कुछ भी नहीं। अब वहां पर पीर बाबू को लगाया है। पीर बाबू के आते ही गांव में एक नहीं अनेक चोरियां हो गई, एक को गोली मार दी। रात में मर्डर हुआ और पीर बाबू ने न मालूम कितना रुपया बना लिया। मामला अदालत में उलझ गया। मर्डर हो गया। गोली लगी। अब ये जो नये-नये विधायक आए हैं, जो मेरी आलोचना करते हैं....

श्री सभापति : आप अपनी बात तक ही सीमित रहें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मेरे लिये तो ये छोटे-छोटे बच्चे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : आप तो बुजुर्ग हैं।

श्री भैरवलाल कालाबादल : इनको रोज दस पैसे देता हूं फिर भी ये मुझे नहीं बोलने देते हैं। मेरी बात झूठ हो तो पूछ लो। गोली के लिए देता हूं। बच्चे हैं, कोई बात नहीं।

तो, सभापति महोदय, क्या हुआ। उस थानेदार को 15 दिन में एक महीने में, खानपुर से हटा कर दूसरी जगह भेज दिया, क्यों हटा दिया ? डी. आई. जी. हुकम निकाल गये। मैंने एस. पी. साहब से कहा, इसको मेरे इलाके से हटा दो, यह हजारों रुपया खाता है। किन्तु मेरी सुनवाई नहीं है। क्या करूं...

श्री रघोपतसिंह दमकासर : इधर आ जाओ।

श्री भैरवलाल कालाबादल : इसलिये मैं मंत्री महोदय को बार-बार सावधान करना चाहता हूं। मुझे दुःख है। इस बात का कि मंत्री महोदय हमारी बात पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं। मंत्री महोदय वही काम करना चाहते हैं जो कांग्रेस के मंत्री करते थे। हम कांग्रेस में थे तो जो विरोधी लोग जोर-जोर से विरोध करते थे उनकी

(श्री भैरवलाल कालाबादल)।

बात तो सुनते थे। इधर नाथूराम मिर्धा थे और उधर से विरोधी जोर-जोर से विरोध करते थे.....

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। कृपया विषय पर रहें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं पुलिस के, वे ईमानदार हैं और जो बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं, वे उनको मजबूर करते हैं, जनता को लूटने के लिए। वे चाहते हैं कि थानेदार उनके यहां पर घी की पीपी पहुंचावे। वह थानेदार फिर गरीब भैंस वाले को सताता है। वह घी की पीपी फिर एस.पी. के पास पहुंचती है, डी.आई.जी. के यहां पहुंचती है.... ..

एक माननीय सदस्य : आई. जी. के यहां भी पहुंचती है।

श्री भैरवलाल कालाबादल : मेरे को इसकी जानकारी नहीं है।

सभापति महोदय, अजमेर में बाबूराम कर के एक थानेदार है अलवर गेट पर। उसके पास एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति है। उसने एक रिपोर्ट कर दी, चूंकि मीणा जाति पुराने जमाने में जरायमपेशा जाति थी इसलिये जो चोरियां होती है, वे चोरियां रेलवे में मीणा जाति के कर्मचारी हैं, वे करवाते हैं। उस थानेदार ने सारे रेलवे कर्मचारियों पर छापा डाला और 24 तारीख को जितने मीणा कर्मचारी थे, उनको पकड़ कर ले गया। उनको मारा, पीटा, बिजली के करेन्ट लगाए। जिस तरह तानाशाही शासन में पीटते थे, वैसा का वैसा अत्याचार उनके साथ किया गया। परन्तु वे कर्मचारी चोर नहीं थे। पुलिस गैर जिम्मेदार थी ......

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें। दस मिनट हो गये हैं। आपकी बातें रोचक हैं लेकिन समय कम है। कृपया समाप्त करें।

श्री भैरवलाल कालाबादल : थोड़े में ही कह देता हूं।

तो मैं हाउस का ध्यान दिलाने के लिये यह बात कह रहा हूं। मैं गृह मंत्रीजी से भी मिला हूं। वह थानेदार नये-नये जाल रचता गया। उसने आई.जी., डी.आई.जी. दुनिया भर को यह कहा कि इसमें चोरी साबित हो रही है। हम पूछते हैं क्या चोरी हुई? घर में लोहे का डण्डा पड़ा हुआ मिला। सब जगह देख लो, मेरे घर पर कई डंडे पड़े मिल जायेंगे। मुझे भी पुलिस इस शक में पकड़ सकती है। चोरी का माल बरामद हो गया है क्या? इस तरह झूठे इल्जाम लगाते हैं। पुलिस झूठे इल्जाम लगाकर चोरी साबित करना चाहती है जब कि वे चोर नहीं हैं। कौन सा माल उनसे पुलिस ने बरामद किया है? कोई जवाब नहीं मिलता। अनुसूचित जाति और जन-जाति के हम 56 विधायक हैं। हम कहते हैं तो मंत्री महोदय हमारी बात सुनना नहीं चाहते हैं। विरोधी बोलेंगे तो सुनेंगे। समाज में उनका प्रचार होगा। हम 56 विधायक हैं परन्तु किसी ने चूं नहीं की। इसलिये सरकार में जो हैं वे सोचें।

आज लोग प्रदर्शन लेकर यहां पर आते हैं। आप घोषणा न करें कि कच्ची बस्ती वालों को प्लाट देंगे। उन्हें घोषणा नहीं,

(श्री भैरवलाल कालाबादल)

प्लाट चाहिए। आज प्रदर्शन लेकर आये हैं। वे मजदूर करेंगे तब जा के मंत्री लोग उनकी बात को स्वीकार करेंगे।

मेरा निवेदन है कि कम से कम पुलिस के अत्याचारों को आप दूर करें। पुलिस हमारी जान-माल की सुरक्षा के लिए है इसलिये जनता पार्टी की सरकार के साथ कन्धे से कन्धा मिला कर चलना चाहिये और ईमानदारी से काम करना चाहिये वरना यही काम करते रहेंगे तो उनकी बदनामी आपके सिर पर रहेगी। अब तक जितने अपराध किये हैं उनको भूल जाओ और जनता पार्टी की सरकार के साथ ईमानदारी के साथ व्यवहार करो। हम आलोचना नहीं करेंगे यदि पुलिस जनता की भावनाओं के अनुसार अपने आपको बदलें, ईमानदारी के साथ जनता की जान-माल की सुरक्षा करें।

यही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री ईश्वरचन्द्र।

श्री ईश्वरचन्द्र (पिड़ावा) : सभापति महोदय, मेरे कई कटौती प्रस्ताव हैं। मैं मुख्य रूप से न्यायपालिका के ऊपर, और विशेष रूप से निर्भीक न्यायपालिका पर अपने विचार प्रकट करूंगा।

सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार की X X X

× × ×

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि श्री एच. एम. बेग, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अपने जजमेंट में लिखा था :

'And if one can refer to a matter of common knowledge appearing from newspaper reports the number of detenues, arrested last year have already been released. This shows that the whole situation is periodically reviewed. Furthermore, we understand that the care and concern bestowed by the State authorities upon the welfare of detenues, who are well housed, well fed and well treated, is almost material.'

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जस्टिस चन्द्रचड़ का जो जजमेंट है शुक्ला वर्सेज गवर्नमेंट, इसकी तीन लाइन मैं पढ़ूंगा :

'Counsel after counsel expressed the fear that during the emergency the executive may whip and strip and starve the detenue and, if this be our judgment, even shoot him down. Such mis-deeds have not tarnished the record of free India, and I have a diamond-bright and diamond hard hope that such things will never come to pass.'

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जार्ज फर्नाण्डिस के साथ क्या हुआ। केरल में राजन काण्ड का क्या हुआ। ××× जिन्होंने यह कहा है कि हम को जैसा कानून बता दिया गया है। ×××

श्री मूलचन्द डागा : सही बात है।

××× अभिव्यक्ति उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की की गई।

श्री ईश्वरचन्द्र : हमारे यहां एडवोकेट जनरल, सुशील कुमार तिवारी हैं। उन्होंने हाई कोर्ट की फाइलें चोरी की हैं। वह सुशील कुमार तिवारी जनता पार्टी सरकार के एडवोकेट जनरल हैं।

कई माननीय सदस्य : शेम! शेम!

श्री ईश्वरचन्द्र : सुप्रीम कोर्ट में जो उस समय हैवियस कार्पस की रिट हुई है, उन्होंने उसकी समाप्त करने की कोशिश की है। अगर आप संविधान को देखें तो आर्टीकल 165 में लिखा है:—

"Article 165-(1).—The Governor of each State shall appoint a person who is qualified to be appointed a Judge of a High Court to be Advocate General for the State.

(2) It shall be the duty of the Advocate General to give advice to the Government of the State upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character, as may from time to time be referred or assigned to him by the Governor, and to discharge the functions conferred on him by or under this Constitution or any other law for the time being in force.

(3) The Advocate General shall hold office during the pleasure of the Governor, and shall receive such remuneration as the Governor may determine.

यह रोज होता है।

श्री मूलचन्द डागा : Governor is the puppet in the hands of the Cabinet.

श्री ईश्वरचन्द्र : No Sir.

श्री मूलचन्द डागा : He is.

श्री श्योपतसिंह मकासर : Mr. Daga knows it better.

श्री ईश्वरचन्द्र : अभी तक सुशील कुमार तिवारी से इस्तीफा नहीं मांगा गया है जब कि उनके पास हाई कोर्ट की महत्वपूर्ण फाइल मिली है जो कि हाई कोर्ट कार्यालय में रहनी चाहिए। यह शुद्ध रूप से चोरी का मामला है।

स्टेट वर्सेज जग्गा

स्टेट वर्सेज बालकृष्ण

स्टेट वर्सेज भानुकुमार

स्टेट वर्सेज एम. बी. शर्मा

स्टेट वर्सेज डालू खां

ये फाइलें दुर्गासिंह चपरासी को मिलीं। यह दुर्गासिंह कौन है? यह जोधपुर काण्ड का प्रमुख गवाह है। बाद में जाकर यह होस्टाइल हो गया। यह लघु उद्योग निगम में काम करता था। वहां से इसे निकाल दिया गया था। तो एडवोकेट जनरल ने इसे अपने दफ्तर में नौकरी दी थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं, अगर यह चोरी की फाइल किसी सामान्य आदमी के घर में मिल जाती तो दो चार महीने तो उसकी जमानत नहीं होती। लेकिन सुशील कुमार तिवारी के घर सरकारी फाइलें मिलीं फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। 379 में यह मामला दर्ज होना चाहिए था। श्री वेदपाल त्यागी जो चीफ जज रहे हैं तथा जो यहां के अधिकारी हैं वह सभी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। अधिकारी लीपापोती करने में लगे हुए हैं। मैंने सुना है

(श्री ईश्वरचन्द्र) :

कि श्री तिवारी को हाई कोर्ट का जज बनाने में लगे हुए हैं। जजेज को मैन आफ हाई इन्टेग्रिटी होना चाहिए। ऐसे लोग अगर हाई कोर्ट के जज हो जायें....

श्री मूलचन्द डागा : तो कल्याण ही हो जाये।

श्री ईश्वरचन्द्र : आपका तो कल्याण हो गया।

वही एडवोकेट जनरल आज जनता सरकार में रहें......

श्री मूलचन्द डागा : पुलिस विभाग जांच करने जा रही है।

एक माननीय सदस्य : ठहरिये, ठहरिये।

श्री ईश्वरचन्द्र : लार्ड बेकन ने कहा है..

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चिन्तित क्यों हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : जनता पार्टी की सरकार में रहें तो बहुत अच्छी बात है। भ्रष्टाचार उन्मूलन का नारा है। यह खाली नारा है। धन्यवाद। ऐसे मेम्बर होने चाहिए जिन्दा दिल।

एक माननीय सदस्य : यह भ्रष्टाचार का बिल्ला आपने लगाया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ईश्वरचन्द्र : यह तो सुखाड़ियाजी के शासनकाल से हैं। यह तो लीगेसी में मिला है।

मैं कहना चाहता हूं, महामहिम राज्यपाल महोदय के प्रति मैं पूरा सम्मान रखता हूं लेकिन उन्होंने जो पूरा प्रकरण उठाया है उससे ऐसा लगता है कि कहीं राज्यपाल महोदय ने भ्रड़ंगा तो नहीं लगाया है। इसलिए मैं विधि मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार का जो काण्ड हुआ है, यदि हमको न्यायपालिका का मापदण्ड कायम रखना है तो सुशीलकुमार तिवारी को तुरन्त मुक्त किया जाये। अगर वह इस्तीफा नहीं दें तो उनको तुरन्त हटा दिया जाये। उनका एक महीने का टेलीफोन का बिल 40 हजार रुपया है। पहले जो भी गवर्नमेन्ट एडवोकेट बनाये गये हैं, सारे नियमों को ताक में रख कर बनाये गये हैं। आप निर्भीक न्यायपालिका रखने जा रहे हैं तो आप को यह करना होगा।

इसके अलावा मैं पुलिस पर बोलना चाहूंगा। पुलिस के मामले में मैं निरन्तर ही बोलता रहा हूं। जब तक आई. ए. एस. अफसरों की उसके अन्दर दखलन्दाजी रहेगी, जब तक उनका अतिक्रमण बन्द नहीं करेंगे। आई. जी. के ऊपर जो होम कमिश्नर है उनकी क्या क्वालीफिकेशन है। आई. ए. एस. हैं, उन्हें आई. पी. एस. के सर पर बैठाने का क्या तुक है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बोलने दीजिए।

श्री किशनसिंह भाटी : मैं तो सपोर्ट कर रहा हूं।

श्री ईश्वरचन्द्र : मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर आपको पुलिस प्रशासन सुधारना है तो आई. ए. एस. की दखलन्दाजी को हटाइये। जब तक आई. ए. एस. की दखलन्दाजी नहीं रोकेंगे, बुनियादी ढांचे में

(श्री ईश्वरचन्द्र)

सुधार करना कठिन होगा । मैं एक और कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं :

मैं आपके कहने से होठों को तो सी लूंगा,
लेकिन मेरे चेहरे का बदलेगा न अफसाना ।

श्री सभापति : श्रीमती नारंगी देवी ।

श्रीमती नारंगी देवी (किशनगंज) : सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगी कि 24 तारीख फरवरी माह में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर जघन्य अत्याचार हुए । किसी समुदाय या जाति विशेष में जन्म लेने से ही व्यक्ति विशेष को अपराधी ठहराया जाना कहां तक उचित है ? उस बात को लेकर लोगों ने भूख हड़ताल भी की लेकिन हमारे शासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगी कि जो थानाध्यक्ष है अलवर गेट वाला, श्री बाबूलाल जी को तुरन्त निलम्बित किया जाय और इस मामले की जांच कराई जावे ।

महोदय, हमारे इण्डियन पीनल कोड में भी यह प्रावधान है कि किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे तक कारागार में नहीं रखा जाना चाहिए जब तक कि उसके खिलाफ सारे सबूत न हों । 18 व्यक्तियों को जघन्य रूप से मारा गया, लाठी से, डण्डों से और लोहे की छड़ों से । मैं आपको निवेदन करूं कि उन लोगों की पिटाई की गई और उनके इलेक्ट्रिक करेन्ट भी लगाये गये । जिन्होंने उन लोगों को मारा-पीटा और उनका अपमान किया उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए । वास्तव में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को हमेशा की तरह ही सुरक्षा और संरक्षण दिया जाना चाहिए । राजस्थान में अधिक जनसंख्या शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की है । इस सदन में भी एक-तिहाई प्रतिनिधित्व है फिर भी हम लोगों की बातें नहीं सुनी जाती हैं ।

महोदय, हम लोगों की सुनवाई नहीं होती और हम पर बहुत अत्याचार किये जाते हैं । मालपुरा के एक व्यक्ति का केस मैं आपके सामने रखना चाहती हूं । उस व्यक्ति की खड़ी फसल को काट दिया गया लेकिन पुलिस खड़ी रही क्योंकि पुलिस की जेबें पहले से ही गरम कर दी गई थीं । इस मामले में मैंने माननीय गृह मन्त्री जी का ध्यान भी आकर्षित किया था । उन्होंने बड़ी कृपापूर्वक इस मामले को सुना लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है ।

महोदय, मैं आपका ध्यान थानों में रखी हुई महात्मा गांधी की फोटो की तरफ दिलाना चाहती हूं । उस फोटो में महात्मा गांधी के हाथ की अंगुलियां खुली हुई हैं । वास्तव में हमारे राष्ट्रपिता अहिंसा, सत्य, शांति की बात करने वाले थे किन्तु थानाध्यक्ष उनके चित्र का मिसयूज करते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं । पांच अंगुलियों की ओर इशारा करके किसी से पांच, किसी से पचास, किसी से पांच सौ रुपये और किसी-किसी से पांच हजार रुपये तक लेते हैं । गरीब और दुखी व्यक्ति जब उनको रुपये नहीं देते हैं तो उन पर अत्याचार किया जाता है । वे लोग इधर उधर भटकते रहते हैं । पुलिस के लोग इस लालसा में रहते हैं कि पचास रुपये, पांच सौ या पांच हजार तक देने पर राजी हो जायं ।

महोदय, एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी । पुलिस वायरलैस

Page No 101

(101)

(श्रीमती मारगी देवी)

और रिसर्च डिपार्टमेण्ट में डवलपमेन्ट के नाम पर हजारों रुपये प्रति वर्ष खर्च किये जाते हैं किन्तु आज तक इनमें कोई प्रगति नहीं हुई। महोदय, जितने इक्विपमेन्ट्स बंगलौर लिमिटेड से खरीदे जाते हैं वे सब पुराने और सैकिन्ड हैण्ड होते हैं। उनको नया बता कर खर्चा किया जाता है। हर साल डाइरेक्टर पुलिस वायरलैस को अच्छे काम के लिये दो सौ रुपये तरक्की के रूप में दिये जाते हैं यह न्यायोचित नहीं है। मुख्यमंत्रीजी जब यह कहते हैं कि खजाने में धन की कमी है तब इस प्रकार से धन का अपव्यय हो यह कहां तक उचित है। महोदय, मैं यह निवेदन करूंगी कि पुलिस प्रहरियों को 5/- रु. देने की बात न्यायोचित है।

आदिवासी एरिया किशनगंज और शाहबाद के बारे में निवेदन करती हूं कि पुलिस आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करती है। मेरे यहां पांच थाने हैं। पुलिस के हैड कान्सटेबल और एस. एच. ओ. गरीब लोगों की शिकायत नहीं सुनते हैं। सुनते भी हैं तो पहले उनकी जेब गरम करनी पड़ती है नहीं तो वे शिकायत नहीं सुनते हैं। वे उनसे बात भी नहीं करते हैं। और तो और 12 महीने में मेरे क्षेत्र में आठ हत्यायें हुई और चोरियों का तो कोई अन्त ही नहीं है। और तो और मेरे यहां पशुओं की बहुत चोरियां होती हैं। गाय, बैल, बकरियां, और भेड़ें एक स्थान से दूसरे स्थान पर चोरी चली जाती हैं। जब रिपोर्ट की जाती है तब पुलिस मैन और हमारे एस. एच. ओ. उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। जब उनको बता दिया जाता है कि फलां घर में चोरी के पशु मौजूद हैं तो भी कार्यवाही नहीं करते हैं।

महोदय, मेरे क्षेत्र की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। वहां पर डकैती की वारदातें अकसर होती रहती हैं। आठ दिन पहले आंपरा गांव में डाका पड़ गया और हजारों का माल डाकू लूट कर ले गये। इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि इस प्रकार के अत्याचार और अनियमितताओं को रोकने के लिये, चोरियों और डकैतियों की वारदातों को रोकने के लिये उस स्थान पर एक फलाइंग स्क्वेड रखी जाय जो लोगों की जान-माल की सुरक्षा कर सके। पुलिस के प्रति जो लोगों का भय है और असुरक्षा की भावना है वह दूर होनी चाहिए।

महोदय, इन लोगों को एक साइक्लोजिकल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एक सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के अनुसार बात कही जाय न कि मारपीट की जाय और लोगों के ऊपर अत्याचार किये जायं। पुलिस के जो कर्मचारी, अपराधियों को खोज निकालने के अन्दर मर जाते हैं उनके लिए एक कल्याण कोष होना चाहिए जिसमें से कुछ राशि उनके परिवार को सहायता के लिये दी जानी चाहिए। बहुत से पुलिस कर्मचारी डाकुओं से मुठभेड़ में मारे जाते हैं उनके परिवार को कल्याण कोष में से सहायता दी जानी चाहिए। उनको मैस अलाउन्स, फैमिली अलाउन्स, वर्दी अलाउन्स और हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जाना चाहिए। मेरे क्षेत्र में जो थाना है उसकी हालत बहुत खस्ता है इसलिए मैं मांग करूंगी कि थानों को एक विशेष प्रकार का अनुदान दिया जाय और उनकी बिल्डिंग को अच्छा बनाने की व्यवस्था की जाय।

महोदय, सरकार ने यह निर्णय लिया था कि गवर्नमेन्ट लॉयर्स का एक पैनल बनाया

(श्रीमती भारती देवी)

जायगा जो गरीब लोगों को मुफ्त में कानूनी सलाह देंगे और मुकदमे भी लड़ेंगे। बोण्डेड लेबर और बन्धक मजदूरों को राहत देने के लिये भी यह बात कही गई थी। किन्तु दुःख का विषय है कि वकील लोग गरीब परिवारों के लोगों से फीस वसूल करते हैं और फीस नहीं देते हैं तो उनके मुकदमें नहीं लड़ते हैं। मैं चाहूंगी कि जो वकील उनका मुकदमा लड़ते हैं उनकी फीस एक यूनिफार्म पैटर्न पर फिक्स की जाय ताकि सस्ता और शीघ्र न्याय मिल सके।

किशनगंज और शाहबाद का एरिया आदिवासियों और गरीब लोगों का है वहां पर 110 मील और 120 मील पर एस. डी. ओ. कोर्ट नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि एक एस. डी. ओ. कोर्ट शाहबाद किशनगंज में रखी जाय ताकि जल्दी से जल्दी वहां के हजारों लोगों को कानूनी न्याय मिल सके। नहीं तो होता क्या है कि एक ही केस तीन-चार साल तक चलता रहता है और गरीबों को न्याय नहीं मिलता है।

मेरे क्षेत्र में जमीनों के मामले अभी तक नहीं निपटाये गये हैं, एक ही जमीन के चार-चार मालिक हैं। खड़ी फसल को कोई भी काट ले जाता है, इसकी वजह से मारपीट होती है और हमेशा वारदातें होती रहती हैं। इन झगड़ों को सुलझाने के लिए तत्काल व्यवस्था की जानी चाहिए। वास्तविक व्यक्ति को अलाटमेन्ट होना चाहिए और अन्य लोगों को दूसरी जमीन देनी चाहिए। गरीब लोगों पर अत्याचार हमेशा से हो रहे हैं।

श्री प्योपतसिंह मकासर : अब कम हो रहे हैं क्या ?

श्रीमती भारती देवी : मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि रघुवीरसिंह, थानेदार जेल से छूटने के बाद गरीब लोगों पर अत्याचार करता है।

गरीबों की जमीनों को भिन्न-भिन्न नामों से तहसीलदारों के मार्फत हड़प जाते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध विशेष प्रकार की कार्यवाही की जाए। यहां मंत्री महोदय के पास लोग आते हैं, मंत्री महोदय कलेक्टर को भेजते हैं, कलेक्टर तहसीलदार और एस. डी. ओ. के पास भेजता है, तहसीलदार नायब तहसीलदार या पटवारी के पास भेजता है। पटवारी की जब तक पूजा नहीं होती तब तक वह ध्यान नहीं देता है। पुलिस जो वास्तव में जनता की सेवा करने वाली है उसको वास्तव में जनता की रक्षा करनी चाहिए, लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए।

श्री सभापति : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, कानून है, नियम हैं सब हैं, लेकिन पैसे वालों के लिए। ये सारे कानून की किताबें और कोर्ट्स व पुलिस सब पैसे वालों के लिए हैं। ये सारी बातें हम करते आए हैं और आप भी करते जायेंगे। कानून एक....

(3.32 म. प.)

(श्री मंजूर अली, सभापति, पीठासीन)

मकड़ी का जाल है, जिसमें गरीब फंसकर लटकता है, साहूकार छूट जाता है। यह सारी बकवास मैं कई सालों से करता आया हूं। आप कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं या नहीं ? लीगल एड टु दी पूअर की बात 1928 से चल रही है। जस्टिस टू दी पीपुल देने की बात करते हैं लेकिन रिपोर्ट

(श्री मूलचन्द डागा)

आफ दी एक्सपर्ट कमेटी आन लीगल एड के ऊपर आज 20 साल के बाद भी क्या हुआ ? "To no one will we sell, to no one will we refuse or delay, right or justice." जो राज गरीब को न्याय नहीं दे सकता, वह राज रहने का अधिकारी है या नहीं ? चाहे कोई राज हो......

कुछ माननीय सदस्य : इसलिए तो आप लोग हट गए ।

श्री मूलचन्द डागा : हां इसलिए हट गए । अब तो आपका राज आ गया, मुबारक हो । आपका राज आने के बाद जिस तरफ से आप कह रहे हैं उस तरफ से न हटें । आप हजारों वर्ष रहें लेकिन गरीबों की दुआयें लेकर रहें ....

कुछ माननीय सदस्य : जैसे आपने लीं ।

श्री मूलचन्द डागा : हमने नहीं लीं, हमारी गलती हुई, हमसे पाप हुआ लेकिन हम चाहते हैं आप अच्छे काम करो । यह राज्य का सवाल है । आप और हम लड़ते रहेंगे । आप हम पर कचरा डालेंगे, मैं आप पर डालूंगा लेकिन उसका ये अधिकारी मजा लेते रहेंगे ।

आपका भ्रष्टाचार निरोधक विभाग है, इसके आंकड़े मैंने देखे । इसको आप बंद कर दो । यह महकमा बंद हो जाए तो बड़ा लाभ होगा । भगवान के नाम पर इसको बंद कर दो । जब इस विभाग के आंकड़े देखता हूं तो मेरी गर्दन नीचे हो जाती है । इस में लिखा है कि 17518 शिकायतें प्राप्त हुईं और 130 शिकायतों पर मुकदमे दर्ज किए गए । 15838 शिकायतें उप-महानिरीक्षकों, जिला पुलिस अधीक्षकों तथा अन्य विभागों को भेजी गई । यह भ्रष्टाचार निरोधक विभाग क्या करता है ? पोस्टमैन का काम करता है या भ्रष्टाचार मिटाने का काम करता है ? रिपोर्ट में कहा है कि गुमनाम पत्र आये उन्होंने दो गुमनाम रिपोर्ट्स । जितने भी पुराने थानेदार हैं, पुराने एस पीज हैं उनकी दौलत की जांच करो । थानेदार, इंजीनियर और बड़े-बड़े अधिकारी जो हैं उनकी जांच करो, उनके पास पूंजी कहां से आई ? उन्होंने जो नाजायज तरीके से पैसा इकट्ठा किया है, उससे तो राजस्थान नहर पूरी हो जाय । पूरा विभाग बना रखा है और रिपोर्ट यह आती है कि 50 केसेज भी निपटा नहीं सके । गुन्डे पकड़े नहीं जा सकते, बेईमान को नीचे नहीं ला सकते । कौनसी ऐसी अदालत है जहां सिविल जज पैसा नहीं लेता है, जहां बगैर पैसे लिए रजिस्ट्री करते हैं ? कौनसा ऐसा तहसीलदार है जो गांव के सरपंच के यहां हराम की रोटी नहीं खाता है और टी. ए. डी. ए. नहीं उठाता है ? कौन ईमानदार है ? इस प्रकार दुनिया को स्वच्छ प्रशासन देने की बात कह कर, हमने तीन करोड़ जनता को धोखा दिया, उनके आंसू पोंछ नहीं सके । थाने पर लिखा है "May I help you" क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूं ? भगवान बचाए वहां जाने से । हटा दो उन सबको । थानेदार, एक एस. पी. ईमानदार हो जाए, तो बड़ा परिवर्तन आ जाए । सभी एस. पीज. के घर पर सिपाही काम करते हैं । उनसे खेती कराते हैं । पुलिस विभाग को शर्म आनी चाहिए । 24 करोड़ तो क्या 25 करोड़ ले लो, 27 करोड़ ले लो, हम मना नहीं करते लेकिन सरकार पब्लिक सर्वेंट में ही निहित नहीं है, यह देश आपका और हमारा भी है ।

कांग्रेस वाले कीचड़ उछालते हैं—जनता

(श्री मूलचन्द डागा)

पार्टी पर और जनता पार्टी हम पर कीचड़ उछालती है, मजा ये अधिकारी लेते हैं। यह तबादले की सरकार है, थानेदार फुटबाल की तरह है। आज किक मारी, सीधा गया झालावाड़। वहां से किक मारी, सीधा पहुंचा पाली। क्या जरूरत है विधायक की मंत्री से कहने की, साहब! इसका ट्रांसफर कर दो। मैं जनता पार्टी के मंत्रियों से कहना चाहता हूं कि मंत्री पद छोड़ दो लेकिन विधायक के कहने से ट्रांसफर मत करो, भ्रष्टचार की जांच करो और जांच करके दोषी अधिकारियों को सजा दो। कह दो कि मेरा काम नहीं है ट्रांसफर करने का। धंधा खोल रखा है। यह क्या तरीका है? इन आंकड़ों को, सम्पतरामजी, आप पढ़ो। अभी एक सदस्य ने कहा कि डी. आई. जी. के घर पर कितने सिपाही काम करते हैं। गृह मंत्रीजी, यदि मैं आपकी जगह होता, वैसे होने की आशा नहीं है, तो जिस अधिकारी के घर पर कबूतर और जानवर पलते हैं सिपाहियों की मदद से वह अधिकारी सींखचों में बंद होता। हमारी बातें चलती रहेंगी हम कई बातें कह देंगे कोई असर नहीं होगा। मैंने 2 दिसम्बर, 1977 का हिन्दुस्तान टाइम्स पढ़ा है। मैं कुछ वाक्य आपको पढ़ कर सुनाता हूं:

"The Rajasthan Home Minister's strict instructions to police authorities to round up even suspected criminals to control crime and lawlessness, have made no impact on the sitution in Jaipur."

यह लिखा है। उन्होंने फिर कहा है कि होम मिनिस्टर साहब ने इन्स्ट्रक्शन दिये उसके बाद The number has increased, the number has gone up. यह रिजल्ट है आपके सामने। आप देखिये, आप कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि इस साल में हमारे यहां पर, 62244 मुकदमे दर्ज हुए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा होम मिनिस्टर साहब, आप मुझे यह बता दें कि इन मुकदमों में से कितने मुकदमों में आप कनविक्शन करा सके? आप मुझे एक भी बता दें। आपने इनमें से कितने मुकदमों के चालान पेश किये? आपने लिखा है कि 29979 मामलों में चालान किया है। बड़े शर्म की बात है, 62244 मुकदमे आपने दर्ज किये और उनमें से आपने 29979 मुकदमों का ही चालान किया, आपकी गर्दन शर्म से गढ़ नहीं गयी। अरे, आपकी पुलिस पर कोई असर नहीं होने वाला है क्योंकि आपके महकमे में भ्रष्टाचार रग-रग में समाया हुआ है। यह तो आपके शरीर में कोढ़ की तरह फैल गया है। आपके मुख्यमन्त्रीजी ने यहां पर शपथ लेते ही बड़े लम्बे-लम्बे भाषणों में कहा था कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। मैं आपके मुख्यमन्त्री, भैरोंसिंह शेखावत को कहना चाहता हूं कि कहां गयी तुम्हारी घोषणायें भ्रष्टाचार को मिटाने की? क्यों दुनिया को, जनता को भुलावे में डालते हो कि भ्रष्टाचार मिटा दूंगा? मैं कहना चाहता हूं कि आपके पुलिस विभाग में ऊपर से लेकर नीचे तक, एस. पी. से कान्सटेबल तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। करना चाहो तो करो कुछ। आप कहते हैं कि हमारी जनता पार्टी की सरकार जनता को सस्ता और सुलभ न्याय दिलायेगी। मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहूंगा कि आप डिपार्टमेन्ट में खुद के स्तर पर जांच करायें। आप को तो हरिजनों से हमदर्दी होगी। आप बताओ कि कितने ऐसे थानेदार हैं जिन्होंने हरिजनों के साथ जो अत्याचार हुए हैं उनमें उनकी मदद की। अगर नहीं की, जहां बलात्कार के मामले हुए हैं उन पर कोई एक्शन किसी थानेदार ने नहीं लिया है और

(श्री मूलचन्द डागा)
अगर आप जांच में यह पायें कि इस थानेदार ने हरिजनों के साथ बलात्कार या अत्याचार के केसेज में कोई एक्शन नहीं लिया तो आप उस थानेदार को डिसमिस कर दीजिये। अगर किसी हरिजन ने कोई गलत रिपोर्ट किसी के खिलाफ में देदी हो तो आप उस गलत रिपोर्ट देने के लिये उस हरिजन के खिलाफ में दफा 182 के तहत कार्यवाही कीजिये। जैसा कि अभी इस सदन में बहन नारंगी देवी ने बताया था।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं कि अभी कुछ समय पहले एक हरिजन महिला के साथ बलात्कार किया गया, पुलिस ने रेप का केस नहीं बनाया और उस हरिजन महिला की मृत्यु हो जाने से उसको रेप के बदले सुसाइड का केस बना दिया और केस को खतम कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, हमने उस केस को वापस रेप का केस बनवा कर उस थानेदार और हैड कान्सटेबल को रेप केस के तहत चालान पेश नहीं किये जाने के लिये सस्पेन्ड किया और उस केस को रेप केस बना कर मुलजिमों का चालान पेश किया।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको इसके लिये धन्यवाद देता हूं आपने एक काम तो अच्छा किया। इसी तरह आप और केस बताइये, यह तो एक ही है। इसके अलावा मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो पुलिस के एस. पी. और डी. वाई. एस. पी. साहब हैं उनको भी इस बात की हिदायत दें कि वह इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई भी व्यक्ति उनके पास जावे एफ. आई. आर. दर्ज कराने या किसी मुकदमे के सिलसिले में तो अदब से बात करें। ऐसा नहीं कहें कि सीधा खड़ा होजा। उसको बैठने को कुर्सी दें।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्रीमान, मैं आपकी घन्टी से बहुत डरता हूं। आप जैसे इन्साफ पसन्द व्यक्ति को तो मुझे बोलने की छूट देनी चाहिये।

श्री सभापति : आप काफी समय ले चुके हैं। कृपया जल्दी समाप्त कर दें।

श्री मूलचन्द डागा : आप एस. पी. और थानेदार को कहिये कि कोई जाव तो बैठने को कुर्सी दें, गाली नहीं दें। यह नहीं कहें कि खड़ा हो जा। आप मेहरबानी करके उन्हें थोड़ा शिष्टाचार समझाएं। आप सरप्राइज चैकिंग थानों का भेष बदल कर कीजिये। जैसे कि हमारे भूतपूर्व स्टेट जोधपुर में महाराजसिंह प्राइम मिनिस्टर करते थे वैसे ही आप भी कीजिय तभी इनको अकल आयेगी।

श्री सभापति: आप समाप्त किजिये।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, बस जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

अब थोड़ा मैं विधि मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। आप से काफी सुना भाषणों में कि हम जनता पार्टी वाले लोग जब पावर में आ जायेंगे तो जनता को सुलभ और सस्ता न्याय देंगे। तो हम यह जानना चाहते हैं, आप हमें बतायें तो सही कि आप किस प्रकार जनता को सस्ता और सुलभ न्याय देंगे? क्या व्यवस्था होगी आपकी?

श्री सूर्यनारायण चौधरी : 20 सूत्री कार्यक्रम वाली।

श्री मूलचन्द डागा : 20 सूत्री कार्यक्रम वाली। अच्छा तो आप एक कमेटी बैठाइये।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

उसके माध्यम से आप देखें कि क्या-क्या आज कमियां हैं आपके यहां। उनको रिमूव किस प्रकार किया जा सकता है उसके लिये जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगाकर आप अपने कानून में प्रोविजन कीजिये। ताकि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। सभापति महोदय, सन् 1957 में कांग्रेस सरकार ने गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये उन्हें फ्री लीगल एड देने के लिये 5 लाख रुपये का प्रोवीजन रखा था आप आज अन्त्योदय योजना और समग्र क्रान्ति की बातें करते हैं और आपके मुख्य मंत्री, भैरोंसिंह शेखावत कहते हैं .....

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

सभापति महोदय, ज्यों ही मैं मुख्य मंत्रीजी का नाम लेता हूं आप घन्टी बजा देते हैं, पता नहीं आपको क्यों....

श्री सभापति : आप कृपया जल्दी समाप्त कीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : हां जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं।

अब मैं एक बात निवेदन करता हूं कि आपके लॉ कमीशन ने क्या रिपोर्ट में कहा? उसमें लिखा है, श्रीमान्:

"It is one of the primary duties of the State to provide the machinery for the administration of justice, and on principle it is not proper for the State to charge fees from suiters in court."

श्रीमान्, यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट है लॉ कमीशन की फोर्टी फोर्थ, इसके अन्दर यह सारी बातें कही हैं।

श्री सुरेश कुमार : यह कौन से सन् की है?

श्री मूलचन्द डागा : यह है सन् 1973 की।

श्री सुरेश कुमार : उसके बीच में क्या हुआ?

श्री मूलचन्द डागा : कुछ नहीं हुआ। बस इतना ही हुआ कि हमने काम नहीं किया, हमने गलती की और गलती की सजा हमें मिली लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि आप उस गलती को मत दोहराओ।

एक माननीय सदस्य : यही तो हम चाह रहे हैं कि आप यह कहते जाओ।

श्री मूलचन्द डागा : यह तो मैं एक बार नहीं, एक सौ बार नहीं, एक हजार बार कह दूंगा कि हमने गलती की है पर हमें आशा है कि नये विधि मन्त्रीजी कुछ करेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप बोलते रहें।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, अब मैं थोड़ा लॉ आफ टोर्ट्स के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज एक व्यक्ति किसी को चपत मार दे या किसी व्यक्ति के ऊपर घूसा उठा दे, थप्पड़ मार दे तो उसके लिये अभी कानून में जो प्रोविजन है वह है, 323 का केस दर्ज करके आप चालान कर दें। अब वह बेचारा एक तो थप्पड़ खाता है दूसरे मुकदमे करने से उसके पैसे की चपत और पड़ जाती है। तो ऐसे मुकदमे में लॉ आफ टोर्ट्स में प्रोविजन करना चाहिए। मेरा सुझाव है कि लॉ आफ टोर्ट्स में आपको ऐसा प्रोविजन करना चाहिये जिससे उस व्यक्ति को कम्पन्सेशन मिल जाय। वरना उसके थप्पड़ तो लग गया, उसके पैसों

(श्री मूलचन्द डागा)

का धब्बा और लग जाता है और दूसरी पार्टी के खिलाफ न तो कोई केस पूरा बनता है और न ही उसे सजा मिलती है । इसलिये मेरा यह सुझाव है ।

इसके अलावा एक बात मैं यहां की लाइब्रेरी के बारे में कहूंगा । लाइब्रेरी में अपटूडेट पुस्तक ही नहीं है । पार्लियामेन्ट में तो लाइब्रेरी की पूरी व्यवस्था थी । हमारे यहां पर लेजिस्लेचर्स के लिये व्यवस्था तो होनी चाहिये ।

श्री सभापति : आपको 15 मिनट से ज्यादा हो गये हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, मैं तो एक मिनट भी नहीं बोला । मैं तो लिखा हुआ पढ़ रहा था ।

श्री सभापति : अब आप समाप्त कर दें ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप एक कमेटी बैठायें । फिर आप उसके सजेशन्स के अनुसार लॉ में चेन्जेज करें । यह जो लॉ आफ टोर्ट्स की बात मैंने कही.....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप क्या चाहते थे लॉ आफ टोर्ट्स में ? सुधार ।

श्री मूलचन्द डागा : सभापति महोदय, विधि मन्त्रीजी को सुनने का बड़ा शौक है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं . . .

श्री सभापति : आप बहुत ही शोर्ट में कहें ।

श्री मूलचन्द डागा : बहुत ही शोर्ट में कहूंगा ।

मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार दूसरे देशों में लॉ आफ टोर्ट्स में हर्जाना दिया जाता है उसी प्रकार हर्जाना देने का प्रोविजन करें । हर्जाना छोटे-मोटे मामलों में दिया जाना चाहिये । That can be compensated by money मैं यह चाहता हूं वह प्रोविजन हो । आप इसके लिये जल्दी से जल्दी निर्णय ले लें ।

वैसे बड़ा नाम है आपका । आप सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये बड़े-बड़े भाषण दिया करते थे तो आप कम से कम न्यायालय में ऐसी व्यवस्था तो कर दें, किसी भी न्यायालय में एक केस के जजमेन्ट के लिये आप टाइम लिमिट बान्ध दें । मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के डे टू डे वर्किंग के अनुसार जल्दी से जल्दी केस खतम हो, ऐसी व्यवस्था हो । ऐसा होने देने में जो सबसे बड़ी बाधा है वह है, सभापति महोदय, वकील वर्ग । यह एक ऐसा वर्ग है जो कि इन पुलिस वालों का, मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों का और बाबूओं का पढ़ा-लिखा दलाल है । यह उनकी दलाली करता है ।

श्री सभापति : मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप विराज जायें ।

श्री मूलचन्द डागा : अच्छा साहब ।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : सभापति महोदय, न्याय प्रशासन की मांग पर मैंने भी दो-तीन कटौती के प्रस्ताव आपके समक्ष रखे हैं । एक तो यह कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे जनता को सस्ता, सुलभ और स्पीडी न्याय मिले । आज, सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार आये हुए एक साल होने को है पर यह स्पष्ट हो गया कि जनता को जनता पार्टी अभी तक किसी भी प्रकार सस्ता और सुलभ न्याय नहीं दिला पायी है । जो घोषणायें जनता पार्टी ने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

आपने मैनीफेस्टो में की थीं वे सब घोषणायें बेकार हो गयीं। जनता पार्टी ने अभी तक कुछ नहीं किया। हां यह बात जरूर करते हैं कि चूंकि इन्दिरा गान्धी के खिलाफ में केस शान्ति भूषणजी ने लड़ा, इसलिये उन्हें केन्द्र में विधि मन्त्री बना दिया और सूर्य नारायण जी चूंकि उनके असिस्टेन्ट थे उस केस में इसलिये इनको यहां राजस्थान में विधि मन्त्री बना दिया।

एक माननीय सदस्य: दोनों ही काबिल हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई: हां साहब, दोनों ही काबिल हैं। मुकदमा लड़ने की फीस भी वकील साहब को मिल गयी, तपस्या पूरी हुई। पर गरीबों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये, स्पीडी न्याय दिलाने के लिये आपने अभी तक कुछ नहीं किया है। अगर यह आप नहीं करोगे तो आप ज्यादा दिन तक सुशोभित इस कुर्सी पर नहीं रह सकोगे।

(व्यवधान)

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आज जो हरिजनों के साथ और गांव में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है उन मामलों में आप क्या कर रहे हैं? आपने अभी तक क्या कार्यवाही की? आपने क्या-क्या आदेश फर्माये? कितने लोगों को राहत मिली, इसकी रिपोर्ट क्या है? मैं समझता हूं, आपके पास कुछ नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं। आज न्यायालयों में स्थिति यह है कि जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट्स हैं उनमें बहुत ही हार्ट बर्निंग है इसलिये वह काम नहीं करते हैं। आर. ए. एस. और आर. जे. एस. दोनों की ग्रेड बराबर नहीं हैं। आगे जाकर आर. ए. एस. के लिये तो सीनियर ग्रेड है और सलेक्शन ग्रेड है पर जुडिशियरी में आर. जे. एस. के लिये कोई ऐसा प्राविजन नहीं है। उनका ग्रेड समान हो इसके लिये कई बार घोषणायें हुईं। जब बरकत साहब मुख्यमन्त्री बने तब उन्होंने भी मन्सिफ मजिस्ट्रेटों की ग्रेड बढ़ाने के लिये और प्रमोशन एवं सुविधाओं के लिये घोषणा की। अब आपके नये मुख्य मन्त्रीजी भैरोंसिंहजी बने तो इन्होंने भी घोषणा की, पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अब आप क्या करने जा रहे हो, यह बता दें? उस समय पर जो विधि मंत्रीजी थे उन्होंने घोषणा कर दी थी और जो कुछ भी मांग थीं उनके लिये कह दिया था कि सब मांगों की पूर्ति हो जावेगी। ग्रेड्स वगैरह सब ठीक कर देंगे लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दिया कुछ नहीं। इसलिये आपसे कहना चाहूंगा कि आप कार्य करने की दृष्टि से कार्य करें ताकि जुडिशियरी में काम हो सके।

इसके अलावा हाई कोर्ट का डिसइन्टीग्रेशन करके एक बैंच जयपुर में ले आये। आपको याद होना चाहिये कि जब हाई कोर्ट का मसला चला था तो उस समय एक कमेटी बनी थी। उसी की रिपोर्ट के आधार पर, उसी की रिकमन्डेशन्स के आधार पर जोधपुर में हाई कोर्ट बना था, उस समय भी दावे और काउन्टर दावे प्रस्तुत किये गये थे। उस समय सब ने यही बात कही थी कि एक युनिफाइड हाई कोर्ट होनी चाहिये। उसी आधार पर इसको जोधपुर में शिफ्ट कर दिया लेकिन फिर पार्टीबाजी चली। इसमें कितना पैसा बरबाद हुआ, कितने आन्दोलन चले, कई लोग इधर-उधर हो गये। इसीलिये अब मरुप्रदेश की मांग उठ गयी है। लोग यह सोचते हैं कि आप अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं। डेजर्ट के विकास के मामले में कुछ भी काम नहीं होता है। कोई आपका प्लान

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
नहीं है उसके लिये। पशुपालन के विकास का कुछ काम नहीं होता है। इस प्रकार से लोगों ने उपेक्षित होकर यह मांग रखी है। इस मांग को लेकर आपने देखा होगा पिछले दिनों ही जोधपुर बन्द रहा। पहले कहा कि जोधपुर के मंत्री बनावेंगे, आपने जोधपुर क्षेत्र के मंत्री नहीं बनाये। केवल विज्ञान मोदीजी ही रिप्रेजेन्ट कर रहे हैं।

(व्यवधान)

आप तो माला फेरो।

श्री सुरेश कुमार : क्या जोधपुर में ही रह जाने से इधर के लोगों को सस्ता न्याय मिल जायगा ?

श्री रघुनाथ विश्नोई : इधर माधोसिंहजी भी काफी प्रयत्न कर रहे हैं। उनको भी आप बना सकते हैं। भाटी साहब हैं वे भी काफी अच्छा काम कर सकते हैं। आप कहते हैं कि सोच रहे हैं। जयपुर में किसान आन्दोलन हो ही गया, आपने उसको भी देख ही लिया होगा। रोज आपस में आपके फाइट चलती है वह भी हम देख रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा, माननीय मंत्रीजी, आप कुछ न कुछ अच्छा काम करें और सही रूप में लोगों को सस्ता न्याय मिल सके, इसकी व्यवस्था करें।

इसके अलावा पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में मेरे दो-तीन कट मोशन्स हैं उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पुलिस प्रशासन की पुस्तक तो हमने पढ़ ली है। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है, क्या व्यवस्था है वह तो हर साल हम प्रगति विवरण में देखते हैं। हर साल ये ही बातें देखते हैं। लेकिन राज नया पल्टा है तो क्या आपने उसमें सुधार किया है, क्या परिवर्तन आप आगे करना चाहते हैं, इसका इसमें कुछ भी तो उल्लेख नहीं है। यह कहा कि मुकदमे ज्यादा रजिस्टर किये। पहले भी रजिस्टर किये जाते थे।

एक माननीय सदस्य : नहीं होते थे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बराबर होते थे। पुस्तक हम हर साल पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन बराबर होते हैं। जहां नहीं होते हैं तो थानेदार सस्पेंन्ड होता है। रूल्स हैं, सक्युलर्स हैं। लेकिन जो अनडिजायरेबल एलीमेन्ट्स हैं वे बहुत हावी हो गये हैं। वे लोग भय रहित हो गये हैं। इस सम्बन्ध में हम ही मांग कर रहे हों, ऐसी बात नहीं है, उधर से भी सदस्य मांग उठा रहे हैं। आज जो लॉ एण्ड आर्डर की परिस्थिति है, उससे लोग घबरा गये हैं। आप फुटबाल की तरह से थानेदार लोगों को घुमाते रहते हैं जिससे आज जो एडमिनिस्ट्रेशन सुचारु रूप से चलना चाहिये वह नहीं चल पाता है। मुखजबानी ट्रांसफर के आर्डर्स हो जाते हैं, अथवा मुखजबानी हुक्म दिया जाता है कि ऐसा करो। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि लिखित में आर्डर होगा तो ही तामील करेंगे। कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से करते थे आप भी वैसा ही करते हैं। इसलिये वह सब को कहते हैं कि लिखित में आर्डर ले आओ फिर आफिसर जाने और वे जानें। तो प्रशासन की हालत बिगड़ने का कारण एक यह भी है। इस ओर आपको ध्यान देना है। सांचोर में एक थानेदार आठ महीने रहा। उसका आठ महीने में चार बार तबादला हुआ। आई. जी. पी.; गृह मंत्रीजी के पास जनता पार्टी की झूठी शिकायतें होती थीं लेकिन पब्लिक के अन्दर वह बहुत ही पापूलर था। एस. पी. ने जांच कर ली, जितनी भी शिकायतें उसके खिलाफ थीं वे सब झूठी थीं। फिर टेलीफोन आया। वह एक प्रेस्टिज इश्यु बन गया। गृह मंत्रीजी

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

तो कहते हैं कि दो-दो साल से थानेदार बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महीने-महीने में ट्रान्सफर कर देते हैं। आप लोगों की दिक्कतों को नहीं देखते हो और आप अपनी जिद्द रखते हो। आप समझते हो कि तीस वर्षों तक हम पिसे, इसलिये आप अपनी मन की निकालो, उसमें हमें कुछ नहीं कहना। आपको तो पता ही नहीं था कि आप कुर्सी पर बैठ जाओगे। आपने तो इस तरह के ही भाषण दिये थे कि शायद हमारा राज आयेगा लेकिन लोगों ने आपको यह कुर्सी दे दी। आप जिम्मेवारी से काम लें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दूसरे जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उनके सम्बन्ध में दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। ज्यादातर पुलिस स्टेशन्स पर ही भ्रष्टाचार के मामले होते हैं। कुछ कमियां हैं तफतीश करने में, उनको दूर करने की आवश्यकता है। आपको, मेरा सरकार से यही कहना है, रूरल एरिया में जीप प्रोवाइड करनी चाहिये। ज्यादातर शिकायतें थानों में ही होती हैं। एक उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एक हरिजन का लड़का है एम.ए., एलएल.बी. सैकिन्ड ईयर। छुट्टी में अपने गांव गया। वहां पर उसको नाजायज शराब बनाने के मामले में फांस दिया। पुलिस ने उसका चालान कर दिया। गृह मंत्रीजी ने चालान नहीं करने का हुक्म दे दिया था। डिस्ट्रिक्ट विजिलैन्स कमेटी को रिपोर्ट ओब्जर्व करने के लिए कहा। वह शिकायत थानेदार के पास गई। आप देखेंगे कि उस गरीब हरिजन के, अनुसूचित जाति के लड़के को फांस दिया गया। विजिलैन्स कमेटी ने भी यही कहा कि इसके साथ पुलिस की ज्यादती है। चूंकि अदालत में केस चालान हो गया है इसलिये उसको विथड्रा किये वगैर इसको छोड़ा नहीं जा सकता तो केस विथड्रा किया जाय। दुबारा गृह मंत्रीजी ने चालान न करने को लिखा। तो इस प्रकार का उदाहरण है, एक व्यक्ति का कैरियर बरबाद कर दिया। वहां तो घर घर में नाजायज शराब निकलती है। वह पढ़ा लिखा है, न जाने वह शिकायत कर दे, इसलिये उसको फांस दिया। पुलिस से बचावें तो मरें और नहीं बचावें तो मरें, इस प्रकार की स्थिति आज है। अभी जो जे. पी. का उत्सव मनाया गया था वहां क्या नजारा हुआ। आज सारे देश में उसके कारण आक्रोश है। हम विरोधी पक्ष में बैठे हैं, यदि सही बात कहते हैं तो आपको उसको सही समझना चाहिए। लेकिन वह का वह ही नजरिया है। आप आपस में ही झगड़ा करते हैं। आज इतनी अनुशासनहीनता आगई है फिर गवर्नमेंट सर्वेन्ट अनुशासन कैसे मानेगा। मास्टर अनुशासन माने नहीं और गवर्नमेंट सर्वेन्ट अनुशासन माने नहीं। पुलिस में भ्रष्टाचार है। कोआपरेट करके आप जो अच्छे आदमी हैं उनको सपोर्ट करो और जो करप्ट हैं उनको ठीक करो तो एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होने वाला है। मैं कहता हूं वह ठीक है और वे कहते हैं वह ठीक नहीं है इस प्रकार की बातों से सुधार होने वाला नहीं है। जो सही बात है उसको मानना चाहिए और जो दिक्कतें हैं उनको दूर करना चाहिए। हाई कोर्ट से लेकर थानों तक जो व्यवस्था है उसमें आपको सुधार करना चाहिए। निश्चित रूप से व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है इसमें कोई दो राय है नहीं। गरीब को सस्ता और सुलभ न्याय देने की कोशिश करें वरना आपको खतरा पैदा होगा। हाल ही के राज्य के चुनावों का नतीजा आपके सामने

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
आ गया है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आगे आपका जो भविष्य है वह बड़ा अंधकार में है । आज इंदिरा गांधी को गालियां देने से कुछ होने वाला नहीं है । होने वाला इससे है कि आप क्या करने जा रहे हैं । यह परिस्थिति आ गयी है इसलिए आप जिम्मेदारी से काम करें ।

पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो संचार व्यवस्था है, ट्रेनिंग की व्यवस्था है, आर. ए. सी. के जवानों के भत्ते की बात है, मेस अलाउन्स की बात है, इस पर आप विचार करें। जो पुलिस कल्याण फण्ड है उसमें से लोगों को स्पीडीली रिलीफ देने की बात है, जो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनको रिलीफ मिलना चाहिए ताकि उनका मोरल ऊंचा हो । यह नहीं हो कि डंडा भी वह खायें और आगे जाकर मुलजिम भी वही बनें । जैसा कि अभी कुछ देर पहले माननीय गृह मंत्रीजी ने कहा कि हमने दो के चालान पेश कर दिये हैं। इसलिए जितनी लाइबिलिटी सब की हैं वह फिक्स की जानी चाहिए ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेशन ठीक जमे और पब्लिक सेटिस्फाई हो वरना जो परिस्थितियां चल रही हैं वह खतरनाक हैं । न्याय मंत्री और गृह मंत्री जी को बहुत महनत करके काम करना होगा । अगर महनत करके नहीं करेंगे तो आपका भविष्य बड़ा अंधकार में है। बस यही कहना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री खेतसिंहजी ।

श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : माननीय सभापति महोदय, विधि विभाग के बारे में मैं माननीय विधि मंत्री महोदय को तीन चार बातें निवेदन करना चाहूंगा ......

श्री सूर्यनारायण चौधरी : आप श्री रघुनाथ जी विश्नोई की बात का तो जवाब दे दें । वह कह गये कि पहले घोषणायें तो कर गये लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ । इसके बारे में थोड़ा सा कह दें ।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमारी सरकार ने जिस समय घोषणायें की थीं तो हमें मालूम था कि हम इस राज्य में वर्षों तक रहने वाले हैं। हम बहुत ही सोच समझ कर घोषणायें करते थे और जो घोषणा करते थे उनका पालन भी करते थे । आपको इलम नहीं था कि आप पावर में आ जायेंगे इसलिये आपने मर्जी में आया वह घोषणायें कीं । जिस समय आप घोषणायें कर रहे थे उस समय आपको सपने में भी आशा नहीं थी कि आप विधि मंत्री बन जाओगे । यह इत्तफाक है कि छीका टूट गया और आप मंत्री बन गये । इसलिये जो घोषणायें आपने की हैं उनको आपको पूरा करना है । अगर पूरा नहीं करेंगे तो निश्चित् मानिये कि आपके लिए यह घोषणायें मंहगी पड़ेंगी और समय आपको बतायेगा ।

सभापति महोदय, मैं तीन-चार सुझाव आपको देना चाहता हूं । जहां तक आपके विभाग के क्रिटिसिज्म का सवाल है मेरे से ज्यादा आपकी पार्टी के ही माननीय सदस्य कर देते हैं इसलिए मैं क्रिटिसिज्म करने की आवश्यकता नहीं समझता । मैं यह कहना चाहूंगा कि विधि संरचना संगठन, जो कि आपका नया महकमा बना हुआ है, इसलिए बनाया गया था कि जितनी भी लॉ बुक्स हैं वह हमको अंग्रेजी में मिलती हैं, हम यह चाहते कि भारत के अन्दर ज्यादा से ज्यादा उनका हिन्दीकरण हो, हमारे जो कानून हैं वह हमारी

(श्री खेतसिंह राठौड़)

भाषा में हों ताकि ग्राम नागरिक उनको समझ सके, पढ़ सके और उनसे लाभ उठा सके। इस दृष्टि से ही इस संगठन को बनाया गया था। इसके अन्दर काफी तजुर्बेकार व्यक्तियों को रखा गया था। आप यह जानते हैं कि विधि के शब्दों का हिन्दी अनुवाद कोई आसान चीज नहीं है कि हर एक कर लें। इसलिए इसमें बहुत ही अच्छी नालेज वाले व्यक्तियों की जरूरत है जिनका हिन्दी भाषा और अंग्रेजी भाषा में बहुत ही अच्छा ज्ञान हो। इस दृष्टि से यह संगठन बनाया गया था। इस संगठन ने काफी काम भी किया। लेकिन ज्यों ही आपकी सरकार आई, न मालूम किस कारण से उस संगठन को तोड़ दिया। उसकी जगह मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के रैंक के किसी व्यक्ति को बैठा दिया है। उनसे आप यह उम्मीद कर रहे हैं कि जितने भी कानून अंग्रेजी में हैं और जिनका ट्रान्सलेशन हिन्दी में नहीं हुआ है उनका वे हिन्दी अनुवाद करा देंगे। यह बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे सुझाव कभी-कभी हम अपोजीशन में बैठ कर देते हैं तो हम आपकी इस बात के हामी हैं कि पांच वर्ष जैसे-तैसे करके आप काम चला लेंगे लेकिन हम चाहते हैं कि राज्य का काम सुव्यवस्थित हो इसलिए यह निवेदन कर रहा हूं कि आप मेहरबानी करके इस पर विचार करें।

दूसरा मेरा यह निवेदन था कि 62 पद ऐसे हैं जिन पर डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज कायम किये हुए हैं। मेरे कई पूर्व वक्ताओं ने यह बात कही थी कि डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज और एडीशनल डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज की भर्ती में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति का एक भी व्यक्ति नहीं लिया है। आप निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि आपने क्यों नहीं लिया? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उस समय भी बहुत प्रयत्न किये थे और हाई कोर्ट से इस बारे में मैंने काफी बात भी की थी लेकिन हाईकोर्ट का कहना था कि जब तक किसी वकील की 7 वर्ष की प्रेक्टिस न हो और जब तक 30 सैशन्स केसेस में अपीयर होकर उनको कन्डक्ट न किया हो तब तक उस आदमी को कन्सीडर नहीं कर सकते। मैंने उस समय भी कहा था कि 7 वर्ष की जगह 5 वर्ष कर दो ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्ति आ सकें। लेकिन उस समय हाई कोर्ट ने मेरे सुझाव को नहीं माना। मेरी नालेज में भी है कि 6 वकील अनसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में प्रेक्टिस कर रहे हैं, जिनको 7 वर्ष हो गये हैं प्रेक्टिस करते और उनकी डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स कोर्ट में अपीयरेन्स भी है और केसेज को कन्डक्ट भी किया है। यदि उन व्यक्तियों को आप ले लेंगे तो आपके ऊपर जो लांछन लगाया जाता है वह नहीं लगेगा। यह आपका प्रगतिशील कार्य होगा और निश्चित रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों को एक भरोसा भी बंधेगा कि जनता सरकार हमारे लिए कुछ करती है।

हमने लीगल असिस्टेन्स टू दी पूअर्स का बड़ा काम चलाया था। उसमें प्रोविजन रखा था कि जो गरीब आदमी हैं उनसे कोर्ट फीस नहीं ली जाये, वकील भी सरकारी खर्चे पर कर दिया जाये ताकि वह अपना मुकदमा लड़ सकें। इसका प्रयास कुछ आरम्भ भी हुआ था लेकिन वह प्रयास हमने प्रारम्भ किया उसके कुछ रोज बाद ही आप जेलों से छूटे और यह परिवर्तन हो गया कि आप इधर से उधर चले गये और हम उधर से

(श्री खेतसिंह राठौड़)
इधर आ गये। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप ठीक तौर से प्रयास करें ताकि लोगों को सहूलियत मिले और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा सके।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता था कि आप नम्बर आफ केसेज के आधार पर कोर्ट्स खोलिये। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका डिस्पोजल भी होगा, केसेज का नम्बर जो एक-एक अदालत में हजारों पर पहुंच जाता है वह भी इतना नहीं पहुंचेगा और सुविधाजनक फैसले हो सकेंगे। इसलिए इस ओर भी ध्यान दें।

एक अन्तिम सुझाव देना चाहता हूं, जब हाई कोर्ट की बेंच यहां पर स्थापित की गयी थी तो उस समय जोधपुर का होने के कारण मुझ पर बहुत प्रेशर था। उस समय प्रधान-मंत्रीजी से भी इस मसले पर बात हुई थी। आपने पेपर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि हमें आश्वासन दिया था कि जोधपुर की किसी प्रकार से अहमियत कम नहीं होने देंगे। तो चर्चा चली उसमें यह तय किया था कि जोधपुर को दो बड़ी इन्डस्ट्रीज दे दी जायेंगी और दो सरकारी कार्यालयों के हैडक्वार्टर्स वहां रख देंगे। जैसा कि मैंने कहा कि चुनाव हो गये और आप पावर में आ गये। सरकारें बदलती हैं लेकिन सरकार के कमिटमेन्ट्स नहीं बदलते हैं। हाकिम बदल जाते हैं लेकिन हुक्म नहीं बदलते। यदि आप इस तरह से करेंगे तो निश्चित मानें कि आप जायेंगे तो वही परम्परा रहेगी और उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। इसलिए आपको दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि जोधपुर की अहमियत किसी प्रकार से बनी रहे। सही मायने में हाई कोर्ट तो यहां हो गयी और बेंच वहां हो गयी। आप सलाह मशविरा कर लीजिये...;

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जो उद्योग आपके जोधपुर में लग सकते हैं वह बतायें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : यह खुशी की बात है कि आप उद्योग मंत्री भी हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि यह उद्योग तो आपको पब्लिक सैक्टर में लगाने पड़ेंगे। छोटे-मोटे उद्योग से लाभ होने वाला नहीं है। मैं आपको बता दूं, छोटा कारखाना जिसमें 30 मजदूर लग जायें उससे कुछ होने वाला नहीं है इसलिये आपको इस हिसाब से भी सोचना पड़ेगा। आप हमारी राय लेंगे तो अच्छी ही राय देंगे। जैसा मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, एक आवाज उठाते हैं और उस आवाज के पीछे एक ही तथ्य है कि हमको बिल्कुल नेग्लैक्ट किया जा रहा है। आप देख लीजिये, यह आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व बन जाता है कि इस क्षेत्र को नेग्लैक्ट न किया जाय।

इसके बाद दो शब्द पुलिस डिपार्टमेंट पर कहना चाहूंगा क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी तशरीफ ले आये हैं। आप हमको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त हमने सरकार छोड़ी और आपकी सरकार बनी, हमने बड़ा अनुशासित, सशक्त व सारे अस्त्र-शस्त्र और वायरलैस से लैस पुलिस डिपार्टमेंट आपके सुपुर्द किया था, एक डिसिप्लिण्ड डिपार्टमेंट आपको दिया था लेकिन आपके पास यह डिपार्टमेंट आने के बाद, आपने इस डिपार्टमेंट का सत्यानाश कर दिया। आपने मोरल गिरा दिया। आज पुलिस डिपार्टमेंट के अन्दर, मैं कहता हूं, बड़े से बड़े आफिसर से लेकर छोटे से छोटे सिपाही के अन्दर मोरल नहीं है, उनके अन्दर भय घुसा हुआ है। आपने कोई काम नहीं किया। आपने एक काम किया, कोरे तबादले ही तबादले किये, यहां तक कि एक-एक थाने के

(श्री खेतसिंह राठौड़)

अन्दर आपने चार-चार, पांच-पांच सब-इन्सपैक्टर भेज दिये। आपने आई.जी.पी. को बालायें ताक रख दिया और सीधे आर्डर्स भेज दिये। उसका नतीजा यह हुआ कि हर थानेदार ने अपनी-अपनी कोशिश शुरू कर दी। पांच-पांच थानेदार एक जगह चले जाते हैं तो भ्रष्टाचार पनपता है, उनमें अनुशासन-हीनता आती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसने गलती की है उसके खिलाफ सख्ती से कार्यवाही कीजिये, जिसने अच्छा काम किया है, उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश कीजिये तभी डिपार्टमेंट में मोरल कायम होगा। जब किसानों का जलूस आया था, मैंने ऊपर से देखा था आपका एस.पी. धक्के देकर पुलिस जवानों को आगे कर रहा था। पुलिस का अगर यह हाल होगा तो निश्चय मानिये वे चले गये तो आप भी चले जायेंगे. . . .

(व्यवधान)

डिमोरेलाइजेशन अगर आ गया तो आप निश्चित मानिये आपका काम बिगड़ जायेगा।

दूसरा कहता हूं आपकी बरामदगी की संख्या कम क्यों होती जा रही है? आज पुलिस का सब-इन्सपैक्टर डर गया है। आज बड़े-बड़े क्राइम होते हैं अगर कुछ सख्ती न की जाये तो चोरियां और बढ़ेंगी। बरामदगियां बिल्कुल नहीं होंगी और नतीजा यह होगा कि लोगों में लॉलैसनैस फैल जायेगी जो सारे देश के लिये हानिकारक होगी। इसलिये, सम्पतरामजी साहब, आपसे निवेदन करना चाहूंगा आपको पुरानी मिनिस्ट्री का तजुर्बा है और अनुसूचित जाति से आप गृह मंत्री बने हैं सके लिये आपको बधाई देता हूं, लोगों में यह भावना जाग्रत हुई है कि हमारा गृह मंत्री आया है लेकिन इस तरह कुछ नहीं होगा। कुछ करिश्मा दिखाइये नहीं तो आपको भी उसी तरह से हटना पड़ेगा।

एक माननीय सदस्य : आपकी तरह....

श्री खेतसिंह राठौड़ : मैं अगर कोई गलती करूं तो मुझे भी नहीं बख्शियेगा। चाहे मैं हूं चाहे आप हों, आप भी अगर गलती करेंगे तो आप अपना भ्रम दूर कर लें, आप पार्टी इन पावर में हैं लेकिन आपको नहीं बख्शेंगे। आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लें। आज और कल का प्रश्न नहीं है, जो जुर्म करेंगे वे अपने आप पनिशमेंट पायेंगे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह समझ कब आई आपको?

श्री खेतसिंह राठौड़ : हमने कसूर किया है तो हम पकड़े जायेंगे। अगर नहीं किया है तो खुली छाती घूमते रहेंगे। इस बात से कोई खतरा नहीं।

एक माननीय सदस्य : आपने पुरानी फाइलें दबवाईं।

श्री सभापति : कृपया इन्टरफियर न करें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इसके लिये आपको बधाई। फाइलें मेरे कार्यालय में दबी नहीं। हां एडवोकेट जनरल के आफिस में दबी हो सकती हैं। लेकिन न मालूम किन कारणों से दबी हैं। छानबीन कर रहे हैं, यह साबित हो जायेगा किस ने फाइलें दबाई हैं। केवल आरोप भी हो सकते हैं। इसलिये मेरा आपसे यही निवेदन है कि अगर हमारे वक्त में फाइलें गायब हुई हैं, हम दोषी हैं तो हमको पनिशमेंट

Page No 115

(115)

(श्री खेतसिंह राठोड़)
मिलना चाहिये, चाहे कोई हो जिसका दोष हो उसको पनिशमेंट दीजिये जिससे एडमिनिस्ट्रेशन में स्वच्छता आये और अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन चल सके ।

श्री सभापति : श्री समरथ लाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामनारायण चौधरी ।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय सभापति महोदय, न्याय प्रशासन और गृह विभाग की जो मांगें मंत्री महोदय ने रखी हैं उनके ऊपर मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। इस बजट को मैंने देखा है। देखने के बाद यह कह सकता हूं कि यह परम्परागत बजट है, परम्परागत बजट माननीय मंत्री महोदय ने इस सदन में रखा है । हमें इस बात की उम्मीद थी कि नई सरकार आई है, नये लोग आये हैं, नई आवाज आई है और लोहिया के अनुयायी लॉ मिनिस्टर हैं वह पुरानी परम्पराओं को तोड़ेंगे और क्रांतिकारी चीज प्रस्तुत करेंगे। समग्र क्रांति का नारा देने वाले, समग्र क्रांति के हिमायती कुछ क्रांति करके बजट में दिखलाते तो हम समझते कि देश में समग्र क्रांति की बात कर रहे हैं। जो विभाग आपके पास हैं, उनकी जो रटी रटाई पहले मांगें प्रस्तुत करते थे वही की वही मांगें हैं । अगर नहीं हैं तो आप बता दीजिये । तो, मान्यवर, आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि डा. लोहिया के अनुयायी हमारे विधि मंत्रीजी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन करें । क्रांतिकारी परिवर्तन के लिये सुझाव देना चाहता हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट के अन्दर जजेज के स्थान खाली पड़े हुए हैं उन जजेज के स्थानों को क्यों नहीं भरा जाता ? जो रिक्त स्थान हैं उन पर शिड्यूल्ड कास्ट्स, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग योग्य हैं उनको भर्ती करें। अगर राजस्थान में इस प्रकार के काबिल लोग नहीं मिलते हैं तो सारे देश में जहां-जहां हाई कोर्ट्स हैं वहां से नाम मंगा सकते हैं। यह एक उदाहरण होगा । हाई कोर्ट के अन्दर एक क्रान्ति आयेगी, दृष्टिकोण बदलेगा और निश्चित तौर पर लोगों को फायदा होगा । जितने स्थान खाली पड़े हैं उन रिक्त स्थानों पर शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को रखें । हाई कोर्ट के जजेज बढ़ेंगे तो लोगों को सस्ता न्याय मिलेगा। आज जिनको जजेज बनाते हैं उनकी केपेसिटी कार्य करने की नहीं होती है । आप जवान आदमियों को लगाइये, उससे निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा । डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अन्दर भी शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को बैठाइये तो जब तक आप इसमें परिवर्तन नहीं लायेंगे तब तक डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट पर वह नहीं आने वाले हैं। मेरे से पूर्व वक्ता फर्मा रहे थे कि राजस्थान में इस प्रकार का नियम है कि 7 साल का अनुभव और 90 केसेज के ट्रायल किये हुए एडवोकेट्स होने चाहिएं, वह यहां पर नहीं मिलते हैं । तो राजस्थान से ही लेना जरूरी नहीं है और सारा हिन्दुस्तान ही हमारा देश है । सारे हिन्दुस्तान से भर्ती क्यों नहीं करते हैं ? क्यों नहीं बम्बई से ले सकते हैं, क्यों नहीं मद्रास से ले सकते हैं ? कहीं से भी ले सकते हैं । यह जरूरी है कि राजस्थान से ही भर्ती करें ? न तो आपकी कोई नीति है, न कोई दिशा है । तो निश्चित तौर से मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि छोड़िये इस सात साल के अनुभव को । यहां पर नहीं मिलते हैं तो हिन्दुस्तान बुला हुआ है वहां से एप्लीकेशन इन्वाइट कर सकते हैं। आपने नियम बना रखा है कि 50 पर्सेन्ट से अधिक प्रमोशन से नहीं लेंगे लेकिन

(श्री रामनारायण चौधरी)

प्रमोटीज के काम का वही हाल है। आप परिवर्तन लाइये। इसके लिए आपको निश्चित रुप से नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा। आप तो गरीबों के हिमायती हैं, डा. लोहिया सबसे बड़े हिमायती शिड्यूल्ड ट्राइब्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स के थे।

आप कहते हैं कि एडवोकेट जनरल को हटा दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एडवोकेट जनरल वह रहें या दूसरा रहे। लॉ मिनिस्टर और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज हैं उनके हिसाब से एडवोकेट जनरल काम करता है। तो, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लॉ मिनिस्टर साहब समय-समय पर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बैठकर जो समस्याएं कोर्ट्स के अन्दर हैं उनके सम्बन्ध में बात करें। आप इस बात का प्रोग्राम तो बनायें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ बैठकर कि इन-इन मामलों के फैसले इतनी अवधि के अन्दर होने चाहिएं। मैं नहीं कहता कि आप जस्टिस के अन्दर इन्टरफियर करें लेकिन एक टाइम तो मुकर्रर कर सकते हैं कि इस मिनिमम टाइम में इसका फैसला हो जाना चाहिए। इस बारे में अगर चीफ जस्टिस कोई दिक्कत बताते हैं तो उसको दूर करें। बहुत पुराने-पुराने मुकदमे हाई कोर्ट में पड़े हुए हैं। मैं यह मानता हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कोई गरीब को न्याय नहीं मिलता है। गरीब को वहां तक की पहुंच नहीं मिलती है। लेकिन कोई भी भारत का नागरिक वहां तक पहुंचता है तो उसको इन्साफ चाहे किसी तरह का हो मिलना चाहिए।

मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं लीगल एड टू दी पूअर के बारे में। भूतपूर्व विधि मंत्रीजी ने इस बारे में जिक्र किया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस वक्त उससे फायदा नहीं पहुंच सका। उसमें भी संशोधन की आवश्यकता है। आज जिलों के अन्दर इस बात के लिए अधिकृत किया जाय कि कोई भी वकील किसी भी शिड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स, वीकर सैक्शन के व्यक्ति की वकालत करता है तो नियमों के अनुसार कलेक्टर को खुद इन्टीमेट करे कि मैंने इस मुकद्दमे में शिड्यूल्ड ट्राइब के व्यक्ति की वकालत की है, शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति की वकालत की है, पूअर सैक्शन के व्यक्ति की मैंने पैरवी की है और आपके नियम और कानून के मुताबिक यह खर्चा किया है, यह मुझे सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। आपने नियम बना दिये। 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत यह प्रोग्राम सोचा था। ऐसे वकील वहाँ इकट्ठे हो गये लेकिन एक वकील ने भी पैरवी नहीं की। सबने नाम लिखाया था कि हम गरीबों की वकालत करना चाहते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से काम नहीं चलता है। सरकार की तरफ से यह व्यवस्था करें कि कोई भी वकील शिड्यूल्ड ट्राइब्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स और पूअर सैक्शन्स की पैरवी करता है तो कलेक्टर को लिखकर दे दे कि मैं इस व्यक्ति के इस मुकदमें की पैरवी कर रहा हूं, मुझे इसका खर्चा मिलना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था जब तक नहीं करेंगे तब तक कोई भी गरीब आदमी लीगल एड नहीं ले सकता है। आज के नियमों के अनुसार लीगल एड लेने के लिए यदि कोई एप्लाई करता है उसकी समाज कल्याण विभाग जब तक जांच करेगा तब तक तो उसका मुकदमा डूब जायगा।

(श्री रामनारायण चौधरी)

मान्यवर, मैं पुलिस के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं, ठीक है कि आपने एक-दो दिन के अन्दर डकैतों को पकड़ा है और मारा भी है। यह हो सकता है कि विधान सभा चल रही है और आपकी डिमाण्ड आ रही है तो पुलिस चमत्कार दिखा सकती है ताकि माननीय सदस्य का आक्रोश दब जाय और यह संतुष्ट हो जायं। लेकिन आपके खुद के आंकड़े बोलते हैं, सभापति महोदय, पिछले 12 महीनों में लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है। गवर्नमेंट होस्टल के अन्दर चोरी होती है तो, मान्यवर, उसकी रिपोर्ट थाने में नहीं लिखी गई। जब कुछ माननीय सदस्य, विधान सभा ने इन्टरफियर किया तब जाकर रिपोर्ट दर्ज हुई। गवर्नमेंट होस्टल के अन्दर एक आदमी की जेब काटी गई। जब उसको आवाज दी गई तो जेब काटने वाले ने छुरा कहने वाले को दिखाया और छुरा मारा। छुरा मार कर वह ऐसे घूम रहा था जैसे कि किसी शादी में जा रहा हो। लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति पिछले 12 महीनों के अन्दर बिगड़ी है। यह आप न मानें कि हम आपकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति की जानकारी देना हमारा कर्त्तव्य है ताकि पुलिस को डिमोरेलाइज नहीं होने दें।

जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है कि पुलिस विभाग में जितने भी रिक्त स्थान हैं उन सब स्थानों पर शिड्यूल्ड ट्राइब्स, शिड्यूल्ड कास्ट्स, वीकर सैक्शन और माइनोरिटी कम्युनिटी के लोगों को लें ताकि पुलिस के अन्दर आज जो दृष्टिकोण बना हुआ है उसके अन्दर तब्दीली आये। जो लोग आज तक इस विभाग में जमते आ रहे हैं उन लोगों को मौका न रहे और दूसरों को मिले। जितने भी स्थान पुलिस विभाग में रिक्त हैं उन पर कमजोर लोगों की भर्ती करें, यह मेरा सुझाव है।

सभापति महोदय, मैं एक बात और कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। वह यह है, मान्यवर, आप इस बात का बराबर ध्यान रखें कि इस बात के कहने से काम नहीं चलेगा कि 30 साल से आप लोगों ने क्या किया। 30 साल में जो कुछ किया गया है वह आपके सामने है। आपने जो कुछ किया है दो साल के अन्दर, दो बजट आपने पास करवाये हैं, यह भी हमारे और आपके सामने हैं। आपने बहुत बड़ा क्रान्तिकारी काम कर दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आपने कुछ भी नहीं किया है, वही की वही परम्परा चल रही है। कोई परिवर्तन नजर नहीं आता है। इसलिए आप इस सिस्टम को बदलें और नई दिशा और नया प्रोग्राम दें।

श्री सभापति : माननीय श्री करतारसिंह।

श्री करतारसिंह (किशनगढ़) : माननीय सभापति महोदय, न्याय प्रशासन और पुलिस की मांगों के सम्बन्ध में मैंने कुछ कटौती प्रस्ताव दिये हैं। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि माननीय सदस्य उचित और सस्ता न्याय दिलाने और प्रशासन से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए बराबर चर्चा कर रहे हैं।

मैं सबसे पहले न्याय प्रशासन के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूंगा। गरीबों को उचित और सस्ता न्याय दिलाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि जितने भी फौजदारी कानून बने हुए हैं जैसे कि जाब्ता फौजदारी और भारतीय दण्ड संहिता,

(श्री करतारसिंह)

वह समयानुकूल हों। माननीय सभापतिजी, आप स्वयं जानते हैं क्योंकि आप खुद वकील हैं और मेरे साथी कई माननीय सदस्य जो वकील हैं वह भी जानते हैं कि जो जाब्ता फौजदारी का कानून है वह समयानुकूल नहीं है। वह आज से 100 वर्ष पहले अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ है। उसके अन्दर ऐसी धारा है जो इस जमाने में सही नहीं बैठती है। मैं इसका उदाहरण आपको दूं। मर्डर सम्बन्धी जो अपराध है उसकी श्रेणी 302 में आती है। वह जमानत के योग्य नहीं है। उसी श्रेणी के अपराध का 304-ए में चालान किया जाता है और उसमें केवल मात्र दो साल की सजा मिलती है, जुर्माना होता है और जमानत मिल जाती है। अगर 303 का मुकदमा दायर कर देते हैं तो मात्र एक साल की सजा मिलती है। तो मैं यह कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस तरह का कानून जो अंग्रेजों ने अपनी लाल फीताशाही के कारण बनाये थे वे कानून इस समय समय के अनुकूल नहीं है। एक आदमी किसी व्यक्ति को मार दे तो उसको मृत्यु दण्ड मिलता है। 307 मार-पिटाई का है उसमें दो साल की सजा है। किसी ने जान से मार दिया है तो उसको दफा 422 में पांच साल की सजा मिलती है। तो मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस ओर केन्द्र सरकार का भी ध्यान आकर्षित करे और जो वर्तमान फौजदारी कानून है उसके समय अनुकूल बनाये।

दूसरा मेरा निवेदन है जितने मुकदमे हैं उनके आधार पर कोर्ट्स बढ़ायें। मेरे किशनगढ़ क्षेत्र में एक मुन्सिफ कोर्ट है। 6-6 महीने तक मुकदमों की सुनवाई नहीं होती है। मेरा निवेदन है, जिस क्षेत्र के मुकदमें हैं उसी क्षेत्र के मुन्सिफ कोर्ट में सुने जाने चाहिये ताकि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। मैं किशनगढ़ क्षेत्र के लिये निवेदन करना चाहता हूं जो एडीशनल सैशन जज का कार्यालय है वह नसीराबाद कस्बे में करें।

अब मैं पुलिस प्रशासन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस प्रशासन में मैंने भ्रष्टाचार की बात को जोर-शोर से सुना मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इस में भ्रष्टाचार है इसमें कोई दो राय नहीं हैं। किन्तु मैं प्रशासन को दोषी नहीं मानता हूं। इस सम्बन्ध में मेरी अलग राय है। मैं खास तौर से भूतपूर्व सरकार को दोषी मानता हूं जिसने 30 साल में पुलिस को निकम्मा बना दिया और आधुनिकरण के लिये कुछ नहीं किया। पुलिस महकमें को मैं भूखे भेड़िये की संज्ञा दे दूं जो अधिक नहीं है। पुलिस कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं देते हैं और अपेक्षा करते हैं 24 घंटे काम करें मेरा निवेदन है, देश में जिस प्रकार से सेना के जवान हैं जो हमारी विदेशियों से रक्षा करते हैं उसी तरह पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि देश के भीतर कानून और व्यवस्था बनाये रखें। किसी भी देश के विकास के लिये यह बहुत जरूरी है। आज पुलिस के जवानों को 250 रुपये वेतन मिलता है, वह बहुत कम है इसलिये मेरा निवेदन है जो पुलिस प्रशासन है इसका पुनर्गठन कीजिये और जिस प्रकार सेना के जवानों को सुविधायें मिलती हैं, वे इनको भी दीजिये, नहीं तो ये भूखे भेड़िये काम नहीं कर सकते हैं। वे अपने बाल-बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर सकते हैं। दूसरे जो भूखे शेर की संज्ञा दी है वह इसलिये दी है कि आपने इनको ताकत

(श्री करतारसिंह)

बहुत दे दी। एक तरफ तो ये भूखे भेड़िये होने के कारण भ्रष्टाचार करते हैं क्योंकि वेतन और अन्य सुविधाओं की कमी है, दूसरी तरफ आपने इनको विस्तृत अधिकार दिये हैं। पुलिस अधिकारी और पुलिस कर्मचारी तीन जगह रिश्वत खाता है, एक तो गिरफ्तारी में हथकड़ी से डरा कर पैसे खाता है। गरीब आदमी को अपने चंगुल में फंसा लेता है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जल्दी ही खतम करना चाहता हूं।

हथकड़ी लगाने वाला अधिकार आप समाप्त कीजिये ...

(व्यवधान)

दूसरा गिरफ्तारी का अधिकार है, उसमें जो जमानत का अधिकार है हर पुलिस अधिकारी को जमानत के लिये पाबन्द कीजिये। जो जमानत लेने के पावर्स हैं उसके अनुसार मुलजिम को गिरफ्तार करने से पहले ही कार्यवाही करें। तीसरा एफ. आई. आर. दर्ज करने में है। एफ. आई. आर. दर्ज करने में रिश्वत खाता है। जितने पुलिस अधिकारी व कर्मचारी हैं जब तक उनकी भेंट-पूजा नहीं होती है तब तक एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करते हैं ...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट ....

श्री सभापति : अब आप आधा मिनट में कह दें।

श्री करतारसिंह : असली बात रह जायेगी।

तो पंचायतों को आप यह अधिकार दे दीजिये कि एफ. आई. आर. दर्ज करके पुलिस को पहुंचा दें। इससे कुछ भ्रष्टाचार मिट सकता है। पुलिस में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिये। पुलिस के भ्रमणशील दस्ते प्रत्येक गांव में और प्रत्येक थाने में जाने चाहिये जो जन-अभियोग सुनें और पुलिस अधिकारी ने क्या अत्याचार किया है उसको सुनें तब भ्रष्टाचार के मामले कम हो सकते हैं!

किशनगढ़ में पुलिस ट्रेनिंग कालेज था, न मालूम उसको अब कहां ले जाया गया है। मेरा निवेदन है इस पी.टी.सी. को वापस स्थापित करें। कई जगह पुलिस प्रशिक्षण...

श्री श्योपतसिंह मकासर : आसन को सम्बोधित करें।

श्री करतारसिंह : केन्द्र कायम करने चाहिये। किशनगढ़ में दो थाने हैं। एक किशनगढ़ शहर का थाना है वह सिर्फ शहर के केसेज को ही लेता है, दूसरा शहर के बाहर है उसमें सुविधायें नहीं हैं। तो मेरा यह भी निवेदन है कि आधुनिक वाहन, टेलीफोन की सुविधा और अन्य सुविधायें भी थानों में होनी चाहिये तभी जाकर थाने अधिक काम कर सकते हैं। मेरा आपके माध्यम से पुनः गृह मंत्रीजी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा बजट इस पुलिस विभाग को देने का प्रावधान करिये तभी जाकर शान्ति स्थापित हो सकती है।

श्री सभापति : श्री जयनारायण सालोदिया!

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : सभापति महोदय, मेरे न्याय प्रशासन मांग पर कटौती प्रस्ताव हैं उनके सम्बन्ध में दो

(श्री जयनारायण सालीवाल)

मिनट में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं।

सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी गड़बड़ी की बात आज न्याय प्रशासन में है वह है पेशियां बदलने की। हर मुकदमे को शीघ्र हल न करके डिले किया जाता है, लम्बा किया जाता है। इस कारण उसमें कई बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। स्वतः ही उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है, लोगों की परेशानियां बढ़ती हैं, लोगों के पैसे खर्च होते हैं, वकीलों की चांदी होती है। इसलिये मैं न्याय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मुकदमों की कोई टाइम लिमिट फिक्स करें कि अमुक मुकदमा इतने पीरियड में तय कर देना चाहिये।

इसी के साथ-साथ मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। मेरे यहां निवाई में कोई न्याय प्रशासन की व्यवस्था नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है। कोर्ट टौंक में स्थापित है हालांकि नजदीक है लेकिन सबसे ज्यादा टौंक की कोर्ट में निवाई के मुकदमे हैं। निवाई क्षेत्र के मुकदमे अधिक हैं इसलिये मैं निवेदन करता हूं सरकार से कि जनता पार्टी की सरकार की मान्यता है कि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। इसलिये निवाई में कोर्ट स्थापित कर दीजिये ताकि लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय प्राप्त हो सके।

मैं पुलिस विभाग के लिये आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की एक आदत हो गई है, उसमें परिवर्तन होना चाहिये। पुलिस की आदत हो गई है झूठे मुकदमे लगाना, झूठे मुकदमे लगाकर इज्जतदार लोगों को फंसाना और जो बेईमान लोग हैं जो पुलिस की निगाह में आ जाते हैं, उनको बचाने की कोशिश करना और हैसियत वाले लोगों को पुलिस के मुकदमों में फंसाना। मैं निवेदन करना चाहता हूं गृह मंत्रीजी से कि मैं पुलिस विभाग को एक इज्जत की दृष्टि से देखता हूं लेकिन फिर भी इस में कमी है; आपकी पुलिस दोषी है, खोटी है। मैं इतना ही निवेदन करता हूं कि इन सारी कमियों को पुलिस प्रशासन से निकालना चाहिये। मैं यह पैरवी नहीं करता कि किसी मुलजिम को बचाया जाय, लेकिन मैं यह भी कहता हूं कि किसी हैसियत वाले को बदनाम नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि पुलिस में अनुशासनहीनता है। आप घूमें, बाजार में घूमें-फिरें, आप असेम्बली में आवें, तब देखेंगे कि पुलिस वाले ऐसे ही खड़े रहते हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई खड़ा हुआ है इधर-उधर, किसी के बटन खुले हुए हैं, किसी के कपड़ों पर इस्तरी नहीं है, किसी के जूतों पर पॉलिश नहीं है। जिस तरह से पुलिस को स्ट्रोंग होना चाहिए, जिस तरह से रहना चाहिए, उस तरह से पुलिस को हम नहीं पाते। यह पुलिस के लिए सबसे बुरी बात है। इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस वालों की तनख्वाह भी बढ़ानी चाहिए। पुलिस वालों को सहूलियतें मिलनी चाहिएं। अगर हम उनसे उम्मीद करते हैं कि पुलिस हमें तैयार मिले, या पुलिस हर समय ड्यूटी पर तैनात मिले, ऐसी स्थिति में रहे तो उनकी व्यवस्था भी हमें करनी पड़ेगी। मुझे जानकारी मिली कि पुलिस वालों को हम 45) रुपया महीना वर्दी अलाउन्स देते हैं। अब इस 45) रु. में न तो धुलाई हो सकती है और न कुछ और हो सकता है। इसमें तो उसका सूट

(श्री जयनारायण सालोदिया)

भी नहीं मिल सकता। आप पैंतालीस रुपये अलाउन्स देते हैं और यह उम्मीद करते हैं कि वह वर्दी में रहे, वर्दी भी सलीके की हो, इस्तरी की हुई, धुली हुई साफ-सुथरी हो यह कैसे सम्भव है ? इसके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। पुलिस को वर्दी अलाउन्स के साथ-साथ अच्छी तनख्वाहें, और जो कुछ भी सहूलियतें उनको मिलनी चाहिए वह हमको देनी चाहिए। इसलिए देनी चाहिए, मैं यह मानता हूं कि पुलिस की ड्यूटी सबसे ज्यादा हार्ड ड्यूटी है। पुलिस हमारी रक्षा करती है, पुलिस देश की रक्षा करती है और पुलिस जरायमपेशा और इस तरह के लोगों पर कण्ट्रोल करती है इसलिए पुलिस की जैसी ड्यूटी है उस हिसाब से उसको तनख्वाह मिलनी चाहिए, मैं इसका पक्षपाती हूं।

मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, पुलिस के बारे में, जैसी मुझे जानकारी मिली है वैसी आपको भी, माननीय गृह मंत्री महोदय, जानकारी होगी कि पुलिस में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हर तरह की नौकरियों में रिजर्व कोटे के अनुसार भर्ती नहीं हुई है। यह बहुत ही दुःख की बात है और इसलिए भी दुःख की बात है कि इन्हीं गरीबों पर सबसे ज्यादा अन्याय होते हैं, सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं। उनके प्रतिनिधि राज्य में नहीं हैं, न कोई थानेदार, न कोई मुन्शी, न कोई सिपाही, न एस. पी. और न कोई डी-वाई. एस. पी.। इस तरह से उन लोगों की सुनने वाला आपके डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। वह दर-दर की ठोकरें खाते फिरते हैं, उन पर ज्यादतियां होती हैं, उन र जुल्म होते हैं। जुल्म होने का कारण यही है, माननीय सभापति महोदय, उनकी बात को, उनकी फरियाद को सुनने वाला आपके पुलिस डिपार्टमेंट में कोई नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में अभी भी वही पुराना ढर्रा है, वही पुराने लोग हैं, वे ही पुराने मठाधीश जमे बैठे हैं। उनके सोचने का तरीका वही पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का, राजा और महाराजाओं के जमाने का वही पुराना तरीका है। उनकी निगाह गरीबों की तरफ नहीं है, उनकी निगाह हरिजनों की तरफ नहीं है, उनकी निगाह अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों की तरफ नहीं है, उनकी निगाह गरीब अल्पसंख्यक, मुसलमानों की तरफ नहीं जाती है। मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में अपील करना चाहता हूं कि वे भी इसी रिजर्वेशन की वजह से मंत्रिमण्डल के सदस्य हैं। इसी रिजर्वेशन की वजह से उनको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनको गृह विभाग मिला है। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसमें आमूलचूल परिवर्तन करना चाहिए। इस पुराने ढर्रे को, इस पुराने ढांचे को, इस पुराने सोचने के तरीके को बदलना चाहिए, इसमें तरमीम करनी चाहिए। तरमीम करने का तरीका यही है कि इन गरीब, अनुसूचित जाति और जन-जाति और अल्पसंख्यक, तीन तरह के जो वर्ग हैं, जो हमारे देश के अन्दर सबसे असहाय हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी तरफ खास तौर से ध्यान देना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप इस जगह पर बैठे हैं यह हमारी खुशकिस्मती है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद

(श्री जयनारायण सालोदिया)

देना चाहता हूं इसके लिए। इसके साथ-साथ हम आपसे भी यह उम्मीद करते हैं, हम आपसे इच्छा रखते हैं कि आप इसमें आमूलचूल परिवर्तन करेंगे।

अब मैं इसके साथ-साथ एक व्यक्तिगत बात मेरे निर्वाचन क्षेत्र के बारे में गृह मंत्रीजी से निवेदन करूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में दो चोरियां हुईं, वैसे तो सैकड़ों ही चोरियां होती हैं लेकिन दो चोरियां इतनी बड़ी हुईं जिनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। एक तो नगरपालिका के गोदाम से कम से कम पांच गांठ कपड़ा चोरी गया। पांच गांठ कपड़ा, जिससे कम से कम आधा ट्रक भर जाय, चोरी हो गया लेकिन आज तक उसका पता नहीं चला। ऐसी बात तो है नहीं कि कोई इतने कपड़े को जेब में डाल कर ले जायगा, या सोना, जवाहरात जैसी चीज नहीं है कि छुपाकर ले जायगा। इतनी बड़ी चोरी हुई, लेकिन उसका आज तक पता नहीं लगा। इसी तरह से इतनी ही बड़ी चोरी निवाई के जैन मंदिर में हुई। काफी बड़ा रथ था जिस पर चांदी के पत्तर लगे हुए थे, उन पत्तर को हथौड़े से तोड़-तोड़ कर निकाला। चोर ढाई मन के करीब चांदी ले गए लेकिन आज तक आपकी पुलिस कोई पता नहीं चला सकी। ये दो बातें निवेदन करना चाहता हूं।

एक बात और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां के हाउस के प्रहरियों के बारे में कि जो हार्ड ड्यूटी हमारे प्रहरी देते हैं वह बहुत ज्यादा है। हम लोग तो बाहर भी चले जाते हैं, चाय पीने, पानी पीने बाहर चले जाते हैं, लेकिन ये लोग सुबह नौ बजे आते हैं और जब विधान सभा की बैठक खत्म होती है उसके एक घण्टे बाद इनकी छुट्टी होती है। इतनी हार्ड ड्यूटी के बाद भी इनको कोई एक्स्ट्रा अलाउन्स नहीं मिलता है, न कोई दूसरी सहूलियत मिलती है। मैं इनके लिए गृह मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इन प्रहरियों के लिए, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो विधान सभा को चलाने में मदद करते हैं, जो हमारी व्यवस्था रखते हैं, आपको सोचना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं इसी के साथ-साथ एक मिनट में एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं गृह मंत्री महोदय से। जमुवारामगढ़ में एक रेगर है और उसका नाम प्रभुलाल है। उसका खेत किसी ने जला दिया। खेत को जलाने के लिए जब उसने मना किया तो उसको मारने-पीटने को आमादा हो गए। मुझे जानकारी मिली है कि जब वह गरीब आदमी पुलिस में रिपोर्ट लेकर गया तो जमुवारामगढ़ के थानेदार ने उसकी रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया, गृह मंत्री महोदय, और उसको धक्का देकर निकलवा दिया। इस तरह से हरिजनों के साथ अन्याय नहीं करें, उन पर जुल्म नहीं करें, उनके जले पर नमक नहीं छिड़कें। उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके बदले उनके जले पर नमक डालें पुलिस वाले, यह कहां तक वाजिब है? जमुवारामगढ़ के थानेदार साहब के खिलाफ शिकायत आई, मेरे पास में एक शिकायत आई और दो-चार लोग भी वहां से आये, तो आपसे मिलने के चक्कर में घूमते रहे, लेकिन आप बिजी थे, आप मिल नहीं सके। इसलिए मैं इस हाउस के फ्लोर पर प्रार्थना करता हूं कि हरिजनों के ऊपर

(श्री जयनारायण सालोविया)

इस तरह से जुल्म होते हैं, लेकिन पुलिस उदासीन रहती है, उनकी कोई मदद नहीं करती है, यह आपके गृह मंत्री होते हुए बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही विचारणीय विषय है । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री नूरा !

श्री नूरा (मसूदा): सभापति महोदय, न्याय प्रशासन के साथ पुलिस को भी जोड़ लें तो यह जो नियम बने हुए हैं इन नियमों का ज्यादा फायदा बड़े-बड़े पैसे वाले लोग, बड़े-बड़े भूमिपति उठाते हैं । अदालतों का आप मुआयना करा कर उनकी रिपोर्ट मंगवायें तो आपके सामने यह बात आयेगी कि बड़े-बड़े भूमिपति और पैसे वाले लोग मुकदमों को इतना लम्बा कर देते हैं कि दस-दस साल तक मुकदमे चलते हैं । भूमि अधिग्रहण के मामले, सीलिंग के मामले और ऐसे ही दूसरे मामले जिनमें जमीन गरीबों को दी गई होती है वह कई सालों तक लम्बा कर देते हैं, उनको मुकदमे में इतना लाचार कर देते हैं कि सीलिंग की जमीन जिसको मिलती है वह लेना पसन्द नहीं करता । वर्षों तक मुकदमे चलते हैं, दस-दस साल तक मुकदमे चलते हैं। ऐसी कई मिसालें दी जा सकती हैं कि बड़े-बड़े पैसे वाले कानून की आड़ में बहुत बड़ा फायदा उठाते हैं । इसमें परिवर्तन होना अति आवश्यक है । आज अदालतों में ढेर सारी फाइलें पड़ी रहती हैं, इसका मुख्य कारण यही है कि मामले की गहराई में जाकर उसके कारण को नहीं देखते । इसलिए अदालतों का दायरा बढ़ाना चाहिए । छोटे-छोटे मामलों में अगर आप देहातों में देखें, जो माननीय सदस्य, माननीय विधायक देहातों से चुन कर आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि अदालतों में न्याय पाने के लिए जो व्यक्ति चक्कर काटते हैं उनकी बनिस्बत गाँव के लोग, झुंड के झुण्ड लोग गाँव में बैठ कर बहुत जल्दी और अच्छी तरह से मामले निपटाते हैं और बहुत ज्यादा तादाद में निपटाते हैं । मेरी ऐसी मान्यता है कि ग्राम पंचायतें जो गाँवों में चलती हैं, उनमें न्याय देने का भी पहले नियम था, प्रावधान था, पहले न्याय पंचायतें अलग थीं, फिर बीच में शामिल कर दीं, उनको ढाई सौ रुपये तक का दावा, पचास रुपये तक जुर्माने के छोटे-मोटे अपराध निपटाने के अधिकार दिये गए थे । इसी तरह से शहरों में नगरपालिकाओं में व्यवस्था हो, जिनमें चुने हुए लोग हों । चुने हुए लोगों को यह डर रहेगा कि हम जनता के साथ न्याय नहीं करेंगे, पक्षपात करेंगे तो जनता वापस हमको चुनकर नहीं भेजेगी, उखाड़ कर फेंक देगी, इसलिये ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए । न्याय पंचायतों को न्याय करने के अधिकार ज्यादा होने चाहिए । आज ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत को नाम मात्र के अधिकार हैं । देखा जाए तो गांवों के जो भी मसले होते हैं, उनके ग्राम पंचायतों में अच्छे फैसले हो सकते हैं । पंच, सरपंच को अधिकार देने के बाद अगर वे अन्याय करेंगे, तो उनको बदला जा सकता है । न्याय करने का अधिकार जनता के चुने हुए लोगों, संस्थाओं को दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को सस्ता न्याय मिल सके । बड़े लोग कानून की आड़ में, दस-दस साल तक मुकदमे लड़ कर गरीबों को हताश कर देते हैं । भूमि अधिग्रहण के मामले हैं, उनमें देर न हो, इसलिये इसकी कोई एक सीमा निश्चित होनी चाहिए तब जाकर के लोगों को राहत मिलेगी, वरना गरीब आदमियों का भगवान ही मालिक है ।

एक माननीय सदस्य : आप तो भगवान को मानते नहीं हैं।

श्री नूरा : यह तो हमारे हिन्दुस्तान की एक परम्परा है। जब कोई काम होता नहीं है तो हम यह कहते हैं कि भगवान ही मालिक है। ऐसा सोचने की कोई गुंजाइश नहीं होती तो यह बात सही है, इन्सान मालिक हो सकता है, परन्तु इसके लिये यह आवश्यक है कि इन्सान इतना मजबूत और सख्त हो कि वह न्याय प्राप्त कर सके।

सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस के जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं, उनकी सम्पत्ति की जांच करायी जाये, उन्होंने कांग्रेस के टाइम में कमाया है, या आपके 9 महीने के शासन के टाइम में कमाया है ? इतना पैसा उनके पास आया कहां से है ? किसने दिया ? उनकी आमदनी कितनी है ? उनका बैंक बैलेन्स क्या है ? इसकी गहराई में जायेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बेईमानी से पैसा कमाया है, वरना यह पैसा उनके पास आया कहां से ? आप थानों में ही चले जाइये। एक विधायक ने जो बात कही है, वह सही है। आज थानों में गरीब आदमी रिपोर्ट दर्ज कराने से डरता है। पैसे वाला जुर्म करके भी नहीं डरता है। वह मुकदमा लड़ेगा, पैसे के बल पर वह अपना बचाव कर लेगा। किन्तु गरीब आदमी मार भी खा लेता है और डर के मारे रिपोर्ट नहीं कराता है। उसे पुलिस का भय है, आतंक है...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री नूरा : सभापति महोदय, मैं अपनी पार्टी का एक ही सदस्य हूं। इतने कम समय में, मैं अपनी बात नहीं कह सकूंगा। कृपया थोड़ा समय और दें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री नवनीत पालीवाल (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय विचाराधीन मांगों के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया जाए ?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांगें पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या 6 व 16 पर विचार

श्री नूरा : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी कुछ समय पहले अजमेर में मीणा जाति का एक मामला हुआ था, घटना हुई थी। उस पर सदन में चर्चा चली है। मैंने बजट भाषण पर हुई चर्चा के दौरान यह बात कही थी कि आज भी गरीबों के लिए न्याय मंहगा है। लोगो ने एक मांग की थी कि उस थानेदार को चेन्ज करके इन्क्वायरी की जानी चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिले। बाद में यह सूचना मिली कि उस थानेदार को चेन्ज नहीं किया गया। उस थानेदार के वहां रहते हुए जांच कैसे हो सकती है ? वह घूम-घूम कर यह कहता है कि जयपुर कौन-कौन गया ? किसने शिकायत की ? मैं देख लूंगा। जिस थानेदार के खिलाफ जांच हो वह थाने में बैठा रहे तो जांच कैसी होगी, यह माननीय सदस्य स्वयं

(श्री नूरा)

महसूस कर सकते हैं। ऐसी कोई इन्क्वायरी सक्सेसफुल नहीं होती। मीणा जाति के लोगों का एक पत्र आया है। वे विधान सभा भवन के सामने धरना देने की बात कहते हैं। आज विधान सभा के सामने ढेर सारे कैम्प लगे हुए हैं। अपनी समस्या का हल कराने के लिए, अपनी बात को सुनाने के लिए वे यहां पर आते हैं, किन्तु यहां पर वही पुराना रवैय्या है। इस रवैय्ये को बदलना चाहिए। उनकी समस्याओं को सुना जाना चाहिए। प्रदर्शन करने के लिए कच्ची बस्ती के लोग यहां आते हैं। हम यहां पर देखते हैं कि पुलिस की ढेर सारी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। कोई मजदूर मांग लेकर आता है तो पुलिस डंडा लेकर यहां पहुंच जाती है। कोई यहां पर मांग करने आता है तो पुलिस का पहले ही इन्तजाम हो जाता है। न्यायपूर्ण मांग को दबाया जाता है। पहले कांग्रेस यह करती ही थी, अब जनता पार्टी भी पुलिस का इन्तजाम करने लगी है और गरीब आदमी को न्यायोचित मांग पेश नहीं करने दिया जाता है, उसको सुना नहीं जाता है। वह झुण्ड बना कर, अपनी बातें कहने के लिये आते हैं तो पुलिस का डण्डा उनके सिर पर होता है, या फिर पुलिस घोड़े पर चढ़ कर घोड़े दौड़ाती है। यह पुलिस का डरावनापन कांग्रेस के समय में भी था और वही डरावनापन आज जनता पार्टी के राज्य में कायम है। गरीब की सब बातें करते हैं परन्तु गरीब को न्याय दिलाने की बात में गहराई में जाकर देखें, यह बड़ा मुश्किल है। अजमेर में जो थानेदार था, उसकी जांच की बात है, उसको चेन्ज करने की बात है, परन्तु वह नहीं की गई। इसके लिये उन लोगों को भूख हड़ताल की धमकी देनी पड़ी। मेरा निवेदन है कि उस थानेदार को चेन्ज करना चाहिए। जनता पार्टी के राज्य में भी आज लोगों की बात नहीं सुनी जाती है। पुलिस के जो छोटे कर्मचारी हैं, वे तो हुक्म के गुलाम हैं। आफिसर जो हुक्म करता है, उसकी पालना करते हैं। डंडा भी उनके ही पड़ता है परन्तु जो हुक्म देता है, अत्याचार करता है, उस बड़े पुलिस अधिकारी का कुछ नहीं बिगड़ता है। कोई भी समस्या आती है, पुलिस बीच में आती है। इस प्रकार ये पुलिस के बड़े अधिकारी किसान और मजदूर के अन्दर पुलिस का भय पैदा करते हैं। इस भय को निकालने के लिये आपको प्रयास करना चाहिए। यह प्रयास समय रहते नहीं किया गया तो कांग्रेस का जो हाल हुआ है, वही हाल आपका होगा, वह दिन दूर नहीं है। इसलिये आपको पुलिस के कार्यकलापों में सुधार करना चाहि.....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरे दो-एक मुद्दे और हैं.....

श्री सभापति : आप तेरह मिनट ले चुके हैं।

श्री नूरा : वैसे ही मुझे 15 मिनट अलाउड है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सुबह जोधपुर के मामले पर एक स्थगन प्रस्ताव आया था। जोधपुर में एक पदमसिंह नाम के आदमी को सीवेज फार्म से गायब कर दिया गया। उसको गायब करने के बाद

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, मैंने माननीय सदस्य को अर्ज किया था, मैं जोधपुर गया था, इस समय इस मामले को वर्क आउट करने की पॉसिबिलिटी करीब-करीब हो गई है। इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे तो अच्छा होगा.....

श्री नूरा : इस मामले पर बातचीत हो गई है....

श्री सभापति : जो मामले अण्डर इन्वेस्टिगेशन होते हैं, उनको यहां पर डिस्कस नहीं किया जाता है।

श्री नूरा : इसी तरह से कुछ दिनों पहिले हत्या हुई है महेन्द्रसिंह की, उस मामले को अभी तक नहीं खोला गया है।

श्री सम्पतराम : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अर्ज करना चाहूंगा कि इस मामले को भी वर्क आउट कर रहे हैं। यह मर्डर का केस है। आप फर्मायेंगे तो मेरे लिए कहना कठिन होगा। आप इस बात से सन्तोष करें कि पुलिस सतर्क है और निश्चित रूप से थोड़े दिनों में सारा मामला सामने आ जाएगा।

श्री नूरा : धन्यवाद।

फिर भी मैं यह कहूंगा कि यह मामला आगे न बढ़ावें। आप इन्क्वायरी करावें। ऐसा एक मामला नहीं है। हरिजनों के कत्ल के मामले हैं, चोरियों के मामले हैं, हरिजनों पर अत्याचार के मामले हैं। कोई मंत्री शिड्यूल्ड कास्ट का बन जाए इससे समस्या हल नहीं होती है। ऐसी कोशिश होनी चाहिए कि हरिजनों पर अत्याचार नहीं हों। मेरा निवेदन करना यह है कि अत्याचार कांग्रेस के टाइम में भी होते थे। 9 महीने में अत्याचार कोई खतम नहीं हुए हैं। पुलिस पर पोलिटिकल प्रेशर रहता है या उसे डर रहता है, यह मैंने नहीं कहा। मगर हरिजनों को पुलिस का डर नहीं रहना चाहिए। अन्त में, मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को अधिकार दिलायेंगे और जनता को बोलने का अधिकार होगा। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री रामप्रसाद लड्ढा !

(अनुपस्थित)

श्री सभापति : श्री हरिश कुमार शर्मा !

श्री हरिश कुमार शर्मा (रामगंज-मंडी) : माननीय सभापति महोदय, जिस समय जनता संगठित हो जाती है तो भ्रष्टाचार तथा पक्षपात लुप्त हो जाते हैं और जनता को विशेष लाभ हो जाता है। मैं पुलिस के संबंध में निवेदन करूंगा, यह सच है कि पुलिस अपराधियों को पकड़ नहीं पाती है। जो नौजवान पढ़े-लिखे निकलते हैं, उनको रोजगार नहीं मिलता है। इसलिये ऐसे भी अपराध होते हैं जिनके पीछे पढ़ा-लिखा मस्तिष्क काम करता है। वह कानून को जानते हैं, इसलिये इस ढंग से काम करते हैं कि वह सजा से बचे रहें। इसलिए ऐसा तरीका अख्तियार किया जाये ताकि उनको पकड़ा जा सके।

जहां ग्रामीणजन रहते हैं वहां उनको न्याय नहीं मिलता है। उनको न्याय मिले यह व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है। गांवों में चोरियां, डकैतियां होती हैं, ग्रामीणों को लूट कर ले जाते हैं और जंगलों में तबीयत से रहते हैं। जहां पर ज्यादा ऐसी घटनायें होती हैं, वहां पर पुलिस की व्यवस्था की जाये।

आज हर जगह चर्चा होती है कि सट्टा लगाया जाता है और चोरियां होती हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि पुलिस को आपने ऐसे अधिकार नहीं दिये हैं जिससे उन्हें सजा दिला सके। सट्टे वाले को पकड़ कर पुलिस वाले थाने में ले जाते हैं। अदालत

(श्री हरिश कुमार शर्मा)
में उसकी जमानत हो जाती है। यह कानून का सरलीकरण है। कानून कठोर है, लेकिन वह सरल भी है। इसलिए पुलिस को इस प्रकार के अधिकार प्रदान किये जायें जिससे अपराधी को वह सजा दिला सकें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण किया जाये। रामगंजमण्डी में मुंसिफ मजिस्ट्रेट का कार्यालय स्थापित किया जाये ताकि गांवों के आदमी वहां पर पहुंच सकें। आज न्याय केवल वकीलों पर निर्भर है। वकीलों के कारण न्याय लाठी मारने वाले को मिलता है, लाठी खाने वाले को नहीं मिलता है। इससे न्याय की भावना पूरी नहीं होगी।

आज चौमेला में आन्दोलन चल रहा है। जिन कंजरों ने आत्मसमर्पण किया उनको गांवों में बसाया गया, लेकिन आज वहां की जनता मांग करती है कि उन कंजरों से बचाया जाये। झालावाड़ गया तो वहां मांग की गई कि कंजरों से बचाया जाये। उनको वहां से हटाया जाये। वह लूट कर, फसल काटकर अपना काम चलाते हैं। रामगंजमण्डी में कंजरों की बस्ती है। उनको उद्योग धन्धों से लगाया जाये ताकि वह खाने-कमाने में लग जायें।

इसी तरह से किशोर मास्टर गायब हुआ जिसका आज तक पता नहीं चला। केरल में राजन काण्ड हुआ था तो मुख्यमंत्री के त्याग-पत्र की मांग की गई थी। आज उसके बूढ़े मां-बाप जांच की मांग करते हैं। एक किशोर गायब हुआ उसको ढूंढने में पुलिस सफल नहीं हुई।

आज रामगंजमण्डी में मुकदमों की यह हालत है कि वहां फाइलें पड़ी हुई हैं। फाइलों पर तारीखें बदली जाती हैं, लेकिन वह तारीख कभी नहीं आती जब सुनवाई हो। इधर से उधर आना-जाना लगा रहता है। सभापति महोदय, इन स्थितियों में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। क्या सदन में कानून में संशोधन होते रहेंगे और न्यायालय में कानूनी लड़ाई होती रहेगी। गवर्नमेंट सर्वोच्च है वह जो अध्यादेश लागू करे वह सबके द्वारा माना जाय और जो कानून बनायें वह सब पर लागू हो। मैं निवेदन करूंगा कि जो न्यायाधीश हैं, उनकी एक समिति बनाकर यह तय करें कि किस कानून का कितना सरलीकरण करें, किसका कितना सरलीकरण किया जा सकता है और किसका नहीं किया जा सकता है। साथ ही इस पर भी विचार करें कि पुलिस को किस प्रकार से सबल बनाया जा सकता है ताकि लोगों में भय नहीं रहे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मेरा निवेदन है कि सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करे। माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः धन्यवाद दूंगा और निवेदन करूंगा कि इन बातों का तालमेल बैठाया जाये।

श्री सभापति : श्री एच. एन. शर्मा !

श्री एच. एन. शर्मा (बेगू) : माननीय सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। पुलिस की जो व्यवस्था है, वह आज इस प्रकार की है कि किसी भी थाने में जायें तो वहां पर लिखा मिलता है, 'मेरे योग्य सेवा', लेकिन जब कोई ग्रामीण थाने में जाता है तो वहां पर जो हैड मुहर्रिर होते हैं, वह जब उसके साथ में बात करते हैं

(श्री एच. एन. शर्मा)

तो उसके साथ में इस तरह का व्यवहार किया जाता है कि इससे उसकी आत्मा का हनन हो जाता है । इस प्रकार का व्यवहार बहुत गलत है । सरकार बदली है तो सरकार बदलने के साथ हमें पुलिस को भी तब्दील करना होगा तभी जाकर आम नागरिक को सुविधा प्राप्त हो सकती है ।

एक बात मैं कहना चाहूंगा, आज बहुत से माननीय सदस्य पुलिस पर बोले हैं। कैसा भी पुलिस अधिकारी हो अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो उसकी जांच ऐसे अधिकारी से कराई जाएगी जो उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचारी होगा । ऐसे ही डिप्टी एस.पी. या एस.पी. जांच करते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे मामलों की जांच करने के लिए एक जांच कमीशन बनाया जाना चाहिए । खाली जांच अधिकारी से काम चलने वाला नहीं है । उस जांच कमीशन में जनप्रतिनिधियों का समावेश किया जाना चाहिए । उनके सामने कोई जांच की जायेगी तो उस क्षेत्र के जो गरीब काश्तकार हैं और उस क्षेत्र की जो जनता है वह बिना किसी डर के अपनी बात कह सकेगी और सच्चाई भी सामने आ सकेगी ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनप्रतिनिधियों को थानेदार बना दें तो आपका क्या खयाल है ?

श्री एच.एन. शर्मा : आपको बना दिया जाय थानेदार तो !

इसलिए मेरा निवेदन है कि जो जांच की जाय उसमें जनप्रतिनिधियों का समावेश होना जरूरी है ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि पुलिस की जो चौकियां हैं और थाने हैं उनमें भी बढ़ोतरी जानी चाहिए । ऐसे स्थान पर थाने और चौकियां कायम की जानी चाहिए जहां लोगों को पहुंचने में कठिनाई नहीं हो । तहसील स्तर पर और पंचायत स्तर पर थाने कायम किये जाने चाहिए । कहीं पर कत्ल का मुकदमा हो जाय तो तहसीलदार या एस.डी.ओ. या बी.डी.ओ. से विकल्प मांगा जाय । अगर यह विकल्प उपलब्ध होगा तो थानेदार आसानी से जांच कर सकता है और कार्यवाही ठीक प्रकार से चल सकती है । कई बार यह देखा जाता है कि घटना तो घट जाती है, लेकिन थानेदार तीन दिन के बाद मौके पर पहुंचता है, ऐसी हालत में काश्तकार में और जनता में रोष फैलता है । मुझे आशा है कि पुलिस प्रशासन में तीव्रगति लाने के लिये पुलिस को साधन उपलब्ध कराये जायेंगे ।

सभापति महोदय, जहां तक न्याय प्रशासन का सवाल है हमारी सरकार यह कहती आई है कि न्याय सस्ता और सुलभ मिले । मेरी मान्यता है कि सरकार इस मामले में असफल रही है । इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा है कि तहसील स्तर के बाद में एस.डी.ओ. कोर्ट में फाइल आने में कई दिन लग जाते हैं और फिर एस.डी.ओ. कोर्ट में काफी समय लग जाता है । मेरी मान्यता है कि पंचायत समिति स्तर पर जिस प्रकार से शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और अन्य विकास के लिये प्रावधान किया जाता है उसी प्रकार से वहां एक मुन्सिफ कोर्ट और तहसील कोर्ट कायम होनी चाहिए तभी जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक-दो मिनट में समाप्त करता हूं ।

(श्री एच. एन. शर्मा)

इसी प्रकार से हमको न्यायालयों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी । पंचायत समितियों के स्तर पर न्यायालय कायम किये जाने चाहिए । अगर ऐसा हुआ तो गांव के रहने वालों को आने-जाने की सुविधा मिलेगी और केसेज भी जल्दी से जल्दी निपटाये जा सकेंगे ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, आपने देखा होगा कि पुलिस कर्मचारियों की भर्ती किस तरह से होती है । उनकी भर्ती टीड्डियों के माफिक की जाती है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : जनता और गुण्डों को एक साथ क्यों करते हो ?

श्री एच.एन. शर्मा : आप सुनिये जरा !

श्री सभापति : कृपया, जल्दी समाप्त करिये !

श्री एच.एन. शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस कर्मचारी जो भर्ती किये जायं, उनका शारीरिक गठन अच्छा होना चाहिए और उनमें निडरता होनी चाहिए । अगर उनमें निडरता नहीं होगी तो वह अपने काम में किसी भी हालत में सफल नहीं हो सकते । इसलिए इन दोनों बातों का, शारीरिक गठन और निडरता का समावेश एक पुलिस कर्मचारी में होना जरूरी है । इससे जनता का पुलिस में विश्वास भी बढ़ेगा । मुझे आशा है माननीय गृह मंत्रीजी और दूसरे जो मंत्री महोदय हैं वे जो सुझाव मैंने पेश किये हैं उन पर विचार करेंगे और उनको ध्यान में रखते हुए उनको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे ।

श्री सभापति : माननीय श्री कल्याण सिंहजी !

श्री कल्याण सिंह सौलला (अजमेर पश्चिम) : सभापतिजी, आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में चोरियां, डकैतियां और कत्ल की घटनाएं बढ़ रही हैं और पुलिस की जो रिपोर्ट हमको पढ़ने को मिली हैं, उससे ऐसा लगता है कि या तो चोरों से पुलिस डर गई है या चोरों से पुलिस मिल गई है । जहां पर पुलिस की गश्त ज्यादा होती है वहां पर चोरियां ज्यादा होती हैं । सभापतिजी, मेरा यह मानना है कि कानून की स्थिति आज बिगड़ने की जो बात है उसका मुख्य कारण पुलिस विभाग का वह उच्च अधिकारी वर्ग है जो दलबन्दी में फंसा हुआ है । आज सरकार को इस मामले में बहुत गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा । पुलिस के अधिकारियों में आज अलग-अलग ग्रुप बने हुए हैं । जितने भी कत्ल होते हैं और चोरियां व डकैतियां होती हैं, चाहे एस.पी. हो, डी.एस.पी. हो, चाहे कोई और अधिकारी हो, सब अलग-अलग ग्रुप में बंधे हुए हैं । जब तक ग्रुपबाजी रहेगी तब तक पुलिस की व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं चल सकती चाहे आप इसके लिए कितनी ही कोशिश कर लीजिये । आज स्थिति यह है कि आई. जी. आदेश देता है तो डी.आई.जी. नहीं मानता और एस. पी. आदेश देता है तो डी. एस. पी. नहीं मानता । यह स्थिति कब तक चलेगी ? इस पर सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । अगर नहीं किया तो कानून की स्थिति छिन्न-भिन्न हो जायेगी । आज छोटे कर्मचारियों की बात की जाती है । हर बड़े अधिकारी सारा काम छोटे कर्मचारी से करवाता है, मामले की तफतीश छोटा कर्मचारी करता है, सब काम करता है फिर भी सजा छोटे कर्मचारी को दी जाती है । आज तक यह नहीं सुना गया कि किसी उच्च अधिकारी को डिस्मिस किया गया या

(श्री कल्याण सिंह सांखला)

सस्पैंण्ड किया गया । किसी एस. पी.या डी.एस.पी. को डिस्मिस नहीं किया गया। मरने के लिये छोटे कर्मचारी होते हैं । अगर आदेश नहीं मानें तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही की जाती है । मेरा निवेदन है छोटे कर्मचारी का यह शोषण कब तक चलता रहेगा ? इसके ऊपर गृह मंत्रीजी को गम्भीरता से विचार करना चाहिए । आज इस वैज्ञानिक युग में चोरी और डकैती के मुकदमों को खोलने का वही पुराना तरीका अपना रखा है । आज कितने ऐसे मुकदमे हैं जिनको पुलिस पूरी तरह से खोल सकी है ? जयपुर के अन्दर ही मूलचन्द जोशी का मर्डर हुआ । कोई कार्यवाही करने से पहले उसके चरित्र पर लांछन लगाया गया। यह क्या तरीका है पुलिस के कार्य करने का ? गलत विज्ञप्ति निकालने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? क्या सबूत था उनके पास उनके चरित्र पर लांछन लगाने का ? कौनसे सबूत इकट्ठे किये उन्होंने ? मेरा निवेदन है कि जो अन्धाधुन्ध इस तरह से कार्यवाही की जाती है, इस पर रोक लगानी चाहिए ।

आज थानों की यह स्थिति है कि गरीब लोग वहां जाने से डरते हैं । आज चाहे कैसा भी जुल्म हो, पैसे वाले आदमी कैसा भी जुल्म करें वह थाने में जायेंगे तो उनको सम्मान के साथ कुर्सी मिलेगी । गरीब आदमी पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहता है, लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है । इसलिए मेरा निवेदन है कि पुरानी पद्धति को बदलना चाहिए और अपराधों को खोलने की वैज्ञानिक तकनीक अपनानी चाहिए । जुल्म करने वाले भी 18वीं सदी का जो इन्वेस्टिगेशन का तरीका है उससे वश में नहीं आते हैं । इसलिए आज के युग में वैज्ञानिक तरीका अपनाना चाहिए ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और ।

न्याय प्रशासन के बारे में निवेदन करूं, न्याय सस्ता और सुलभ हो, यह कैसे सुन्दर शब्द हैं । यह शब्द गृह मंत्रीजी बोलते रहते हैं लेकिन न्याय मंत्रीजी स्वयं वकील रहे हैं, वे अदालतों में देखते हैं । सभापतिजी, आप वकील रहे हैं, आप जानते हैं, सस्ता व सुलभ न्याय गरीबों को किस तरह से मिलता है । अदालतों में जो प्रचलित पद्धति है वह हर कदम पर पैसा मांगने की है, चाहे तारीख दिलानी हो, चाहे हाजिरी की बात हो । आप बैठे हों, आवाज लगे तब भी गैर हाजिरी हो जाती है । न्यायालयों में इतना बड़ा अंधेर है । इन सब बातों को, न्याय मंत्रीजी, आप प्रैक्टिकली जानते हैं । इन सब दोषों को समाप्त करना चाहिए ।

जो गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए पैसा रखा है, वह नाम मात्र है । गरीब लोगों को न्याय दिलाने का नारा न लगाकर उनको प्रैक्टिकल मदद पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था करनी चाहिए ।

श्री सभापति : श्री माणक लाल !

श्री ग्योपतसिंह मकासर : व्यवस्था का प्रश्न है । सभापतिजी, अभी न्याय व गृह विभाग, दोनों की मांगों पर बहस हो रही है, पर न हमारे गृह मंत्री मौजूद हैं न मुख्यमंत्री । इससे सीरियसनेस कम हो जाती है, फिर तो सदन की कार्यवाही खतम कर दो ।

श्री माणक लाल ठाकोर (नैनवा) : इस समयकी मेरे समयमें से कटौती नहीं होगी।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री) : मैं गृह मंत्री की तरफ से नोट्स ले रहा हूं। वह यहां मौजूद हैं, कोई आवश्यक काल दिल्ली से आया है उसको अटेंड करने के लिए गये हैं।

श्री माणक लाल ठाकोर : सभापतिजी, माननीय सदस्य ने हमारी बात कही हैं।

जो अन्त्योदय योजना आदर्श के रूप में व व्यवहारिक रूप में लागू की गई है, मैं समझता हूं न्याय के संबंध में भी अगर यह लागू हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। केवल लोगों को जमीन दिला देने से या उनको कर्जा देने से यह योजना सफल नहीं होगी। न्याय की दृष्टि से भी अगर सबसे पीछे खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे प्रधानमंत्री, श्री मोरारजी भाई व मुख्यमंत्री, श्री शेखावत ने घोषणा की है कि देहातों की ओर देखा जाना चाहिए और शहर व देहातों का जो असंतुलन है, उसको दूर किया जाना चाहिए। यह बड़े आश्चर्य व अफसोस की बात है कि इसकी प्रक्रिया अभी प्रारंभ नहीं हुई। शहरों में एक अदालत नहीं, एक दर्जन अदालतें हैं और उसी सब-डिवीजन के कस्बे में एक भी अदालत नहीं। मैं इस बात के लिए विधि मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नैनवा में प्रयत्न किया और हाल ही में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है, लेकिन बजट के अन्दर भवन का कोई प्रावधान नहीं है।

नैनवा और दूसरे अनेक देहातों में जहां मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट के लिए भवन नहीं है, वहां पर भवन के लिये बजट में प्रावधान होना चाहिए। मेरे स्वयं के जिले में, केशोरायपाटन व हिंडोली आदि में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट की स्थापना होनी चाहिए।

देहातों में जहां पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट की स्थापना संभव न हो, वहां पर सैकन्ड कोर्ट के रूप में, कैम्प के रूप में अदालत लगाई जा सकती है। इस संबंध में मेरे कई पूर्व वक्ता कह चुके हैं कि हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति अविलम्ब की जानी चाहिए। हमारे राजस्थान में कम से कम तीन दर्जन मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की अविलम्ब नियुक्ति की जानी चाहिए वरना न्याय मखौल बनकर रह गया है।

जहां तक पुलिस का प्रश्न है, सब लोग मानते हैं कि इसमें अंग्रेजों के जमाने से लेकर और कांग्रेस के जमाने तक इसमें भ्रष्टाचार हुआ 9 महीने पहले तक ऐसी पद्धति रही, इसलिये पुलिस में व्यापक भ्रष्टाचार है। जो कटौती प्रस्ताव विरोधी पक्ष के सदस्यों द्वारा आए, उनको पढ़ने से और समय-समय पर जो भाषण हुए हैं, उनसे सिद्ध है कि भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारे कई भाई मानते हैं कि कांग्रेसी भाइयों से इस संबंध में सहयोग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको बोलने का अधिकार नहीं है, वे भ्रष्टाचार दूर करने के मामले में नहीं बोल सकते। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में वे ही तो भ्रष्टाचार के विशेषज्ञ हैं, उनको सारी ऊंची-नीची बातें याद हैं, उनको सब तरह का अनुभव है, उनसे तो अवश्य सहयोग लेना चाहिए।

पुलिस में ईमानदार व्यक्तियों को पिछले 30 साल से प्रशंसा नहीं मिली, उनको आगे नहीं बढ़ाया। मैं एक व्यक्ति को आदर्श थानेदार के रूप में मानता हूं वह है हसन,

(श्री माणक लाल ठाकोर)

सब-इन्सपैक्टर। मेरे जीवन-काल में मेरा बूंदी जिले में या आसपास जहां से भी मेरा संबंध रहा है, वहां कोई ऐसा सब-इन्सपैक्टर नहीं दिखाई दिया जिसके लिए दावे के साथ कह सकता हूं कि वह पैसा नहीं खाता। लेकिन एक सब-इन्सपैक्टर मेरी निगाह में आया जिसने आज तक एक पैसा रिश्वत नहीं खाई। ईमानदार सब-इन्सपैक्टर तो पिछले 30 साल में सब-इन्सपैक्टर ही रह गया, मौलवी का मौलवी रह गया और बेईमान आदमी सब आगे बढ़ गए। मेरा सुझाव है कि ईमानदार व्यक्तियों का एक पैनल बनाया जाय, उनको प्रमोशन्स दिये जायं और बेईमान आदमियों का पैनल बनाकर निकाल दिया जाए, उन पर मुकदमे चलाए जायं। अगर यह पद्धति पुलिस विभाग में अपनाई जाए तो वास्तव में न्याय होगा। सबसे बड़ा न्याय दिलाने वाली है पुलिस, पुलिस से ज्यादा न्याय, न्यायालय नहीं दिला सकता है। आप ईमानदार को आगे बढ़ाइए और बेईमान को पीछे धकेलिये, यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति : श्री गोपालजी।

श्री गोपाल पचेरवाल (केशोरायपाटन) : सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि केशोरायपाटन बूंदी जिले का एक ऐसा कस्बा है जहां पहले मुंसिफ कोर्ट था लेकिन कई साल पहले उसको हटा दिया गया। मैंने विधि मंत्री से निवेदन किया कि केशवरायपाटन प्रमुख कस्बा है। केशोरायपाटन बूंदी जिले का उन्नत इलाका है और जिला मुख्यालय से काफी दूर पड़ता है, इसलिए वहां मुंसिफ कोर्ट की अविलम्ब स्थापना करें ताकि जो अनुसूचित जाति के लोग एवं किसान उस क्षेत्र में रहते हैं, उनको सुलभ न्याय मिल सके।

मैं गृह मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यानी जनता सरकार ने बूंदी जिले में शराबबंदी की है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे एस. पी. साहब की विशेष कृपा से पाटन जैसे पवित्र नगर में खुले रूप में शराब की बिक्री हो रही है।

सभापति महोदय, मैंने बार-बार एस. पी. साहब से सम्पर्क साधा, उनको टेलीफोन किया, उनको लिखित में शिकायत की पर उन्होंने नाजायज शराब बेचने वालों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया और किसी को नहीं पकड़ा। न थानेदार ने कभी ध्यान दिया मेरी शिकायत पर, न एस. पी. साहब ने ध्यान दिया मेरी शिकायत पर। इसी प्रकार, सभापति महोदय, मैं जब 5 मार्च को सुगर मिल के दरवाजे पर खड़ा था तो मैंने एक व्यक्ति को मोटर साइकिल पर शराब ले जाते हुए देखा। मैंने थानेदार साहब को टेलीफोन किया, लेकिन थानेदार साहब ने टेलीफोन की कोई परवाह नहीं की और व्यक्ति नाजायज शराब ले जा रहा था उसको नहीं पकड़ा। सभापति महोदय, मेरी समझ में नहीं आता, आखिर क्या बात है कि एस. पी. साहब और थानेदारजी ने बावजूद मेरे बार-बार शिकायत करने के अवैध शराब बेचने वालों को नहीं पकड़ा?

सभापति महोदय, हमारे यहां के ग्राम काप्रेनपाटन में एक वैश्यावृत्ति का अड्डा चल रहा है। उसके बारे में भी मैंने कई बार थानेदार, काप्रेन और एस. पी. साहब, बूंदी को लिख-लिख कर शिकायतें कीं पर उन्होंने उस अड्डे को हटाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की। मैंने इसके लिये कई

(श्री गोपाल पचेरवाल)
बार एस. पी., बूंदी को फोन भी किये पर कोई सुनवायी नहीं हुई ।

हमें गर्व है कि हमारे राजस्थान के गृह मंत्री जो हैं वह एक हरिजन हैं । पहली बार राजस्थान का गृह मन्त्रालय एक हरिजन को दिया गया है, इसलिये मैं समझता हूं कि जो हरिजनों के साथ अत्याचार सवर्ण समाज और पुलिस वालों द्वारा किये जाते थे उनमें अब कमी आयेगी और दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में कार्यवाही होगी । अभी हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है उसकी ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करूंगा । कोटा जिले की मांगरोल तहसील में श्री मदनलाल गालब को पंचायत चुनावों में हरिजनों द्वारा वोट नहीं देने के कारण श्री गालब द्वारा चमारों को बुरी तरह पीटा गया । उन चमारों को गांव से मार-मार कर निकाल दिया गया । उन्हें यह कह दिया कि अगर तुम गांव में आओगे तो तुम्हें पीटा जायेगा । इस तरह से बेचारों को गांव में नहीं घुसने दिया जा रहा है । मैं इसके लिये गृह मंत्रीजी से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि वह उन चमारों की सुरक्षा की ओर ध्यान दें । इसी प्रकार ग्राम पंचेल में वहां के बोहरे किशनचन्द और रमेशचन्द्र ने मथुरा मीणा को बुरी तरह पीटा । मैंने इसकी पुलिस में रिपोर्ट की पर कोई सुनवायी नहीं हुई । इस प्रकार का जो रवैया है पुलिस के अधिकारियों का इन हरिजनों के साथ इसके कारण हरिजनों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक किसी भी हरिजन को गृह मंत्री नहीं बनाया जाता था इसलिये हरिजनों के ऊपर अत्याचार होता था पर अब वह बन्द होना चाहिये और हरिजनों की पूरी सुरक्षा होनी चाहिये ।

इसके साथ-साथ मैं गृह मंत्रीजी से यह

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

निवेदन करना चाहूंगा, सभापतिजी, जिस प्रकार नौकरियों में शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को आप संरक्षण देते हैं उसी प्रकार यहां भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को थोड़ा अधिक समय दें । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, गृह मंत्रीजी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के साथ कम अत्याचार हों इसके लिये मुख्य-मुख्य थानों में हरिजन थानेदारों को ही लगायें । सवर्ण जाति के थानेदार हरिजनों के साथ कोई हमदर्दी नहीं रखते हैं । अगर आप उनको सहयोग देंगे तो हरिजनों को सहयोग मिलेगा। सभापति महोदय, हमारे यहां एक ग्राम में बनजारों की बस्ती है जिसके एक गरीब हरिजन के खिलाफ में एक झूठा मुकदमा केशोराय-पाटन के थाने में दर्ज कर दिया। उस बनजारे को थाने में ले जाकर बुरी तरह पीटा । इतना ही नहीं उस बनजारे के गुप्तांगों पर भारी-भारी पत्थर पांच मिनट तक रखे रहे, उसकी इन्द्रीय पर भी पत्थर बान्ध कर लटका दिये । इस प्रकार उसको मार-मार कर उसकी हालत खराब कर दी । मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जब मैंने मेरे क्षेत्र के विधायक होने के नाते इस केस की शिकायत की तो भी एस. पी. साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया । मेरी समझ में नहीं आता है, क्यों क्षेत्रीय विधायक की सारी बातें एस. पी. साहब गलत ही मानते हैं ? कौनसी बात को एस. पी. साहब सही मानते हैं और कौनसी बात को गलत मानते हैं यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है । मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर कार्यवाही करने की कृपा करें ।

बस इतना कह कर मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री सभापति : श्री बहादुरसिंह ।

श्री बहादुरसिंह (नौहर): सभापति महोदय, आज की माँगों पर मैंने भी अपने दो कटौती के प्रस्ताव दिये हैं । एक तो न्याय प्रशासन में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में है और दूसरा पुलिस कर्मचारियों के वेतनमानों में परिवर्तन की आवश्यकता तथा तफतीश हेतु साधनों में सुधार के लिये है । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इन कटौती प्रस्तावों की तरफ मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं न्याय के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । आज हमारे राजस्थान में न्याय सबसे महंगा है । इस महंगे न्याय को किसी प्रकार सस्ता और सुलभ किया जाना चाहिये । अभी तक हम जनता को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं दिला पाये हैं । सभापति महोदय, महंगा न्याय मिलने के कुछ कारण भी हो सकते हैं । सबसे पहला बड़ा कारण है न्यायालय की दूरी । हमारे यहाँ पर न्यायालय जो हैं वह बहुत दूर-दूर हैं । ऐसी हालत में लोगों को आने-जाने में समय अधिक लगता है और उसके साथ-साथ पैसा भी अधिक खर्च करना पड़ता है । उसकी वजह से न्याय महंगा पड़ता है । मैं सरकार को इस सम्बन्ध में विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र के गाँव से तहसील हैडक्वार्टर पर पहुंचने के लिये आने-जाने में तीन दिन लगते हैं । एक केस के डिस्पोजल होने तक कम से कम 20-25 बार कोर्ट की पेशियों पर जाना पड़ता है । आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना पैसा और समय इसमें खर्च होता है । इसलिये मेरा राज्य सरकार को यह सुझाव है कि आप न्यायालय की संख्या बढ़ाइये ताकि लोगों को कम दूरी पर ज्यादा तथा जल्दी सुलभ न्याय मिल सके । इसके लिये आप मोबाइल कोर्टस भी रखने की व्यवस्था करें ताकि ग्रामवासियों को कोर्टस् में जाने-आने के लिये समय और पैसा खर्च नहीं करना पड़े । इसके अलावा आप भी केसेज के लिये टाइम बाउण्ड प्रोग्राम फिक्स कर दें । आप समयावधि फिक्स कर दें ताकि फैसलों में देरी नहीं हो । इससे फरीकेन को चक्कर काटने पड़ते हैं वह भी कम काटने पड़ेंगे और खर्चा भी कम होगा । आज एक केस में कई वर्ष तक गुजर जाते हैं जिससे मुकदमा लड़ते-लड़ते गांव वालों के परिवार की आर्थिक हालत डगमगा जाती है । इसके लिये मेरा निवेदन है कि प्रक्रिया और प्रोसीजर में इसप्रकार सुधार लावें कि इतनी अवधि में इस प्रकार के केसेज निपटा दिये जायं, इस प्रकार के आदेश इश्यू हो जाने चाहिये ।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज गंगानगर और चूरू जिले के जितने भी केसेज होते हैं वह हमारे जोधपुर हाई कोर्ट में चलते हैं । जोधपुर हाई कोर्ट के साथ केसेज लगे हुए होने के कारण चूरू जिले और गंगानगर के लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है क्योंकि चूरू और गंगानगर से जोधपुर जाने में तीन दिन लग जाते हैं । अगर उसको जयपुर से जोड़ दिया जावे तो व्यक्ति एक ही दिन में यहां पहुंच जायेगा । इसमें उसका खर्चा भी कम लगेगा और समय की भी बचत होगी । कहीं जोधपुर का महत्व कम नहीं हो जाये, इसलिये उसको गंगानगर और चूरू जिलों के केसेज से संबंधित कर रखा है । मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार जनता को एक तरफ तो सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने

(श्री बहादुरसिंह)

की बात करती है और दूसरी तरफ किसी शहर का महत्व कम नहीं हो जाय इसका ध्यान रखती है? जनता को सस्ता व सुलभ न्याय मिले इसके लिये एक शहर से संबंध हटा कर आप दूसरी जगह व्यवस्था नहीं कर सकते? इस कमी को दूर किया जाना चाहिये।

तीसरी बात जो है वह भ्रष्टाचार के बारे में है। आज, सभापति महोदय, सभी मानते हैं कि न्यायालयों में भ्रष्टाचार बुरी तरह से फैला हुआ है। उसको समाप्त करने की तुरन्त आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा फिर समाप्त कर दूंगा। यहां पर मुख्यमंत्रीजी ने कहा था कि भ्रष्टाचार को समाप्त कर दूंगा। सदन में यह भी कहा था कि अब मैं सदन में धमाके भ्रष्टाचार के खिलाफ में करूंगा। पर आज तक किसी महकमे के अधिकारी को भ्रष्टाचार के लिये कोई सजा नहीं दी गयी है। क्या इसी प्रकार माननीय मुख्यमंत्रीजी की घोषणा का पालन होता है? मैं गृह मंत्रीजी को भी कहता हूं कि किसान जब अपनी मांगों को लेकर यहां आये तो क्या स्थिति बनी आप सबके सामने। न्याय तो सस्ता तब ही मिलेगा जब कि आप भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे।

जुडिशियरी के बारे में और निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रहित के अन्दर जुडिशियरी के मामले हैं जो कि प्रशासन के पास हैं उनको आप न्यायपालिका के अधिकारियों को दीजिये। उनके प्रशासनिक अधिकारों को आप बढ़ा दीजिये ताकि जो मामले कोर्ट्स में पेन्डिंग हैं उनका फैसला समय पर हो सके और जनता को सही तौर पर सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। इनके वेतनमानों में भी आपको सुधार करना चाहिये। आर. जे. एस. के ग्रेड में भी आपको सुधार करना चाहिये।

पुलिस प्रशासन के सम्बन्ध में भी एक बात कहना चाहता हूं। पुलिस हमारे प्रशासन की रीढ़ है। लॉ एण्ड ऑर्डर को मेन्टेन करने का उसका जिम्मा है। वह एक प्रशासन का महत्वपूर्ण अंग है। पुलिस के लिये आज यह कहा जाता है "Police rules by rules not by 'danda'" आज पुलिस में भ्रष्टाचार है। उसकी सारी कार्यवाही डंडों पर आधारित है। कुशल प्रशासन के आधार पर उसकी कार्यकुशलता नहीं है, पुलिस की वृत्ति क्रूर और रूढ़ है। सरकार का ध्यान मैं इस ओर खींचना चाहूंगा कि पुलिस में परिवर्तन लाने के लिये उनको ट्रेनिंग दी जाय उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये उनको सुविधायें प्रदान की जायं।

गंगानगर के अन्दर 400 पुलिस सिपाहियों में से 55 टी. बी. के मरीज हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया विराजिये।

श्री बहादुरसिंह : कृपया आधा मिनट। आधा मिनट में ही समाप्त करता हूं।

इसलिये उनके वेतनमानों में सुधार किया जाय, थानों में टेलीफोन की सुविधा दी जाय। वर्दी अलाउन्स में और वेतन में बढ़ोतरी की जाय। उनको 12) रु. मैस अलाउन्स मिलता है वह कोई मैस अलाउन्स नहीं है। उनको सही रूप से भत्ता दिया जाय।

(श्री बहादुरसिंह)
उनको ट्रेनिंग दी जाय ताकि वे अपने स्वभाव को सुधार सकें, उसमें परिवर्तन ला सकें और जनता को सस्ता न्याय दे सकें।

श्री सभापति : श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा !

श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा (मनोहर-थाना) : माननीय सभापतिजी, हम चाहते हैं कि प्रशासन अच्छा हो और भ्रष्टाचार मिटे। उसके बावजूद पिछले दिनों पुलिस प्रतिवेदन देखने को मिले, उनमें अपराधों की संख्या बढ़ी है उनमें केसेज बढ़े हैं, केसेज कम नहीं हुए हैं। मैंने पिछले सत्र में भी इस बात के लिये निवेदन किया था कि कोटा राज्य के जमाने में प्रत्येक गांव में एक चौकीदार रखा जाता था और उसको राज्य की ओर से केवल जमीन मिलती थी जिसका हासल उससे नहीं लिया जाता था। उसका काम यह होता था कि वह पुलिस को वहां के बारे में सही सूचना दे। उसके लिये वह बाध्य हुआ करता था। पिछले सत्र से मंत्रीजी ने इस योजना को शुरू किया या नहीं, इसका मुझे पता नहीं। यदि इसको फिर से शुरू करें तो जो अपराध आज होते हैं उनके अनुसंधान के लिये यह पुलिस के लिये बड़ी सहायक होगी।

आज भ्रष्टाचार दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। कुछ तथ्यों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक पुलिस स्टेशन है भालता। भालता का थानेदार खुल कर भ्रष्टाचार कर रहा है। जनता को लूटता है और रिश्वत खाता है। उसके बावजूद लोग बहुत आतंकित हैं। परसों के रोज एक माननीय सदस्य मेरे पास एक प्रार्थना-पत्र लेकर आये। आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको पढ़ दूं और उसको गृह मंत्रीजी के सुपुर्द कर दूं। वह इस प्रकार है :

"विषय :—श्री थानेदार, भालता द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं ज्यादतियों के संबंध में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि थाना भालता के थानेदार द्वारा क्षेत्र में अराजकता एवं भ्रष्टाचार का वातारवण बनाया हुआ है।

दिनांक 7-2-78 को दिन के दस बजे मुझे घाटोली चौकी पुलिस पर बुलाया गया और मुझको यह धमकी देकर कि तुम चोरी का माल खरीदते हो, तुमको दफा 411 में बन्द करके मुकदमा तुम्हारे ऊपर चलाया जाकर हथकड़ी डालकर तुम्हारी निकासी निकाली जावेगी, मुझ से 2,000) अक्षरे रुपये दो हजार लिये जिसका मेरे पास प्रमाण मौजूद है।

श्री थानेदार साहब जब भी घाटोली आते हैं मन्नालाल तेली की तरफ से चौकी पुलिस पर शराब पीते हैं, मुर्गे खाते हैं और मन्नालाल तेली के इशारे पर चाहे जिस व्यक्ति को बुलवाकर मारपीट करते रहते हैं एवं पैसे लेते रहते हैं। यहां का थानेदार मन्ना तेली ही हो रहा है। गांव का वातावरण बड़ा भययुक्त है, गुण्डों की वजह से किसी की भी इज्जत सुरक्षित नहीं है।

अगर शीघ्र ही इसकी व्यवस्था नहीं की गयी तो इसके विरोध में हड़ताल एवं प्रदर्शन होंगे।

अतः अविलम्ब जांच की जाकर श्री थानेदार, भालता को उचित सजा दिलवाई

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

जावे जिससे कि गरीब जनता को राहत मिल सके।

भवदीय,
रामगोपाल सोनी.
घाटोल, थाना भालता,
दिनांक 26-2-78।"

मैं चाहता हूं कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ में गृह मंत्रीजी सख्त कदम उठायें।

अभी माननीय हरिशजी ने कहा कि उनके यहां एक आदमी गायब हो गया। यदि जयपुर में कोई गायब हो जाय तो हो-हल्ला मच जाता है, लेकिन मनोहरथाने में एक भील को गायब किया गया। भील की पत्नी ने सब जगह दरख्वास्तें दीं, मंत्री परिषद् को दी, कलेक्टर को दी, एस. पी. को दी, गृह मंत्री को दी, तत्कालीन मुख्यमंत्री को दी और उच्चाधिकारियों को दी। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज तक उस आदमी का कहीं पर पता नहीं चल सका। संक्षेप में, निवेदन करना चाहूंगा :

"विषय :—पुलिस की हिरासत में 1 व्यक्ति के लापता हो जाने बाबत।

मान्यवर, निवेदन है कि मेरा भाई मंगला पुत्र गोरीलाल भील, ग्राम कुन्डीबे, पोस्ट ऑफिस सेमलीहाट वाया मनोहरथाना, जिला झालावाड़ का श्री गंगूसिहजी, थानेदार सा., पुलिस स्टेशन, मनोहरथाना ने सन् 1975 में गिरफ्तार किया था जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष की है। उसे कुछ दिन तक मनोहरथाना रख कर आगे भेजा था। उसके बाद पता नहीं उसे मार डाला गया या कहां भेजा गया। मैंने झालावाड़ के हर पुलिस स्टेशन में तलाश की मगर कोई अधिकारी सही जानकारी नहीं देते हैं। मेरे भाई के छोटे-छोटे बाल-बच्चे भूखों मरते हैं। काफी परेशान हैं। अब श्रीमान् से निवेदन है कि मेरे भाई के साथ पुलिस ने क्या किया, कहां मारा, इसकी पूरी जांच करवा कर दोषी कर्मचारियों पर कानूनी कार्यवाही की जावे तथा मुझे इसकी इत्तला दी जावे कि श्रीमान् क्या कार्यवाही फरमा रहे हैं। मैं एक गरीब आदिवासी हूं। मेरे पास इतना खर्चा नहीं जो आपके पास आ सकूं, सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं जो श्रीमान् की सेवा में पेश है। गरीबों की लाज आपके हाथ है। आप चाहो जो करो।

तीन साल हो गये आज तक उसका कहीं पता नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी, आप इस पर खास तौर से तवज्जोह दें जिससे पुलिस वालों से पूछ सकें कि इसका क्या हुआ। वह किसी का पति है और किसी का पिता है, भाई है। वह हिन्दुस्तान का एक नागरिक था। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप इसकी पूरी तरह से जांच करायें।

मनोहरथाना में दो महिलाओं की हत्या कर दी गयी। यह प्रयास चलता रहता है। हजारों का माल गुण्डे लूट कर ले जाते हैं। दो महिलाओं की हत्या कर दी गई और आज तक पुलिस उन लोगों को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकी। उसकी बच्चियां हैं, रोज चीत्कार करके आते हैं। एस. पी. को कहते हैं तो वे कहते हैं कि जांच करवा रहे हैं। वे हत्यायें यों ही अभी तक बिना जांच के पड़ी हुई हैं और आगे भी रह जावेंगी। मैं यह निवेदन करूंगा कि आप इस ओर पुलिस को सक्रिय करियें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री विट्ठल प्रसाद शर्मा)

पिछले दिनों ब्यावर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भयंकर डकैती हुई। हजारों रुपयों का माल लूट कर ले गये। आज तक उन डकैतों को पुलिस नहीं पकड़ पायी। पुलिस की बढ़ती हुई अराजकता को सख्ती के साथ दबाना चाहिये। पुलिस के अभी तक वे ही पुराने तौर-तरीके हैं। पुलिस वाले यह कहते हैं कि हम किसी को बुलाते हैं तो आई.जी.पी. के पास डेपुटेशन लेकर चले जाते हैं। हम स्वयं डिमोरेलाइज हो जाते हैं। मोरल गिर गया है। इसलिये, गृह मंत्रीजी, आप अपने आदमियों से कहिये कि यह जो गुण्डा एलीमेन्ट है उसको दबायें और उनके खिलाफ कार्यवाही करें वरना यह वारदातें बढ़ती ही जावेंगी। 11 तारीख का वाकया है। मैं प्रवास भवन के फ्लेट नं० 8 में रहता हूं। मेरे कुछ गैस्ट आये हुए थे। मैंने कहा कि आप भोजन करेंगे? बाजार से ब्रेड के पैकेट खरीद लाया। एक छोकरा आया वह छीन कर ले भागा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पुलिस है, इन्सपैक्टर हैं आपके। इन्टेलीजेन्स ब्यूरो है। जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं और उसको रोका नहीं जाता है तो आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं कि किस प्रकार से लोग वहां गांवों में रहते होंगे।

अब मैं आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। हमारे यहां अकलेरा में मुन्सिफ कोर्ट है और 1,600 मुकदमे उस मुन्सिफ कोर्ट में पैन्डिंग थे। वहां पर कई बड़े कस्बे मनोहरथाना, सरडा आदि हैं। एक मुकदमे में पेशी 6 महीने में पड़ती है। लोगों ने दरख्वास्त दी, तो वहां पर एक अपर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट कायम की गयी, लेकिन वह मजिस्ट्रेट साहब केवल दो महीने रहे और वापस चले गये। लोग परेशान होते रहते हैं। इसलिए माननीय न्याय मंत्री महोदय, जो स्थान रिक्त पड़ा हुआ है उसके लिए अपर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नियुक्त करने की कृपा करें।

यही मुझे निवेदन करना है।

श्री सभापति: श्रीमती सुमित्रा सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री प्रद्युम्नसिंह।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर जिस तरीके से क्राइम्स बढ़े हैं यह बहुत चिन्ता का विषय है। मैं भूमिका में नहीं जाते हुए यह कहूंगा कि सारे देश में अपराधों की बाढ़ आई हुई है और उससे हमारा राजस्थान भी अछूता बचा हुआ नहीं है। सिर्फ एक ही खुशी की बात है कि पड़ौसी जो प्रान्त हैं खास तौर से यू० पी० का प्रान्त है, या हरियाणा का प्रान्त है, या मध्य प्रदेश का प्रान्त है वहां पर तुलनात्मक दृष्टि से क्राइम्स बहुत बढ़े हैं। अपने यहां उस तुलना में क्राइम्स कम बढ़े हैं लेकिन इसमें खुशी जाहिर करने की बात नहीं हो सकती। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो प्रगति-विवरण हमारे सामने आया है उससे तो यह लगता है कि राजस्थान के अन्दर अपराधों में वृद्धि हुई है। इसका कारण क्या है?

श्रीमान्, आपने बड़ी घिसी-पिटी रिपोर्ट और दलील पेश कर दी कि इमर्जेन्सी के अन्दर लोग रिपोर्ट नहीं कराते थे और अब लोगों के हौसले खुल गए हैं और इस कारण लोग

Page No 139

(139)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

रिपोर्ट कराने लगे हैं, इसलिए नम्बर बढ़ा है। हम यही जानते थे कि ग्रापका यही जवाब ग्रायेगा, इसके ग्रलावा कोई जवाब नहीं है ग्रापके पास। यह जनता पार्टी की सबसे बड़ी देन है। इनकी सरकार ग्राने के बाद जितने वक्ता यहां पर बोले हैं उन्होंने यह कहा है ग्रौर ग्रखबारों में रोज ग्रा रहा है कि देश के ग्रन्दर क्राइम्स की बाढ़ ग्रा रही है ग्रौर लोगों में ग्रसुरक्षा की भावना पैदा हो गयी है इसलिए सरकार की साख दिन-ब दिन गिरती जा रही है। ग्रब सवाल यह पैदा होता है कि क्राइम्स क्यों बढ़े? इसका जवाब दिया कि ग्राबादी बढ़ गयी। मैं, मंत्री महोदय, ग्रापसे कहना चाहता हूं कि ग्राप इस रिपोर्ट से कभी हम लोगों को बहका तो सकते नहीं हैं। ग्राप इमर्जेन्सी से पहले के चार-पांच साल के फिगर्स उठाकर देख लें, जो क्राइम्स का फ्लक्चुएशन है, वह एक पर्सेन्ट या दो पर्सेन्ट का है। सबसे पहला कारण जो मैं समझता हूं ग्रौर जो ग्राप लोगों की ग्राम राय है, ग्रौर जो बहुत से विधायकों की भी राय है वह है ग्रापका पॉलिटिकल इन्टरफियरेन्स। इसके ग्रलावा ग्रापने ग्रॉफिसर्स को डिमोरेलाइज कर दिया है। ग्रापने सत्ता का केन्द्रीयकरण ग्रपने हाथों में कर लिया है। ग्रापने कान्सटेबल के तबादले तक ग्रपने हाथ में ले लिए। एस.पी. किसी ग्राफिसर या थानेदार के खिलाफ एक्शन लेना चाहता है तो वह सीधे गृह मंत्री-जी के पास ग्राया ग्रौर दरख्वास्त दी। गृह मंत्रीजी ने सीधे लिख दिया कि फलां कान्स-टेबल को फलां थाने से फलां थाने में भेज दो। मैं ग्रापको ग्रागाह कर रहा हूं, माननीय गृह मंत्रीजी, क्योंकि ग्राप पुराने ग्रनुभव वाले व्यक्ति हैं, पुराने मंत्रीजी तो कतई ग्रनुभवी नहीं थे, एक-एक थाने में चार-चार थानेदार लगा दिये। एस. पी., गंगानगर ने छुट्टी बढ़ाना शुरू कर दी। उसने ड्यूटी जोइन करने से इन्कार कर दिया, क्योंकि जितना गुण्डा टाइप एलीमेन्ट है वह इनके इर्द-गिर्द रहता है। मैं कहता हूं यह हकीकत है। हकीकत नहीं हो तो ग्राप डिनाई करें। एस. पी. लम्बे ग्रर्से तक क्यों छुट्टी पर रहे? मैं पूछना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि क्योंकि समय बहुत थोड़ा है ग्रौर सभापति महोदय मेरी तरफ देख रहे हैं। मैं उनका इशारा समझ रहा हूं। ग्राप इन ग्रॉफिसर्स को कान्फिडेन्स में लें। कहीं ग्रापने इन ग्रॉफि-सर्स के ऊपर भरोसा नहीं किया। ग्रापने ग्राई.जी., पुलिस को जिम्मेदार नहीं ठहराया। जिले में एस.पी. को जिम्मेदार नहीं ठहराया। यदि ग्रापने इनको जिम्मेदार नहीं ठहराया तो ग्राप इस क्राइम के वेग को रोक नहीं सकेंगे ग्रौर पुराने मंत्री की तरह ग्राप भी ग्रसफल घोषित कर दिये जायेंगे। इसी ग्राशा से मैं ग्रापको ग्रभी से ग्रागाह किये देता हूं। मैं नहीं कहता कि ग्राप जैसे योग्य व्यक्ति इसमें सफल नहीं होंगे। ग्रगर ग्राप ही सफल नहीं हो पाये तो यह नौसीखिये कुछ नहीं कर पायेंगे। यह इसका बेड़ा गर्क कर देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्राप ग्रॉफिसर्स को डिमोरेलाइज मत कीजिए ग्रौर कम से कम ग्राप उनको कान्फिडेन्स में लीजिए, उनको विश्वास में लीजिए। बाकी तो भ्रष्टाचार की बात है। मैं ग्रापसे निवेदन करता हूं कि कोई ग्रादमी गलत काम करे तो उसकी पैरोकारी न तो मैं करता हूं ग्रौर न ग्राप करें। उसको सजा दो, ग्रापको कोई रोकता नहीं है। यहां पर बहुत से विधायकों ने कहा, मैं बहुत सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हम कहते हैं कि हमारी बात नहीं मानी जाती। कामां की रिपोर्ट सामने ग्रायेगी तो उसको नहीं मानेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

दो-तीन सुझाव हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ऑफिसर्स तो वही हैं। आप उनको विश्वास में लेकर काम कीजिए और कान्फिडेन्स क्रियेट कीजिए। अगर कान्फिडेन्स समाप्त हो गया तो काम नहीं चलेगा। मैं कहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी है, आपने इस तुलना में फोर्स को बढ़ाया नहीं। आप एक कम्प्युटर ले आये पुलिस विभाग में। पता नहीं उसका लाभ कब मिलने वाला है। अभी तक तो उसका कोई एचीवमेन्ट सामने नहीं आया है। तो आप पुलिस फोर्स को बढ़ायें। यदि आप गांवों में नये चौकीदारों को नियुक्त कर सकें तो यह बहुत अच्छी बात होगी। पुराने जमाने में इन चौकीदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती थी। वे क्राइम्स के बारे में इन्फोर्मेशन देते थे। इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आपको भी इससे लाभ मिलेगा।

जो सबसे बड़ी दिक्कत हमारे भरतपुर जिले की है वह यह है कि वह यू. पी. बोर्डर और हरियाणा के बोर्डर से लगा हुआ है, वहां तो क्राइम्स बुरी तरह से बढ़ रहे हैं। वहां के लोग भरतपुर में आते हैं। चोरियां करते हैं और डकैतियां डालते हैं। वहां लॉ एण्ड आर्डर की सिचुएशन यू. पी. और हरियाणा के लोगों ने विगाड़ दी है। आप बोर्डर को सील कीजिए तभी भरतपुर में क्राइम्स को रोक सकेंगे नहीं तो रोज हम सदन में आपको परेशान करेंगे और सवाल उठायेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस काम को कीजिए।

अब मैं आपको कहता हूं कि 80 हजार रुपये की चोरी ग्राम मनिया में हुई है। लोग यहां पर आ गये और मंत्रीजी से मिले। मंत्रीजी ने थानेदार का तबादला कर दिया। जनता पार्टी के विधायक बैठे हैं, किसी को भी इन्क्वायरी करने के लिए भेज दीजिए, आई. जी. को भेज दीजिए, डी. आई. जी. को भेज दीजिए। बस उस थानेदार का तबादला कर दिया और 80 हजार की चोरी का पता नहीं। आपके वरिष्ठ अधिकारी बैठे हुए हैं, थाना मनिया में चोरी हुई है और मंत्री ने हुक्म निकाला है, गृह मंत्री का आदेश है कि इस थानेदार को बदल दिया जावे। उसको तो नौकरी करनी है, कहीं भी जाये। मैं कोई थानेदार की पैरवी नहीं कर रहा हूं। आप उसे कहीं भी जहन्नुम रसीद कर दो, लेकिन चोरी का तो पता लगा लो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं कहना चाहता हूं कि उसका किस आधार पर तबादला हुआ ? तो गृह मंत्रीजी, आप आये हैं, उस 80 हजार की चोरी का पता लगा लें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। यदि उसका पता नहीं लगा पाये, तो क्राइम्स को रोकने वाला कोई नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : इनको एडवाइजर बना दीजिए आप।

श्री सभापति : श्री नवरंग सिंह !

(6.00 सायं)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पीठासीन)

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : सभापति महोदय, पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। सरकारी पक्ष के लोग ही बोलेंगे और वही सरकार की कमियां बतायेंगे ? हमें भी तो मौका दो। 7 बजे मंत्री महोदय का जवाब शुरू हो जायेगा और हम बोल नहीं सकेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवस्था यह रही है कि जिस प्रकार से माननीय सदस्यों के कटौती के प्रस्ताव हैं, जिस क्रम में हैं, उसी क्रम से सदन की कार्यवाही चल रही है।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वही कमियां बतायें और वही बोलें, यह उचित नहीं है।

श्री सभापति : जो क्रम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करना तो मेरे लिए मुमकिन नहीं है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : तो सबको मौका मिलेगा जिनके भी कट मोशन्स हैं ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : 3 माननीय सदस्य-जनता पक्ष के बोलें और एक इधर से बोले, ऐसा कर लीजिए।

श्री सभापति : सदन चाहे जितना बैठे मुझे आपत्ति नहीं है। यदि आप 12 बजे तक या कल सुबह 2 बजे तक भी बैठते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री नवरंग सिंह !

श्री नवरंग सिंह (नवलगढ़) : सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके बारे में निवेदन है। सबसे पहले मैं न्याय प्रशासन के बारे में निवेदन करूंगा।

आज न्यायालय कायम कर दिये जाते हैं लेकिन वर्षों तक उनके स्थान खाली पड़े रहते हैं। हमारे नवलगढ़ में मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का न्यायालय है और करीब 1500 मुकदमे हैं लेकिन पिछले 6 महीनों से वहां मुन्सिफ मजिस्ट्रेट नहीं है। झुंझुनू से मजिस्ट्रेट आता है, कागजों पर दस्तखत करके चला जाता है जब कि सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, खर्चा करके आते हैं और हमें और हमारी सरकार को गाली देकर वापस चले जाते हैं। इसलिये मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह से व्यवस्था करें कि न्यायालयों में स्थान खाली न रहें।

इसी तरह से न्याय व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। आज न्याय समितियां बनी हुई हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूं कि जितने भी छोटे-मोटे मामले हैं विशेष प्रकार से अगर उनके जिम्मे कर दिये जायें तो गांवों में ही छोटे-मोटे मामले सुलझ जायेंगे और न्यायालयों पर जो इतना बड़ा खर्चा होता है, वह नहीं होगा। हाई कोर्ट में भी लम्बे समय से स्थान खाली पड़े हुए हैं। वर्षों से केसेज नम्बर पर नहीं आ रहे हैं।

दूसरी तरफ यह हालत सैशन जजेज की है कि उनके पास बहुत ही थोड़े मामले हैं। मैं झुंझुनू का उदाहरण बताऊं, 25 से ज्यादा केसेज वहां नहीं रहते। इसी तरह सीकर की हालत होगी। इसलिये सैशन्स कोर्ट्स को कुछ और धाराओं के मामले सौंपे जायें।

इसी तरह से पुलिस के बारे में सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे मंत्री महोदय जो आदेश देते हैं, हमारे सरकारी अधिकारी उनकी पालना करने के लिये बाध्य नहीं हैं। विशेषकर आई. जी. साहब के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि भूतपूर्व गृह मंत्री, प्रोफेसर केदार साहब ने एक आदेश दिया, और चार महीने के बाद फिर आदेश दिया लेकिन उस आदेश की पालना नहीं की गई है। वे कागज फाइलों की शोभा बढ़ा रहे हैं। आई. जी. साहब से जब मिलने जाते हैं तो तर्क देते हैं कि मैं बाध्य नहीं हूं मंत्री लोगों के आदेश मानने के लिये। इसलिये, गृह मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्थिति पहले वाले मंत्रीजी की आई जी. ने की है, वही स्थिति आप की करेंगे।

श्री सम्पतराम : मैं, माननीय सदस्य यह जानना चाहूंगा, वे किस बारे में आदेश दिये गये थे ?

श्री नवरंग सिंह : वह मामला यह था कि नवलगढ़ के डिप्टी एस. पी. के खिलाफ कुछ शिकायतें थीं और उसके स्थानान्तरण के आदेश थे ।

इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, शेखावाटी में चोरियों और डकैतियों का भयंकर वातावरण है .....

श्री रामकृष्ण बाल गुप्ता : मंत्री महोदय, आप यह जानबूझ कर पूछ रहे हैं, आपको मालूम है ।

श्री सम्पतराम : यह मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं ।

श्री नवरंग सिंह : माननीय गुप्ताजी, मुझे बोलने दीजिये । सभापतिजी घंटी की ओर हाथ बढ़ा रहे हैं ।

शेखावाटी में चोरियों और डकैतियों का बड़ा भयंकर वातावरण है । मुकन्दगढ़ में चोरी हुई उसका आज तक पता नहीं लगा । और जगह चोरियां हुई । आज मैंने राजस्थान पत्रिका में देखा कि जयपुर के आस-पास लुटेरे सक्रिय हैं और लूटपाट कर रहे हैं । यह स्थिति राजधानी की है, तो, माननीय सभापतिजी, इस राजस्थान की क्या स्थिति होगी ।

इसी तरह से सट्टे के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । शेखावाटी में सट्टा भारी होता है । मैंने विजीलेंस कमेटी में बात की, सभापतिजी, आप स्वयं भी उपस्थित थे । मैंने एस. पी. से निवेदन किया कि सट्टे को रोकिये, तो उन्होंने तर्क दिया कि राजस्थान के गृह मंत्री को कह दिया है कि यह सट्टा नहीं रुक सकता । यह हालत है, गृह मंत्री महोदय, इस प्रशासन की । अगर इस प्रशासन को नहीं सुधारेंगे तो यह स्थिति दिन-ब-दिन खराब होती जायेगी ।

27 तारीख को छात्रों ने एक जुलूस निकाला । उसका कारण यह था कि माननीय उद्योग मंत्रीजी नवलगढ़ गये थे । छात्र बेरोजगार थे, वहां उन्होंने नारे लगा दिये । मैंने वहां के पुलिस अधिकारियों से पूछा तो बताया कि मंत्रीजी का इशारा था । मैंने मंत्रीजी से कन्फर्म किया तो कहा कि मेरा कोई इशारा नहीं है । उन लड़कों को पकड़ लिया । खास कर हरिजन लड़के थे । नवलगढ़, मुकुन्दगढ़ के लड़कों ने प्रदर्शन किया । विधान सभा के सामने जैसे किसानों ने प्रदर्शन किया उन पर लाठीचार्ज किया गया, अश्रु गैस के गोले छोड़े गये उसी प्रकार नवलगढ़ में उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया और उल्टे उन्हीं पर आज मुकदमे बना दिये गये । लम्बे समय तक हड़तालें चलीं लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया । मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, मंत्री महोदय को 28 तारीख को बता चुका हूं, उनको लिखकर भी दे चुका हूं, इस सारी स्थिति का जायजा लें और इस स्थिति को संभालें । वहां के डीवाई. एस. पी. तुले हुए हैं, उन छात्रों से फस्ट्रेट हो कर चलते हैं । छात्रों में असंतोष है । अगर नहीं रोका गया तो यह स्थिति और भी खराब हो सकती है ।

इसी तरह से पुलिस विभाग के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में काफी संख्या में अर्दली हैं । वह क्या काम करते हैं ? वह अफसर लोगों के घरों पर काम करते हैं । इसलिये मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय उन अर्दलियों की पोस्टों को समाप्त करें । चाहे अफसर साहबान को इसके

(श्री नवरंग सिंह)

लिये अलाउंस दे दिया जाये तो ज्यादा अच्छा है। 400 रुपया अर्दली पर खर्चा पड़ता है। वह इन अफसरों के घर पर काम करते हैं।

इसी तरह मेरा निवेदन है कि थानों में जो कन्वियेन्स अलाउंस दिया जाता है वह सी. आई. डी. के जितने आदमी हैं उनको नहीं दिया जाता। तो मेरा निवेदन है कि उन्हें भी कन्वियेन्स अलाउन्स दिया जाये तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

इसी प्रकार से निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपकी मार्फत कि उदयपुर थाने में गाय का किस्सा हो गया। गाय के किस्से को लेकर वहां के थानेदार, नवलगढ़ के डीवाई. एस. पी. से कुछ लोगों ने अर्ज किया तो कहा कि अगर 15 हजार की रकम दो तो केस को खतम कर सकते हैं। मेरे पास भी 100-50 आदमी आये, मैंने टेलीफोन पर बात की, एस. पी. साहब से बात की। मैंने कहा कि अगर यह 15 हजार दे देते हैं तो यह दोषमुक्त हो जायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो यह स्थिति है, सभापति महोदय, इस पुलिस राज की। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरह की स्थिति को कन्ट्रोल किया जाये। गृह मंत्रीजी से खास तौर से निवेदन करना चाहूंगा। आप स्वयं सारी स्थिति को जानते हैं। वर्षों तक कांग्रेस राज को देखा है। इस राज की गतिविधियों पर आपकी निगाह है। आप अनुसूचित जाति के हैं, इस जाति का खासकर हरिजन वर्ग है उसके साथ ज्यादती हो रही है, मान्यवर, उसको रुकवाइये। मुझे विश्वास है आप जैसे व्यक्ति, जो माननीय मंत्रीजी हैं, ध्यान देंगे और जोर-जुल्म जो काश्तकारों पर हो रहे हैं, गरीब हरिजनों पर हो रहे हैं वह तुरन्त दूर करेंगे। जय भारत।

श्री सभापति : श्री रावत राम।

श्री रावत राम (सुजानगढ़) : सभापतिजी, इस पुलिस प्रशासन के बारे में सदन के जो माननीय सदस्य हैं, उनमें बड़ी नाराजगी है। जो हालत राजस्थान में होती जा रही है चोरियों के बारे में, डकैतियों के बारे में, बलात्कार और नकबजनी के बारे में और गुण्डागर्दी के बारे में वह इस चरम सीमा पर बढ़ रही है कि सारे राजस्थान के माननीय सदस्यों को चिन्ता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पूरे राजस्थान के लिये यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या से आपको जल्दी सुलझना चाहिये। जो भी गुण्डागर्दी है राजस्थान में उसको आपको पाबन्द करना चाहिये। जब तक आप गुण्डागर्दी को पाबन्द नहीं करेंगे तब तक इस तरह के केसेज राजस्थान में होंगे और दिनोंदिन बढ़ते जायेंगे।

मैं मानता हूं जनता सरकार की पॉलिसी है कि लोग निर्भीक बनें, लोग स्वतन्त्र रूप से अपने विचार प्रकट करें। लेकिन यह स्वतन्त्रता नहीं है कि गुण्डा एलीमेन्ट्स इस तरह का जनता के साथ व्यवहार करे, छेड़खानी करे, चोरियाँ करे और प्रशासन देखता रहे। यह राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। इस मसले को आपको गंभीरता से देखना चाहिये। इस हाउस में कुछ माननीय सदस्य बोल रहे हैं और पुलिस ऑफिसर डिमोरेलाइज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्या गड़बड़ी है? वे पुलिस आफिसर हैं, उनका फर्ज है कि वे सारे मामलों को देखें। कहां गवर्नमेण्ट उनके बीच में आती है? क्या सरकार यह कहती है कि

Page No 144

(144)

(श्री रावत राम)

गुण्डागर्दी बढ़े ? कुछ माननीय सदस्य यह कहते हैं कि यह तबादलों की सरकार है, इसकी वजह से ही सब कुछ हो रहा है । आज तबादले बन्द कर दीजिये फिर देखें क्या यह गुण्डागर्दी रुकती है ? मेरी मान्यता है कि तबादलों से गुण्डागर्दी नहीं रुकेगी । यह प्रशासन की शिथिलता है, हम लोगों की शिथिलता है । सभापति महोदय, यदि यही स्थिति राजस्थान में और सारे देश में चलती रही तो हाहाकार मच जायेगा । पहले गृह मंत्रीजी पर आरोप लगाते हैं कि एक-एक थाने में चार-चार थानेदार भेज दिये । आप क्या करते रहते हैं ? आपके पास कौनसा काम था ? मिसगाइड करते हैं और कहते हैं कि आफिसर्स को और पुलिस आफिसर्स को कान्फिडेन्स में लीजिये । किस तरह कान्फिडेन्स में लिया जाय ? कान्फिडेन्स में वे हैं और उनको रहना भी चाहिये । चाहे वह आई. जी. हों, डी. आई. जी. हों, एस. पी. हों या डीवाई. एस. पी. हों, क्या वे प्रशासन से अलग रह सकते हैं ? उनकी जिम्मेदारी है और उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये । लोगों के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं, उनको देखना चाहिये । मैं यह कहता हूं पुलिस का सिपाही है, कान्सटेबल है उनकी तनख्वाहें बढ़ाइये, उनको वायरलैस, टेलीफोन, जीपें आदि दीजिये । यह हाउस आपका साथ देगा लेकिन यह हाउस कभी यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि चोरियां होती जायं । आप आज बताइये, कितनी चोरियां हुईं और कितनों में माल बरामद किया गया ? आपको पता चलेगा कि ये सारी चोरियों का माल बरामद नहीं हुआ । इसलिये मैं निवेदन करता हूं । आप तबादले धड़ाके के साथ कीजिये लेकिन जो गलत काम करते हैं, उनको सख्त सजा दीजिये । योग्य और ईमानदार आफिसरों को लगाइये ताकि उनका भी मनोबल बढ़े और जनता में भी उत्साह बढ़े ।

माननीय सभापतिजी, चोरी के मामले में, मैं अपने क्षेत्र की एक बात बताना चाहता हूं । जो पुराने गृह मंत्रीजी थे, प्रोफेसर केदारजी, उनको मालूम है । मैं उनके पास गया था । एक गांव है बाड़िया तहसील सुजानगढ़ में । वहां एक काश्तकार के यहां, जो ढाणी में था, 7-8 आदमी गये रात को 11 बजे । उस ढाणी में एक औरत थी 50 साल की और एक लड़की थी 16-17 साल की, दो-तीन बच्चे थे । वे ढाणी में रहते थे । चाय-दूध आदि वहीं पीते थे, खाना आदि भी वहीं बनाते थे । तो रात को 11 बजे उस ढाणी में घुसकर औरत को बन्द कर दिया और लड़की के साथ 4-5 बजे तक बलात्कार करते रहे । जो उसका सामान था, घी के पीपे आदि वे सारा का सारा उठाकर जो बस आती है बीदासर से उससे लाडनूं आये और उसके बाद न जाने कहां भाग गये । आज तक उनका पता नहीं लगा । इस तरह के भयंकर काण्ड हुये हैं । उधर डीवाई. एस. पी. ने गश्त लगानी शुरू कर दी है लेकिन अभी तक उन लोगों का पता नहीं लग पाया ।

इसी तरह सुजानगढ़ में धात्री गांव है । वहां 20 हजार की चोरी हुई, उसका भी अभी तक पता नहीं चला । इस तरह आपका पुलिस प्रशासन कैसे चलेगा ? अगर उनकी तनख्वाह बढ़ानी है तो तनख्वाह बढ़ाइये लेकिन उनकी जिम्मेदारी होती है उसकी उनको पालना करनी चाहिये । यह कहना गलत है कि तबादला हो गया इसलिये गड़बड़ हो गई । तबादले तो होंगे । जब तक आप उनके साथ सख्ती नहीं करेंगे तब तक आपका प्रशासन नहीं चलेगा । मैंने जो ढाणी का मामला बताया है, आप पूछिये, एस. पी. साहब से,

(श्री रावत राम)

हूं थोड़ा सख्ती से काम करिये जिससे इस तरह के हालात पर काबू पाया जा सके।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं......

श्री मूलचन्द डागा : जनता राज में गुण्डा एलीमेंट बढ़ेगा और हावी होगा।

श्री रावत राम : मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय सभापतिजी, आपके मार्फत आज इस पुलिस में आपके कान्सटेबल की भर्ती होती उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नहीं लिया जाता है। जब कि उनके लिये रिजर्वेशन है, फिर भी नहीं लिया जाता है। शिड्यूल्ड कास्ट्स में भी पढ़े-लिखे लड़के मिलते हैं। किसी जमाने में नहीं मिलते थे, इसलिये शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को नहीं लेते थे; लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। इस स्थिति को बदलना चाहिये। जिस तरह और समाज आगे बढ़ता जा रहा है; उसमें इन लोगों का हाथ नहीं है। आज हर डिपार्टमेंट में रिजर्वेशन कर रखा है; लेकिन आप उसकी पूर्ति नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई शिड्यूल्ड कास्ट का है तो थाने में इन्चार्ज नहीं बनाते हैं। अब इस तरह की बात नहीं चलने वाली है।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं इस हाउस में कि जो जन-जाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं उनके हकों को मारते हैं और हम उनके बारे में बोलते नहीं हैं। इसके अलावा, सभापतिजी, एक बात और कहना चाहता हूं माननीय न्याय मंत्रीजी यहां नहीं हैं। सुजानगढ़ बड़ा इलाका है। बहुत सारे केसेज वहां होते हैं। रतनगढ़, डूंगरपुर और सुजानगढ़ इन तीनों की एक ही जगह कोर्ट बैठती है, इसलिये सुजानगढ़ में अलग कोर्ट होनी चाहिये। जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री मेघराज पंवार।

श्री मेघराज पंवार (चूरू) : सभापति महोदय, पुलिस के सम्बन्ध में मेरे भी कटौती प्रस्ताव हैं। पुलिस थानों की रेगिस्तानी इलाके में बहुत बड़ी आवश्यकता है। रेगिस्तानी इलाके में गांव बहुत दूर-दूर हैं। 30-35 मील तक लोगों को थाने के लिये जाना पड़ता है। नये थाने आप बनाते हैं उसमें भी आप दूरी का ध्यान नहीं रखते हैं। पिछले साल एक थाना बनाया था। कहीं तो आपने 9 मील में तीन थाने कर दिये और रेगिस्तानी इलाके में जो 30 मील की दूरी पड़ती थी, अब उसको करीब 35 मील की दूरी पर बना दिया। 30 मील के बजाय लोगों को 35 मील जाना पड़ेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि थानों का पुनर्गठन किया जाय और पुनर्गठन करते समय जन प्रतिनिधियों की, सरपंचों की, पंचों आदि की सलाह ली जाय ताकि जनता की मुश्किलें नहीं बढ़ें। मेरा पुरजोर निवेदन है कि जयपुर के एयर कन्डीशन आफिस में बैठकर उनकी रचना नहीं की जाय।

दूसरा मेरा सुझाव है एण्टी-करप्शन डिपार्टमेंट के बारे में। श्रीमानजी, हर एक डिवीजन में, हर एक डिवीजनल मुख्यालय पर एण्टी-करप्शन के आफिसर रहते हैं। पचास रुपये या तीस रुपये के जो भ्रष्टाचार के मामले होते हैं उनकी इत्तिला देने को जाने में गांव के लोगों को, शिकायत करने वालों को सौ रुपया तक खर्च पड़ जाता है। मुख्यमंत्री महोदय ने यह डिपार्टमेन्ट ले रखा है। उन्होंने वायदा भी किया है लोगों को भ्रष्टाचार कम करने का। तो कम से कम जिला उसकी क्या स्थिति है। मैं यह कहना चाहता

(श्री मेघराज पंवार)
हैडक्वार्टर पर पुलिस के सब-इंस्पैक्टर दर्जे का आफिसर मौजूद रहना चाहिए ताकि यह छोटे-छोटे भ्रष्टाचार के मामलों पर काबू पाया जा सके ।

तीसरा मेरा प्रस्ताव है कि चूरू से नौ मील की दूरी पर एक पुलिस थाना धाधु था, उसकी बिल्डिंग का उपयोग नहीं हो रहा है । तीस हजार की बिल्डिंग है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है । उसमें से पांच-सात हजार का माल तो लोग ले गए । करीब पन्द्रह-बीस हजार कीमत का मकान और मेंटीरियल अभी तक पड़ा हुआ है । कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी ने मिलकर उस मकान को शिक्षा के लिये, हाई स्कूल के छात्रावास के लिये देने के वास्ते दो साल से बातचीत चला रखी है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हो रहा है । आये दिन बरसात से मकान गिर रहा है और हजारों रुपयों का राष्ट्रीय धन धूल के अन्दर मिल रहा है । इसलिये मेरा निवेदन है कि या तो उसको नीलाम किया जावे ताकि दस-पन्द्रह हजार रुपये सरकार को मिलें, या फिर यह किसी शिक्षण संस्था को उपयोग के लिये दे दिया जावे ।

चौथा मेरा कटौती प्रस्ताव है, पुलिस के अधिकारियों में शराबखोरी की आदत बहुत तेजी से बढ़ रही है । पुलिस और आबकारी के ऑफिसरों की.......

श्री मूलचन्द डागा : फिर बन्द हो जायेगी इसलिये जितनी पीनी हो पी लो ।

श्री मेघराज पंवार : आदत पड़ी हुई है । उनकी देख-रेख में गांवों में बहुत बड़ी तादाद में देशी शराब बनती है । नाजायज शराब पीने को मिलती है और पुलिस के आफिसर लोग सार्वजनिक स्थानों में और बाजार वगैरह में शराब पीकर घूमते हैं । मेरा इलाका ड्राई एरिया घोषित है । इसलिये जनता सरकार की बदनामी होती है और लोगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है ।

मेरा एक प्रस्ताव और है कि दूधवा खारा में, जो चूरू जिले में है, थाने की बिल्डिंग नहीं है, पुरानी बिल्डिंग से लोगों को तकलीफ है, इसलिये उसके लिये नये भवन का निर्माण कराया जाना चाहिये ।

मेरे दो और कटौती प्रस्ताव न्याय के सम्बन्ध में हैं । न्याय के महकमे में, श्रीमान्, एक बहुत बड़ा अंधेर हो रहा है । पुलिस और न्याय विभाग में शुतर सवार रखे गए हैं, जिनको 35) रुपया माहवारी एक ऊंट को रखने के लिए भत्ता दिया जाता है जब कि एक ऊंट तीन हजार रुपये में आता है और दस रुपये रोज का खर्चा उस पर लगता है । इसके अलावा उसके साज और सामान पर भी खर्चा लगता है । न्याय विभाग को सोचना चाहिए कि वह काम किस तरह से चला सकते हैं । इसलिए उनका भत्ता बढ़ाने के बारे में सोचा जाना चाहिए । धन्यवाद ।

श्री सभापति : माननीय श्री श्योपतसिंह ।

श्री श्योपतसिंह मकासर (हनुमानगढ़) : सभापतिजी, मेरे कटौती प्रस्ताव न्याय प्रशासन और पुलिस के बारे में हैं । बहुत चर्चा चल रही थी कि अपराध बढ़ रहे हैं, उनको रोकने की व्यवस्था की जावे । दर-असल हम न्याय व्यवस्था में और पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए और ज्यादा भर्ती कर लें, या कुछ जीपें और खरीद दें, और दो-चार डी. आई. जी. लगा दें तो क्या इससे

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)

अपराध कम हो जायेंगे ? दरअसल अपराध जो होते हैं उसके लिये कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता। यह हमारे सोचने का एक बहुत पुराना तरीका है। अपराध व्यवस्था की देन होता है। अगर व्यवस्था को बदलेंगे तो अपराध कम होंगे। मौजूदा व्यवस्था में अपराध कम हो नहीं सकते। आप देख लीजिए अमेरिका को। हम कहते हैं कि हमारे कहने से हमारे यहां के ऑफिसर्स डिमोरेलाइज होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फांस जैसे पूंजीवादी मुल्क की हम अपने यहां पर बहुत अधिक तादाद में नकल कर रहे हैं, उनमें पुलिस प्रशासन तेजी से बढ़ रहा है उसके बावजूद इन देशों में अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। रोज अखबारों में समाचार आते हैं, अचम्भे में डालने वाले अपराध होते हैं। अलग-अलग तरह के अपराध होते हैं, सेक्स के अपराध होते है, चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं, बैंक पर डाके डाले जाते हैं। सरे आम डाके डाले जाते हैं। तो यह समाज का, व्यवस्था का दोष है। जब तक व्यवस्था नहीं बदलेंगे अपराध कम नहीं होंगे। इस बारे में हमारा दृष्टिकोण बिल्कुल साफ होना चाहिए।

(व्यवधान)

आप समाजवादी व्यवस्था लागू करें तो बहुत सी बीमारियां, बहुत से दोष, बहुत से अवगुण अपने आप दूर हो जायेंगे। खैर, इसके साथ-साथ यह तो बहुत बड़ा सवाल है कि अपराध समाज की देन है और समाज ही इसके लिए जिम्मेदार है।

दूसरा हमने बहुत बड़ा आडम्बर पुलिस का बना रखा है। आई. जी. पी. हैं, सेक्रेटेरियट में होम सेक्रेटरी हैं, कितने ही उप-सचिव हैं और दूसरा आडम्बर है। तीस करोड़ रुपये हम न्याय व्यवस्था पर खर्च करते हैं। आखिरकार पुलिस किसकी रक्षा करती है ? क्या राजस्थान के उन लोगों की जिनके पास झुग्गी-झोंपड़ी तक नहीं है, जिनके पास रहने को मकान तक नहीं हैं, जो गरीबी के कगार पर हैं ? राजस्थान के अस्सी प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनको न चोरी का डर है, न उनके शरीर पर कपड़ा है, न उनके पास रहने के लिए मकान है। तो फिर किसके लिए कर रहे हैं यह सारा ? यह उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो कोठियों में रहते हैं, महलों में रहते हैं और व्हिस्की की बोतलें पीते हैं, कारों पर चलते हैं ? ये तीस करोड़ रुपये उन लोगों के लिए खर्च करते हैं। जो राजस्थान की सत्तर प्रतिशत जनता भूखी और नंगी है, उसकी रक्षा नहीं करते हैं ? यह रक्षा का बजट, तीस करोड़ का बजट किनके लिये है ? जो गरीबों का खून चूसते हैं, जो गरीबों को लूटते हैं उनके लिए है। उनकी रक्षा नहीं करते हैं जिन पर समाज के अन्दर सबसे ज्यादा जुल्म होते हैं। ये जुल्म कौन करता है, हरिजनों पर जुल्म ढाए किसने ? क्या ये बड़े-बड़े जागीरदार और बड़े-बड़े चौधरियों ने नहीं ढाए, पूछ सकता हूं ? क्या यह बतायेंगे मंत्री महोदय, जवाब देंगे ? ये सारे के सारे हजारों पुलिसमैन, टोपधारी, बन्दूकधारी, ट्रक पर ट्रक भर कर किसके लिए लाए हैं ? अगर टाटा के कारखाने में या बिड़ला के कारखाने में हड़ताल हो जाय तो तुम्हारी सारी की सारी पुलिस दौड़ जाती है। अभी रावत रामजी भाई ने एक घटना बताई उसके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं है ? आपके किसी आफिसर की जिम्मेदारी नहीं है ? किसी आई. जी. या किसी एस. पी. की जिम्मेदारी नहीं है, किसी थानेदार की जिम्मेदारी नहीं है या किसी दूसरे पुलिस के अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है ? अगर हम कुछ कह देते

(148)

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

हैं तो कहते हैं कि डिमोरेलाइजेशन हो गया। आपके अधिकारियों का डिमोरेलाइजेशन हो जाता है। जिस बहिन के साथ जिन गुण्डों ने सारी रात फेल किया, उसका डिमोरेलाइजेशन नहीं होगा ? क्या आप इस पर ख्याल करेंगे ? अपने अधिकारियों के डिमोरेलाइजेशन की आपको बड़ी फिक्र है लेकिन राजस्थान के उन लोगों की चिन्ता नहीं है जिनके साथ जुल्म होते हैं, जिनके साथ ज्यादतियां होती हैं, जिनके साथ बलात्कार होता है, जिनके साथ लूट-खसोट होती है। खैर, मैं यह जानता हूं कि आप कितनी ही फौज बढ़ा लें, कितना कुछ कर लें यह सारी की सारी व्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए है जो समाज के अन्दर सबसे ज्यादा मजबूत हैं, सबसे ज्यादा सक्षम हैं। सिर्फ बीस हजार लोगों की रक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था व इसका सारा खर्चा है।

अब मैं दूसरे सवाल पर आता हूं। हमारे अधिकारियों का तो डिमोरेलाइजेशन हो गया मगर हमारे मिनिस्टरों का भी कोई मोरल है ? अगर उनका मोरल नहीं है तो उनको भी हटाइये। पिछली विधान सभा से हम लोग कहते आए हैं प्रहरियों के बारे में। आपने हुक्म दे दिया, मुख्यमंत्री ने दस्तखत कर दिए, तत्कालीन गृह मंत्री, केदारजी ने दस्तखत कर दिए। क्या हम पूछ सकते हैं कि कहां पड़ा हुआ है वह आपका हुकुम ? मुख्यमंत्री राज्य सरकार का हुकुम देता है, गृह मंत्री हुकुम देता है कि हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जावे। फिर क्यों नहीं दिया अभी तक ? चार महीने पहले दस्तखत हुए थे लेकिन अभी तक नहीं दिया। कौन जिम्मेदार है ? अधिकारी कहते हैं कि यह हार्ड ड्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है ? अरे डेफिनेशन क्या होती है ? गरीब खड़े हैं सुबह से शाम तक। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है। अगर कोई हमें खड़ा कर दे इस तरह से तो पता चल जाय। फाइनेंस कमिश्नर को ड्यूटी दे दी जाय कि सुबह ग्यारह बजे से रात के आठ बजे तक खड़े रहो तो मालूम हो जाय कि हार्ड ड्यूटी क्या होती है। क्या डेफिनेशन होती है, मालूम हो जाय। मुख्यमंत्री आदेश देता है, गृह मंत्री कहता है कि दे दिया जाय और ये अधिकारी डेफिनेशन पूछते हैं। यह प्रशासन, यह कानून किसके लिए है ? आप कम से कम मेहरबानी करके, 31 मार्च के पहिले-पहिले यह काम कर दें। गृह मंत्री महोदय चाहे किसी के दस्तखत हों, आपकी जिम्मेदारी है। आपके प्रहरी हैं। आपका विभाग है। हम उनसे कुछ नहीं ले रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों ने इसके बारे में अपनी राय जाहिर की है। आप इस पर अमल करें।

दूसरा, न्याय व्यवस्था सस्ती किस तरह से हो। सस्ती होने के लिए कोई माप-दंड आपने बनाया है क्या ? एक मिसाल आपको दे रहा हूं हनुमानगढ़ जंक्शन की। मैं कोई व्यक्तिगत सवाल यहां पर नहीं उठा रहा हूं, दो कोर्ट हैं, तीन मुंसिफ हैं। क्या आपने उनको रहने के लिए कोई मकान बना कर दिया है ? न्याय विभाग ने या आपने कोई मकान बना कर नहीं दिया है। गंगानगर में जितने कोर्ट्स हैं, उतने ही हनुमानगढ़ जंक्शन में हैं। लिटिगेशन खूब होता है, आमदनी भी काफी होती है। न्याय विभाग ने पिछले दस साल में खूब पैसा आपको दिया है। परन्तु आपको इस बात की फुर्सत नहीं है. आपको तमीज नहीं है इन न्यायाधीशों के लिए भी रहने के मकान की जरूरत है। आपको यह बात सोचने की भी जरूरत नहीं

(श्री श्योपतसिंह मकासर)

है कि वहां का वकील कहां बैठे ? आपका न्याय सस्ता, सुलभ कैसे हो, आपने उनके लिए कोई छप्पर की व्यवस्था भी नहीं की है। जो लिटिगेन्ट आते हैं, उनके बैठने के लिए वहां पर जगह नहीं है। किसी कोर्ट में आपने व्यवस्था की है ? क्या यह जरूरी नहीं है ? कोई भी फरियादी आए, वह अपने साथ छाता लेकर आए, छप्पर उठा कर लाएगा तो उसको अदालत में घुसने नहीं दिया जायगा। वहां पर चपरासी तैयार रहता है। कड़कड़ाती सर्दी और चिलचिलाती हुई धूप में वहां लिटिगेन्ट खड़ा रहता है। यह आपकी व्यवस्था है। आपने हनुमानगढ़ जंक्शन में तीन मुन्सिफ रखे हैं। आज होता क्या है। हमारी कोर्ट्स में जो बड़े वकील हैं, तजुर्बेकार हैं, अनुभवी वकील हैं, उनके पास ज्यादा केसेज आते हैं। आपका छोटा वकील कहां जाएगा ? आपका जो नौजवान छोटा एलएल. बी. वकील है, वह आज पिटिशन राइटर से भी कम पैसा कमाता है। अलग-अलग अदालतें कर दें तो छोटे वकील के पास भी केसेज आ सकते हैं। आज सारे केसेज बड़े वकीलों के पास जाते हैं और वे शोषण करते हैं। सारे केसेज बड़े वकीलों के पास आते हैं और छोटे वकीलों के पास नहीं आते हैं। छोटे वकीलों के पास कोई नहीं जाता है। ×××

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : पॉइन्ट आफ आर्डर, सर। वकीलों की तुलना ××× से की गई है। हम लोगों का अपमान किया गया है। जो अन्य सदस्यगण वकील हैं, उनको भी आब्जेक्शन होना चाहिये। एक माननीय सदस्य ने तो साहित्यकार से तुलना की है और दूसरे माननीय सदस्य ××× से तुलना कर रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो उनकी पैरवी कर रहा हूं। मैं आपकी भावनाओं का ख्याल रखूंगा। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह कह रहा था....

सुश्री पुष्पा जैन : माननीय सदस्य ने जो शब्द कहे हैं वे अपने शब्द वापस लें।

(व्यवधान)

श्री सभापति : क्या कहा है ?

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : वकीलों की तुलना ××× से की है। यह अन-पार्लियामेन्ट्री है। यह तो मार्क्स की थ्योरी है कि पहले किसी भी धन्धे को बदनाम करो और फिर गरीबों की भावनाओं से खेल कर अपना पंजा बढ़ाओ। आसन से ऐसे शब्दों को एक्सपंज करने की व्यवस्था दी जाए।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं तो यह कह रहा हूं कि मजबूरन जो छोटे वकील हैं हमारे यहां पर उनको ऐसा धंधा शुरू करना पड़ता है...

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : आपने ऐसा कहा है। आप प्रोसिडिंग्स देख लीजिये.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने ऐसा नहीं कहा है...

श्री बजरंगलाल शर्मा : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्योपतसिंहजी इस तरह इशारा करके, व्यक्ति विशेष की तरफ

××× अभिव्यक्ति व शब्द अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

Page No 150

(150)

(श्री बजरंगलाल शर्मा)
इशारा करके क्यों बोलते हैं ? माननीय सदस्य के बोलने का तरीका यह है कि कभी इधर, कभी उधर....

श्री सभापति : यह तो माननीय सदस्य के बोलने का तरीका है ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : दूसरा सुझाव में यह देना चाहूंगा कि सस्ता न्याय देने के लिए कोई माकूल व्यवस्था की जाए....

सुश्री पुष्पा जैन : सभापति महोदय, ग्रासन से एक व्यवस्था चाही गई थी । माननीय सदस्य ने जो ग्रसंसदीय शब्द इस्तेमाल किए हैं, वे शब्द वापस लिए जाएं ।

श्री-सभापति : यह देख लिया जाएगा कि जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह ग्रापत्तिजनक हैं या नहीं । उनका उपयोग किया जा सकता है या नहीं । यह सब देख लिया जाएगा ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, न्याय-व्यवस्था में ग्रामूलचूल परिवर्तन किया जाए, यह राज्य सरकार का मामला नहीं है, यह केन्द्रीय सरकार का है । फिर भी विधि मंत्री महोदय को कहूंगा कि ग्राप 324 व 323 के साथ-साथ बहुत सारे ग्रधिकार पंचायतों को सौंपिए । ग्राज ग्रापकी पंचायतों के पास ग्रधिकार नहीं हैं ग्रौर बिना ग्रधिकार के पूजा नहीं होती है । इसलिए ग्राप चाहते हैं कि पंचायतें हमारी सबल बनें, न्याय लोगों को जल्दी से जल्दी व सस्ता मिले तो ग्राप 323 व 324 के जितने भी मुकदमे हैं, वे हमारी पंचायतों को सौंपिए, उनके सुपुर्द कीजिए । इससे लिटिगेशन कम होगा । ज्यादातर मुकदमे इसी किस्म के ग्राते हैं ।

ग्रब मैं रिहायशी मकानों के बारे में कहना चाहूंगा । ग्रापने मुन्सिफ को रिहायशी मकान क्यों नहीं दिया ? एक ही केडर के दो ग्रधिकारी हैं, ग्रार. ए. एस. ग्रौर ग्रार. जे. एस. एक मुन्सिफ हनुमानगढ़ में एल. डी. सी. के क्वार्टर में रहता है । दूसरा मुन्सिफ यू. डी. सी. के क्वार्टर में रहता है । उसी कैटेगरी का, उसी क्वालिफिकेशन का बल्कि उससे कम क्वालिफिकेशन का ग्रार. ए. एस. ग्रधिकारी तामझाम से बड़ी कोठी में रहता है । क्या ग्रापको उसके डिमोरेलाइजेशन का ख्याल नहीं है ? जिनसे ग्राप न्याय करने की व्यवस्था की ग्रपेक्षा करते हैं, जल्दी न्याय की बात करते हैं, उनको ग्राप ऐसे क्वार्टर के ग्रन्दर रखते हैं जिसमें एक कमरा है, एक रसोई है । इसलिए ग्राप यह भेद मिटाइये । जहां भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, उस व्यवस्था को ग्राप ठीक कीजिए.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं ग्रभी पुलिस विभाग के बारे में तो बोला ही नहीं हूं । मेरा ज्यादा समय तो माननीय सदस्य, जो इन्ट्रप्ट करते हैं, ने ले लिया । लिहाजा मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा समय ग्रौर दें ।

श्रीमती उजला ग्ररोड़ा : कल भी ग्रापने इसी तरह की बात कही थी । कृपया ग्राप पहले ग्रपनी ग्रादत को सुधार लें ।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री महोदय को कहूंगा कि यह तबादलों की बीमारी छोड़ दीजिए । तबादले सबसे बड़ी बीमारी है । कोई भी तबादला न करके जिसकी शिकायत हो, उसकी शिकायत पर ग्राप विचार करें....

श्री चिरंजीलाल गर्ग : आपने तो कोई नहीं कराया ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : तबादले पर मेरी राजनीति नहीं चलती है। जो नये-नये सदस्य आए हैं, उनको शायद गलतफहमी हो गई है। मैं तबादलों की राजनीति पर भरोसा नहीं करता हूं।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : जो नये मेम्बर आए हैं वे तबादला कराते हैं, यह भी आपत्तिजनक है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : ऐसा नहीं कहा है। ऐसा ही समझते हैं तो यह मेरे बस की बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, दूसरी बात मैं पुलिस स्टाफ के बारे में कहूंगा। राजस्थान के लिए यह बहुत ही शर्म की बात है कि राजस्थान का सिपाही सबसे ज्यादा टी. बी. का मरीज है। पूरे देश में अगर सिपाही सबसे ज्यादा टी. बी. का मरीज है तो वह राजस्थान का सिपाही है। उसको जो भोजन-भत्ता दे रहे हैं, वह नहीं देकर कम्पलीट भोजन मेहरबानी करके दीजिए। हमारे सिपाही को रोटी की गारण्टी होनी चाहिए। आप जो 10-15 रुपया अलाउन्स देते हैं, उससे पूरा नहीं पड़ता है। वह पूरा खाता नहीं है। आपके थानेदार को रहने को कोठी है, डिप्टी को कोठी है, एस. पी. के लिए कोठी और बंगला है पर सिपाही के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर सिपाही के लिए मकान की व्यवस्था होगी तो वह बच्चों के साथ रहेगा। घर पर रोटी खाएगा। इसलिए मैस का भत्ता बढ़ायें। जैसा कि मिलिटरी में सिपाहियों के लिए लंगर चलता है, उसी तरह से लंगर चलायें। इसी तरह से जीप की बात है। थानों में जीप दें। मन्त्री महोदय कहते थे, हम नहीं दे सकते हैं तो मैं कहता हूं कि मोटर साइकिल होनी चाहिए। डैजर्ट एरिया के बजाय जहां कहीं सड़क हो वहां मोटर साइकिल होनी चाहिए।

श्री सभापति : कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्रीजी को कहना चाहता हूं हनुमानगढ़ में एक ऐसा आदमी है, जिसका पेशा कत्ल करवाना है।

श्री सभापति : कौन है, माननीय सदस्य ?

श्री श्योपतसिंह मकासर : हमने तो उसके खिलाफ शिकायत की थी। वह कांग्रेस का काम करता रहा है। अभी भी मरवाता है और आगे भी मरवाता रहेगा। मैं कहता हूं कि आप हरिजनों के नाम से राजनैतिक लाभ लेना चाहते हैं। जैसा कि हमारे प्रधान-मन्त्री, मोरारजी देसाई ने भी कहा है। नतीजा क्या हुआ, ज्यादा निर्भीकता से अत्याचार हुए। मैं मिसाल दे रहा हूं। हनुमानगढ़ जंक्शन में एक हरिजन की लाश 23 मार्च को उठाई गई। 15 जनवरी के करीब एक को मार कर रेल की पटरी पर डाल दिया गया। उस हरिजन दरशनसिंह को किसने मारा, कोई पता नहीं लगा। 15 तारीख को जिस गरीब व्यक्ति को मारकर रेल की लाइन पर डाला उसके अन्दर थानेदार ने हजारों रुपये साजिश करके खाये हैं। उसने जो गवाह बनाये हैं, जो मुलजिम के आदमी थे, उनको गवाह बनाया है। उसकी जिम्मेदारी वहां के अधिकारियों पर डालनी चाहिए। हम में से कुछ लोग आई. जी. से मिले। एक ही जवाब होता है, पता नहीं है, वह कत्ल किसने किया है। वह गुण्डा एलीमेण्ट सफाई

(श्री श्योपतसिंह मक्कासर)

से कत्ल करता है । आज तक वह करता आ रहा है ।

एक माननीय सदस्य : नाम लीजिए । कौन है ।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : वह बड़े पावरफुल लोग हैं । भूतपूर्व मुख्यमन्त्री के लाडले रहे हैं ।

कई माननीय सदस्य : नाम लीजिए ।

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : भूतपूर्व मुख्य-मन्त्री, बरकतुल्ला खां के साथ रहे हैं । जोशी जी के साथ रहे हैं । विदेशों में वह गये हैं उनके साथ । वह बहुत बलवान हैं । उनका जो गुट है, वह साजिश करके घटनाएं करता है । आप उन लोगों को सींखचों में बन्द कर दें तो मालूम होगा कि जनता पार्टी के लोग हरिजनों को प्रोटेक्शन दे सकते हैं । हमारे पास एक पत्र आया है:—

"On the offence of having served water by a Harijan waiter, Brij, Dy. S. P., Anti-Corruption mercilessly beat and humiliated the Harijan boy publicly."

श्री सभापति : आप यह होम मिनिस्टर साहब को पास ग्रोन कर दें ।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : इसके साथ दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा कि...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपा कीजिए ।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : समाप्त कर रहा हूं । सभापति महोदय, मैं भी चाहता हूं । अजमेर से जो लोग आये हैं, उनके बारे में कह रहा हूं ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, हमको भी टाइम मिलना चाहिए ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : यह इतनी गम्भीर बात कर रहे हैं ।

श्री सभापति : श्री हीरालाल आर्य !

श्री हीरालाल आर्य (पीपल्दा) : माननीय सभापतिजी, जनता पार्टी की सरकार ने घोषणा की थी, जनता पार्टी के शासन में सस्ता न्याय मिलेगा । यह न्याय व्यवस्था अपनी प्रेस्टिज खोती जा रही है क्योंकि आज का न्याय बहुत लम्बा है । बार-बार तारीखें बदलती जाती हैं जिससे विलम्ब होता है । साथ ही न्याय महंगा पड़ता है । न्यायालय में भ्रष्टाचार व्याप्त है । न्याय बिकता है । इससे गांवों में यह कहावत प्रचलित हो रही है कि "किसी का सिर काट लो भले ही, और पैसा ले जाओ बच जाओगे" । इस न्याय व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए । मैं निवेदन करता हूं, पंचायत समितियों में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना करनी चाहिए । विधि मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि पंचायत समिति, इटावा में मुन्सिफ कोर्ट की स्थापना की जाये । हमारा जो क्षेत्र है, वह कृषि प्रधान क्षेत्र है । वहां पर आवागमन के साधन कम हैं । हमारे क्षेत्र से कोर्ट 100-150 किलोमीटर दूर है । बारिश में वह क्षेत्र टापू हो जाता है, उसके तीन तरफ नदियां बहती हैं । एक तरफ पार्वती नदी है । दूसरी तरफ काली सिंध है, तीसरी तरफ चम्बल है । अतः न्याय सस्ता व सुलभ हो ....

श्री सभापति : कृपा करके कटमोशन पर आयें। आप भूमिका ही बनायेंगे, तब तक समय समाप्त हो जाएगा।

श्री हीरालाल आर्य : इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इटावा में मुन्सिफ कोर्ट खोली जाये।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव है कि मेरे क्षेत्र के जो फौजदारी और राजस्व के मामले हैं, वे सब कोटा अदालत में जाते हैं और जो दीवानी मामले हैं बारां अदालत में जाते हैं। मैं विधि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि सारे मामले एक ही स्थान पर सुने जायं, ताकि हमारे क्षेत्र के लोगों को वहां पहुंचने में असुविधा न हो। इन सबको कोटा की अदालत में ही लिया जाय।

अगला कटौती प्रस्ताव मेरा पुलिस विभाग पर है। जो पुलिस कर्मचारी हैं इनका रवैया कुछ इस प्रकार का है कि गरीब लोग थाने पर जाने में डरते हैं। अव्वल तो एफ. आई. आर. दर्ज नहीं करते और यदि कोई उनके पास जाने का साहस करता है तो उन से गलत ढंग से पेश आते हैं। इनके रवैये से जनता इतनी परेशान है कि लोग अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने भी नहीं जाते। इसलिए पुलिस वाले अपने इस आतंकवादी रवैये को बदलें।

अजमेर में जो मीणा जाति के लोग हैं उनके खिलाफ थानेदार आतंकवादी वातावरण बना रहा है, उसके लिए मैं गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस प्रकार के मामले को लेकर राजस्थान के अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों में रोष है। इन कर्मचारियों के विरुद्ध बाहर धरना भी दिया हुआ है और भूख हड़ताल भी की जा रही है। मैं चाहूंगा कि उनकी मांग को स्वीकार किया जाए।

मेरे क्षेत्र पीपल्दा में पुलिस स्टेशन एक ही स्थान पर है, बहुत दूर पड़ता है। इस क्षेत्र में ठीपरी, पीपल्दा, विनायका बलवन, बमोरी कलां और दूर दराज क्षेत्र हैं। उनमें बहुत से गांव पड़ते हैं, वहां पुलिस चौकियां स्थापित की जाएं ताकि जनता आराम से रह सके।

मेरा अगला कटौती प्रस्ताव है कि पुलिस कर्मचारियों की जो संख्या है वह प्रत्येक थाने में कम है। कहीं कोई घटना हो जाए तो जब वे थाने पहुंचते हैं तो थाने पर कर्मचारियों की संख्या कम होने से जनता की बात नहीं सुनी जाती क्योंकि वहां कोई मिलता ही नहीं। इसलिए सिपाहियों की संख्या प्रत्येक थाना मुख्यालय पर बढ़ानी चाहिए। पुलिस प्रशासन में कुशलता आए इसके लिए प्रत्येक थाना मुख्यालय पर जीप की व्यवस्था की जाए। पुलिस विभाग में जो भ्रष्टाचार है वह दूर हो, इसके लिए आवश्यक है कि पुलिस कर्मचारी, जिनका वेतन बहुत कम है, का वेतन बढ़ाया जाए ताकि उनको अच्छा खाने को मिल सके, अपने परिवार को पाल सकें और वे भ्रष्ट न हों।

इसके अलावा इटावा और मांगरोल ऐसे जो एस. एच. ओ. के मुख्यालय हैं वहां सरकारी भवन नहीं हैं। इटावा में भी रेवेन्यू का भवन है और मांगरोल में बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है। दोनों स्थानों पर पुलिस स्टेशन के लिए सरकारी भवन बनाए जायं।

यही निवेदन करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री हर सहाय !

(अनुपस्थित)

श्री बत्तीलाल !

श्री बत्तीलाल मीणा (टोडा भीम) : सभापति महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर विचार प्रकट करते हुए जनता सरकार का इस नीति के लिए हार्दिक अभिनन्दन करता हूं, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा. .

श्री सभापति : एक तरफ कटौती प्रस्ताव दे रहे हैं और दूसरी तरफ अभिनन्दन कर रहे हैं ।

श्री बत्तीलाल मीणा : मैं आपके माध्यम से सरकार तक अपने विचार पहुंचाने की सक्षम तैयारी कर रहा हूं । सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिए सरकार ने जिस नीति की घोषणा की है उसको कार्यान्वित करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है और पूरी तरह से दृढ़ संकल्प है । सबसे अधिक परेशानी गरीब वर्गों को है । जो कार्य-पालिका व न्यायपालिका का ढांचा रचा है वह इसलिए है कि गरीब अपना जीवन व्यतीत कर सके । अब यह ढांचा उल्टा हो गया है । आपके सारे अधिकारीगण न्यायपालिका व कार्यपालिका का प्रयोग इसलिए करते हैं कि गरीबों का जितना अधिक से अधिक शोषण किया जा सके वह करें । आपके सिपाही जाते हैं वह गरीबों पर रोब डालते हैं, आपकी कार्य-पालिका व न्यायपालिका भी गरीबों पर ही प्रहार करती है । जानबूझकर वकील लोग तारीखें बदलवाते हैं । इसलिए फैसला नहीं होने देते ताकि अधिक से अधिक दिन उनका शोषण करें और अपनी आजीविका का साधन बनाये रहें । मेरे क्षेत्र गंगा-पुर का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं । पिछली सरकार के समय गरीबों पर चरागाह भूमि के फौजदारी मामले दर्ज हुए और कोर्ट में किसानों को लड़ाया गया । जो भी वहां थे नेतागण उन्होंने आजीविका का साधन बनाकर गरीब किसानों को लड़ाया। आप की अन्त्योदय योजना में आने वाले हजारों किसान पूरा दिन भर मुंसिफी की चार दीवारी में तारीख का इंतजार करते है और अंत में आवाज पड़ती है कि आपकी पेशी की तारीख बदली गई । आपकी अन्त्योदय योजना में आने वाले किसान जब निराश होकर लौटते हैं उस समय, सभापतिजी, उन गरीबों के दिल पर क्या गुजरती होगी ? वह दिल मसोस कर वापस आ जाते हैं । सरकार जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं करेगी कि उनके केसेज को राजस्व अभियान जैसी योजना बनाकर निपटाया जाय तब तक गरीबों की हिमायती सरकार के जितने भी कार्य हैं वे सारे नाकामयाब होंगे । यह अन्त्योदय योजना केवल सब्ज बाग दिखाने वाली योजना बनकर रह जाएगी । जहां रिजर्व्ड कान्स्टीट्यूएंसीज हैं वहां के लोग न्याय प्राप्त करने के लिए 50-50 मील दूर पैदल चलकर जाते हैं और अपनी दैनिक कमाई छोड़कर दिन भर केस के फैसले की इंतजारी में बैठे रहते हैं, तो उनका जीवन निर्वाह कैसे होगा ? कम से कम रिजर्व्ड कान्स्टीट्यूएन्सीज में जो अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोग हैं उनके लिए तहसीलवार व्यवस्था करें ताकि वे कोर्ट से अपना न्याय प्राप्त कर सकें ।

पुलिस की व्यवस्था के बारे में निवेदन है कि एक तरफ हम पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों से आशा करते हैं कि गरीबों की

(श्री बसोलाल मीणा)

मदद करें और भ्रष्टाचार को रोकें दूसरी तरफ उनमें हम ऐसी भावना पैदा नहीं करते। एक जवान फौज में भर्ती होता है, दूसरा पुलिस में होता है। पहला अपनी मातृभूमि की खातिर बर्फीले पहाड़ों पर अपने प्राण न्यौछावर करता है, उसके पीछे भावना रहती है। उसको तनख्वाह की परवाह नहीं रहती। दूसरी तरफ पुलिस का सिपाही व अधिकारी अपने भाइयों के विरुद्ध झूठे मुकदमे बनाकर शोषण करता है। यह क्यों है? मैं मानता हूं कि उसकी घरेलू परिस्थिति खराब होती है लेकिन वह शोषण इसलिए नहीं करता कि उसकी तनख्वाह कम है। तनख्वाह तो पुलिस विभाग में बड़ी-बड़ी भी मिलती है लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले इस विभाग में देखने को मिलेंगे। पुलिस कर्मचारियों का वेतन जरूर बढ़ाइए, फौजी जवानों जैसी उनको सुविधा दीजिये लेकिन साथ-साथ ऐसी व्यवस्था करें कि उनमें ऐसी भावना पैदा कर सकें कि वे गरीबों की सहायता कर सकें। मैं अधिक समय न लेकर यही कहूंगा कि मेरे सुझावों की ओर जनता सरकार ने यदि ध्यान दिया तो वह दिन दूर नहीं जब हिन्दुस्तान में राम-राज की स्थापना होगी।

श्री सभापति : माननीय विधि मन्त्री जी बहस का जवाब देंगे।

(व्यवधान)

माननीय सदस्यों को उत्तर माननीय मन्त्री महोदय घर पर भेज देंगे।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : माननीय सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। हम लोग सारे दिन भर से इन्तजार किये बैठे हैं और विधि मंत्रीजी को आसन से निर्देश हुआ है कि वे बहस का उत्तर दें। क्या बाकी के कटौती प्रस्ताव रद्द कर दिये गये? क्या यह उचित व्यवस्था है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपा करके स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सभापति महोदय, हमने कटौती प्रस्ताव दिये हैं।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, लोकतंत्र में वाणी पर इस प्रकार से प्रहार किया जाना यह कहां तक उचित है? जो बात हम कहना चाहते हैं उनका जवाब माननीय मंत्री महोदय बिना सुने ही कैसे देंगे? कई माननीय सदस्य ऐसे हैं जिनको सत्र चालू होने से आज तक अवसर नहीं दिया गया।

श्री सभापति : मैं समझ गया आपकी बात को। मेरा निवेदन सुन लें।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं....

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : 111 माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं। अब तक की स्थिति यह है कि 40 माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर सके हैं। इसका मतलब यह है कि अभी 71 माननीय सदस्यों को और विचार व्यक्त करना है। अब सदन को यह तय करना है कि माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना है या बहस का उत्तर दिलवाया जाय।

(व्यवधान)

(श्री सभापति)

माननीय श्री उगमराजजी मेहता।

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं एक मिनट में निवेदन कर देता हूं। जो माननीय सदस्य सदन के अन्दर एक घण्टे बैठते हैं और फिर चलते बनते हैं उनको 51/- रुपये भत्ता दिया जाता है, यह कहां तक न्याय की बात है। जो माननीय सदस्य शुरू से आखिर तक बैठे रहते हैं उनको बोलने का भी समय नहीं मिलता है।

श्री सभापति : मैं आपकी बात से सहमत हूं, जो लोग बराबर बैठे हुए हैं उनको बोलने का मौका नहीं मिला है। उनके साथ मेरी सहानुभूति है

(व्यवधान)

श्री रतनलाल वर्मा : जो सदस्य नहीं बैठे उनको भत्ता नहीं मिलना चाहिए। यह भी एक भ्रष्टाचार है। क्या मतलब हुआ?

(व्यवधान)

श्री श्योपतसिंह मकासर : पहले तो मंत्रीजी के खिलाफ कार्यवाही करें। पार्टी में रखो।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय वर्माजी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय, या तो....

श्री सभापति : सरकारी मुख्य सचेतक महोदय क्या कहना चाहते हैं?

श्री नवनीत पालीवाल : मैं तो चाहूंगा कि अधिक समय नहीं है, संक्षेप में बोल लें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि व्यवस्था आसन की तरफ से होनी चाहिए कि कौन कितना समय बोलेगा। किसी को 25 मिनट मिल जाते हैं और किसी को पांच मिनट भी नहीं मिलते हैं। मैं चाहूंगा कि न्याय होना चाहिए और हर सदस्य को न्याय मिलना चाहिए।

श्री सभापति : श्री उगमराज मेहता।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : मैं हाजिर हूं, साहब। श्री वर्माजी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था इसलिए बैठ गया था।

माननीय सभापति महोदय, मेरे दो कटौती प्रस्ताव हैं, न्याय और पुलिस विभाग के सम्बन्ध में। मैं माननीय विधि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ब्यावर एक बड़ा शहर है, आबादी के हिसाब से और वहां पर दो विधान सभाई क्षेत्र हैं। वहां पर एक मुन्सिफ कोर्ट और एक एडीशनल मुन्सिफ कोर्ट है। 35 हजार केसेज 1968 से 78 तक पैन्डिग चले आ रहे हैं। अभी 6-6 माह की उन पर तारीखें पड़ रही हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर एक और एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट होनी चाहिए। इससे कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। कमरा वहां पर है और दूसरी व्यवस्था भी है। दूसरी बात यह है कि पांच हजार से ऊपर के केसेज के लिये अजमेर जाना पड़ता है। मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर एक ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट कायम की जानी चाहिए। इसके अलावा वहां पर जो सचिवालय से एडीशनल मुन्सिफ मजिस्ट्रेट भेजे गये हैं, मैं नहीं कह सकता उनको कितनी जुडिशियरी की

(श्री उगमराज मेहता)

नोलेज है। जिस प्रकार से दफा 363, I.P.C. के अन्दर जो जमानत के काबिल केस होते हैं उनके अन्दर जमानत नहीं दी गई। तीन दिन तक उनको जेल में रहना पड़ा और फिर बाद में उनकी जमानत हुई। इसी प्रकार 307 के जो मुकदमे होते हैं वे जमानत के काबिल नहीं होते लेकिन उनकी जमानत ले ली गई। ऐसे मुन्सिफ मजिस्ट्रेट से न्याय की क्या आशा की जा सकती है ?

सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय का ध्यान पुलिस के मामलों की ओर दिलाना चाहता हूं। ब्यावर में कोटड़ा काण्ड हुआ था सात हजार रुपये का। उस समय नसबन्दी का जोर चल रहा था और लोगों को डरा धमका कर जेलों में बन्द किया जा रहा था। उस समय जो आदमी पकड़े गये थे उनको छोड़ दिया गया। कम से कम साढ़े सात हजार की लिस्ट माननीय मंत्री महोदय को दी गई परन्तु आज तक उसकी इन्क्वायरी नहीं हुई। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी तत्काल इन्क्वायरी कराई जाय। इन्क्वायरी उस प्रकार से नहीं की जाय जिस प्रकार से गत वर्ष सी. आई. डी. वालों ने एडवर्ड मिल के मामले में की थी। सी.आई.डी. से मिस्टर चड्ढा को भेजा गया था, यह अगस्त की बात है। चड्ढा ने रात में ही पहले से सारी बात कह दी और वहां पर हेराफेरी हो गई। माननीय मंत्री महोदय को भी चिट्ठी लिख दी:—

"It was just after two weeks that the Inspector of C. I. D, Shri Chaddha, came here on 9th and 10th instant and visited the mills. He also enjoyed fine meals, drinks and all facilities."

'मॉल फेसिलिटीज' का मतलब नहीं समझा। उस मामले में भ्रष्टाचार पनपा है। इसलिये दुबारा इन्क्वायरी के लिये भेजा जाना चाहिए। किस प्रकार से उसमें हेराफेरी हुई है, यह मैं मंत्री महोदय को बताऊंगा। सारा रिकार्ड दुरुस्त कर लिया गया।

सभापति महोदय, मैं अब आपका ध्यान ब्यावर की ट्रेफिक पुलिस की ओर भी दिलाना चाहूंगा। सभापति महोदय, ब्यावर में ट्रेफिक पुलिस की व्यवस्था बहुत ही खराब है। वहां पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक इतना ट्रेफिक होता है कि बाजार से मोटरगाड़ी तो दूर लेकिन एक साइकिल भी नहीं निकल सकती है। इतनी भीड़ होती है कि पैदल चलना मुश्किल होता है। वहां पर ट्रेफिक पुलिस के कान्सटेबल की कमी है। मेरा राज्य सरकार से आपके मार्फत निवेदन है कि वहां पर 11 ट्रेफिक कान्सटेबल, एक हैड कान्सटेबल, एक सब-इन्सपेक्टर और एक इन्सपेक्टर, पुलिस ट्रेफिक की नियुक्ति की जानी चाहिये ताकि जनता को आराम मिले।

सभापति महोदय, आज यहां कई बार यह कहा गया कि नौकरशाही हावी नहीं। इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि पाली के एस.पी., ओ.पी. सक्सेना, जिनके भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है, का ट्रान्सफर कर दिया गया था पर किसी न किसी वजह से उन्होंने वापस अपना ट्रान्सफर आर्डर कैन्सिल करा लिया। यह तो पता नहीं कि किस प्रकार उन्होंने अपना ट्रांसफर आर्डर कैन्सिल करवा लिया....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपका इस पर कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है।

श्री उगमराज मेहता : मैंने, सभापति महोदय, तीन कटौती प्रस्ताव दिये हैं।

श्री सभापति : ग्राप ग्रपने कटौती के प्रस्तावों पर ही बोलिये।

श्री उगमराज मेहता : मैं उन्हीं पर बोल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं कि इन ग्रो.पी. सक्सेना ने हमारे राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य-मंत्री, श्री हरिदेव जोशी से मिल कर लाखों रुपये कमाये। इसके बाद में नयी गवर्नमेंट ग्रायी तो क्योंकि जनता उनसे परेशान थी इसलिये उनका वहां से स्थानान्तरण किया गया पर उन्होंने सिफारिश कराकर पता नहीं कैसे ग्रपना ट्रान्सफर कैन्सिल करवा लिया। सभापति महोदय, उस वक्त जो गृह मंत्रीजी थे प्रोफेसर केदार उन्होंने तो उनकी भ्रष्टाचार की वारदातों को सुन कर यहां तक कहा कि मैं इस ग्रो.पी. सक्सेना को राजस्थान से ही नहीं हटाऊंगा बल्कि ऐसी जगह एक कोने में भेजूंगा, जैसे मणिपुर, जहां से कि यह वापस नहीं ग्रा सके। पर पता नहीं इन्होंने कैसे गृह मंत्रीजी से ग्रार्डर करवा लिये। यह तो गृह मंत्रीजी जब ग्रपना जवाब देंगे तब ही बतायेंगे।

श्री सभापति : ग्रब ग्राप ग्रपना भाषण समाप्त करें।

नेक्स्ट। श्री काशीनाथ गुप्त।

श्री काशीनाथ गुप्त (कुम्हेर) : सभापति महोदय, ग्राज सदन में पुलिस ग्रौर न्याय प्रशासन की मांगों पर बहस चल रही है। मेरे भी इन पर कटौती के प्रस्ताव दिये हुए हैं। सभापति महोदय, राजस्थान के ग्रन्दर भरतपुर की एक विशेष स्थिति है। वहां पर ग्राज चारों तरफ ग्रातंक फैला हुग्रा है। ग्राजकल भरतपुर ग्रौर खास तौर से मेरे क्षेत्र कुम्हेर की हालत बहुत ही खराब है। गांवों में रोज चोरियां, डकैतियां ग्रौर हत्याएं हो रही हैं। इतनी वारदातें होने के बावजूद वहां की पुलिस बिलकुल निष्क्रिय रही है ग्रौर सोयी हुई है। सभापति महोदय, भरतपुर की एक विशेष स्थिति है। भरतपुर के एक तरफ उत्तर प्रदेश है। भरतपुर से मथुरा ग्रौर ग्रागरा का इलाका नजदीक पड़ता है। इसके ग्रलावा भरतपुर का इलाका मध्य प्रदेश से जुड़ा हुग्रा है। इसके ग्रलावा भरतपुर हरियाणा के इलाके के साथ भी जुड़ा हुग्रा है। यही कारण है कि इधर-उधर से चोर ग्रौर डकैत ग्राते हैं वह चोरियां व डकैतियां करके उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश के भिण्ड ग्रौर मुरैना में चले जाते हैं या फिर हरियाणा के इलाके में निकल जाते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश व वह लोग चोरियां ग्रौर डकैतियां करके इधर घुस ग्राते हैं। इस प्रकार, सभापति महोदय, इन तीनों प्रदेशों का पाप भरतपुर के सिर पर पड़ता है। सभापति महोदय, मेरा इलाका कुम्हेर का क्षेत्र ऐसा है जिससे लगा 12 मील उत्तर प्रदेश का इलाका है। ग्रभी हमारे इलाके के पास गोवर्धन के यहां डकैती हुई। मेरे क्षेत्र में ग्राये दिन चोरियां होती हैं, डकैतियां होती हैं। ग्रभी कुछ समय पहले तीन-चार डकैतियां हुईं, लोगों की उनमें हत्यायें कर दी गयीं। मैंने इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान भी ग्राकर्षित किया था, पर पुलिस ने कोई कार्यवाही ग्रभी तक नहीं की। ग्राज तक किसी भी चोर, डकैत तथा हत्यारे का पता नहीं लग सका है।

श्री श्योपतसिंह मक्कासर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं वह ग्राफिशियल गैलेरी की तरफ देख कर बोल रहे हैं। ग्राप इन्हें यह फर्मा दें कि ग्रापकी ग्रोर मुख करके बोलें।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया बोलते वक्त ऑफिशियल गैलेरी की तरफ नहीं देखें, मेरी ओर मुख करके बोलें।

श्री काशीनाथ गुप्त : सभापति महोदय, आज कुम्हेर में चोरियां व डकैतियां नहीं खुल रही हैं उसका कारण यह है कि वहां थाने में पूरा स्टाफ नहीं है। एक सब-इन्सपैक्टर है एक हैड कान्सटेबल तथा 15 सिपाही वहां हैं। इन 15 सिपाहियों में चार तो ड्यूटी पर चले जाते हैं और दो-तीन छुट्टी व बीमारी की छुट्टी पर चले जाते हैं। कुछ लोग इधर-उधर सरकारी कामों से चले जाते हैं। सिर्फ तीन सिपाही बाद में बचते हैं। यही कारण है कि आज कुम्हेर में चोरियों की भरमार है, लोगों को लूटा जा रहा है, हत्यायें हो रही हैं और पुलिस निष्क्रिय हो रही है। आखिर तीन सिपाही क्या कर सकते हैं? कत्ल होते हैं, चोरियां हो रही हैं. लेकिन थानेदार कुछ भी कर नहीं पाता। इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां पर पुलिस की फोर्स बढ़ायें। अभी थोड़े दिन पहले वहां एक व्यक्ति को मारा; किन्तु पुलिस सूचना मिलने पर चार घंटे तक भी नहीं पहुंच पायी। चार घंटे बाद पुलिस पहुंचे तो क्या हो सकता है। इसी प्रकार डकैती हो तो पुलिस वाले मोर्चा लेने भी नहीं पहुंच सकते हैं। लोग उत्तर प्रदेश से या मध्य प्रदेश से आते हैं और चोरियां और डकैती करके भाग जाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर आर.ए.सी. की गश्ती टुकड़ी, जो माननीय मुख्यमंत्रीजी ने अभी लगायी है, को 6 माह तक और रखें ताकि लोगों को अमन-चैन मिले। इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप वहां एक डीवाई.एस.पी. रैन्क के अधिकारी को भेजें जो वहां हुई वारदातों, चोरियों, डकैतियों और हत्याओं की जांच करें। कुम्हेर थाने का बहुत ही लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है, वह 25 मील चौड़ा और 30 मील लम्बा है। सभापति महोदय, अभी थोड़े दिनों पहले हमारे यहां से जाते हुए उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में देहली के एस.पी. के बच्चों को, जो नोधना देखने आए थे, लूट लिया तथा भरतपुर के सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर की पत्नी तथा भाई, जो विन्डावत जा रहे थे, उत्तर प्रदेश की सीमा में लूट लिये गए। चुनरी, पत्नी का जेवर लूटा, भाई की घड़ी छीन ली तथा उसे बुरी तरह से मारा। पर कोई भी नहीं पकड़ा जा सका। वहां चारों तरफ आतंक फैला हुआ है। इससे मेरे क्षेत्र की जनता में भय है। हम अमन-चैन से रहें इसके लिये मेरा सुझाव है, मंत्री महोदय, आप वहां जनता की सुरक्षा के लिये पुलिस फोर्स बढ़ायें तथा अभी जो आर.ए.सी. वहां पर है उसे 6 माह के लिये कायम और रखें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : श्री नाथूराम।

(अनुपस्थित)

श्री जगदीश सिंह ! जरा समय का ध्यान रखें।

श्री जगदीश सिंह (धौलपुर) : आपकी घंटी बजते ही मैं बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : आप तो ऐसा करें कि घन्टी बजाने की जरूरत ही नहीं पड़े।

श्री जगदीश सिंह : सभापति महोदय, आज सदन में न्याय प्रशासन व पुलिस की मांगों पर बहस चल रही है। मैंने भी इन पर

(श्री जगदीश सिंह)
कटौती के प्रस्ताव दिये हैं। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सस्ते न्याय और सुलभ न्याय की व्यवस्था के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, आज धौलपुर की कोर्ट में करीब 300-400 केस पैंन्डिग पड़े हुए हैं। इसके लिये मेरा निवेदन है कि इन केसेज को जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ कराया जाये। जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा कि केसेज के फैसले के लिये कोटा फिक्स कर देना चाहिये। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि यह नहीं होना चाहिये, क्योंकि जल्दबाजी में किसी बेगुनाह को सजा मिलने का खतरा रहता है। मेरा निवेदन है कि इसके बजाय कोर्ट्स बढ़ाये जायं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, धौलपुर और भरतपुर में छोटे-छोटे केसेज के लिये ए.डी.जे. कोर्ट हैं। फूड एडल्ट्रेशन केसेज के लिये धौलपुर से भरतपुर जाना पड़ता है। अगर इस कोर्ट का कुछ दिन के लिये आप धौलपुर में कैम्प रख दें तो वहां के लोगों को भरतपुर नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार जनता के समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।

मैंने विधान सभा के पिछले सत्र में भी यह मांग रखी थी, मेरे से पहले भी कांग्रेस सरकार के जमाने में भूतपूर्व सदस्य यह मांग रखते आये हैं कि जुडिशियल केसेज में भ्रष्टाचार को कम करने के लिये रेवेन्यू के केसेज जुडिशियल कोर्ट को दे देने चाहिये। रेवेन्यू के जो केसेज होते हैं उन में कई बार पॉलीटिकल प्रैशर डाला जाता अगर उन केसेज को जुडिशियल कोर्ट में ट्रान्सफर कर दिया जाये तो जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकेगा और जनता में विश्वास भी न्याय के प्रति बढ़ेगा। आज निष्पक्षता से फैसले रेवेन्यू केसेज में नहीं हो पाते हैं।

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। आज हमारे यहां धौलपुर में ए.डी.जे. और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के लिये रहने को कोई मकान नहीं है। मकान की व्यवस्था नहीं होने के कारण उनको मजबूरन किसी प्राइवेट व्यक्ति के मकान में रहना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि उनके बारे में तरह-तरह की बातें फैलायी जाती हैं। लोग गलत-गलत बातें करते हैं और यह कहते हैं कि फलां ए.डी.जे. या मुन्सिफ फलां के मकान में रहते हैं और वह लोग उनसे मिलने जाते हैं। इस प्रकार की बातें नहीं हों, इसके लिये मेरा निवेदन है कि धौलपुर में जो ए.डी.जे. और मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं उनके लिये मकानों की व्यवस्था की जाय ताकि जुडिशियरी के इन अधिकारियों की प्रेस्टिज में फर्क नहीं पड़े। यह बहुत जरूरी है।

साथ-साथ मैं लिटिगेन्ट्स शैड्स के लिये निवेदन करना चाहूंगा। आज इनकी बहुत कमी है। आंधी, तूफान और बारिश के मौसम में लिटिगेन्ट्स किस जगह पर जाकर खड़े रहें। बरामदे में घुसते हैं तो उनको धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। बेचारे भागते फिरते हैं। यह ऐसी जगह है जहां पर बड़े-बड़े मंत्रियों को, चीफ मिनिस्टर्स को भी खड़े होने का मौका पड़ता है। इसलिये एक लिटिगेन्ट्स शैड की व्यवस्था होनी चाहिये आप मिनिस्टर हैं तब तक यहां आराम कर सकते हैं। आप यहां पर बैठे रहते हैं तो मालूम नहीं होता है, लेकिन जब आपको उस स्थिति में जाना पड़ता है तो आप को उसकी आवश्यकता महसूस होती है। जहां पर लिटिगेन्ट्स शैड्स नहीं हैं वहां इसकी

(श्री जगदीश सिंह)

व्यवस्था की जानी चाहिये। लिटिगेन्ट्स शेड्स होना आवश्यक है।

भ्रष्टाचार का नाम सुनते-सुनते हम परेशान हो गये हैं। मैं एक सुझाव दूंगा, भ्रष्टाचार शब्द को "सुविधा शुल्क" कर दिया जाय। फिर इसमें सुधार किया जाय तो भ्रष्टाचार दूर हो जावेगा। भ्रष्टाचार नाम बहुत पुराना हो गया है और लोग इसके आदी हो गये हैं। इसलिये इस नाम को बदलने का कदम उठाया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या नाम लिया ?

श्री जगदीश सिंह : सुविधा शुल्क।

धौलपुर में आर.ए.सी. के रहने के लिये बिल्डिंग थी वह गिर गयी है। आर.ए.सी. के रहने के लिये बिल्डिंग नहीं है, इस कारण से वहां पर अराजकता फैल रही है। यदि आर.ए.सी. के रहने की व्यवस्था नहीं होगी तो वे वहां रह कैसे सकते हैं और जब नहीं रह सकेंगे तो उस अराजकता को कैसे कन्ट्रोल कर सकेंगे ? उन्होंने दरख्वास्त भी की है कि उनके रहने का इन्तजाम किया जाय लेकिन आज तक इन्तजाम नहीं किया गया है।

चौकीदारी सिस्टम की जो बात कही गयी है मैं उसका समर्थन करता हूं। हर गांव में एक चौकीदार होना चाहिये। वह इन्डिपेन्डेन्ट आदमी होता है। गांव में बहुत वारदातें होती हैं, सुसाइड हो जाते हैं तो लोग-बाग मिल कर रफा-दफा कर देते हैं। इसलिये हीनियस क्राइम से बचाने के लिये चौकीदार का वहां होना निहायत जरूरी है जो समय पर इस प्रकार की वारदातों की और दूसरी बातों की सूचना दे सके। धौलपुर के साथ उत्तर प्रदेश की....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट।

सीमा मिलती है। यदि चौकीदार को नहीं रखा जावेगा तो डकैतियों को रोकने का और साधन भी नहीं हैं। दो-तीन दिन पहले ही घटनायें हुई। मध्य प्रदेश की पुलिस ने दो डकैतों को, जो चम्बल के बीहड़ों में थे, धौलपुर की पुलिस की इमदाद से मारा।

भ्रष्टाचार की बात कही जाती है। मैं कहता हूं कि पुलिस विभाग में तो फिर भी भ्रष्टाचार कम है। पुलिस विभाग से भी ज्यादा इन्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट, माइन्स डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। ये इतने भ्रष्ट डिपार्टमेंट हैं कि शायद इनके मुकाबले में पुलिस विभाग तो कुछ नहीं। इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस में भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचार है। इसके संबंध में मेरा निवेदन है कि सिपाहियों की तनख्वाह बढ़ना निहायत जरूरी है। जब उनको खाने को पूरा नहीं मिलेगा और अपने बच्चों का पालन नहीं कर सकेंगे तो डकैतियों की रोक-थाम करने में अपनी ड्यूटी को सही रूप में अन्जाम नहीं दे सकेंगे। मैं माननीय गृह मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा, आज से तीन दिन पहले धौलपुर के एस.पी. ने 12 डकैतियों का पता लगाया है जो तीस साल में अव्वल कारगुजारी पुलिस डिपार्टमेंट की है। खास तौर से मंत्री महोदय को इस बात के लिये धौलपुर की ओर से धन्यवाद दूंगा।

(ण२)

(श्री जगदीश सिंह)

धौलपुर शहर के लिये एक पुलिस चौकी का होना निहायत जरूरी है। वहां छावनी बनायी गयी है लेकिन वह नाम मात्र की है। चौकी नहीं होने से पुलिस के रहने की सुविधा नहीं है। इसलिये छावनी में चौकी बना कर सुविधा दी जाय। धौलपुर शहर की इस चौकी को नहीं पनपायेंगे तब तक डकैतियों के मसलों को नहीं सुलझाया जा सकेगा और यह समस्या बनी रहेगी। धौलपुर भरतपुर से बिलकुल अलग है। बीच में उत्तर प्रदेश पड़ जाता है इसलिये बड़ी दिक्कत होती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं स्थान ग्रहण करता हूं। माननीय सभापतिजी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री कौशल किशोर।

श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय,

हमने सोचा था हाकिम से करेंगे फरियाद,

लेकिन वह भी कम्बख्त तुम्हारा चाहने वाला निकला।

सभापति महोदय, 30 साल से हमने स्वप्न संजोये थे। देश में अब परिवर्तन आया है....

श्री श्योपतसिंह मकासर : नेकर पहन कर आ जाय तो पसन्द आ जाय।

कई माननीय सदस्य ; आपको क्या कष्ट है ?

श्री कौशल किशोर जैन : सभापति महोदय, हमने स्वप्न संजोये थे कि आखिर 30 साल के बाद परिवर्तन आया देश में तो हम देश के हर व्यक्ति की आंख के आंसू पोंछना चाहते हैं। लेकिन अफसोस है कि जितना हमने सोचा था, जो आकांक्षायें हमने की थीं वह पूरी नहीं हुईं। हमारे मंत्री महोदय भी उसी व्यवस्था के भागीदार हो गये जो 30 साल से चली आ रही है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1857 में पहला स्वतन्त्रता संग्राम हुआ था...

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह कट मोशन पर बोल रहे हैं ?

श्री कौशल किशोर जैन : कट मोशन पर बोल रहा हूं।

श्री ओंकारलाल चौहान : भूमिका है।

श्री कौशलकिशोर जैन : 1857 में पहला स्वतंतता संग्राम हुआ और 1871 में पहला पुलिस कोड बना। क्या उद्देश्य था इसमें, किस उद्देश्य से, किस इन्टेन्शन से यह बनाया गया था ? एक ही उद्देश्य था इसका कि गुलाम भारत को गुलामी में जकड़ना, अंग्रेजों के पैरों के नीचे हमेशा दबाये रखना। मैंने यह पहले भी कहा था और आज भी मैं यह निवेदन करना चाहूंगा इस सरकार को कि सौ साल पहले का बनाया हुआ पुलिस कोड आज भी क्यों लागू है ? केवल उसमें संशोधन करने से वह चलेगा नहीं। उसमें परिवर्तन व परिस्कार करना होगा। इसके लिये आवश्यक है एक एक्सपर्ट कमेटी का बैठाना। एक एक्सपर्ट कमेटी बैठायी जाय और उसमें परिस्कार किया जाय और परिवर्तन किया जाय। साथ ही देश की आकांक्षाओं के अनुरूप पुलिस की व्यवस्था बनायी जाय। जो पुलिस का ढांचा है वह एक तानाशाही हुकुमत की देन है। भारत स्वाधीन हुए 30

(श्री कौशल किशोर जैन)
साल हो गये लेकिन पुलिस कोड में परिवर्तन व परिस्कार करने पर आज तक विचार नहीं किया। पुलिस के सलेक्शन में केवल यह देखा गया कि थानेदार, सिपाही की शारीरिक बनावट कैसी है हमने यह विचार नहीं किया कि सिपाही के विचार कैसे हैं, उसका दिमाग कैसा है। अब तक हम पुलिस कोड के अनुसार निर्णय करते रहें कि सिपाही कैसा होगा, थानेदार कैसा होगा। ऐसा होगा तो चलेगा। लेकिन लोकतंत्रीय देश में सिपाही का लोकतंत्रीय दिमाग चाहिये।

श्री श्योपतसिंह मकासर : आप अपोजिशन को भी तो मुखातिब कीजिये। विधान सभा का कायदा यह है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य जोश में घूम जाते हैं।

श्री कौशल किशोर जैन : हमने यह चाहा था कि हर एक व्यक्ति को न्याय मिलेगा।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा आज के दिन देश के अन्दर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अन्दर 5 लाख 70 हजार केसेज पेन्डिंग हैं। केवल राजस्थान के हाई कोर्ट में 14 हजार केसेज पेन्डिंग हैं। क्या चाहते हैं आप ? क्या इस प्रकार गरीब व्यक्तियों को न्याय मिल पायेगा ? 56 प्रतिशत लोग, जो कि गरीबी की रेखा के नीचे हैं, को क्या आप इस तरह से सस्ता न्याय दिला पायेंगे ? सस्ता न्याय दिलाने के लिए आपको सारी कानून व्यवस्था के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं, सभापति महोदय, ब्ल्यू प्रिन्ट लाया था लेकिन पेश नहीं कर सकूंगा क्योंकि समय का अभाव है, मैं चाहूंगा कि एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई जाये जो कि कानून व्यवस्था के बारे में विचार करे और उसमें परिवर्तन करे।

आज प्रातःकाल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है उसके अनुसार 1974 के अन्दर राजस्थान के अन्दर 11,102 अपराध हुए। 1975 के अन्दर 50,984 अपराध हुए, 1976 में 50,842 अपराध हुए और सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं बहुत दुःख के साथ और मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि 1977 के अन्दर 62,244 अपराध हुए।

कई माननीय सदस्य : शेम, शेम।

श्री कौशल किशोर जैन : शेम, शेम कहने से काम नहीं चलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी सरकार विचार करे, कि यह 12 हजार केसेज बढ़ गए एक साल में इसका मूल कारण क्या है।

एक अन्तिम बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सभापति महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग की रिपोर्ट मैंने आज प्रातःकाल पढ़ी। उसके संबंध में दो बातें कहनी हैं...

श्री श्योपतसिंह मकासर : सब प्रातःकाल ही पढ़ी ?

श्री कौशल किशोर जैन : इस साल 1977 के अन्दर 1559 केसेज प्राप्त हुए और 44.12 प्रतिशत का केवल निस्तारण किया गया। एक और भी आश्चर्य की बात है कि 63 केसेज ऐसे थे कि जिनको टेप किया गया। इससे यह भी मालूम पड़ा कि एक भी टेप ठीक नहीं हुआ। दुर्भाग्य की स्थिति है अगर भ्रष्टाचार के केस में टेप किया है तो ठीक टेप करना चाहिए। ठीक टेप हुआ या नहीं, इसका विचार होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री कौशल किशोर जैन) . . . निस्तारण के केस के अन्दर 670 केस में से 97 केसेज में इन्क्वायरी डिपार्टमेंट में हुई। याने 670 केसेज में से केवल 97 में विभागीय जांच हुई और इसमें से केवल 57 पर आरोप सिद्ध हुए। सभापति महोदय, मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं परन्तु मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप. न्याय व्यवस्था के ऊपर 3,23,48,000 रुपया खर्च करेंगे और पुलिस पर 26 करोड़ से भी अधिक रुपया खर्च कर रहे हैं। मांगें हम मन्जूर करेंगे। मांगें मन्जूर करनी भी चाहिए लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि 26 करोड़ रुपया देकर और 3 करोड़ रुपया देकर और राजस्थान के हर व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, कुटिया के अन्दर बैठे हुए व्यक्ति को न्याय और सुरक्षा हम नहीं दे सके तो बड़े आश्चर्य का विषय हो जायगा। कल तक कांग्रेस के लिए लोग कहा करते थे कि कांग्रेस का राज्य है इस राज्य में तो यह चलेगा। आज मुझे बड़ा खेद है कि जनता पार्टी का राज्य है और लोग यह कहते हैं कि यह जनता पार्टी का राज्य है सब कुछ चलेगा। मैं निवेदन करूंगा कि 8 महीने के अन्दर जनता पार्टी के बारे में जो लोगों के अन्दर भाव बने हैं उसमें हम सबको मिलकर परिवर्तन लाना पड़ेगा। इसी आशा के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री माधवसिंह दीवान।

(अनुपस्थित)

श्री अयूब खां।

श्री अयूब खां (तिजारा) : माननीय सभापतिजी, मैं न्याय और प्रशासन के विषय में एक बात कहूंगा शायद वह माननीय सदस्यों को बुरी लगे....

एक माननीय सदस्य : बुरी नहीं लगेगी आप निःसंकोच कहें।

श्री अयूब खां : जो विधान सभा के सदस्य हो जायं या संसद के सदस्य हो जायं, वे जब चुने जाय उसके पश्चात् उनको वकालात का पेशा छोड़ देना चाहिए, यह मेरी मान्यता है। वकालत का पेशा रिश्वत का लाइसेन्स है, यह रिश्वत का पट्टा है और यह उनकी जागीरदारी है। दूसरे, जो माननीय सदस्य एक दफा मंत्री रह चुके उनको भी इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वकालत का पेशा करें। न्यायाधीश और जजेज जो भी रह चुके उनको भी वकालात के पेशे की इजाजत नहीं होनी चाहिए। इससे यह विशेष फायदा होगा कि चन्द वकीलों के पास अधिक केसेज नहीं होंगे। इसका एक फायदा यह भी होगा कि जो नये वकील होंगे उनको भी केसेज मिलेंगे। सभापतिजी, इससे उन नये वकीलों को भी विशेष फायदा होगा। उनका आज तक शोषण हो रहा है उनका शोषण नहीं होगा और उनको काम मिलेगा।

इसके अलावा मेरा एक निवेदन है कि ग्रामीण लोगों को सस्ता न्याय नहीं मिलता। उसका विशेष कारण यही है कि कुछ वकीलों के पास अधिक केसेज होते हैं और वह बार-बार तारीख डलवाते जाते हैं। आखिरकार लोग हार मानकर बैठ जाते हैं, उनको इन्साफ नहीं मिल पाता। इसके बाद वे कभी भी इन्साफ के लिए अदालत की तरफ मुड़ कर नहीं जाते। माननीय सभापति जी, मेरा यह निवेदन है गाँव के लोगों को सुविधायें देनी हैं और सस्ता न्याय देना है तो

(श्री अयूब खां)
जरूरी है कि मोबाइल कोर्ट टाइप अदालतें चलाई जायें ।

(7.38 सांय)

(श्री ओंकारलाल चौहान, सभापति पीठासीन)

और जिस तरह से राजस्व अभियान चलाया गया था उसी तरह से पुराने केसेज को निपटाने के लिए एक अभियान चलायें ।

यह कहते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री परसराम मोरदिया ।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, आजकल हरिजनों का बहुत बड़ा मसला हो गया है । हरिजन हरिजन का नाम बहुत पुकारते हैं और बहुत सारे लोग हरिजनों की हिमायत में बोलते हैं । बड़े अफसोस की बात है कि जनता पार्टी की सरकार बनी है उस समय से राजस्थान में हरिजनों के ऊपर बहुत भारी अत्याचार हो रहे हैं । इस बात को आप नहीं मानेंगे कि हरिजनों के ऊपर बड़े भयंकर अत्याचार हो रहे हैं । आप कहें तो मैं सौ केसेज आपकी सेवा में पेश कर सकता हूं......

श्री नवनीत पालीवाल : आप 50 ही बता दो ।

श्री मूलचन्द डागा : वह तो अपनी पीड़ा कह रहे हैं और आप हंसी उड़ा रहे हैं। उनका दर्द है दिल का ।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । वह बोल रहे हैं ।

श्री परसराम मोरदिया : सभापति महोदय, मैंने एक क्वेश्चन निकाल कर रखा है । फतेहपुर में हरिजनों के साथ अत्याचार हुआ है । उनके खेत के अन्दर से चोरी करके ले गये.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अपनी बात को कहें ।

श्री परसराम मोरदिया : जनता पार्टी की थोथी घोषणायें हैं । हरिजनों को आप न्याय दिलाइये । हरिजन आज चक्कर काटते फिरते हैं रेवेन्यू बोर्ड के चक्कर काटते फिरते हैं । सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों के लिये यह जो घोषणा की है कि उनको ऊंचा उठायेंगे, यह थोथी घोषणा है । मैं, सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन भाइयों से आपने वायदे किये हैं, हरिजन भाइयों ने आपको वोट दिये हैं, उनका आप भला कीजिये । आप उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करें । जब नौकरियों में 28 पर्सेन्ट कोटा है तो क्यों नहीं नियुक्तियां करते हैं ?' जब तक 28 पर्सेन्ट कोटा पूरा नहीं हो जाता, आप घोषणा करें कि तब तक हरिजनों के अलावा किसी को नहीं लिया जायेगा । आज हाई कोर्ट के अन्दर कोई हरिजन जज नहीं है । जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट हैं उनको आज तक कोई प्रमोशन नहीं दिया गया उनकी सी. आर. खराब की जा रही हैं। मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों को प्रमोशन दिये जावें ।

एक माननीय सदस्य : तीन हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : हाई कोर्ट में जज कौन है, यह पूछ रहे हैं ।

Page No 166

166,

(व्यवधान)

श्री सभापति : अगर कोई हरिजन का मामला आता है तो सदन को धैर्य से सुनना चाहिये । Please don't be allergic to the issues.

श्री परसराम मोरदिया : हरिजन हिन्दुस्तान के नागरिक हैं । सभापति महोदय, गृह मंत्रीजी से......

श्री सम्पतराम : माननीय सभापति महोदय, यह बड़ी खुशी की बात है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी दिखाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ अनुरोध करूंगा कि किसी व्यक्ति का नाम तो लें कि हाई कोर्ट में जज किस को बनायें..

श्री मूलचन्द डागा : आपको बना दें ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री रामसिंह बिश्नोई : सभापति महोदय को बना दो ।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय ओंकारलालजी को बना दीजिये ।

श्री रामकृष्ण दास गुप्ता : माननीय मंत्री महोदय की ओर से वह बात कही गई है जो महामहिम राज्यपाल के कार्य क्षेत्र का मामला है। कौन जज बने, क्या यह सदन उस पर विचार कर सकता है?

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें। यह माननीय गृह-मंत्रीजी की ओपीनियन है, कह सकते हैं ।

श्री परसराम मोरदिया : आपने कितने हरिजन एस. पी. बनाये हैं ? 13 थानेदार हैं इनमें से 7 थानेदार तो लाइन हाजिर कर रखे हैं । आप हरिजनों का कोटा पूरा करें, आपको क्या आपत्ति है ? थानेदार हैं, उन को कौनसी जगह लगा रखा है ? उन हरिजनों को ऐसी जगह लगाइये जहाँ गरीबों को उनसे प्रोत्साहन मिल सके । गरीब जनता उनसे जा कर मिल सके । मैं सही निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजन किसी थाने में जाकर खड़ा हो जाये और अपनी जाति हरिजन बताये तो हरिजन होने के नाते उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है ।

कई माननीय सदस्य : यह सही बात है..

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह कब की बात है?

श्री मूलचन्द डागा : यह 8 महीने से हो रहा है

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज । यह टोका-टाकी नहीं होनी चाहिये बीच में । माननीय सदस्य को बोलने दें ।

श्री मूलचन्द डागा : उधर से चुनौती देते हैं, हम चुनौती को स्वीकार करते हैं तो आप हमको निराश कर देते हैं....

श्री सभापति : मैंने कोई निराश करने की बात नहीं की । माननीय सदस्य को बोलने दीजिये टोका टाकी न करें ।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, एम. एल. ए. के साथ ऐसा व्यवहार किया गया है ।

रसराम मोरडिया : माननीय सभापति महोदय, मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब-जब वेकेन्सीज निकलें 28 पर्सेन्ट हरिजनों की नियुक्तियां करें। इसमें कोई दिक्कत नहीं आयेगी। उनके अधिकार क्यों छीने जाते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं, पी. एस. सी. में मैम्बर ले लें। क्यों नहीं लेते हैं? जब-जब नियुक्तियां निकलें, 28 पर्सेन्ट का कोटा पूरा करें, तो मैं अहसान मानूंगा और सारे राजस्थान के हरिजन आपको याद रखेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : यह अहसान नहीं, आवश्यक है।

श्री नवनीत पालीवाल : अब तक क्यों नहीं किया था ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज, कृपया शान्ति का वातावरण रखें।

माननीय सूर्यप्रकाशजी।

(अनुपस्थित)

श्री बंसीलालजी सारस्वत।

श्री बंशीलाल सारस्वत (नागौर) : सभापति महोदय, प्रत्येक शासन ने यह कोशिश की है कि अच्छी शांति व्यवस्था हो और न्याय व्यवस्था सस्ती और सुलभ हो। मगर इसके साथ-साथ जो प्रयास रहे हैं उनको मैं राजस्थानी की दो कहावतों के अनुसार बता देता हूं। वह है:-

न्याय और भाटों बेठ्याड़ा बैठे
लाठ्यांरों डोकों डांग फाड़े

यह दो विपरीत स्थितियां हैं, इन विपरीत स्थितियों से दूर होकर जो प्रयास किये गये हैं और जनता शासन ने जो प्रयास किया है उनको जज करने का सबसे अच्छा आधार यह है और इसी आधार से देखा जाना चाहिये कि न्याय व्यवस्था ठीक है या नहीं। मगर साथ-साथ में जिस स्थिति में, विरासत में जनता पार्टी ने जो शासन व्यवस्था पाई है उसको नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता। केवल हम यह कह दें कि यह व्यवस्था है तो यों तो यदि ऊंट को घी देते हैं तो वह अर्राता है और यदि कामड़ी से मारपीट करते हैं तो भी अर्राता है। यदि यह बात है तो विरासत में जो पुलिस और शांति की व्यवस्था मिली है उस की हालत को इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिये और उस पर गौर किया जाना चाहिये। इस परिप्रेक्ष्य में निवेदन करना चाहूंगा कि जो पूर्व प्रतिपादित और पूर्वाग्रह से पीड़ित हैं उनको हमें हिम्मत से दूर हटाना पड़ेगा, जनता पार्टी को उन्हें दूर हटाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 30 सालों के और पिछले शासन के परिप्रेक्ष्य में हमारे हालात.....

श्री मूलचन्द डागा : वही पिछले 30 साल, 30 साल।

श्री बंशीलाल सारस्वत : सुनिये, आप उसके पहले का ले लीजिये। वह भी आप के साथ में ले लें। हमारी जो न्यायपालिका है वह हमेशा प्रयोगात्मक और परीक्षणात्मक रही है। सबसे पहले जुडिशियरी, न्याय-व्यवस्था न्यायपालिका को राज्यपालिका

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)

से अलग करने का प्रयास किया गया और बताया यह गया कि न्यायपालिका अलग होनी चाहिए। सबसे प्रथम सीढ़ी में न्याय पंचायतों की व्यवस्था कायम की गई, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसको एबालिश कर दिया गया, पंचायत में शामिल किया गया और न्याय समिति बना दी गई। केवल यही नहीं, कुछ समय तक जो सिविल और व्यवहार विवाद हैं उनके लिए आयुक्त नियुक्त किये गये। कमिश्नर को यह अधिकार दिया गया कि वह शहादत, साक्षी ले ले। आयुक्त नियुक्त किये जायं और उनके द्वारा बयान लिये जायं। कुछ वर्षों तक इसका परीक्षण किया जाकर इसको बन्द कर दिया गया और पुनः अदालतों को बयान लेने के लिए सक्षम कर दिया गया।

राजस्थान में जो एकीकृत हाई कोर्ट था उसके लिए पहले से ही कई क्षेत्रों में विवाद है। यह बताया गया कि सस्ता और सुलभ न्याय होना चाहिए, उसके लिये इसकी खण्डपीठ कायम की गई। मगर यहाँ पर खण्डपीठ स्थापित करने के बावजूद जोधपुर हाई कोर्ट में मामले विचाराधीन हैं। दोनों ही पार्टियों में मतैक्य हों और वकील वहाँ के नियुक्त किये हुए हों तो वे मामले वहीं पर रखे जायं और उनको ट्रान्सफर करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद मुकद्दमे यहाँ पर ट्रान्सफर किये गये और बताया गया कि यहाँ पर लाभ होगा। किन्तु हाई कोर्ट में केस पेश करने को जाना पड़ता है तो उनको दूसरे वकील कायम करने पड़ेंगे, इससे उन गरीब लोगों को नुकसान होगा। क्या इसको सस्ता और सुलभ न्याय देने की अभिव्यक्ति कहें या क्या कहें? तो इस तरह के एक्सपेरीमेन्ट, इस तरह के प्रयोग का विश्लेषण तो यह स्पष्ट है कि जिस तरह के हालात थे आज हम उसी स्टेज पर रह रहे हैं।

मैं, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो न्याय-पद्धति है और न्यायपालिका की जो स्थिति है, सिस्टम है वह कार्यपालिका से अलग होना चाहिए। काम्प्लीकेटेड राजस्व के मामलों के लिए राजस्व अदालत अलग हैं लेकिन 5-6 व 10-10 सालों से मुकद्दमे अधीनस्थ अदालतों में पड़े हुए हैं, राजस्व मंडल खुद में 10-10 सालों से मुकद्दमे पड़े हुए हैं और आज भी अधर में लटके हुए हैं।

राजस्थान में हाई कोर्ट की खण्डपीठ स्थापित की गई है तो उसके फलस्वरूप डी. बी. न तो जोधपुर में बन सकती है और न यहाँ पर बन सकती है, संख्या उसकी जरूर आपने रखी है। जो यह कह रहे हैं कि सस्ता और सुलभ न्याय मिले, उनको यह विचार करना चाहिये कि एक ही हाई कोर्ट होता एक ही जगह डी. बी. स्थापित होती तो वास्तव में कुछ मुकद्दमे निपटते और कुछ मुकद्दमों का निर्णय होता......

श्री मूलचन्द डागा : अब भी आप सुधार कर लें अगर आप में हिम्मत हो तो।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं यह बता देता हूं कि हमारे वहाँ के सदस्य, श्री खेतसिंहजी ने इसको रियलाइज करना शुरू कर दिया है कि यह गलती हुई है...

श्री मूलचन्द डागा : गलती सुधारने वाले आप हैं।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हाई कोर्ट में 6 न्यायाधीशों की कमी है। राजस्थान के विभि

(श्री बंशीलाल सारस्वत)

क्षेत्रों से जो माननीय सदस्य आये हैं उन सब की शिकायत है कि अधीनस्थ न्यायालय कम हैं और न्यायालयों में पूरे न्यायाधीश नहीं हैं। न्यायाधीश जिन हालतों में रह रहे हैं और वेतनमान और सुविधाएं जो उनको उपलब्ध हैं वह बिल्कुल कम हैं, और इतनी कम हैं कि अन्यों की तुलना में देखा जाय तो हमारे मुन्सिफों और दण्डाधिकारियों की स्थिति ठीक नहीं है। उनको मकान तक भी उपलब्ध नहीं है। इस स्थिति में वह कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इसकी व्यवस्था की जाय।

साथ ही साथ न्याय-व्यवस्था का पुलिस एक महत्वपूर्ण अंग है। पुलिस शान्ति-व्यवस्था कायम रखती है और प्रिवेन्ट करती है जुर्म करने से, साथ ही साथ जो जुर्म करता है उसका चालान करती है या क्या कार्यवाही की जाय उसके खिलाफ उसके लिए उसको न्यायालय में पेश करती है। न्यायालय उसके बारे में विचार करता है और जो भी निर्णय दिया जाना चाहिये वह देता है। उसके लिए एक तरफ तो 26 करोड़ का खर्च है और दूसरी तरफ कुल साढ़े तीन करोड़ का खर्च है। इस विषमता को पूर्वप्रतिपादित और पुर्वाग्रह से पीड़ित उसी धारा में चलाते रहे तो बात दूसरी है, अन्यथा इस बात में परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे कई माननीय सदस्यों ने यह कहने का प्रयास किया है कि पुलिस के बेड़े की संख्या बढ़नी चाहिए। मेरा निवेदन है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का जहां तक सवाल है और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर अपराध-प्रवृत्ति को रोकने का विभाग है उनके अलावा पुलिस के बेड़े की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा समय और दें।

श्री मूलचन्द डागा : आप बड़ी सैद्धान्तिक बात कह रहे हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप आसन को देखते हुए ही अपने विचार व्यक्त करें।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मेरा निवेदन है कि सामान्य बेड़ा और आर.ए.सी. की जहाँ तक संख्या बढ़ाने का सवाल है उसमें कतई किसी प्रकार की कोई बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए। इनकी 45 हजार की संख्या है। राजस्थान की पापूलेशन को देखते हुए 500 नागरिकों पर एक पुलिस अधिकारी आता है। भारत में जहाँ पर सम्पन्नता है, जहाँ पर अधिक लोग बसते हैं, जहाँ पर लोग सुखी और सम्पन्न हैं वहाँ इस प्रकार की संख्या है। हमारी आर्थिक विषमता को देखते हुए इन लोगों को हमारे यहाँ कम रखने की आवश्यकता है, हम पुलिस अधिक नहीं रख सकते हैं। मगर साथ-साथ यह भी जरूरी है कि पुलिस में सामान्य स्तर के लोग हैं, कान्स्टेबल या निम्न श्रेणी के या समझिए सबोर्डिनेट सर्विसेज के जो लोग हैं जहाँ तक उनके सुख और कल्याण का सवाल है, उनको सुख-सुविधा दी जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में परिवर्तन किया जाना चाहिए। हर सुविधा, जिसकी सामान्य नागरिक के लिए अपेक्षा की जाती है, उनको दी जानी चाहिए। मोहर्रम, दीवाली और होली के अवसरों पर उनको 24 घण्ट तैयार रहना पड़ता है। कम से कम यह व्यवस्था होनी चाहिए कि 30 दिन की छुट्टी मिलती है अन्य नागरिक

Page No 170

170

(श्री बन्शीलाल सारस्वत)
कर्मचारियों को तो इनको 45 दिन की छुट्टी दी जाय ताकि इनको कम्पेन्सेट कर सकें, इन की क्षतिपूर्ति हो सके और इनको भी वही सुख-सुविधा उपलब्ध हो सके।

इसके साथ-साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस अधिकारियों के लिये होम डिपार्टमेंट के आदेश हैं उनके अनुसार उन पर दोहरा नियन्त्रण रखा जाता है। यदि कोई पुलिस अधिकारी या एस. पी. किसी थानेदार का ट्रान्सफर करे या उसको कहीं स्थापित करे या वहां रखे तो उसके पूर्व जिलाधीश या एडमिनिस्ट्रेशन की स्वीकृति लेनी पड़ती है....

श्री मूलचन्द डागा : नहीं।

श्री बंशीलाल सारस्वत : है साहब। मुझे मालूम है, इसलिये ही कह रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : आप पढ़िये आर्डर।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं आज आर्डर लाया नहीं हूं।

श्री सभापति : आप बोलने दें।

श्री बंशीलाल सारस्वत : इस प्रकार का होम डिपार्टमेंट का आदेश है। यह दोहरा नियन्त्रण होने से पुलिस का जो सुपरिन्टेन्डेंट है या अधीक्षक है वह स्वतन्त्र रूप से, ठीक ढग से किस को वहाँ पर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, यह निर्णय नहीं कर सकता है......

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री बंशीलाल सारस्वत : हाँ मैं कर रहा हूं।

श्री मूलचन्द डागा : काफी रिसर्च किया है आपने।

श्री सभापति : इनको बोलने दें। समय कम है और बोलने वालों की संख्या ज्यादा है।

श्री बंशीलाल सारस्वत : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के उच्च न्यायालय जो है उसमें 1972-73 की अपीलें अभी तक पैन्डिग हैं। जो व्यक्ति 12 महीने, 11 महीने या 6 महीने की सजा पर एक्वीटेड हो जाता या मुक्त हो जाता आरोप से वह पिछले 4-5 सालों से जुडिशियल लोकअप में है। तो इस स्थिति में जो जजेज की संख्या है वह हर सूरत में 14 जजेज की जरूरी है। उसकी पूर्ति की जानी चाहिए।

जजेज चाहे हाई कोर्ट के हों, चाहे दूसरी कोर्ट के हों, चाहे अन्य न्यायाधीश हों वह दक्ष हों और साथ-साथ ईमानदार और सत्यनिष्ठा वाले हों। जजेज के पद पर नियुक्ति के लिए जिनकी लिस्ट भेजी जाय या जिनका सलेक्शन किया जाय उनके बारे में हाई कोर्ट के जो जजेज रिटायर हो चुके हैं या जिनको अनुभव है उनकी राय ले ली जानी चाहिए ताकि वे अच्छा काम कर सकें। यह काम ईमानदार और दक्ष अधिकारियों को दिया जाना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : इसकी क्या जाँच हो सकती है? अच्छे और ईमानदार की क्या जाँच हो सकती है?

श्री सभापति : श्री निर्मल कुमार।

श्री निर्मल कुमार (झालरापाटन) : माननीय सभापतिजी, न्यायपालिका न्याय

(श्री निर्मल कुमार)

के मन्दिर की तरह से है, भगवान के घर की तरह से है परन्तु.....

श्री सभापति : माननीय सदस्य डागा जी को क्यों अचम्मा हो रहा है।

श्री मूलचन्द डागा : भगवान का मन्दिर बनाते हैं।

श्री निर्मल कुमार : डागाजी आप बोलते हैं तो हम शान्ति से सुनते हैं।

श्री नवनीत पालीवाल : यह तो हमारी नजर है। आपकी क्या नजर है? क्या समझते हैं आप ?

श्री निर्मल कुमार : परन्तु, श्रीमान्, न्यायपालिकाओं में इतने पुराने समय से केसेज पैन्डिग पड़े हैं कि हमें इस बात पर पुनः विचार करना पड़ेगा कि क्या न्यायपालिकाएं अपना कार्य ठीक ढंग से कर रही हैं? न्याय-पालिका में न्यायाधीश निष्पक्ष, विद्वान् और दक्ष होने चाहियें। न्यायपालिकाओं में आज करप्शन की बात की जाती है। कुछ समय पहले एक न्यायाधीश, मिस्टर मित्रुका जी ने गृह मंत्रीजी को एक पत्र लिखा कि राजस्थान की न्यायपालिकाओं में करप्शन है, भ्रष्टाचार है। उस पत्र को माननीय गृह मंत्रीजी ने माननीय न्यायाधिपति के पास भेज दिया। मान्यवर, मित्रुकाजी को निलम्बित कर दिया गया और उनके खिलाफ चालान पेश किया गया। यह अच्छी बात हुई कि न्यायाधीशों ने उनको बाद में बरी कर दिया। परन्तु जिन के बारे में शिकायत की थी, न्यायपालिकाओं में भ्रष्टाचार है और जिनके पास शिकायत भेजी थी उनको तो आज राजस्थान यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति बना दिया है, इससे जन-मानस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं इससे न्यायपालिकाओं का स्तर गिरेगा। आज जो न्याय के मन्दिर में बैठे हुये हैं उन्हें निष्पक्ष होना चाहिये क्योंकि उनकी हर बात का, उनके हर फैसले का जनता पर प्रभाव पड़ता है। उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिये और जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले,इस बात का प्रयास करना चाहिये।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले, यह बात बहुत पहले से उठाई जा रही है। न्यायपालिकाओं में जो भ्रष्टाचार है, वह समाप्त हो, यह बात सारे देश के विद्वान, सारे देश के न्यायाधीश, सारे देश के गणमान्य व्यक्ति स्वीकार करते हैं परन्तु इसका किस प्रकार से हल हो, यह हल कोई नहीं सुझाता। जो ऊंचे पदों पर बैठे हुये लोग हैं उनसे सलाह करके निर्णय करें ताकि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले और निश्चित समय में मिले। आज न्यायालयों में 10-10 साल के पुराने केसेज पड़े हुये हैं। माननीय सभापतिजी, मैं कहना चाहता हूं, यदि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ानी है तो बढ़ा दीजिये। कौन इन्कार कर रहा है। न्याया-धिपतियों की स्थापना करनी है तो कर दी जिये। आप समय को पहिचानिये। मैं आज कहना चाहता हूं......

(व्यवधान)

डागाजी, आप फिर किच-किच कर रहे हैं।

सभापतिजी, एक बात मैं हिन्दी के मामले में कहना चाहूंगा। न्यायालयों में हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये। जो कानून

(श्री निर्मल कुमार)

की सारी किताबें हैं वे आज अंग्रेजी में हैं और राजस्थान के 90 प्रतिशत व्यक्ति हिन्दी ही जानते हैं। आज वे उन कानून की किताबों को पढ़ नहीं सकते हैं। जनसाधारण को न्याय दिलाना चाहते हैं तो हिन्दी में उसका प्रचलन कीजिये।

मान्यवर, पुलिस के मामले में जो प्रतिवेदन आया है उसमें सारे मामलों की संख्या बढ़ी हुई है—लूट-पाट, चोरियां, डकैतियां, नकबजनी की। इस पर भी हमें पुनः विचार करना चाहिये कि किस प्रकार अपराधों को कम करें, किस प्रकार जनता को सुरक्षित करें, किस प्रकार अपराधों की रोक-थाम करें। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि पुलिस चोरी होने के बाद ही चोर को पकड़ती है। पुलिस चोरों का पता लगाये कि वे कहां पनप रहे हैं। यह काम पहले करना चाहिये लेकिन पुलिस बाद में करती है।

एण्टी-करप्शन वालों को हम टेलीफोन करते हैं कि फलां आदमी करप्शन कर रहा है, फलां आदमी रिश्वत ले रहा है। एण्टी-करप्शन के कर्मचारी खुद क्या करते हैं? या तो एन्टी-करप्शन विभाग को समाप्त कर देना चाहिये या फिर उसको पूर्ण रूप से सक्षम बनाना चाहिये ताकि आगे होकर कोई प्लान बनाये और भ्रष्टाचारियों को पकड़े।

महोदय, पुलिस विभाग का एक नमूना बताता हूं। मेरे क्षेत्र झालरापाटन से उड़द का एक ट्रक जयपुर आया। वह लापता हो गया। आज तक उस ट्रक का पता नहीं, कहां गया। पुलिस विभाग आज तक उसको नहीं पकड़ पाया।

जो प्रतिवेदन दिया गया है उसमें बताया गया है कि कंजरों ने आत्मसमर्पण किया। एक मंत्री ने नाटक किया आत्म-समर्पण का और कहा गया कि अब कंजरों से मुक्ति मिल गई है। यह झूठ है, मान्यवर, कंजरों की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज सारा झालावाड़ जिला इनसे परेशान है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मुनाफाखोरों से परेशान नहीं है क्या?

श्री निर्मल कुमार : मुनाफाखोरों से भी परेशान है।

सभापतिजी, मेरे इलाके में दो चौकी होना आवश्यक है, एक कलवाड़ा और दूसरा डूंगर गांव में। मैंने पिछली बार भी निवेदन किया था। ये चौकियां अत्यन्त आवश्यक हैं। कलवाड़ा पूरा कंजरों का क्षेत्र है। इसी प्रकार डूंगर गांव है वहां भी पुलिस चौकी होना आवश्यक है। मेरा निवेदन है वहां पर पुलिस चौकियां होना आवश्यक है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : एक जेल की भी डिमाण्ड और कर लें।

श्री निर्मल कुमार : मान्यवर, मैं इतना कह कर ही अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री गोपाल सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हरि सिंह।

(अनुपस्थित)

Page No 173

(173)

(श्री सभापति)

श्री मोहन लाल शर्मा ।

(अनुपस्थित)

श्री उमराव सिंह ।

(अनुपस्थित)

श्री दाऊ दयाल ।

(अनुपस्थित)

श्री चुन्नीलाल ।

(अनुपस्थित)

श्री रामेश्वर दयालजी ।

एक माननीय सदस्य : यह लिस्ट कौनसी है ।

श्री रामेश्वर दयाल यादव (चौमूं) : सभापतिजी, मांग संख्या 6 और मांग संख्या 16 से सम्बन्धित जो कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं, उनके सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात है, मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहूंगा जितने न्यायालय राजस्थान में हैं वे सब शहरों में केन्द्रित हैं । चाहे जयपुर में हो, चाहे जोधपुर में हो, चाहे अजमेर में हो और चाहे उदयपुर में हो, मुझे देखने को मिला है कि जयपुर शहर में जितने न्यायालय हैं, उनमें बाहर बैठने को जगह नहीं है । मजिस्ट्रेट को एक एक कमरा नहीं मिल सकता है और बरामदों में कोर्ट लगाई जाती है । अधिकारी जो सेक्रेटेरियट में बैठे हुये हैं या हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हुये हैं उनकी मंशा यही रहती है कि न्यायालयों का विकेन्द्रीकरण शहरों में हो, गांवों में नहीं हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जो शहरों में न्यायालय हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के मुकदमों की संख्या मद्देनजर रखते हुए उनको ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाना चाहिए ।

इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मेरे चौमूं विधान सभाई क्षेत्र में अगर सिविल और क्रिमिनल दोनों प्रकार के मुकद्मों को मद्देनजर रखा जाय तो औसतन एक न्यायालय में जितने मुकदमे हैं उनसे दुगुने मुकदमे मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ेंगे । लेकिन इस बारें में सरकार ध्यान नहीं दे रही है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी जगहों पर, देहाती क्षेत्रों में मुकदमों को निपटाने के लिए न्यायालय खोले जाने चाहिए ।

जहां तक जयपुर की हाई कोर्ट बैंच का सवाल है, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा । हाई कोर्ट कृषि भवन में है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बनी पार्क में हैं । जहां सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की बात है, वहां यह भी देखना है हाई कोर्ट बैंच या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के लिए वकील को जो वाहन चार्जेज देने पड़ते हैं, वह भी मुवक्किलान से वसूल करते हैं । इसलिए मेरा आपके माध्यम से विधि मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो बनीपार्क के अन्दर कोर्ट बनी हुई है उनको हाई कोर्ट बिल्डिंग के अन्दर जुडिशियल कैम्पस के नाम पर एक ही जगह कर दिया जावे तो उससे लोगों का भार जो है वह कम होगा ।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । जहां तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात आती है, सभी माननीय सदस्य यह कहना चाहते

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

हैं कि इनको सर्विसेज में प्रिफरेंस देना चाहिए । मैं आपके माध्यम से विधि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने भी एडवोकेट्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट एडवोकेट की नियुक्ति के अन्दर कोई कोटा फिक्स नहीं है । ग्रामीण क्षेत्रों से जो एडवोकेट्स आते हैं उनके लिए भी कोई कोटा निर्धारित नहीं है । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गवर्नमेंट एडवोकेट की नियुक्ति के अन्दर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जितने भी एडवोकेट राजस्थान में हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

ठीक इसी तरह से जहां तक पुलिस व्यवस्था का सवाल है, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय को कहना चाहूंगा, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि पुलिस में अव्यवस्था है । तफतीश नहीं होती है । मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं जिससे मालूम होगा कि जो साधन होने चाहिये वह साधन इनके पास नहीं हैं. इनके पास जितनी सुविधायें होनी चाहिए वह नहीं हैं और यहां तक कि पुलिस थाने में टेलीफोन की व्यवस्था तक नहीं है । इसका एक छोटा सा उदाहरण यह है कि विधायकपुरी का थाना, जहां पर सारे विधायक रहते हैं, जो जयपुर शहर का केन्द्रीय स्थान है उस स्थान की इम्पोर्टेन्स मानते हुए ही उस थाने को खोला गया था लेकिन वहां पर भी आज तक टेलीफोन नहीं लगा है । देहाती क्षेत्रों में थानों के अन्दर टेलीफोन नहीं हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जितने भी पुलिस स्टेशन राजस्थान में हैं, जितनी भी पुलिस चौकियां राजस्थान में हैं उनके अन्दर टेलीफोन के कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर लगा कर शीघ्रातिशीघ्र इस काम को पूरा करना चाहिए ताकि पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कर्मचारियों को तफतीश में सुविधा हो सके और अपने उच्च अधिकारियों से परामर्श करने में सुविधा हो सके । इससे आने-जाने में टी. ए., डी. ए. में जो खर्चा होता है वह भी बचेगा और जल्दी मुकदमों का निपटारा होगा ।

मैं इसी संदर्भ में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । जब पुलिस अव्यवस्था का सवाल आता है तो मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जयपुर जिले के जितने भी देहाती थाने हैं, जितनी पुलिस चौकियां हैं, उनमें छः-छः महीने से पूरा स्टाफ नहीं है । मेरे चौमूं विधान सभाई क्षेत्र में थाना चौमूं, थाना गोविन्दगढ़, पुलिस चौकी सामोद और पुलिस चौकी हस्तेड़ा के अन्दर पूरा स्टाफ नहीं है । एक एक पुलिस चौकी में चार-चार पुलिस कांस्टेबल और एक थानेदार होना चाहिए लेकिन छः-छः महीने निकल जाने के बावजूद और हमारे निवेदन करने पर भी पुलिस अधिकारियों ने आज तक उनमें स्टाफ नहीं भेजा है । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि डी. आई. जी. के बंगले पर, एस. पी. के बंगले पर उनके कृषि फार्मों पर काम करने के लिए, उनकी भैंसों की देखभाल करने के लिए, उनके जूतों की पालिश करने के लिए पुलिस कर्मचारियों को तैनात कर रखा है । अगर गृह मंत्रीजी जानना चाहेंगे तो मैं व्यक्तिशः नाम बता कर भी इस बात को साबित कर सकता

175

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

हूं कि राजस्थान में और जयपुर जिले में ऐसे अधिकारी हैं पुलिस के जो अपने सिपाहियों से, पुलिस के कर्मचारियों से व्यक्तिगत काम लेते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे जो अधिकारी हैं, जिनके घरों पर, जिनके कृषि फार्मों पर पुलिस कर्मचारी काम करते हैं, उनको तुरन्त वहां से हटाया जाना चाहिए। कहीं पर भी पुलिस कोड में या किसी भी कानून में यह प्रावधान नहीं है कि किसी डी. आई. जी. या एस. पी. के फार्मों पर पुलिस कर्मचारी काम करें, उनकी भैंसों का दूध निकालें, या उनके कुत्तों की चौकीदारी करें......

श्री नवरंगसिंह : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि बहतर तो यह रहेगा कि आप उनके नाम बता दें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : इसलिए ऐसे कर्मचारियों को उनके घरों से हटा कर तुरन्त थानों में लगाने की कोशिश करें।

जहां तक तफतीश का सवाल है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तफतीश बड़ी धीमी होती है।

मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्यों का कहना था कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को थानेदार, एस. पी. नहीं बनाया जाता है। यह जनता सरकार ही है, आप थानेदार और एस. पी. की क्या बात करते हैं, यहां तो गृह मंत्रीजी हैं वे भी शिड्यूल्ड कास्ट के सदस्य हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहां.....

श्री श्योपतसिंह मकासर : इससे सारा मामला हल हो गया क्या ?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बजट भाषण के टाइम में भी मैंने चौमूं थाने के अन्तर्गत गणपत हत्या काण्ड का मामल उठाया था। गणपत श्री माधोपुर तहसील के दिवराला गांव का रहने वाला था। उसको पुलिस थाना चौमूं के अन्दर जबरदस्ती पकड़ा गया। उसको पीटा गया। उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं था। न्यायालय में एण्टीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन पेश की गई, वहां के तत्कालीन थाना इंचार्ज ने स्पष्ट रूप से अपनी कलम से यह रिपोर्ट की कि गणपत नाम का कोई अभियुक्त इस थाने में नहीं है।. लेकिन 15 रोज तक थाने में रोकने के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई। उसकी हत्या का दोषी या अभियुक्त चौमूं का थानेदार और एक सिपाही था, हनुमानसिंह, कांस्टेबल। उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसको निलम्बित कर दिया था लेकिन भूतपूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर वापस रि-इस्टेट कर दिया गया। वह हत्या काण्ड का मामला मैंने कई बार उठाया, कई बार निवेदन किया, उसके बावजूद आज तक भी उसमें जो भी अभियुक्त थे उनका चालान पेश नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री से कहना चाहूंगा कि उस हत्या काण्ड में, उस गणपत हत्या काण्ड में वहां का थानेदार तत्कालीन डीवाई. एस. पी. और तत्कालीन एस. डी. एम. और तत्कालीन डॉक्टर स्पष्ट रूप से मुलजिम बनते हैं क्योंकि तेल छिड़क कर रात को उसको जलाया गया और टेलीफोन पर पूछने पर भी नहीं बताया

(178)

(श्री रामेश्वर दयाल यादव)

गया। इसलिए गणपत हत्या काण्ड के बारे में आप अपने जवाब में स्पष्ट करें शिड्यूल्ड ट्राइब्स के व्यक्ति के साथ ज्यादती की थाने में और आज दो साल होने को आए, उसके बाद भी उसकी जांच नहीं की गई, अभियुक्तों का चालान नहीं किया गया।

ठीक इसी तरह से जहां तक चोरियों का सवाल है, मेरे चौमूं क्षेत्र के अन्दर सामोद के अन्दर एक लाख की चोरी हुई किन्तु उस चोरी की बरामदगी नहीं हुई। तत्कालीन हैड कांस्टेबल ने जांच की लेकिन उसके अन्दर उच्च अधिकारी, तत्कालीन डी. आई. जी., तत्कालीन डी वाई. एस. पी., चोरों में मर्ज हो गए, चोरों से मिल गए और चोरी बरामद नहीं हो सकी। भूतपूर्व गृह मंत्री को दरख्वास्त पेश की थी और गृह मंत्री जी ने हम सब को आश्वासन दिया था कि सी. आई. डी. में इस केस को ट्रांसफर कर देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि न तो मुकदमा सी. आई. डी. में गया और न ही चोरी बरामद हुई। इसका कारण यही है कि तत्कालीन डी. आई. जी. और तत्कालीन डीवाई. एस. पी. का उस मुकदमे से ताल्लुक था। उन चोरों से मिल कर उस चोरी का जितना माल था उसका कुछ हिस्सा इन दोनों व्यक्तियों ने वसूल कर दिया। इन पुलिस अधिकारियों के उसमें फंसने की वजह से आज तक उस चोरी की बरामदगी नहीं हो रही है। इसलिए मैं गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी, चाहे उसमें आई. जी. हों या डी. आई. जी. हों, अगर कोई भ्रष्टाचार करता है, अगर कोई चोरियों के मामले में लिप्त है तो उनकी खुले आम जांच करानी चाहिए और खुले आम चालान पेश करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, हालांकि समय का अभाव है, एक बात और कहना चाहूंगा। जहां तक सी. आई. डी. में अलाउन्स दिया जाता है कर्मचारियों को वह...

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सभापति महोदय, सीनियर आफिसर्स का नाम लिया है तो आप इंक्वायरी तो करेंगे, लेकिन मैं जानकारी चाहता हूं कि यह डी. आई. जी. या डीवाई. एस. पी. किस रूप में लिप्त हैं? उनको आप किस रूप में जोड़ते हैं?

श्री रामेश्वर दयाल यादव : माननीय सभापति महोदय, आपने यह प्रस्ताव रखा कि स्पष्ट रूप से नाम बतायें तो मैं आप के माध्यम से गृह मंत्री महोदय को बताता हूं कि सामोद वाली चोरी तत्कालीन डी-वाई. एस. पी., नरेन्द्र कुमार बिखारिया के नोलेज में हुई, उन्होंने चोर को पकड़ा था और सांगानेर थाने में बन्द किया था लेकिन भूतपूर्व मुख्यमंत्री के टैली-फोन पर छोड़ दिया। डीवाई. एस. पी., बिखारिया ने उच्चाधिकारियों से बात करके उसमें से हिस्सा देहली में जाकर किसी होटल में लिया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें चाहे वे कितने ही बड़े अधिकारी हों, उनको अभियुक्त बना कर चालान पेश करें और ऐसे अधिकारियों को नहीं छोड़ा जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : डी. एस. पी. का तो आपने नाम बता दिया। बाकी कौन अधिकारी हैं, उनके भी नाम बता दीजिए।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, You have made a reference in the house.

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सभापतिजी, एक नाम हाउस में आ गया है तो सभी अधिकारियों के नाम माननीय सदस्य को बताने चाहिए। यह क्या बात हुई कि बड़े कर्मचारियों के नाम तो कमरे में बताए जाएं और छोटे कर्मचारियों के नाम हाउस में बता दें। नाम छिपा कर नहीं रखने चाहिए। एलीगेशन नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए ...

श्री सभापति : उनकी मर्जी पर है।

श्री श्योपतसिंह मकासर : हाउस में प्रश्न आता है तो मर्जी नहीं चलेगी। उनको नाम बताना चाहिए। इल्जाम नहीं है तो नहीं बतावें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : बता रहा हूं। डी. एस. पी., आमेर, बधूरिया जो डी. आई. जी. थे वे आज भी अजमेर रेन्ज के डी. आई. जी. हैं और शायद इस हाल के ठीक नीचे के कोने में बैठे हैं। दूसरे कंवर भंवर गोविन्द हैं। स्पष्ट तौर से कह रहा हूं कि ये दोनों चोरियां इन दोनों अधिकारियों के नालेज में है और उसका हिस्सा इनके पास पहुंच गया है।

श्री सभापति : समाप्त करें।

श्री रामेश्वर दयाल यादव : एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। जो पुलिस के कर्मचारी विधान सभा के प्रहरी हैं, उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स घोषणा होने के बाद भी नहीं दिया गया है, यह खेद की बात है। वह क्यों नहीं मिला ? मैं पुरजोर शब्दों में गृह मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि विधान सभा प्रहरी के रूप में जो पुलिस कर्मचारी हैं, उनको हार्ड ड्यूटी भत्ता तुरन्त दिलाने का कष्ट करें।...

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या हार्ड ड्यूटी अलाउन्स देने के लिए मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के आदेश हो चुके हैं ?

श्री सभापति : गृह मंत्री का जवाब हो तब आप सुन लेना।

श्री हरिसिंह यादव।

श्री हरिसिंह यादव (बानसूर): माननीय सभापति जी, मैं न्याय प्रशासन..

श्री सभापति : संक्षेप में ही कहेंगे तो ठीक रहेगा।

श्री हरिसिंह यादव : न्याय प्रशासन और पुलिस डिमाण्ड के बारे में अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर रहा हूं। विधि मंत्रीजी, जनता पार्टी के मेनीफेस्टो को राजस्थान के लोगों को साकार रूप में क्रियान्वित करके दिखावें जिसमें यह लिखा है कि राजस्थान के लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाया जाएगा। आज न्याय की प्राप्ति में एक खर्चा होता है वकील की फीस में, दूसरा खर्चा होता है कोर्ट फीस से, तीसरा खर्चा होता है पैरवी के लिए आने-जाने में और चौथा खर्चा होता है भ्रष्टाचार में। तो अगर इन चार बातों को ध्यान में रख कर के राजस्थान की भौगोलिक दृष्टि से विधि मंत्रीजी हर तहसील

(श्री हरिसिंह यादव)

हैडक्वार्टर पर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट स्थापित कर दें तो संभवतः आने जाने का खर्चा जो होता है, वह राजस्थान के लोगों का न हो। मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र, बानसूर है। 1936 तक बानसूर में मुन्सिफ मजिस्टेट कोर्ट थी। उसके बाद उसको तोड़ दिया गया। सब-डिवीजन हैडक्वार्टर, बहरोड़ में दो मुन्सिफ बैठते हैं। बानसूर और बहरोड़ को साबी नदी ने दो भागों में बांट रखा है। कई कोस तक सड़क नहीं है। इसलिए मुवक्किलों को पैदल ही बहरोड़ जाना पड़ता है। इसी प्रकार थानागाजी के अन्दर जो मुन्सिफ कोर्ट है, वह 15 रोज थानागाजी और 15 रोज अलवर चली जाती है। मैं विधि मंत्री जी को दरख्वास्त करूंगा कि भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए, बानसूर के पुराने इतिहास को देखते हुए बानसूर तहसील के नागरिकों को सस्ता न्याय दिलाने के लिए बानसुर तहसील हैडक्वार्टर पर मुन्सिफ-कम-जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत की स्थापना आपको शीघ्र करनी चाहिए।

दरअसल न्याय महंगा इसलिए भी है कि जो लिटिगेन्ट हैं, उसमें केवल फौजदारी मामलों में तो सरकारी वकील का प्रावधान है परन्तु जहाँ तक रेवेन्यू के मामले का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल से जितने भी मामले रेवेन्यू से सम्बन्धित हैं, वे केवल आपके सरकारी कर्मचारियों की गलती से उत्पन्न होते हैं, चाहे वे सैटलमेंट के अधिकारियों की गलती से हों, चाहे वे आपके तहसीलदार और पटवारी की गलती से हों। मूल आधार रेवेन्यू डिस्प्यूट का है। वह आपके राज्य कर्मचारी हैं इसलिए आपको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जितने भी रेन्वेयू डिस्प्यूटस हैं, वे अगर रिकार्ड के विपरीत आपके कर्मचारियों ने पैदा किये हैं तो उसको दुरुस्त करने का जिम्मा राज्य सरकार को लेना चाहिए। इसके लिए यह हो सकता है कि हर तहसील के अन्दर जब किसान जावे तो सरकारी वकील ऐसे केसेज को देखें। यदि यह पाया जाता है कि उसको हमारे कर्मचारियों ने मुकदमेबाजी में फंसा दिया है, उलझा दिया है, जानबूझ कर रिकार्ड को कानून के विपरीत राज्य कर्मचारियों ने गलत बनाया है, तो यह फर्ज बन जाता है सरकार का कि खुद तहसील या सरकार इस बात का इन्तजाम करे कि उसका रिकार्ड दुरुस्त हो जिससे किसानों के जो मुकदमे हैं जमीन सम्बन्धी, उनके अन्दर उनका खर्चा न हो। दूसरे, जो नए वकील हैं, जो बेरोजगार वकील हैं, उनको भी राजस्थान के अन्दर काम मिल सके। इसके अलावा इन केसेज का अपराधों से बहुत बड़ा सम्बन्ध है। राजस्थान में जितने भी केसेज हैं, मर्डर के केसेज हैं, मारपीट के मुकदमे हैं, इन सारों का करीब-करीब सम्बन्ध खेतों से है और रेवेन्यू डिस्प्यूट से है। यह जो आपका रेवेन्यू लॉ है यह डिफेक्टिव है। जमीन के तनाजे हैं, रेवेन्यू विभाग जब तक इनको समाप्त नहीं करेगा और किसानों को उनके खेत पर सही तरीके से नहीं बिठाएगा, तब तक आप इन क्रिमिनल केसेज में कमी नहीं कर सकते। इसलिए जनता सरकार को चाहिए कि जैसे अभी रेवेन्यू अभियान चलाया, उसी प्रकार रेवेन्यू से सम्बन्धित जो मुकदमे हैं उनका कठोरता से निपटारा करायें जिससे किसान आपस के अन्दर झगड़ा न करें। झगड़ा जब किसानों का होता है तब पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि जो भी क्राइम है, उसका मूल आधार खास कर डिफेक्टिव रेवेन्यू लॉ है। उसके कारण झगड़े हैं।

(श्री हरिसिंह यादव)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

पुलिस के बारे में भी कुछ शब्द निवेदन करना चाहता हूं। पुलिस के अन्दर भ्रष्टाचार है इसकी बड़ी जगूं इस सदन में हुई है। हम मानते हैं कि पूरे शासन तन्त्र में भ्रष्टाचार है। यह देन हमें तीस साल की पुराने कांग्रेस सरकार से मिली है। उसने यह भ्रष्ट तरीका भरा है प्रशासन में। तीस साल की यह विरासत, लीगसी इस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को कांग्रेसी हुकूमत से मिली है। इसे ठीक करने में समय लगना स्वाभाविक है। पिछले 8 महीनों में हमारे गृह मंत्री ने अपने प्रभाव से सारे के सारे श्रमिकों के झगड़ों को निपटाने के लिए पुलिस को काम में नहीं लिया। दूसरी तरफ यह हुआ कि बहुत बड़ी संख्या में इस प्रदेश में क्राइम बढ़ गये हैं। क्यों बढ़ गये हैं? क्या कारण है? बहुत से हमारे साथी कह रहे थे कि पुलिस वालों को भरोसे में लीजिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कुछ मामले हैं, जिनमें हम घिरे हुए हैं, यह ठीक है। लेकिन....

एक माननीय सदस्य : आगे बढ़े हैं।

श्री हरिसिंह यादव : पुलिस को भरोसे में लेने की भी एक लिमिट है। पुरानी सरकार के नेताओं के, पुलिस के पुराने साथी हैं वे। इस बारे में ध्यान रखा जाये। गृह मंत्रीजी से मेरा निवेदन है, उनको कई विभागों का लम्बा प्रशासनिक अनुभव है। वह देखें कि खास तौर से जो लोग जब पुलिस में भरती किये गये तब उनकी क्या सम्पत्ति थी और जब वह रिटायर होकर निकले तो उनकी जो सम्पत्ति थी, वह कहां तक बढ़ी? पुराने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए गृह मन्त्रीजी को कदम उठाने चाहिए। इसके लिए समस्त पुलिस के कर्मचारियों की सम्पत्ति का हिसाब लेना चाहिए। 30 साल तक जो वह तनख्वाह पाते रहे हैं, उसके मुकाबले सम्पत्ति ठीक है तो कोई दोष नहीं है अन्यथा दूसरी तरह से जांच की जानी चाहिए।

मान्यवर, एक तरफ तो आप पुलिस थाने से आपके आदेशों की क्रियान्विति चाहते हैं और दूसरी तरफ उनके पास पहनने को कपड़े नहीं हैं, खाने को भोजन नहीं है। आप चाहते हैं कि पुलिस के सिपाही 24 घण्टे सतर्क रहें। उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। यह निश्चित किया जाना चाहिए कि उसे कितने घण्टे काम करना है। उसके बाद दूसरे अधिकारियों से काम कराना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

यह व्यवस्था आप नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से परम्परागत तरीके से पुलिस ढीली और भ्रष्ट रहेगी। पुलिस में जिस प्रकार की कमियां हैं, उसकी बातों से लोग सन्तुष्ट नहीं होंगे।

सभापति महोदय, एक मेरा छोटा सा सुझाव है। वह यह है कि एफ. आई. आर. दर्ज नहीं होती है तो मुकदमा चालान नहीं होगा। मेरा निवेदन है कि एफ. आई. आर. की कॉपी अगर मुकदमा दर्ज होता है तो विधान सभा के सदस्य को भी जानी चाहिए। अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो उसकी सूचना जनप्रतिनिधियों को पहुंचाने की व्यवस्था होनी चाहिये। इससे एफ. आई. आर. दर्ज करने में जो विलम्ब होता है वह दूर किया जा सकेगा।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिसिंह यादव : सतर्कता समिति बनी हुई है। एस. पी. और कलेक्टर उसके सदस्य हैं। माननीय सदस्य भी उसके सदस्य हैं। अगर भ्रष्टाचार की शिकायत किसी पुलिस आफिसर की आती है तो उसकी जांच उसी स्थान पर होनी चाहिए जहां पर भ्रष्टाचार किया गया है। अगर सतर्कता समिति यह समझती है कि वास्तव में रिश्वत ली है तो उस कर्मचारी के खिलाफ फौरन कार्यवाही होनी चाहिए। इससे जिले में स्थिति मजबूत बनेगी और नीचे के कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।

मैं चाहूंगा कि मेरे सुझावों पर माननीय गृह मन्त्री महोदय गम्भीरता से विचार करें। निम्न श्रेणी के जो कर्मचारी हैं, उनसे ज्यादा ड्यूटी ली जाती है। उनकी ड्यूटी का समय निश्चित किया जाये और समस्याओं को सुलझाया जाये। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा कटौती प्रस्ताव प्रेषित कर समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री बजरंगलाल शर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री जीतमल जैन।

(अनुपस्थित)

श्री हरलाल सिंह खर्रा।

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 6 पर मेरा कटौती प्रस्ताव है। मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हर सरकार का यह परम् कर्तव्य है कि जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। इस बारे में कई माननीय सदस्यों ने बहुत ही व्यग्रता और असन्तोष जाहिर किया है। वास्तविकता भी यह है कि आज न्याय सस्ता नहीं मिलता है। मेरा निवेदन है कि सरकार इसको गम्भीरता से ले। जो माननीय सदस्य सदन के हैं उनको विश्वास में ले। जो व्यवस्था पुरानी सरकार की चली आ रही थी, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, यह जरूरी है कि उसमें परिवर्तन आना चाहिए, चाहे इसके लिए हमें कानून में संशोधन करना पड़े। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जल्दी ही किया जाये। अगर जल्दी ही नहीं किया गया तो जनता में असन्तोष बढ़ेगा। मेरा सुझाव है, इस सदन के जो माननीय सदस्य कानून के जानकार हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाये। वह कमेटी महीने, डेढ़ महीने में अपनी रिपोर्ट दे दे, वह कमेटी हर पहलू पर विचारे पंचायतों को क्या-क्या और अधिकार दिये जावें व पंचायत समिति क्षेत्र पर न्यायालय स्थापित किये जायें व गांवों में न्यायालय जाकर न्याय करें। वह ऐसे तरीके निकाले जिससे कि लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। उसके बाद जरूरी कानून में संशोधन किये जावें।

इसके अलावा पुलिस के बारे में भी मेरा कटौती प्रस्ताव है। उसके दो पहलू हैं। जो पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको सूती वर्दी के लिये बहुत कम पैसा मिलता है। उनको खाने को नहीं मिलता है। अन्य सुविधाएं भी उनकी जिम्मेदारी व कार्य को देखते हुए कम हैं। उनको उचित सुविधाएं दी जावें। यदि कोई आदमी रिपोर्ट करने जाता है तो पुलिस कर्मचारियों को पैदल ही चलकर जाना पड़ता है या रिपोर्ट देने वाले से साधन मांगा जाता है जो उचित नहीं। इतनी दूर-दूर पर थाने हैं इसलिये कन्वेंयेन्स की मुख्य आवश्यकता

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

है इसके लिए चाहे बजट को बढ़ाना पड़े लेकिन उनको कन्वेयेन्स की सुविधा निश्चित रूप से दी जाये। बहुत से ऐसे मामले हैं, जिन में पुलिस तुरन्त पहुंच जाती है। जैसे फौजदारी का मामला होता है तो उनका लेना-देना तय हो जाता है लेकिन चोरी, बलात्कार आदि मामलों में रूचि नहीं लेती। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि लूट व बलात्कार करके चले गये, 8 व 10 घण्टे तक वहां लूटते रहे, बलात्कार करते रहे लेकिन उनका अभी तक पता नहीं चला। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निश्चित रूप से सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। उस समय के मौजूदा अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन नहीं लेते हैं तो अच्छा नहीं रहता है। इसलिए सरकार निश्चित रूप से एक्शन ले और जिम्मेदारी फिक्स करे। तभी वह निष्पक्षता से काम कर सकेंगे। आज आम जनता में यह भावना है कि पुलिस जनता के साथ सहयोग नहीं करती है। पुलिस चाहे तो किसी भी प्रकार के मुलजिम को पकड़ सकती है लेकिन जिम्मेदारी फिक्स नहीं होने से पुलिस ईमानदारी से सही काम नहीं करती। इसलिए यदि सरकार उन की जिम्मेदारी फिक्स करेगी तो मेरी निश्चित मान्यता है कि अधिकारी लोग डरेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मेरा छोटा सा निवेदन है जिसकी कटौती प्रस्ताव में भी चर्चा की है। हमारे यहां पर थोई थाना है उसमें टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं होम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वहां पर टेलीफोन की व्यवस्था की जाय। श्रीमाधोपुर में थाने की बिल्डिंग ठीक नहीं है। वहां पर बिल्डिंग की व्यवस्था होनी चाहिए।

एक बात के लिए मैं धन्यवाद दूंगा कि श्रीमाधोपुर तहसील में एक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की कोर्ट तो कायम कर दी, लेकिन वहां के केसेज की संख्या को देखते हुए एक एस. डी. एम. की कोर्ट और होनी चाहिए। इसके अलावा सैशन्स कोर्ट सीकर में है, कई मील दूर से लोगों को वहां आना पड़ता है। इसलिए विधि मन्त्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि एक एडीशनल सैशन्स कोर्ट की व्यवस्था श्रीमाधोपुर के अन्दर या उसके आस-पास होनी चाहिए। जहां भी आप उचित समझें वहां यह व्यवस्था आप निश्चित रूप से करने की कृपा करें जिससे लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके।

श्री सभापति : माननीय श्री बालकृष्ण थानवी।

श्री बालकृष्ण थानवी (फलोदी) : माननीय सभापति महोदय, मैंने न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन के बारे में कटौती प्रस्ताव रखे हैं। प्रदेश में सस्ता न्याय मिलने की दृष्टि से मेरा यह सुझाव है कि हर तहसील स्तर पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की व्यवस्था होनी बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिनकी कई माननीय सदस्यों ने चर्चा कर दी है मगर एक बात जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि न्यायपालिका में जो भ्रष्टाचार की बात कही गई है, वह निश्चित रूप से है। आपातकाल के दौरान फलोदी में जो मुन्सिफ मजिस्ट्रेट थे, अर्थात् जो अभी हैं उनसे पहले थे, वे पोकरण के केसेज भी देखते थे। वहां के पुलिस थानेदार ने किसी महिला बन्दी के साथ व्यभिचार किया। अखबारों में भी उसकी चर्चा हुई। थानेदार ने पत्रकार पर मानहानि का मुकदमा चलाया

(श्री बालकृष्ण थानवी)
मुन्सिफ मजिस्ट्रेट और थानेदार की दोस्ती थी, उनकी शराब की दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने पक्षपात करके उस पत्रकार के खिलाफ सजा का हुक्म सुना दिया। तो भ्रष्टाचार न्याय के क्षेत्र में मिलता है।

यह भी एक निश्चित बात है कि जो सरकारी चपरासी होते हैं, जो छोटे मुलाजिम हैं उनसे घर का काम करवाया जाता है। इस व्यवस्था को दूर किया जाना चाहिए।

अब मैं पुलिस के बाबत कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक पुलिस का प्रश्न है चाहे बड़ा अधिकारी हो, चाहे छोटा सिपाही हो, यह मेरा मानना है कि उनको भ्रष्ट बनाया गया है, वे भ्रष्ट थे नहीं। अंग्रेजी शासन काल में भ्रष्टाचार कम था। उसके बाद में कांग्रेस ने तीस साल तक शासन किया उसमें भ्रष्टाचार ज्यादा पनपा, उसके कारण थे। एक-दो उदाहरण मैं फलौदी क्षेत्र के आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां का एक भाई थानेदार बनना चाहता था, उसने प्रशिक्षण ले लिया था और परीक्षा में पास भी हो गया था। लेकिन जब नियुक्ति का सवाल आया तो पांच हजार रुपये एक मन्त्री ने, तत्कालीन मन्त्री महोदय ने रिश्वत लेकर उसको थानेदार बनाया। आप मानिये कि जब पांच हजार रुपये एक थानेदार बनाने के लिये रिश्वत के लेते हैं तो वह कहां से निकालेगा? साफ है कि वह जनता से रिश्वत लेगा और उसके नीचे वाले भी यही काम करेंगे। इसलिए भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस मन्त्रियों के द्वारा जमायी गई है। यह सारा गड़बड़ झाला उसी समय से चला आ रहा है।

इससे भी बड़ा उदाहरण पेश करूं, पुलिस के जो अधिकारी कांग्रेस के मन्त्रियों के संरक्षण में थे वे कांग्रेस के मन्त्रियों के घरों पर समय-समय पर कुछ न कुछ पहुंचाया करते थे। हमारे जैसलमेर क्षेत्र के दो पुलिस के बड़े-बड़े अधिकारी हैं, एक डी. आई. जी. जो रिटायर हो गये हैं और दूसरे डी. एस. पी. जिनको जबरन निकाल दिया गया, इन दोनों पुलिस अधिकारियों ने आपात्‌काल से पूर्व व बाद में खुलकर तस्करी का काम किया। बम्बई और दिल्ली तक तस्करी का माल, जिसमें सोना भी होता था, सरकारी जीपों में ले जाकर बेचा गया। जब पुलिस अधिकारी खुद ही तस्करी करे तो कौन पकड़े। जो डी. आई. जी. रिटायर हो गये उनके पास एक करोड़ की सम्पत्ति होगी और डी. एस. पी. के पास भी पचास लाख से कम सम्पत्ति नहीं होगी।

कई माननीय सदस्य : नाम बताइये।

श्री बालकृष्ण थानवी : मैं नाम बताने को भी तैयार हूं मगर निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया जाय।

कई माननीय सदस्य : नाम बताइये।

श्री बालकृष्ण थानवी : गुमानसिंहजी, डी. आई. जी. जिन्होंने एक करोड़ के लगभग सम्पत्ति बनाई और दूसरे प्रयागसिंह, डी. एस. पी. जिसने करीब पचास लाख की सम्पत्ति बनाई। फलौदी के सरकारी किले में करीब पांच सौ वर्ष पुरानी एक तोप रखी हुई थी जिसका वजन करीब दस क्विन्टल था वह आपातकाल के दौरान चुरा ली गई और आज तक उसका पता नहीं है। इस प्रकार के काण्ड पुलिस की मौजूदगी में होते हैं।

Page No 183

(183)

(श्री बालकृष्ण पामखी)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

यही नहीं, आपातकाल के दौरान ही नहीं वर्तमान में भी मैं आपको बताऊं भगवानदास जी माहेश्वरी, जो जैसलमेर जिला सर्वोदय मण्डल के अध्यक्ष और खादी परिषद, जैसलमेर के सेक्रेटरी हैं, का एक पत्र आया है। वे लिखते हैं कि "ट्रकें भरकर कारतूस पाकिस्तान को सप्लाई होने के बाद अब शराब ऊंटों पर कनस्तर भर जाने लगी है। रेडीमेड सैकण्ड हैण्ड कपड़ा आने लगा है।" तो यह सारे कारनामे पुलिस की देखरेख में और उनकी जानकारी में हो रहे हैं, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इतने बड़े और गम्भीर काण्ड पुलिस की जानकारी में हैं इसका दूसरा सानी नहीं है। पोकरण तहसील क्षेत्र में जो फील्ड फायरिंग का अभ्यास किया जाता है, तोपों से जो गोले छोड़े जाते हैं उनसे कीमती धातु निकलती है। हालांकि वर्जित क्षेत्र होने से कोई भी नागरिक वहां नहीं जा सकता परन्तु पुलिस चौकी लाठी एवं पोकरण और थाने की मिलावट से और बड़े अधिकारियों की मिली-भुगत होने के कारण फील्ड फायरिंग क्षेत्र में गैरकानूनी तौर से घुस कर अब तक अरबों रुपयों की कीमती धातु वे लोग ले गये हैं। पुलिस वाले उसमें से हिस्सा लेते हैं और वह जोधपुर तथा दिल्ली में जाकर बिकता है। तो यह सारी गड़बड़ियां पुलिस वालों की देखरेख में हो रही हैं। यह केवल पुलिस वालों की ही देन नहीं बल्कि कांग्रेस के बड़े मन्त्रियों और नेताओं की देन है जो उनके साझेदार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रहे हैं।

अब मैं फलोदी के उस डी. एस. पी. के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जो आपातकाल में फलोदी में थे। इन्होंने फलोदी में गिरफ्तार किये गये 18 वर्षीय एक सत्याग्रही को न केवल पुलिस थाने में थप्पड़ ही मारा था अपितु उसे यह भी धमकी दी थी कि "सीधे खड़े रहो अन्यथा राजनारायण की तरह तुम्हारी भी टांगें तोड़ दी जायेंगी"। जब "जन पथ" अखबार में "लोकतन्त्र का दीप जलाओ" शीर्षक मेरी कविता छपने पर मुझको तीसरी बार गिरफ्तार किया गया, तो तत्कालीन डी. एस. पी.. चुन्नीलालजी को मैंने इस बारे में यह कहा कि सत्याग्रही को आपने थप्पड़ मारा है यह गलत है तो जवाब में उन्होंने मुझे यह कहा कि यदि हमको ऊपर के आदेश हों तो हम तो जान से भी मार दें और मालूम भी नहीं होने देंगे। न ही

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उसकी फरियाद भी कर पाओगे। पर खेद है कि आज वही डीवाई.एस.पी., एस. पी. बन गए हैं। इस तरह के कारनामे पुलिस वालों ने आपात्त काल में किए हैं। इसी तरह से वही चुन्नीलाल फलोदी के बाजार में पहुंचे, अपना रोब गालिब करने के लिए और नगरपालिका की बिल्डिंग कमेटी के भूतपूर्व चेयरमैन, श्री देवकृष्ण व्यास, जो कि एक बैंच पर सोये हुए थे, से कहा तुम कौन हो ? उन्होंने धीमी आवाज में कहा, "मैं देवकृष्ण व्यास हूं"। उन्होंने कहा, साले तुम सबके सब बेईमान हो। ठीक ढंग से जवाब नहीं देते हो। इस पर उनके पड़ौस में बैठे दूसरे ने ऊंची आवाज में कहा, ये देवकृष्ण व्यास हैं, फलोदी नगरपालिका की बिल्डिंग कमेटी के भूतपूर्व चेयरमैन हैं। तो डीवाई. एस. पी. ने उन पर गुस्ताखी से झूठे आरोप लगा कर झूठे मुकदमे बना दिये और उनके पक्ष में जो व्यक्ति बोले 20-30 सबको फंसा दिया। ऐसे सारे मुकदमे तत्काल हटा लेने

(श्री बालकृष्ण यादवी)

चाहिए । गृह विभाग के पास इस मामले की अर्जी आई हुई है। पुलिस को इस आपाधापी में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस के बड़े नेताओं और मंत्रियों ने संरक्षण दिया और उसी के आधार पर ये जुल्म बढ़े । मैं ज्यादा न कहकर केवल एक बात कहूंगा । 10 साल में फलोदी तहसील में जितनी चोरियां हुई, जैसे श्री केशरीचन्द जी वैद के यहां, उससे पहले एस.डी.ओ. कोर्ट के भूतपूर्व रीडर, श्री मांगीलालजी के यहां तथा श्री खेवरचन्द सुनार के यहां लेकिन एक भी चोरी फलोदी और लोहावट, सांवेरीज, पतारी, देण,रू आदि में नहीं खुली हैं। आशा है गृह मंत्री इस ओर ध्यान देंगे ।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीरसिंह

(अनुपस्थित)

श्री नरेन्द्रपाल सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री चिरंजीलाल गर्ग !

श्री चिरंजीलाल गर्ग (पुष्कर) : सभापति महोदय, न्याय प्रशासन में लिटीगेंट्स का हर्रसमेंट कम हो इसके लिए मेरा सुझाव है कि जो मुकदमे सामने आते हैं, मुकदमों में जवाब दावा लेकर इश्यूज बनाकर उन्हें पैन्डिग डालकर जब भी मुकदमे लिए जाएं उन्हें डे-टू-डे लिये जाने चाहिएं । इससे मुकदमे जल्दी निपटाये जा सकेंगे और लोगों का हर्रसमेंट कम होगा। हाई कोर्ट के मामले में भी आप देखेंगे, सैकण्ड अपील का 8-9 साल तक नंबर नहीं आता है । मर्डर्स की अपील में 6-6 साल तक नंबर नहीं आता । जजों की संख्या चाहे कितनी बढ़ाई जाए लेकिन डिस्पोजल की व्यवस्था होनी चाहिए । यह बंधन उन पर होना चाहिये । जब तक कोई व्यवस्था नहीं करेंगे, 'यूअर लार्डशिप' 'माई लार्ड' की तरह सुनते रहेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा । उन पर नियंत्रण होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी निपटारा करें ।

पुलिस प्रशासन के बारे में दिन रात हमारे सामने बातें आती हैं। भ्रष्टाचार के मामले में मैं अधिक नहीं कहूंगा क्योंकि पिछले शासन ने इसको प्रशासन का अंग समझ कर इसका विकास करना चाहा, भ्रष्टाचार का भरपूर रूप से, सुनियोजित ढंग से विकास किया । इसके लिए मैं अधिक नहीं कहना चाहूंगा । जो कुछ विकास की दृष्टि से शासन ने किया हो, उसके लिए अधिक कहना उचित नहीं । फिर भी जो योग्य अधिकारी बैठे हैं, जो कुछ चीजें सदन के सामने आती हैं, योग्य अधिकारियों को चाहिए कि जनता का जो उन पर विश्वास है उसको नंगा न करें। जो मर्डर्स होते हैं, उन मर्डर्स का राज खुल सकता है लेकिन उनको फाइल कर देते हैं ।

इसी प्रकार कुछ महीने पहले हमारे यहां एक मर्डर ग्राम लातीखेड़ा में हुआ था, मर्डरर का पता है परन्तु पुलिस ने पूरी जानकारी नहीं दी और उस मामले को खड्डे में डाल दिया। आज उसकी जांच कराई जावे तो उसका पता लग सकता है । दूसरी बात, पुलिस कस्टडी में जो बेगुनाह लोगों को बुलाते हैं, उनको मारा जाता है। फिर लांछन लगाया जाता है कि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। पुलिस की मार के कारण जब उसकी स्थिति खतरनाक हो जाती है तो लांछन लगाया जाता है कि वह सैंट्रिन खा

(श्री चिरंजीलाल गर्ग)

और उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। एक मिनट के लिए मान लीजिए उसने आत्म-हत्या की कोशिश की, लेकिन आत्महत्या के लिए उसको अवसर किसने दिया ? बेगुनाह को पकड़ कर मारा, मार से परेशान होकर वह कुए में गिर जाता है तो दोष किस पर है ? आदमी फँसी देखने की कोशिश करें कि उसका इन्वाल्वमेंट कितना है, उनका हाथ है या नहीं ? केवल कुछ लोगों की सिफारिश आ गई इसलिये उसको कस्टडी में रख दिया जाय, डाक्टर को दबाकर सर्टिफिकेट लिया जाए कि आत्महत्या करने की कोशिश की गई, यह उचित नहीं है।

इसी प्रकार सिविल मैटर्स में पुलिस इन्टरफियर करती है। मकानों का लेन-देन हो तो पुलिस वाले दबाने की कोशिश करते हैं। मकान खाली कराने के मामले होते हैं तो बिना मतलब के पुलिस इन्टरफियर करती है। जब लॉ कोर्ट्स एग्जिसटेंस में हैं तो सिविल कोर्ट में तय होना चाहिए। सिविल मैटर्स को पुलिस हाथ में ले लेती है, रात को 10-10 बजे घरों पर जाकर लोगों को जगाया जाता है, थाने पर बुलवाया जाता है। योग्य अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के कामन इन्सीडेंट्स हैं। मैं नहीं जानता कि इसके क्या कारण हैं। हमारा विश्वास है, जनता का विश्वास है कि जिनके हाथ में सुरक्षा का प्रश्न है, उनको इस पर विचार करना चाहिए। जो आरोप उनके सामने आते हैं उनसे जो संबद्ध लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। जब तक योग्य अधिकारी उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं करेंगे, केवल शासन का इंतजार करते रहेंगे तब तक इस पद को जस्टीफाई कैसे करेंगे ? जस्टीफाई करना है तो कदम उठाने चाहिएं। मैं पुलिस अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी बातें न हों। भविष्य में जब सदन का सत्र हो तो ऐसी बातें सामने नहीं आयें।

श्री सभापति : सैय्यद श्री मन्जूर अली।

(अनुपस्थित)

श्री मथुरादास माथुर।

(अनुपस्थित)

श्री लाल शंकर डेंडोर।

श्री लाल शंकर डेंडोर (सागवाड़ा) : सभापति महोदय, मेरे 9 कटौती प्रस्ताव हैं। भूतपूर्व सरकार ने तो कुछ नहीं किया, हम वर्तमान सरकार से आशा करते हैं कि ग्रामीण स्तर पर न्याय मिलना चाहिए। 85 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। भूतपूर्व सरकार ने, इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को नहीं पनपाया। जनता सरकार ने राजस्व अभियान पंचायतों के मार्फत चलाया, जिससे ग्राम जनता को व हरिजन व आदिवासियों को लाभ हुआ। पुलिस के अंदर जो भी छोटे-मोटे अधिकारी हैं, ब्रिटिशकाल से ही जो पुलिस के थाने हैं वहां आज तक मुलजिमान रखने की अव्यवस्था है। मुलजिमान को तंग करते हैं, जानवरों की तरह उनको कोठरियों या कमरे में जेल में रखते हैं। हमारे यहां सागवाड़ा में लम्बा चौड़ा क्षेत्र है, वहां डीवाई. एस. पी. का कार्यालय खोलना चाहिए ताकि जो झगड़े होते हैं, उस कारण लोगों को परेशानी होती है। उसको दूर करने व लोगों की रक्षा हेतु पुलिस की मदद मिल सके और उनको न्याय मिल सके। अभी दस तारीख को एक झगड़ा हुआ। 8 निर्दोष आदिवासियों को मुलजिमान बनाया। 153 आई. पी. सी. के तहत जुर्म

(श्री लाल शंकर डेंडोर)

के लिए सरकार की मन्जूरी चाहिए थी जो थानेदार ने नहीं ली। नाजायज तरीके से भोले-भाले किसानों पर भूतपूर्व मंत्री, भीखा भाई व भूतपूर्व प्रधान, विमल प्रकाश द्वारा मुकदमे चलाए गए। झगड़े में एक औरत की जान चली गई, फसल खड़ी खेत में गोली चलाई गई। सरकार का ध्यान आकर्षित किया है लेकिन मुलजिमान को नहीं पकड़ा गया। इस तरह से पुलिस के अंदर जो अव्यवस्था है उसके अंदर सुधार होना चाहिए। भूतपूर्व मंत्री, भीखा भाई तथा विमल प्रकाश, भूतपूर्व प्रधान दोनों की साजिश से ग्राम जनता में वाद-विवाद, आपस में लड़ाई झगड़ा कराया जाता है। अशान्ति फैलाने व भ्रष्टाचार बढ़ाने में वे अग्रणी हैं। जनता सरकार को निष्पक्ष जांच कर ग्राम जनता को राहत पहुंचाने का सुझाव है।

इसके साथ ही, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो तनख्वाह पुलिस के कान्सटेबल को मिल रही है वह बहुत ही कम है। उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय।

इसके साथ ही मेरा निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्रों में कई बार साधनों की कमी होने की वजह से आने-जाने की व्यवस्था नहीं होती है, इस कारण पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर पाती है। अभी ग्राम अम्बीड़ा कोचरी में आग लग गयी लेकिन साधनों की कमी होने की वजह से पुलिस नहीं पहुंच सकी। इसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को जो राहत मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल पायी। कई बार पुलिस के पहुंचने में देरी हो जाती है तो ग्राम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासी क्षेत्रों में अगर आप दूर थाने में एक जीप दे दें तो पिछड़े हुए इलाकों के अन्दर रहने वाले लोगों को राहत मिल सकेगी।

इतना ही मुझे निवेदन करना है। श्रीमान्, यह कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय जनता।

श्री सभापति : श्री रामकृष्ण दास गुप्ता।

श्री टीकमचन्द कान्त : वह नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति : गुणवन्त कौर की जगह सुश्री पुष्पा जैन।

एक माननीय सदस्य : यह प्रोक्सी कैसे चल रही है?

श्री सभापति : माननीय उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत के अनुसार सुश्री पुष्पा जैन को बोलने का अवसर दिया गया है।

सुश्री पुष्पा जैन (आमेर) : सभापति महोदय, आज सदन में न्याय प्रशासन और पुलिस की डिमान्ड पर बहस चल रही है। तो मैं आपकी मार्फत विधि मंत्रीजी की तवज्जोह जयपुर में जो न्यायालयों के भवन हैं उनकी तरफ दिलाना चाहूंगी। जयपुर हाई कोर्ट बैन्च का न्यायालय सचिवालय व इर्रिगेशन के आफिस के पास है। तो दूसरी ओर डिस्ट्रिक्ट जज एवं कुछ अधीनस्थ न्यायालय बनीपार्क में कलेक्टोरेट के पास बने नये भवन में है। इसी प्रकार कुछ न्यायालय मुन्सिफी के कलेक्टोरेट के अन्दर भी हैं, तो कुछ सांगानेरी गेट के पास पुरानी हाई कोर्ट बिल्डिंग में भी हैं। आज न्यायालयों के अलग-अलग जगह होने के कारण जनता को बहुत परेशानी होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मन्त्रीजी को याद

(सुश्री पुष्पा जैन)

दिलाते हुए कहना चाहूंगी, शायद वह इस बात को अभी तक नहीं भूले होंगे कि किस प्रकार अदालत में वकीलों को मुवक्किल इधर-उधर ढूंढते फिरते हैं और वकील अलग-अलग अदालतों में रहने के कारण समय पर नहीं पहुंच पाते। इसलिये मैं आसन के माध्यम से विधि मन्त्रीजी से आग्रह करूंगी कि इन अदालतों में जो आज दूरी है उस दूरी को वह खत्म करने के लिये ऐसी व्यवस्था करें कि सभी अदालतें एक ही जगह स्थापित कर दी जायं, ताकि बेवजह मुवक्किलों और वकीलों को परेशानी न उठानी पड़े। अन्यथा जनता पार्टी की सरकार जनता को जो सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की दुहाई देती है वह सस्ता और सुलभ न्याय नहीं दिला पायेगी।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत विधि मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहूंगी, जिसका कि जिक्र मैंने इस सदन के पहले सत्र में भी किया था कि हमारे यहां राजस्थान में जुडिशियल अधिकारियों और आर. ए. एस. अधिकारियों के वेतनमानों में जो अभी अन्तर है उसे समाप्त किया जाना चाहिये तथा उन्हें अन्य सभी सुविधाएं आर. ए. एस. अधिकारियों के समान ही दी जानी चाहिए। सभापति महोदय, यह कैसी विडम्बना है कि जिन न्यायिक अधिकारियों से हम इन्साफ की उम्मीद करते हैं उन्हीं न्यायिक अधिकारियों को हम इन्साफ नहीं दे पाते हैं। इसलिये आसन के माध्यम से विधि मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि न्यायिक अधिकारियों के ग्रेड आर. ए. एस. अधिकारियों के समान ही किये जायें। उन्हें वही फैसेलिटीज मिलनी चाहियें जो कि आर. ए. एस. अधिकारियों को मिलती हैं।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया सुनें। माननीय सदस्या बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दे रही हैं।

श्री किशनसिंह भाटी : इसलिये ही तो we are appreciating each and every proposal.

सुश्री पुष्पा जैन : मैं यह निवेदन कर रही थी कि जुडिशियल अधिकारियों को वही वेतनमान तथा सुविधायें मिलनी चाहियें जो कि आर. ए. एस. अधिकारियों को मिलती हैं।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मन्त्रीजी का ध्यान वकालत के पेशे में नये आने वाले वकीलों की ओर दिलाना चाहूंगी। वकालत के पेशे में नये होने के कारण उनके पास पूरी लाइब्रेरी नहीं होती जिससे उनको अपने केसेज लड़ने में दिक्कत रहती है और वे अपनी वकालत ठीक तरह से नहीं कर पाते, वकालत में वे अपने स्टेटस को भी सही ढंग से मेन्टेन नहीं कर पाते। इसलिये मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि नये वकीलों को लॉ बुक्स खरीदने के लिए सुलभ कर्जा दिया जाना चाहिये जिससे वह अपनी लाइब्रेरी बना सकें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अब थोड़ा गृह मन्त्रीजी का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगी। सभापति महोदय, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो थाने हैं, मुझे बहुत ही खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज कई छोटे छोटे डिपार्टमेन्ट्स में राज्य सरकार ने टेलीफोन की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के थानों में टेलीफोन की कोई व्यवस्था नहीं है और न ही कोई ऐसे साधन हैं कि अगर कोई वारदात हो जावे तो पुलि

(सुश्री पुष्पा जैन)
उसके माध्यम से मौके पर जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आज जब कभी कोई वारदात होती है तो पुलिस का थानेदार यही कहता है कि मेरे पास कोई टेलीफोन की व्यवस्था नहीं है, मेरे पास कोई सवारी का साधन नहीं है, मैं क्या कर सकता हूं। तुम जाओ और सवारी ले आओ तो मैं चल सकता हूं। तो, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं गृह मन्त्रीजी से यह पूछना चाहती हूं कि यह कैसी विडम्बना है कि किसी के घर चोरी हो, डकैती हो तो उसको ही सवारी का इन्तजाम करना पड़े। इस प्रकार कैसे सस्ता न्याय मिलेगा ? मेरा निवेदन है कि जनता को राहत मिल सके इसके लिये थानों पर टेलीफोन व सवारी तथा वायरलैस का इन्तजाम किया जाना चाहिये। सभापति महोदय, मैं पुरजोर शब्दों में गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगी कि वह इस ओर ध्यान दें ताकि कानून और व्यवस्था में सुधार आ सके और फरियादी की पुकार की सुनवायी हो सके।

इतना ही मुझे निवेदन करना है।

श्री नवरंगसिंह : सभापति महोदय, यहां पर थानेदार तो मौजूद ही नहीं है।

श्री सभापति : श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री हनवन्तसिंह

(अनुपस्थित)।

श्री हरिकृष्ण।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, अब तो भूख लगी है, मन्त्री महोदय का जवाब शुरू करा दें।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय, अभी तो लोग बैठे हैं बोलने को।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, हम तो सुबह से यहां पर भूखे बैठे हैं। दूसरे लोग बीच-बीच में उठकर चले गये हैं और खाना खाकर आ गये हैं।

श्री सभापति : मैं तो माननीय सदस्यों के आदेश की पालना कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आप शान्त रहें।

श्री हरिकृष्ण (नदबई) : सभापति महोदय, आज सदन में न्याय प्रशासन की मांग पर और पुलिस की मांग पर बहस चल रही है। मैं आपके माध्यम से, सभापति महोदय, न्याय प्रशासन के नियमों के अन्दर संशोधन करने के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, न्याय प्रशासन के बारे में जो लिट्रेचर हमें दिया गया है उसमें सिवाय अधिकारियों के बारे में और कुछ थोड़ा इधर-उधर के नियमों के बारे में और कुछ नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विधि मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि न्याय प्रशासन में इतनी कमी है कि हमारे यहां पर सैकड़ों केसेज पैन्डिग पड़े हैं लेकिन आपने इसका लेखा-जोखा न्याय प्रशासन की बुक में नहीं दिया है। आज अदालतों में हजारों केसेज वर्षों से पैन्डिग, बिना फैसले हुए पड़े हुए हैं। मैं मेरे ही क्षेत्र नदबई के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, 208 से लेकर 300 मुकदमे अकेले नदबई में कोर्ट्स में पैन्डिग पड़े होंगे। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट मिली उसमें उसका कोई जिक्र नहीं है, कोई लेखा-जोखा आपने इसके बारे में नहीं दिया है। आज स्थिति यह है कि न्यायधीशों के पास

(श्री हरिकृष्ण)

समय नहीं है। उनको मुकदमे की सुनवाई के लिये 10-10 और 15-15 बार तारीखें बदलनी पड़ती हैं। इससे जो लोग गांवों से आते हैं उन्हें समय और पैसा दोनों ही खर्च करना पड़ता है। आज तारीखों के बदलने का मुख्य कारण यह है कि कोर्ट में केसेज ज्यादा हैं और मजिस्ट्रेट्स की कमी है। जब तक स्टाफ पूरा नहीं होगा मुकदमों में देरी होगी और सुनवायी समय पर नहीं हो सकती। सभापति महोदय, इसके लिये मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। आज हमारे भरतपुर में चार मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के ऑफिस हैं एक देवर, दूसरा कुम्हेर, तीसरा नदबई में जिसमें कि सबसे ज्यादा केसेज हैं और चौथा भरतपुर। मैं मेरे नदबई क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि 30-40 मील से मुवक्किलों को आना पड़ता है कोर्ट अटेन्ड करने के लिये। अगर आप नदबई के केसेज के लिये मुन्सिफी के हैडक्वार्टर को नदबई में ही कर दें तो नदबई के गांवों से लोगों को भरतपुर आना पड़ता है वह बन्द हो सकता है और भरतपुर आने के लिये लोगों को पैसा खर्च करना पड़ता है और जो उनका समय बरबाद होता है वह खत्म हो सकता है। इसके साथ ही लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय मिल सकता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि नदबई में नदबई मुन्सिफ मजिस्ट्रेट का आफिस स्थानान्तरित किया जाय। इससे जो आज हम सस्ता और सुलभ न्याय देने की बात करते हैं वह शीघ्रता से मिल पायेगा। नहीं तो वर्षों तक कोर्ट्स में केसेज पैन्डिग पड़े रहते हैं। सभापति महोदय, आज राजस्व के केसेज के बारे में भी निवेदन है कि बहुत बार केसेज पड़े रह जाते हैं। रेवेन्यू बोर्ड में 8-10 साल तक केसेज चलते रहते हैं। फैसला होने के बाद भी जब लोग कब्जा लेने के लिये ए. डी. एम. कोर्ट में जाते हैं तो लोग स्टे ले आते हैं तो फिर वही समय लगता है। सभापति महोदय, कब्जे वाले मामले शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के ही हैं। रेवेन्यू बोर्ड का फैसला होने के बाद भी स्टे दूसरी पार्टी वाले ले आते हैं और लोगों को खातेदारी राइट्स वगैरह नहीं मिल पाते हैं। आज यह अन्याय शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ हो रहा है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो पाती है।

सस्ते न्याय की हम मांग कर रहे हैं लेकिन कचहरियों और अदालतों में जब हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि वकीलों की फीस की बड़ी भरमार होती है। वकीलों की फीस पर कोई नियन्त्रण नहीं है। गरीब से जो कुछ भी फीस मांगी जाती है, बेचारा वह देकर आता है लेकिन वकीलों के ऊपर न कोई निरीक्षण है और न ही कोई नियन्त्रण है। इस ओर मंत्री महोदय ध्यान देने का कष्ट करें।

न्यायालय खुले हुए हैं, मजिस्ट्रेट तैनात हैं, फिर भी तारीखों पर तारीखें लगा देते हैं। जिससे लोगों को बार-बार जाना-आना पड़ता है। इस कारण लोग दुखी हैं। इसकी सुचारु रूप से व्यवस्था होनी चाहिये।

मांग संख्या 16 है पुलिस के सम्बन्ध में। मैं निवेदन करूंगा कि पिछले साल के मुकाबले में 41 डकैतियां ज्यादा हुईं, लूट-खसोट के 359 केसेज अधिक हुए, बलवे के केसेज 2372 ज्यादा हुए और अन्य अपराध जो अधिक हुए 1977 में वे हैं 9098। यह पुलिस की रिपोर्ट है इसमें यह लिखा हुआ है कि मीसा के कारण पाबन्दी लगी हुई थी, उससे चोरियां कम हुईं और अब बढ़ गयी हैं। या तो फिरौती के कारण रिपोर्ट लेकर आते नहीं और आते हैं तो रिपोर्ट दर्ज

(श्री हरिकृष्ण)
होती नहीं। जो चोरियां हो रही हैं वे बेशुमार है। बहुत सी चोरियां रिपोर्ट में नहीं आयी हैं। बलवे की तादाद भी बढ़ी है।

आज पुलिस में भ्रष्टाचार की बात कही जाती है लेकिन मैं कहता हूं कि सम्पूर्ण शासन तन्त्र में ही भ्रष्टाचार है। यह तब ही मिट सकता है जब मंत्री और सदस्य सही हों। यदि ऊपर काम सही होगा तो नीचे के अधिकारी भी ध्यान देंगे और भ्रष्टाचार नहीं करेंगे।

मुझे भाषण खतम करने के लिये कहा जा रहा है। जय हिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री सुभाषचन्द्र।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गुरुशरण छावड़ा।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री जगदीशचन्द्रजी शर्मा।

(अनुपस्थित)

माननीया श्रीमती श्यामाकुमारी।

श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर (कपासन): श्रीमन् सभापति महोदय, न्याय की मांग पर बोलते हुए न्याय प्राप्त करने में किस प्रकार विलम्ब होता है इस सम्बन्ध में कुछ विचार आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। यह उम्मीद करूंगी कि आपके माध्यम से ये मेरे विचार मंत्री महोदय तक पहुंचेंगे और वे उनके सम्बन्ध में अवश्य कुछ न कुछ कदम उठायेंगे।

श्रीमन्, प्रजातन्त्र के अन्दर अपने अधिकारों की मांग करने का हरएक को अधिकार है। सन् 1974 के अन्दर नगरपालिका परिषद्, फतहनगर, जो मावली तहसील के अन्तर्गत आती है, के भूतपूर्व पार्षद, मदनलालजी के नेतृत्व में वहां की जनता ने प्रशासक के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिये उनके कार्यालय के सामने शान्त प्रदर्शन किया था। उन प्रशासक महोदय ने शान्त जनता पर लाठियां चलवायीं, अनेक लोगों के चोटें आयीं और मामला यहां तक पहुंच गया कि प्रशासक महोदय ने उन लोगों के खिलाफ अनेक प्रकार के केसेज लगवा दिये। आज तक लोग उन केसेज की पेशियों पर जाते हैं और उनका समय खराब होता है। आज तक उनको न्याय प्राप्त नहीं हुआ है। क्या प्रजातन्त्र में उनको अपनी बात कहने का मौका नहीं मिलना चाहिये? क्यों इस प्रकार के लोगों पर मुकदमे लगा दिये जायं जिससे कि वे कमाने की स्थिति में न रहें और पेशियों पर घूमते फिरें?

संक्षेप में ही मैं अपने विचार रख रही हूं। इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहूंगी। गिरवा तहसील है वहां के आदिवासी भाद्रपद महीने में गवरी नाचने का काम करते हैं। उन दिनों उनकी जीवनचर्या बड़ी धार्मिक होती है। शराब तो क्या उसकी बू से भी दूर रहते हैं। कुछ अधिकारियों और नेताओं ने मिल कर उन पर चोरी और तोड़-फोड़ का आरोप लगाया और उन पर मुकदमे लगा दिये। उनसे आदिवासी आज तक परेशान हैं। जब माननीय केदारजी साहब गृह मंत्री थे तो उनके सामने यह मामला रखा गया। उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनको शीघ्र न्याय दिलाया जायगा लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वे लोग रोजी-रोटी को छोड़ कर आये दिन पेशियों पर भटकते फिरते हैं।

(श्रीमती श्यामाकुमारी सेंगर)

इसी प्रकार आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि एक भूतपूर्व सैनिक हैं, गम्भीर सिंह चौहान। वे उदयपुर में रहते हैं। कुछ वर्ष पहले उनको मावली में पांच-सात बीघा जमीन अलॉट की गयी थी। स्थानीय नेताओं ने और पुलिस अधिकारियों ने मिल कर उस जमीन पर कुछ गुन्डों का कब्जा जमवा दिया जो कब्जा नहीं छोड़ रहे हैं। मुकदमा लड़ने में उनके घर का जेवर, जो पांच-सात तोला था, भी बिक गया। वह व्यक्ति आज भी परेशान हो रहा है। क्या यह अपेक्षा की जाय कि जो सैनिक सीमा पर तैनात है, जो सीमा पर खून बहाने के लिये हमेशा तैयार रहता है उसके साथ इस प्रकार का बर्ताव नहीं किया जाय कि उसका वर्षों तक मामला नहीं निपटे और उसके मामले का निराकरण न हो। मैं आशा करती हूं कि उसको शीघ्र ही न्याय मिलेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री रतनलालजी वर्मा।

श्री रतनलाल वर्मा (भिनाय) : माननीय सभापति महोदय, मुझे कहना तो बहुत है लेकिन समय का अभाव है इसलिये थोड़े शब्दों में ही निवेदन करूंगा।

श्री सभापति : आप की बड़ी कृपा होगी, यदि आप संक्षेप में ही कहेंगे।

श्री रतनलाल वर्मा : पहले अंग्रेजों की हुकूमत थी। उसके बाद लोकतन्त्र आया और कांग्रेस की हुकूमत आयी। उनको लोगों ने पलकों पर बिठाया। लोकतन्त्र के दो पहिये हैं। एक जनप्रतिनिधि और दूसरा अधिकारी लोग। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जनप्रतिनिधियों ने इस असेम्बली भवन में बैठ कर ऐसे निकम्मे काम किये कि आफिसरों के हाथ इस प्रकार मजबूत कर दिये कि उन्होंने जनता पर गोलियां चलवायीं लेकिन उनको कोई सजा नहीं दी जा सकती। वे ही लोग आज गांधीजी का नाम लेकर, इन्दिराजी का नाम लेकर यहां बैठे हैं। उन्होंने अधिकारियों की मार्फत लोगों को लूटा है। यदि बड़े अधिकारियों को, कर्मचारियों को बेईमान किसी ने बनाया तो वे थे कांग्रेस के मिनिस्टर क्योंकि वे गलत काम करते थे। जो उनके खिलाफ बोलते उनको वे परेशान करवाते थे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : कट मोशन इस पर नहीं है।

श्री रतनलाल वर्मा : आप सुन लीजिये, कट मोशन है या नहीं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, व्यवधान पैदा न करें। No interruption please.

श्री रतनलाल वर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में वह का वह ही वातावरण है, वह का वह ही प्रशासन है और वही कर्मचारी हैं और वही न्यायालय है। माननीय मुख्यमंत्री, श्री भैरोंसिंहजी विरोध में बैठ कर उनके खिलाफ बोला करते थे, महारावल लक्ष्मणसिंहजी बोला करते थे और जितने भूतपूर्व मिनिस्टर उधर बैठते हैं वे जवाब दिया करते थे। आज भी वही प्रथा यहां है। यह कहां तक उचित है, सभापति महोदय? मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं उनसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो गरीब झोंपड़ियों में रहते हैं, जिनके पास खाने को दाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है उनके साथ मखौल हो रहा है। भाषण अखबार में छप जायेगा, सभापति महोदय, हमारे पास आ जायेगा, हम दस्तखत कर करके

Page No 192

(192)

(श्री रतनलाल वर्मा)

वापस भेज देंगे और किताब छप जायेगी लेकिन उस गरीब को क्या संरक्षण मिला ? कल मैंने प्रश्न किया था लेकिन आज तक उत्तर नहीं आया । अभी प्रश्न किया मैं समझता हूं कि उसका उत्तर आने वाला नहीं है। हजारों मर्डर के केसेस इन कांग्रेस वालों ने करवाये हैं । यह केसेज और जुल्म क्यों बढ़े ? इन जुलमों को बढ़ाने वाले हमारे भूतपूर्व कांग्रेस के मिनिस्टर थे। उनके जमाने में सैटलमेन्ट गलत हुआ था । लोगों का सैटलमेन्ट गलत किया और नक्शे गलत बनाये, खसरा नम्बर के इन्द्राज गलत किये। किसान भारत का अन्नदाता था, जो खसरा नम्बर 995 में काबिज था उसका इन्द्राज 997 में कर दिया....

श्री गणपतसिंह भवासर : माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में भाषण दे चुके हैं पिछली असेम्बली में, सभापति महोदय....

श्री रतनलाल वर्मा : मैं कह रहा हूं आपको क्या दर्द हो रहा है । हमने आपको टोका नहीं ।

तो मूल कारण यह है। मैं मेरी सरकार से निवेदन करूंगा कि केसेज बढ़ते जायेंगे । जब तक किसान के खेत के नक्शे सही नहीं बनायेंगे, खसरा नम्बर का इन्द्राज सही करके सही पास-बुक नहीं देंगे तब तक केसेज बढ़ना बन्द नहीं होंगे, यह मेरा इस बारे में निवेदन है।

तो, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि सुलभ न्याय कैसे मिल सकता है। कांग्रेस के जमाने में पंचायतें एक प्रकार से चुनावी एजेन्ट के रूप में थीं। मेरा सुझाव है कि ग्राम पंचायतों को न्याय पंचायतों के जो अधिकार हैं वह तो हैं ही, साथ ही जो पुलिस के अधिकार हैं और जो अदालतों को केसेज सुनने के अधिकार हैं, जिन केसेज में 6 महीने की सजा और एक हजार रुपये तक के जुर्माने का कानून है वह तमाम के तमाम केसेज सुनने के अधिकार ग्राम पंचायतों को दिये जायें। जो पंचायतें 8 घंटे काम करें और जो पंच और सरपंच 8 घंटा काम करें उनको दैनिक भत्ता दिया जाये। सभापति महोदय, आज हम विधान सभा में आते हैं तो हमको 51 रुपया रोज सरकार देती है लेकिन विधान सभा की हालत देखिये, मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करूंगा कि पूरे मंत्री भी मौजूद नहीं हैं। यह क्या हालत है ? 51 रुपये हम रोज ले रहे हैं, 600 रुपया अलग ले रहे हैं, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? क्या यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन नहीं है ? एक तरफ प्रहरी ड्यूटी दे रहे हैं जिनके लिये, सभापति महोदय, घोषणा हो चुकी है सदन में कि इनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स दिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं दिया ? क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है ? क्या यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देना नहीं है ? हमारी आंखों के सामने यह हो रहा है। तो, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस के जमाने में जो मंत्री घोषणायें करते थे, थूक देते थे और चाट लिया करते थे उस तरह की बातें हम नहीं करें। वही बातें करें जो कि करनी हैं ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं।

मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं पुलिस प्रशासन के बारे में । जो सी. आई. डी. में ट्रेण्ड हैं उनको तो आप ट्रेफिक में लगाते हैं और जो

(श्री रतनलाल वर्मा)

ट्रेफिक में ट्रेन्ड हैं उनको आप पुलिस थानों में लगाते हैं। यह क्या उल्टी बात है? ऐसा क्यों होता है? जो आदमी जिस काम में माहिर है और जिसको जिसकी ट्रेनिंग मिली हुई है उस को उसी जगह लगाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय पहले मुख्य सचेतक थे और आज गृह मंत्री हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वह हमारे शिड्यूल्ड कास्ट के मंत्री हैं और इसका हमको स्वाभिमान है लेकिन मैं गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके काल में पुलिस का रवैया नहीं बदला, जनता में संतोष पैदा नहीं हुआ और जनता सन्तुष्ट नहीं हुई तो बहुत बड़ा कलंक आप के ऊपर लगेगा और हमारा सिर भी लज्जा के मारे नीचे हो जायेगा।

तो, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि एक कानून बना दिया जाये ....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं केवल यही बात कहकर समाप्त करूंगा।

यदि हमारी पुलिस और मंत्री महोदय भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकें तो कानून बना दिया जावे कि जो रिश्वत मांगे, जिससे मांगी जाये वह उसी समय अधिकारी की जूतों से पिटाई कर दे और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं हो। हम सीधा कर देंगे इनको एक मिनट में।

सभापति महोदय, मैं कह रहा हूं कि गांवों के साथ अन्याय होता है, गरीबों के साथ अन्याय होता है। कई बातें हमारे सामने आती हैं, एक लाख की चोरी हो गयी, 80 हजार की चोरी हो गयी, कहीं 60 हजार की चोरी हो गयी। मैं कहता हूं कि गरीबों का धान ले गये। जो खाने के लिए अनाज था उसको भी ले गये। गरीब की औरत की नाक में से नथ ले गए। उसकी चर्चा विधान सभा में नहीं हुई और इसलिए नहीं हुई कि वह गरीब है। गरीब के लिए कोई नहीं बोलता। वह न्याय की पुकार करता है, वह चाहता है कि आज जनता का राज्य आया है तो उसे राहत मिले, उसे सुख के सपने देखने को मिलें और न्याय सुलभ और सस्ता मिले लेकिन पांच-पांच साल तक मुन्सिफ मजिस्ट्रेट के यहां मुकदमे चलते हैं और वकील लोग तारीखें लेते चले जाते हैं। कई बार तो सरकारी वकील छुट्टी ले लेते हैं और तारीखें पड़ती रहती हैं, मजिस्ट्रेट छुट्टी ले लेते हैं और तारीखें पड़ती रहती हैं। यह क्या तमाशा है? तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मजिस्ट्रेट यदि 15 दिन को छुट्टी चला जाये तो उन दिनों में कोई तारीख नहीं हो और मुवक्किल को इसकी सूचना दी जाये कि उन दिनों कोई तारीख नहीं होगी। तो इसका तो आप प्रबन्ध कीजिए।

इसके अलावा अक्सर यह होता है कि जो सरकारी गवाह हैं वह चार-पांच तारीख तक जाते रहते हैं और गवाहियां नहीं होती हैं तो वह क्या करते हैं कि तंग आकर क्योंकि पार्टी बहुत पीछे पड़ी हुई है इसलिये पैसा लेकर होस्टाइल हो जाते हैं और जो जुल्म करने वाले हैं वह पैसे के बल पर बच जाते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री रतनलाल वर्मा : मैं निवेदन करूंगा, माननीय सभापति महोदय, जो गवाह

(श्री रतनलाल वर्मा)
सरकारी जायें उनको उसी दिन शहादत हो। यही मेरा निवेदन है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में कदम उठायेंगे।

जय भारत।

श्री सभापति : श्री आलम अली।

श्री आलम अली खां (फतेहपुर) : माननीय सभापतिजी, मेरा कटौती प्रस्ताव सिर्फ पुलिस के मामले में है और वह भी तनख्वाह के मामले में है। सम्मानीय सदस्य उस साइड में बैठने वाले और इस साइड में बैठने वाले हैं उनको मैंने बातें सुनीं। सुनने के बाद मेरे भी दिमाग में यह बात आई कि बहुत लम्बा-चौड़ा भ्रष्टाचार है। सम्मानीय सदस्य सब कह रहे हैं कि बहुत भ्रष्टाचार है। माननीय सभापति महोदय, चुनाव में 10 हजार खर्चा करना निर्धारित है वह खर्चा दो ढाई लाख तक पहुंच जाता है तो यह भ्रष्टाचार है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : कृपया बोलने दीजिये, व्यवधान नहीं।

श्री आलम अली खां : हमें पूरे भ्रष्टाचार को खतम करना है तो, विधि मंत्रीजी, आप समाजवादी विचार रखने वाले हैं आपको निजी प्रापर्टी को खतम करना होगा और देश को निजी प्रापर्टी मानना होगा। दूसरों की ओर उंगली उठाने से और दूसरों को गालियां देने से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा.......

श्री बजरंगलाल शर्मा : आलम अलीजी को चीफ जस्टिस बना दो।

श्री आलम अली खां : माननीय सभापति जी, मुझे बना दो, या न बना दो, यह अलग बात है।

श्री सभापति : कृपया बोलने दें।

श्री आलम अली खां : तो माननीय सभापतिजी, मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं निजी प्रापर्टी जब तक खतम नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार खतम नहीं होगा। इधर के माननीय सदस्यों का चुनाव में कम खर्चा हुआ है और उधर के सदस्यों का खर्चा दो-दो लाख हुआ है......

एक माननीय सदस्य : यह सही बात नहीं है।

श्री आलम अली खां : यह मूंछों के बट भर रहे हैं। कांग्रेस की यह परिपाटी रही है कि पैसे के जोर से जीतती रही है।

सभापतिजी, चाहे हम पुलिस को गाली निकालें या चाहे किसी और को गाली निकालें, इससे भ्रष्टाचार खतम होने वाला नहीं है। हमको खुद को भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना पड़ेगा। जो पुलिस के सिपाही हैं इनको तनख्वाह पूरी होनी चाहिये। दूसरे कर्मचारियों की यूनियन्स हैं यूनियन के मार्फत उनकी तनख्वाह बढ़ाने की मांग की जाती है पुलिस के सिपाहियों को न यूनियन का अधिकार है, न बोलने का अधिकार है। ज्यादा नहीं कह कर एक ही बात कहना चाहता हूं कि विधि मंत्रीजी निजी प्रापर्टी का अधिकार जब तक खतम नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार खतम नहीं होगा।*

---

* राजस्थानी भाषण का हिन्दी रूपान्तरण।

श्री सभापति : माननीय श्री किशन सिंहजी भाटी ।

श्री किशनसिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, बहुत सी बातें तो कह दी हैं माननीय सदस्यों ने और समय भी ज्यादा नहीं है, इसलिये एक-दो बात कहूंगा । सस्ता न्याय का जहां तक सवाल है, मेरा सुझाव है कि सस्ता न्याय तब तक नहीं मिल सकता जब तक कुछ मौलिक परिवर्तन न किया जाये । बहुत से माननीय सदस्यों ने जो कहा मैं उसकी पुनरावृत्ति नहीं करूंगा ! मेरा निवेदन है कि जो छोटे-छोटे मामले हैं जैसे विद्यार्थियों की उम्र परिवर्तित की जाती है, छोटे-मोटे जो उनसे शपथ-पत्र लिये जाते हैं उसमें 50-100 रुपये खर्च हो जाते हैं । ऐसे छोटे-मोटे मामलों पर स्टाम्प फीस हम माफ कर सकते हैं । दूसरा या तो जैसी कि हम हमेशा मांग करते हैं स्टेटिस्टिकल सर्वे बैकवर्ड एरिया का करके अनुसूचित जिला घोषित कर के, लो इन्कम के लोगों को गरीब घोषित करके उनको इन्ट्रोडक्ट्री एप्लीकेशन्स के ऊपर स्टाम्प फीस माफ होनी चाहिये या छोटी-छोटी अर्जियों पर माफ होनी चाहिये । यह सस्ते न्याय की तरफ बढ़ने के लिये बहुत अच्छा कदम होगा । दूसरे छोटी-छोटी एप्लीकेशन्स होती हैं, किसी बात के ऊपर अर्जी दी जाती है, तो स्टाम्प लगाने पड़ते हैं । छोटी अर्जियों के ऊपर स्टाम्प की पद्धति को हटा देना चाहिये । सिर्फ मुकदमों में, बड़े दावों में फीस पहले से ज्यादा बढ़ाकर, दुगुनी, तिगुनी करके लें । बड़े दावे पूंजीपति करते हैं, बड़ी फर्में करती हैं, छोटा आदमी लाख, करोड़ का दावा नहीं करता, उन पर आप फीस को बढ़ा कर घाटा पूरा कर लें, और छोटी-छोटी अर्जियों पर फीस माफ करें ।

दूसरा मेरा कहना है कि श्री छागला के क्या विचार थे चन्द्र चूड़ के मामले को लेकर ? टोक्यों ट्रायल क्या था, नूरनमल ट्रायल क्या था, इन मामलों में मैं नहीं जाऊंगा, छोटे-छोटे मामलों को लेकर चलूंगा । आर्थिक एवं राष्ट्रद्रोही अपराधों की जांच करने के लिये, ट्रायल करने के लिये न्यायालय हमें नये सिरे से स्थापित करने चाहिये ।

एक मौलिक सुझाव है, बर्डन आफ प्रूफ है उसको शिफ्ट कर देना चाहिये अभियुक्त पर, एक्यूज्ड पर । जैसे बेल वगैरह के मैटर्स हैं जिन अपराधियों के लिये शुरू से ही माना जाये, वे अपराधी हैं, उनके जिम्मे बर्डन ऑफ प्रूफ हो कि मैं इन्नोसैन्ट हूं । इससे क्या होगा कि बहुत बड़ी बुराइयां मिट जायेंगी । मेरा निवेदन है कि सस्ता न्याय स्थापित किया जाना चाहिये ।

दूसरे न्यायालयों को आर्थिक स्थिति सुधारने के लिये बहुत सुझाव आ चुके हैं । आर. ए. एस. की सुपर स्केल है । मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की सुपर स्केल नहीं है । इसमें जो अन्तर है इसको हटाया जाय । जहां सस्ते न्याय का मैक्सीम एडाप्ट करते हैं उन मजिस्ट्रेट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय देने हेतु मौके को सुनवाई के वास्ते व्हीकल्स देनी चाहिये । जैसलमेर का मजिस्ट्रेट है अगर उसके पास व्हिकल नहीं हो तो कैसे दूर-दूर तक पहुंच सकता है । मेरा तो जिला हैडक्वार्टर भी डेढ़-डेढ़ सौ दो-दो सौ मील दूर पड़ता है । हाई कोर्ट की नीति है, भूतपूर्व कांग्रेस सरकार की नीति है,

(श्री किशनसिंह भाटी)

हमारी भी नीति है, मुख्यमंत्री ने भी घोषणा की है, गत अधिवेशन में हमने कहा, यह बात बहुत ही एकेडेमिक तरीके से कही जाती है कि सस्ता न्याय देंगे। आज स्थिति यह है कि एक छोटी-मोटी अर्जी के लिये जोधपुर जाते फिरो। जैसलमेर 450 किलोमीटर दूर है वहां न्याय मिल नहीं सकता। यह बहुत ही वाजिब मांग है। इस पर आपको पूरा ध्यान करना चाहिये। वहां अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाये तो बोर्डर के लोगों के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा।

इसके अलावा रेगिस्तानी क्षेत्र के बारे में मैं भी एक बात रखना चाहता हूं। मौके पर ज्यादा से ज्यादा फैसले हों, दूसरी सुविधा सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिये दी जायं, इसके सम्बन्ध में यहां सभ्य और सामाजिक शहरियों ने बहुत सी बातें रखीं, मेरी भी उनसे हमदर्दी हो सकती है। बनीपार्क और सेक्रेटेरियट के पास जो कृषि भवन है उसमें कितनी दूरी है, कितना फासला है उसके लिए उन्हें चिन्ता है। जो ढाई सौ और तीन सौ मील की दूरी से चल कर आते हैं उनका क्या हाल होता होगा, इस बात को मद्देनजर रखते हुए लोहियाजी के भक्त, राज नारायणजी के भक्त और हमारे साथी विधि मंत्रीजी से मैं कहना चाहूंगा कि वे इस बात को भी ध्यान में रखें और सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने में रेगिस्तानी क्षेत्रों को भी ध्यान में रखें।

अब मैं वकीलों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। मैं पूर्वाग्रह से भरी हुई बात नहीं कहता जैसा कि मेरे साथी श्योपत सिंहजी कहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि वकीलों की जो डिफिकल्टी है उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सभी मोतीलाल नेहरू नहीं हो सकते, सभी भूला भाई देसाई नहीं हो सकते, सभी पालकी वाला और जेठमलानी नहीं हो सकते। मैं उनकी बात नहीं करता लेकिन जिलों में जो हालत है वकीलों की उसके बारे में बताना चाहता हूं। जिलों में, रेगिस्तानी इलाकों में कई एक वकीलों की सौ, दो सौ रुपये मंथली भी कमाई नहीं है। वकीलों के अलावा रिटायर होने पर सभी को पेंशन मिलती है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हिन्दुस्तान में भी सभी श्रेणियों के कर्मचारियों को पेंशन मिलती है लेकिन वकील का एक ऐसा प्रोफेशन है कि 70–80 वर्ष तक काम करने पर भी वकील की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि प्रोवीडेंट फण्ड की कोई व्यवस्था होनी चाहिए। मैं विधि मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आप भारत सरकार की तरफ मत देखिए, उनसे बात करिये या दूसरे राज्यों से बात करिये और बात करके कोई ऐसा रास्ता निकालिये कि राजस्थान राज्य इस मामले में सबसे अग्रणी हो। प्रोवीडेंट फण्ड की या और किसी तरह की व्यवस्था की जावे जिससे वकीलों को साठ-सत्तर साल की उम्र तक काम करने के बाद पेंशन मिल सके। वकील का भी समाज पर भार है। मजदूर और झुग्गी झोंपड़ी वाला भी प्रोटेक्शन चाहता है। उसी तरह से वकीलों की भी एक इंस्टीट्यूशन है, इसको भी पचास-साठ साल तक काम करने के बाद प्रोटेक्शन मिलना चाहिए यह मेरा सुझाव है।

सस्ते न्याय का जहां तक सिद्धान्त है, मैंने कई अधिकारियों से बात की थी उन्होंने

(श्री किशनसिंह भाटी)]

यह तो माना कि जैसलमेर में न्यायालय होना चाहिए लेकिन इस साल तो जैसलमेर में न्यायालय स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि कुल मिला कर वहां मुकदमों की संख्या कम है। आप जैसलमेर के साथ फलोदी व देचू के मुकदमात को मिला कर जैसलमेर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश का मुकाम कायम कर सकते हैं। इसके अलावा मुकदमों की थ्योरी को ही लेकर क्यों चलते हैं ? ग्रामोन्मुखी समाज है हमारा। अन्त्योदय योजना की बात हम करते हैं। हमारा समाज, हमारा सारा विकास ग्रामों की तरफ जा रहा है तो न्याय के मामले में भी यह सिद्धान्त क्यों नहीं बरता जाता है। अगर न्याय को कार्मशियल बेसिस पर चलाते हैं, न्याय का व्यापारीकरण करते हैं तो मैं कहता हूं कि हाई कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड गंगानगर में होना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा कतल, सबसे ज्यादा मर्डर, सबसे ज्यादा रेवेन्यू के केसेज गंगानगर में होते हैं। आप जयपुर और जोधपुर को क्या बात करते हैं गंगानगर में सबसे ज्यादा केसेज होते हैं। अगर इस कार्मशियलाईजेशन के सिद्धान्त को लेकर चलें तो गंगानगर में ही हाई कोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड रहना चाहिए। लेकिन हम इसको पसन्द नहीं करेंगे। जब हम इस बात को पसन्द नहीं करते तो फिर जैसलमेर का जहां सवाल आता है, रेगिस्तानी क्षेत्र को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने का प्रश्न आता है, डेजर्ट इलाकों को सस्ता न्याय दिलाने का प्रश्न आता है तो इसमें क्यों आपत्ति होती है ? इसलिए मैं माननीय विधि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस बात की तरफ ध्यान दें और जैसलमेर में जिला एवं सत्र न्यायालय का मुकाम कायम करावें।

पुलिस के बारे में दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। पुलिस विभाग का पुनर्गठन होना चाहिए। पुलिस का बहुत ही बदनाम महकमा है, मैं इस तरह के पूर्वाग्रह लेकर नहीं कहूंगा। पुलिस के बारे में इस तरह से आनन्द नारायण मुल्ला ने रिमार्क लिखे थे। मैं इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की बात भी नहीं कहना चाहता। मैं यह भी नहीं कहता कि बड़ी-बड़ी घटनायें क्यों होती हैं जैसा कि हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है। ऐसी अगर कहानी कहूं तो हमारे पास बहुत से केसेज हैं, मैं उनको दोहरा कर सदन का वक्त जाया नहीं करूंगा। मैं तो केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा को बनाना और किसी डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठा को बिगाड़ना हमारे हाथ में है। पुलिस को बहुत बदनाम कर दिया लेकिन अब वैज्ञानिक तौर पर इसके दोषों को दूर करने की आवश्यकता है। जो पिछले तीस वर्षों में नुकसान हुआ है उसको सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि पुलिस में थ्री टायर सिस्टम का प्रतिरूपेण होना चाहिए। अन्वेषण ब्रांच बिल्कुल अलग होनी चाहिए, अर्थात् इन्वेस्टीगेशन ब्रांच बिल्कुल अलग कर देनी चाहिए। एफ. आई. आर. थाने में दर्ज हो जायं। उसके बाद उसके इन्वेस्टीगेशन के लिए दूसरी एग्जीक्यूटिव साइड होनी चाहिए। बिल्कुल अलग से इन्वेस्टीगेशन शाखा हो वही सारा इन्वेस्टीगेशन करे। पुलिस की प्रोसेस सर्वेयर ब्रांच अलग होनी चाहिए जिससे करप्शन को कम किया जा सकेगा, पुलिस में एफीशियेंशी आएगी और पुलिस में जो भ्रष्टाचार

(श्री किशनसिंह भाटी)
चलता है वह भी कम होगा, इसलिए मेरे खयाल से प्रोसेस सर्वेयर को अलग अांच होनी चाहिए।

दूसरा जहां तक कार्य दक्षता एवं सुधार का सवाल है पुलिस में 'स्टिक एण्ड केरट' की थ्योरी लागू कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली की तरफ देखें, मद्रास की तरफ देखें या ज्योति बसु की गवर्नमेंट की तरफ देखें। हम आगे होकर इस थ्योरी को लागू कर सकते हैं। सारे विभागों में और खास तौर से पुलिस में तो आप स्टिक एण्ड केरट की थ्योरी को लागू कर सकते हैं। पुलिस में पारितोषिक एवं प्रताड़ना को पद्धति अपनानी चाहिए। बोर्डर एरियाज हैं जहां पर स्मगलिंग होती है, एण्टी नेशनल एक्टीविटीज होती हैं, हीनियस क्राइम होते हैं .....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Only one minute more.

उसमें क्राइम पकड़ने वालों को ईनाम देने की कोई व्यवस्था नहीं है। यों तो कहते हैं कि बहुत भ्रष्ट हैं। सभी महकमों में भ्रष्ट हैं, पुलिस में भी भ्रष्ट लोग हैं लेकिन सभी भ्रष्ट नहीं हैं। आपको यह देखना है कि किसके एरिया में कम केसेज हुए हैं और किस प्रकार से कम हुए हैं, इसके लिए स्टिक एण्ड केरट की थ्योरी को अपनाना पड़ेगा। नेपाल में इसको अडाप्ट किया है, अपने यहां पर भी पड़ौसी देश की थ्योरी को लागू कर सकते हैं। जो स्मगलिंग को रोकने वाली फोर्स हैं, जो एस. एच. ओ. और एस. पी. हैं, जो करोड़ों रुपयों का, लाखों रुपयों का माल पकड़ते हैं, वह माल यहां के सिटिजन का नहीं है, बाहर का माल स्मगल होकर देश में आता है और जो माल बोर्डर पर जब्त होता है, वह माल गवर्नमेंट का हो जाता है, कस्टम का माल हो जाता है। उसमें से कुछ हिस्सा इनको एनकरेज करने के तौर पर देना चाहिए। इस तरह से पारितोषिक देकर उनको एनकरेज कर सकते हैं। जो बुरे आदमी हैं उन पर निगरानी केवल पुलिस की नहीं बल्कि कलेक्टर आदि की भी होनी चाहिए। कलक्टर की निगरानी में रख कर अनडिजायर्ड एलीमेंट्स को रोक सकते हैं। इससे गवर्नमेंट की भी काफी रेवेन्यू बढ़ सकती है और एण्टी नेशनल एक्टीविटीज को भी रोक सकते हैं। इसके लिए आपको यह स्टिक एण्ड केरट की थ्योरी अपनानी चाहिए। अभी बोर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बारे में, बी. एस. एफ. के बारे में समाचार पढ़ने को मिला कि उन्होंने 80 लाख का स्मगलिंग का माल पकड़ा। जो वक्ता महोदय पहले बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि बी. एस. एफ. ने, आर्मी और पुलिस ने जो स्मगलिंग का माल पकड़ा है। अस्सी लाख का माल पकड़ने से पहले, एक अरब और अस्सी करोड़ का माल स्मगल हो चुका होगा क्योंकि जाने-आने वाले माल का कम हिस्सा ही पकड़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसा कि फलौदी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है, यह पक्की इत्तला है कि पाकिस्तान में अनाप-शनाप शराब जाती है। वहां पर शराबबन्दी कर दी है इसलिए यहां से शराब जाती है। यहां तक सुनने में आया था कि वहां पर सौ डेढ़ सौ आदमी इल्लीसिट शराब से मर गए थे। वे लोग शराब के पीछे पागल हैं, दारू के पीछे पागल हैं इसलिए यहां से अनाप-शनाप दारू जाती है। यह किस के कारण से जाती है, आपको मालूम है? यहां से कारतूस स्मगल होकर जाते हैं। कहां से जाते हैं,

(श्री किशनसिंह भाटी)

कैसे जाते हैं यह मैं राष्ट्रीय हित में नहीं कहूंगा लेकिन जाते हैं यह निश्चित है और आप इसको रोक भी नहीं सकेंगे। कहां से जाते हैं, यह भले ही मैं राष्ट्रीयहित में नहीं कहूं लेकिन यह डेफिनेट बात है कि जाते हैं, स्मगल्ड होते हैं और किन्हीं अधिकारियों की मिलीभगत के कारण होते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पुलिस में सभी अच्छे आफिसर्स नहीं हैं, वहां पर अच्छे अधिकारी नहीं हैं। वहां पर भी अच्छे और ईमानदार एस.पी. हैं, हरिजन कौम के भी हैं, यंगस्टर भी हैं। जो एफर्ट्स करके इल्लीसिट ड्रिंक और स्मगलिंग को रोकते हैं वे खुद भी कहते हैं कि हम कितने ही केस पकड़ लें लेकिन केसेज कम नहीं हो सकते क्योंकि केसेज बहुत ज्यादा हैं। आज सुबह ही मैंने एक प्रश्न के उत्तर पर पूरक प्रश्न करते हुए कहा था कि पुलिस को आप साधन देंगे तो उससे करोड़ों का फायदा भी होगा, कई गुना अधिक कमायेंगे भी। राजस्थान की पुलिस का आपको बाहरी स्वरूप सुधारना चाहिए। उनके पास जीपें हैं वे 6 जी. एम. ई. एवं 6 सेलेन्डर की हों, क्योंकि आपकी जीपें 60-70 किलोमीटर को स्पीड से अधिक दौड़ नहीं सकतीं और जो स्मगलर्स हैं वे अपने पास जोंगा रखते हैं, वह जीपों से बहुत ज्यादा ताकत की हैं और बहुत तेज दौड़ती हैं। पुलिस अगर दो माइल भी पीछे रह जाय तो फिर पुलिस के चाहे आई.जी. हों या होम मिनिस्टर हों, वह देखते ही रह जायेंगे, चोरों को पकड़ नहीं सकते। खर्च की इसमें बात नहीं है, राष्ट्रीयहित में आपको पुलिस को साधन देने चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान ने रेंजर्स को दिये हैं, पुलिस को दिए हैं। इसलिए सिक्स सैलेन्डर की गाड़ियां कम से कम पुलिस को मिलनी चाहिए, पुलिस को जोंगा मिलनी चाहिए। जो पुलिस गश्त लगाती है उस के पास वायरलेस सैट होना चाहिए। पुलिस के पास जो ऊंट हैं, उनके लिए भत्ता उनको दिया जाता है वह कम से कम सौ-डेढ़ सौ रुपया मिलना चाहिए। यह कहां लिखा हुआ है कि मिलिटरी के पास या बी.एस.एफ. के पास जो ऊंट है वह तो ज्यादा खायेगा और पुलिस का ऊंट कम खाएगा। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सभापति : कृपया जल्दी समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : एक मिनिट और।

जहां तक थर्ड डिग्री मेथड्स का सवाल है मैं कहता हूं कि आज के समय में हम थर्ड डिग्री मैथड्स को काम में नहीं ले सकते, हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। गांधीजी के सिद्धान्तों को मानने वाले और कांग्रेस के भूतपूर्व विधि मंत्री, श्रीमान् खेतसिहजी भले ही इसको सपोर्ट करें लेकिन हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। स्काटलैण्ड यार्ड की पुलिस ने जिस तरह से दुनियां में सबसे मोडर्न मेथर्ड अडाप्ट किए हैं उसी तरह से साइक्लोजिकल तरीके से, ड्रग वगैरह देकर अगर क्राइम डिटेक्ट किया जाता है तो इससे एफिशियेंसी भी बढ़ेगी और क्राइम भी ज्यादा डिटेक्ट होंगे। आज के समय में बाबा आदम के जमाने के थर्ड डिग्री मेथड्स को अडाप्ट नहीं कर सकते।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति : अब माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री किशनसिंह भाटी : एक बात भ्रष्टाचार निरोधक सैल के बारे में कहना चाहता हूं, केवल एक मिनिट में। यह भ्रष्टाचार निरोधक सैल पुलिस में ही क्यों है ? यह पी. डब्ल्यू.डी. में क्यों नहीं है ? यह आर. एस.ई.बी. में क्यों नहीं है ? यह राजस्थान नहर और रोडवेज में क्यों नहीं हो सकता ? इस तरह के पचासों महकमे हैं जो करप्ट कहलाते हैं उनके अन्दर भी अलग-अलग सैल कायम किये जा सकते हैं। इसके लिए अगर दो-चार आफिसर बढ़ाने भी पड़ें तो यह प्रान्त के और देश के हित में होगा।

जहां तक गुण्डा एलीमेंट का सवाल है, जरायमपेशा लोगों का सवाल है, पुलिस को उनके फोटोज, उनके नाम, सार्वजनिक स्थानों पर डिसप्ले करने चाहिए, उनके फोटो हर पुलिस स्टेशन, रेल्वे स्टेशन और सिनेमा घरों पर डिसप्ले किये जायं ताकि लोग उनको डिटेक्ट कर सकें और एण्टी सोशल लोगों को दण्ड मिल सके। उनको जोधपुर, जयपुर जैसी बड़ी-बड़ी जेलों में नहीं रखा जाय बल्कि जैसलमेर बाड़मेर जैसे जिलों में रखा जाय, खुले जंगलों में रखा जाय तो वे अपने आप ही ठीक हो जायेंगे, दूसरे लोगों को बिगाड़ नहीं सकेंगे और जो आर्गेनाइज्ड क्लिक है, जो लाखों लोगों की, शहर की जनसंख्या में से कई लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं, उन पर भी रोक लगेगी, क्राइम कम होंगे और आपको भी इससे फायदा होगा। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं।

एक बात मैं विधान सभा के प्रहरियों के बारे में भी कहना चाहता हूं। इस बात को यहां पर कई माननीय सदस्यों ने कहा है। हम भी यह महसूस करते हैं कि उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स मिलना चाहिए।

इसके अलावा जे.पी. के बारे में जो शब्द यहां पर कहे गए हैं, उनके नाम पर जो लॉ तोड़ने की बात कही गई है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि गांधीजी ने अगर लॉ तोड़ा हो तो जे.पी. ने भी लॉ तोड़ा है। जो बात गांधीजी ने कही, वही बात जे.पी. ने कही है, वही बात रस्किन ने कही और वही बात वेंटेन्डरसल ने भी कही। जे.पी. ने तो अनैतिक एवं विधि विरोधी तथा विधान विरोधी आदेश न मानने की बात कही थी। इस तरह के आदेश आपातकाल में पुलिस ने माने भी थे, जिसका परिणाम देश को भुगतना ही पड़ा। यह कहा जाता है कि सीमा पर सिपाही लड़ते समय कानून को देखे तो कैसे लड़ेगा। किन्तु आन्तरिक मामलों में सिपाही अनैतिक आदेश माने ही, इस बात को मानने के लिए कोई भी सहमत नहीं होगा। जे.पी. ने यह पोलिटिकल थ्योरी के आधार पर कहा था, ऐसा हम नहीं मानते हैं।

मर्डर की संख्या प्रगति प्रतिवेदन में बतायी गयी है। जनता पार्टी के राज्य में कितने मर्डर हुए हैं ? पांच वर्ष के आंकड़े देखेंगे तो सब से ज्यादा कांग्रेस राज्य में हुए हैं। जनता पार्टी को इसके लिए बधाई देता हुआ, सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इतना समय दिया।

श्री सभापति : श्री रामकिशोर मीणा।

श्री राम किशोर मीणा (सिकराय) : सभापति महोदय, लोकतांत्रिक राज्य का, जनतांत्रिक प्रणाली वाले देश का यह परम कर्तव्य है कि जनहित के अन्तर्गत लोगों की

Page No 201

(201)

(श्री राम किशोर मीणा)

सुरक्षा के लिए उसका प्रशासन काम करे और उनकी हर तरह से सुरक्षा करे। जब हम पुलिस प्रशासन पर बहस करते हैं, उसकी खामियां ढूंढते हैं तो ग्राम राय यह है कि ग्राज पुलिस में भ्रष्टाचार व्याप्त है, लेकिन उस भ्रष्टाचार को जब तक...

श्री सभापति : एक मिनट। मैं यह निवेदन करूंगा कि अधिकतर माननीय सदस्य रिपीटिशन कर रहे हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि रिपीटिशन न करें ग्रौर जो नए पाइन्ट हों उनको ही प्रस्तुत करें।

श्री राम किशोर मीणा : पुलिस के ग्रन्दर जो भ्रष्टाचार है, जब तक उसकी गहराई में जाकर उसको जो मूल खामियां हैं, उनको नहीं ढूंढा जाएगा तब तक उसको दूर नहीं किया जा सकता है। मेरा यह विनम्र निवेदन है कि जिनको वेतन कम मिलता है, जिनको छुट्टी कम मिलती है ग्रौर 24 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, जैसे विधान सभा के प्रहरी हैं वह सुबह 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ड्यूटी पर रहते हैं, उनसे यह ग्राशा नहीं की जा सकती है कि वे ग्रच्छी तरह से ड्यूटी दें। इसके लिए मैंने पिछले सत्र में भी निवेदन किया था ग्रौर गृह मंत्री द्वारा यहां पर घोषणा की गई थी। उस घोषणा को ग्रविलम्ब इस सत्र के दौरान लागू किया जाए ग्रौर इनको हार्ड ड्यूटी ग्रलाउंस दिया जाए।

मेरे-क्षेत्र में भ्रष्टाचार है, उसका एक उदाहरण पेश करूंगा। मंगलाल शर्मा, हैड कान्सटेबल है। उस के बारे में 6 महीने के ग्रन्दर दो रेप केसेज की शिकायत की गई। एस.पी. साहब को कह दिया। बाद में पता लगा कि वह डी.ग्राई.जी. का ग्रादमी है, इस कारण कुछ नहीं हुग्रा। गृह मंत्री महोदय से भी ग्रादेश कराया लेकिन ग्राज तक उसकी कोई इन्क्वायरी नहीं हुई। हैड कांसटेबल ने रेप किया है। उसके दो केसेज हैं। उसके बारे में कह चुका हूं, एस.पी. साहब से कह चुका हूं, उन्होंने कहा मार्च तक जवाब दे दूंगा लेकिन ग्राज तक उनका कोई जवाब प्राप्त नहीं हुग्रा है। जो शिकायत की जाए, उस पर कार्यवाही की जाए ग्रौर जल्दी से जल्दी कार्यवाही की जाय। राज्य सरकार से यह भी विनम्र निवेदन करूंगा कि घोषणा की जाय ग्रौर जो भी घोषणा की जाय उस का तत्परता से पालन कराया जाए ताकि घोषणा को ग्रादर, सत्कार मिले ग्रौर जनता को स्वच्छ प्रशासन मिले।

सिकराय में चार थाने हैं। तहसील एक है। मैं इस बारे में पिछली बार भी विधान सभा में बोला था। जो पुलिस थाने हैं उनका पुनर्गठन किया जाए। एक केस ग्राता है तो दूसरे थाने पर डाल देते हैं। कोई उस पर एक्शन नहीं लेता है। मैं यह गुजारिश करूंगा कि वहां पर दो थाने कायम किए जायें ग्रौर उन पर जिम्मेदारी डाली जाये ताकि वे तत्परता से काम करें।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट सी.ग्राई.डी. ग्रौर राजस्थान सी.ग्राई.डी. ये जो दोनों ग्रलग-ग्रलग डिपार्टमेन्ट हैं, इसको एक किया जाए ताकि प्रमोशन का प्रोसेस ग्रागे बढ़े ग्रौर सबको लाभ मिले।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री सुखलाल सेंणचा।

(ग्रनुपस्थित)

श्री गोविन्द सिंह शक्तावत।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत (कुम्भलगढ़) : सभापति महोदय, मैं उन बातों की पुनरावृत्ति यहां पर नहीं करना चाहता हूं जो कि पहले कही जा चुकी हैं . . .

श्री सभापति : बड़ी कृपा होगी।

श्री गोविन्दसिंह शक्तावत : मैं अपने क्षेत्र के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। दो तहसीलें हैं जिनमें 325 गांव हैं। तीस वर्ष तक यह आशा रखी कि वहां के गरीब किसानों को सस्ता, सुलभ न्याय मिल सकेगा। आज भी वहां के गरीब लोग इसी आशा पर जीवित हैं। कुछ ऐसी बातें हैं उस क्षेत्र की, जिनके बारे में, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा। वह ऐसा घनघोर पहाड़ी इलाका है कि वहां पर यातायात के कोई साधन नहीं हैं। गांव के लोगों को जब न्याय के लिए दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है, तो उनके चार दिन खराब हो जाते हैं। उनके जीवन यापन की भी कोई सुविधा वहां पर नहीं है। सभापति महोदय, फिर उनको किस प्रकार से सुलभ और सस्ता न्याय मिल सकता है। मेरा यह निवेदन है इस पहाड़ी इलाके के लिये मोबाइल कोर्ट लगायी जाए, चाहे वह दस दिन, सप्ताह भर वहां रहे, मेरा यह पुरजोर निवेदन है। इन दो तहसीलों को अभी तक किसी प्रकार से सुलभ, सस्ता न्याय नहीं मिल सका है। कई बार एस.डी.ओ. को 200, 300, 400 केसेज एक दिन में निपटाने पड़ते हैं। जो केसेज एक महीने में निपट सकते हैं, उनको एक दिन में पूरा किया जाता है। यह ऐसा घनघोर इलाका है। इसकी एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर पोस्टमैन की साइकिल चोरी हो गई। इस केस में चार मुलजिमों को पकड़ा गया और उनमें सोमला भील की इतनी पिटाई हुई कि पिटाई के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने मेरे क्षेत्र में, घनघोर पहाड़ी इलाके के एक छोटे तालाब के अन्दर उसकी लाश को डाल दिया। उसका मुंह जला दिया था। उसके बाद दो पुलिस अधिकारी एक जीप में दौरा करके वहां पर पहुंचे। एक भीम के मार्ग से और दूसरा केलवाड़ा के मार्ग से और वह लाश बरामद की। चारभुजा के थानेदार ने उसकी तफतीश की है। उस लाश का पोस्ट मार्टम भी कराया गया। उसके बाद 14 अप्रेल, 1976 को उस लाश को जला दिया गया। उसके बाद उस केस की बात आगे चली और उस सोमला भील के काका का बयान लिया गया। उसका यह बयान लिखा कि मजदूरी के लिए वे दोनों गये थे। वह तो तुरन्त लौट आया और सोमला आज तक नहीं लौटा है। यह सही दृष्टांत मैं सदन को बता रहा हूं। फिर गरीब लोगों को सस्ता, सुलभ न्याय किस प्रकार का मिल रहा है? यहां राजस्थान में 598 पुलिस स्टेशन हैं और 96 ऐसे थाने हैं जैसे केलवाड़ा, कुम्भलगढ़ के थाने हैं। पुलिस स्टेशन पर कोई लाइट नहीं है, फोन नहीं है। जो अपराध वहां पर हो रहे हैं, बिना साधन के पुलिस उनको किस प्रकार पकड़ सकती है। उस क्षेत्र की प्राकृतिक परिस्थिति को देखते हुए मैं यह निवेदन करूंगा कि वहां पर पुलिस अधिकारियों को, थानों को सुविधायें दी जाएं ताकि वहां के नागरिकों को सस्ता, सुलभ न्याय मिल सके। आशा है इसके लिए प्रयत्न किया जाएगा।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण।

(अनुपस्थित)

(श्री सभापति)

श्री राम रघुनाथ !

श्री राम रघुनाथ (डेगाना) : माननीय सभापति महोदय, ग्रभी तक किसी भी माननीय सदस्य ने यातायात व्यवस्था पर नहीं कहा है; ग्रत: यातायात के बारे में निवेदन करूंगा । ग्राप खुद भी जानते हैं ग्रौर ग्राये दिन देखते हैं कि शहरों में यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : यातायात की मांगें ग्रागे ग्रायेंगी ।

श्री सभापति : यह ट्रेफिक के मामले में बोल रहे हैं ।

एक माननीय सदस्य : यह ग्रपोजीशन में हैं, पता नहीं क्या बोलें ।

श्री राम रघुनाथ : ग्रभी कुछ दिन पहले यातायात कन्ट्रोल सप्ताह मनाया गया था । उसमें यही बताया गया था कि साइकिल कहां चलाते हैं, मोटरगाड़ी कहां चलाते हैं, ग्रादि । पर फिर भी हर पटरी पर चलने वाला सड़क पर नजर ग्राता है । साइकिल पर चलने वाला ग्रादमी बीच सड़क पर साइकिल चलाता नजर ग्राता है । ऐसा लगता है कि ग्रगर यही हाल रहा तो या तो कार-मोटरें बन्द ही करनी पड़ेंगी या फिर रोज सैकड़ों एक्सीडेन्ट होने लगेंगे । पटरियों पर दुकानें खुलने लगी हैं, नाजायज कब्जे होने लगे हैं । क्या यही है ग्रापकी ट्रेफिक व्यवस्था ? यह एक बहुत गम्भीर विषय है । इसलिए ग्रापको ट्रेफिक व्यवस्था पर गम्भीरता से सोचना पड़ेगा । मैंने यह भी देखा है कि ट्रेफिक वाले जो कान्स्टेबल, हैड कान्स्टेबल हैं, जिनको कि ड्यूटी शहर में ट्रेफिक व्यवस्था करना है वे लोग शाम को या रात्रि को शहर के बाहर किसी सड़क पर चले जाते हैं । वहां से निकलने वाले हर ट्रक को रोक कर पैसा वसूल करते हैं । मुझे कई बार ग्रजमेर से जयपुर ट्रकों से ग्राने का ग्रवसर मिला, क्योंकि रात्रि को 9 बजे बाद बस नहीं मिलती । माननीय, हर बार मैंने यह देखा कि जयपुर व ग्रजमेर के बीच कहीं न कहीं ट्रेफिक वाले खड़े रहते हैं, कई बार तो दो-दो जगह खड़े रहते हैं, क्योंकि इस होड़ में पुलिस थाने वाले भी पीछे नहीं रहना चाहते । वे कागजों के गलत होने, चालान करने के नाम से धमकाकर पैसे वसूल करते हैं । मैंने एक बार ट्रक वाले को टोका तो कहने लगा ग्राप तो ग्राज साथ हैं फिर कल हमारा क्या होगा । कल दुगुना जुर्माना दें उससे तो ग्रभी देना ग्रधिक ग्रच्छा है । कृपया ग्राप न बोलें । मैं हैरान था, उस ट्रक वाले ने एक दस रुपये का नोट दिया बस उस ट्रक के सब कागज ठीक हो गये । माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा, यह एक गहन विचारणीय विषय है ।

दूसरी बात जो एक भ्रष्टाचार की जीती-जागती एग्जाम्पल है, थानों को ठेकेदारी है, वह ठेकेदारी स्वाभाविक भी है ।

श्री बजरंगलाल शर्मा : मैंने तो ठेके पर देने का सुझाव दिया है । लेकिन ठेका देगा कौन ?

श्री राम रघुनाथ : मैं निवेदन कर रहा हूं, ग्रापको बीच में रखा जावेगा ।

श्री सभापति : ग्रापके ठेके की प्राब्लम कुछ ग्रौर होगी ।

श्री राम रघुनाथ : सभापति महोदय, एक सब-इन्सपैक्टर है । उनके बारे में गृह

(श्री राम रघुनाथ)

मंत्रीजी को मैंने डी.ओ. लिखकर निवेदन किया था कि ये इस थाने में आगे रह चुके हैं। वे उस समय भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। अतः ऐसे थानेदार को पुनः वहां न लगाया जावे। मुझे गृह मंत्रीजी ने विश्वास दिलाया कि स्थानान्तरण कर दिया जायेगा। लेकिन एस.आई. का स्थानान्तरण नहीं हुआ। मैं पुनः मंत्री महोदय से माह अक्टूबर में मिला व एक डी.ओ. लिखा। गृह मंत्रीजी ने आदेश कर दिए तथा स्थानान्तरण कर दिया, पर थानेदारजी वहां से नहीं गए। मुझे बाद में जानकारी मिली कि जनता पार्टी के ग्राम इकवा निवासी एक नवयुवक कार्यकर्ता ने उन थानेदारजी का जयपुर आकर स्थानान्तरण रुकवा दिया तथा थानेदारजी से यह सौदा तय किया गया कि थाने में सारे कार्य उनके कहे अनुसार किए जायेंगे। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। नवम्बर माह में, मैं पुनः गृह मंत्रीजी से मिला। उन्होंने स्पष्ट तौर से तो कुछ नहीं कहा पर जो कुछ कहा उससे यह जाहिर था कि यह उनके बस का काम नहीं है। मैं समझ गया कि इसमें राजनीति फंस गई है। जनता पार्टी का स्तर इतना गिर चुका है। अतः मैंने फिर उस बात को नहीं दोहराया हालांकि मंत्रीजी के उस आदेश की प्रतिलिपि मेरे पास है जिससे उन्होंने स्थानान्तरण किया था पर पुलिस विभाग ने अमान्य कर दिया।

माननीय, उसके एक-दो माह बाद उस थाने में एक घटना घटी। उस थाने के अन्तर्गत एक चोरी हो गई। थानेदारजी उस चोर को, जो साजू गांव का था, पकड़ कर लाए और जेल में बन्द कर दिया। शाम को वह नवयुवक नेता आए। उस समय थानेदारजी थाने में नहीं थे। वह थाने की जेल खोलकर चोरी के मुलजिम को निकालकर अपने गांव इकवा ले गए ताकि उस मुलजिम से सौदा किया जा सके एवं दिखाया जा सके कि वह कार्यकर्ता कितना असरदार है। जब वह थानेदार वापस आए तो उन्होंने उस कार्यकर्ता से कहा कि मुलजिम को जेल से निकाल कर ले गए, यह ठीक नहीं किया है। तो उसने कहा कि मैंने तुमको इस थाने में यह कहने को नहीं रखा है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं तुमको नहीं रहने दूंगा। उसके महीने भर के अन्दर उन महानुभाव ने उसका ट्रान्सफर करा दिया। भ्रष्टाचार की सीमा इससे अधिक क्या हो सकती है कि चोरी करने वाले को थाने में घुसकर जेल से निकालकर ले जायें और थानेदार पुलिस के यह कहने पर कि इस तरह की हरकत ठीक नहीं, उसको स्थानान्तरण की धमकी दी जाये और हटवा दिया जाय। यह है हाल आपके पुलिस प्रशासन का, पुलिस थानों के ठेके व ठेकेदारों का।

सभापति महोदय, मैं अब कुछ जुडिशियरी के भ्रष्टाचार के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। आपने सुना होगा किन कारणों से, किस तरह से मित्रुका, सैशन जज साहब को सस्पैण्ड किया गया। मैं यह जानता हूं कि हमारे यहां के एक माननीय नेता ने उन्हें मजबूर किया था कि वह गृह मंत्री को पत्र लिखें। यह उन्होंने इसलिए किया, क्योंकि उनका हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया था। श्री मित्रुका अपना ट्रांसफर रद्द कराना चाहते थे जिसके लिए राज्य सरकार ने हाई कोर्ट को पत्र लिखा था कि इनका स्थानान्तरण न किया जावे। उस अहसान के बदले श्री मित्रुका से गृह मंत्रीजी, भारत सरकार को यह पत्र लिखवाया। उन्होंने पत्र लिखा कि जुडिशियरी में भ्रष्टा-

(श्री राम रघुनाथ)

चार व्याप्त है, इसकी जांच की जाय। भारत के गृह मंत्रीजी ने वह पत्र राजस्थान के मुख्यमंत्रीजी के पास भेजा। माननीय, मेरे पास इसका सबूत था, किस तारीख को भेजा गया था, वह पत्र मैं ला नहीं सका, भूल गया। मुख्यमंत्रीजी ने उस पत्र को हाई कोर्ट को भेज दिया जिस पर गुस्सा खाकर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने श्री मितुका को निलम्बित कर दिया। श्री मितुका का मामला आप जानते हैं। उन्हें इस अपराध से मुक्त कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें गलत निलम्बित किया गया था। पर उस पत्र से हाई कोर्ट के जज तक घबरा गए और नतीजा जो निकला उसकी वास्तविकता को सब जानते हैं। उन दिनों में खयाल होगा कि एक यूनिवर्सिटी के लड़कों का मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा था। यह कहा गया कि ×××सभापति महोदय, बिल्कुल वही बात हुई।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय, इस प्रकार का नियम न तो लोकसभा में है और न विधान सभा में ही है। ऐसे प्रश्न नहीं उठाये जा सकते हैं। सभापति महोदय, यह जो कहा गया है इसको कार्यवाही से एक्सपंज किया जाये।

श्री राम रघुनाथ : ऐसी मैंने कोई बात नहीं कही है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : कहने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है।

श्री राम रघुनाथ : इस पर सदन में चर्चा हो चुकी है।

श्री नवनीत पालीवाल : सभापति महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री राम रघुनाथ : यह भ्रष्टाचार के बारे में कोई भी आला अफसर हो, किसी भी पद पर हो, चाहे सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मजिस्ट्रेट या जज हो, अगर उसे यह लालच हो जावे कि राज्य सरकार के राजनैतिक कार्य करने से लाभान्वित होगा, तो वह अपनी जगह पर ईमानदारी से न्याय नहीं कर सकता और इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा व बढ़ावा मिलेगा।

श्री बजरंगलाल शर्मा : सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज का सुपरसैशन हुआ तो लोकसभा की कार्यवाही में डिस्कस हुआ है। वह प्रोसीडिंग्स मौजूद हैं। कोई केजुअल रेफरेंस हुआ है, तो वह एक्सपंज जैसा नहीं हुआ है।

श्री किशनसिंह भाटी : फिर भी, सभापति महोदय, यह नहीं बोलना चाहिए। जुडिशियरी के बारे में रेस्टरेण्ट बरतना चाहिए। कुछ भी हुआ हो। एक ही तो ऐसी श्रेष्ठ संस्था है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य, बजरंगलालजी ने जो प्रश्न उठाया है, वह नीतिगत प्रश्न है। आप प्रश्न उठा रहे हैं, एक न्यायाधीश के व्यक्तिगत स्थानान्तरण के बारे में। जैसा भी आप उचित समझें। आप चैयर पर विराजमान हैं।

श्री राम रघुनाथ : सभापति महोदय, इस बात को इस तरह से निवेदन कर दूं कि. . . .

श्री नवनीत पालीवाल : ×××

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री सभापति : यदि ऐसा है. . .

श्री राम रघुनाथ : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जजेज को यह प्रट्रेक्शन रहा तो भ्रष्टाचार बढ़ने की शंका है । कोई भी आदमी यह सोचेगा कि मैं रिटायर होने वाला हूं, राज्य सरकार कहे वैसा करता रहूं तो राज्य सरकार रिटायर होने के बाद भी एम्पलोयमेंट दे देगी ।

श्री किशनसिंह भाटी : जनरल वे में कह सकते हैं ।

श्री राम रघुनाथ : मैं जनरल ही कह रहा हूं ।

श्री नवनीत पालीवाल : मैं इस बारे में, सभापति महोदय, आपकी व्यवस्था चाहूंगा ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य यह देखना पड़ेगा कि माननीय सदस्य की क्या मंशा थी । यदि किसी व्यक्ति पर आक्षेप होता है तो उसको देख लिया जायगा और उसके बाद निर्णय लिया जायगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसमें तो तुरन्त-फुरन्त व्यवस्था होनी चाहिए ।

श्री पुरुषोत्तम मंत्री (राजस्व मंत्री) : रिकार्ड का मुलाहिजा करके देख लिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : जिस जजमेंट के रेफरेंस में बात कह रहे हैं वह अपील में सुप्रीम कोर्ट में पैण्डिंग है । उस पर यहां कमेन्ट कर नहीं सकते । He is making additional grounds.

श्री सभापति : मैं प्रेस के रिपोर्टरों से निवेदन करूंगा कि वे इस बात को प्रेस में रिपोर्ट नहीं करें ।

माननीय श्री भूरालाल ?

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रघुनन्दन व्यास !

श्री रघुनन्दन व्यास (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, 144 नम्बर पर मैं बोल रहा हूं । समय बहुत हो गया है ।

श्री सभापति : इसलिए संक्षेप में ।

श्री रघुनन्दन व्यास : दो-चार बातें प्रमुख रूप में कहना चाहता हूं । हमारे विधान सभा के जो प्रहरी घूम रहे हैं.....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : यह तो हो चुका है ।

श्री किशनसिंह भाटी : यह तो हो गया ।

श्री रघुनन्दन व्यास : यह कहां . . .

श्री सभापति : व्यवधान न डालें, बोलने दें ।

श्री रघुनन्दन व्यास : ये कहां रहते हैं, तीस साल से इनके लिये विचार नहीं किया गया । इसलिए यदि हमको विधान सभा में इस पद्धति को कायम रखना है तो प्रान्त के विभिन्न स्थानों से आने वाले प्रहरियों के लिये एक स्थाई होस्टल की व्यवस्था करनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ उनको भत्ता दिया जाना चाहिए अन्यथा यह क्रूरता है । इस पर पूरे सदन को पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए । मेरे कटौती प्रस्ताव में यही है कि हम मानवता में विश्वास करते हैं तो इसके बारे में हमको

(श्री रघुनन्दन व्यास)

विचार करना पड़ेगा और नहीं करते हैं तो इसका मतलब है, हम केवल क्रूरता की दृष्टि से ही सोचते हैं। अगर क्रूरता की दृष्टि से नहीं सोचते हैं तो जिस चीज पर तीस वर्षों से चिन्तन नहीं हुआ उस पर विचार करना चाहिए और उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

दूसरी बात मैं पुलिस स्टेशनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मैं जिस जिले से आता हूं, जालौर और सिरोही में ऐसे स्टेशन हैं, कालिंदरी और रोहिल्ला जिनमें किसी भी समय में जैसी घटना आमेर में हुई वैसी घट सकती है। उनकी छतों की मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं है। एक तरफ यह हालत है और दूसरी ओर इस पुस्तक में यह कहा गया है कि भारत सरकार से पुलिस विभाग को 3 करोड़ 89 लाख और 76 हजार रुपये का कर्जा प्राप्त हुआ है। यह कर्जा किस लिये है? केवल ब्याज खाने के लिये है? ब्याज खाने के लिये अगर नहीं है तो सारे पैसे का उपयोग होना चाहिए। इसमें यह कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता कि इन पैसों का उपयोग करने की कोई मंशा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस स्टेशन के भवनों के बारे में उचित व्यवस्था की जावे।

तीसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस लाइन, सांचोर में 11 तारीख को साढ़े सतरह किलो अफीम पकड़ी गई और बताई गई केवल ढाई किलो। जिन आदमियों को पकड़ा गया उनको छोड़ दिया गया और तीसरे आदमी को पकड़ लिया। तेरह लोगों से 57 हजार रुपये की रिश्वत ली। जालौर में जो मौजूदा एस.पी. हैं उनको कहा गया, फिर भी न मालूम क्यों जो घटना घटी उसके बारे में जांच नहीं की जाती है। मैं कहूंगा कि जो ठेकेदारी की प्रथा जालौर और सिरोही थाने में है उसके कारण एक-एक थाने में पांच-पांच दलाल हैं; वह एक आतंक का क्षेत्र बन गया है। जालौर जिला और सिरोही जिला का आधा भाग आज के मौजूदा राजस्थान से सैकड़ों वर्ष पीछे है। वहां पर रूढ़िवाद और आतंकवाद चरम सीमा पर है। मेरा निवेदन है कि गृह मंत्रीजी को पूर्ण रूप से विचार करना चाहिए अन्यथा जो प्रजातन्त्र की बात करते हैं, वह वहां पर स्थापित कर सकेंगे या क्या हम स्थापित कर सके हैं, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके बारे में विचार करना चाहिए।

बहुत समय हो गया है, किन्तु एक बात और निवेदन करना चाहूंगा। पुलिस में बड़ी पुरानी प्रथा है कि छोटे कर्मचारियों को विक्टिमाइज किया जाता है। कान्स्टेबल को हैड कान्स्टेबल बनने के लिये पैसा चाहिए, क्लर्क को यू.डी.सी. बनने के लिये पैसा चाहिए, यू.डी.सी. को और कुछ बनना है तो पैसा चाहिए। जब तक पैसा नहीं दो तो काम नहीं हो सकता। डी.एस.पी. और एस.पी. के प्रमोशन के झगड़े हैं। हर जिले में पचास और सौ ऐसे मामले मिलेंगे। इस कारण लोग दुखी और संतप्त हैं। इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं और सुनने वाला नहीं है। उनकी कोई यूनियन नहीं है। उनके बारे में किसी प्रकार का विचार भी नहीं किया जाता। यह कोई न्याय की बात नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान सरकार यदि पूरे पुलिस प्रशासन के ढांचे में परिवर्तन लाना चाहती है तो विधायकों की एक समिति बनायी जानी

(श्री रघुनन्दन व्यास)

चाहिए। वह एक-एक क्लाज को देखे और समझे तथा जो पन्द्रह-बीस वर्षों से क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है उसके जिलेवार आंकड़े लेकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करें तब तो मैं समझता हूं कि ठीक है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। यही मेरा कटौती प्रस्ताव है, इस पर विचार होना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रामसिंह विश्नोई !

श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : सभापति महोदय, जनता सरकार से यह अपेक्षा करती है कि न्याय प्रशासन स्वच्छ हो, पुलिस व्यवस्था ठीक हो और जनता को सुलभ और सस्ता न्याय मिले। लेकिन, मान्यवर, जिस समाज के अन्दर गरीबी हो, जहां न्यायपालकों और पुलिस के अधिकारियों को अपना जीवन स्तर बनाये रखने के लिये भरपूर पैसा नहीं मिले, वहां समाज उनसे स्वच्छ और व्यवस्थित प्रशासन की उम्मीद करे, यह कदापि हो नहीं सकता। आदरणीय सभापतिजी, मारवाड़ी में एक कहानी है, गांव के अन्दर एक सेठ और चौधरी के बीच में मुकदमा चल रहा था।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : फैक्ट्स कह दीजिये, कहानी तो याद में हो जायगी।

सेठ साहब ने हाकिम साहब से मिलकर फैसला अपने पक्ष में कराने के लिए, अपनी पगड़ी की लाज रखने के लिए बात की। चौधरी साहब श्योपतसिंह की तरह होशियार थे। उन्होंने उनसे बात कर ली। जो फैसला हाकिम साहब ने किया वह चौधरी साहब के पक्ष में कर दिया। सेठ साहब की पगड़ी की लाज नहीं रखी। सेठ साहब उनसे मिले और कहा कि आपने मेरी पगड़ी की लाज नहीं रखी। तो हाकिम साहब ने कहा कि तेरी पगड़ी चौधरी साहब की भैंस चर गई। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जहां दोनों तरफ लूट मची हो, दोनों पार्टीज से जहां पैसा लेते हों, समाज के अन्दर राजनेता से लेकर बड़े अधिकारियों तक पैसा लेते हों, वहां न्याय प्रशासन ईमानदारी से स्वच्छ प्रशासन दे, शीघ्र न्याय दे, यह सम्भव प्रतीत नहीं होता। मौजूदा हालात के अन्दर मैं चाहूंगा कि जनता को सुलभ, सस्ता और जल्दी न्याय मिले, इसके लिए यह क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा कि एफ. आई. आर. बनने से 15 दिन के अन्दर चालान पेश हो, 6 महीने के अन्दर जिस अदालत में मुकदमा गया हो, वहां फैसला हो। यह सम्भव आज तो प्रतीत नहीं होता, लेकिन जब तक इतना शीघ्र एक महीने व 6 महीने के बीच में मुस्तगिश व मुलजिम को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कदापि किसी भी व्यक्ति या समाज द्वारा सरकार से सुलभ और सस्ते न्याय की अपेक्षा करना सम्भव नहीं है।

मान्यवर, यदि थाने में टेलीफोन न हो, व्हिकल की सुविधा न हो, 100-150 मील पर थानेदार की व्यवस्था न हो, तो न्याय मिलना संभव प्रतीत नहीं होता। इसलिए जब तक आधुनिक ढंग से थानों को सुसज्जित नहीं किया जाएगा तब तक समाज में न्याय मिलने की जो बात है वास्तव में वह पूरी नहीं होगी, एक साल में भी न्याय जनता को नहीं मिल सकेगा।

श्री सभापति : मेजर फतह सिंह।

मेजर श्री फतहसिंह : मुझे समय कितना देते हैं ?

श्री सभापति : जितना चाहें बोल सकते हैं ।

मेजर श्री फतहसिंह : श्रीमान, कहा है पुण्य करें कहिए नहीं पाप करें प्रकाश। इसलिए इस सदन के माननीय सदस्यों ने अच्छा ही किया कि प्रशासन व पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर इस सदन व सरकार का ध्यान आकर्षित किया । हमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर संघर्ष करना है और करते रहना चाहिए । मैं भी एक घटना की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । यद्यपि उसका मैंने पिछले बजट अधिवेशन में भी जिक्र किया था फिर भी सरकार जागरुक नहीं हुई, प्रशासन ने कोई कार्यवाही नहीं की । कल-परसों सदन में यह चर्चा हुई थी और बताया गया था कि सरकार के नियंत्रण में जो एडवर्ड मिल ब्यावर में चल रही है, उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है और उसमें जनता के पैसे का बड़ा दुरुपयोग किया जा रहा है । मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं । 4 जून, 1977 को ब्यावर की एडवर्ड मिल से जनरल मैनेजर के आदेश से 20 किलो रूई मुंसिफ मजिस्ट्रेट, ब्यावर के इस्तेमाल के लिए बाहर निकली । क्लर्क ने एक स्लिप पर लिखा :

"Kindly receive the cotton and sign the slip."

मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने उस स्लिप पर रिसीव करने के हस्ताक्षर कर दिए जिसकी फोटो-स्टेट कापी मेरे पास में है । जिस इन्वाइस के अन्तर्गत यह 20 किलो रूई बाहर निकली उसकी कीमत थी 114.93 रुपये । इसमें लिखा है कि जनरल मैनेजर के आदेश से यह बाहर जा रहे हैं । 114.93 रुपये मिल अकाउंट में डेबिट किए गये । 20 किलो रूई आउटवर्ड गेट पास नं. 429 के जरिए बाहर गई । इसकी ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य, श्री उगमराज मेहता ने भी तत्कालीन गृह मंत्री को लिखित में रिपोर्ट दी । गृह मंत्री ने वह रिपोर्ट एस. पी., अजमेर को एन्डोर्स की कि वह उसकी जांच करें । एस. पी., अजमेर ने किन्हीं कारणों से कह दिया कि किसी दूसरे से जांच करायें । फिर माननीय उगमराज ने तत्कालीन गृह मंत्री को एप्रोच किया । उन्होंने आदेश दिया कि सी. आई. डी. जांच करे । सी. आई. डी. के इन्सपेक्टर श्री चड्ढा ब्यावर गए और उन्हीं जनरल मैनेजर और एडवर्ड मिल के रेजीडेंट डाइरेक्टर, श्री कावड़िया के मेहमान रहे । दो दिन वहां रहे । जिन लोगों के खिलाफ शिकायत थी उन्होंने उनको शराब पिलाई और न मालूम दावत में क्या-क्या दिया । इस बात की शिकायत 19 अगस्त, 1977 को एक पत्र के जरिए श्री प्रताप भानु खंडेलवाल, जो भारतीय सेवक समाज के सदस्य हैं, ईमानदार हैं, प्रोफेसर केसर को की । उन्होंने उस पत्र में ये सब बातें लिखीं कि श्री चड्ढा, इन्सपेक्टर गये, वहां पर शराब पी, मांस खाया, और उन लोगों से प्रभावित होकर उन्होंने रिपोर्ट दी है । किसी निष्पक्ष व्यक्ति से जांच करवाई जाए । उसमें हमारा इतना विश्वास नहीं है । लोग शहादत देने के लिए तैयार नहीं हैं, टेरेराइज करके, कोअर्स करके सारी इन्क्वायरी की गई है । यह पत्र आने के बाद आपने क्या कार्यवाही की, उसकी जानकारी नहीं है । मैंने भी पिछले बजट अधिवेशन में यह प्रश्न उठाया था । मैंने

(मेजर श्री फतहसिंह)

उसकी कापी आपको दी थी, लेकिन क्योंकि अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए मुझे दुबारा इस सदन के सामने आना पड़ा है। यह 20 किलो रूई का सवाल नहीं है, इसमें सिद्धांत इन्वाल्व्ड है। मुझे मालूम है, वे कहते हैं कि रूई वापस भेज दी। मैं पूछना चाहता हूं 114.93 रुपये मिल अकाउंट में डेबिट हुए, फिर रूई निकली है. मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने एकनोलेज की कि मुझे रूई मिल गई। उसके बाद क्या हेराफेरी की गई? मेरी जानकारी है कि केवल बोरा बेग ही वापस वहां पहुंचा है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत राज्य सरकार से तथा साथ में गृह मन्त्री जी से भी निवेदन करता हूं कि क्या जो जांच भूतपूर्व गृह मन्त्री, प्रोफेसर केदार, जो कि एक सन्त पुरुष हैं, ने करवायी थी और जिस ऑफिसर ने जांच की थी उसको रद्द करते हुए नये गृह मन्त्री जी उस केस को वापस निष्पक्ष जांच किसी ईमानदार और निष्पक्ष अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे? सभापति महोदय, मैं नहीं समझता कि सारे पुलिस प्रशासन में सभी अधिकारी भ्रष्ट हैं। कोई न कोई तो निष्पक्ष और ईमानदारी से जांच करने वाला मिलेगा। मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई एस. पी. रैंक के अधिकारी से इस केस की जांच कराई जावे और दोषी अधिकारियों, जिन्होंने कि एडवर्ड मिल में गड़बड़ की, के विरुद्ध कार्यवाही की जाय, नहीं तो जनता में हमने जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की घोषणा की थी वह घोषणा ही रह जावेगी और जनता में जनता पार्टी के प्रति जो भ्रष्टाचार समाप्त करने की धारणा है वह समाप्त हो जायेगी।

(व्यवधान)

श्री बजरंगलाल शर्मा : क्या नये गृह मन्त्री जी सन्त नहीं हैं?

मेजर श्री फतेहसिंह : अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : आपने पहले वाले गृह मन्त्री जी को सन्त कहा है, इसलिए पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बीच में इन्ट्रप्शन नहीं करें।

मेजर श्री फतहसिंह : सभापति महोदय, इसके लिये मैं गृह मन्त्री जी से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ में शिकायत की गयी थी उस व्यक्ति ने हमारे सदन के माननीय सदस्य, श्री उगमराजजी मेहता और श्री करण शारदा, सांसद के खिलाफ में ब्यावर में मानहानि का दावा कर दिया है। इसके साथ साथ में दूसरी बात यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एडवर्ड मिल के जो जनरल मैनेजर हैं और दूसरे व्यक्तियों, जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जानी है, की इन्क्वायरी करने जो भी व्यक्ति यहां से जावे वह जाकर एडवर्ड मिल के जनरल मैनेजर और दूसरे अधिकारियों से नहीं मिले। आप उस इन्क्वायरी ऑफिसर से यह कह दें कि वह जाकर श्री उगमराजजी से मिले या भानुप्रतापजी से मिले। सभापति महोदय, जनता पार्टी की सरकार ने संकल्प किया है कि हम जनता को शुद्ध प्रशासन देंगे। हमने जनता के सामने यह संकल्प किया है कि हम भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे।

(मेजर श्री फतहसिंह)

सभापति महोदय, मैं यहां पर स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना कठिन कार्य है, लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है। काम चाहे कितना ही कठिन हो, अगर हम दृढ़ता से, ईमानदारी से भ्रष्टाचार को समाप्त करने की कोशिश करेंगे तो उसको हम खतम करके रहेंगे। सभापति महोदय, जब मैं यह बात सोचता हूं तो मुझे महाभारत की बात याद आ जाती है। महाभारत युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रथ में बैठाकर कौरवों और पांडवों की सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। उस वक्त अर्जुन ने जब दोनों तरफ की सेनाओं को देखा तो युद्ध के मैदान में अपने प्रियजनों को देख कर उसका हृदय विचलित होने लगा। उन्होंने भगवान कृष्ण को युद्ध करने से इन्कार कर दिया। उस वक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन!

"तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी।

निज धर्म खो अपकीर्ति लोगे और भोगे पाप भी।"

कहने का मतलब यह है, श्रीमान्, हमने भ्रष्टाचार को समाप्त करने का संकल्प लिया है फिर चाहे कोई हो भ्रष्ट अधिकारी हो हमें उसके खिलाफ में कार्यवाही करनी है। सभापति महोदय, मैं सदन के माननीय सदस्यों से, चाहे वह इस ओर बैठे हों, चाहे वह उस ओर बैठे हों, यह निवेदन करूंगा कि हमें भ्रष्टाचार उन्मूलन के कार्य को सम्पूर्ण करना है। यह चाहे जितना कठिन कार्य हो, हमें आगे बढ़ना है, घबराना नहीं है।

बस इतनी ही बात कह कर मैं अपने कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : सभापति महोदय, अभी सदन में माननीय सदस्य, श्री फतहसिंहजी ने एक मामला सदन के सामने रखा है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : पहले भी रखा था।

श्री सम्पतराम : मेरे द्वारा गृह विभाग का चार्ज लेने के बाद आज रखा है। सभापति महोदय, मेरा पुलिस संगठन पर विश्वास है। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस केस की तफतीश सही ढंग से, ईमानदारी और निष्पक्षता से की जावेगी। उससे माननीय सदस्यों को सन्तोष भी होगा। जिस अधिकारी ने गलत रिपोर्ट इन्क्वायरी करके डिपार्टमेंट में दी है उसके विरुद्ध अगर कोई दोष पाया जायेगा तो कार्यवाही की जावेगी।

मेजर श्री फतहसिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन गृह मंत्रीजी से और करना चाहूंगा कि जिस अधिकारी को आप इन्क्वायरी करने भेजें उनसे आप कहें कि वह अधिकारी उगमराज मेहता व भानुप्रताप से जाकर इस केस के बारे में मिले। ऐसा नहीं कि पहले की भांति वह जाकर एडवर्ड मिल के जनरल मैनेजर साहब से मिले या और वहां के अधिकारियों से मिले नहीं तो कुलड़ी में गुड़ फोड़ने वाली बात हो जायेगी और कोई सही जांच होने वाली बात नहीं होगी।

श्री सम्पतराम : फतहसिंहजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसको मैं स्वीकार करता हूं।

मेजर श्री फतहसिंह : सभापति महोदय, कोई समय सीमा भी तो होगी? कब तक जांच हो जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री सभापति : मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा, अभी जो विधि मंत्रीजी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उसके बारे में मेरी व्यवस्था इस प्रकार है:—

मैंने कार्यवाही के सम्बंधित अंश को देखा है। मेरी मान्यता है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के जिस जज के आचरण की आलोचना की गयी है वह उस जज के ऑफिशियल कर्तव्य के परिपालन के संदर्भ में की गई है। ऐसी आलोचना संविधान के अनुच्छेद 211 के अन्तर्गत निषिद्ध है। अतः मैं इन शब्दों को, ××× सदन की कार्यवाही से अपलोपित करने के आदेश देता हूं।

श्री राम रघुनाथ : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय की व्यवस्था पर कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! आर्डर प्लीज !

श्री राम रघुनाथ : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ मैंने कहा वह यह नहीं है, आप देख लीजिये। सजा दिलवाने वाली बात जो कही गयी है।

(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने उन शब्दों को सदन की कार्यवाही में से विलोपित करने के आदेश दे दिये हैं।

श्री अजीतसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री शिवचरणसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री नारायणसिंह।

(अनुपस्थित)

एक माननीय सदस्य : यह तो बोल चुके हैं। दुबारा कहां से नाम आ रहे हैं।

श्री सभापति : श्री सूरजपाल सिंह।

श्री सूरजपाल सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, सदन में न्याय प्रशासन और पुलिस विभाग की मांगों पर बहस चल रही है। इन मांगों के ऊपर मैंने अपने कटौती के प्रस्ताव सदन के समक्ष रखे हैं। सभापति महोदय, मैंने एक कटौती प्रस्ताव यह दिया है कि पुलिस विभाग में सी. आई. डी. ब्रान्च में कई ग्रेजुएट कर्मचारी हैं मगर उनको पदोन्नति के उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा,

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सूरजपाल सिंह)

कि आज पुलिस विभाग में जो सी. आई. डी. ब्रान्च है उसमें पिछले तीन-चार वर्षों से बिलकुल ही प्रमोशन नहीं हो रहे हैं। प्रमोशन नहीं मिलने के कारण लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है तथा जो लोग इस शाखा में काम करते हैं उनको काम करने में रुचि नहीं होती है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हम पुलिस में भ्रष्टाचार की बातें करते हैं वह क्यों है? उसका कारण क्या है? कारण यह है कि लोगों को उनके काम के पूरे पैसे नहीं मिलते हैं। जो सी. आई. डी. ब्रान्च के कर्मचारी हैं उनको बावजूद पढ़े-लिखे होने, पूर्ण शैक्षणिक योग्यता होने के पदोन्नति नहीं मिल रही है। सभापति महोदय, कई ग्रेजुएट्स बैठे हैं पर उनको कोई पदोन्नति नहीं मिल रही है। मेरा सरकार से आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि उनको प्रमोशन मिलना चाहिये ताकि वह लोग भी अपने प्रोफेशन में अपनी कार्य क्षमता बढ़ाने का साहस करें। इससे न केवल उनका साहस ही बढ़ेगा बल्कि वह लोग कर्तव्यपरायणता की ओर भी सजग रहेंगे। उनको कई सालों तक पदोन्नति के अवसर नहीं मिलने के कारण उनमें कर्तव्यपरायणता के प्रति शिथिलता आ गयी है। उनमें एक हीन भावना जाग्रत हो रही है।

दूसरी बात जो मैं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा वह यह है कि आज जो सुविधायें दूसरी सिविल पुलिस को मिलती हैं वह सी. आई. डी. ब्रान्च के स्टाफ को नहीं मिलती हैं। उसका कारण यह बताया जाता है कि जो लोग पुलिस लाइन्स में रहते हैं उन्हें मैस अलाउन्स मिलता है, मगर चूंकि सी. आई. डी. वाले पुलिस लाइन्स में नहीं रहते हैं, इसलिये उन्हें मैस अलाउन्स नहीं मिलता है। मेरा, सभापति महोदय, आपके माध्यम से राज्य के गृह मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि उनको भी मैस अलाउन्स दिया जाना चाहिये। सभापति महोदय, सी. आई. डी. ब्रान्च बहुत ही महत्वपूर्ण ब्रान्च है। इस ओर राज्य सरकार को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिये।

इसके साथ-साथ, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री महोदय को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारे प्रान्त में चोरियां व डकैतियां बढ़ रही हैं और दूसरे क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। जैसा कि हमारे सामने कई माननीय सदस्यों ने कहा है और आपने जो प्रगति विवरण भेजा है उसमें हमें आंकड़े देखने से पता चलता है कि जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारे यहां पर सभी तरह के क्राइम्स में बढ़ोतरी हुई है। इसलिये मेरा सुझाव है कि इस सी. आई. डी. ब्रान्च को आप सबल बनाइये। इसके स्टाफ को ज्यादा से ज्यादा माडर्न टेक्निक की ट्रेनिंग देकर अगर आप नये तरीकों से क्राइम्स की इन्वेस्टीगेशन करायेंगे तो मैं समझता हूं कि सी. आई. डी. ब्रान्च के स्टाफ से आप बहुत से क्राइम्स का पता लगवाने में सफलता हासिल कर सकेंगे। जब तक आप सी. आई. डी. ब्रान्च को ज्यादा मजबूत नहीं बनायेंगे तब तक आपको इन क्राइम्स का पता लगाने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रदेश में चोरियों और डकैतियों तथा दूसरे जुर्म को कम करने के लिये तथा पुराने क्राइम्स का पता लगाने के लिये इंटेलीजेंस की फोर्स को आपको मजबूत करना होगा व सी. आई. डी. स्टाफ के लोगों को अन्य सुविधायें भी देनी होंगी।

(श्री सूरजपाल सिंह)

उन्हें पदोन्नति के अवसर देने होंगे। कुछ स्पेशल ट्रेनिंग देनी होगी। साथ ही अन्य सुविधायें व भत्ते भी देने होंगे। ऐसा करने से हमारे यहां पर क्राइम्स में इन लोगों को मदद से कमी निश्चित रूप से आयेगी। मेरा राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि सी. आई. डी. स्टाफ को आप अच्छी सुविधाएं दीजिये या इनके वेतनमानों में भी सुधार करिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक आप क्राइम्स और भ्रष्टाचार को नहीं मिटा सकेंगे। जब आप पुलिस के लोगों को अच्छी सेलेरी नहीं देंगे तो वह अपनी जीविका चलाने के लिये आजीविका का कोई न कोई जरिया निकालने का प्रयत्न करेंगे। फलस्वरूप भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। उनको सुविधायें पूरी नहीं देने से भ्रष्टाचार अपने आप ही बढ़ेगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि उन लोगों की पे-स्केल्स हैं उनको रिवाइज करना चाहिये। अच्छी सेलेरी उनको देनी चाहिये ताकि वे भ्रष्टाचार की तरफ अग्रसर न हों।

विधान सभा सत्र में सी. आई. डी. ब्रान्च के जो व्यक्ति आते हैं उनको हार्ड ड्यूटी अलाउन्स मिलना चाहिये। मैं पुरजोर शब्दों में आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी को निवेदन करूंगा कि इनको पिछले सत्र का और इस सत्र का हार्ड ड्यूटी अलाउन्स मिलना चाहिये।

करप्शन के बारे में मेरी एक मान्यता है, जब तक आप यह कहते रहेंगे कि सरकारी कर्मचारी चोर हैं, उनमें भ्रष्टाचार व्याप्त है तब तक आप भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकेंगे। इसके साथ-साथ सदन के सब ही माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्टाचार को मिटाने का सदन के सब ही माननीय सदस्यों का दायित्व है। सब ही माननीय सदस्यों पर यह निर्भर करता है। यदि हम भी अपने करेक्टर और अपने मोरल को सुधारें, तबादलों की राजनीति से परे रहें, सरकारी कर्मचारियों को सही तरीके से अपना कर्त्तव्य निभाने दें, छोटी-छोटी बातों के लिये तबादलों के पीछे न भागें, तो भ्रष्टाचार की आज जो बात करते हैं वह नहीं रहेगी। मैं कहता हूं कि आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार में काफी राजनेताओं का हाथ है, राजनेताओं का इसमें सहयोग है। इसलिये सब ही माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि हमें अपने करेक्टर को पहले सुधारना होगा। जब तक हम अपने आपको नहीं सुधारेंगे तब तक कर्मचारियों को ही केवल भ्रष्ट कहते रहना कुछ कहना मेरे ख्याल में उचित नहीं होगा। विधायकों एवं मंत्रियों का चरित्र अगर ठीक है, अगर उनमें कोई कमी नहीं है तो मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं प्रदेश से भ्रष्टाचार खतम हो जायेगा।

श्री सभापति : श्री गुलाबचन्द कटारिया।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (उदयपुर) : माननीय सभापति महोदय, वैसे तो जिनके जिम्मे शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का कार्य है वे अपनी पूरी कोशिश करते हैं और प्रयत्न करते हैं लेकिन उनके प्रयत्नों के बावजूद पिछले एक वर्ष में उदयपुर जिले में जो चोरियां व डकैतियां हुई हैं और विशेषकर जो लोगों का कत्ल किया गया है उन सारे केसेज को देखने के बाद ऐसा लगता है कि वहां की पुलिस, वहां के अधिकारी निष्क्रिय हैं। श्रीमन्, एक दिन नहीं नाथद्वारा में लगातार दस दिन तक चोरियां होती रहीं, रात को लोग पहरा लगाते रहे। एस. पी. से निवेदन किया कि

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

जितनी फोर्स लगानी चाहिये उतनी नहीं लगी है। गोगुन्दा में जो चोरी हुई थी उस चोरी करने वाले व्यक्ति का सामना किया गया, उसको पकड़ने की कोशिश की गयी, लेकिन उस व्यक्ति ने गोली चलायी, छर्रे चलाये और लोगों को घायल करके वह निकल गया। वहां की निकम्मी पुलिस उसको पकड़ नहीं सकी। क्या यह साबित नहीं करता कि चोरों और पुलिस में कोई साजिश है? इतने गिरोह आते हैं, दस दिन तक चोरियां कर जाते हैं, फिर भी चोर पकड़े नहीं जाते।

यही नहीं, पिछले एक वर्ष में उदयपुर में जो कत्ल किये गये उन सबका वर्णन नहीं करना चाहता। मैं केवल उन्हीं का वर्णन करना चाहता हूं जिनको कत्ल करने वाले या तो पुलिस है या ऐसे लोग हैं जिनको पुलिस ने बचाया है। एक व्यक्ति की पुलिस कस्टडी में निर्मम पिटायी की गयी और उसकी हत्या की गयी। फिर डाक्टर से जबरदस्ती रिपोर्ट तैयार करवायी गई कि अलकोहल से उसकी मृत्यु हुई है। अलकोहल की पहले रिपोर्ट में कोई बात नहीं आयी तो पोस्ट मार्टम में कैसे आ सकती थी? लेकिन पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में यह बताया गया। उस मामले को थानेदार को बचाने के लिये रफा-दफा किया गया।

यही नहीं, कोटड़ा में रात को एक हत्या-काण्ड हुआ। एक व्यक्ति को पीटा गया। उसकी हत्या हो गयी। गांव के सरपंच और मुखिया दोनों ने समझा कर कहा कि यदि पुलिस में इसकी रिपोर्ट करेगा तो मारा जावेगा। मुखिया ने एक हजार रुपया देकर लाश को जलवा दिया। किसी प्रकार से पुलिस के पास सूचना पहुंची। पुलिस भी पहुंची। उसने धमकाया, सारे गांव को बन्द कर दूंगा। पैसे दो तो छोड़ दूंगा। आदिवासियों ने चार हजार रुपये अपने जेवर बेच करके दिये। पुलिस ने कहा कि यह बयान दो कि सांप के काटने से मृत्यु हुई। जब पुलिस ही इस तरह के काण्डों में इन्वोल्व हो जाती है तो सही बात का पता कैसे लगेगा।

21 तारीख को मेला लगा। एक बख्ता नाम का व्यक्ति है दूसरा आदिवासी है। दूसरे व्यक्ति ने डूंगरपुर अस्पताल मे बताया कि उसकी पिटायी की गयी उसके कारण होश में नहीं रहा। होश आया तो उसने बताया कि पिटायी की गयी। बख्ता आज तक नहीं मिला। गांव के जो अनपढ़ आदिवासी हैं उनमें से यदि कोई भी गुस्से में किसी का मर्डर कर दे तो कोई सहयोगी न होने के कारण जेल की ताड़ियां उसके लिये सुरक्षित हो जाती हैं। जो पुलिस के अधिकारी शरीफ होते हैं वे उनको बचाने का प्रयास करते हैं। मुझे दुःख है कि सारे लोग ऐसे मामलों में पुरजोर परिश्रम करते हैं और कागजों को बदलने का प्रयास करते हैं। इससे भारी असंतोष है।

एक ही नहीं उदयपुर में अनेक कत्ल हुए हैं। आज तक किसी का पता नहीं लगा। परसाद् में रामसिंह की मृत्यु हुई। रात को होटल से निकला। रास्ते में कत्ल कर दिया गया। किसने कत्ल किया, यह आज तक पता नहीं लगा। इतनी बड़ी हत्या हो जाती है वह बरामद नहीं होती है तो फिर पुलिस का उपयोग क्या है? गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उदयपुर में जो हत्यायें हुई हैं विशेषकर कालू गूजर की हत्या हुई है, कोटड़ा में हत्या हुई है जिसको सांप काटना बताया है, उसको जिस पुलिस कान्स्टेबल ने

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

21 तारीख को जांच की थी, यह नत्थूदीप नाम का कान्स्टेबल है। यह केस जिसने बनवाया है कि यह सांप के काटने से मृत्यु हो गई उस व्यक्ति को निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिये। जिसके बारे में कोई कहने वाला नहीं है और जिसको कोई सहायता करने के लिये तैयार नहीं है ऐसे लोगों के साथ जुल्म और ज्यादतियां रुकनी चाहियें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री माधोसिंह कछवाह।

श्री माधोसिंह कछवाह (सरदारपुरा, जोधपुर) : सभापति महोदय, हमारी जनता पार्टी की सरकार है. एक हरिजन को गृह मंत्री बनाने का एक अवसर उसने प्रदान किया है....

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि काफी समय से देख रहा हूं कि रिपीटेशन बहुत पाइंट्स का हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा कि रिपीटेशन नहीं हो और नये पाइन्ट्स आयें तो सदन का भी समय बचेगा और मंत्री महोदय भी उत्तर दे पायेंगे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : सभापति महोदय, यह बार-बार क्या हरिजन मंत्री, हरिजन मंत्री कहते हैं? क्या कर दिया ऐसा? कौन सा अहसान कर दिया?

श्री माधोसिंह कछवाह : सभापति महोदय, मुझे बोलने का और मेरे विचार रखने का अधिकार है। यदि मेरे अधिकारों की रक्षा की जाती है तब तो मैं बोलने के लिए तैयार हूं नहीं तो तैयार नहीं हूं। नम्बर दो बात यह है कि इधर बैठे वाले बहुत से माननीय सदस्यों को सस्ती लोकप्रियता की आदत पड़ गयी है। लोगों के बीच में बोलने से मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं होती है। दो ही शब्द मैंने कहे और टोकाटाकी शुरू कर दी, यह बड़े शर्म की बात है। सदन की गरिमा को ऊंचा करने के लिए बीच में टोकाटाकी नहीं करनी चाहिए...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, टोकाटाकी नहीं करें। माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : माननीय सभापति जी, मुझे धमका रहे हैं। मुझे बचायें आप।

श्री सभापति : आपने उनकी आलोचना की इसलिए स्वाभाविक है। अगर आप व्यवधान न डालें तो ऐसी स्थिति ही पैदा नहीं होगी।

श्री माधोसिंह कछवाह : मान्यवर, हमारे हरिजन मंत्री, जो गृह विभाग का काम सम्भाले हुए हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई है। 30 साल के बाद जिस हालत में पुलिस का एक स्ट्रक्चर मिला है उसमें हालांकि बहुत से अच्छे अधिकारी हैं फिर भी मैं उस स्ट्रक्चर को एक रावण का रूप देता हूं। रावण के दस मुख थे और पुलिस के भी दस तरह के बरताव हैं, दस तरह के ही जनता के साथ बरतने के हिसाब किताब हैं और दस तरह के चेहरे हैं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह आपने भैरोंसिंहजी से नहीं पूछा जिन्होंने हरिजन मंत्री बनाया है।

श्री सभापति : No interruptions. Let him speak.

श्री माधोसिंह कछवाह : जब भी मैं याद करता हूं कि इनके नाम के पीछे राम का,

(217)

(श्री माधोसिंह कछवाह)
नाम जुड़ा हुआ है तो उसके साथ रावण और राम की बात भी याद आ जाती है......

श्री सभापति : माननीय सदस्य, कृपया अपने समय का भी ध्यान रखें ।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैंने आपको कहा कि मैं अपने विचार रखना चाहूंगा । अगर आप मना करते हैं तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं । हम यहां आधी-आधी रात तक बैठते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आधी रात तक भी विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिले तो मैं अभी बैठ जाता हूं ।

श्री सभापति : मैंने तो समय का ध्यान रखने का सुझाव दिया था ।

श्री माधोसिंह कछवाह : समय के लिए तो घर वाली ही नहीं पूछती है । आप पूछ रहे हैं ।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार राम ने रावण को परास्त किया उसी प्रकार अगर हमारे गृह मंत्रीजी राजस्थान में विभिन्न तरह के जो पुलिस अधिकारी हैं, वह 30 साल से जिस-जिस प्रकार के चेहरे लिए हुए हैं जब उनके सामने चुनौतीपूर्ण समय आता है तो कौनसे चेहरे से उनके सामने आते हैं यदि इसको समझने की शक्ति रखेंगे, और वह शक्ति माननीय श्री सम्पतराम जी रखेंगे तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर हरिजनों की रक्षा तो होगी ही, साथ ही एक हरिजन होने के नाते उन पर बहुत बड़ा दायित्व आया है उसको निभाने के लिए राजस्थान की जनता उनका बहुत बड़ा उपकार और आभार मानेगी ।

मान्यवर, आम तौर पर पुलिस में जो अपराध बढ़ते हैं उसके बहुत से कारण हैं । राजस्थान में अपराधों की जो वृद्धि इस समय के अन्दर हुई है वह चिंता का विषय है ही लेकिन 8 महीनों में जो अपराधों की संख्या बढ़ी है उसके पीछे ध्यान रखने की राज की बात है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा । इमर्जेन्सी के अन्दर जब 100 अपराध होते थे तो 25-30 ही रजिस्टर किये जाते थे । जब राज्य बदला और लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसके बाद जो भी थाने में गया उसकी रिपोर्ट दर्ज की गयी । अपराधों की संख्या के बढ़ने का कारण एक यह भी है । लेकिन इस संख्या में चोरी के मामले ज्यादा हैं, अगर जेब कटी के मामले ज्यादा हैं, डकैतियों के मामले ज्यादा हैं, तो यह एक चिन्ता की बात है । इस मामले में, मैं यह चाहूंगा कि जिन पुलिस अधिकारियों के थानों में ज्यादा अपराध होते हैं उनसे उस अधिकारी के कार्यों का मूल्यांकन होता है । गृह मंत्रीजी इस बात को अवश्य देखें और इसी दृष्टि से पुलिस के प्रशासन को सुधारने का वह बीड़ा उठायें ।

मान्यवर, जोधपुर के अन्दर 9 महीनों के अन्दर विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर कई चोरियों के मामले छोटे-बड़े आये हैं । छोटे-मोटे जेब काटने के भी मामले आये हैं । आम जनता में वहां पर पुलिस के प्रति अभी अच्छी भावना नहीं है । मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, इस प्रकार के जो 9 महीनों में गम्भीर मामले हुए हैं कम से कम उन पर जरूर विचार करें कि किन अधिकारियों की लापरवाही से हुए हैं । जिन चोरियों का पता नहीं लग रहा है उनके ऊपर भी विचार करें । यह मैं आपसे विशेष तौर से निवेदन करना चाहूंगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

Page No 218

(218)

(श्री माधोसिंह कछवाह)

पुलिस को सबसे बड़ी कठिनाई तब होती है जब कि हड़तालें होती हैं, जब बड़े प्रदर्शन किये जाते हैं, हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी आते हैं उस समय कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो पत्थरबाजी करके या किसी भी बहाने से जनता और पुलिस के बीच में संघर्ष पैदा कर देते हैं। इस संघर्ष की रोकथाम के लिए मेरा एक सुझाव है। पुलिस को ऐसे मौकों पर मूवी कैमरे प्रोवाइड किये जायं। 4-5 हजार यदि प्रदर्शनकारी हैं तो करीब 7-8 मूवी कैमरे अलग-अलग जगह हों ताकि असामाजिक तत्वों की कार्यवाही कैमरे से रिकार्ड की जा सके। जब किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है और जब मुकदमे दायर किये जाते हैं तो उस समय गवाही के रूप में और ऐसे तत्वों को सजा देने के लिए मूवी कैमरे बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे.......

श्री श्योपतसिंह मकासर : इन्दिराजी को पता नहीं था इसका।

श्री माधोसिंह कछवाह : आपको तो कुछ भी पता नहीं है। बार-बार व्यवधान करते हैं।

श्री सभापति : व्यवधान नहीं डालें। माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री माधोसिंह कछवाह : जोधपुर में सरदारपुरा में रहने वाले एक नागरिक हैं, उनकी एक ट्रक आर. एस. क्यू. 876 नम्बर है। अजमेर पुलिस क्लॉक टॉवर स्टेशन के जरिये आज तक गायब होने के बाद उस ट्रक का पता नहीं लगाया गया। यह घटना दो तीन साल पुरानी है। सही तारीख तो मेरे पास है नहीं। इसके बारे में गृह मंत्रीजी को डी. ओ. लैटर लिखा था। उस वक्त गृह मंत्री प्रोफेसर केदार थे। वैसे मैं समझता हूं कि प्रोफेसर केदार साहब ने आई. जी. के नाम पत्र मार्क किया था। उसके बाद अभी तक मुझे किसी प्रकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मैं चाहूंगा कि इस मामले की जांच-पड़ताल जोरों से की जाये और अगर कुछ नतीजा निकले तो मुझे भी सूचित किया जाये। यह आपके माध्यम से कहूंगा.......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर,...

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : मैं समाप्त करता हूं। आपसे पुनः एक बात कहता हूं कि अगर इस सदन के अन्दर किसी भी सदस्य को अपने विचार व्यक्त करने के लिये.....

श्री सभापति : आप 10 मिनट ले चुके हैं।

श्री माधोसिंह कछवाह : समय की सीमा के अन्दर बांधने के बावजूद अगर कुछ सदस्य व्यवधान करते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब हम एक ऐसा रास्ता अपनायेंगे जो कि एक नया रास्ता होगा। इसलिये इस सदन में लोकतंत्र की रक्षा के लिये और सदस्यों के अधिकारों को कायम रखने के लिये एक अच्छी व्यवस्था की ओर बढ़ने कि आसन को ध्यान रखना चाहिये........

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह धमका रहे हैं। यह सदन को धमका रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री माधोसिंह कछवाह : गरिमा की रक्षा हो सकती है। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री टीकमचन्द कांत !

श्री **टीकमचंद कांत** (जालौर) : सभापति महोदय, मैं कोई भूमिका नहीं बांधता, सीधी बात तो यह है कि नेशनल पुलिस अकादमी माउंट आबू पर थी और वर्षों से थी। इमर्जेन्सी के दौरान वह हैदराबाद चली गई थी। उस समय श्री ब्रह्मानंद रेड्डी भारत के गृह मंत्री थे। राजस्थान को इससे कितनी बड़ी हानि हुई है, यह पूरे राजस्थान का प्रश्न है, किसी ने उठाया या नहीं, परन्तु मैं इसलिये उठा रहा हूं कि राजस्थान के साथ अन्याय हुआ है। अब वह नेशनल पुलिस अकादमी पुनः माउंट आबू में ही आनी चाहिये। जो निर्णय लिया गया था वह राजनैतिक निर्णय था। उसका कोई औचित्य नहीं था। तत्कालीन प्रधान मंत्री ने और औरों ने भी कहा था कि माउंट आबू में जो नेशनल पुलिस अकादमी है वह ठीक है। फिर भी उसे हटाया गया। मान्यवर, एक सूचना ऐसी भी मिली है कि वहां की जलवायु घोड़ों को और कर्मचारियों को, जो इसमें कार्यरत हैं, रास नहीं आई। कहते हैं, 40 घोड़ों की मृत्यु हो गई, 8 व्यक्ति बीमार होकर मर गये। पहले जो खर्चा था वह दुगुना, तिगुना हो गया। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार यह मांग करे कि जो नेशनल पुलिस अकादमी हैदराबाद में स्थानान्तरित हो गई है वह पुनः माउंट आबू में आये।

दूसरा, मैंने कटौती प्रस्ताव दिया है कि चौराऊ ग्राम के अन्दर जो अस्थाई पुलिस चौकी है उसे स्थाई किया जाये। चौराऊ को प्रतीक के रूप में लिया है। जालौर जिले में बहुत सारे गांव हैं जिन गांवों के अन्दर एक पार्टी दूसरी पार्टी से होली के समय वैर लेने का काम करती है, इस हेतु योजना बनाती है। जालौर जिले के अन्दर कोई होली ऐसी नहीं गई जब कि 5-6 घटनायें ऐसी न हुई हों। यह गांव सांपू भी हो सकता है, सुराना भी हो सकता है, सायला या उमेदाबाद कोई भी हो सकता है। इसलिये जालौर जिले में विशेष ध्यान रखा जाये। पुलिस वालों को तो सारा ध्यान रहता है, कौनसी पार्टी क्या तैयारी कर रही है। मान्यवर, पुलिस के ऊपर भार डाल दिया जावे कि जालौर जिला क्षेत्र में अगर कहीं भी ऐसी योजना बनती है, वह इनके ध्यान में आ जाये, इनको सी भी जानकारी हो जाये तो पहले से प्रबन्ध कर दिया जाये।

सभापति महोदय, जालौर जिले की बात आई है तो एक बात और कह दूं। वहां जो दलित वर्ग है, अनुसूचित जाति के लोग हैं, आज वे पुलिस प्रशासन से सन्तुष्ट नहीं हैं। उनके मन में आज भी यह है कि पुलिस हमारा पक्ष नहीं ले रही है और उनके साथ अन्याय हो रहा है। इससे अधिक कुछ नहीं कहूंगा। इसी में सब कुछ आ गया। अतः मैं चाहूंगा कि विशेष रूप से वहां की पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिये जायें। वहां के पुलिस के प्रशासन को यह कहा जाये कि जालौर जिले के अन्दर जो गरीब तबका है, वह भयभीत है, उसको सन्तोष दीजिये। जनता को निडर बनाने के लिये पुलिस को जो भी कार्यवाही करनी पड़े उसे वह जरूर करे।

सभापति महोदय, सस्ते न्याय के बारे में मेरा कहना यही है कि इस हेतु भावनाओं को बदलने की आवश्यकता है। आज तक न्याय लेने के लिये लोग जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। न्याय देने वाले भी यही समझते हैं कि यह जनता की मजबूरी है, अतः हमें

(श्री टीकमचन्द कांत)

भावनायें बदलनी होंगी । न्यायाधीश न्यायाधिकारी यह समझें कि न्याय हमें देना है । इन भावनाओं का जब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक जिससे न्याय की बात हम करते हैं, वह कभी परिपूर्ण नहीं होगी । आजकल महाराष्ट्र में, गुजरात में जे. पीज. की नियुक्तियां हो रही हैं, जस्टिस आफ पीस । उनके माध्यम से जो छोटे-मोटे न्याय के कार्य हैं, वे पूरे किये जा रहे हैं । मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यहां भी जे. पी. के माध्यम से, आनरेरी मजिस्ट्रेटों के माध्यम से न्याय देने का कार्य किया जाय ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इन्हें छोटे-छोटे क्षेत्रों में लगाया जाये । एक नया एक्सपेरिमेंट करके हम न्याय को सुलभ, सस्ता और शीघ्र दिला सकें । Justice delayed justice denied तो कम से कम इसे शीघ्र देने का कार्य करें ।

श्री सभापति : No. consultation please.

श्री टीकमचंद कांत : मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि न्याय की देरी को कम करें, सुलभ न्याय दिलाया जाये ।

श्री सभापति : श्री श्रवण लाल !

(अनुपस्थित)

श्री हरचंद सिंह ।

श्री हरचंद सिंह (पीलीबंगा) : जिस तरीके से, श्रीमान् सभापति महोदय, हमारा शोषण हो रहा है, उसके विरोध में मैं मौन व्रत रखूंगा, बोलूंगा नहीं ।

श्री सभापति : माननीय श्री अचला राम ।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हजारीमल सारण ।

श्री हजारीमल सारण (सरदारशहर) : माननीय सभापतिजी, मैं पुलिस विभाग पर कुछ निवेदन करूंगा । 30 वर्ष देश को आजाद हुए हो गये, इतने लम्बे समय में चुनी हुई सरकारों को काम करने का मौका मिला है । पुलिस पर सरकार का बहुत बड़ा दायित्व है, लेकिन मुझे यह कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लक्षण व स्वभाव से पुलिस और अपराधी के बीच में भेद करना कठिन हो रहा है । इसमें केवल पुलिस का अपना दोष ही नहीं है, और कुछ अपवाद के तौर पर पुलिस में अच्छे लोग न हों यह बात भी नहीं है, लेकिन उनकी कोई गिनती नहीं है । सभापति महोदय, पुलिस का अपराधों के मामले में अनुसंधान और अन्वेषण करने का आज भी वही तरीका है जो कि 100 वर्ष पहले था । अंग्रेजों के बनाये हुए कानून आज भी लागू हैं । अंग्रेजों का वही वातावरण आज भी बरकरार है । उसका नतीजा यह है कि आज भी इस कल्याणकारी राज्य में साहूकार और भले लोग पुलिस से घबराते हैं, डरते हैं । जब कि गुण्डे, बदमाश, लफंगे और चोरबाजारिये पुलिस की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि वे उनके मित्र होते हैं, उनके साथ-साथ घूमते हैं, उनके साथ साझेदारी रखते हैं, और कोई परवाह नहीं करते हैं । आजादी के 30 साल के बाद भी और 30 वर्ष तक जनतांत्रिक सरकार द्वारा राजस्थान में काम करने के बावजूद आज भी पुलिस की स्थिति बड़ी दर्दनाक है । पुलिस का जो अपराधों का अनुसन्धान करने का तरीका है वह इतना घटिया और हलके दर्जे का है कि पुलिस में

(श्री हजारीमल सारण)
अपराध-प्रवृत्ति जाग्रत हो गई है। यदि समय पर उसको रोका नहीं गया तो उसके बहुत दुष्परिणाम आने का खतरा है जिससे देश और समाज को बड़ा नुकसान होगा।

मैं निवर्तमान पुलिस मंत्री, माननीय प्रोफेसर केदार के लिए दो शब्द प्रशंसा के कहूंगा। इस थोड़े से काल, 7-8 महीनों में प्रोफेसर केदारनाथजी ने पुलिस की इस प्रवृत्ति को समाप्त करने अथवा उस पर चोट करने का प्रयास किया, परन्तु उनकी बड़ी भारी आलोचना हुई। यह कहा गया कि एक-एक थाने पर पांच-पांच थानेदार बैठे हुए हैं, गुण्डागर्दी बढ़ी है, अपराधों की संख्या बढ़ी है। यह किसी एक व्यक्ति ने एक वर्ष में किये हों, यह बात नहीं है। इसमें नेता भी शामिल हैं, इसमें पुलिस भी शामिल है और इसमें जनता भी शामिल है। वह इसलिये कि कोई भी सुधार के लिए....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट और लेना चाहूंगा।

श्री सभापति : इस सम्बन्ध में आपका कटौती प्रस्ताव तो है नहीं। आपका जो प्रस्ताव है उसी पर बोलें।

श्री श्योपतसिंह मकासर : भावना है, साहब।

श्री सभापति : भावना तो काफी व्यक्त हो चुकी है।

श्री हजारीमल सारण : यह मेरा कटौती का प्रस्ताव है जिसमें पुलिस का सुधार शामिल है। उस पर ही बोल रहा हूं।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि पुलिस की अपराध-प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए एक झटका माननीय केदारनाथजी ने दिया तो एक वातावरण स्टेट के अन्दर बना और लोगों में पुलिस का भय कुछ कम हुआ। इससे हो सकता है कि चोरों और गुण्डों का भी भय कम हुआ हो और उससे अपराधों में वृद्धि हुई हो। यह संभव है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस प्रकार की कार्यवाही से अपराध बढ़े हों लेकिन लम्बे समय में जाकर उसका नतीजा अच्छा आता। मेरी यह मान्यता है कि पुलिस में जो भ्रष्टाचार ज्यादा व्याप्त है उसका कारण पुलिस द्वारा लोगों को डराने का तरीका है। यदि लोगों का भय कम हो, डर कम हो तो निश्चित रूप से रिश्वत कम देने की बात आती है। पुलिस का जो यह तरीका है उसको समाप्त किया जाय। उसको समाप्त करने का एक ही रास्ता है कि पुलिस का अपराधों के संबंध में अन्वेषण करने का जो तरीका है उसको बदला जाय। राजस्थान की और हिन्दुस्तान की पुलिस आज भी वहीं की वहीं 30 साल पीछे खड़ी हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जब कि दुनिया के और मुल्कों में ऐसे साइन्टिफिक तरीके ईजाद हो गये हैं जिनके कारण से पुलिस के हाथों दर्दनाक स्थिति होना रोका जा सकता है, हमारे देश और खास तौर से राजस्थान की पुलिस की स्थिति बहुत खराब है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : कृपया समाप्त करें।

श्री हजारीमल सारण : मैं नये पुलिस मंत्री महोदय से यह आशा रखता हूं कि वह प्रोफेसर केदारनाथ जी का अनुसरण करेंगे और इस पुलिस विभाग में कोई क्रान्तिकारी सुधार करने का प्रयास करेंगे। यद्यपि उनके पद सम्भालने का पहला अनुभव बड़ा कटु है। जैसा कि सबको विदित है कि अभी 6 मार्च को किसान आये थे यहां पर मांग लेकर तो नया मंत्री पद सम्भालने के उपलक्ष में पुलिस मंत्री महोदय ने एक तोहफा भेंट किया था। यदि इसी तरह का तोहफा भेंट करते रहे तो मैं निश्चित तौर से यह बात कह सकता हूं कि एक समय ऐसा आयेगा कि जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस सरकार में भेद करना लोगों के लिए कठिन हो जायगा। पहचानना कठिन हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि भगवान पुलिस मंत्री महोदय को सद्बुद्धि देगा और जनता पार्टी के हक में और राजस्थान की जनता के हक में पुलिस की जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगायेंगे और उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री बालचन्द आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनारायण।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री सुरेश कुमार।

श्री सुरेश कुमार (भरतपुर) : माननीय सभापति, हमको 51 रुपये 5 बजे तक के लिए मिलते हैं। ओवरटाइम करने के लिए मेरा स्वास्थ्य इजाजत नहीं देता है इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री सभापति : मैं विधि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह उत्तर दें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी (विधि मंत्री): सभापति महोदय, यहां पर माननीय सदस्यों ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उसके लिए मैं न्याय विभाग की तरफ से उनका बहुत आभारी हूं। जो कुछ सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं और कमियां दर्शायी हैं उनको दृष्टि में रखते हुए न्याय-व्यवस्था करने में सरकार की ओर से पूरा-पूरा प्रयत्न करूंगा।

जो मुख्य मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं उनका मैं संक्षेप में उत्तर इसलिए देता हूं क्योंकि हमारे माननीय गृह मंत्रीजी भी आपके सामने निवेदन करेंगे....

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह अपनी डिमाण्ड पर करेंगे। आप अपनी डिमाण्ड पर करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं बोल रहा हूं। आप क्यों उतावले हो रहे हैं? हम कुछ नहीं जानते हैं क्या?

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैं कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय उत्तर दे रहे हैं।

श्री श्योपतसिंह मकासर : वह कह रहे हैं। अगर मेरा बोलना ही अखरता है तो मैं चुप बैठ जाऊंगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं देश के अन्दर जो न्यायपालिका की स्थिति है उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं कुछ

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

आपको बताऊंगा इस देश की न्याय-व्यवस्था और उसके इतिहास के संबंध में। वर्तमान न्याय प्रणाली अंग्रेजी प्रशासन के प्रभाव से इस देश में प्रसारित हुई। अंग्रेजी साम्राज्यवाद में, ब्रिटेन के जमाने में किसी हद तक इस स्थिति को प्रतिपादित किया गया, यह माना गया कि न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग हो, इसके प्रभाव में नहीं रहे। ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे जब लड़ाई के दौरान, द्वितीय महायुद्ध के दौरान कार्यपालिका ने न्यायपालिका पर हावी होने की चेष्टा की परन्तु सफलता नहीं मिली। लेकिन विगत बीस महीनों का काल जो रहा मेरे विचार से न्यायपालिका के लिए इससे ज्यादा बुरा और काला काल इस देश के इतिहास में कभी नहीं आया।

(व्यवधान)

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह कई बार कहा गया और

(11.22 रात्रि)

(श्री रामचन्द्र, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

इस बात पर चिन्ता व्यक्त की गई कि न्यायपालिका का स्टेन्डर्ड गिर रहा है और न्यायपालिका का स्तर नीचे चला जा रहा है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासनकाल में प्रतिबद्धता की एक थ्योरी सामने रखी गई। प्रथम बार न्यायपालिका के ऊपर आघात हुआ, न्यायपालिका के ऊपर अटैक हुआ उसके आधार पर तीन वरिष्ठ जजों का सुपरसैशन किया गया, यह इतिहास की चीज है। उसके बाद जैसे ही इमर्जेंसी आई तो निश्चित रूप से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि दुनियां के देशों में, किसी भी सभ्य देश में शायद आज तक ऐसा फैसला कभी नहीं आया जैसा कि एक फैसले के कारण हिन्दुस्तान की 65 करोड़ जनता को लोगों के जीवन और उनकी लाइफ और लिबर्टी दोनों से बिल्कुल अलग कर दिया गया। उनके दोनों अधिकारों को छीन लिया गया। यह हैबिअस कारपस पिटीशन का जजमेंट था जिसके संबंध में अनेकानेक न्यायाधिपतियों ने, न्याय के महारथी जो हैं जो जूरिसप्रूडेंस के ज्ञाता हैं, उन लोगों ने जो विचार व्यक्त किए उनसे मेरी पूर्णतया सहमति है और ××× इस देश के अन्दर जब से जनता पार्टी की सरकार आई है, जनता पार्टी का शासन आया है, हम इस बात की निरन्तर चेष्टा कर रहे हैं कि न्यायपालिका और न्यायप्रणाली को उसका सम्मानित स्थान मिले। जो कोई भी न्यायपालिका के लिए संविधान के अन्तर्गत प्रावधान रखे गए हैं, देश और समाज की सेवा के लिए और देश और समाज को चलाने के लिए उनको वह निष्पक्ष होकर, निडर होकर, निर्भीक भाव से व्यक्त कर सकें, प्रतिपादित करके इस समाज का संचालन कर सकें, इस बात के लिए देश कटिबद्ध है, जनता पार्टी की सरकार कटिबद्ध है और राजस्थान सरकार भी कटिबद्ध है....

श्री नवरंगसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा कि जनता सरकार ने अपने राज में कौन से सुधार किए हैं? यह बताने का कष्ट करें।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इसके लिए

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)
बाद में बता दूंगा।

तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चन्द्रचूड़ साहब की नियुक्ति के संबंध में एक माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये थे। ××× मैं यह निर्विवाद रूप से स्थापित करना चाहता हूं जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की की गई कार्यवाही के कारण जनता पार्टी की सरकार बदले की भावना से अथवा प्रतिशोध की भावना से किसी भी न्यायाधिपति के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने वाली है। ××× इस....

श्री जगतार सिंह कंग : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी कुछ देर पहले एक जस्टिस के जजमेंट के बारे में प्रतिपक्ष के सदस्य के आरोप को कार्यवाही से निकाल दिया गया था। उसी तरह से माननीय मंत्री महोदय भी जजमेंट के बारे में जिक्र कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि इन शब्दों को भी कार्यवाही से निकाल दिया जावे।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : उपाध्यक्षजी, मैं किसी जज पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा हूं, मैं तो जनता पार्टी की नीति को प्रतिपादित कर रहा हूं। इस रूप में इसमें फर्क करना पड़ेगा। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री श्योपतसिंह मकासर : आपकी व्यवस्था चाही थी, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस ढंग से माननीय मंत्री महोदय ने अपना भाषण इस संबंध में दिया है, जो सप्लीमेंट किया है उसको देखते हुए और मंत्री महोदय की भावना को देखते हुए मैं समझता हूं कि भाषण के रेफरेंस के रूप में, तथ्यों के निरूपण के रूप में उन्होंने अपनी बात कही है। फिर भी मैं चाहूंगा कि इस तरह के उद्धरण न दें जिससे इस संबंध में इस तरह का कोई इण्टरप्रिटेशन किया जावे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : एक्सपंज करने का सवाल है, क्योंकि यह साबित करता है कि उन्होंने न्याय नहीं किया। चन्द्रचूड साहब इस समय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। उनके जजमेंट के बारे में यह आफिशियल स्टेटमेंट है राजस्थान सरकार के लॉ मिनिस्टर का। यह स्टेटमेंट है उस फैसले के बारे में, उस जजमेंट के मोटिव्ज के बारे में, जजेज के कण्डक्ट के बारे में। इसलिए मेहरबानी करके, उपाध्यक्ष महोदय, आप इस पर विचार कर लें, कल व्यवस्था दे दें। लेकिन जो बात कही गई है, उसको मंगा कर देखें। जो अभी एक्सपंज की गई है, उस सारे को देखकर आप अपनी व्यवस्था दें ताकि सारा कोइंसीडेंस रहे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : चन्द्रचूड अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं.....

श्री किशनसिंह भाटी : पहले श्री ईश्वरचन्द्रजी, जो माननीय सदस्य हैं इस सदन के, यही भाषा करीब-करीब बोल चुके हैं। उस समय माननीय सदस्यों ने कोई एतराज नहीं किया। अगर एक्सपंज होना है तो उनकी बात पर भी साथ-साथ में विचार करें।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं इस सम्बन्ध में कार्यवाही के विवरण को देख कर अभी व्यवस्था दे दूंगा।

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

225

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं नहीं चाहता कि इस प्रश्न को लेकर कोई वाद-विवाद खड़ा हो । मैं केवल एक बात बता देना चाहता हूं ताकि आम जनता, लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा न हो । इस देश में चन्द्रचूड का जो अपोइन्टमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर हुआ है, इस पर लोकसभा में भी चर्चा हुई है । जनता पार्टी की सरकार ने इस बारे में क्या रुख लिया है वह पक्ष मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । इसके अलावा कोई चीज नहीं कह रहा हूं । राजस्थान सरकार का उनके अपोइन्टमेंट में कोई से नहीं है और न ही मेरा कोई से है । क्योंकि यह मुद्दा कई माननीय सदस्यों ने उठाया था इसलिए मैं उस मुद्दे पर विचार प्रगट कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

श्री किशनसिंह भाटी : ईश्वरचन्द्रजी ने भी यह सवाल उठाया था कि जस्टिस चन्द्रचूड का आर्डर इस प्रकार का था....

(व्यवधान)

माननीय सदस्य ने उस समय ओब्जेक्शन नहीं उठाया था....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : इस बारे में राजस्थान सरकार का कोई पक्ष नहीं है । मैं इस कण्ट्रोवर्सी में पड़ना नहीं चाहता । मैं निश्चित रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायाधीशों के अपोइन्टमेंट के बारे में हमारा कोई से नहीं है....

श्री किशनसिंह भाटी : जब यह प्रश्न उठा था उसी समय कहना चाहिए था ।

श्री राम रघुनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय माननीय सदस्य ने यह प्रश्न सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के प्रति उठाया था तो मंत्री महोदय को, जो सदन में थे, उसी वक्त पाइन्ट आँउट करके व्यवस्था मांगनी चाहिए थी....

श्री उपाध्यक्ष : मैं देख लूंगा ।

श्री राम रघुनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, आप उस वक्त सदन में नहीं विराज रहे थे । जब मैं बोल रहा था तो इसी पॉइन्ट पर व्यवस्था मांगी गई थी....

श्री किशनसिंह भाटी : माननीय सदस्य ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपील चल रही है, उस मामले को उन्होंने उठाया था..

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने व्यवस्था दी है कि मैं अभी कार्यवाही देख कर आवश्यक निर्देश दे दूंगा ।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जहां तक दूसरे प्रश्न हैं, मुद्दे हैं, जो राजस्थान न्यायपालिका से सम्बन्धित हैं, मैं यह निवेदन करूंगा मुख्य रूप से कि सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके, जल्दी न्याय हो सके, इसके ऊपर सभी माननीय सदस्यों ने इस सदन में चिन्ता व्यक्त की है । राजस्थान सरकार भी इसके प्रति काफी चिन्तित है । इसमें एक सुझाव यह भी आया है कि तहसील हैडक्वार्टर पर मुन्सिफ मजिस्ट्रेट कायम कर दिये जाएं, मोबाइल मजिस्ट्रेट कायम किये जाएं या दोनों ही साथ-साथ चलें । इसके अलावा जो रिक्त स्थान हैं, उनकी पूर्ति की जाए । हाई कोर्ट जजों के जो स्थान रिक्त हैं, उनको भरा जाए । इसके अलावा एफिशियेन्सी लाने की दृष्टि से न्यायपालिका

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

के जजों को सम्मान और प्रतिष्ठा मिल सके, उनमें किसी प्रकार की इन्सिक्योरिटी न रहे इसलिए, उनके लिए रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन हो। इसी के साथ-साथ उनकी तनख्वाह के सम्बन्ध में, उनके वेतनमान के सम्बन्ध में प्रश्न उठाये गये हैं। ये सारे के सारे प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपको मार्फत इस सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि शीघ्र ही इन विषयों पर निर्णय ले लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और उठाया गया है हिन्दी के उपयोग के सम्बन्ध में। मुझे यह कहते हुए खुशी है कि निवर्तमान न्यायाधीश ने यह राय दी थी कि राजस्थान के न्यायालयों में हिन्दी का उपयोग हो। मेरी जानकारी के अनुसार, सरकार की जानकारी के अनुसार जो राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके अन्दर हिन्दी का प्रचलन सम्पूर्ण रूप से हो रहा है। कुछ टाइप-राइटर्स की दिक्कत है उसको दूर करने की चेष्टा इस सरकार की जारी है और मेरे ख्याल से शीघ्र ही वह दूर हो जाएगी। राजस्थान उच्च न्यायालय में सम्पूर्ण रूप से हिन्दी के लागू किये जाने में राजस्थान लेंग्वेज एक्ट बाधक है। इसके अलावा संविधान के प्रावधान ऐसे हैं कि इस पर इस सरकार का काबू नहीं है। फिर भी राजस्थान सरकार अपनी ओर से निश्चित रूप से प्रयास करेगी और इसके लिए केन्द्रीय सरकार को राजी करेगी ताकि राजस्थान उच्च न्यायालय में भी हिन्दी का प्रचलन शीघ्र हो हो और अंग्रेजी का प्रचलन अनिवार्य रूप से समाप्त कर दिया जाए, इसके लिए भी राजस्थान सरकार प्रयत्नशील रहेगी। साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय सेन साहब ने इस बात पर सहमति प्रकट कर दी थी कि इन दोनों कानूनों को देखते हुए, संविधान और ऑफिशियल लेंग्वेज एक्ट को देखते हुए हिन्दी का अधिक से अधिक प्रचलन किया जायगा। सेन साहब ने अनुमति प्रदान की है। जहां तक जजों के अपाइन्टमेंट का प्रश्न है, मेरे विचार से इस महीने के अन्त तक सारी सीट्स पूरी हो जायेंगी।

कुछ माननीय सदस्यों ने न्यायपालिका में हरिजनों के रिप्रेजेन्टेशन के बारे में फर्माया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि जनता पार्टी सरकार की यह नीति है कि पिछड़े वर्ग, हरिजनों को अधिक से अधिक आगे लाने की चेष्टा की जाए, उनको विशेष अवसर प्रदान किये जाएं। इस संबंध में सक्षम लोग उपलब्ध होंगे तो राजस्थान सरकार अपनी ओर से उनको ऐलीवेट करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय से सम्पर्क करके पूर्ण प्रयास करेगी। मैं माननीय सदस्यों को भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के अगर कोई लोग आपकी निगाह में हों जो वास्तविक रूप से आर. एच. जे. एस. की क्वालिफिकेशन को देखते हुए लिए जा सकते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार प्रयत्न करेगी।

श्री श्योपतसिंह मकासर : क्या महिला एडवोकेट को भी प्राथमिकता देंगे...

श्री सूर्यनारायण चौधरी : जरूर देंगे। आपकी निगाह में कोई महिला एडवोकेट हो तो बताना.....

Page No 227

(227)

श्री किशनसिंह भाटी : एक तो इस सदन में ही मौजूद हैं....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं इस संबंध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा।

मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य, श्री रामनारायण चौधरी और इन्दिरा कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों ने हरिजनों कि प्रति चिंता व्यक्त की है। उनके बारे में अधिक चर्चा की है। तीस साल के शासन में तो वे कुछ नहीं कर पाए और हमारे 8-9 महीने के शासन में हमसे वे यह उम्मीद कर रहे हैं कि हम इस सम्बन्ध में इतना अधिक कर डालें जो तीस साल में वे नहीं कर सके। यह तो उनकी एक स्ट्रेटेजी है। हरिजनों, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोगों का पल्ला पकड़ कर विशेषतः समाज को यह दर्शाना चाहते हैं कि इनके हित के लिए कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और केवल इन्दिरा गांधी, और माननीय रामनारायण चौधरी ही उनके हित चिंतक हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता सरकार की यह निश्चित रूप से नीति है कि इनको जो स्थान मिलने चाहिये वे उनको मिले। इस मामले में, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहूंगा कि उनके चयन में राजस्थान सरकार का कोई निर्णयात्मक रोल नहीं है। हाई कोर्ट, पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए केवल हम अपनी ओर से प्रस्ताव रख सकते हैं कि इनको प्रिफरेन्शल ट्रीटमेन्ट दिया जाए। यह दिक्कत है, श्रीमान्। मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्य....

श्री श्योपतसिंह मकासर : पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तो स्टेट गवर्नमेंट कॉम्पीटेन्ट है। पब्लिक सर्विस कमीशन में तो आप ही नियुक्ति करते हैं।

श्री जेठमल बरवड़ : क्या मंत्री महोदय की निगाह में कोई हरिजन नहीं है जो हाई कोर्ट का जज बन सके।

श्री नवनीत पालीवाल : इसका फैसला अभी तो नहीं होगा।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : दो मुद्दे माननीय बजरंगलालजी ने यहां पर उठाये हैं। एडवोकेट जनरल का मामला भी यहां पर उठाया गया है। इस मामले पर सरकार की ओर से स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। माननीय ईश्वरचन्द्रजी ने यह मुद्दा उठाया था। यह मुद्दा मैं महत्वपूर्ण समझता हूं। इसलिए सदन के सामने सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर देना उचित समझता हूं। 1974 में ऐसा बताया जाता है कि कुछ, 5-6 मुकदमों के सन्दर्भ में राजस्थान सरकार ने स्पेशल लीव टू अपील हाई कोर्ट से प्राप्त की। यह प्राप्त हो जाने के बाद, शायद उनमें से 4 मामलों के अन्दर तो अपील दायर नहीं हुई और केवल दो ही मामलों की अपील दायर हुई। 6 मामलों की राजस्थान हाई कोर्ट ने 1976 में स्पेशल लीव टू अपील ग्रान्ट की। इन 6 केसेज की फाइल राजस्थान हाई कोर्ट से गायब हो गई। एक पत्र राजस्थान सरकार को प्राप्त हुआ। श्री दुर्गासिंह के दस्तखत की फोटो-स्टेट कापी है जिसमें इन 6 फाइलों का जिक्र किया गया है। जिस समय राजस्थान उच्च न्यायालय की बेन्च जयपुर में कायम हुई, उस समय एडवोकेट, सुशील कुमार तिवारी के जयपुर आने के समय उनके बंगले में ये 6 फाइलें हाई कोर्ट की मिली हैं। यह दुर्गासिंह के बहनोई हैं। जैसे ही यह सारा मामला सामने आया फरवरी, 1978 में, तो हमने तत्परता से राजस्थान उच्च न्यायालय को लिखा।

(श्री सूर्यनारायण चौधरी)

मैं स्वयं-माननीय न्यायाधीश, श्री सेन साहब से मिल चुका हूं। राजस्थान उच्च न्यायालय के जज, श्री डी.पी. गुप्ता इसकी छानबीन कर रहे हैं। ये फाइलें क्या अनधिकृत रूप से गायब कर दी गईं? क्या यह मुकदमा चोरी का बनता है? किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उच्च न्यायालय के जज छानबीन कर रहे हैं। राजस्थान सरकार इसके ऊपर उच्च न्यायालय की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में है।

जहां तक दूसरे प्रश्न हैं, निश्चित रूप से एडवोकेट जनरल की नियुक्ति सरकार के साथ-साथ चलती है। यह एक पोलिटिकल अपाइन्टमेंट है। राजस्थान सरकार का भी यह मत है कि सरकार के बदलाव के साथ-साथ एडवोकेट जनरल को स्वतः ही इस्तीफा दे देना चाहिए।

इसके अलावा दो प्रश्न माननीय बजरंगलालजी ने उठाये थे....

श्री श्योपतसिंह मकासर : अगर एडवोकेट जनरल इस्तीफा न दे तो....

श्री सूर्यनारायण चौधरी : अगर नहीं दे तो दिलाया जाता है।

माननीय सदस्य ने दो प्रश्न उठाये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक प्रश्न उठाया था नोटिफिकेशन के सम्बन्ध में, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं, माननीय बजरंगलालजी एक वकील हैं। मुझे भी मौका मिला है, उनके साथ रहने का। मेरा निवेदन है कि राज्यपाल महोदय को संविधान के अनुच्छेद 188 के अन्दर अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को वह शपथ दिलाने को नियुक्त करते हैं। यह टैक्निकल मुद्दा जो आपने उठाया है, उसमें कोई दम नहीं है।

श्री बजरंगलाल शर्मा : वह दोनों पत्र 13-7-77 का पत्र और 23-11-77 का पत्र सदन की मेज पर रख दें। मेरे पास वह नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 13-7-77 और 23-11-77 का पत्र सदन की मेज पर आ जाय। दूसरा प्रश्न परामर्श के सम्बन्ध में उठाया था।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो रिकार्ड रखने का है.....

श्री बजरंगलाल शर्मा : 13-7-77 और 23-11-77 के पत्र में है, किस समय शपथ ग्रहण करेंगे। दूसरे माननीय लक्ष्मण सिंह ग्रहण करवायेंगे। हस्ताक्षर करवायेंगे यह नहीं है।

श्री सूर्यनारायण चौधरी : मैं दूसरी बात निवेदन कर रहा था। एक नुक्ता माननीय बजरंगलालजी ने उठाया है और डिजोल्यूशन आफ असेम्बली के सम्बन्ध में बात कही। उसके बारे में किसकी जिम्मेदारी है, इसके बारे में राज्य सरकार विचार कर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी और, आवश्यक हुआ तो वह मैं निवेदन करूंगा। इतना कहकर मैं यह निवेदन करूंगा कि सदन इस मांग को पारित करे।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मैंने एक बात कही थी।

श्री किशनसिंह भाटी : इन्हीं में उलझ गये फिर दूसरों का क्या होगा?

श्री श्योपतसिंह मकासर : लिटीगेण्ट्स के लिए छप्पर के प्रावधान की बात का क्या हुआ ?

व्यवस्था

उद्धृत पत्र का सदन पटल पर रखा जाना

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बजरंगलाल जी ने डाक्यूमेण्ट्स को हाउस की टेबिल पर रखे जाने को कहा था। सम्बन्धित नियम 289-A है उसमें यह प्रावधान है :

"If, in answer to a question or during debate, a Minister discloses the advice or opinion given to him by any officer of the Government or by any other person or authority, he shall ordinarily lay the relevant document or parts of document containing that opinion or advice, or a summary thereof, on the Table."

उन्होंने किसी की एडवाइस पर श्रोपीनियन नहीं रखी है। इसको मैं श्रावश्यक नहीं समझता हूं।

माननीय गृह मन्त्रीजी उत्तर देंगे।

श्री सम्पतराम (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्षजी, पक्ष श्रौर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने पुलिस की मांग पर जो अपने विचार प्रकट किये हैं, वह वास्तव में बहुत व्यवहारिक हैं। इस पर उन्होंने अपने ख्याल जाहिर किये श्रौर जनता इस बारे में क्या पूछती है, मेरे ख्याल से उसका उन्होंने स्पष्टीकरण किया है। बहुत सारे मुद्दे उठाये गये हैं। शायद सभी का जवाब मैं नहीं दे सकूं, फिर भी मुख्य-मुख्य बातों का जवाब दूंगा। ऐसे प्रश्न सभी तरफ से श्राये हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, श्रॉन ए प्वाइण्ट श्राफ श्रॉर्डर।

A point of order may be raised in relation to the business of the House at the moment.

पॉइन्ट श्रॉफ श्रॉर्डर रूल 294 से गवर्न होता है। रूल 288 है :

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper......

श्री उपाध्यक्ष : When he quotes it.

श्री बजरंगलाल शर्मा : कागज बिना श्रोपीनियन एडवाइस का होगा, वह क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा ....

श्री बजरंगलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, श्राप रूल पढ़ लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया श्राप पढ़ दें तो समझने में सुविधा होगी।

श्री बजरंगलाल शर्मा : "*288. Papers quoted to be laid on the Table.*—If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper which has not been presented to the House, he shall lay the relevant paper on the Table:

Provided that this Rule shall not apply to any documents which are stated by the Minister to be of such a nature that their production would be inconsistent with public interest:

Provided further that where a Minister gives in his own words a

(श्री बजरंगलाल शर्मा)

summary or gist of such despatch or State paper, it shall not be necessary to lay the relevant papers on the Table."

मेरा निवेदन यह है कि जिस पत्र के आधार पर यह जवाब दिया गया है, उसका रेफरेंस दिया गया है। वह मैंने व्यक्तिगत आधार पर देख लिया है। उसमें शपथ लेने को लिखा गया है। इसलिए उसका हवाला दिया गया है। वह पत्र जिसका रेफरेंस आया है, टेबल ऑफ दी हाउस पर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इस बारे में...

श्री उपाध्यक्ष : इसमें लेंग्वेज है, जिसको कोट करते हैं।

श्री बजरंगलाल शर्मा : कोट किया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप इसका आग्रह तो मानेंगे।

श्री बजरंगलाल शर्मा : यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर पहली बार निर्णय लिया जा रहा है:—

"If a Minister quotes in the House a despatch or other State paper......"

He has quoted. यह पत्र है जिसमें शपथ के उसमें ऑथोराइजेशन किया गया है। कोट करने का मतलब यह नहीं। मैं समझता हूं कि हिन्दी अनुवाद है, वह देख लें। उस पत्र को रीड आउट किया है। कोट करने का मतलब इतना ही है, अगर उसके सम्बन्ध में, बात कही गई हो।

श्री किशनसिंह भाटी : Quoting means reproduction and not just referring.

श्री उपाध्यक्ष : उसमें आगे दिया गया है उसको देखें, [उसमें बताया गया है If he gives "in his own words a summary or gist of such despatch", it shall not be necessary to lay it on the Table.

अगर वह अपने शब्दों में समरी और जिस्ट बतायें। 'ओपीनियन दी' यह कहा गया है। वह सही है।

गृह मन्त्रीजी।

श्री सम्पतराम : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं यह निवेदन कर रहा था, काफी माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है कि पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार है। अगर इसकी जड़ में जाने की कोशिश करें और विचार करें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन के प्रत्येक माननीय सदस्य सहमत होंगे, कि यह हमारे समाज के प्रत्येक व्यक्ति में मिलता है चाहे वह दूकानदार हो, बिजनेस करता हो। यह हर क्षेत्र में उपलब्ध होता है। लेकिन फिर भी देखरेख हो सकती है। मूल बात यह है कि जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति का अधिकार रहेगा, तब तक समाज में यह रहेगा। मुझे पता नहीं है, संसार में व्यक्तिगत अधिकार कब तक रहेगा। हर व्यक्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति इकट्ठी करेगा क्योंकि आज हर आदमी यह सोचता है कि हमारे बच्चों का क्या होगा? प्रापर्टी की भावना हर व्यक्ति में रहती है। हर व्यक्ति सोचता है, कल क्या होगा। लेकिन इसके साथ-साथ.....

श्री बजरंगलाल शर्मा : पुलिस चोरियों को रोकने में सक्रिय नहीं रही है, गृह मन्त्री जी ।

श्री सम्पतराम : आप सुन लीजिये ।

फिर भी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार किया जायगा । इसका दूसरा जो पहलू है उसके बारे में भी मैं अर्ज करना चाहता हूं। दूसरे भी कुछ ऐसे महकमे हैं, जैसे इन्कम-टैक्स का महकमा है, उसकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

श्री माधोसिंह कछवाह : क्या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठती है ?

श्री सम्पतराम : इन्कम-टैक्स के महकमे में भी सभी लोग ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि इस तरह के एक्शन से वे सम्बन्धित हैं लेकिन उनकी इतनी आलोचना नहीं होती । इसी प्रकार से इरिगेशन का महकमा है, पी. डब्ल्यू. डी. है.....

श्री नवरंगसिंह : आप पुलिस विभाग की बात ही कहें ।

श्री सम्पतराम : पुलिस में जो कुछ भी होता है माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त किये । मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक्सटोर्शन होता है, सीधा पब्लिक से लिया जाता है, इस बात को मैं सपोर्ट नहीं करता । मैं मानता हूं यह जुल्म है, एक गुनाह है । यह नोर्मल रूप से खतम होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं । इस सम्बन्ध में मैं अर्ज करना चाहूंगा कि माननीय सदस्य और जनता जागरूक नहीं होगी तब तक करप्शन नहीं मिटेगा । यह निश्चित बात है कि गांवों में अगर जनता जागरूक है तो पटवारी रिश्वत नहीं ले सकता । वह रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं कर सकता । इसी प्रकार से पुलिस स्टेशन्स के बारे में है । उनका भी सामाजिक बहिष्कार किया जावे तो इस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयत्न हो सकता है । इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह बात नहीं है कि पुलिस के अन्दर सब लोग अच्छे हैं या सब लोग खराब हैं । समाज में जिस प्रकार से पर्सेन्टेज बुरे और अच्छे लोगों का होता है वह पुलिस में भी है । फिर भी इसमें आपका सहयोग मिलेगा और उससे जो अधिकारी सामने आयेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके बारे में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जायगी और पूरी सख्ती के साथ कार्यवाही की जायगी ।

अभी तीन-चार दिन पहले ही कामां के एस. आई. के खिलाफ शिकायत आयी थी । मैंने एन्टी-करप्शन डिपार्टमेन्ट को जांच करने के आदेश दिये, तीन दिन के अन्दर रिपोर्ट देने को कहा । रिपोर्ट आने पर सरसरी तौर से उसको दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ केस रजिस्टर किया गया और उसको सस्पेण्ड कर दिया । उसी प्रकार से मैं यह स्पष्ट कहना चाहूंगा कि चाहे कोई व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो और कितना ही रिसोर्सफुल क्यों न हो उसकी गलती सामने आयेगी तो निश्चित तौर से उसके खिलाफ एक्शन लिया जायगा । जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उन सभी को मैं इस समय जवाब देने में असमर्थ हूं लेकिन गृह आयुक्त महोदय से कहूंगा कि वे सारी प्रोसीडिंग को एग्जामिन करें और अलग अलग मुद्दों पर कार्यवाही करें । यदि

Page No 232

(232)

(श्री सम्पतराम)
संभव हुआ तो जिन माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये हैं उनको सूचित भी कर दिया जायेगा ।

अब इसके अलावा यह प्रश्न उठता है कि अभी जो आफेन्सेज हुए उनका ट्रेण्ड क्या है ? इस सम्बन्ध में मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, इस सरकार का निर्माण उस वक्त हुआ जब कि देश आपातकालीन स्थिति से गुजरा हो था, सारा समाज जकड़ा हुआ था । अखबारों में पूरी खबरें नहीं आती थीं और कोई बोलने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था ।

श्री नवरंगसिंह : आप भी उसी सरकार में थे ।

श्री सम्पतराम : आप सुनिये, मैं उसमें था इससे आपको क्या ?

मैं यह निवेदन कर रहा था कि उस समय लोगों में यह हिम्मत नहीं थी कि पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज करायें । कोई व्यापारी हुआ तो सेल्स टैक्स वाले ऊपर ही उसका काम करा दिया करते थे । किसी को भी बिना कुछ कारण बताये धर दिया जाता था । इस सारी व्यवस्था से समाज जकड़ा हुआ था । लोगों में हिम्मत नहीं थी कि पुलिस स्टेशन में जाकर केस रजिस्टर करायें । रिलीफ मिलने को भी कोई आशा नहीं थी । एक तानाशाही का सा वातावरण था । उस वातावरण में से निकले तो हालत यह हुई कि विद्यार्थी, मजदूर, मिलों में काम करने वाले मजदूर भाई, किसान भाई, बिजली विभाग में काम करने वाले दूसरे भाई और समाज के प्रत्येक वर्ग का हौसला बढ़ा । उनको आशा थी कि नई सरकार आई है यह हमारी प्राब्लम्स का सोल्यूशन करेगी । बहुत से लोग आये और केसेज रजिस्टर हुए । कई आन्दोलन भी हुए, हड़तालें भी हुई । बहुत सी बातों की छूट दी गई फिर भी पुलिस के साथ छुटपुट घटनाओं के अलावा कोई खास वारदात नहीं हुई । अफेन्सेज में बढ़ोतरी हुई है लेकिन फिर भी स्थिति नियन्त्रण में कही जा सकती है । इस तरह की बात नहीं है कि जुर्म बहुत ज्यादा बढ़ रहे हों और पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की हो और सामाजिक अव्यवस्था ज्यादा हो रही हो । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जनता सरकार का निर्माण 1977 के आखिरी हिस्से में हुआ । इसमें पहले 75-76 के आंकड़ों को देखें तो मालूम होगा कि इमर्जेन्सी के समय में निश्चित तौर से जुर्म कम हुए हैं और हुए भी होंगे तो लोग चुप रहे होंगे, रजिस्टर नहीं कराये होंगे । 74 के आंकड़ों को देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि डकैती के 76 केसेज हुए अब इसमें 85 हैं । रोबरी के अन्दर 251 थे अब इसमें 929 हैं । सबसे ज्यादा केसेज मर्डर के हुए 74 में 353 और 77 में 338 हुए, इसमें कम हुए । इसी तरीके से आई. पी. सी. के अन्दर 16300 मामले दर्ज हुए, बाकी सालों में बहुत कम हुए । इस बात को कहने में मुझे संकोच नहीं है कि आफेन्सेज बढ़े हैं लेकिन रिकवरी भी हुई है, माल की बरामदगी भी हुई है । जो आफेन्सेज बढ़े हैं उनको हम चैक करने का प्रयत्न करेंगे, इसके लिए पुलिस को आगाह किया जायगा, सतर्क किया जायगा । माननीय सदस्यों का भी सहयोग मिलेगा तो मैं आशा करता हूं कि इसमें हमको कामयाबी मिलेगी ।

(श्री सम्पतराम)

इसी प्रकार से मैं निवेदन करना चाहता हूं, डकैती के केसेज के बारे में सदन में काफी चर्चा हुई। मुझे भी इस बात की चिन्ता है और होनी भी चाहिए। किसी भी देश में लॉ एण्ड आर्डर नहीं होगा तो लोगों का जीवन सुरक्षित नहीं होगा, उनकी प्रोपर्टी सुरक्षित नहीं होगी। सुरक्षा नहीं होगी तो खुशहाली और खुशी नहीं आयेगी इसलिए यह आवश्यक है कि इस बात पर गम्भीरता से विचार किया जाय और कोई न कोई कार्यवाही अवश्य की जाय।

इस वर्ष के अन्दर डकैती अपराध के 141 मामले दर्ज हुए जो गत वर्ष की तुलना में 36 अधिक हैं और वर्ष 75 की तुलना में बराबर हैं, 74 की तुलना में 23 कम हैं। डकैती उन्मूलन अभियान के अन्तर्गत प्रयत्न किये जा रहे हैं। अभी थोड़े दिनों में, मैं समझता हूं कि कुछ ही दिनों में उपलब्धियां भी हुई हैं। आप सहमत होंगे कि पुलिस जागरूक हुई है। अभी आपने देखा होगा कि धौलपुर के अन्दर आठ डाकुओं का एक गिरोह गिरफ्तार किया गया। मथुरा के अन्दर उनका पीछा किया गया। मथुरा की पुलिस और राजस्थान की पुलिस, दोनों की मदद से आठ डाकुओं के एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया। इसी प्रकार से 11-3-78 को एक डाकू, जो अन्तर्राज्यीय गिरोह का है, पकड़ा गया। बसेड़ी थाने के कोटीपुरा गांव में लड़ाई हो रही थी, उसको धौलपुर में पकड़ा गया। इस प्रकार से अभियान चालू है। मैं निवेदन करूंगा कि 11—12 डाकू इसी के पकड़े जाने से बरामद हो जायेंगे। इसके अन्दर पांच हजार रुपये के ओर्नामेंट्स भी बरामद हो गये हैं। इसी प्रकार से बहुत सी चीजें वर्कआउट की जा रही हैं।

12-3-78 को भरतपुर जिले में वाईजान थाना एरिया के अन्दर कुख्यात डाकू उदयभान सिंह व उसके साथी आ रहे थे। उधर से मध्य प्रदेश पुलिस ने पीछा किया और इधर से हमारी पुलिस ने पीछा किया। कुछ डाकू वहीं पर मार गिराए गए। बाकी फरार हो गए। हम डाकू उन्मूलन के बारे में बिल्कुल ध्यान रखते हैं, हमारा दावा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो असामाजिक तत्व हैं, जो, रोबरी करते हैं, उनको हर तरीके से नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए।

हमने योजना बनाकर भेजी है सवाई माधोपुर, भरतपुर की। यह जिस प्रकार का इलाका है उसमें डाकू समस्या होना स्वाभाविक है। वह इलाका ऊबड़-खाबड़ है, घने जंगल हैं, नाले ऐसे हैं कि कोई भी आदमी उसमें घुस सकता है। उस इलाके का विकास करने में काफी रुपया खर्च होगा, जमीन को लेविल किया जायेगा, पेड़ लगाये जायेंगे, वहां अधिक से अधिक चौकियां कायम की जायंगी। ज्यादा पुलिस भी हमने लगाई है। इसी दौरान सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर में एडीशनल एस. पी. की पोस्ट्स क्रिएट की हैं ताकि ज्यादा सतर्कता से काम कर सकें।

इसके बाद एक-दो बातें और हैं। सबसे बड़ी बात, उपाध्यक्षजी, सारे देश में जो चल रहे है मुझे पता नहीं व्यावहारिकता के रूप में या आलोचना के रूप में उसको लिया जा रहा है या मखौल है। चाहे इधर बैठने वाले हों चाहे उधर बैठने वाले हैं, वे कहने आए हैं कि हरिजनों पर अत्याचार

(श्री सम्पतराम)

हो रहे हैं, इसका रास्ता निकालना चाहिए। मुझे कम चिन्ता नहीं है लेकिन इस मामले में एक्सप्लाइटेशन करने के बजाय हम सब मिलकर कोशिश करें, कि उनका सम्मान हो, इज्जत हो कमजोर वर्ग को कोई परेशान न करे। अगर यह दृष्टिकोण हमारा होगा तो निश्चित रूप से सफल होंगे। सरकार सजग है। कई बार मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, प्रेस में और विधान सभा प्रांगण में घोषणा की है कि हमारा सर्व प्रथम कर्तव्य यह है कि हम गरीबों और हरिजनों को हर प्रकार से संरक्षण दें....

श्री द्योपतसिंह मकासर : आप थे नहीं। हम अकेले ही जूझ रहे हैं। आपकी पुलिस ने एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं किया।

श्री सम्पतराम : यह आपकी तारीफ की बात है।

हम पुलिस मुख्यालय पर एक स्पेशल सैल खोल रहे हैं, हर जिले में भी एक स्पेशल सैल खोल रहे हैं ताकि वीकर सेक्शंस व हरिजनों को हम विशेष संरक्षण दें। उनके केसेज को स्पेशल केसेज घोषित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो घटना घटेगी, जो जुर्म होगा, यदि उन पर किसी प्रकार का अत्याचार किया जाएगा तो उसकी रिपोर्ट हमारे इंसपैक्टर जनरल तक आएगी, गृहायुक्त तक आएगी, गृह मंत्री तक आएगी, ताकि फौरन कार्यवाही की जाए।

राज्य सेवाओं में जो भेदभाव की बात है, मैं इस बात से सहमत हूं। पुलिस विभाग में ही नहीं बल्कि अन्य विभागों में भी इसी तरह से काम करते हैं। अभी पुलिस के सब-इंसपैक्टरों की चर्चा हो रही थी, सुनकर दुःख होता है कि 30 साल में हम सिर्फ 13 सब-इंसपैक्टर शिड्यूल्ड कास्ट्स के भर्ती कर सके हैं। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि जो 30 साल में नहीं किया गया है वह एक साल के अंदर जनता पार्टी करेगी। दूसरे क्षेत्रों में भी जो रिजर्वेशन का कोटा है, सही मन्शा में उसको पूरा किया जाएगा। जो उनके अधिकार हैं, उनकी हर स्टेज पर रक्षा करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री चिंतित हैं। एक कमेटी भी बनाई गई है जिसके वह स्वयं अध्यक्ष हैं। वह रिजर्वेशन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी, कोई भी कमी रही होगी तो पूरा करने का प्रयत्न किया जाएगा।

इसके साथ-साथ जो दूसरा पहलू है वह यह कि हमारे पुलिस के अन्वेषण के तौर तरीके बहुत पुराने हैं। मैं स्वीकार करता हूं। आज दुनिया के जितने प्रगतिशील, वैज्ञानिक रूप से उन्नत देश हैं, उनके मुकाबले में हम नहीं बढ़ पाए हैं। फिर भी पूरा प्रयत्न करेंगे, हम अपने पुलिस को वैज्ञानिक साधनों से सुसज्जित करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आधुनिक साधन उपलब्ध करायेंगे जिससे पुलिस इन्वेस्टीगेशन व दूसरे कामों में सफल हों।

इसके साथ-साथ आपने यह भी कहा कि टेलीफोन होना चाहिए, वायरलैस होना चाहिये, जीप्स होनी चाहिएं। इस बारे में भारत सरकार भी चिंतित है और हम भी चिंतित हैं। मैं समझता हूं निकट भविष्य में, एक-दो साल में काफी पैमाने पर ये साधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

(श्री सम्पतराम)

इसके साथ-साथ लॉ एण्ड आर्डर के लिए आपने फर्माया। ठीक है कुछ दिनों में व्यवस्था में कुछ फर्क आया है, फिर भी यह तो नहीं कह सकते कि स्थिति असंतोषजनक है। यह बात स्वीकार करने में मुझे आपत्ति नहीं कि भारत में जो प्रमुख राज्य हैं उनके मुकाबले राजस्थान में लॉ एण्ड आर्डर पोजीशन अच्छी है। जो कुछ इधर-उधर कमजोरी होगी उसको दूर करके पुलिस को सजग करेंगे।

बहुत से सदस्यों ने कहा, पुलिस का मोरल डाउन हो गया है। मैं इस बात से सहमत हूं अगर असामाजिक तत्वों से लड़ना है तो हमें एक तरफ प्रभावशाली तत्वों से बचकर पुलिस को सही रास्ते पर ले जाना होगा, उस रास्ते पर ले जाकर काम-काज कराना पड़ेगा, उसी तरीके से यह भी आवश्यक है कि हम ऐसी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस का हौसला बढ़े और वह सफल हो। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि किसका ट्रांसफर कहां हो गया। मेरा अनुभव है कि जब तक जिले का एस. पी. अपनी जिम्मेदारी मानकर जिले को नहीं संभालेगा तब तक हम कोई अच्छे रिजल्ट्स हासिल नहीं कर सकेंगे। ट्रांसफर होगा तो किसी मतलब से होगा, राजनैतिक दलबंदी में पड़कर नहीं, राजनैतिक दलबंदी में न पड़े हैं और न पड़ेंगे, तब ही पुलिस को सफलता मिलेगी।

श्री नवरंगसिंह : आई. जी. आपके आदेश को न माने तो आपको क्या महसूस होगा ?

श्री सम्पतराम : मेरी समझ में नहीं आता कि नवरंगसिंहजी को क्या सूझबूझ है। कोई भी अधिकारी राज्य सरकार का ऐसा नहीं है जो मंत्री का हुक्म नहीं मानता हो। आई. जी. तो ईमानदार और सबसे सीनियर पुलिस अधिकारी है। यह मिलिटरी आर्गेनाइजेशन है। इसमें ऊपर के आदेश को ऐसा माना जाता है जैसे आर्मी में मानते हैं।

श्री नवरंगसिंह : आपका आदेश आई. जी. की फाइल में पड़ा रहता है।

श्री सम्पतराम : हो सकता है मेरे आर्डर करने के बाद कोई ऐसे तथ्य मेरे सामने लाए जायं जिनसे मैं सन्तुष्ट हो जाऊं तो मैं अपनी आज्ञा को वापस ले लूंगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : मोरल ऊंचा कर रहे हैं या डाउन कर रहे हैं ?

श्री सम्पतराम : बिल्कुल ऊंचा कर रहे हैं।

माननीय सदस्यों ने एक मुद्दे पर चिंता व्यक्त की है, कि हमारे पुलिस के सिपाही जरूरत से ज्यादा ड्यूटी देते हैं। गरीब हैं, काफी हार्डशिप में उनको रहना पड़ता है, उनकी डाइट अच्छी नहीं, खाने-पीने को अच्छा नहीं मिलता, कपड़ा भी कम मिलता है और दूसरे सर्विसेज के मुकाबले उनको काफी काम करना पड़ता है। मैं इससे सहमत हूं। मैं नहीं समझता, उनकी सारी आवश्यकतायें मैं पूरी कर सकूंगा और इस सदन को संतोष दे सकूंगा, फिर भी थोड़ा बहुत प्रयत्न किया है, कुछ न कुछ राहत छोटे कर्मचारियों को हमारा विभाग देगा।

श्री श्योपतसिंह मकासर : टी. बी. का मरीज सिपाही कितना मुकाबला करेगा ?

श्री सम्पतराम : हमने यह विचार किया कि सहायक पुलिस उप-निरीक्षक, हैड कान्स-

(श्री सम्पतराम)

टेबल व कांसटेबल को 6/- रु. प्रति माह वर्दी के रख-रखाव के लिए भत्ता दे दें। सहायक उप-निरीक्षक और उसके नीचे सभी पदों के कर्मचारियों को यह भत्ता वर्दी के रख-रखाव के लिये दिया जायेगा। इससे प्रति वर्ष राज्य सरकार को 27 लाख 72 हजार रुपये का अतिरिक्त व्यय करना होगा।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगा। वह यह है कि शायद पिछली सरकारों में से किसी भी सरकार ने पुलिस के वेलफेअर के लिये कोई ऐसी योजना नहीं बनायी जैसी कि जनता पार्टी की सरकार ने पुलिस के वेलफेयर के लिये बनायी है। हालांकि पुलिस वेलफेअर के लिए एक छोटी-सी रकम रखी है लेकिन यह एक नयी योजना है और पुलिस के स्टाफ के लिये एक अच्छी शुरुआत है। राज्य सरकार ने पांच लाख रुपये की रकम पुलिस डिपार्टमेन्ट में सन् 78-79 के लिये पुलिस वेलफेअर के लिये रखी है।

उपाध्यक्ष **महोदय**, इसी तरह जब विधान सभा चलती है तब देर रात तक यहां जो प्रहरी बैठे रहते हैं उनके बारे में कई माननीय सदस्यों ने बहुत चिन्ता व्यक्त की है। इनके बारे में हमने विचार भी पहले किया था। लेकिन चूंकि सभी प्रदेश के सिपाही लोग हैं वह भी खड़े रहते हैं अगर इनके लिये निर्णय अलग से लेते हैं तो दूसरों पर इसका इम्पेक्ट पड़ेगा। इसलिये हमने यह निर्णय लिया है कि चूंकि यह लोग विधान सभा चलती है तब ही यहां पर काम करते हैं इसलिये जिस तरह विधान सभा के कर्मचारियों को ओवर टाइम दिया जाता है उसी तरह ओवर टाइम इन विधान सभा प्रहरियों को भी दिया जाय।

बस इतना ही कह कर मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस विभाग से संबंधित आज की डिमान्ड को पारित किया जाय।

श्री श्योपतसिंह मकासर : यह ओवर टाइम है या अलग हार्ड ड्यूटी अलाउन्स।

श्री सम्पतराम : जो विधान सभा कर्मचारियों को ओवर टाइम दिया जाता है वह है। इन्हें भी उसी अनुरूप मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया था। माननीय सदस्य, श्री ईश्वरचन्द्र भटनागर के भाषण और श्री सूर्यनारायण चौधरी, विधि मन्त्रीजी के भाषण के कुछ अंश के सम्बन्ध में आपत्ति उठायी गई थी। मेरी व्यवस्था है कि उनके भाषण के निम्न अंश सदन की कार्यवाही से विलोपित किये जायें। उनको मैं पढ़ कर सुनाता हूं :

ईश्वरचन्द्र भटनागर ने अपने भाषण में यह कहा था, ×××

इसको विलोपित किया जाय।

दूसरा, ×××

इसके आगे है ×××

इसको भी सदन की कार्यवाही से विलोपित किया जाय।

×××

××× **अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई।**

(श्री उपाध्यक्ष)

(व्यवधान)

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें ।

इसके आगे है ×××

इसको भी सदन की कार्यवाही से विलोपित किया जाय ।

इसके आगे है×××

इसको विलोपित किया जाय ।

मांग संख्या 6 व 16 का पारण ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 6, न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,23,48,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जाये ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 16, पुलिस के संबंध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 26,52,08,000 रुपये की राशि प्रदान की जाय ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी ।

सदन की कार्यवाही आज प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही मध्य रात्रि पश्चात् 12-15 बजे, बुधवार, दिनांक 15 मार्च, 1978 के म. पू. 51 बजे तक के लिये स्थगित की गई ।)

———

××× अभिव्यक्ति अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार अपलोपित की गई ।

(230)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 216 की सूची)

जिलेवार एवं श्रेणीवार आयुर्वेद औषधालयों / चिकित्सालयों की सूची

क्र.सं.	नाम जिला	'अ' श्रेणी चिकि.	'ब' श्रेणी औष.	'सी' श्रेणी औष.	योग
1	अजमेर	3	5	75	83
2	अलवर	1	3	110	114
3	बाँसवाड़ा	1	4	61	66
4	बाड़मेर	1	4	50	55
5	भरतपुर	2	9	97	108
6	भीलवाड़ा	2	10	110	122
7	बीकानेर	1	4	56	61
8	बूंदी	1	2	33	36
9	चित्तौड़गढ़	2	4	73	79
10	चूरू	2	1	81	84
11	डूंगरपुर	1	7	61	69
12	गंगानगर	1	7	97	105
13	जयपुर	2	18	253	273
14	जालोर	1	2	36	39
15	झालावाड़	1	2	49	52
16	झुन्झनूं	1	1	103	105
17	जोधपुर	1	9	50	60
18	जैसलमेर	1	..	22	23
19	कोटा	1	4	68	73
20	नागौर	1	7	95	103
21	पाली	1	18	53	72
22	सवाई माधोपुर	2	1	132	135
23	सीकर	1	6	98	105
24	सिरोही	2	..	27	29
25	टोंक	..	..	66	66
26	उदयपुर	2	18	149	169
	योग: ..	35	146	2105	2286

(विस्तृत सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर एवं उनके उत्तर

जयपुर में आवासन मंडल के मकानों का आवंटन

218. श्री गिरधारी लाल भार्गव (किशनपोल, जयपुर) : क्या नगर आयोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर में 1973 में जिन लोगों ने आवासन मंडल में मकानों के लिए अपन नाम निर्धारित धनराशि जमा कराकर पंजीकृत कराए थे, उनमें से कितने लोगों को मकान आवंटित कर कब्जा दे दिया गया है ?

(2) इस समय कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में शेष हैं ? वर्गवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) जयपुर नगर में 1978-79 में मंडल द्वारा कितने मकान किस-किस वर्ग के कहाँ-कहाँ बनाने का कार्यक्रम है ? ये मकान स्वतंत्र एक-मंजलीय (सिंगल स्टोरी) होंगे या बहु-मंजलीय होंगें ?

(4) 1973 में पंजीकृत व्यक्तियों को मंडल अब कितनी अवधि में मकान बनाकर कब्जा दे देगा ?

उत्तर

(1) जयपुर शहर में सन् 1973 में सामान्य पंजीकरण योजना के अन्तर्गत 16,454 व्यक्तियों ने पंजीकरण करवाया इनमें से 1,410 व्यक्तियों को मकानों का आवंटन कर दिया गया है तथा 1,028 व्यक्तियों को कब्जा दे दिया गया है।

(2) इस समय 28 फरवरी, 1978 तक पंजीकृत व्यक्तियों में से 12,183 व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं। वर्गवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

जनता आयवर्ग (2,400 रु. तक प्रतिवर्ष)	5026
आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग (2,401 रु. से 4,200 रु. तक)	4,172
निम्न आयवर्ग (4,201 रु. से 7,200 रु. तक)	1766
मध्यम आयवर्ग (7,201 रु. से 18,000 रु. तक)	1161
उच्च आयवर्ग (18,000 रु. से ऊपर)	58
कुल ..	12,183

शेष 3,773 व्यक्तियों ने पंजीकरण राशि वापिस ले ली है।

(3) जयपुर नगर में 1978-79 में मण्डल द्वारा मकान बनाने का कार्यक्रम क्लार्क आमेर के सामने वाले भूमि उपलब्ध होने पर बनाया जावेगा। चूंकि जमीन मिलने पर ही 'हुडको' (हाउसिंग एण्ड अरबन डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन, नई दिल्ली) से ऋण प्राप्त हो सकता है। वैसे बोर्ड की क्षमता प्रतिवर्ष 4,000 मकान बनाने की है। चालू स्कीमों में जितने मकान निर्माणाधीन हैं जो

Page No 240

(240)

(आयोजना मंत्री)

वर्ष 1978-79 में पूर्ण हो जायेंगे:—

स्थान	वर्ग	संख्या
जवाहर नगर	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	108 (बहुमंजिले)
,,	मध्यम आयवर्ग	342 (बहुमंजिले
वन बिहार (ईदगाह)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग	296 (दो मंजिले)
	मध्यम आयवर्ग	114 (दो मंजिले)
घाट की गूणी	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग	170 (एक मंजिले)
	कुल..	1,030

(4) जिस तारीख से भूमि अवाप्त हो जायेगी उससे दो वर्ष में मकान बना कर देने की क्षमता है ।

पुलिस विभाग में रोस्टर प्रणाली, जिला पाली

219. श्री अचलाराम (देसूरी) : क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पाली जिले में पुलिस विभाग में रोस्टर प्रणाली का बराबर पालन किया जाता है ? अगर हां, तो पिछले तीन वर्षों में कितने अनुसूचित जाति व जन-जाति के कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न पदों पर पदोन्नति दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) यदि रोस्टर प्रणाली का पालन नहीं किया गया, तो राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां, 1975 में एक अनुसूचित जन-जाति लिया गया।

1976 में दो अनुसूचित जाति के लिए गये । 1977 में कोई योग्यता परीक्षा नहीं ली गयी (सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है) ।

(2) रोस्टर प्रणाली का नियमानुसार पालन किया गया है ।

सूची

कांस्टेबल से हैड कान्सटेबल की पदोन्नति हेतु सूची (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति) ।

वर्ष	नाम	जाति	पदोन्नति की तिथि
1975	कांस्टेबल 758, श्री कुम्भाराम	अनुसूचित जन-जाति	12-11-75
1976	कान्सटेबल 130, श्री गजनाथ	अनुसूचित जाति	5-5-76
1976	कान्सटेबल 155, श्री मांगीलाल	अनुसूचित जाति	29-5-76

थाना भीमगंज मण्डी में दर्ज मामले

220. **श्री गोपाल पचेरवाल** (केशोराय पाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) थाना भीमगंज मण्डी, कोटा के अन्तर्गत जनवरी, 1978 के अन्तिम सप्ताह में कितनी रपट दर्ज की गई ओर उन पर क्या कार्यवाही की गई ? सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि इन रपटों में किसी हरिजन द्वारा भी कोई रपट दर्ज करवाई गई थी ? यदि हां, तो किस हरिजन ने किस तिथि को और किसके विरुद्ध ?

(3) क्या यह सही है कि रपट दर्ज कराने वाले हरिजन ने किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ रपट दर्ज कराई थी, जो सूद पर धन का लेन-देन करता है ? यदि हां, तो क्या इस व्यक्ति ने रपट दर्ज कराने वाले के साथ तथा उसके परिवारजनों के साथ मार-पीट की थी ? यदि हां, तो क्या उस सूदखोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश कोटा को भी पुलिस के खिलाफ कार्यवाही न करने के आरोप का कोई ज्ञापन नागरिकों द्वारा दिया गया था ? यदि हां, तो उस ज्ञापन की प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करें तथा यह बतायें कि जिलाधीश अथवा पुलिस के उच्चाधिकारियों ने पुलिस के खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) थाना भीमगंज मंडी, कोटा में वर्ष 1978 के जनवरी माह के अन्तिम सप्त में 2 रिपोर्ट दर्ज हुई। वांछित सूची संलग्न है।

(2) जी हां। श्रीमती राखी, पत्नी श्री गंगाराम, हरिजन, साकिन नेहरू नगर भीमगंज मंडी ने दिनांक 30-1-1978 को मानसिंह, पुत्र मूरसिंह, राजपूत, साकिन हुडबारा व तीन अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध की थी।

(3) जी हां, मामले का अनुसंधान अभी जारी है।

(4) जिलाधीश, कोटा से एक प्रतिनिधि-मंडल मिला था। जिसके द्वारा श्री मानसिंह के जुल्म की शिकायत की गई थी, लिखित में ज्ञापन देना नहीं पाया जाता है। जिलाधीश ने पुलिस अधीक्षक, कोटा को दिनांक 10-2-78 को एक पत्र लिख कर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने के लिये लिखा।

नकल रपट नं 1775, दिनांक 30-1-78
रोजनामचा आम थाना भीमगंज मंडी, कोटा

इस समय श्री घीसालाल, ए.एस आई. पुत्र फानिलालजी 18 95 रवाना हुवा। रिपोर्ट नं 1771 रोजनामचा थाना में गया हुआ। एम.पी.एस. सफाखाना, कोटा से वापिस आया। एक किस्सा बयान जबानी रिपोर्ट मुसम्मात राखी बाई, पत्नी गंगाराम कौम हरिजन उम्र 38 वर्ष, निवासी नेहरू नगर, रेल्वे गेट के सामने थाना भीमगंज मंडी, कोटा ने बमुकाम एस. बी. एस. अस्पताल, सर्जीकल वार्ड

(श्री गृह मन्त्री)

में जबानी रिपोर्ट की कि हम आज सुबह 9-10 बजे अपने पति व जवांई फकीर-चन्द के साथ रेल्वे की अदालत में पेशी में रेल्वे लाइन-2 जा रहे थे। हम क्रोसिंग से आगे स्टेशन की तरफ पहुंचे तो सेन्टिग की गाड़ी में से चार आदमी कूदे उनमें एक आदमी मानसिंह डडवाल था व तीन और थे जिनको पहचानती हूं, नाम नहीं जानती, एक दम आये और मानसिंह जिसके हाथ में चक्कू था, एक के हाथ में सरिया, दो के हाथ में लट्ठ थे। चारों हम पर टूट पड़े। सबसे पहले मेरे आदमी पर सरिया से खोपड़ी में मारी। मोंरां में मारी। मैं व मेरा जवांई बचाने लगे तो उन्होंने हमें भी मारा। मेरे आदमी को मारते-मारते बाबाजी के डेरे के पास ले आये। जब लाइन के पास में भागी तो मेरे हाथ में एक थेला जिसमें कागज थे एक टेप रेकार्ड था व थेला काला नी र गिर पड़ा। मेरे हाथ में लकड़ी की चोट लगी हुई है वे बदमाश थैले को उठा कर ले गये व भाग गये। मानसिंह से मेरी पुरानी लड़ाई लेन-देन के मामले में है। इसी रंजिश के कारण वह हमें मारना चाहता था। मैं अपने आदमी को ओटो-रिक्शा में डालकर अस्पताल में ले आई। टेप-रेकार्ड का नाम पता मेरा बच्चा रमेश जानता है वह बता देगा। निसानी राखी बाई। एस. डी. घीसालाल ए. एस. आई.। इत्तिला जुबानी मुझ ए. एस. आई. को बमुकाम एम. बी. एस. सफाखाना, कोटा दी। मजरबान को मुआयने बाबत तहरीर दी जा चुकी। वास्ते अग्रिम कार्यवाही थाने में पेश होगी। एस. डी घीसालाल ए. एस. आई., पी. एस. भीमगंज मंडी श्री घीसालाल ए. एस. आई. ने उक्त रिपोर्ट पेश की। मामला थाना हाजा का क्षेत्र अधिकार का नहीं है। अतः रोजनामचा आम में नकल ही अग्रिम कार्यवाही हेतु मय बयान थाना सी. आर. पी. को लोटावें। श्री घीसालाल, ए. एस. आई. को दी गई।

नकल रपट नं. 8047 पी. एस. इस समय रिपोर्ट जुबानी श्रीमती राखीबाई पत्नी श्री गंगाराम, निवासी नेहरू नगर रेल्वे गेट के सामने की जो रपट नं. 1775 पर दर्ज है। वास्ते तफतीस जी. आर. पी. थाना भेजी गई थी। इस समय जरिये डाक वापिस आई। तहरीर रिपोर्ट, नकल रिपोर्ट, बयान परिवादी मजमून रिपोर्ट थे। जुर्म नं. 394 आई. पी. सी. पाया जाता है। अतः मुकद्दमा नं. 34/78 दर्ज मजकूर पाबन्द कर तफतीश शुरू की।

नकल रपट नं. 1788, 3-50 पी. एम. रोजनामचा ग्राम थाना भीमगंज मंडी, कोटा।

इस समय श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र नानूराम, उम्र 41, वर्ष निवासी दादावाड़ी, कोटा, हाल जूनियर सिंचाई विभाग, आर. एम. सी. आई. ने उपस्थिति थाना होकर तहरीर रिपोर्ट पेश की कि श्रीमान् थानेदार, साहब, थाना भीमगंज मंडी, नहर काटने बाबत। मेन आर. डी. 218 वादी को सड़क की तरफ रेल्वे हास्पिटल के पास आज दिनांक 30-1-78 को जब मैं नहर के दौरे पर गया मिस्त्री मानसिंह के साथ आया, तो नहर को काटकर इन्द्रकुमार रामस्वरूप, लोको वर्क शोप में काम करते हैं. अपने खेतों में पानी ले गये। नहर को करीब आधा फुट काट लिया। लम्बाई में 141 पाइन्ट एक जिसने नहर का काफी नुकसान हुआ है।

(श्री गृह मंत्री)
इस रिपोर्ट से अपराध जुर्म 480 में आना पाया जाता है। मुकद्दमा नं. 33/78 जुर्म मजकूर थाने में कायम कर तफतीश श्री घीसालाल ए. एस. आई. के सुपुर्द की जाकर घटना स्थल के लिये रवाना किया गया।

बामनवास तहसील के ग्रामों का विद्युतीकरण

221. श्री कुंजी लाल (बामनवास) : क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बामनवास तहसील (सवाई माधोपुर) के आंतरी क्षेत्र के ग्राम भांवरा, अमावरा सुकार, रीवाली बिचपुड़ी आदि तथा बिछोच, डाबर, बरवाला बारोदा, फुलवाड़ा आदि ग्रामों को मिला कर एक ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाने का सर्वे हो चुका है? यदि हाँ, तो क्या स्कीम बनकर स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है? यदि हाँ, तो कब, यदि नहीं, तो क्यों? यदि उक्त योजना का सर्वे अभी नहीं हुआ हो, तो भविष्य में कब तक हो जावेगा?

उत्तर

जी हाँ। नादोती पंचायत समिति की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाते समय प्रश्न में वर्णित ग्रामों का सर्वेक्षण किया गया था परन्तु ग्राम भांवरा, अमावरा, रीवाली, बिचपुडी भू-जल सर्वे के अनुसार 'ओवर ड्राफ्टेड' जोन में होने के कारण व ग्राम सुकार, बीछोछ, डाबर, बरनाला, बाटोदा एवं फुलवाड़ा योजना से सम्बद्ध लाइनों के अधिक दूर होने के कारण योजना में सम्मिलित नहीं किये जा सके। बामनवास तहसील के 33 ग्राम नादोती पंचायत समिति की स्वीकृति योजना में सम्मिलित हैं।

बामनवास तहसील के बचे हुए गाँवों का विद्युतीकरण कब तक किया जा सकेगा, अभी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

राज्य पथ परिवहन निगम की बसें

222. श्री रामसिंह विश्नोई (लूणी): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने 1-4-1975 से 31-12-1977 तक कितनी बसें किन-किन फर्मों से, कितनी-कितनी कीमत में खरीदीं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) निगम की डीलक्स, सुपर डीलक्स एवं साधारण बसों के किराये की दर में प्रति किलोमीटर कितना अन्तर है और प्रत्येक बस में एक दूसरे की सहूलियत में क्या अन्तर है?

(3) क्या यह सही है कि सुपर डीलक्स व डीलक्स बसों में जो फैसिलिटीज उपलब्ध होनी चाहिये वो निगम की बसों में नहीं हैं? अगर हाँ, तो क्यों और कब तक ऐसी व्यवस्था इनमें कर दी जायेगी?

उत्तर

(1) वांछित सूचना सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) डीलक्स बसों एवं साधारण बसों की किराये की दर में 2.5 पैसे प्रति कि. मी. का अन्तर है। डीलक्स बसों में सीटों की दूरी

(श्री यातायात मंत्री)
साधारण बसों से अधिक होती हैं। साधारण बसों की सीटों की संख्या 52 से 60 होती है जब कि डीलक्स बसों में सीटों की संख्या 32 से 36 होती है। डीलक्स की सीटें स्पेशियल डिजाइन की अधिक आरामदायक, बढ़िया किस्म के फोम व रेग्जीन की होती हैं तथा इन सीटों का पीछे का हिस्सा ऊंचा होता है। बाहर की रोशनी से यात्रियों को असुविधा न हो इसलिये डीलक्स बसों की खिड़कियों पर पर्दे लगाये गये हैं। यात्रियों के मनोरंजन के लिये डीलक्स बस में रेडियो की व्यवस्था भी है। यह सब सहूलियतें साधारण बसों में उपलब्ध नहीं हैं।

(3) जी, नहीं; डीलक्स व सुपर डीलक्स बसों में वे समस्त सहूलियतें उपलब्ध हैं जो डीलक्स बसों व सुपर डीलक्स बसों में उपलब्ध होनी चाहिये।

निगम द्वारा वर्ष 1975-76, 1976-77 व 1977-78 में खरीदी गई चेसिसों सम्बन्धी सूचना

क्रम सं.	वर्ष	क्रय किये गये चेसिस की संख्या			चेसिस की कीमत	नाम फर्म
1.	1975-76	लेलैण्ड.	224	242	2,30,72,000/-	मै. राजेश मोटर्स, जयपुर
		टाटा	14		13,54,445/-	मै. यूनाइटेड मोटर्स, जयपुर
		प्रीमीयर डाज	4		4,08,916/-	मै. कमल एण्ड कम्पनी, जयपुर
2.	1976-77	लेलैण्ड	286	405	2,97,44,000/-	मै. राजेश मोटर्स, जयपुर
		टाटा	119		1,18,45,002/-	मै. यूनाइटेड मोटर्स, जयपुर
3.	1977-78 (अब तक)	लेलैण्ड	66		68,12,425/-	मै. राजेश मोटर्स, जयपुर (इनमें से दिसम्बर, 77 तक केवल 40 चेसिस प्राप्त हुईं तथा शेष 26 चेसिस दिनांक 6-3-78 तक प्राप्त हुईं)
		योग ..	713		7,32,36,788/-	

Page No 245

245

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में चलने वाली बसें

223. श्री **ईश्वर चन्द** (पिड़ावा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न मार्गों पर बसों के कितने परमिट जारी किये गये हैं ? क्या सभी मार्गों पर परमिटों के अनुसार बसें चल रही हैं ?

(2) ऐसे कौन से मार्ग हैं जिन पर परमिटों के बावजूद बसेज नहीं चल रही हैं ?

(3) क्या यह सही है कि भवानी मंडी पिड़ावा मार्ग राष्ट्रीयकरण हेतु स्वीकृत मार्ग है किन्तु फिर भी प्राइवेट बस चालकों की मिली जुली साजिश से रोडवेज बसेज नहीं चलाई जा रही हैं ?

(4) राज्य सरकार का पिड़ावा भवानी मंडी मार्ग पर राजस्थान रोडवेज की बसेज चलाने का कब से विचार है ?

उत्तर

पिड़ावा विधान सभा क्षेत्र के मार्गों एवं उन पर दिये गये परमिटों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

मार्ग का नाम	परमिटों की संख्या
1. पाटन-पिड़ावा	1
2. मानपुरा-पिड़ावा	1
3. भवानी मंडी-पिड़ावा वाया सूलिया, सुनेल	2
4. भवानी मंडी-सोयत वाया पिड़ावा	1
5. सूलिया-सुनेल वाया पिड़ावा	1
6. जोरापुर-गरीठ वाया पिड़ावा	1
7. झालावाड़-पिड़ावा	2
8. कोटा-पिड़ावा	1

इन सभी मार्गों पर परमिट के अनुसार बसें चल रही हैं ।

(2) ऐसा कोई मार्ग नहीं है ।

(3) इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण की अनुमोदित योजना राजस्थान राज-पत्र दिनांक 10-1-77 में प्रकाशित हो चुकी है । किन्तु निगम के पास वाहनों की कमी के कारण इस मार्ग पर निगम द्वारा अभी वाहन संचालन प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

(4) निगम को वाहन उपलब्ध होते ही इस मार्ग पर वाहन सेवा संचालित कर दी जावेगी ।

नियोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार व्यक्ति

224. **श्रीमती नारंगी देवी** (किशनगंज): क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) अब तक राज्य में कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो नियोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं, परन्तु उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हुए हैं ?

(2) इनमें तकनीकी लोगों की संख्या कितनी है एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार की क्या योजना है ?

(3) नियोजन कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार लोगों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लोगों का क्या प्रतिशत है ?

(4) क्या यह सही है कि राज्य में विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षित पदों में अधिकांश पद रिक्त रहते हैं ?

(श्रीमती नारंगी देवी)

(5) राज्य सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) राज्य के विभिन्न नियोजन कार्यालयों की जीवित पंजिका पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार दिनांक 31-12-1977 को 2,83,630 आशार्थी पंजीकृत थे ।

(2) इनमें तकनीकी आशार्थियों की संख्या 3,701 है। तकनीकी आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में इस विभाग के पास अलग से कोई योजना नहीं हैं किन्तु राज्य सरकार कि भिन्न योजनाओं जैसे सिंचाई, विद्युत, चिकित्सा, पशुपालन, निर्माण कार्य, कृषि विस्तार इत्यादि के माध्यमों से तकनीकी बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। यह अनुमान है कि वर्ष 1977-78 व 1978-79 में निम्न तकनीकी स्नातक एवं डिप्लोमाधारक व्यक्तियों को रोजगार की सुविधाएं उपलब्ध कराना सम्भव हो सकेगा:—

श्रेणी	रोजगार की सुविधायें जो उपलब्ध हो सकेंगी	
	1977-78	1978-79
1. तकनीकी स्नातक	559	716
2. डिप्लोमाधारी	511	514
3. कृषि स्नातक	151	480
4. पशु चिकित्सक	50	85
5. मेडिकल स्नातक	110	120
योग ..	1381	1915

(3) राज्य के नियोजन कार्यालयों में दिनांक 31-12-1977 को पंजीकृत आशार्थियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति का प्रतिशत क्रमशः 12.45 एवं 5.24 है।

(4) नियोजन सेवा निदेशालय इस प्रकार के आंकड़ें नहीं रखता है।

(5) अनुसूचित जाति व जन-जाति के आरक्षित पदों को भरने के लिए राज्य सरकार काफी सतर्क है व प्रभावशाली कदम उठा रही है। यह कार्यवाही कार्मिक विभाग द्वारा देखी जाती है।

झालावाड़ से सोयत वाया भवानी मण्डी मार्ग पर चलने वाली बस

225. **श्री ज्ञानचन्द्र आर्य** (डग): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या झालावाड़ से सोयत वाया भवानी मंडी मार्ग पर पूर्ण रूप से बसें चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) इस राष्ट्रीयकृत मार्ग पर कब तक बस सेवा नियमित हो जावेगी ?

उत्तर

(1) झालावाड़ से सोयत वाया भवानी मंडी का पूरा मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग नहीं है। इसमें से झालावाड़ से पगारिया तक का मार्ग झालावाड़, डग राष्ट्रीयकृत मार्ग का एक भाग है तथा इस मार्ग पर निगम द्वारा नियमित वाहन संचालित किया जा रहा है।

मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय चार के अन्तर्गत निगम ने भवानी मंडी-

(श्री यातायात मंत्री)

पगारिया -आवर सोयत मार्ग के तीन अनुज्ञा-पत्र लिये हैं। जिनके अन्तर्गत इस मार्ग पर छः परिचक्र संचालित किये जाने चाहियें। इस मार्ग में से पगारिया-आवर-पिड़ावा तक का 27 किलोमीटर का मार्ग कच्चा है तथा आवर के पास नदी पर पुलिया टूटी हुई है। वर्तमान में इस मार्ग पर चार परिक्रम ही संचालित किये जा रहे हैं। कम परिक्रम संचालित करने का कारण मार्ग कच्चा व खराब होने के साथ-साथ आगार में वाहनों की कमी होना भी है। आगार में वाहनों की कमी से कभी-कभी इन चार चक्रों में भी कमी करनी पड़ती है।

(2) आगार में वाहनों की कमी पूरी होने व मार्ग की स्थिति ठीक होने पर इस मार्ग पर वाहन सेवा नियमित हो जावेगी।

भीनमाल तहसील में नदियों का पानी

226. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भीनमाल तहसील में बारह मास चलने वाली नदियों के पानी ने गत वर्षा में ज्यादा वर्षा के कारण अपना पुराना रास्ता छोड़कर नया रास्ता ले लिया था ? अगर हाँ, तो नया रास्ता लेने से कितने गाँवों में एवं कितने काश्तकारों की काश्त की भूमि एवं चल व अचल सम्पत्ति का नुकसान हुआ ? इस बारे में सरकार द्वारा ऐसे लोगों को क्या-क्या राहत पहुंचाई गई ?

(2) क्या यह सही है कि इन नदियों का पानी रोक कर सिंचाई विभाग मध्यम-वर्गीय सिंचाई योजना बनाकर सिंचाई एवं पीने का पानी उपलब्ध करवाने की योजना हाथ में ले रही है ? अगर हाँ, तो वह क्या योजना होगी ? किस-किस क्षेत्र को लाभ पहुंचावेगी एवं इससे कितना क्षेत्र सिंचित होगा ?

(3) उक्त नदियों की उक्त योजना कब तक बनवाई जाकर कब तक क्रियान्वित करवा दी जावेगी ?

उत्तर

(1) जी हाँ, कुछ नदियों ने गत वर्ष अतिवृष्टि के कारण अपना मार्ग बदल लिया था। जन धन आदि हानि के सम्बन्ध में सूचना सिंचाई विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(2) जी हाँ। इस क्षेत्र की नदियों पर प्रस्तावित विभिन्न कार्यों का विवरण संलग्न है।

(3) संलग्न विवरण में सम्मिलित बारेठा व वणदर योजनायें वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ कराई जावेंगी व एक वर्ष की अवधि में पूर्ण की जावेंगी।

जैतपुरा व बांडी सेन्दरा योजनाओं पर सर्वे कार्य चालू है। सर्वे कार्य पूर्ण होने पर योजनायें बनाकर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जावेंगी।

प्रस्तावित योजनाओं का विवरण

(1) **सांगी नदी जलग्रहण क्षेत्र:**—

1. **वणधर योजना:**— 1760 एकड़ भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

2. **बारेठा योजना:**—75 एकड़ भूमि की सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

(सिंचाई मंत्री)

(2) जैतपुरा नाला जलग्रहण क्षेत्र :

इस क्षेत्र में प्रस्तावित जैतपुरा योजना पर सर्वे कार्य प्रगति पर है। इस योजना की अनुमानित लागत रु. 641-- लाख है व इससे 25000 एकड़ भूमि को जल प्लावन द्वारा व 2000 एकड़ को पालो (flow) द्वारा सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

(3) बांडी-सेन्दरा योजना:

इस योजना में 7500 घन फुट पानी को एकत्रित करके 7500 एकड़ भूमि की सिंचाई की जावेगी। इस योजना की अनुमानित लागत रु. 150/- लाख है। इस योजना पर सर्वे कार्य प्रारम्भ किया जाना है जो करीब दो वर्ष में पूरा हो जावेगा।

सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान

227. श्री नवलराय बच्चाणी (अजमेर पश्चिम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान की व्यवस्था सीधी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यलय से क्यों नहीं की जाती है ?

उत्तर

जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से भुगतान कराना संभव नहीं है क्योंकि अनुदान की पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं की जाती है।

जयपुर नगर में अपराधों के मामले

228. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) जयपुर नगर में 14 जून, 1977 के बाद कितनी चोरी, डकैती, मर्डर, राहजनी, बलात्कार के मामले कहां-कहां हुए और उन पर अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई ? सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि पुलिस उक्त मामलों को रोकने में असमर्थ रही है ? यदि हां, तो इसके लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

(3) क्या राज्य सरकार शीघ्र ही उक्त मामलों की रोकथाम के लिए शीघ्र ही कोई कारगर कदम उठाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में 14 जून, 1977 के बाद माह फरवरी, 1978 तक चोरी व नकबजनी के 2255, डकैती के 3, मर्डर के 10, रायजनी के 97 व बलात्कार के 7 मामले दर्ज हुए। यह मामले जहां-जहां हुए व उन पर जो-जो कार्यवाही की गई, पूर्ण विवरण संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) इन अपराधों की रोकथाम हेतु नगर में उचित पुलिस गश्त की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

धोलपुर में एम्प्लायमेन्ट की व्यवस्था

229. श्री जगदीश सिंह (धोलपुर) : क्या नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा

(श्री जगदीशसिंह)
करेंगे :–

क्या यह सही है कि धौलपुर में एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज की व्यवस्था करने का राज्य सरकार का विचार है ? अगर नहीं, तो क्या राज्य सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करेगी कि धौलपुर वासियों को भी यह सूचना किसी जरिये से मिल सके कि किस डिपार्टमेंट में कितनी जगह निकली है ताकि जो अखबार नहीं पढ़ते हैं उनको भी सूचना मिल सके ?

उत्तर

धौलपुर में अभी नियोजन कार्यालय खोलने की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है। वैसे धौलपुर में प्रत्येक माह की 25 एवं 26 तारीख को शिविर लगता है जिसमें आशार्थियों का पंजीयन एवं नवीनीकरण किया जाता है। धौलपुर क्षेत्र भरतपुर नियोजन कार्यालय के अन्तर्गत है। अतः किसी विभाग द्वारा भरतपुर नियोजन कार्यालय में रिक्ति अधिसूचित होने पर धौलपुर क्षेत्र के पंजीकृत आशार्थियों को भी डाक द्वारा सूचित करके संप्रेषण किया जाता है

वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर के लेखाकार का पद

230. **श्री गंगासहाय (कठूमर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर के लिये बड़ी कठिनाइयों के बाद एक लेखाकार का पद सृजित किया गया है ? यदि हाँ, तो क्या विभाग ने इस पद का सृजन केन्द्र के कार्यभार को आधार मानकर किया है ? यदि हाँ, तो सहायक वन संरक्षक, अलवर ने लेखाकार पद समाप्त करने के लिये राज्य सरकार को पत्र किस हेतु लिखा है ?

उत्तर

वन प्रशिक्षण केन्द्र, अलवर में एक लेखाकार का पद राज्यादेश एफ. 3(1)(12) राजस्व।8174 दिनांक 30 मार्च, 1974 द्वारा केन्द्र में कार्यभार की अधिकता को देखते हुए सृजित किया गया था। सहायक वन संरक्षक, अलवर ने राज्य सरकार को लेखाकार का पद समाप्त करने के लिए कोई पत्र नहीं लिखा है।

नगरपालिका, खेतड़ी के भूतपूर्व अध्यक्षों के खिलाफ जांच

231. **श्री मालाराम (खेतड़ी)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे–

(1) क्या भूतपूर्व खेतड़ी नगरपालिका के अध्यक्षों के खिलाफ कोई जाँच की गई है? यदि हाँ, तो कब-कब और किस किस के खिलाफ ?

(2) यह जाँच पूर्ण हुई अथवा नहीं ? यदि पूर्ण हुई है तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? कृपया जाँच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हाँ, जाँच निम्न प्रकार की गई:–

(अ) श्री नन्दकिशोर शर्मा दिनांक 27-12-74, 17-1-75, 25-3-76, 23-4-76, 10-3-77

(ब) श्री ताराचन्द शास्त्री दिनांक 2-7-74, 8-8-74, 1-3-75, 5-2-77 व 15-3-78

(श्री स्वायत शासन मंत्री)

(अ) श्री नन्दकिशोर शर्मा के विरुद्ध जाँच रिपोर्ट दिनांक 27-12-74 व 17-1-75 के आधार पर मामला राज्य सरकार की सुनवाई के पश्चात् अंतिम रूपेण न्यायिक जाँच हेतु उचित नहीं पाया गया। शेष जाँच रिपोर्टों पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 63-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है ।

(ब) श्री ताराचन्द शास्त्री के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 63-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही जारी है ।

जाँच प्रतिवेदन सदन की मेज पर रख दिये गये हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

खण्डार निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में प्राईमरी स्कूल खोलने की योजना

233. **श्री चुन्नीलाल (खण्डार)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) क्या यह सही है कि खण्डार निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामों में प्राइमरी स्कूल खोलने की राज्य सरकार की योजना है ? यदि हाँ, तो कहाँ-कहाँ ?

(2) क्या निम्न गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिये प्राथमिकता दी जा सकती है ? (1) बोहना, (2) बिनजारी, (3) बोदल, (4) पादड़ा, (5) नया गाँव, (6) जाजड़ा, (7) पीपेड़ी ।

(3) क्या राज्य सरकार इन गाँवों को शिक्षा सुविधा प्रदान करने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

उत्तर

(1) अगले वर्ष 400 से ऊपर की आबादी वाले गाँवों में 845 प्राथमिक विद्यालय खोलने का बजट में प्रस्ताव है । इसके अन्तर्गत खण्डार निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्कूल खोलने पर विचार कर लिया जायेगा ।

(2) निर्धारित मानदण्ड की समस्त शर्तें पूरी करने पर प्राथमिकता के आधार पर वित्तीय स्थिति के अनुसार स्कूल खोले जाने पर विचार किया जावेगा । इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है ।

इन गाँवों में सन् 1971 की जनसंख्या के अनुमान के आधार पर मानदण्ड पूरा न करने पर स्कूल नहीं खोले जा सके हैं ।

(3) यदि निर्धारित मापदण्ड को पूरा करेंगे तो प्राथमिक एवं वित्तीय साधनों को देखते हुए खोले जाने पर विचार किया जावेगा ।

दांता रामगढ़ क्षेत्र के ग्रामों का विद्युतीकरण

234. **श्री मदनसिंह दांता (दांता रामगढ़)**: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि दांता रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम मेई भूरडोका, बास काकराडा सरोली सांमी, सांगल्यो, बानुडा मीमामीराना के ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा ? अगर हाँ, तो कब तक ?

(2) क्या यह सही है कि इन ग्रामों का सर्वे हो चुका है ? अगर हाँ, तो कब और यदि नहीं तो क्यों ?

(श्री मदनसिंह दांता)

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम खातीवास, गोडियावास ग्राम की विद्युतीकरण योजना मंजूर हो गई है। अगर हां, तो कब?

उत्तर

ग्राम मीरानी के विद्युतीकरण की स्वीकृति हो चुकी है। ग्राम बानूडा, भीमा, मूरडी का वास, कांकरा, डांसरोली, सामी, सांगल्या अभी विद्युतीकरण के लिये स्वीकृत नहीं हैं। अतः विद्युतीकरण कब किया जायेगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।

(2) जी हां। ग्राम डांसरोली का सर्वे वर्ष 1973-74 में तथा अन्य गांवों का सर्वे वर्ष 1977-78 में हुआ है।

(3) जी नहीं।

राज्य की सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में हड़ताल

235. श्री एच. एन. शर्मा (बेगू): क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) 1 जुलाई, 77 से लेकर 28 फरवरी, 78 तक राज्य की सरकारी, अर्द्ध-सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों (कारखानों) में कुल मिलाकर कितनी हड़ताले (जिसमें भूख हड़तालें, टूल डाउन, धीमी गति से कार्य करना भी शामिल है) की गई हैं? इन हड़तालों से कितने मैन आवर्स का नुकसान हुआ है तथा इसका उत्पादन पर कितना असर पड़ा है?

(2) उक्त समयावधि में कितने असफल प्रतिवेदन श्रम विभाग के द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं तथा इनमें से कितने प्रतिवेदन लेबर ट्रिब्यूनल को भेज दिये गये हैं?

(3) जो प्रतिवेदन लेबर ट्रिब्यूनल को नहीं भेजे गये हैं, उसका क्या कारण है?

उत्तर

(1) जुलाई, 77 से फरवरी, 78 तक राज्य के सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों में हड़तालें, भूख हड़तालें, टूल डाउन, धीरे गति से कार्य करना, कुल मिलाकर 154 हुई हैं। इन हड़तालों से लगभग 16,99,152 मैन आवर्स का नुकसान हुआ तथा लगभग 11,01,53,540 रुपयों की उत्पादन में क्षति हुई।

(2) 315 असफलता प्रतिवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 169 इण्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल व लेबर कोर्ट को भेजे गये हैं।

(3) शेष में से 40 विवादों को न्याय निर्णय हेतु प्रेषित किया जाना उचित नहीं समझा। 64 विवाद राज्य सरकार के विभागों व प्रतिष्ठानों से सम्बन्धित हैं, जिनमें विभाग की टिप्पणी प्राप्त होने की निर्धारित अवधि अभी समाप्त नहीं हुई है। 42 विवादों पर समझौता अधिकारियों से पुनः स्पष्टीकरण मांगा गया है।

तहसील पचपदरा के ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था

236. श्रीमती मदनकौर (पचपदरा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बाड़मेर जिले की तहसील पचपदरा के कितने ग्रामों में पीने के पानी की

(श्रीमती मदनकौर)

व्यवस्था नहीं है ? इन गांवों में कितनी जनसंख्या निवास करती है ?

(2) इन ग्रामों को भविष्य मे किन-किन जल (मल कूप या नहर) से पीने का पानी उपलब्ध कराया जायेगा और कब तक?

(3) क्या राज्य सरकार ने तहसील पचपदरा के गांवों को पानी उपलब्ध कराने की दृष्टि से ग्राम पाटोदी, खट्टू, बलाऊ, जाटी पतासर(तहसील पचपदरा) और गांव भान्डू, तहसील शेरगढ (जिला जोधपुर) के कुओं का सर्वेक्षण किया है ? यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष रहा और यदि नहीं तो क्या इन कुओं का विस्तृत सर्वेक्षण शीघ्र कराया जायेगा ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले की तहसील पचपदरा के 103 समस्याग्रस्त ग्राम शेष हैं। जिनमें शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। इन ग्रामों की जन संख्या 1971 की जनगणनानुसार 58 हजार हैं।

(2) जहां तक भविष्य में इन समस्या ग्रस्त गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये जल स्रोतों को निर्धारित करने का प्रश्न है वह भू-जल विभाग द्वारा इस क्षेत्र के सर्वे पर आधारित होगा। भू-जल विभाग द्वारा भू-गर्भ में उपलब्ध पानी की मात्रा एवं शुद्धता बताये जाने पर उन ग्रामों के लिये प्रस्ताव बनाये जाकर जिला आयोजना समिति के मार्फत राज्य सरकार के पास प्रस्तुत होते हैं। प्रस्तावित ग्रामों की योजना प्राथमिकता, तकनीकी उपयुक्तता एवं धन की उपलब्धि के अनुसार स्वीकृत की जाती है। इस सम्बन्ध में निश्चित समय बताना कठिन है। वैसे वर्ष 1977-78 में बाड़मेर जिला आयोजना समिति के अंतिम प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

(3) वर्ष 1973-74 में राजस्थान के सभी ग्रामों के भूमिगत जल का रसायनिक विश्लेषण कर मास्टर प्लान तैयार किये गये जिसके अनुसार प्रारंभिक सर्वेक्षण पर तहसील पचपदरा के ग्राम पाटोदी, खट्टू, बलाउ, जाटी एवं पतासर (तहसील पचपदरा) तथा तहसील शेरगढ़ के ग्राम भांडू, चरणा एवं भांडू जाटी के निम्नलिखित जल विश्लेषण परिणाम प्राप्त हुए।

क्र.सं.	ग्राम के नाम	तहसील	जल विश्लेषण परिणाम
1.	पाटोदी	पचपदरा	खारा पानी
2.	खट्टू	पचपदरा	खारा पानी
3.	बलाउ जाटी	पचपदरा	ग्रामों में जलस्रोत नहीं है।
4.	पतासर	पचपदरा	जल नारूरोगग्रस्त है एवं फ्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है।
5.	भांडूचरणा	शेरगढ़	पीने योग्य जल स्रोत वर्ष के कुछ महीनों के लिए सूख जाता है।
6.	भांडूजाटी	शेरगढ़	जल स्रोत तीन किलोमीटर दूर है एवं फ्लोराइड भी कुछ अधिक है।

पचपदरा पंचायत समिति का विस्तृत सर्वेक्षण भू-जल विभाग द्वारा किया जा रहा है।

ग्राम गठवाड़ी में डिस्पन्सरी खोलने के आदेश

237. **श्री रामेश्वर प्रसाद** (जमवा-रामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील जमवारामगढ़ के गठ-वाडी ग्राम में डिस्पेन्सरी खोलने के आदेश भू. पू. सरकार ने कब किये थे ?

(2) वहाँ के लिये क्या-क्या स्टाफ कबसे तैनात किया गया ?

(3) वह स्टाफ इस समय कहाँ पर कार्य कर रहा है दूसरी जगह स्टाफ क्यों रखा गया ?

(4) इस डिस्पेन्सरी में स्टाफ कब तक भेज दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) दिनांक 21-4-77 को आदेश किये थे ।

(2) सूची संलग्न है ।

(3) प्रश्न के भाग 2 की सूची में अंकित है । राज्य सरकार द्वारा डिस्पेन्सरीज एवं एडपोस्ट खोलने पर पुनर्विचार घोषित नीति के कारण नियुक्त स्टाफ को अन्यत्र काम में लिया गया ।

(4) स्टाफ को यथा स्थान भेजने के आदेश जारी किये जा रहे हैं ।

स्टाफ की सूची

क्र.सं.	स्वीकृत पद	नाम एवं पद	प्रथम नियुक्ति की तिथि	वर्तमान कार्य स्थान
(1)	सी.ए.एस.	1. डॉ दामोदर दास गुप्ता	31-5-77	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
(2)	मेल नर्स श्रेणी-II	2. रिक्त पदों की पूर्ति नहीं की गई है।	..	..
(3)	प्रसाविका	1. श्रीमती कृष्णा देवी	4-7-77	राजकीय चिकित्सालय, मोतीकटला, जयपुर।
(4)	च. श्रेणी कर्मचारी	1. श्री गिर्राज प्रसाद	25-8-77	राजकीय चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर।
		2. श्री मूलसिंह	31-8-77	राजकीय चिकित्सालय, मनोहरपुर।
		3. रिक्त		..
(5)	हरिजन	1. श्री रमेश चन्द	3-9-77	राजकीय चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर

राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति

238. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को पुनः किसी पद पर नियुक्त करने की प्रवृत्ति को उचित समझती है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति श्री त्यागी न तो कभी प्रोफेसर रहे हैं न ही कभी अच्छे शिक्षा शास्त्री और न ही उनकी गिनती भारत प्रसिद्ध धुरंधर साहित्यकारों में ही की जाती है ? यदि हां, तो फिर उन्हें कुलपति बनाये जाने का क्या आधार है ?

उत्तर

(1) यह शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है ।

(2) राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर श्री त्यागी की नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कुलाधिपति महोदय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की गई है ।

प्रान्तीय विद्युत मंडल मजदूर फेडरेशन के महामंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार का मामला

239. श्री कौशल किशोर जैन (भीलवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री दामोदर मौर्य, महामंत्री प्रान्तीय विद्युत् मंडल मजदूर फेडरेशन के विरुद्ध कोई मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन है ?

(2) श्री दामोदर मौर्य किस विभाग में किस पद पर कार्य करते हैं ? पद, वेतन श्रृंखला व इनको मिलने वाले पूर्ण वेतन विवरण से अवगत करायें ?

(3) क्या यह सही है कि आधुनिक जीवन जीने वाले श्रमिक नेता श्री मौर्य के पास इस समय पांच लाख की अचल सम्पति है जिसमें कालवाड़ और रींगस में कृषि फार्म, सांगानेर बस्ती सीतारामपुरा और हथरोई में एक-एक प्लाट है तथा यह शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन है ?

(4) क्या यह सही है कि श्री मौर्य की सभी सन्तानें उच्चस्तरीय विद्यालयों में शिक्षा पाती हैं और जिनके लिये इन्होंने अलग से मकान किराये ले रखा है ? इनके शिक्षा पर होने वाले व्यय का क्या ब्यौरा है ?

(5) क्या श्री मौर्य की आय के अतिरिक्त साधन भी हैं ? यदि हां, तो क्या क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(6) क्या यह संभव है कि अपने अल्प वेतन पर श्री मौर्य इस तरह का जीवन जी सकते हैं ? यदि नहीं तो सरकार इनके कार्यकलापों की जांच करवा इनके विरुद्ध मामला बनने पर क्या इन्हें दण्डित करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां । इस सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक जांच चल रही है ।

(श्री गृह मन्त्री)

(2) श्री दामोदर मौर्य राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (असिस्टेंट (कन्ट्रोल ऑफ स्टोर्स, जयपुर सिटी सर्किल) में वर्क-चार्ज हेल्पर के पद पर कार्यरत हैं जिसकी कोई वेतन श्रृंखला नहीं होती है। इन्हें इस वर्ष डलीवेजेज अन्य भत्ते मिलाकर प्रति माह 470.35 रु. की राशि मिलती है।

(3) से (5) जांच चल रही है।

(6) जांच पूर्ण होने पर यदि आरोप प्रमाणित पाये जायेंगे तो नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

राज्य प्रशासन में सुधार एवं गति लाने के प्रयास

240. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या मुख्यमंत्री (कार्मिक) यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य प्रशासन में सुधार एवं गति लाने के लिये राज्य के मुख्य मंत्रीजी ने कब-कब क्या घोषणायें कीं ?

(2) उक्त घोषणाओं पर राज्य प्रशासन ने किस प्रकार अमल किया और पालना की ?

उत्तर

मुख्यमंत्रीजी ने कई बार सदन में तथा बाहर प्रशासन में सुधार व गति लाने के लिये राज्य सरकार के मंतव्य को सामान्य रूप से व्यक्त किया है। इस मंतव्य की अनुपालना में किये गये राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार के कुछ महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार के कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं :-

1. राजस्व न्यायालयों के निर्णयों में देरी होने के कारण कृषकों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता था। कृषकों को सस्ता व सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर, 1977 से राजस्व अभियान का आयोजन किया। इस अभियान के दौरान राजस्व अधिकारियों ने जन प्रतिनिधियों के साथ बैठ कर गांवों में खुली अदालतों में लगभग 9 लाख मुकदमों का निर्णय किया। इस अभियान के अन्तर्गत किये गये महत्वपूर्ण कार्य निम्न हैं :—

(1) 1.38 लाख व्यक्तियों को उनके द्वारा जोती गई भूमि के खातेदारी हक दिये गये हैं। भूमि का पूरा टाइटल मिलने से उन्हें अब बैंकों से ऋण मिल सकेंगे।

(2) बिक्री, उपहारस्वरूप उत्तराधिकार आदि से भूमि हस्तान्तरण के 5.58 लाख नामान्तरण प्रमाणित किये गये। भू-अभिलेखों में उनका नामांकन होने से अब वे बैंकों से ऋण लेकर अपनी भूमि में सुधार कर सकेंगे।

(3) 62,000 परिवारों को 1.33 लाख एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इनमें से 34,088 परिवार अनुसूचित जाति व जन जाति के हैं, जिन्हें 72,471 एकड़ भूमि दी गई है।

(4) लगभग 72,000 मामलों में सरकारी भूमि पर कब्जे नियमित कर दिये गये हैं।

(श्री मुख्यमंत्री)

(5) लगभग 32,000 मामलों में, जिनमें सरकार के द्वारा भूमि का कब्जा लेने के उपरान्त भी काश्तकारों से भूमि का लगान वसूल किया जाता था भू-राजस्व में कमी करके उन्हें राहत दी गई है।

(6) वृद्ध व अशक्त व्यक्तियों को पेंशन स्वीकार करने के जटिल तरीके के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से लोगों ने पहले इस योजना का लाभ नहीं उठाया। राजस्व अभियान के दौरान एसे वृद्धों, अपंगों तथा अशक्त लोगों को पेंशन स्वीकार करने के विशेष प्रयत्न किये गये जिनके पास आय का कोई जरिया नहीं था या परिवार में कोई अन्य व्यक्ति उनकी देख-भाल करने वाला नहीं था। अभियान के दौरान कुल मिलाकर 19,000 व्यक्तियों का पेन्शन स्वीकृत की गई।

(7) राज्य सरकार द्वारा चलायी गई अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत ग्राम सभाओं में 5 निर्धनतम व्यक्तियों का चयन किया जाना था ताकि उन व्यक्तियों के लिए उचित सहायता की योजना तैयार की जा सके। राजस्व अभियान के दौरान आयोजित ग्राम सभाओं की बैठकों में अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले निर्धनतम परिवारों का चयन करने में काफी सहायता मिली।

प्रशासन की गति को तेज करने तथा जनता के परिवारों का निराकरण करने का यह सफल प्रयास रहा। खुली सभाओं में राजस्व मुकदमों का निपटारा होने से भ्रष्टाचार रोकने में भी मदद मिली।

2. पिछले वर्षों में भूमि का आवंटन अवैध हस्तान्तरण आदि को लेकर जो अनियमितताएं हुई थी उनकी जांच करने तथा एेसी घटनाओं की पुनरावृति न हो और राज्य प्रशासन में तत्सम्बन्धी सुधार हो इस लक्ष्य को लेकर बेरी आयोग की नियुक्ति की गई।

3. आपातकाल में प्रशासन में जो ज्यादतियें हुई उनकी जांच करने के लिए एक तथ्यान्वषण समिति का गठन किया गया। इस समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर एसे समस्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी जिन्होंने अपनी प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग किया।

4. मुख्यमंत्री कार्यालय में इस बात की व्यवस्था की गई कि आम जनता से प्राप्त सभी परिवादों के निपटारों के समुचित उत्तर उन्हें भिजवाये जायं।

5. भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये भ्रष्टाचार निरोधक विभाग का पुनर्गठन किया गया है। विभाग में कुछ विशिष्ट अनुसंधान एवं गुप्तचर इकाइयों की स्थापना की गई है।

6. आपातकालीन स्थिति के दौरान पिछली सरकार ने पदोन्नति के लिए मैरिट फार्मूले में जो संशोधन किये उनसे राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों में व्यापक असंतोष पनपा। सरकार ने सारे प्रश्नों पर पुनर्विचार कर मैरिट फार्मूले में आवश्यक संशोधन किया। शीघ्र ही विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाई जाकर रिक्त पदों को भर दिया जायेगा।

(मुख्यमंत्री)

7. राजकीय कर्मचारियों की समस्याओं तथा उनकी मांगों पर तत्परता से ध्यान देने के लिये कार्मिक विभाग में एक विशिष्ट सचिव की नियुक्ति की गई है।

8. योजना एवं अयोजनागत कार्यों को गति देने के लिए व विभिन्न विभागों के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा करने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विभागीय समन्वय समिति की बैठकों का आयोजन किया गया है।

9. दुग्ध विकास के कार्यों में दो विभिन्न इकाइयों से निष्पादन होने के कारण कुछ कठिनाइयाँ आ रही थीं। इस कार्य को एकीकृत रूप से करने के लिये राज्य स्तर पर सहकारी क्षेत्र में एक दुग्ध विपणन फैडरेशन की स्थापना की गई है ताकि राज्य के विभिन्न जिलों में एकीकृत रूप से दुग्ध विकास का कार्यक्रम हाथ में लिया जा सके।

10. प्रशासनिक सुधार एवं प्रशासनिक मितव्ययता की दृष्टि से नगरीय भूमि परिसीमा विभाग को भूमि व भवन कर विभाग में विलीनीकरण कर दिया गया है। इसी प्रकार जागीर विभाग का भी राजस्व विभाग में विलीनीकरण कर दिया गया है।

11. विभिन्न क्षेत्रों की समस्याओं पर उच्चस्तरीय विचार करने के लिये मंत्रिमण्डल की क्षेत्रीय बैठकें बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस निर्णय की परिणिति में एक बैठक कोटा में जनवरी, 1978 में की गई।

12. शिक्षा प्रशासन को सुदृढ़ बनाने तथा उसमें सुधार लाने की दृष्टि से 2 क्षेत्रीय उप-निदेशक, 2 अतिरिक्त जिला शिक्षाधिकारी व 15 उप-जिला शिक्षाधिकारियों के पद सृजित किये गये हैं।

13. नियुक्ति तथा पदोन्नति सम्बन्धी सरकारी नीति का प्रशासनिक कुशलता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। सरकार ने विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्ति करते समय अधिकारियों की सत्यनिष्ठा एवं कार्य कुशलता पर विशेष ध्यान दिया है।

भीमसागर बांध का निर्माण कार्य

241. श्री भैरव लाल कालाबादल (खानपुर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भीमसागर बांध का निर्माण कार्य किस तारीख को प्रारम्भ किया गया था? प्रारम्भ से आज तक इस बांध पर कितनी धनराशि खर्च की जा चुकी है?

(2) क्या यह सही है कि इस बांध के निर्माण हेतु अभी भी सीमेन्ट की हजारों बोरियाँ झालावाड़ में एक मकान में बन्द पड़ी हुई हैं?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त सीमेंट के कट्टे पानी में भीगकर पत्थर के समान हो गये हैं? यदि हाँ, तो इस बिगड़ी हुई सीमेंट की बोरियों को किस कार्य में लिया जावेगा?

उत्तर

(1) भीमसागर बांध का कार्य 1953-54 में प्रारम्भ किया गया था। इस योजना पर अब तक 62.75 लाख रुपया व्यय किया जा चुका है।

Page No 258

(258)

(सिंचाई मंत्री)

(2) जी हाँ।

(3) जी हाँ। बिगड़ी हुई सीमेंट की बोरियों को विधिवत नीलाम कर दिया जायगा।

उप-जिलाधीश, बहरोड़ के विरुद्ध शिकायतें

242. **श्री रामकरण सिंह** (कोटपूतली) : क्या मुख्यमंत्री (कार्मिक) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बहरोड़, जिला अलवर में उप-जिलाधीश, श्री छोटूसिंह कब से कब तक रहे ?

(2) उक्त समय में उनके खिलाफ किस-किस को कब-कब, क्या-क्या शिकायतें प्राप्त हुई ? उन शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) उनके बहरोड़ से स्थानान्तरण के आदेश कब-कब गये और किन कारणों से रद्द किये गये ?

(4) क्या यह भी सही है कि उनके खिलाफ एक शिष्ट मण्डल मुख्य सचिव से भी मिला था ? यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

उत्तर

(1) श्री छोटूसिंह अलवर जिले में उप-खण्ड अधिकारी (उप-जिलाधीश), बहरोड़ के पद पर दिनांक 5-11-73 से 23-4-76 तक रहे हैं।

(2) उक्त समय में उनके खिलाफ जो शिकायतें प्राप्त हुई उनका विवरण मय उन पर की गई कार्यवाही के संक्षिप्त विवरण के साथ सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) उनका बहरोड़ से स्थानान्तरण केवल 1 बार राज्य सरकार के आदेश संख्या प. 1(11) कार्मिक (क-4) 75, दिनांक 13-4-76 द्वारा भू-प्रबन्ध अधिकारी (रेन्ट रेट), जयपुर के पद पर किया गया। ये आदेश रद्द नहीं किये गये।

उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट नहीं होता कि इनके खिलाफ कोई शिष्ट मण्डल कभी मुख्य सचिव से भी मिला था।

श्री छोटूसिंह भदोरिया तत्कालीन उप-खण्ड अधिकारी (उप-जिलाधीश), बहरोड़ जिला के विरुद्ध प्राप्त हुई शिकायतें एवं उन पर की गई कारवाही का संक्षिप्त विवरण

श्री छोटूसिंह भदोरिया, तत्कालीन उप-खण्ड अधिकारी (उप-जिलाधीश), बहरोड़ जिला अलवर के विरुद्ध समय-समय पर विभिन्न अधिकारियों व कार्यालयों से निम्न प्रकार शिकायतें प्राप्त हुई:—

1. दिनांक 17-7-75 को श्री रोहताशसिंह, अभिभाषक, बहरोड़ द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान को इस आशय का दिया गया तार कि उप-खण्ड अधिकारी, बहरोड़ कार्यालय में 15 जुलाई, 75 से नहीं आ रहे हैं परन्तु पत्रावलियां एवं कागजों पर घर पर ही हस्ताक्षर कर रहे हैं।	उक्त शिकायतों पर जिलाधीश, अलवर से तत्काल टिप्पणी माँगी गई थी जिससे यह अवगत हुआ था कि श्री छोटूसिंह, उप खण्ड अधिकारी, बहरोड़ दिनांक 15 एवं 16 जुलाई, 75 को

2. दिनांक 17 जुलाई, 75 का ही श्री रोहताश सिंह, अभिभावक, बहरोड़ द्वारा मुख्य सचिव को इस आशय का तार कि उप-खण्ड अधिकारी, बहरोड़ 11 व 15 तक कार्यालय नहीं आये तथा क्रिमीनल क्लर्क उनके निवास पर हस्ताक्षर कराने हेतु नहीं जा रहे हैं।

3. दिनांक 21 जुलाई, 75 का श्री रोहताश सिंह, अभिभावक, बहरोड़ द्वारा मुख्य सचिव को दिया गया इस आशय का तार कि उप-खण्ड अधिकारी, बहरोड़ अभिभावक के हाजरीनामे पर सर्किल ऑफिसर पुलिस के माध्यम से हस्ताक्षर करवा रहे हैं तथा सर्किल ऑफिसर, पुलिस, बहरोड़ एवं अन्य लोग उन्हें गम्भीर परिणामों के लिये धमकियां दे रहे हैं।

कार्यालय में नहीं आये थे और इसका कारण सम्भवतया यह था कि वे पिछले कुछ दिनों से अस्वस्थ होने के कारण अवकाश पर थे जिसके लिये उन्हें कुछ और आराम की आवश्यकता थी यद्यपि बिना अवकाश के अनुपस्थित रहना उनके लिये उचित नहीं था। प्रशासनिक कारणों से जिलाधीश का यह परामर्श था कि इस प्रसंग में कठोर कदम लिये जाने की आवश्यकता नहीं है। अन्त में जिलाधीश को निर्देश दिये गये कि श्री छोटूसिंह को इस संबंध में आवश्यक परामर्श दें और यदि उचित हो तो चेतावनी भी दें और उनकी गतिविधियों पर भविष्य में नियन्त्रण रखा जावे।

4. श्री प्रभातीलाल, सदस्य ब्लाक कांग्रेस कमेटी, बहरोड़ का प्रधानमंत्री, भारत सरकार को दिनांक शून्य द्वारा दिया गया ज्ञापन जो राज्य सरकार को दिनांक 23-8-75 को प्राप्त हुआ। इस ज्ञापन में श्री छोटूसिंह के प्रति रिश्वतखोरी, लालफीताशाही और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गये थे।

5. श्री घनश्याम सिंह यादव, ब्लाक कांग्रेस कमेटी, बहरोड़ द्वारा मुख्य सचिव को दिया गया ज्ञापन जिस में श्री छोटू सिंह के खिलाफ रिश्वत खोरी, लालफीताशाही और अनुशासनहीनता के आरोप थे।

6. मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, सतर्कता आयुक्त एवं मुख्य सचिव, राजस्थान को हरिजनों से प्राप्त गुमनाम ज्ञापन जिस में श्री छोटूसिंह के खिलाफ सामन्तवादी प्रवृत्ति को बढावा देने एवं अवैध तरीके से पूंजी अर्जित करने के आरोप थे।

इन शिकायतों पर श्री जिलाधीश, अलवर से टिप्पणी प्राप्त की गई थी। जिलाधीश का अभिमत था कि ज्ञापनों में लगाये गये आरोप सामान्य प्रकृति के हैं जिन पर जांच किया जाना अथवा सिद्ध करना कठिन है। ऐसे कोई विशिष्ठ उदाहरण नहीं दिये गये हैं जिन पर विस्तार से जांच की जा सके। इसी बीच श्री छोटूसिंह को बहरोड़ से स्थानान्तरित किया जा चुका था। अतः जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले को समाप्त किये जाने का निर्णय लिया गया।

Page No 260

(260)

7. श्री मनोहरलाल, अध्यक्ष, कमजोर वर्ग समस्या निवारण एवं तहसील बहरोड़ द्वारा तत्कालीन प्रधानमंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली को सम्बोधित ज्ञापन जो राज्य सरकार को 20-4-76 को प्राप्त हुआ। उसमें श्री छोटूसिंह के विरुद्ध 20 सूत्री कार्यक्रम को असफल बनाने, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार एवं गुण्डागर्दी के आरोप लगाये थे।

इस संबंध में जिलाधीश त टिप्पणी प्राप्त करने पर आरोपों को असत्य पाया गया अतः मामले को समाप्त कर दिया गया।

261

~~परिशिष्ट—14 मार्च, 1978—परिशिष्ट~~ [518

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 210 का संक्षिप्त प्रारूप)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

SULLAGE-CUM STORM WATER DRAINAGE SCHEME, SUJANGARH

GENERAL ABSTRACT OF COST

S. No. 1	Particulars 2	Amount 3
1.	Providing laying jointing of 450 mm dia R. C. C. NP. 2 sewery construction of main holes, catch pits and ventilating shafts from near Khoobchand Bakiwal House to Girnnant. "A--C"	Rs. 1,84,426.00
2.	Providing laying and jointing of 350 mm dia R. C. C. NP 2 sewer construction of mainholes, catch pits and ventilating shafts from Natcholand tank to proposed P. S. near Girnnant. "B--C"	Rs. 2,40,643.00
3.	Construction of pumping station near Girnnant.	Rs. 84,210.00
4.	Construction of store rooms, H type quarters, boundary wall etc. L. S.	Rs 50,000.00
5.	Providing and laying and jointing 250 mm dia R. C. C. P 2 pressure rising main.	Rs. 48,400.00
6.	Providing laying and jointing of 300 mm dia R C. C. P 2 rising main.	Rs. 1,32,900.00
7.	Construction of outfall masonary drain from tailend of rising mains, to Jaswantgarh Talai.	Rs. 1,32,000.00
8.	Provision for pumping machinery, installation, switch-panels, power connection and generating set etc.	Rs. 2,00,000.00

262

1	2	3
9.	Construction of intercepting drain from Nayabas to Jashwantgarh Talai.	Rs. 3,91,220 00
	TOTAL ..	Rs. 14 63,799 00
	Add 4½ % for W. G. and contingencies	Rs. 65,871.00
		15,29 670.00
	Add 14% for pro rata charges	2,14 153.00
		Rs. 17 48,823.00
	Say	Rs. 17.44 lacs.

Sd/—

Asstt. Engineer,
S & D Sub-Division,
Bikaner.

Executive Engineer,
S & D Division,
Jaipur.

SULLAGE-CUM-STORM WATER DRAINAGE SCHEME, SUJANGARH
SALIENT FEATURES OF THE SCHEME

1. Existing population (1971) — 39 103 Souls
2. Prospective population for 2011 — 70,000 Souls
3. Intensity of rain fall — 0.5 inches/Hour
4. Imperious factor — 0.4
5. Details of pipes proposed :

   R. C. C N P Class II pipes
   250 mm dia length 450 mm
   300 mm dia length 300 mm
   350 mm dia length 975 mm
   450 mm dia length 510 mm

6. Details of Pumping Station :

   Sullage Water 10 N.P. from Nos.
   Length of Rising Man. 1450 fts.
   Storm Water 35 N.P. Two Nos.
   Length of Rising Main 1450 fts.

7. Catch Pits — 56 Nos.
8. Ventilating Shaft — 9 Nos.
9. To total cost of Scheme — 17.44 Lacs Rs.
10. Cost per Capita on designed population Rs. 24.9/-
11. Total quantity of DWF expected 63.7 C.F.M.
12. Total quantity of Storm Water expected 4260 C.F.M.